संदर्भ क्र. **Ref. No.:** HO:IRC:SM:2022-23:112

दिनांक **Date:** 21.06.2022

Scrip Code: BANKINDIA	**Scrip Code : 532149**
The Vice President – Listing Department, National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400 051.	The Vice-President – Listing Department, BSE Ltd., 25, P.J. Towers, Dalal Street, Mumbai 400 001.

Dear Sir / Madam,

Sub: Annual Report of the Bank for the year 2021-22

Pursuant to Regulation 34 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached the Annual Report (including Notice of the 26th Annual General Meeting) of the Bank for the year 2021-22.

The Annual Report of the Bank for the year 2021-22 is also available on the Bank's website www.bankofindia.co.in.

We request you to take the same on record.

भवदीय Yours faithfully,

बैंक ऑफ इंडिया BANK OF INDIA प्र. का. H.O. निवेशक संबंध विभाग Investor Relations Dept.

(Rajesh V Upadhya)
कंपनी सचिव Company Secretary

Encl: As above.

प्रधान कार्यालय: निवेशक संबंध विभाग, स्टार हाउस-I, आठवीं मंजिल, सी-5, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा पूर्व, मुंबई - 400 051
Head Office: Investor Relations Cell, Star House - I, 8th Floor, C-5, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051 Ph.: (022) 6668 4490 : Fax: (022) 6668 4491 Email: headoffice.share@bankofindia.co.in

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India BOI

सुनहरे भविष्य की ओर
Reshaping the future

वार्षिक रिपोर्ट | ANNUAL REPORT
2021 - 2022

निदेशक मंडल / Board of Directors

श्री मुनीश कुमार रल्हन, श्री एम.कार्तिकेयन (कार्यपालक निदेशक), श्री सुब्रत दास, श्री पी.आर.राजगोपाल (कार्यपालक निदेशक), सुश्री मोनिका कालिया (कार्यपालक निदेशक), श्री अतनु कुमार दास (एमडी एवं सीईओ), श्री स्वरूप दासगुप्ता (कार्यपालक निदेशक), सुश्री वेणी थापर, डॉ भूषण कुमार सिन्हा, श्री पी.एन.प्रसाद

Shri Munish Kumar Ralhan, Shri M. Karthikeyan (Executive Director), Shri Subrata Das, Shri P R Rajagopal (Executive Director), Ms. Monika Kalia (Executive Director), Shri Atanu Kumar Das (MD & CEO), Shri Swarup Dasgupta (Executive Director), Ms. Veni Thapar, Dr. Bhushan Kumar Sinha, Shri P N Prasad

बैंक ऑफ इंडिया / Bank of India

(भारत सरकार का उपक्रम),
(A Government of India undertaking),

प्रधान कार्यालय:
स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक,
बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व),
मुंबई - 400 051.
फोन : 022 - 6668 44 44
ई-मेल : HeadOffice.share@bankofindia.co.in
वेबसाइट: www.bankofindia.co.in

Head Office :
Star House, C-5, G Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai - 400 051.
Phone : 022- 6668 44 44
E-mail : HeadOffice.share@bankofindia.co.in
Website : www.bankofindia.co.in

महत्वपूर्ण सूचनाएँ		Important Information	
लाभांश के भुगतान और ई वोटिंग तथा वीसी के माध्यम से एजीएम में सहभागिता करने के लिए रिकॉर्ड तिथि।	08.07.2022	Record Date for payment of dividend and E-voting and to participate in AGM through VC	08.07.2022
लेखाबंदी तिथि (दोनों दिन शामिल)	09.07.2022 से 15.07.2022	Book Closure dates (both days inclusive)	09.07.2022 to 15.07.2022
रिमोट ई-वोटिंग	शुरू - 11 जुलाई 2022 (सुबह 9.00) समाप्त - 14 जुलाई 2022 (शाम 5.00)	Remote E-voting	Start - 11th July 2022 (9.00 AM) End – 14th July 2022 (5.00 PM)
26वीं वार्षिक आम बैठक	15 जुलाई, 2022 दोपहर 12.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) माध्यम से	26th Annual General Meeing	15th July, 2022 at 12.00 noon through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)

विषय सूची

Contents

अवलोकन Overview

2	सांविधिक लेखा परीक्षक	2	Statutory Auditors
2	महाप्रबंधक	2	General Managers
3	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का वक्तव्य	3	Managing Director & CEO's Statement

सांविधिक रिपोर्ट Statutory Reports

7	निदेशक रिपोर्ट	11	Directors' Report
15	प्रबंधन विचार - विमर्श एवं विश्लेषण	35	Management Discussion & Analysis
52	कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व रिपोर्ट	52	Corporate Social Responsibility Report
54	कॉरपोरेट शासन रिपोर्ट	54	Corporate Governance Report
75	निदेशकों की गैर - अयोग्यता प्रमाणपत्र	75	Certificate of Non-disqualification of Directors
76	सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट (फार्म MR-3)	76	Secretarial Audit Report (Form - MR-3)
81	सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण	81	CEO/CFO Certificate
81	मुख्य कार्यपालक अधिकारी की घोषणा	81	Declaration by CEO
82	सत्यनिष्ठा संधि	82	Integrity Pact
230	बासेल-III (स्तंभ 3) - प्रकटन	259	Basel-III (Pillar 3) - Disclosures
286	आम बैठक की सूचना	286	Notice of Annual General Meeting
301	हरित पहल	301	Green Initiative

वित्तीय विवरण Financial Statements

84	तुलनपत्र	84	Balance Sheet
85	लाभ एवं हानि खाता	85	Profit & Loss Account
86	नकदी प्रवाह विवरण	86	Cash Flow Statement
94	महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	94	Significant Accounting Policies
107	खातों के भाग स्वरुप टिप्पणियां	107	Notes Forming Part of Accounts
162	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	162	Independent Auditor's Report
175	समेकित वित्तीय विवरण	175	Consolidated Financial Statements

सांविधिक लेखा परीक्षक
Statutory Auditors

मेसर्स वी शंकर अय्यर एण्ड कं., सनदी लेखाकार	M/s. V Sankar Aiyar & Co, Chartered Accountants
मेसर्स लक्ष्मी तृप्ति एण्ड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार	M/s. Laxmi Tripti & Associates, Chartered Accountants
मेसर्स मुकुंद एम चितले एंड कंपनी, सनदी लेखाकार	M/s Mukund M Chitale & Co., Chartered Accountants

मुख्य महाप्रबंधक
Chief General Managers

लक्ष्मीनारायण रथ (सी.वी.ओ.)	LAXMINARAYAN RATH (C.V.O.)
मनोज दास	MONOJ DAS
प्रकाश कुमार सिन्हा	PRAKASH KUMAR SINHA
अभिजीत बोस, सी.सी.ओ.	ABHIJIT BOSE, C.C.O.
अशोक कुमार पाठक	ASHOK KUMAR PATHAK

महाप्रबंधक
General Managers

श्रीनिवास रवि कुमार जोस्युला	SRINIVASA RAVI KUMAR JOSYULA	कामेश मंथा	KAMESH MANTHA
अरुण कुमार जैन	ARUN KUMAR JAIN	विश्वजीत सिंह	VISHWAJEET SINGH
लाल बृज	LAL BRIJ	सुरेंद्र मोहन बंसल	SURENDER MOHAN BANSAL
सुधीरंजन पाढ़ी	SUDHIRANJAN PADHI	प्रमोद कुमार बथल	PRAMOD KUMAR BATHAL
श्रीपाद दिनानाथ सिनाई कारापुरकर	SRIPAD DINANATA SINAI CARAPURCAR	राघवेंद्र कुमार	RAGHVENDRA KUMAR
राजेश कुमार राम	RAJESH KUMAR RAM	मुकुंद दिगंबर कुलकर्णी	MUKUND DIGAMBAR KULKARNI
शिव बजरंग सिंह	SHIV BAJRANG SINGH	प्रशांत थपलियाल	PRASHANT THAPLIYAL
सुनील शर्मा	SUNIL SHARMA	उद्दलोक भट्टाचार्य	UDDALOK BHATTACHARYA
धर्मवीर सिंह शेखावत	DHARMVEER SINGH SHEKHAWAT	प्रमोद कुमार द्विवेदी	PRAMOD KUMAR DWIBEDI
पिनपाला हरि किशन	PINAPALA HARI KISHAN	अमिताभ बनर्जी	AMITABH BANERJEE
प्रफुल्ल कुमार गिरी	PRAFULLA KUMAR GIRI	राजेश सदाशिव इंगळे	RAJESH SADASHIV INGLE
लोकेश कृष्णा	LOKESH KRISHNA	राधा कांता होता	RADHA KANTA HOTA
शारदा भूषण राय	SHARDA BHUSHAN RAI	बी कुमार, सी.आर.ओ.	B KUMAR, C.R.O.
कुलदीप जिंदल	KULDEEP JINDAL	अश्विनी गुप्ता	ASHWANI GUPTA
गिरीश कुमार सिंह	GIRISH KUMAR SINGH	पुखराज पानगड़िया	PUKH RAJ PANGRIYA
वेंकटाचलम आनंद	VENKATACHALAM ANAND	गीता नागराजन	GEETHA NAGARAJAN
ज्ञानेश्वर जगन्नाथ प्रसाद	GYANESHWAR JAGANNATH PRASAD	शशिधरन मंगलमकत	SASIDHARAN MANGALAMKAT
राजेंद्र मान पांडे	RAJENDRA MAN PANDEY	विलास रामदासजी पराते	VILAS RAMDASJI PARATE
नितिन गोविंदराव देशपांडे	NITIN GOVINDRAO DESHPANDE	बिस्वजीत मिश्रा	BISWAJIT MISHRA
बिक्रम केशरी मिश्र	BIKRAM KESHARI MISHRA	शंकर सेन, सी.एफ.ओ.	SANKAR SEN, C.F.O.

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का वक्तव्य

Managing Director & CEO's Statement

प्रिय शेयरधारकों एवं हितधारकों,

1. सर्वप्रथम, मैं आपके बैंक की 26वीं वार्षिक आम बैठक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आपके बैंक की वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष रखते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है।

2. वर्ष 2021-22 में एक रोचक एवं चुनौतीपूर्ण प्रवृत्ति थी जिसमें दुनिया भर में टीकाकरण अभियान चलते रहे और एक के बाद एक कोविड-19 के म्युटेंट स्ट्रेन आते रहे। साथ ही, वैश्विक अर्थव्यवस्था, जिसमें वर्ष 2020 में 3% की गिरावट आई थी, धीरे-धीरे वापस ऊपर उठने लगी, हालांकि महामारी के कारण उसमें बीच-बीच में रुकावटें भी आईं। आईएमएफ के अनुमान के अनुसार, वैश्विक अर्थव्यवस्था ने 2021 में 6.1% की वृद्धि दर्ज की और विश्व व्यापार की मात्रा में 10.1% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि 2020 के दौरान (-) 7.9% की वृद्धि हुई थी।

3. हालांकि अर्थव्यवस्था की बहाली हो रही थी, महामारी के कारण आवाजाही में भिन्न-भिन्न डिग्री में प्रतिबंध अभी भी लगाए जा रहे थे, जो औद्योगिक उत्पादन को प्रभावित कर रहे थे और आपूर्ति में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। विभिन्न क्षेत्रों में आपूर्ति व्यवधानों के कारण लगभग सभी देशों में मुद्रास्फीति का दबाव नज़र आ रहा था। मुद्रास्फीति से लड़ने के उपाय के रूप में, मौद्रिक अधिकारियों द्वारा पहले अनुग्रहपूर्ण दिए गए नीतिगत समर्थन के निराकरण स्वरूप नीतिगत दरों को बढ़ाया गया है और संपत्ति खरीद कार्यक्रम को धीमा कर दिया गया है। वर्ष के अंत में रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के कारण आर्थिक गतिविधियों में व्यवधान और वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई जिससे स्थिति और भी बिगड़ गई है।

4. हमारे देश में भी, सरकार और आरबीआई द्वारा कई नीतिगत उपाय किए गए जिसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में टर्नाराउंड आया। 2020-21 के दौरान जीडीपी में 6.6% की गिरावट आई इसकी तुलना में 2021-22 के दौरान जीडीपी में 8.7% की वृद्धि हुई और इसके साथ ही अर्थव्यवस्था पूर्व-कोविड स्तर पर लौट आई। तथापि, वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति ऊंचे स्तर पर बनी रही और खुदरा मुद्रास्फीति वर्ष के अंत तक 5% से कम से बढ़कर 7% से अधिक हो गई।

Dear Shareholders & Stakeholders,

1. At the very outset, I extend a very warm welcome to each one of you to the 26th Annual General Meeting of your Bank. I have great pleasure in placing before you the Annual Report of your Bank for the year ended March 31, 2022.

2. The year 2021-22 featured an interesting and challenging trend with vaccination drive progressing across the globe along with resurfacing of mutant strains of COVID-19 one after another. Simultaneously, global economy, which had contracted by over 3% in 2020, gradually started bouncing back, of course, halted intermittently by the pandemic. As per the estimate of IMF, global economy registered a growth of 6.1% in 2021 and world trade volume rose by 10.1% as against (-) 7.9% growth during 2020.

3. Although recovery was taking place, pandemic induced movement restrictions were still there in varying degrees, affecting industrial production and causing supply bottlenecks. Supply disruptions across various sectors also gave rise to build up of inflationary pressure, almost across all the countries. As a measure to fight inflation, the accommodative policy support extended earlier by the monetary authorities took gradual reversal in terms of raising of policy rates and slowing down of asset purchase programme. The breakout of Russia-Ukraine war towards the year-end further exacerbated the situation by way of disruption in economic activities and increase in commodity prices.

4. Domestically also, the economy did a turn-around supported by various policy measures by the Government as well as RBI. The GDP grew by 8.7% during 2021-22 against contraction of 6.6% during 2020-21 and with this, the economy returned to the pre-Covid level. However, inflation remained at elevated level during the year and retail inflation rose from below 5% to over 7% by the year-end.

5. बैंकिंग उद्योग ने 2020-21 के दौरान 5.6% की तुलना में 2021-22 के दौरान 9.6% की उच्च ऋण वृद्धि देखी, जिसमें कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के लिए ऋण प्रवाह में वृद्धि हुई। एनपीए में कमी और लाभ स्तर में वृद्धि के साथ बैंकों के वित्तीय कार्यनिष्पादन में भी सुधार हुआ। तथापि, विभिन्न कारकों जैसे कि कच्चे तेल की उच्च कीमत, उच्च मुद्रास्फीति स्तर और अमेरिका में सरकारी बांड प्रतिफल में वृद्धि की वजह से सरकारी प्रतिभूतियों से प्रतिफल कम हो गए और बैंकों की गैर-ब्याज आय विशेष रूप से वर्ष की दूसरी छमाही में प्रभावित हुई।

6. भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया और साथ ही विभिन्न विकासोन्मुखी और चलनिधि बढ़ाने वाले उपायों जैसे टीएलटीआरओ का विस्तार, स्वास्थ्य सेवा, होटलों और पर्यटन कंपनियों को चलनिधि समर्थन, लघु वित्त बैंकों के लिए विशेष दीर्घावधि रेपो परिचालन, एकल और लघु कारोबार खातों के लिए समाधान का विस्तार आदि को भी जारी रखा। इसके अलावा, सरकार द्वारा कई नीतिगत उपायों की घोषणा की गई थी जैसे हेल्थकेयर और पर्यटन क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना, ईसीएलजीएस के तहत अतिरिक्त रु.1.5 लाख करोड़ का गारंटी कवर, सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) के लिए ऋण गारंटी, पर्यटक गाइडों/स्टेकधारकों के लिए विशेष ऋण योजनाएं, पीएलआई योजना का विस्तार आदि। इसके साथ ही केंद्रीय बजट 2022-23 में 'गति शक्ति' परियोजना सहित बुनियादी संरचना के खर्च पर अधिक परिव्यय से विकास की गति में तेजी आने की उम्मीद है।

7. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैं आपके बैंक द्वारा, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आरंभ की गई नई पहलें तथा बैंक के कार्य-निष्पादन संबंधी प्रमुख विशेषताएं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ.

- ➢ हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि आपके बैंक ने वित्त वर्ष 22 के दौरान, रु. 3405 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 57.60% अधिक है। इसके साथ ही बैंक के निदेशक मंडल ने आगामी एजीएम में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के अध्यधीन इक्विटी शेयरों पर 20% के लाभांश की संस्तुति है।
- ➢ बैंक की आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) वित्त वर्ष 21 में 0.28% से बढ़कर वित्त वर्ष 22 में 0.43% हो गया और इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) 8.81% से बढ़कर 10.55% हो गया।
- ➢ ईपीएस वित्त वर्ष 21 में रु. 6.59 से सुधरकर वित्त वर्ष 22 में रु. 8.84 हो गया।
- ➢ वित्त वर्ष 22 के लिए ऋण लागत 1.80% से घटकर 0.75% हो गई।
- ➢ स्लिपेज अनुपात वित्त वर्ष 21 में 2.41% से घटकर वित्त वर्ष 22 में 2.15% हो गया।
- ➢ पूंजी पर्याप्तता अनुपात मार्च 2021 में 14.93% से बढ़कर मार्च, 2022 में 17.04% हो गया है।
- ➢ घरेलू कासा में वर्ष दर वर्ष 9.26% की वृद्धि हुई तथा कासा प्रतिशत मार्च 2021 में 41.27% से बढ़कर मार्च 2022 में 45.02% हो गया है।
- ➢ वैश्विक अग्रिमों में वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान 1.46% की कमी के मुकाबले वर्ष दर वर्ष 11.35% की वृद्धि हुई।
- ➢ आर.ए.एम अग्रिमो में वर्ष-दर-वर्ष 15.70% की वृद्धि हुई तथा कुल अग्रिमों में इसकी हिस्सेदारी 51.66% से बढ़कर 54.97% हो गई है।
- ➢ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अग्रिमों में वर्ष-दर-वर्ष 9.12% की वृद्धि हुई और कृषि ऋणों की हिस्सेदारी 18% के अनिवार्य लक्ष्य को प्राप्त करते हुए वर्ष के दौरान एएनबीसी में इसकी हिस्सेदारी 41.55% रही।

5. The banking industry witnessed a higher credit growth of 9.6% during 2021-22 against 5.6% during 2020-21, with increase in credit flow to agriculture, industries and services sectors. The financial performance of Banks also improved with reduction in NPAs and rise in profit level. However, non-interest income of banks was impacted due to hardening of G-Sec yield, especially towards the second half of the year, because of various factors, such as, higher crude oil prices, high inflation level and rise in government bond yield in US.

6. RBI maintained accommodative policy stance with no change in policy rates and also continued with various growth oriented and liquidity enhancing measures such as extension of TLTRO, liquidity support to healthcare, hotels and tourism entities, special long term repo operation for Small Finance Banks, extension of resolution for individual and small business accounts. Also, a number of policy measures were announced by the Government, such as, Loan guarantee scheme for healthcare and tourism sectors, additional 1.5 lakh crore guarantee cover under ECLGS, credit guarantee for Micro Finance Institutions (MFIs), special lending schemes for tourist guides/stakeholders, extension of PLI scheme etc. Along with this, higher outlay on infrastructure expenditure including 'Gati Shakti' project in the Union Budget 2022-23 is expected to accelerate the growth momentum.

7. Against the above backdrop, let me present before you the highlights of the Bank's performance and major initiatives taken by your Bank during the year 2021-22.

- ➢ We are happy to announce that your Bank has posted a Net Profit of Rs. 3405 cr during FY22, with an increase of 57.60% over the previous year. With this, the Bank's Board of Directors have recommended dividend of 20% on equity shares subject to approval of shareholders in ensuing AGM.
- ➢ Return on Assets (RoA) of the Bank improved from 0.28% in FY21 to 0.43% in FY22 and Returns on Equity (RoE) improved from 8.81% to 10.55%.
- ➢ EPS improved from Rs.6.59 in FY21 to Rs.8.84 in FY22.
- ➢ Credit Cost declined from 1.80% to 0.75% for the year FY22.
- ➢ Slippage ratio came down from 2.41% in FY21 to 2.15% in FY22.
- ➢ Capital Adequacy Ratio went up from 14.93% in March 2021 to 17.04% in March 2022.
- ➢ Domestic CASA went up by 9.26% YoY and CASA percentage improved from 41.27% in March 2021 to 45.02% in March 2022.
- ➢ Global Advances increased by 11.35% YoY against de-growth by 1.46% during FY21.
- ➢ RAM advances increased by 15.70% YoY and its share in total advances went up from 51.66% to 54.97%.
- ➢ Priority Sector Advances rose by 9.12% YoY and it constituted 41.55% of ANBC during the year, with agriculture credit achieving mandatory ratio of 18%.

- सकल एनपीए 19.33% घटकर मार्च 2021 में रु.56535 करोड़ से मार्च 2022 में रु.45605 करोड़ तक लाया गया है।
- सकल एनपीए अनुपात मार्च 2021 में 13.77% से घटकर मार्च 2022 में 9.98% हो गया है।
- निवल एनपीए अनुपात भी मार्च 2021 में 3.35% से घटकर मार्च 2022 में 2.34% पर आ गया है।
- प्रावधान कवरेज अनुपात(पीसीआर) मार्च, 2021 में 86.24% से बढ़कर 87.76% के उच्च स्तर पर रहा है।
- ब्याज दर के कम होने तथा खातों के ईबीएसआर में स्थानांतरित होने के कारण एनआईएम प्रभावित हुआ था और एनआईएम(वैश्विक) वित्तीय वर्ष 2021 में 2.48% से घटकर वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान 2.36% पर आ गया था। तथापि बैंक के द्वारा अनेक उपाय किए जाने के कारण तिमाही एनआईएम मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही में 2.01% से सुधरकर मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही के दौरान 2.58% हो गया है।
- वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में बैंक ने एसबीवाई, जेजेबीवाई और एपीवाई में अपेक्षाओं से बेहतर प्रदर्शन किया है तथा आपके बैंक को पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण से उत्कृष्टता अवार्ड प्राप्त हुआ है।

8. **पहल :-**

आपका बैंक हमेशा से परिचालनात्मक कार्यक्षमता में सुधार करने के लिए विभिन्न पहल करता रहा है ताकि ग्राहकों को अधिक सहूलियत हो तथा बैंक की प्रतिस्पर्धा करने की शक्ति में वृद्धि होती रहे।

- आपके बैंक ने अब अपने तकनीकी प्लेटफॉर्म को फिनेकल-7 से अद्यतन करके फिनेकल-10 कर लिया है जो कि अत्याधुनिक बैंकिंग समाधान है जिसमें ग्राहकों की विभिन्न जरुरतों को पूरा करने वाले सर्वसमावेशी फीचर हैं।
- आपके बैंक द्वारा वर्ष के दौरान विभिन्न तकनीकी पहल की गई हैं, ई-प्लेटफार्म उनमें से एक है, जिसके जरिए बैंक कृषि, एमएसएमई तथा रिटेल में संपूर्ण डिजिटेलाइजेशन की प्रक्रिया को उपलब्ध करवा सकेगा।
- एमएसएमई के क्षेत्र में बैंक ने फिनटेक के सहयोग से या उनके साथ मिलकर ऋण देने की पहल की है, जिसे वि.व.2022-23 के दौरान और सुदृढ़ किया जाएगा।
- लीड प्राप्त करने तथा क्रेडिट को बढ़ाने के साथ-साथ प्रतिक्रिया समय को घटाने में अभूतपूर्व उन्नति करने हेतु बैंक ने प्रसंस्करण केंद्रों की संख्या बढ़ाई है। एसएमई सिटी सेंटरों की संख्या को बढ़ाकर 74 से 94 किया है, रिटेल कारोबार केंद्रों की संख्या 73 से बढ़ाकर 97 की है तथा कृषि विकास केंद्रों को 77 से बढ़ाकर 87 कर दिया है।
- बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अनेक नए उत्पादों को शुरू किया जैसे कि स्टार सीपीएसयू, स्टार केयर, स्टार एमएफआई, स्टार कवच, स्टार किसान घर, स्टार बायो एनर्जी, स्टार किसान सहायता, किसान उत्पाद संगठनों को वित्तीय सहायता देने के लिए योजनाएं आदि।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भी आपका बैंक तकनीक एवं परिचालन की कई पहलें और योजनाएं लाता रहेगा ताकि कारोबार में वृद्धि तथा उपयोगिता बनी रहे।

9. मैं वर्ष 2021-22 के दौरान अपने पद से निवृत्त हुई, सरकार द्वारा नामित गैर-कार्यपालक निदेशक श्रीमती दक्षिता दास सहित आपके बैंक के बोर्ड के निदेशकों के प्रति उनके द्वारा दिये गये बहुमूल्य योगदान हेतु आभार प्रकट करता हूँ। बैंक भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी तथा अन्य

- Gross NPAs brought down by 19.33% from Rs.56,535 Cr in March 2021 to Rs.45,605 Cr in March 2022.
- Gross NPA ratio lowered from 13.77% in March 2021 to 9.98% in March 2022.
- Net NPA ratio also came down from 3.35% in March 2021 to 2.34% in March 2022.
- Provision Coverage Ratio (PCR) stood high at 87.76% against 86.24% in March 2021.
- On account of reduction in interest rate and migration of accounts to EBLR, NIM was impacted and the NIM (Global) came down from 2.48% during FY21 to 2.36% during FY22. However, with various measures taken by the Bank, quarterly NIM has improved from 2.01% during quarter ended March 2021 to 2.58% during quarter ended March 2022.
- In the field of Financial inclusion, the Bank has surpassed the stipulations on SBY, JJBY and APY and your Bank has been conferred the award of excellence by the Pension Fund Regulatory and Development Authority.

8. **Initiatives**

Your Bank has always been pursuing various initiatives for improving operational efficiency so as to improve customers' convenience and enhance competitive strength of the Bank. Let me recapitulate a few of them:

- Your Bank has now upgraded its technology platform from Finacle-7 to Finacle-10 which is a state-of-the art banking solution possessing comprehensive features that will meet the diverse needs of customers.
- Several other technological initiatives have been started by your Bank during the year; one of them is E-platform, by which the Bank will be able to provide end-to-end digitalization journey in Agri, MSME and Retail lending.
- In MSME field, co-lending and collaboration with Fintechs was initiated, which will be further strengthened during FY2022-23.
- For quantum jump in lead generation and credit growth as well as for reduction of TAT, the number of Processing Centres by the Bank has been enhanced. The number of SME City Centres has been increased from 74 to 94, the Retail Business Centres from 73 to 97 and Krishi Vikash Kendras from 77 to 87.
- A host of new products were introduced by the Bank during FY2021-22 such as Star CPSU, Star Care, Star MFIs, Star Kavach, Star Kisan Ghar, Star Bio Energy, Star Kishan Sahayata, Scheme for financial support to Farmers Producer Organisations etc.
- Your Bank will continue with several such initiatives and strategies, both on technology and operational fronts, during FY2022-23 so as to sustain its business growth and value creation.

9. I wish to place on record the valuable contribution made by the directors on your Bank's Board including Smt. Dakshita Das, the Non-Executive Government Nominee Director who demitted office during the year 2021-2022. The Bank also thanks the Government of India, Reserve Bank of India, SEBI and other regulatory authorities, who have provided

विनियामक प्राधिकरणों को भी धन्यवाद देता है जिन्होंने उत्कृष्ट सहयोग तथा बहुमूल्य मार्गदर्शन दिया। मैं, बैंक की ओर से तथा अपनी ओर से, अपने कारोबारी सहयोगियों, ग्राहकों, शेयरधारकों तथा हितधारकों, वित्तीय संस्थाओं और प्रतिनिधि बैंकों को, हमारे प्रति विश्वास, भरोसे एवं सहयोग हेतु, आभार प्रकट करता हूँ। अंत में, मैं बहुत कठिन परिस्थितियों में हमारे प्रतिबद्ध स्टाफ सदस्यों के निष्ठापूर्ण एवं अबाधित प्रयासों की सराहना करता हूँ। हम सभी बीओआई स्टेकधारकों के सतत संरक्षण, मार्गदर्शन एवं सहयोग की कामना करते हैं।

शुभकामनाओं सहित

(ए.के. दास)

एमडी एवं सीईओ

excellent support and valuable guidance. On behalf of the Bank and on my personal behalf, I would like to thank our Business Associates, Customers, Shareholders and all the Stakeholders, Financial Institutions and Correspondent Banks for their trust, faith and active association. Last but not the least, I commend the untiring efforts and perseverance of our staff, even in a very challenging environment. We look forward to continued patronage, guidance and support of all BOI stakeholders.

With warm regards

A. K. Das

MD & CEO

निदेशक रिपोर्ट

31 मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए, लेखा-परीक्षित लेखा विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण के साथ, बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए निदेशक मंडल को प्रसन्नता है।

कार्य-निष्पादन:

घरेलू कारोबार :

- बैंक के समग्र घरेलू कारोबार में 3.43% वृद्धि हुई है। यह 31 मार्च 2021 को रु. 913,496 करोड़ था तथा यह 31 मार्च, 2022 को बढ़कर रु.944,824 करोड़ हो गया।
- कासा जमाराशियां, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 9.26% वृद्धि के साथ रु.245,464 करोड़ रहीं। घरेलू जमाराशियों में कम लागत की जमाराशियों (कासा) की हिस्सेदारी यथा 31.03.2022 को 45.02% रही। बचत बैंक जमा में 9.74% की वृद्धि दर्ज की गई है और यह 31.03.2022 तक रु. 215,638 करोड़ हो गया। जबकि चालू जमा राशियों में 5.89% की वृद्धि दर्ज की गई और 31.03.2022 तक यह रु. 29,826 करोड़ हो गया।
- थोक जमाराशियों को कम करने की विचारपूर्वक रणनीति के कारण कुल जमाराशियों में ऋणात्मक वृद्धि हुई। कुल जमा 31.03.2021 को रु.551,135 करोड़ रुपये से 31.03.2022 तक रु. 550,833 करोड़ हो गया ।
- सकल घरेलू अग्रिम, 8.73% वृद्धि के साथ, 31.03.2021 को रु. 362,361 करोड़ से बढ़कर, 31.03.2022 को रु. 393,991 करोड़ हो गए।
- यथा 31.03.2022, कुल अग्रिमों में राम अग्रिम (अर्थात् रिटेल, कृषि तथा एमएसएमई) की भागीदारी 54.97% (अर्थात् रु.216,567 करोड़) रही जो 31.03.2021 को 51.60% (अर्थात् रु.187,181 करोड़) थी।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण, समायोजित निवल बैंक ऋण के 41.55% रहे और समायोजित निवल बैंक ऋण में कृषि ऋण की हिस्सेदारी 18.00% रही।
- रिटेल ऋणों में 18.54% की वृद्धि हुई है। रिटेल ऋण 31.03.2021 के रु.68,058 करोड़ से बढ़कर 31.03.2022 को रु.80,674 करोड़ हो गए। कुल घरेलू ऋण में रिटेल क्रेडिट का हिस्सा, यथा 31.03.2022 में 20.48% रहा।
- एमएसएमई ऋण दिनांक 31.03.2021 के रु. 63,425 करोड़ से 9.52% बढ़कर, दिनांक 31.03.2022 को रु.69,462 करोड़ हो गए। दिनांक 31.03.2022 को कुल घरेलू ऋण में से एमएसएमई ऋण का हिस्सा 17.63% था।

विदेशी कारोबार :

- विदेशी कारोबार में 12.92 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी तथा यह 31.03.2022 को रु.140,086 करोड़ के स्तर पर रहा जो 31.03.2021 को रु.124,053 करोड़ था।
- कुल विदेशी जमा में 1.43% की वृद्धि दर्ज की गई तथा यथा 31.03.2022 को यह रु.77,063 करोड़ के स्तर पर पहुंचा है जो 31.03.2021 को 75,978 करोड़ के स्तर पर था।
- यथा 31.03.2022, विदेशी ऋण-जमा अनुपात 81.78 प्रतिशत रहा।

वैश्विक कारोबार :

- बैंक के वैश्विक कारोबार ने 4.56% की वृद्धि दर्ज की। यह यथा 31 मार्च, 2021 को रु. 1,037,549 करोड़ था, वह यथा 31 मार्च 2022 को रु. 1,084,910 करोड़ हो गया।
- कुल जमाराशियां 31.03.2021 के रु. 627,114 करोड़ से बढ़कर 31.03.2022 को 627,896 करोड़ हो गई।
- सकल अग्रिम 11.35% की वृद्धि के साथ यथा 31.03.2022 को रु. 457,014 करोड़ हो गया।
- यथा 31.03.2022, वैश्विक ऋण-जमा अनुपात 72.78% रहा।

वित्तीय मानदण्ड :

- यथा 31.03.2022 को परिचालन लाभ रु. 9,988 करोड़ रहा जो यथा 31.03.2021 को 10,273 करोड़ था।
- गैर ब्याज आय यथा 31.03.2021 को रु.6,842 करोड़ के स्तर से बढ़कर वित्तीय वर्ष-22 में रु.7,879 करोड़ हो गया।
- बैंक का शुद्ध लाभ वित्तीय वर्ष 2021 रु.2160 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022 में रु.3,405 करोड़ रहा है।
- यथा 31.03.2021 के 14.93% की तुलना में पूंजी पर्याप्तता अनुपात यथा 31.03.2022 को 17.04% रहा।
- निवल मालियत (नेट वर्थ), यथा 31.03.2021 को रु.27,611 करोड़ से 33.76% की वृद्धि के साथ रु.36,933 करोड़ रहा।
- प्रतिशेयर बही मूल्य रु. 90.00 रहा।
- सकल एन.पी.ए राशि में 23.97% (अर्थात् रु. 10,930 करोड़) की कमी हुई। यह राशि 31.03.2022 को रु. 45,605 करोड़ के स्तर पर आ गई जो यथा 31.03.2021 को रु. 56,535 करोड़ थी।
- सकल एन.पी.ए का प्रतिशत जो 31.03.2021 को 13.77 प्रतिशत था, वह कम होकर 31.03.2022 को 9.98 प्रतिशत हो गया।
- निवल एन.पी.ए में 24.46 प्रतिशत (अर्थात् रु.2,410 करोड़) की कमी दर्ज की गयी। यह यथा 31.03.2022 को रु.9,852 करोड़ के स्तर पर आ गई जो 31.03.2021 को रु. 12,262 करोड़ थी।
- 31.03.2022 को निवल एन.पी.ए प्रतिशत, कम होकर 2.34 प्रतिशत हो गया जो 31.03.2021 को 3.35 प्रतिशत था।
- वर्ष 2021-22 के लिए बैंक के वित्तीय कार्य-निष्पादन का सार इस प्रकार है -

(राशि करोड़ में)

विवरण	2020-21	2021-22	वृद्धि (%)
निवल ब्याज आय	14270	14062	-1.46
गैर-ब्याज आय	6842	7879	15.16
परिचालन व्यय	10839	11952	10.27
परिचालन लाभ	10273	9988	-2.77
प्रावधान/आकस्मिकताएं	8112	6584	-18.84
निवल लाभ/हानि	2160	3405	57.63
प्रति शेयर आय (रु.)	6.59	8.84	34.14
प्रति शेयर बही मूल्य (रु.)	84.24	90.00	6.84
इक्विटी पर प्रतिफल (%)	8.81	10.55	
औसत आस्तियों पर प्रतिफल (%)	0.28	0.43	

प्रमुख वित्तीय अनुपात नीचे प्रस्तुत किए गए हैं

(प्रतिशत) (%)

विवरण	2020-21	2021-22
अग्रिमों पर प्रतिफल	7.48	6.76
निवेशों पर प्रतिफल	6.58	6.32
निधियों पर प्रतिफल	5.87	5.21
जमा राशियों की लागत	4.10	3.69
निधियों की लागत	3.81	3.29
निवल ब्याज मार्जिन	2.48	2.36
परिचालन व्ययों की तुलना में गैर ब्याज आय	63.12	65.92
औसत कार्यशील निधि की तुलना में अन्य आय	0.90	1.00
औसत कार्यशील निधि की तुलना में परिचालन व्यय	1.57	1.64
औसत कार्यशील निधि की तुलना में स्टाफ व्यय	0.94	0.97
औसत कार्यशील निधि की तुलना में अन्य परिचालन व्यय	0.63	0.67
आस्ति उपयोग अनुपात	1.49	1.37
कुल आय की तुलना में गैर-ब्याज आय	14.42	17.14
निवल आय की तुलना में गैर-ब्याज आय	32.41	35.91
आय अनुपात की तुलना में लागत	51.34	54.48

पूंजी

वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक ने निम्नलिखित के अनुसार इक्विटी पूंजी जुटाई है:

विवरण	राशि (रु. करोड़ में)	आबंटन की तारीख
भारत सरकार को रु.71.23 प्रति शेयर (शेयर प्रीमियम सहित) की दर से अधिमानी निर्गम। भारत सरकार ने यह राशि 31.03.2021 को जमा की थी और इसे आवंटन लंबित रहते हुए शेयर आवेदन राशि के रूप में रखा गया था।	3000	11.06.2021
योग्य संस्थानों को प्लेसमेंट, रु.62.89 प्रति शेयर की दर से (शेयर प्रीमियम सहित)	2,550	31.08.2021

बैंक ने 30.09.2021 को बेसल III अनुपालन टियर II बांड जारी करके रु. 1,800 करोड़ जुटाए हैं।

वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक ने कॉल विकल्प का उपयोग करके निम्नलिखित बांडों को भुनाया है।

विवरण	राशि (करोड़ रुपये में)	मोचन की तिथि
8.57% टियर II बांड श्रृंखला -XIII	1,500	07.07.2021
8.00% टियर II बांड श्रृंखला XIV	1,000	25.03.2022

पूंजी पर्याप्तता:

- ➢ बासेल III फ्रेमवर्क के अनुसार, बैंक की पूंजी पर्याप्तता अनुपात 17.04% था, जो कि विनियामक अपेक्षा अर्थात 11.50% से अधिक है।
- ➢ पूंजी पर्याप्तता (बासेल III) का विवरण निम्नानुसार है:

(रु. करोड़ में)

विवरण	बासेल - III			
	31.03.2021		31.03.2022	
सीईटी 1 सीआरएआर	34,690	11.51%	44,347	14.02%
एटी 1 सीआरएआर	1,352	0.44%	1,352	0.44%
टियर 1 पूंजी	36,042	11.96%	45,699	14.44%
टियर 2 पूंजी	8,949	2.97%	8,206	2.59%
कुल पूंजी	44,990	14.93%	53,905	17.04%
जोखिम भारित आस्तियां	301,305		316,395	

कारोबार पहल:

- व्यवसाय विकास और बेहतर निर्णय लेने हेतु बेहतर ढंग से जुड़ने के लिए **"एरिया मैनेजर"** कार्यालय संरचना को युक्तिसंगत बनाया गया।
- **"कासा"** और **"आरएएम अग्रिम"** (खुदरा, कृषि और एमएसएमई) पर अधिक ध्यान देने और कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए एक्सपोज़र को युक्तिसंगत बनाने की रणनीति।
- टर्नअराउंड समय को कम करके उत्पादकता और ग्राहक सेवा में सुधार के लिए **वेब-आधारित - खुदरा ऑनलाइन मॉड्यूल** आरंभ किया गया।
- **स्वर्ण धारा** - आकर्षक विशेषताओं के साथ गोल्ड लोन को बढ़ाया गया है।
- कृषि क्षेत्र में विशेष योजनाएँ जैसे **स्टार किसान घर, स्टार बायो एनर्जी योजना, स्टार किसान सहायता ऋण** आरंभ की गई है।
- रीटेल, कृषि तथा एमएसएमई ऋण प्रक्रिया में **"एंड टू एंड डिज़िटाइज़ेशन"** अग्रिम चरण में है।
- **"संपर्करहित प्लैटफ़ार्म (psbloansin59minutes.com)"** अविलंब मंज़ूरी तथा संवितरण के लिए।
- **एमएएस फाइनेंशियल सर्विसेज** के साथ सह-उधार टाइ-अप सफलतापूर्वक शुरू किया गया है।

- एमएसएमई खंड के लिए भारत सरकार द्वारा **जीईसीएल एक्सटैन्शन योजना** आरंभ की गई।
- **"गहन वसूली दिवस"**, **"शाखा अदालत"** मासिक **मेगा ई-नीलामी** जैसी अनेक ओटीएस योजनाओं और **संजीवनी**, **सक्षम** 2 द्वारा बैंक के स्टाफ को शामिल करने के माध्यम से वसूली तंत्र स्थापित किया गया।
- **एसएमई सिटी सेंटर** की संख्या 58 से बढ़ाकर 91 कर दी गई है और रु.10 लाख या उससे अधिक के सभी प्रस्तावों का केंद्रीकृत प्रसंस्करण सुचारू रूप से किया जा रहा है।
- कारोबार वृद्धि के लिए **TReDS (Trade Receivables Discounting System)** प्लैटफ़ार्म का व्यापक प्रयोग किया गया।
- कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना हेतु **"छोटा शहर बड़ा समर्थन"** अभियान शुरू किया गया।
- स्टार वैल्कम ऑफर के अंतर्गत लीड के सृजन (परिवर्तनीय) और ऋणों की मंजूरी के लिए **"शाइनिंग स्टार अभियान"** आरंभ किया गया।
- स्ट्रेट थ्रू ओरिजिनेशन और सभी बैंकिंग उत्पादों को प्रोसेस करने के लिए **ई प्लैटफ़ार्म** समाधान को कार्यान्वित किया जा रहा है।
- गैर-भेदभावपूर्ण और गैर-विवेकाधीन ओटीएस योजनाओं, यथा **"स्टार संजीवनी"** और **"बीओआई ओटीएस** 2021" को एनपीए के त्वरित समाधान के लिए और अधिक पहुंच के साथ अधिक ग्राहक अनुकूल बनाया गया।
- **स्टार महाशक्ति - फिनाकल 7 से फिनाकल 10** तक सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म का उन्नयन/माइग्रेशन सफलतापूर्वक किया गया है।
- एसएमए और सास्कल प्रबंधन के लिए **"प्रारंभिक चेतावनी संकेतों"** की ट्रैकिंग के लिए **"तकनीक-संचालित क्रेडिट निगरानी प्रणाली"** का प्रभावी रूप से उपयोग किया गया।
- स्वचालित प्रणाली के माध्यम से बैंक के एसएमए पोर्टफोलियो के प्रबंधन के लिए **"एसएमए स्वचालन प्रक्रिया"** प्रक्रियाधीन है
- सीपीएसयू की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए **स्टार सीपीएसयू और स्टार जीईसीएल** योजना शुरू की गई।
- **एथेनॉल उत्पादन क्षमता** में वृद्धि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विशेष योजनाएँ।
- धोखाधड़ी की निगरानी और प्रबंधन के लिए **"एंटरप्राइज़ वाइड फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट"** फ्रेमवर्क का, वास्तविक समय में धोखाधड़ी की निगरानी के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है।
- **दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस)** को लाइव कर दिया गया है और दस्तावेजों की पुनर्प्राप्ति और अधिक लचीले और परेशानी मुक्त माध्यम से हमारे डेटा को संग्रहित करने, ट्रैक करने, प्रबंधित करने और एक्सेस करने के लिए इसका प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है।
- "**MissCallPay**" एक डिजिटल भुगतान ऑफ़लाइन समाधान है जो मिस्ड कॉल का उपयोग करके एक फीचर फोन पर UPI आधारित मोबाइल भुगतान की सभी कार्यक्षमता को प्रदान करता है। इंटरनेट कनेक्शन पर इसकी कोई निर्भरता नहीं है। इसलिए यह भारत की ग्रामीण और शहरी कम सेवा वाली आबादी के लिए उपयुक्त है।
- **डिजी लॉकर** आरंभ किया गया है। यह इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), भारत सरकार द्वारा अपनी डिजिटल इंडिया पहल के तहत प्रदान की जाने वाली एक ऑनलाइन सेवा है।
- **सुरक्षा सोल्युशन-** बैंक ने **"बैंकों में साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क"** पर दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के ईकोसिस्टम तंत्र को मजबूत करने के लिए सुरक्षा सोल्युशन की खरीद की है और उसे कार्यान्वयन किया है।
- **चेक डिपॉज़िट कीऑस्क** - ग्राहकों को बैंक कर्मचारियों के हस्तक्षेप के बिना स्व-संचालित कीऑस्क में चेक जमा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए बैंक ने चेक जमा कीऑस्क लगाएँ हैं।
- बैंक ने नई कर संग्रह प्रणाली TIN 2.0 के लिए सभी परीक्षण परिदृश्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिसे जल्द ही सीबीडीटी, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा आरंभ किया जाएगा।
- बैंक ने विभिन्न डिजिटल सुविधा युक्त **नया मर्चेंट ऐप** आरंभ किया है।
- बैंक ने वित्त **वर्ष** 22-23 **को डिजिटलीकरण का वर्ष** घोषित किया है।
- **स्टार हंट योजना-** इच्छुक अधिकारियों के पास अपने चुने हुए वर्टिकल में काम करने का अवसर होता है और उनका चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार पर आधारित होता है। चयन के बाद, ऐसे अधिकारियों को उस वर्टिकल में प्रशिक्षित किया जाता है जिसके लिए उनका चयन किया जाता है और चिह्नित क्षेत्रों में तैनात किया जाता है।
- स्केल IV, V और VI के अधिकारियों के लिए विकास केंद्र चलाया जा रहा है ताकि पहचान की गई दक्षताओं का आकलन किया जा सके और उनका उपयोग बैंक के लाभ के लिए किया जा सके।
- ग्राहकों को अच्छी सेवा और अधिक कारोबार वृद्धि देने के लिए अतिरिक्त राष्ट्रीय बैंकिंग समूह और आंचलिक कार्यालय बनाए गए हैं।

पुरस्कार:

- बैंक ऑफ इंडिया को वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस से "एचआर लीडरशीप अवार्ड 2021" प्राप्त हुआ है।
- "दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली" के लिए तकनीकी श्रेणी में सिल्वर इन एक्सेलन्स, "स्कॉच एवार्ड 2021"
- फोर्ब्स द्वारा "बैंक ऑफ़ इंडिया" को 2021 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता चुना गया है।
- हमारे बैंक के माननीय एमडी एवं सीईओ श्री अतनु कुमार दास द्वारा लीडरशिप कैपिटल 3.0 एपीवाई "सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रबंध निदेशक" का उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
- बैंकिंग श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ साइबर सुरक्षा पहल के लिए बीएफएसआई उत्कृष्टता पुरस्कार 2021।
- बैंक ने क्यूआर कैश, 2020 के लिए "प्रॉडक्ट इनोवेशन" श्रेणी में इंफोसिस फिनाकल क्लाइंट इनोवेशन अवार्ड्स जीता है।

- बैंक को एसएमई चेंबर्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्त वर्ष 20-21 के लिए वर्ष का **श्रेष्ठ एमएसएमई बैंक** पुरस्कार दिया गया।
- चेंबर ऑफ इंडियन एमएसएमई द्वारा "**एमएसएमई बैंकिंग एक्सलन्स अवार्ड्स** 2021" में बैंक को "**बेस्ट एमएसएमई बैंक- रनर अप**", "**बेस्ट ब्रांडिंग - विनर**" और "**बेस्ट बैंक फॉर प्रोमोटिंग सोशल स्कीम - विनर**" पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- बैंक ऑफ इंडिया को भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 21-22 में **मुद्रा योजना के तहत उधार** देने के लिए प्रशंसा पत्र प्राप्त हुआ है।
- बैंक ऑफ इंडिया को आईएफ़सीआई वेंचर कैपिटल लिमिटेड द्वारा प्रदान किए गए अनुसूचित जाति के उद्यमियों को ऋण देने के लिए "**डॉ अम्बेडकर बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड**" से सम्मानित किया गया है।
- बैंक ऑफ इंडिया को आईबीए के 17 वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन और पुरस्कार: 2020-21 में "**द बेस्ट फिनटेक कलैबरैशन**" के लिए रनर अप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- पीएफआरडीए ने एपीवाई अभियान "लीडरशिप कैपिटल 4.0" में अच्छे कार्यनिष्पादन के लिए हमारे बैंक को "अवार्ड ऑफ़ एक्सिलेन्स" प्रदान किया है।
- पीएफ़आरडीए एपीवाई कैम्पैन मेकर्स ऑफ एक्सिलेन्स 5.0 में अच्छे कार्यनिष्पादन के लिए पीएफ़आरडीए से बैंक को अवार्ड ऑफ़ एक्सिलेन्स" प्रदान किया गया।

लक्ष्य, कार्यनीति एवं भविष्य की योजना:

- वर्तमान ग्राहक आधार का लाभ लेकर बैंक की रिटेल, कृषि और एमएसएमई ऋण प्रोफाइल को बढ़ाना।
- कम लागत जमाराशियाँ जैसे कि कासा की सोर्सिंग करके निधिकरण लागत को कम करना।
- आस्ति गुणवत्ता और एनपीए स्तर को बेहतर करने पर ध्यान केंद्रित करना।
- क्रॉस सेलिंग के अवसरों को बढ़ाने, लागत को कम करने और ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना
- हमारे व्यापार की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए हमारे जोखिम प्रबंधन प्रणालियों में सुधार करना।

निदेशकों का उत्तरदायित्व कथन :

निदेशक पुष्टि करते हैं कि मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खातों को तैयार करने में:

क) लागू लेखा मानकों का पालन किया गया और महत्वपूर्ण परिवर्तन, यदि कोई हो तो उसके लिए उचित स्पष्टीकरण दिया गया है।

ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बनाई गई लेखांकन नीति का सदैव पालन किया गया है। उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं आकलन किए गए ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक की स्थिति के संबंध में तथा 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ हानि खाते के विषय में सही एवं उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके।

ग) बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए एवं धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने एवं उन्हें रोकने के लिए भारत में कार्यरत बैंकों पर लागू कानूनों के अनुरूप पर्याप्त लेखा रिकार्डों के रखरखाव के लिए उचित एवं उपयुक्त सावधानी रखी जाती है।

घ) वार्षिक लेखा, संस्था की निरन्तरता के आधार पर तैयार किए गए हैं।

ङ) बैंक द्वारा अनुसरण की जाने वाली आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली को स्थापित किया गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से परिचालन में हैं।

च) समस्त लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था बनायी गयी है और यह सुनिश्चित किया गया है कि ऐसी व्यवस्था पर्याप्त है और प्रभावी रूप से परिचालन में है।

DIRECTORS' REPORT

The Board of Directors have pleasure in presenting the Bank's Annual Report along with the audited statement of accounts and the cash flow statement for the year ended 31st March 2022.

PERFORMANCE:

Domestic Business:

- Overall Domestic Business of the Bank increased by 3.43% and reached at Rs.944,824 crore as on 31.03.2022 from Rs. 913,496 crore as on 31.03.2021.
- CASA deposits increased by 9.26% on YOY and stood at Rs. 245,464 crore. Share of low cost deposits (CASA), in domestic deposits stood at 45.02% as on 31.03.2022. Saving Bank deposit has registered a growth of 9.74% and reached at Rs. 215,638 crore as on 31.03.2022. Where as Current deposit registered a growth of 5.89% and reached at Rs. 29,826 crore as on 31.03.2022.
- Due to deliberate strategy of shedding of Bulk Deposits, there was negative growth in total deposits. Total deposits stood at Rs. 550,833 crore as on 31.03.2022 from Rs. 551,135 crore as on 31.03.2021.
- Gross Domestic Advances registered growth of 8.73% YoY, reached at Rs. 393,991 crore as on 31.03.2022 from Rs. 362,361 crore as on 31.03.2021.
- Share of RAM Advances to Total advances is 54.97% (i.e. Rs. 216,567 crore) as on 31.03.2022 as compared to 51.60% (i.e. Rs. 187181 crore) as on 31.03.2021.
- Priority Sector lending constituted 41.55% of Adjusted Net Bank Credit and the share of Agricultural Credit to Adjusted Net Bank Credit was 18.00%.
- Retail Credit grew by 18.54% from Rs 68,058 crore as on 31.03.2021 to Rs 80,674 crore as on 31.03.2022. The share of Retail Credit to Total Domestic Credit was 20.48% as on 31.03.2022.
- MSME Credit grew by 9.52% from Rs 63,425 crore as on 31.03.2021 to Rs 69,462 crore as on 31.03.2022. The share of MSME Credit to Total Domestic Credit was 17.63% as on 31.03.2022.

Overseas Business:

- Overseas business has increased by 12.92% and stood at Rs. 140,086 crore as on 31.03.2022 as compared to Rs. 124,053 crore as on 31.03.2021.
- Total Foreign Deposit registered a growth of 1.43%, reached at Rs.77, 063 crore as on 31.03.2022 from Rs. 75,978 crore as on 31.03.2021.
- The Overseas CD Ratio stood at 81.78% as on 31.03.2022.

Global Business:

- Gross Business of the Bank registered a growth of 4.56%, reached at Rs. 1,084,910 crore as on 31.03.2022 from Rs.1,037,549 crore as on 31.03.2021.
- Total deposits increased to Rs.627,896 crore as on 31.03.2022 from Rs. 627,114 crore as on 31.03.2021.
- Gross Advances registered a growth of 11.35% , reached at Rs. 457,014 crore as on 31.03.2022.
- The Global CD Ratio stood at 72.78% as on 31.03.2022.

Financial Parameters:

- Operating Profit stood at Rs.9,988 crore as on 31.03.2022 as against Rs. 10,273 crore as on 31.03.2021.
- Non-Interest Income increased to Rs.7,879 crore in FY'22 from Rs.6,842 crore as on 31.03.2021.
- The Bank registered Net profit of Rs.3,405 crore in FY'22 as against Net Profit of Rs. 2,160 crore for FY 21.
- Capital Adequacy Ratio stood at 17.04% as on 31.03.2022 as against 14.93% as on 31.03.2021.
- Net Worth increased by 33.76% to 36,933 crore from Rs. 27,611 crore as on 31.03.2021.
- Book value per share is Rs. 90.00.
- Gross NPA amount reduced by 23.97% (i.e. Rs. 10,930 crore) reached at Rs 45,605 crore as on 31.03.2022 from 56,535 crore as on 31.03.2021.
- Gross NPA percentage reduced to 9.98% as on 31.03.2022 from 13.77% as on 31.03.2021.
- Net NPA amount reduced by 24.46% (i.e. Rs. 2,410 crore) reached at Rs.9,852 crore as on 31.03.2022 from Rs. 12,262 crore as on 31.03.2021.
- Net NPA percentage reduced to 2.34% as on 31.03.2022 from 3.35% as on 31.03.2021.
- The Financial performance of the Bank for the year 2021-22 is summarized below:

(Amount in crore)

Particulars	2020-21	2021-22	Growth (%)
Net Interest Income	14270	14062	-1.46
Non-Interest Income	6842	7879	15.16
Operating Expenses	10839	11952	10.27
Operating Profit	10273	9988	-2.77
Provisions / Contingencies	8112	6584	-18.84
Net Profit/ Loss	2160	3405	57.63
Earnings per share (Rs.)	6.59	8.84	34.14
Book Value per share (Rs.)	84.24	90.00	6.84
Return on Equity (%)	8.81	10.55	

Return on Average Assets (%)	0.28	0.43	

Key Financial Ratios are presented below

(Percentage) (%)

Particulars	2020-21	2021-22
Yield on Advances	7.48	6.76
Yield on Investments	6.58	6.32
Yield on Funds	5.87	5.21
Cost of Deposits	4.10	3.69
Cost of Funds	3.81	3.29
Net Interest Margin	2.48	2.36
Non-Interest Income to Operating Expenses	63.12	65.92
Other Income to Average Working Fund	0.90	1.00
Operating Expenses to Average Working Fund	1.57	1.64
Staff Expenses to Average Working Fund	0.94	0.97
Other Operating Expenses to Average Working Fund	0.63	0.67
Asset Utilisation Ratio	1.49	1.37
Non-Interest Income to Total Income	14.42	17.14
Non-Interest Income to Net Income	32.41	35.91
Cost to Income Ratio	51.34	54.48

CAPITAL

During the financial year, Bank has raised equity capital as under:

Particulars	Amount (Rs. in crore)	Date of allotment
Preferential Issue to Government of India @ Rs.71.23 per share (including share premium). GOI had deposited this amount on 31.03.2021 and the same was kept as Share Application Money pending allotment.	3,000	11.06.2021
Qualified Institutions Placement @ Rs.62.89 per share (including share premium)	2,550	31.08.2021

Bank has raised Rs.1,800 Crore by issue of Basel III compliant Tier II bonds on 30.09.2021.

During the financial year, Bank has redeemed the following bonds by exercising call option.

Particulars	Amount (Rs. in crore)	Date of redemption
8.57 % Tier II Bonds Series-XIII	1,500	07.07.2021
8.00% Tier II Bonds Series XIV	1,000	25.03.2022

CAPITAL ADEQUACY:

- As per Basel III framework, the Bank's Capital Adequacy Ratio was 17.04% which is higher than the regulatory requirement of 11.5 %.
- Details of Capital Adequacy (BASEL III) are :

(Rs. in crore)

Particulars	BASEL-III			
	31.03.2021		31.03.2022	
CET1 CRAR	34,690	11.51%	44,347	14.02%
AT1 CRAR	1,352	0.44%	1,352	0.44%
Tier I Capital	36,042	11.96%	45,699	14.44%
Tier II Capital	8,949	2.97%	8,206	2.59%
Total Capital	44,990	14.93%	53,905	17.04%
Risk Weighted Assets	301,305		316,395	

BUSINESS INITIATIVE:

- **"Area Managers"** office structure rationalized for better connect for business development and better decision making.
- Strategy for more focus on "**CASA**" and "**RAM advances"** (Retail, Agriculture and MSME) and rationalizing exposure to corporate sector.
- **Web-based - Retail Online Module** launched to improve productivity and customer service by reducing turnaround time.
- "**Swarna Dhara**" – Gold Loans have been intensified with attractive features.
- Special Schemes like **Star Kisan Ghar, Star Bio Energy Scheme, Star Kisan Sahayata Loan** has been launched in Agriculture segment.
- **"End to end digitization"** of Retail, Agri and MSME loan process is in advance stage.
- **"Contactless Platform (psbloansin59minutes.com)"** - for quick sanction and disbursement.
- Co-lending tie-up with **MAS Financial Services** has been initiated successfully.
- **GECL Extension Scheme** launched by GOI for MSME segment.
- Recovery mechanism through a host of OTS schemes like **"Intensive Recovery Day", "Branch Adalat"** monthly **mega E-auction** and involving in-house staff such as "**Sanjeevani", "Saksham-2"** put in place.
- **SME City Centre** increased from 58 to 91 and centralized processing of all proposals of Rs.10 Lakhs and above is being done smoothly.
- **TReDS (Trade Receivables Discounting system)** platform have been used more extensively to garner business growth.

- **"Launched Small Town Big Support"** campaign for Loan Guarantee Scheme for Covid Affected Sectors.
- **"Shining Star Campaign"** launched for generation of leads (convertible) & sanction of loans under Star Welcome Offer.
- **E-PLATFORM** solution is being implemented for Straight Through Origination and process of all Banking products.
- Non-discriminatory and Non-discretionary OTS Schemes, namely "**Star Sanjeevani**" and "**BOI OTS 2021**" were made more customer friendly with greater reach for quick resolution of NPAs.
- **Star Mahashakti- Upgradation**/ migration of IT platform from **FINACLE 7** to **FINACLE 10** has been successfully done.
- **"Tech-driven Credit Monitoring System"** for tracking of **"Early Warning Signals"** effectively used for SMA and SASCL management.
- **"SMA Automation process"** for managing SMA portfolio of the Bank through automated system is under process.
- **Star CPSU & Star GECL** Scheme launched for catering to the requirements of CPSUs.
- Special schemes for extending financial assistance for augmentation of the **Ethanol Production Capacity**.
- **"Enterprise wide Fraud Risk Management"** framework for real-time fraud monitoring is being effectively used for fraud monitoring and management
- **Document Management System (DMS)** has been made live and is being used effectively for retrieval of documents and storing, tracking, managing and accessing our data in a more flexible and hassle freeway.
- **"MissCallPay"** is digital payment offline solution that provides all the functionality of UPI based mobile payments over a feature phone using Missed Call. It does not have any dependency on internet connection. Hence it is suitable for rural and urban under-served population of India.
- **Digi Locker** has been launched. It is an online service provided by Ministry of Electronics and IT (MeitY), Government of India, under its Digital India initiative.
- **Security Solutions**- Bank has procured and implemented security solutions for strengthening ecosystem of the bank as per guidelines on "**Cyber Security Framework in Banks**".
- **Cheque Deposit Kiosks**- Bank has deployed Cheque Deposit Kiosks for providing facility to the customers to deposit cheques in the self-operated Kiosks without intervention of bank staff.
- Bank has completed successfully all test scenarios for **new tax collection system TIN 2.0** which is soon going to be launched by CBDT, Dept. of Revenue, MoF.
- Bank has launched **New Merchant app** with various digital facilities.
- Bank has announced **FY 22-23 to be the year of digitalization.**
- **Star Hunt scheme**- Interested Officers have an opportunity to work in their chosen vertical and their selection is based on written examination and interview. After selection, such officers are trained in the vertical they are selected for and are posted in identified fields.
- **Development Centre** is being carried out for Officers in Scale IV, V and VI to assess the identified competencies and use them for benefit of the bank.
- Additional **National Banking Group** and **Zonal Offices** created to give good service to customers and more business growth

AWARDS:

- Bank of India received 'HR Leadership Award 2021' by World HRD Congress
- SKOCH AWARD 2021, SILVER in Excellence in Technology Category for "Document Management System".
- Forbes recognized "Bank of India" as one of the World's Best Employer in 2021.
- Bank has won Leadership Capital 3.0 APY award of excellence "Best Performing Managing Director" by our Respected MD & CEO Shri Atanu Kumar Das.
- BFSI Excellence Awards 2021 for the Best Cyber Security Initiative in banking category.
- Bank has won Infosys Finacle Client Innovation Awards in the category "Product Innovation" for QRCash, 2020.
- Bank of India, has been awarded **Best MSME BANK** of the Year Award for FY20-21 by SME Chamber of India.
- Bank of India has been awarded with "**Best MSME Bank-Runner Up**", "**Best Branding-Winner**" and "**Best Bank for promoting Social Schemes – Winner**" in "**MSME Banking Excellence Awards 2021**" by Chamber of Indian MSME.
- Bank of India has received appreciation Letter **for Lending under MUDRA Scheme** in FY21-22 by Govt. of India.
- Bank of India has been awarded "**Dr. Ambedkar Business Excellence Award**" for lending to SC Entrepreneurs awarded by IFCI Venture Capital Ltd.
- Bank of India has been awarded Runners-Up award for **"The Best Fintech Collaboration"** in IBA's 17th Annual Banking Technology Conference and Awards: 2020-21.
- Bank has received AWARD OF EXCELLENCE in PFRDA APY Campaign LEADERSHIP CAPITAL 4.0 from PFRDA for good performance.
- Bank has won AWARD OF EXCELLENCE from PFRDA for good performance in PFRDA APY CAMPAIGN MAKERS OF EXCELLENCE 5.0.

VISION, STRATEGY AND FUTURE OUTLOOK:

- Expand the Bank's Retail, Agriculture and MSME (RAM) lending profile by leveraging its existing customer base.
- Continue to contain funding cost by sourcing low cost deposits such as CASA.

- Focus on improving asset quality and containing NPA levels.
- Leverage technology to increase cross selling opportunities, reduce cost and enhance customer experience.
- Improving Risk Management Systems to ensure long-term sustainability of our business.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT:

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2022:

a) The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any,

b) The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India were consistently applied. Reasonable and prudent judgements and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit and loss of the Bank for the year ended March 31, 2022.

c) Proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities,

d) Annual accounts have been prepared on a going concern basis,

e) Internal financial controls system to be followed by the Bank were laid down and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively,

f) Proper systems have been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण

1. वैश्विक परिदृश्य:

वर्ष 2021-22 की शुरुआत आर्थिक गतिविधियों के पुन: जोर पकड़ने के साथ हुई। इसे टीकाकरण कवरेज में सुधार और कोविड प्रतिबंधों में छूट से बल मिला। हालांकि, पहली तिमाही में डेल्टा वेरिएंट और दिसंबर, 2021 से ओमिक्रोन वेरिएंट के पुनरुत्थान के कारण, महामारी के दौरान रिकवरी की गति काफी हद तक बाधित हुई। साल के अंत में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के आरंभ ने भी आर्थिक सुधार के स्थायित्व पर चिंताओं को जन्म दिया। वर्ष के दौरान, आपूर्ति श्रृंखला के व्यवधान और इसके परिणाम स्वरूप दुनिया भर में मुद्रास्फीति के दबाव देखे गए। मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करने के लिए, दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने महामारी के दौरान अपनाई गई इजी मनी पॉलिसी को कम किया तथा मौद्रिक नीति पर उदार रुख को वापस लेना शुरू कर दिया। इसके अलावा, उभरते बाजारों से पूंजी का बहिर्गमन हुआ, जिसके कारण उभरते बाजारों में विनिमय दरों का मूल्यह्रास हुआ। फिर भी, वर्ष के दौरान सभी देशों में आर्थिक सुधार दिखाई दे रहा था, भले ही वह अलग-अलग स्तरों का था। आईएमएफ के अनुमान के अनुसार, 2020 के दौरान 3.1% के संकुचन के मुकाबले, 2021 के दौरान वैश्विक उत्पादन में 6.1% की वृद्धि हुई। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में 5.2% की वृद्धि हुई और उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 6.8% की वृद्धि हुई।

2. घरेलू आर्थिक परिदृश्य:

घरेलू अर्थव्यवस्था में भी, वैश्विक प्रवृत्ति के अनुरूप, फिर से वाणिज्यिक गतिविधियों में तेजी देखी गई, हालांकि यह महामारी की बार-बार की लहरों, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों और मुद्रास्फीति के दबावों से घिरी हुई थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के नवीनतम अनुमान के अनुसार, 2021-22 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में 8.7% की वृद्धि हुई, जबकि 2020-21 के दौरान 6.6% की कमी आई थी। इस प्रकार, सकल घरेलू उत्पाद, वर्ष के दौरान कोविड-पूर्व स्तर पर वापस आ गया। कृषि खंड में, वित्त वर्ष 21 के दौरान 3.3% के मुकाबले 3.0% की वृद्धि हुई। यह महामारी के दौरान न्यूनतम प्रभावित था। खनन, विनिर्माण, बिजली, निर्माण और संपर्क सघन क्षेत्रों सहित सेवा क्षेत्र आदि सभी अन्य क्षेत्रों में वर्ष के दौरान उल्लेखनीय टर्न-अराउंड दिखाई दिया।

वित्त वर्ष 21 के दौरान 8.4% के संकुचन के मुकाबले वित्त वर्ष 22 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में 11.3% की उच्च वृद्धि दर दर्ज की गई। तीनों उप-क्षेत्रों अर्थात् खनन, विनिर्माण और बिजली ने क्रमश: 12.2%, 11.7% और 7.9% की वृद्धि दर के साथ उल्लेखनीय सुधार प्रदर्शित किया। इसी तरह, उपयोग-आधारित वर्गीकरण के अनुसार भी सभी उप-क्षेत्रों में वृद्धि नजर आई। इन्फ्रास्ट्रक्चर/निर्माण सामग्री और पूंजीगत सामग्री क्षेत्र में क्रमश: 19% और 16.7% की वृद्धि दर दर्ज की गई, जो निवेश व्यय में सुधार को दर्शाता है।

विभिन्न कारकों जैसे आपूर्ति पक्ष की समस्या, खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति, उच्च ईंधन की कीमतें आदि के कारण, खुदरा मुद्रास्फीति (सीपीआई) और डब्ल्यूपीआई, ये दोनों ही पूरे 2021-22 में ऊंचे स्तर पर बने रहे। सीपीआई मुद्रास्फीति, हालांकि वर्ष की प्रारंभिक अवधि के दौरान कम हुई, परन्तु विशेष रूप से अंतिम तिमाही के दौरान, इसमें काफी उछाल आया। हेडलाइन सीपीआई मार्च, 2021 में 5.52% से बढ़कर मार्च, 2022 में 6.95% हो गया। पेंट-अप मांग में वृद्धि, दुनिया भर में कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि, विशेष रूप से, पेट्रोलियम की, के कारण वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति ऊंचे स्तर पर रही। रूस-यूक्रेन युद्ध के परिणामस्वरूप आपूर्ति में व्यवधान ने वर्ष के अंत में स्थिति को और गंभीर बना दिया।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान व्यापारिक निर्यात वृद्धि, तेज रही। शुरुआती छह महीनों में मासिक निर्यात वृद्धि दर 40% से अधिक रही। पूरे वर्ष के दौरान व्यापारिक निर्यात, वित्त वर्ष 22 में 419.65 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इसमें 43.81% की वृद्धि दर्ज की गई। अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ, निर्यात की तुलना में आयात ज्यादा तेज गति से बढ़ा। वर्ष 2021-22 के दौरान, निर्यात 55.13% बढ़ा तथा यह 31 मार्च, 2022 तक $611.89 बिलियन के स्तर तक पहुंच गया। इसके साथ, व्यापार संतुलन वित्त वर्ष 21 के (-) 102.63 से बढ़कर वित्त वर्ष 22 में (-) 192.24 बिलियन डॉलर हो गया। हालांकि, सेवाओं के निर्यात में वृद्धि के साथ, समग्र व्यापार संतुलन वर्ष के दौरान (-) $87.03 बिलियन तक ही सीमित रहा। 2021-22 के दौरान, एफडीआई इक्विटी प्रवाह $58.77 बिलियन था, जो कि 2020-21 ($59.64 बिलियन) की तुलना में थोड़ा कम है। वित्त वर्ष 22 के दौरान, नौ महीने की अवधि में, चालू खाता घाटा (सीएडी), वित्त वर्ष 21 की इसी अवधि के दौरान 1.7% के अधिशेष के मुकाबले, सकल घरेलू उत्पाद का 1.2% था।

राजकोषीय मोर्चे पर, अर्थव्यवस्था के पुन: गति पकड़ने के कारण, राजस्व प्राप्तियों में 2021-22 के दौरान 32.71% की वृद्धि हुई और राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 21 के 18.18 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 15.86 लाख करोड़ रुपये था। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में वित्तीय घाटा, वित्त वर्ष 21 के 9.2% से सुधरकर वित्त वर्ष 22 में 6.7% हो गया।

3. बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में प्रगति:

वित्त वर्ष 22 के दौरान, बैंकिंग उद्योग में जमाराशियों की वृद्धि दर कम रही, लेकिन अग्रिमों में वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 21 के 11.4% के मुकाबले जमाराशियों में 8.9% की वृद्धि दर्ज हुई और वित्त वर्ष 21 के 5.6% के मुकाबले अग्रिम में 9.6% की वृद्धि दर्ज की गई। वाणिज्यिक क्षेत्रों की सामान्य स्थिति में धीरे-धीरे वापसी से वर्ष के दौरान उच्च ऋण वृद्धि में मदद मिली। सभी उप-क्षेत्रों अर्थात् कृषि, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में ऋण प्रवाह में क्रमश: 9.9%, 7.1% और 8.9% की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में बहुत अधिक थी। एनआईआई में वृद्धि, परिचालन लाभ, शुद्ध लाभ और एनपीए अनुपात में सुधार के साथ, सामान्य रूप से, बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन में सुधार हुआ।

आरबीआई द्वारा अपनाई गई इजी मनी पॉलिसी के कारण, वर्ष के दौरान लिक्विडिटी अधिशेष मोड में रही। प्रारंभ में, आरबीआई ने विभिन्न उपायों जैसे नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी जैसे वित्तीय संस्थानों के लिए विशेष पुनर्वित्त सुविधाओं और अन्य उपायों जैसे कोविड संबंधित स्वास्थ्य सेवा

क्षेत्र के लिए मीयादी लिक्विडिटी सुविधा, छोटे वित्त बैंकों के लिए विशेष दीर्घकालिक रेपो ऑपरेशन (एसएलटीआरओ), ऑन-टैप टीएलटीआरओ प्रदान करना, और सबसे महत्वपूर्ण जी-सेक अधिग्रहण कार्यक्रम (जी-एसएपी) से लिक्विडिटी बढ़ाने में मदद मिली। हालांकि, बाद में, लिक्विडिटी की स्थिति के क्रमिक सामान्यीकरण के साथ ही, सीआरआर को 100 बीपीएस तक बढ़ा दिया गया जो उसका महामारी से पहले का स्तर था और जी-एसएपी को बंद कर दिया गया। फिर भी, 5-8 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर अधिशेष लिक्विडिटी बनी रही और आरबीआई को लिक्विडिटी को अवशोषित करने के लिए वीआरआरआर नीलामी का सहारा लेना पड़ा।

आरबीआई के विभिन्न लिक्विडिटी बढ़ाने के उपायों के कारण वर्ष की पहली छमाही के दौरान शुरू में सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल में नरमी आई, हालांकि निश्चित रूप से जून और अगस्त, 2021 के दौरान इसमें कभी-कभार वृद्धि हुई। तथापि, दूसरी छमाही के दौरान, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों, उच्च मुद्रास्फीति के स्तर, अमेरिका में सरकारी बॉन्ड के प्रतिफल में वृद्धि जैसे विभिन्न कारकों के कारण, सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल बढ़ गया। 10 साल की बेंचमार्क यील्ड यथा 31 मार्च, 2021 को 6.32% से बढ़कर यथा 31 मार्च, 2022 को 6.79% हो गई।

रुपया-यूएसडी विनिमय दर ने वर्ष के दौरान दोतरफा गति की। ज्यादातर यह नॉमिनल आधार पर मूल्यह्रास के साथ रहा। निश्चित रूप से मई, जून, अक्टूबर और नवंबर जैसे कुछ महीनों के दौरान इसमें वृद्धि हुई। रुपये के मूल्यह्रास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक थे - विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के बहिर्गमन, अन्य सभी मुद्राओं के मुकाबले अमरीकी डॉलर की मूल्यवृद्धि, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण और विशेष रूप से वर्ष की चौथी तिमाही के दौरान भू-राजनैतिक तनाव। रुपया-यूएसडी विनिमय दर 31 मार्च, 2021 के 73.11 रुपये से गिरकर 31 मार्च, 2022 तक 75.79 रुपये हो गई। हालांकि, अमरीकी डॉलर के मुकाबले रुपये का मूल्यह्रास उभरते बाजार की समकक्ष मुद्राओं की तुलना में कम है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, मार्च 2021 के अंत में 576.98 बिलियन डॉलर से बढ़कर 31 मार्च 2022 को 607.3 बिलियन डॉलर हो गया, जो 2021-22 के 12 महीने के व्यापारिक आयात के बराबर है।

2021-22 के दौरान, आरबीआई और सरकार, इन दोनों ने विकास को बढ़ावा देने और महामारी से प्रभावित क्षेत्रों में दबाव को कम करने के लिए, कई उपायों की घोषणा की। आरबीआई ने उदार रुख को जारी रखा और पूरे साल नीतिगत रेपो दर को अपरिवर्तित रखा। कई लिक्विडिटी बढ़ाने के उपाय किए गए जैसे कि टीएलटीआरओ प्रदान करना, स्वास्थ्य सेवा संस्थाओं को 50,000 करोड़ रुपये की लिक्विडिटी सहायता, लघु वित्त बैंकों के लिए विशेष दीर्घकालिक रेपो संचालन की अनुमति, व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के लिए समाधान व्यवस्था प्रदान करना (आरएफसीआरएस-2.0), होटल और पर्यटन क्षेत्रों आदि संपर्क गहन क्षेत्रों के लिए ऑन-टैप लिक्विडिटी विंडो आदि। राजकोषीय मोर्चे पर, कई नीतिगत उपायों की घोषणा की गई जैसे कि स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना, ईसीएलजीएस के लिए अतिरिक्त 1.5 लाख करोड़, सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) के लिए क्रेडिट गारंटी, पर्यटक गाइड / संबंधित हितधारकों के लिए विशेष ऋण योजना, पीएलआई योजना में विस्तार आदि। आरबीआई और सरकार के इन सभी उपायों ने समाज के कमजोर वर्गों के संकट को कम करने में मदद की है और विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक सुधार को गति दी है। इसके अलावा, केंद्रीय बजट 2022-23 में, सरकार ने विभिन्न विकासोन्मुखी उपायों की घोषणा की है जैसे कि पूंजी निवेश में 25% की वृद्धि, 'गति शक्ति' के माध्यम से बुनियादी ढांचे के खर्च पर जोर और समावेशी विकास, 31 मार्च,2023 तक ईसीएलजीएस का और विस्तार, जिनसे यह उम्मीद है कि महामारी पूर्व स्थिति की बहाली प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी।

कारोबार समीक्षा:

1. संसाधन संग्रहण:

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 9.26% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि को दर्शाते हुए कुल रु. 20,795 करोड़ की कासा वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 9.74% की दर से बचत बैंक जमाराशियों में रु. 19,135 करोड़ की उच्चतर वृद्धि दर्ज की गई है। बैंक ने पिछले वर्ष की तुलना में 5.89 % की वृद्धि के साथ आधार आकड़ों में रु. 1,660 करोड़ की वृद्धि करते हुए चालू जमाराशियों में भी वृद्धि दर्ज़ की है।

104391 नये ग्राहकों को एसबी डायमंड ग्राहक आधार में जोड़ा गया है जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 3.5% की वृद्धि है। एसबी डायमंड ग्राहकों की जमाराशि आधार में रु.3585 करोड़ की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार, सीडी डायमंड आधार में भी 4.00% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ रु.784 करोड़ की वृद्धि हुई है।

कासा अनुपात का स्तर पिछले वर्ष के 41.27% से भारी उछाल के साथ 45.02% हो गया है। इस अवधि के दौरान रिटेल सावधि जमाराशियों का हिस्सा 84% से बढ़कर 89% हो गया है।

बैंक ने रिटेल जमाराशियों तथा कासा पर ध्यान केन्द्रित करना जारी रखा है।

2. अग्रिम:

बैंक का वैश्विक सकल अग्रिम, यथा 31.03.2021 के रु.410,436 करोड़ से बढ़कर 31.03.2022 को रु. 457,014 करोड़ हो गया। यह 11.35% की वृद्धि है। सकल घरेलू ऋण में 8.61% की संतुलित वृद्धि दर्ज की गयी। यह 31.03.2021 को रु.362361 करोड़ था जो 31.03.2022 को रु.393,991 करोड़ हो गया। बैंक, ए.जी.एम./सी.एम. की अध्यक्षता में 10 लार्ज कॉर्पोरेट शाखाओं तथा अन्य बड़ी शाखाओं के माध्यम से कॉर्पोरेट/मिड कॉर्पोरेट की विशेषीकृत आवश्यकताओं को पूरा करता है।

कोविड 19 महामारी की आर्थिक समस्या के कारण दबाव अनुभव करने वाले उधारकर्ताओं के लिए, आर.बी.आई. के कोविड 19 विनियामकीय पैकज के अंतर्गत बैंक ने विशेष योजना आरंभ की है।

3. खुदरा :

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान खुदरा ऋण सेगमेंट में 18.54% की वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान हमने आवास ऋणों पर विशेष ध्यान दिया है, जिसके परिणामस्वरूप हमें काफी अच्छी वृद्धि प्राप्त हुई है। वर्ष के दौरान आवास ऋण सेगमेंट रु.38,566 करोड़ से बढ़कर रु.43,788 करोड़ हो गया तथा उसमें 13.54% की वृद्धि दर्ज़ की गई। वर्ष के दौरान वाहन ऋण सेगमेंट रु.

6,890 करोड़ से बढ़कर रु.10,353 करोड़ हो गया तथा इसमें 50.27% की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष के दौरान हमने कोविड-19 व्यक्तिगत और पेन्शनर ऋण योजना शुरू की। व्यक्तिगत ऋण खंड ने 2,557 करोड़ रुपए से 5,483 करोड़ रुपए तक 114.43% की वृद्धि दर्ज की।बैंक ने मारुति-सुजुकी, टाटा मोटर्स, हुंडई मोटर्स तथा महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ गठजोड़ किया है। हमारा बैंक पीएसयू/पीएसई/प्रतिष्ठित कॉरपोरेट्स/संस्थानों के नियोक्ता के साथ गठजोड़ व्यवस्था के अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराता है। आवास ऋण, वाहन ऋण तथा वैयक्तिक ऋणों के अलावा हम संपत्ति पर ऋण तथा शिक्षा ऋण भी देते हैं।

4. एसएमई:

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) एक महत्वपूर्ण खण्ड है। करीब 6.33 करोड़ एमएसएमई उद्यमियों के जीडीपी में करीब 30%, विनिर्माण उत्पादन में 45% तथा निर्यात में लगभग 49% योगदान है। यह 11.09 करोड़ लोगों के लिए नियोजन का सृजन करता है। एमएसएमई क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदण्ड माना जाता है और इसने देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में काफी योगदान दिया है।

एमएसएमई के महत्व को समझते हुए और वृहत कारोबारी जनसंख्या को इसके तहत लाने के लिए भारत सरकार ने अब एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन किया है।

मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्म निर्भर भारत, ईएएसई रिफार्म और एकबारगी पुन: संरचना जैसे कार्यक्रमों पर ध्यान देने के कारण बैंक स्तर पर एमएसएमई ऋण में महत्वपूर्ण बदलाव हुए है।

एमएसएमई कार्य-निष्पादन

विवरण	मार्च'19	मार्च '20	मार्च '21	मार्च '22	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	
					रकम	%
कुल एमएसएमई (सिडबी सहित)	54595	56092	63425	69,462	6,037	9.52%
मूल एमएसएमई (सिडबी छोड़कर)	53878	55617	62804	68,039	5,235	8.34%

- यथा 31.03.2022 तक वित्तीय वर्ष के दौरान 349600 नए खाते रु.15509.74 करोड़ की स्वीकृत सीमा के साथ खोले गए। इन खातों की बकाया राशि रु.11438.86 करोड़ है।
- यथा 31.03.2022 को मुद्रा के तहत कुल स्वीकृति रु.6575 करोड़ है जबकि बजट रु.6500 करोड़ था।
- "ऑनलाइन पीएसबी 59 लोन" के जरिए कुल 38,801 खाते मंजूर किए गए जिसकी कुल राशि रु.3795.54 करोड़ है।
- यथा 31.03.2022 को सीजीटीएमएसई के तहत 29,342 नए खाते कवर किए गए जिनकी कुल गारंटी राशि रु.1880 करोड़ है और सीजीटीएमएसई में कवर किए गए संचयी खाते 4,61,234 हैं जिसकी कुल राशि रु.33,234 करोड़ है।
- एमएसएमई क्षेत्र के तहत कुल एनपीए 22.50% था।
- मुद्रा क्षेत्र के तहत कुल एनपीए 12.96% था ।

वित्तीय वर्ष 2021-22 की विशेषताएँ :

- भारत सरकार द्वारा जीईसीएल एक्सटेंशन स्कीम को शुरु किया गया। मार्च, 2022 तक संभावित कारोबार रु.2450.00 करोड़ था जबकि रु.2353.18 करोड़ के संवितरण राशि के साथ कुल स्वीकृत सीमा रु.2525.83 करोड़ थी।
- टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म पर, हमने रु.1000.00 करोड़ का बकाया कारोबार पार कर लिया और मार्च, 22 के अंत तक यह रु.1329.79 करोड़ था।
- एसएमईसीसी का नवीकरण: एसएमईसीसी एवं यूसी की संख्या 58 से 91 हो गई है और रु.10 लाख से अधिक के सभी प्रस्तावों की केन्द्रीयकृत प्रक्रिया आसानी से हो रही है।
- सूक्ष्म उद्यम के तहत नियामक लक्ष्य को प्राप्त किया गया तथा 31.03.2022 को एएनबीसी हेतु 7.5% दिए गए लक्ष्य पर हमारी एएनबीसी की कुल बकाया 11.00% थी।
- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान मुद्रा स्कीम के तहत ऋण प्रदान करने हेतु प्रशंसा पत्र।
- एमएसएमई चैंबर ऑफ़ इंडिया द्वारा बैंक ऑफ़ इंडिया को एमएसएमई खंड में वर्ष 2020-21 के लिए सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई बैंक का पुरस्कार प्रदान किया गया है।
- हमारे बैंक को इंडियन एमएसएमई के चेंबर द्वारा आयोजित "एमएसएमई बैंकिंग एक्सीलेंस अवार्ड 2021" में तीन पुरस्कार यथा - "सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई - रनर अप" "सर्वश्रेष्ठ ब्रांडिंग -- विजेता और सामाजिक योजनाओं के प्रचार हेतु सर्वश्रेष्ठ बैंक-विजेता" प्राप्त हुए है।
- आईएफसीआई वेंचर कैपीटल लिमिटेड द्वारा पुरस्कृत एससी उद्यम को ऋण प्रदान करने हेतु डा. अम्बेडकर कारोबार एक्सीलेंस अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।

5. कृषि वित्त:

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम :

बैंक ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं के अपने नेटवर्क के माध्यम से प्राथमिकता और कृषि क्षेत्रों की सेवा प्रदान कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान, हमने स्टार कृषि विकास केंद्र (एसकेवीके) के रूप में कृषि बैंकिंग केंद्र(एबीसी) संरचना: पुन: स्थापित किया है. वर्तमान में, 87 एसकेवीके कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त एसएमई केन्द्रों पर 59 कृषि डेस्क कार्यरत हैं। बैंक ने प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत रु. 151600 करोड़ (वि.वर्ष 21-22 के एएनबीसी औसत का 41.55%) की बकाया राशि का शानदार स्तर प्राप्त किया है। इसमें कृषि क्षेत्र के अंतर्गत रु. 66418 करोड़ (वि.वर्ष 21-22 के एएनबीसी औसत का 18.00%) है तथा कृषि के अंतर्गत लघु एवं सीमांत किसानों को रु.38,927 करोड़ (वि.वर्ष 21-22 के एएनबीसी औसत का 10.36) का ऋण शामिल है। एस.एम.ई के अंतर्गत रु.62,398 करोड़ का ऋण दिया गया है जिसमें एम.एस.एम.ई सूक्ष्म क्षेत्र में रु.39,637

करोड़ (वि.वर्ष 21-22 के एएनबीसी औसत का 11.00%), शिक्षा में रु.2,181 करोड़, आवास में रु. 20,481 करोड़ तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण की श्रेणी में रु. 121 करोड़ शामिल है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राथमिकता क्षेत्र, एस.एफ तथा एम.एफ, एम.एस.एम.ई - सूक्ष्म तथा कमजोर वर्गों को ऋण के अंतर्गत, विनियामक अनुपातों को प्राप्त किया है।

मद	बकाया राशि		वर्षानुवर्ष वृद्धि (मार्च 20/मार्च 21)		ए.एन.बी.सी औसत का % (वित्तीय वर्ष 2021-2022)	आरबीआई बेंचमार्क (ए.एन.बी. सी %)
	मार्च 21	मार्च 22	राशि	%		
*कुल कृषि	59007	66418	7411	12.56	18.00	18.00
लघु एवं संपार्श्विक किसान	31992	38927	6935	21.68	10.36	9.00
सूक्ष्म उद्यम	38158	39637	1479	3.88	11.00	7.50
*प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	138935	151600	12665	9.12	41.55	40.00

*आरआईडीएफ एवं पीएसएलसी के बकाया सहित कुल कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र।

कृषि के अंतर्गत बैंक की शाखाओं ने वर्ष के दौरान रु. 42703 करोड़ संवितरित किए जबकि वित्त वर्ष के दौरान 2021-22 के दौरान लघु एवं सीमांत किसानों को कुल रु. 26,725 करोड़ संवितरित किए गए. वर्ष के दौरान, बैंक ने लचीले रूप से ऋण उपयोग के लिए रु.2565 करोड़ की ऋण सीमा के साथ 1.86 लाख केसीसी जारी किए हैं। विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत बैंक, कम आय वर्गों को 4% की छूट प्राप्त ब्याज दर पर वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। बैंक ने वर्ष के दौरान डी.आर.आई योजना के अंतर्गत 110 मामले स्वीकृत किए हैं जिसमें 0.88 करोड़ की राशि शामिल है। यथा मार्च 2022, अल्पसंख्यक समूहों को बैंक का ऋण एक्सपोज़र रु.18,829 करोड़ है (15.36 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण का 15.00 प्रतिशत)। दिनांक 31.03.2022 को कमजोर वर्गों के अंतर्गत बकाया राशि रु.47,402 करोड़ (13.02% वित्तीय वर्ष 2021-22 है)। यथा 31.03.2022, खाद्य एवं कृषि उद्योग को बैंक का वित्तपोषण रु. 6,836 करोड़ है।

स्वर्ण ऋण: स्वर्ण ऋण में प्रगतिशील वृद्धि आधार पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में, रु.4900 करोड़ (44.23 की वर्ष दर वर्ष वृद्धि) की वृद्धि दर्ज की गई और यह 31.03.2022 को रु 15979 करोड़ हो गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कृषि के अंतर्गत स्वर्ण ऋण में रु. 4597 करोड़ (50.67% की वाईटीडी वृद्धि) की वृद्धि हुई और यह 31.03.2022 को रु 13,669 करोड़ हो गया ।

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) : यथा 31.03.2022 को बैंक के पास 5.91 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का ग्राहक आधार है जिसमें से 2.37 लाख एस.एच.जी को ऋण सुविधा से जोड़ा गया है तथा इसमें से 1.93 लाख महिला एस.एच.जी हैं। एस.एच.जी की निगरानी के लिए ऑफ़साइट संव्यवहारों, वित्तीय तथा डाटा डिजिटलीकरण हेतु, बैंक ने दोहरा बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन आरंभ किया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) : ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के जीवन से गरीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) एक महत्वपूर्ण योजना है। वर्ष के दौरान बैंक ने इस योजना के अंतर्गत 1.68 लाख उधारकर्ताओं को रु.3,268 करोड़ ऋण संवितरित किये गये हैं।

स्टार कृषि विकास केंद्र (एसकेवीके)- वर्तमान में 87 एसकेवीके कार्यरत हैं। इसके अलावा, कृषि पोर्टफोलियो में केंद्रित और गुणवत्तापूर्ण विकास के लिए एसएमई सिटी केंद्रों में 59 कृषि डेस्क संचालित हैं।

अग्रणी बैंक योजना : बैंक के पास 51 जिलों में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी है जो झारखण्ड (15), महाराष्ट्र (14), मध्य प्रदेश (13), उत्तर प्रदेश (07) तथा ओडिशा (2) - इन पांच राज्यों में फैली हुई हैं तथा बैंक, झारखण्ड राज्य में एसएलबीसी संयोजक भी है।

केसीसी सैचुरेशन :- वर्ष 2021-22 के दौरान हमारे द्वारा केसीसी सैचुरेशन अभियान के तहत 1.86 लाख नए केसीसी ग्राहक जोड़े हैं।

6. वित्तीय समावेशन :

बैंक यह मानता है कि वित्तीय समावेशन के माध्यम से व्यवसाय करना व्यावहारिक है तथा इस दिशा में बैंक ने अपने दृष्टिकोण को “सीएसआर” से “आर्थिक व्यवहार्यता” की ओर मोड़ दिया है। वित्तीय क्षेत्र की अपेक्षानुसार अत्यंत कम लागत के संव्यवहारों को समर्थित करने एवं संरक्षित करने हेतु आईसीटी आधारित समाधान आवश्यक है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) से वित्तीय समावेशन अभियान को गति प्राप्त हुई है। व्यापार संपर्की मॉडल के नेतृत्व में आई.सी.टी. के माध्यम से उन ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक ने ये सेवाएं दी हैं जहाँ बैंकिंग सेवाएं नहीं हैं।

पीएमजेडीवाई एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाएं:

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 17.36 लाख प्रधानमंत्री जन-धन योजना खाते खोले गए हैं। भारत सरकार द्वारा चलाई गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में भी बैंक की सक्रिय भागीदारी रही है। उक्त वर्ष के दौरान पीएमएसबीवाई (प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना) के अंतर्गत बैंक ने 45.52 लाख खातों को कवर किया है। इस अवधि में पीएमजेजेबीवाई (प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना) के अंतर्गत 23.09 लाख खाते कवर किये गए हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में बैंक द्वारा 4.65 लाख नए एपीवाई (अटल पेंशन योजना) अंशदाताओं का जोड़ा गया है जबकि हमारे बैंक में एपीवाई अंशदाताओं की कुल संख्या 19.52 लाख है।

स्टार हॉकर आत्मनिर्भर ऋण (एसएचएएल) :

स्टार हॉकर आत्मनिर्भर ऋण (एसएचएएल) - पीएमस्व:निधि का आरंभ जून, 2020 में किया गया था ताकि किश्त-I के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 12 ईएमआई में चुकाने योग्य 10,000/- तक की परेशानी मुक्त कार्यशील पूंजी मांग ऋण प्रदान किया जा सके। पीएमस्व:निधि के तहत दूसरी किश्त उन स्ट्रीट वेंडरों के लिए जिन्होंने अपना पहला पीएमस्व:निधि ऋण चुकाया है। किश्त-II के तहत, डब्ल्यूसीडीएल 20000/- (न्यूनतम 15000/-) तक स्ट्रीट वेंडरों को प्रदान करता है और यह 18 महीने की किश्तों में चुकाने योग्य है। हमने 31-03-2022 तक प्राप्त 2.56 लाख आवेदनों में से 2.42 लाख (94.73%) आवेदन मंजूर किए हैं तथा 2.37 लाख (90%) संवितरण किया है।

स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) :

बैंक झारखंड, ओड़िशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल में 43 आरसेटी परिचालित कर रहा है। वर्ष 2021-22 के दौरान आरसेटी ने 939 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये तथा 26050 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया और 44.92% (11704) का नियोजन सुनिश्चित करते हुए 65.41% (7511) अभ्यर्थियों को ऋण प्रदान किया गया ताकि लाभकारी रोजगार प्राप्त करने में उनकी मदद की जा सके। हमारे पास ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 43 आरसेटी में से 42 आरसेटी ''एए'' श्रेणी की हैं।

वित्तीय साक्षरता तथा ऋण परामर्श केन्द्र (एफएलसीसी.): भारतीय रि. जर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्रामीण तथा शहरी केन्द्रों में उन जिला स्थानों पर एफएलसीसी/एफएलसी स्थापित किए गए हैं जहाँ बैंक के पास अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी है। बैंक की 51 एफ.एल.सी. सभी 51 अग्रणी जिलों में कार्यरत हैं। प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त एफ.एल.सी मामला-दर-मामला आधार पर दबावग्रस्त उधारकर्ताओं के लिए उपचारात्मक परामर्श तथा संचार माध्यमों, कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों के माध्यम से निवारक परामर्श भी देते हैं। 31 मार्च 2022 तक कुल 17,39,301 जरूरतमंद विपदाग्रस्त लोगों को सलाह दी गई है।

वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) : पायलट परियोजना

आरबीआई से 10 दिसंबर, 2020 के संचार के संदर्भ में, हमें सूचित किया गया है कि आरबीआई ने मार्च 2024 तक चरणबद्ध तरीके से देश के हर ब्लॉक में सीएफएल की पहुंच का विस्तार करने की घोषणा की थी। हम शुरू से ही एक प्रायोजक बैंक के रूप में जुड़े रहे हैं। हम सीएफएल पायलट प्रोजेक्ट चरण-I के प्रारंभिक कार्यान्वयन के बाद से एक प्रायोजक बैंक के रूप में जुड़े हुए हैं, जो अब 01.12.2021 तक बढ़ गया है। हमें 110 सीएफएल के प्रायोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए)/वित्तीय समावेशन कोष (एफआईएफ) से वित्त पोषित है, जिसका कुछ हिस्सा प्रायोजक बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। तदनुसार, हमने 1 दिसंबर, 2021 से आरबीआई द्वारा पहचाने गए पांच एनजीओ के सहयोग से पांच राज्यों (झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश) में 110 सीएफएल में से 106 सीएफएल खोले/बढ़ाए हैं। कुल मिलाकर, सभी 106 सीएफएल ने 11067 शिविर आयोजित किए गए और कुल 2,42,624 व्यथित लोगों को परामर्श दिया गया।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक :

विलय के बाद, हम 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित कर रहे हैं यथा उत्तरप्रदेश में **आर्यावर्त बैंक** (एबी), मध्य प्रदेश में **मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक** (एमपीजीबी) महाराष्ट्र राज्य में **विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक** (वीकेजीबी), जिनमें यथा दिनांक 31.03.2021 को 82 जिलों में 2554 शाखाओं का नेटवर्क है। इन सभी प्रायोजित आरआरबी को बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त अध्यक्ष द्वारा प्रबंधित किया जाता है और इनके कार्यनिष्पादन की प्रधान कार्यालय के महाप्रबंधक-एफआई एवं आरआरबी(प्रभाग) द्वारा निगरानी की जाती है। सभी आरआरबी शाखाएं और प्रशासनिक कार्यालय सिस्टम द्वारा रिपोर्ट जनरेट की सुविधा के साथ सीबीएस प्लेटफॉर्म पर हैं। इन आरआरबी में आरटीजीएस, एनईएफटी और एटीएम की सुविधा है। हमारी सभी आरआरबी का कुल मिश्रित कारोबार यथा दिनांक 31.03.2022 को रु. 89014.50 करोड़ है।

7. अंतरराष्ट्रीय:

बैंक की कुल 22 विदेशी शाखाएं हैं, जकार्ता (इन्डोनेशिया) में 1 प्रतिनिधि कार्यालय, 4 अनुषंगियां एवं 1 सहयोगी/संयुक्त उद्यम है, जो विश्व के सभी टाइम जोन में 16 देशों में फैले हुए हैं। यथा दिनांक 31.03.2022 को बैंक के वैश्विक कारोबार मिश्र में विदेशी परिचालनों का हिस्सा 12% है।

विदेशी अनुषंगी एवं सहयोगी :

i) पीटी बैंक ऑफ इंडिया इन्डोनेशिया टीबीके

ii) बैंक ऑफ इंडिया (तंजानिया) लि.

iii) बैंक ऑफ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि.

iv) बैंक ऑफ इंडिया (युगांडा) लि.

v) इंडो - जाम्बिया बैंक लि. (आईजेडबी) - संयुक्त उद्यम

8. ऋण निगरानी:

बैंक के ऋणों की आस्ति गुणवत्ता को बनाए रखने तथा उसमें सुधार लाने तथा ऋण जोखिम को कम करने के लिए ऋणों की निगरानी अनिवार्य है। स्वीकृत शर्तों के अनुपालन तथा निधियों के सही इस्तेमाल को सुनिश्चित करना ऋण निगरानी का मुख्य उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करना कि ऋण आस्तियाँ, मानक श्रेणी में ही रहें, चिह्नित दबावग्रस्त खातों/निगरानी के अधीन खातों को अपग्रेड करने का प्रयास किया जाय तथा सुधारात्मक कार्रवाई की जाय ताकि खातों को मानक श्रेणी से अवमानक श्रेणी में जाने से रोका जा सके। कमजोरी के संकेत/चूक की संभावना/डिलिक्वेंसी वाले दबावग्रस्त खातों को पहचानने तथा उनकी निगरानी करने के लिए, विभाग, विभिन्न उपकरण तथा पद्धतियों का प्रयोग कर रहा है ताकि संभावित स्लिपेज को प्रभावी तरीके से रोका जा सके तथा आस्ति की अच्छी गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके।

प्रभावी निगरानी तथा नियंत्रण के लिए उपकरण:-

पूर्व चेतावनी संकेत

- हमारे बैंक में अगस्त, 2020 से पूर्ण रूप से तकनीकी आधारित ईडब्ल्यूएस समाधान की शुरूआत की गई है। अच्छी प्रकार से परिभाषित अंतर्निहित कार्य-प्रवाह के साथ, हमारा ईडब्ल्यूएस पूर्णत: स्वचालित समाधान है। आंतरिक (सीबीएस एवं रेटिंग डाटा) तथा बाह्य डाटा(एमसीए, सीआईसी इत्यादि) दोनों के आधार पर चेतावनी जनरेट होती है। जनरेट की गई चेतावनी आरंभिक कमजोरी को पहचानने तथा समय से सक्रिय सुधारात्मक उपाय करने में बैंक की सहायता करती है। यह उपाय खातों में धोखाधड़ी की शीघ्र पहचान करने में सहायता करता है (यदि कोई हो)। यह समाधान उपयुक्त प्रणाली/कार्रवाई के साथ खातों की सघन निगरानी हेतु शाखाओं को समर्थ भी करता है।

क्रिलिक रिपोर्टिंग

- एसएमए श्रेणी में खाते के वर्गीकरण के बाद अनुवर्ती कार्रवाई, पुन:संरचना

आदि सुधारात्मक कदम उठाने हैं। आरबीआई के संशोधित दिशा-निर्देशों को अनुसार 5 करोड़ तथा इससे अधिक की ऋण सीमा वाले दबावग्रस्त खातों को साप्ताहिक आधार पर क्रिलिक प्लेटफॉर्म पर आरबीआई को रिपोर्ट किया जाना है।

सिस्टम से आस्ति का वर्गीकरण (सास्कल) :

- सास्कल एक संभावना बताने वाला प्रोग्राम है जो वसूली के रिकॉर्ड के आधार पर दो माह से अधिक की अवधि की अतिदेयता को प्रदर्शित करते हुए संभावित स्लिपेज को पहचानता है। इसके अतिरिक्त इसमें तीन माह से अधिक तक स्टॉक/क्यूआईसी स्टेटमेंट न जमा करना, सीसी खातों में अपर्याप्त/कोई जमा न होना जैसी वित्तीय अनियमितता प्रदर्शित करने वाले खातों को भी शामिल किया जाता है। इस संबंध में यदि समय पर सुधारात्मक कार्रवाई न की जाए तो इससे खाता डाउनग्रेड हो सकता है। एक नवीन सास्कल प्रारूप बनाया गया है जो कि अधिक प्रयोगकर्ता-अनुकूल होने के साथ साथ फील्ड के लिए अधिक सही तरीके से सूचनाएं प्रदान करेगा।

एसएमए निगरानी

- सास्कल के अतिरिक्त, इस वर्ष एसएमए निगरानी पर ध्यान दिया जाएगा। शाखाएँ एसएमए 0 खातों की निगरानी शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध होंगी ताकि आरंभ में ही उपचारात्मक कार्रवाई की जा सके और संबंधित खाते एसएमए 1 या सास्कल में न जा सके। हमारी योजना है कि एसएमए डाटा सीधे शाखाओं को भेजे जाएं, जो कि वर्तमान में एनबीजी को भेजे जाते रहे हैं।

एसएमए स्वचालन

- हम बैंक के एसएमए पोर्टफोलियो के प्रबंधन के लिए एक स्वचालित प्रणाली बनाने की प्रक्रिया में हैं। इस प्रणाली में एसएमए रिस्क ग्रेडेशन, वसूली कार्रवाई, जियो टैगिंग, रीयल टाइम एसएमए विश्लेषण जिसमें 'पुशिंग ऑफ अलर्ट' भी शामिल है, को कवर किया गया है। इससे 'स्लिपेजेज़' का बेहतर प्रबंधन होगा ।

ऋण प्रक्रिया लेखापरीक्षा

- ऋण प्रक्रिया की लेखा परीक्षा (सीपीए) यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि स्वीकृति की संवितरण पूर्व और संवितरण पश्चात् शर्तों/अनुबंधों का अनुपालन किया जा रहा है। सीपीए का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि संवितरण करने वाला अधिकारी द्वारा बैंक निधियों का संवितरण करने से पूर्व, प्रतिभूति के सृजन/प्रतिभूति की पूर्णता हेतु सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं ताकि उक्त प्रतिभूतियों की प्रवर्तनीयता सुनिश्चित की जा सके। अब, सीपीए रियल टाइम में निगरानी के लिए फिनेकल के साथ एकीकृत किया गया है।

स्टॉक लेखापरीक्षा

- हम पात्र खातों में स्टॉक एवं प्राप्य राशियों के संबंध में समयपूर्वक लेखापरीक्षा किया जाना सुनिश्चित करते हैं ताकि जब भी आवश्यक हो, सक्रिय/सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें। वर्तमान में स्टॉक की लेखापरीक्षा उन मानक अग्रिम खातों के संबंध में लागू हैं, जिनका कार्यशील पूंजी एक्सपोजर रु. 5 करोड़ तथा उससे अधिक है।

इसे सालाना आयोजित करना आवश्यक है। कमजोरी के अंतर्निहित संकेत दिखाने वाली आस्तियों, जैसे कि खराब स्थिति, साख पत्र के तहत अतिदेय बिल, गारंटी का लागूकरण, समीक्षा अतिदेय आदि, जो बैंक की संपत्ति की गुणवत्ता के लिए खतरा पैदा करते हैं, विभिन्न प्लेटफार्मों और स्तरों पर टेलीविडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है

एनपीए का दैनिक अंकन :

- दिनांक 15.04.2021 से बैंक एनपीए की पहचान और नियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए एनपीए के दैनिक अंकन में प्रवेश कर गया है।

पुनर्गठित खातों की निगरानी (आरएफसीआरएस पोर्टफोलियो):

- आरएफसीआरएस के तहत पुनर्संरचित खातों की आस्ति की गुणवत्ता की रक्षा के लिए, प्रधान कार्यालय स्तर पर एक समर्पित टीम का गठन किया जाता है जो उधारकर्ताओं को व्यक्तिगत कॉल के माध्यम से समय पर अनुस्मारक देना सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, डीएनपीए उधारकर्ताओं सहित सभी आरएफसीआरएस उधारकर्ताओं को प्रधान कार्यालय स्तर से एसएमएस भेजे जा रहे हैं।

कॉल सेंटर से रिमाइंडर कॉल:

- हमारे कॉल सेंटर में कार्यरत 50 लोगों की एक समर्पित टीम अग्रिमों की निगरानी के लिए काम कर रही है। वे एसएएससीएल और एसएमए उधारकर्ताओं को कॉलिंग करते हैं।

अन्य निगरानी उपकरण:

- ➢ अनुपालन स्तर को मजबूत करने के लिए लागू किए गए पूर्व-वितरण और वितरण के बाद के अनुबंधों की केंद्रीकृत निगरानी।
- ➢ बैंक ने लेनदेन की निगरानी, निरीक्षण आदि के सत्यापन के लिए 250 करोड़ रुपये से अधिक के खातों में विशेष निगरानी के लिए एएसएम की नियुक्ति की है।
- ➢ ईडब्ल्यूएस के पालन पर खातों की रेड फ्लैगिंग और नियामक दिशानिर्देशों के संदर्भ में एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर धोखाधड़ी के कोण की जांच के लिए नीतियां हैं। एक बार खाते को धोखाधड़ी घोषित कर देने के बाद, आरबीआई के सीआरआईएलसी प्लेटफॉर्म में तत्काल रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाती है।
- ➢ सभी एसएमए उधारकर्ताओं/एसएमए गारंटरों/आरएफसीआरएस डीएनपीए उधारकर्ताओं/आरएफसीआरएस उधारकर्ताओं/सभी सीसी/ओडी और टीएल उधारकर्ताओं को चुकौती सूचना के लिए एसएमएस भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा स्थानीय भाषाओं में भी एसएमएस भेजे जा रहे हैं।
- ➢ खातों की अलग सूची जहां समीक्षा एक महीने से अधिक के लिए अतिदेय है और जहां स्टॉक विवरण एक महीने से अधिक के लिए देय है, तकनीकी स्लिपेजेस से बचने के लिए मासिक अंतराल पर शाखाओं को प्रदान किया जा रहा है।

9. एनपीए प्रबंधन :

बैंक ने एनपीए और बट्टे खाते डाले गये खातों में वसूली के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित कार्यनीतियों को आत्मसात करते हुए और आस्ति वसूली शाखाओं की शुरूआत करके तथा जमीनी स्तर पर स्टाफ के साथ मिलकर वसूली के निरंतर प्रयास किये हैं।

दिनांक 31.03.2022 को एनपीए की स्थिति निम्नानुसार है :

(राशि करोड़ में)

विवरण	यथा 31.03.2021 को स्थिति	यथा 31.03.2022 को स्थिति
सकल एनपीए	56535	45605
निवल एनपीए	12262	9852
सकल एनपीए (%)	13.77	9.98
निवल एनपीए (%)	3.35	2.34
प्रावधान कवरेज अनुपात (%)	86.24	87.76

किये गये प्रयासों के परिणामस्वरूप निम्नलिखित कार्यनीतियों में से कुछ के माध्यम से वसूली में सुधार आया है :

एनपीए का एबीसी विश्लेषण

- वर्ष के दौरान, जीएनपीए 379 बीपीएस (13.77% से 9.98% तक) घटा, जबकि एनएनपीए 101 बीपीएस (3.35% से 2.34%) घटा, जबकि पीसीआर 86.24% से 87.76% तक मजबूत बना रहा।
- हमने वसूली प्रक्रिया में सब स्टाफ को प्रोत्साहित करने और शामिल करने के लिए स्टार सक्षम अभियान शुरू किया था। हमने योजना के अंतर्गत लिपिकीय कर्मचारियों को शामिल करते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए स्टार सक्षम 3.0 लॉन्च किया है।
- साप्ताहिक वसूली कैंप एनबीजी/अंचल स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं तथा "स्टार इंटेंसिव रिकवरी कैंपेन" मासिक आधार पर आयोजित किए जा रहे हैं। हमने "शाखा अदालत अभियान" का विस्तार किया है, जिसमें छोटे आकार के एनपीए खातों में अधिक से अधिक वसूली के लिए रु. 5.00 करोड़ तक की राशि को शामिल किया है।
- हमने एकबारगी निपटान (ओटीएस) के लिए अपनी अनुकूलित योजना को संशोधित किया है जो गैर-विवेकाधीन और गैर-भेदभावपूर्ण थी।
- प्रत्येक स्तर पर ओटीस प्रस्तावों के जेनरेशन पर जोर देना। रु.5 करोड़ तथा उससे अधिक का प्रधान कार्यालय द्वारा संचालन। ओटीएस प्रस्तावों की ऑनलाइन निगरानी।
- वाद दाखिल/डिक्री खातों के लिए निर्णायक सरफेसी/ विधिक कार्रवाई तथा लीगल मेन्यू।
- अस्थायी नकदी प्रवाह असंगति से उपजे एनपीए खातों को कम समयावधि के भीतर अपग्रेड किए जाने हेतु होल्डिंग-ऑन परिचालन ।
- कुल अतिदेय की वसूली के पश्चात पूरे खाते का अपग्रेडेशन करना।
- उस खाते की पुर्नरचना करना जिसे दीर्घावधि सहयोग की आवश्यकता हो।
- एन.सी.एल.टी. में आवेदन करना तथा जहाँ हम लीडर नहीं हैं वहाँ कन्सोर्टियम के अन्य बैंकों को इसके लिए प्रेरित करना।
- मुकदमा दायर करना और डीआरटी के जरिए शीघ्र निपटान के लिए रोक की समाप्ति पर अनुवर्ती कार्रवाई करना ।
- ट्रैकिंग विकल्प के साथ, एनपीए उधारकर्ताओं द्वारा, ओटीएस आवेदन को ऑनलाइन प्रस्तुत करने की सुविधा
- जिन खातों का बैंक के लाभ व हानि खाते में सकारात्मक प्रभाव है, उनके संबंध में ओटीएस हेतु पूर्ण प्रयास करना;
- सरफेसी अधिनियम के प्रावधान तुरन्त लागू करना।
- ओटीएस अनुमोदित खातों में वसूली की ट्रैकिंग को सुनिश्चित करना ताकि वे असफल न हों।
- सभी पात्र मामलों में उधारकर्ताओं को इरादतन चूककर्ता घोषित करने की प्रक्रिया आरंभ करना ।
- अखिल भारतीय स्तर पर मेगा ई-नीलामी आयोजित करके प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारे द्वारा ₹10 लाख तक के खातों में वसूली के लिए कॉल सेंटर की सेवाओं का उपयोग किया जा रहा हैं तथा ₹100.00 लाख तक के खातों को कवर करने पर भी विचार किया जा रहा है।
- विभिन्न स्तरों पर राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेना ।
- जिन मामलों में मुकदमा/डिक्री फाइल किया गया है, उनकी अब ऑनलाइन निगरानी की जाती है।
- बैंक जहाँ अग्रणी बैंक है या सहायता संघ (कन्सोर्टियम) का सदस्य है, वहाँ बैंक स्तर पर आयोजित की गई जेएलएफ़ बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया जाता है ।

10. कोषागार:

फॉरेक्स कारोबार : ट्रेजरी, बैंक का विदेशी विनिमय कारोबार संभालता है तथा फॉरवर्ड, ऑप्शन तथा स्वैप के माध्यम से ग्राहकों को हेजिंग सुविधा उपलब्ध करता है। मुंबई में केंद्रीकृत ट्रेजरी के अतिरिक्त, बैंक के नई दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई तथा कोलकाता में 4 सैटेलाइट डीलिंग रूम हैं ताकि ग्राहकों को बेहतर ग्राहक सेवाएं उपलब्ध कराया जा सकें। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, मर्चेंट तथा इंटरबैंक टर्नओवर क्रमश: रु. 1.77 लाख करोड़ तथा रु. 35.55 लाख करोड़ रहे। इस वित्त वर्ष के दौरान बैंक का फॉरेक्स कारोबार टर्नओवर रु. 37.32 लाख करोड़ रहा। मुद्रा फ्यूचर की ट्रेडिंग में ट्रेजरी सक्रियतापूर्वक सहभागिता करता है तथा यह सभी एक्सचेजों में एक अग्रणी बैंक है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान करेंसी फ्यूचर में बैंक का टर्नओवर यूएसडी 88.664 बिलियन है। बैंक को करेंसी फ्यूचर व्यवसाय के

लिए विभिन्न पुरस्कार दिये गए हैं। बैंक को सभी बैंको में करेंसी फ्यूचर में सर्वोत्तम कार्यनिष्पादन सदस्य और करेंसी डेरीवेटिव सेगमेंट में एमसीएक्स में सर्वोत्तम कार्यनिष्पादन हेतु एनएसई और बीएसई द्वारा प्रशंसा प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था।

ट्रेज़री परिचालन व निवेश : बैंक ने 2021-22 के दौरान के सभी क्षेत्रों में अर्थात-मुद्रा बाजार,फॉरेक्स, बॉण्ड तथा डेरीवेटिव में सक्रिय भूमिका अदा करना जारी रखा। विनियामकीय आवश्यकताओं के अनुरूप निवेश को बनाए रखते हुए हमने प्रतिदिन आधार पर अपनी चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और अधिक बढ़कर निवेश किया है। यथा दिनांक 31.03.2022 को सकल एसएलआर निवेश रु.128,162.91 करोड़ (कुल निवेश का 74.77%) था और गैर-एसएलआर निवेश रु.44,150.56 करोड़ (कुल निवेश का 25.62%) रहा। गैर एसएलआर निवेश में रु. 24,699 करोड़ के 'पुन:-पूंजीकरण' के बॉण्ड भी शामिल हैं। ट्रेजरी ने सक्रियतापूर्वक अपने निवेशों पोर्ट फोलियो को प्रबंधित किया है तथा एस.एल.आर ए.एफ़.एस पोर्टफोलियो के एम-ड्यूरेशन को, 31.03.2021 को 1.22 से 31.03.2022 को 0.47 तक कम किया है। यथा 31.03.2022 तक एएफएस पोर्टफोलियो के तहत एसएलआर का एम-ड्यूरेशन और गैर एसएलआर निवेश 1.17% है। ये निवेश,बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक नीति के अनुसार किये जाते हैं और बा. जार में होने वाले बदलावों/विनियामक आवश्यकताओं से तालमेल बनाए रखने हेतु समय-समय पर इनकी समीक्षा की जाती है।

11. सूचना प्रौद्यागिकी:

दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली :

- दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली ने विभिन्न विभागों को कोविड-19 महामारी के दौरान बिना किसी बाधा के प्रभावी तरीके से अपना काम जारी रखने में मदद की है। प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभाग, शाखाएं और अंचल लाइव वातावरण में डीएमएस को एक्सेस कर रहे हैं।
- सांविधिक शाखा लेखा परीक्षा (एसबीए) और सांविधिक नियंत्रण लेखा परीक्षा (एससीए) डीएमएस की सहायता से प्रभावी ढंग से आयोजित की गई है। सभी दस्तावेज़ रियल टाइम आधार पर लेखा परीक्षकों को उपलब्ध कराए गए हैं।
- दिनांक 01.04.2021 से केंद्रीकृत बैक ऑफिस विभाग से प्राप्त अनुरोध के आधार पर 59 जेडसीओडी (आंचलिक केंद्रीकृत परिचालन विभाग) से संबद्ध सभी शाखाओं में डीएमएस के माध्यम से एसबी खाता खोलने की प्रक्रिया को लाइव किया गया है।
- विभिन्न विभागों (अंतर्राष्ट्रीय, एचआरएमएस, एलएंडडी, डीबीडी आदि) से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर आवश्यक दस्तावेजों के भंडारण और पुनर्प्राप्ति के लिए टेम्पलेट तैयार किए गए हैं।

वेबसाइट

हमारी कार्पोरेट वेबसाइट ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए दबावग्रस्त उधारकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान करके ग्राहकों को कोविड महामारी में राहत प्रदान करने के लिए कई प्रारूप/आवेदन उपलब्ध कराए हैं। विदेशी केंद्रों की वैश्विक वेबसाइट संबंधित ग्राहकों को केंद्र संबंधी विशिष्ट जानकारी प्रदान करती है।

चेक जमा कियोस्क

- समाशोधन प्रक्रिया को स्वचालिक करने की दृष्टि से 17 मई, 2021 को बैंक ऑफ इंडिया में चेक जमा कियोस्क लागू किया गया है।
- ग्राहक न्यूनतम आवश्यक जानकारी के साथ कियोस्क में चेक जमा करते हैं और सफलतापूर्वक जमा करने पर ग्राहक को पावती पर्ची उपलब्ध करायी जाती है।
- पदनामित शाखा अधिकारियों द्वारा सीडीके का दिन का अंत (ईओडी) किया जाता है। ईओडी के बाद, कियोस्क में जमा किए गए चेक को सीटीएस आवेदन के माध्यम से संसाधित किया जाता है और एनपीसीआई को जमा किया जाता है।
- इस प्रक्रिया से कर्मचारियों पर कार्य का बोझ कम होता है और ग्राहक किसी भी ई-गैलरी/शाखा लॉबी में चेक जमा कर सकते हैं।

राष्ट्रीय पोर्टल

- जनसमर्थ, सरकार द्वारा प्रायोजित क्रेडिट योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) की एक पहल है जो वन स्टॉप एकीकृत सरकारी पोर्टल स्थापित करने के लिए है। पोर्टल आवेदकों को 14 योजनाओं के तहत ऋण आवेदन करने के लिए पोर्टल पर जाने की सुविधा प्रदान करता है।
- हमारे बैंक ने पोर्टल के साथ सफलतापूर्वक एकीकरण किया है, जिसमें बैंक के मूल्यांकन मानकों के अनुसार पात्र लीड आगे की प्रक्रिया और मंजूरी के लिए पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेजों और आवेदक के पूर्व विवरण के साथ सीधे बैंक के एलओएस में पहुँच जाएंगे।
- संपूर्ण एकीकरण एंड-टू-एंड है, यानी बैंक के एलओएस की स्थिति, स्वीकृति से, अस्वीकृति से लेकर संवितरण तक, ऋण आवेदनों के लिए संवितरण विवरण के साथ, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सीधे पोर्टल पर अपडेट किया जाता है। इसके साथ, उन आवेदकों के लिए क्रेडिट प्रक्रिया को काफी सुविधाजनक बना दिया गया है जो विभिन्न सरकारी प्रायोजित योजनाओं के तहत ऋण लेना चाहते हैं और बैंक के लिए क्रेडिट आवेदन प्रसंस्करण के लिए टीएटी को काफी कम कर दिया है।

मिसकॉलपे

- मिसकॉलपे डिजिटल भुगतान आफ़लाइन समाधान है जो मिस्ड कॉल का उपयोग करके फीचर फोन पर यूपीआई आधारित मोबाई भुगतान की सभी सेवाएं प्रदान करता है। इसकी इंटरनेट कनेक्शन पर कोई निर्भरता नहीं है, इसलिए यह भारत की ग्रामीण और शहरी आबादी के लिए उपयुक्त है।

- उपयोगकर्ता अपनी स्थानीय भाषा में भी लेनदेन कर सकते हैं। वर्तमान में 12 स्थानीय भाषाएं उपलब्ध हैं।
- मिसकॉलपे पी2पी समाधान (यूपीआई 123 पे) 08.03.2022 को सीयूजी के लिए आरबीआई गवर्नर आदरणीय श्री शक्तिकांत दास द्वारा लाइव किया गया है।
- उपयोगकर्ता मिसकॉलपे का उपयोग करके पैसे भेज सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं, यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं।

डिजिटल लॉकर

- डिजिलॉकर भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा डिजिटल इंडिया पहल के तहत प्रदान की जाने वाली एक ऑनलाइन सेवा है।
- वर्तमान में, इन प्रमाणपत्रों के मूल जारीकर्ताओं से डिजिटल प्रारूप में ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और अकादमिक मार्कशीट जैसे प्रामाणिक दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों तक पहुंचने के लिए उपयोग किया जाता है।
- बैंक की मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के साथ एकीकृत टीडीएस प्रमाणपत्र डाउनलोड करने की सुविधा (कस्टआईडी/सीआईएफ़ के आधार पर) (फिनेकल में उसी मोबाइल के साथ) 07.03.2022 को लाइव किया गया है। भारत सरकार के डिजिलॉकर एप्लिकेशन पर भी यह सुविधा उपलब्ध है।
- बैंक वित्त वर्ष 2022-23 में 2 नए मॉड्यूल (रिक्वेस्टर और सेव टू लाकर) लागू करने की प्रक्रिया में है।

12. प्रबंधन सूचना प्रणाली:

ई-प्लेटफ़ॉर्म परियोजना:

थर्ड पार्टी उत्पादों सहित सभी बैंकिंग उत्पादों (आस्ति एवं देयता उत्पादों) के स्ट्रेट थ्रू ऑरिजिनेशन एंड प्रोसेसिंग हेतु एकीकृत ई-प्लेटफॉर्म सोल्युशंस के कार्यान्वित और प्रबंधित करने हेतु आरएफपी प्रक्रिया के माध्यम से ईआईटी सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का चयन किया गया। उत्पाद कार्यान्वित करने की फेज वार स्थिति निम्नलिखित है -

- ई-प्लेटफॉर्म फेज 1 की क्रियान्विति में 20 उत्पाद शामिल है। इनमें से शिशु प्रोडक्ट ब्रांच जर्नी और एग्री गोल्ड लोन ब्रांच जर्नी नजदीकी प्रयोगकर्ता समूह को रिलीज किए गए हैं। बचत खाता खोलने, वीडियो केवाईसी, व्यक्तिगत ऋण, किशोर, तरुण, केसीसी-फसल ऋण, केसीसी-पशुपालन और केसीसी-भूमिहीन किसान यूएटी के अंतर्गत है।
- गैर-डिजिटल शिकायत मोड्युल यूएटी के अंतर्गत है और डिजिटल शिकायत मोड्युल विकास की प्रक्रिया में है।
- लीड मैनेजमेंट मॉड्यूल यूएटी के अंतर्गत है।
- वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय पोर्टल को ई-प्लेटफॉर्म सीआरएम लीड मैनेजमेंट के साथ एकीकृत किया गया है और बाद में, सीआरएम लीड मैनेजमेंट के लोन प्रोसेसिंग सिस्टम में एकीकरण को कार्यान्वित किया गया है। इस प्रकार राष्ट्रीय पोर्टल से लीड्स, सीआरएम लीड मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से डाटा फील्ड्स के साथ सीधे लोन प्रोसेसिंग सिस्टम में आती रहेंगी।
- इस समय सात उत्पाद यथा एसीएबीसी, एआईएफ, एएमआई, पीएमएमवाई, स्टैंड अप इंडिया, वेवर्स मुद्रा और एसआरएमएस राष्ट्रीय पोर्टल में कवर किए गए हैं।
- प्रधान कार्यालय प्रबंधन सूचना प्रणाली विभाग ने सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन लेने के पश्चात् डिजिटल उधार नीति के निर्माण के लिए क्रॉस फंक्शनल टीम का गठन किया है। डिजिटल उधार ऋण नीति एवं डिजिटल उधार परिचालन नीति के निर्माण के लिए मेसर्स केपीएमजी का चयन किया गया था।

नेक्स्ट जनरेशन एंटरप्राइज रिपोर्टिंग और एनालिटिकल सोल्यूशन (डाटा लेक) परियोजना :

बैंक ने उपयुक्त एवं किफायती नेक्स्ट जनरेशन डाटा लेक सोल्यूशन को कार्यान्वित करने के लिए एसआई के चयन के लिए आरएफपी प्रक्रिया शुरू की है।

इन्हेंस्ड एक्सेस एंड सर्विसेज एक्सीलेंस (ईएएसई) :

एमआईएस विभाग ने ईज 3.0 व 4.0 की निम्नांकित अपेक्षाओं को कार्यान्वित किया है -

- वैकल्पिक सुपुर्दगी चैनल यथा एसएमएस, मिस्ड कॉल, कॉल सेंटर, वेबसाइट, और बीओआई मोबाइल बैंकिंग से डिजिटल लीड पहल के चैनलों को सक्रिय करना।
- विश्लेषण आधारित लीड जनरेशन को कार्यान्वित किया गया जिसमें कारोबार विभागों द्वारा प्रदत्त यूएटी साइनऑफ के अनुसार निम्नांकित मॉडल्स प्रोडक्शन में आए हैं:

  अ) एमएसएमई - ऋण नकदी ओवरड्राफ्ट (सीसीओडी) नवीकरण

  आ) एमएसएमई - मीयादी ऋण नवीकरण

  इ) एमएसएमई - पूर्व अनुमोदन पत्र

  ई) ऋण जोखिम निगरानी - ऋण जोखिम ग्रेडेशन

  उ) रिटेल - समय पूर्व बंद की गयी मीयादी जमा

  ऊ) रिटेल - व्यक्तिगत ऋण

  ऋ) रिटेल - आवास ऋण - टॉप-अप ऋण

  ङ) रिटेल - अधिग्रहण किए गए आवास ऋण
- रिटेल और सरकारी कारोबार उत्पादों के निम्नांकित विश्लेषणात्मक मॉडल्स यूएटी के अंतर्गत हैं -

अ) रिटेल - म्युच्युअल फंड ऑफरिंग मॉडल

आ) रिटेल - बीमा ऑफरिंग मॉडल

इ) रिटेल - वाहन बीमा ऑफरिंग मॉडल

ई) पीपीएफ

उ) सॉवरेन गोल्ड बांड

स्टार संकलन - श्रृंखला डाटा के लिए नया डाटा केप्चरिंग टूल

विभिन्न कार्यात्मक विभागों और विदेशी केन्द्रों से श्रृंखला डाटा को केप्चर करने के लिए एमआईएस विभाग की आतंरिक बैंक टीम द्वारा नया डाटा केप्चरिंग टूल विकसित किया है ताकि आरबीई को प्रस्तुत करने के लिए उक्त डाटा का मिलान किया जा सके। एप्लीकेशन में चार आँख (मेकर एवं चेकर) सिद्धांत, इंट्रा-नेट में एडी आधारित लॉग-इन और कार्यात्मक विभागों द्वारा साझा किए गए लॉजिक पर आधारित ईडीडब्ल्यू डाटाबेस से सीधे डाटा निकालने का फीचर रखा गया है।

उच्च प्रबंधन के लिए कार्यकारी डैशबोर्ड :

एमआईएस विभाग की आतंरिक बैंक टीम ने उच्च प्रबंधन के लिए नया डैशबोर्ड विकसित किया है जिसमें जीयूआई आधारित इंटरएक्टिव डैशबोर्ड, प्रयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस, ड्रिल डाउन सुविधा, पोर्टेबल डिवाइस (आईपैड) के लिए ऑप्टीमाइज्ड लेआउट आदि के फीचर रखे गए हैं।

आंतरिक टीम द्वारा विकसित अन्य एप्लीकेशन

एमआईएस विभाग की आतंरिक बैंक टीम ने एमएसएमई विभाग के लिए निम्नांकित एप्लीकेशन विकसित किए हैं -

- एमएसएमई समीक्षा प्रस्ताव
- एमएसएमई लीड मैनेजमेंट

आईडीईए डाटा विश्लेषण सॉफ्टवेयर की खरीद

मेसर्स समा ऑडिट सिस्टम्स से आईडीईए डाटा विश्लेषण सॉफ्टवेयर की खरीद की गयी है जिसका प्रयोग प्रधान कार्यालय के विभागों द्वारा डाटा के वैधीकरण, विश्लेषण और समाधान के लिए किया जाता है। इस समय प्रधान कार्यालय के 10 विभाग इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल डाटा के वैधीकरण एवं विश्लेषण के साथ साथ डाटा/डाटा डंप, जिसमें अत्यधिक मात्र में डाटा रहते हैं, के लिए किया जाता है।

13. डिजिटल बैंकिंग :

वित्तीय वर्ष 2022 हेतु विभिन्न डिजिटल उत्पादों के लिए लक्ष्य निम्नलिखित है:-

उत्पाद	31.03.2022
क्रेडिट कार्ड के सक्रिय उपयोगकर्ता (लाख में)	1.66
पीओएस (संख्या में)	48,615
यूपीआई आधारित मर्चेंट(लाख में)	3.53
इंटरनेट बैंकिंग (लाख में)	80.83
मोबाइल बैंकिंग (लाख में)	61.07

वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्पाद आरम्भ करने की योजना

- मोबाइल बैंकिंग में लॉयल्टी पुरस्कार कार्यक्रम जोड़ना
- यूनिवर्सल एप्लीकेशन - एक एप्लीकेशन के अंतर्गत बैंक के विभिन्न उत्पादों को एकीकृत करना
- एटीएम स्क्रीन पर क्षेत्रीय भाषा का चयन करने का विकल्प शुरु करना।
- फिनेकल के माध्यम से क्रेडिट कार्ड सेवाएं प्रदान करना।
- डेबिट कार्ड प्रबंधन प्रणाली का माइग्रेशन
- माइक्रो एटीएम इंस्टॉल करना
- बल्क यूपीआई भुगतान एवं अधिदेश - कॉरपोरेट एवं सरकारी संस्थाओं को बल्क यूपीआई भुगतान सुविधा की शुरुआत
- बीओआई पीओएस - डायनैमिक क्यूआर कोड का आरम्भ - बीओआई पीओएस के माध्यम से भुगतान का एक नया तरीका है जहां ग्राहक एक डायनैमिक रूप से जनरेट किए गए क्यूआर को स्कैन कर यूपीआई के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं।
- ई-रुपी - यह इलैक्ट्रॉनिक प्रीपेड वाऊचर्स हैं जहाँ वाऊचर कोड एसएमएस द्वारा शेयर किए जाएंगे।

इंटरनेट बैंकिंग (आईबी)

- हमने अपने इंटरनेट बैंकिंग समाधान में निम्नलिखित सुविधाओं को सक्षम किया है ताकि ग्राहकों को आसानी हो: -
- आईबी सिस्टम से एसएमएस गेटवे तक ओटीपी एसएमएस के प्रसारण से पहले एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन लागू किया गया है।
- सुकन्या समृद्धि खातों के लिए विवरण देखने और खाता विवरण तैयार करने के लिए एकीकृत सुविधा।
- पीपीएफ खाते में फीड की गई ग्राहक आईडी के आधार पर इंटरनेट बैंकिंग में पीपीएफ खाते की ऑटो-फ़ेचिंग विकसित की गई है
- अलर्ट प्रदान करने के लिए इंटरनेट बैंकिंग (कॉर्पोरेट) को बैंक की ई-एफआरएम प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है।
- आईबी के साथ डिजिलॉकर एकीकरण जिसमें बैंक के मौजूदा ग्राहक टीडीएस प्रमाणपत्र देख/डाउनलोड कर सकते हैं। ग्राहक भविष्य के उद्देश्य के लिए उनके पास उपलब्ध दस्तावेज भी अपलोड करेंगे।
- ऑनलाइन एनपीएस खाता खोलने की सुविधा के लिए केफिनटेक और एनएसडीएल के साथ एकीकरण प्रक्रियाधीन है।

मोबाइल बैंकिंग (एमबी)

- हमने अपने एमबी समाधान में निम्नलिखित मॉड्यूल सक्षम किए हैं ताकि ग्राहकों को आसानी हो:
- मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजी लॉकर तक पहुंचने की सुविधा सक्षम
- यूपीआई सुविधा एकीकृत
- ग्राहक के उपयोग में आसानी के लिए डेमो वीडियो जोड़े गए
- खोज मेनू सहित अनुकूलित डैशबोर्ड
- प्रतिक्रिया मॉड्यूल
- अन्य बीओआई ऐप्स तक आसान पहुंच की सुविधा के लिए लिंक जोड़ा गया।

14. जोखिम प्रबंधन:

जोखिम तथा नियंत्रण :

बैंक ने जोखिमों तथा प्रतिफलों के बीच ट्रेड-ऑफ को बनाये रखने के लिए, एकल बकेट और पोर्टफोलियो आधार पर, प्रासंगिक जोखिमों का अनवरत मूल्यांकन सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त व्यवस्थाएं स्थापित की हैं। हमारे बैंक में जोखिम प्रबंधन बोर्ड द्वारा संचालित कार्य है, जिसमें शीर्ष स्तर पर बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति(आर. कॉम.) होती है जिसको, विभिन्न जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए उच्च कार्यपालकों की परिचालनात्मक स्तर की समितियों जैसे आस्ति देयता प्रबंध समिति (एएलसीओ), सीआरएमसी (ऋण जोखिम प्रबंधन समिति), एमआरएमसी (बाज़ार जोखिम प्रबंधन समिति) और सोओआरएम (परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन के लिए समिति) से सहयोग प्राप्त होता है।

जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया में जोखिम के उन सभी स्रोतों की पहचान, माप, निगरानी और नियंत्रण शामिल है जिनसे बैंक प्रभावित होता है। इन प्रक्रियाओं को एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट रिस्क मैनेजमेंट, एक्सपोजर (बैंक एक्सपोजर एवं लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क), डेरिवेटिव, एएलएम, फॉरेन एक्सचेंज और डीलिंग रूम परिचालन आदि पर विभिन्न नीतियों के तहत कवर किया गया है।

जोखिम प्रबंधन में जोखिम की पहचान, माप, निगरानी और संभावित जोखिमों को कम करने की प्रक्रिया शामिल है जिसे सभी गतिविधियों और उत्पादों में विस्तृत विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है और इसकी जांच परिचालन स्तर की जोखिम समितियों और कार्य बलों द्वारा की जाती है। विवेकपूर्ण सीमाओं के लिए उपकरण और प्रणालियां, बेसल अनुपालन क्रेडिट रेटिंग मॉडल, क्रेडिट ऑडिट, संवेदनशीलता आधारित उपाय जैसे एम अवधि, पीवी01, और मूल्य-पर-जोखिम (वीएआर) सीमा, स्टॉप लॉस ट्रिगर सीमा, एनओओपी, फॉरेक्स डेलाइट सीमा की दैनिक आधार पर निगरानी की जाती है। जोखिम नियंत्रण और स्व-मूल्यांकन अभ्यास (आरसीएसए) के साथ-साथ परिचालन जोखिम के लिए प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई) की ट्रैकिंग के साथ पहचाने गए जोखिमों का आकलन/मापने की व्यवस्था है।

बैंक का जोखिम प्रबंधन ढाँचा, अपने परिचालनों और संस्कृति में, जोखिम प्रबंधन के पूर्ण एकीकरण पर केंद्रित है। एकीकृत जोखिम प्रबंधन ढ़ाचा जोखिम प्रबंधन चक्र से आरंभ होता है, जिसमें कई चरण होते हैं: जोखिम प्रवृति का निर्धारण करना, दबावग्रस्तता की जाँच, परिदृश्य का विश्लेषण, सभी खण्डों में जोखिम मूल्यांकन का संपूर्ण क्षेत्र तैयार करना और जोखिमों का आकलन एवं निगरानी करना । जोखिमों को पर्याप्त रूप से चिह्नित, विश्लेषित, रिपोर्ट और प्रबंधित किया जाता है। जोखिम प्रबंधन जोखिमों के आकलन, निगरानी और रिपोर्टिंग की कार्यवाही के लिए उत्तरदायी है। जोखिमों को बैंक स्तर पर ही सक्रिय रूप से चिह्नित और प्रबंधित किया जाता है। जोखिम प्रबंधन, बैंक के मूल केन्द्रित क्षेत्रों में से एक है। हमारा बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है कि सभी जोखिम क्षेत्रों में की जाने वाले श्रेष्ठतम वैश्विक प्रथाओं को अपनाया जाए। इस जिम्मेदारी को लोगों और प्रणालियों में निवेश करके तथा जोखिम वहन करने की संस्कृति को तैयार करके पूरा किया जा रहा है।

जोखिम प्रबंधन विभाग, बैंक की जोखिम प्रोफाइल की निगरानी और प्रबंधन के लिए, सीमाओं और नियंत्रणों के व्यापक ढाँचे का प्रयोग करता है। जोखिम प्रबंधन विभाग सुनिश्चित करता है कि जोखिम प्रबंधन को सही ढंग से कार्यान्वित किया गया है तथा यह सभी विनियामकीय दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

क्रेडिट रेटिंग की सीमाएं विशिष्ट उद्योग/क्षेत्र के प्रदर्शन पर आधारित थीं। उधारकर्ताओं की साख योग्यता का आकलन करने के लिए बैंक विभिन्न आंतरिक ऋण जोखिम मूल्यांकन मॉडल और स्कोरकार्ड का उपयोग करता है। हाल ही में बैंक ने बदलते आर्थिक परिवेश और परिवर्तित होते व्यवसाय मॉडल को ध्यान में रखते हुए, जोखिम चालकों को बेहतर ढंग से दर्ज करने और अंडरराइटिंग मानकों को और मजबूत करने के लिए रेटिंग मॉडल का पुन: कैलिब्रेशन किया है।

व्यापार के सामान्य क्रम में बैंकों को मुख्य रूप से तीन जोखिम का सामना होता है-क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम।

क्रेडिट जोखिम ऋण चुकाने या संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में उधारकर्ता की विफलता के परिणामस्वरूप होने वाली हानि की संभावना है। क्रेडिट जोखिम गणना के लिए बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण (एसए) को अपनाया है।

बाजार के कारकों में उतार-चढ़ाव के कारण, बैंक को नुकसान की संभावना बाजार जोखिम है जैसे कि ब्याज दर, विदेशी मुद्रा दर, इक्विटी मूल्य आदि। बैंक ने बाजार जोखिम गणना के लिए मानकीकृत अवधि पद्धति (एसडीएम) को अपनाया है।

परिचालन जोखिम को अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रिया, लोगों और प्रणालियों या बाहरी घटनाओं से होने वाले नुकसान के जोखिम के रूप में परिभाषित किया गया है। परिचालन जोखिम में कानूनी जोखिम शामिल है, लेकिन इसमें रणनीतिक और प्रतिष्ठा जोखिम शामिल नहीं है। बैंक बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) के माध्यम से परिचालन जोखिम भारित आस्तियों की गणना करता है। बैंक आरबीआई दिशानिर्देशों के मसौदे में उल्लिखित परिचालन जोखिम भारित परिसंपत्तियों की गणना के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाने के लिए तैयार है।

परिचालन जोखिमों से होने वाले नुकसान की संभावना और संभावित प्रभाव को कम करने के लिए बैंक प्रक्रियाओं के एक व्यापक सेट, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों और नीतियों के साथ परिचालन जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन करता है।

बैंक वार्षिक आधार पर आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) करता है जिसमें स्तंभ I जोखिम, बैंक का जोखिम मूल्यांकन और बैंकों के जोखिम प्रोफाइल के संबंध में बैंक आंतरिक पूंजी के उचित स्तर के साथ-साथ विभिन्न जोखिमों (स्तंभ II जोखिम) का मूल्यांकन/माप शामिल है। अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बैंक को संभावित प्रभाव की बेहतर समझ प्रदान करके जोखिम मूल्यांकन को बढ़ाने के लिए स्ट्रेस परीक्षण प्रक्रिया मौजूद है। आईसीएएपी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बैंक यह सुनिश्चित करता है कि वह उचित स्तर की पूंजी के साथ काम करे। इसमें एक पूर्ण उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ढांचे के रूप में माने जाने जा सकने वाले एक बड़े हिस्से को शामिल किया गया है। आईसीएएपी जोखिम और पूंजी प्रबंधन गतिविधियों को एक ऐसे रूप में एक साथ लाता है जिसका उपयोग व्यावसायिक निर्णयों का समर्थन करने के लिए किया जा सकता है।

इसके अलावा, बैंक के पास सभी भौगोलिक केंद्रों (अंचलों और राष्ट्रीय बैंकिंग समूह) में फील्ड स्तर के जोखिम प्रबंधक हैं, जो फील्ड स्तर पर भी जोखिम संस्कृति को विकसित करते हैं।

बैंक की सूचना जोखिम प्रबंधन प्रणाली का स्पष्ट उद्देश्य, बैंक को साइबर हमलों और साइबर सुरक्षा खतरों में तेजी के कारण सूचना सुरक्षा जोखिमों से बचाना है, विशेष रूप से वित्तीय संस्थानों के लिए। सूचना सुरक्षा विभाग बैंक के ब्रांड, प्रतिष्ठा और आस्ति की सुरक्षा के लिए नियंत्रण को मजबूत करता है। बैंक अपने संरक्षकों और खाताधारकों से संबंधित डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता के प्रति सतर्क है और इसे साइबर हमलों से बचाने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतता है। बैंक ने कैप्टिव सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर (एसओसी) स्थापित किया है। बैंक ने 24x7 आधार पर सूचना सुरक्षा उल्लंघन के प्रयासों/घटनाओं/स्थितियों की रीयल-टाइम निगरानी के लिए सूचना सुरक्षा उपकरण लगाए हैं ताकि समय पर इसे रोका जा सके, पता लगाया जा सके और प्रतिक्रिया दी जा सके। उन्नत सुरक्षा उपकरण जैसे एसआईईएम (सुरक्षा सूचना और घटना प्रबंधन), पीआईएम (विशेषाधिकार पहचान प्रबंधन), डीएएम (डेटाबेस गतिविधि निगरानी), डब्ल्यूएएफ (वेब एप्लिकेशन फ़ायरवाल), एनबीएडी (नेटवर्क व्यवहार विसंगति का पता लगाना), एंटी-एपीटी (एडवांस पर्सिस्टेंस थ्रेट) वेब और ईमेल चैनलों और एंटी-डीडीओएस के लिए, डेटा डीएलपी (डेटा लीकेज रोकथाम) तैनात किए गए कई सुरक्षा समाधानों में से कुछ हैं। खतरे से मुकाबला, रोकथाम, पता लगाने और प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने वाले विभिन्न नए सुरक्षा समाधान भी लागू किए गए हैं। बैंक आईएसओ 27001:2013 (आईएसएमएस) और आईएसओ 22301:2012 (बीसीएमएस) प्रमाणित है। नकली साइटों के माध्यम से बैंक के ग्राहकों को फिशिंग हमलों से बचाने के लिए प्रभावी ब्रांड सुरक्षा सेवाएँ उपलब्ध हैं। समय पर उपचारात्मक गतिविधियों के साथ सभी प्रणालियों के लिए जोखिम और भेद्यता मूल्यांकन अभ्यास नियमित रूप से किए जाते हैं। सुरक्षा जागरूकता अभियान, विशेष रूप से सोशल इंजीनियरिंग के संबंध में, पूरे बैंक में आयोजित किये जाते हैं जिसमें कर्मचारियों के साथ-साथ ग्राहकों को शामिल किया जाता है तथा सीखने और संचार के विभिन्न चैनलों का प्रयोग किया जाता है।

15. थर्ड पार्टी उत्पाद:

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण विनियम 2015 के अनुसार बैंक, जीवन बीमा, सामान्य बीमा और स्टैंडअलोन स्वास्थ बीमा श्रेणी के तहत तीन बीमा कंपनियों के लिए अलग-अलग कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में कार्य कर सकते हैं। वर्तमान में बैंक ने दो जीवन बीमा कंपनियों, तीन सामान्य बीमा कंपनियों और तीन स्टैंडअलोन स्वास्थ बीमा कंपनियों के साथ टाई-अप व्यवस्था की है।

म्युचुअल फंड के विषय पर, बैंक दो प्रकार की विधि कार्यान्वयन विधि और परामर्शी विधि अपनाकर म्युचुअल फंड उत्पाद का वितरण कर सकता है। हमारे बैंक द्वारा म्युचुअल फंड उत्पाद के वितरण के लिए कार्यान्वयन विधि अपनाई गई है।

म्युचुअल फंड कारोबार, जो कि एक खुली संरचना है, में बैंक एक से अधिक टाईअप व्यवस्था कर सकता है। हमारे बैंक ने भी म्युचुअल फंड उत्पाद वितरण के लिए कई आस्ति प्रबंधन कंपनियों के साथ टाईअप समझौता किया है।

बैंक-बीमा और म्युचुअल फंड एएमसी के उत्पाद और सेवाएं प्रस्तुत करते समय, बैंक आरबीआई/आईआरडीएआई/एएमएफआई/एसईबीआई या किसी अन्य नियामक जो उस पर बाध्यकारी है, के संगत दिशानिर्देशों का पालन करता है।

प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न बीमा कंपनियों और म्युचुअल फंड एएमसी के साथ बैंक का मौजूदा टाई अप निम्नलिखित है -

मौजूदा टाई अप :-

क्र.सं.	उत्पाद	टाई अप पार्टनर
1	जीवन बीमा	1) स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. 2) भारतीय जीवन बीमा
2	सामान्य बीमा	1) रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. 2) बजाज अलायन्स जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. 3) फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.
3	स्वास्थ्य बीमा	1) स्टार हेल्थ एंड अलायन्स इंश्योरेंस कंपनी लि. 2) केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि. 3) निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.
4	म्युचुअल फंड	एएमसी का नाम 1. बीओआई स्टार इन्वेस्टमेंट मैनजर्स प्रा. लि. (पूर्व में बीओआई एक्सा इन्वेस्टमेंट मैनजर्स प्रा. लि. 2. यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा.लि. 3. एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा.लि. 4. कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा.लि. 5. फ्रैंकलिन टेम्पलेटन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा.लि. 6. आईडीबीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा.लि. 7. डीएसपी म्युचुअल फंड(पूर्व में डीएसपी ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट मैनजर्स प्रा. लि.) 8. आदित्य बिरला सन लाइफ म्युचुअल फंड (पूर्व में बिरला सन लाइफ एसेट मैनजर्स प्रा. लि.) 9. निप्पॉन इंडिया म्युचुअल फंड(पूर्व में रिलायंस म्युचुअल फंड) 10. एसबीआई फंड मैनेजमेंट प्रा. लि.

16. विपणन एवं प्रचार-प्रसार:

बैंक ऑफ इंडिया ने, प्रचारप्रसार एवं जन संपर्क संबंधी विभिन्न कार्यनीतियां लागू की हैं, जिनसे बैंक की लक्ष्यता में सुधार होगा तथा आम जनता, ग्राहकों एवं सभी स्टेक होल्डरों में ब्रांड के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके संधारणीय ब्रांड रीकॉल के लिए इन समग्र विपणन कार्यविधियों, प्रचार एवं जनसंपर्क गतिविधियों का उद्देश्य आम जन तथा ग्राहकों पर प्रभाव डालना है ताकि उसका प्रयोग कारोबार वृद्धि में किया जा सके। बैंक ने अधिकाधिक जनसंख्या तक पहुँच बनाने के लिए सोशल मीडिया एवं डिजिटल मार्केटिंग कार्यविधियाँ अपनाई हैं। होर्डिंग, इलैक्ट्रानिक, डिजिटल, प्रिंट आदि जैसे उपलब्ध विभिन्न मीडिया के जरिये विभिन्न विज्ञापनों एवं संचार व्यवस्थाओं का प्रयोग कर समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए सभी स्थानों पर विपणन एवं जन-संपर्क को कार्यान्वित किया गया है। बैंक अपनी विपणन एवं जनसंपर्क कार्यविधियों में निरंतर कारोबार वृद्धि के लिए अपने विशिष्ट बिक्री गुण (यूएसपी) को विशिष्ट रूप से दर्शाना चाहता है। विपणन, प्रचार-प्रसार, विज्ञापन एवं जन-संपर्क जनता के बीच धारणीय ब्रांड रिकॉल में सहायक है तथा इसे ब्रांड की छवि बनाने में निवेश के तौर पर देखा जाता है।

17. कारोबार प्रक्रिया पुनर्विन्यास:

बीपीआर विभाग बैंक में मौजूदा प्रणालियों और प्रक्रियाओं के साथ-साथ चेंज मैनेजमेंट के अन्य पहलुओं जिसमें संगठनात्मक संरचना, उत्पाद एवं नीतियां शामिल हैं, को बेहतर बनाने के लिए कार्य करता है। वर्ष 2021-22 के दौरान की गई ग्राहक केंद्रित मुख्य पहलें निम्नलिखित हैं:-

वित्तीय वर्ष (2021-22) के दौरान परियोजना कार्य/पहलें :

- **दो एनबीजी और नौ नए अंचलों का गठन** : संभाव्य कारोबार अवसर प्राप्त करने, सुचारू कार्य व्यवस्था, बेहतर निगरानी और ग्राहकों तक पहुँच के लिए दो नए एनबीजी- एनबीजी चंडीगढ़ और एनबीजी-दक्षिण II (हैदराबाद) तथा नौ नए अंचल यथा गया, सिवान, गोरखपुर, हरदोई, बारासात, धार, दिल्ली-एनसीआर, बारिपदा और तिरुअनंतपुरम बनाए गए हैं।

- **क्षेत्र प्रबंधक कार्यालय (एएमओ) संरचना की समीक्षा** : अंचलों के पुनर्गठन के साथ-साथ हमने वर्तमान क्षेत्र प्रबंधक कार्यालयों (एएमओ) की संरचना की समीक्षा की है और ऐसे कार्यालयों की उपयुक्त संख्या 21 करने में समर्थ रहे हैं। वर्तमान 21 एएमओ का गठन दूरस्थ स्थानों तक पहुँच बनाने और तीव गति से निर्णय लेने हेतु संबद्ध अंचलों की सहायता करने के लिए किया गया है। इससे क्षेत्र प्रबंधक कार्यालय (एएमओ) ग्राहकों तक पहुँचने तथा कारोबार ओरिएंटेशन के नजरिए से अधिक प्रभावी हो गए हैं।

- **बैंक के उत्पाद और प्रक्रिया पुनर्विन्यास के लिए नीतिगत दस्तावेज:** हमारे बैंक में उत्पादों एवं प्रक्रिया पुनर्विन्यास के लिए नीति बनाई गयी है ताकि हमारे उत्पाद/प्रक्रियाएं अधिक ग्राहक हितैषी होने के साथ समग्र कारोबार के अनुसार सहज रूप से मजबूत वृद्धि लायक बने।

- **नए प्रभाग की स्थापना** : बेहतर ग्राहक सेवा दिए जाने, नए उत्पाद प्रस्तुत करने और बैंक के सुचारू कामकाज के लिए बैंक की मौजूदा एवं नई नीतियों की समीक्षा करने तथा उन्हें मूल्यवान बनाने के लिए नीति प्रभाग का सृजन किया गया है।

- **सेवा प्रभारों का रेशनलाइजेशन** : ग्राहकों की अनुकूलता, डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करने और उद्योग की प्रतिस्पर्धा के दौर को ध्यान में रखते हुए सेवा प्रभारों का युक्तिसंगत बनाया गया है।

- **स्टार परामर्श- परिचालन संबंधी/व्यावहारिक सुझाव फील्ड स्तर से प्राप्त करने हेतु स्टाफ परामर्श योजना:** सम्मेलन, कॉन्क्लेव एवं प्रशिक्षण केंद्रों सहित सभी फोरम पर परिचालात्मक कुशलता एवं प्रभावकारी सेवाओं के लिए स्टाफ द्वारा दिए गए सभी विचारों एवं सुझावों को शामिल करने के लिए योजना में विस्तार किया गया है। वर्ष के दौरान प्राप्त 464 सुझावों में से 18 का कार्यान्वयन के लिए चयन किया गया एवं 2 स्टाफ सदस्यों को पुरस्कृत किया गया।

18. विधि एवं सूचना का अधिकार अधिनियम

बैंक का विधि विभाग सपोर्ट विभाग के रूप में कार्य करता है तथा प्रधान कार्यालय के विभिन्न कार्यात्मक विभागों में सामने आने वाले मामलों पर सलाह, प्रलेखीकरण, मुकदमों इत्यादि के संबंध में प्लैटफार्म उपलब्ध कराता है।

विभिन्न एनबीजी/अंचलों, घरेलू शाखाओं/विदेशी शाखाओं तथा बैंक की अनुषंगियों द्वारा संदर्भित मामलों पर कार्रवाई करने के अतिरिक्त यह विभाग विभिन्न संविदाओं/सेवा स्तरीय करारों (एसएलए), सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर खरीद, विभिन्न प्रकार की टाई-अप व्यवस्था/नये उत्पाद इत्यादि के प्रलेखों की ड्राफ्टिंग/वेटिंग के द्वारा विशेषज्ञ विभागों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, अंतरराष्ट्रीय विभाग, कोषागार विभाग, डिजिटल बैंकिंग विभाग, कार्ड उत्पाद विभाग, संव्यवहार बैंकिंग विभाग इत्यादि विशेषज्ञ विभागों की आवश्यकता भी पूरी करता है।

सूचना के अधिकार ने समाज में महत्वपूर्ण स्थान अर्जित किया है तथा विभिन्न स्तरों पर बैंक के द्वारा विभिन्न आवेदन प्राप्त किये जाते हैं। बैंक ने विभिन्न अंचलों/एनबीजी में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी निर्धारित किये हैं। विधि विभाग के उप महाप्रबंधक (विधि), प्रधान कार्यालय को बैंक का सीपीआईओ नामित किया गया है तथा महाप्रबंधक, विधि विभाग को अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। आवेदन या अपील को निपटाने की प्रक्रिया यह है कि विभिन्न विभागों से वांछित जानकारी एकत्र की जाती है तथा 30 दिनों की निर्धारित अवधि के दौरान उसे आवेदकों को प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य अंचलों/एनबीजी का भी मार्गदर्शन दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त स्टाफ सदस्यों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विधि विभाग, विधियों में संशोधन तथा नये विधानों पर एनबीजी/अंचलों को परिपत्र जारी करता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त विधि विभाग निम्नलिखित से संबंधित कार्य भी करता है

- बैंक द्वारा दायर वादों के संबंध में वाद पत्र का अनुमोदन तथा वैसे वादों की निगरानी करना।

- बैंक के विरुद्ध दायर रिट, वादों, अपीलों, दावों इत्यादि पर परामर्श देना, आवेदनों/शपथ पत्रों इत्यादि, जहाँ भी लागू हों, उनकी जाँच करना।
- विभिन्न अधिनियमों पर विचाराधीन संशोधनों/नये विधानों सहित विभिन्न मामलों पर मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा आईबीए के विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देना।
- शेयर विभाग के शेयर अंतरण मामले पर राय देना।
- बैंक के विरुद्ध वाद/बैंक के विरुद्ध ऐसे दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं स्वीकार किया गया है/प्रावधान आवश्यकताएं/अंचलों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई इत्यादि।
- वाद दाखिल/डिक्री किए गए मामलों से संबंधित डाटा/सांख्यिकी एकत्रित तथा संकलित करना तथा विभिन्न प्राधिकारियों जैसे भारतीय रिज़र्व बैंक, वित्त मंत्रालय इत्यादि को प्रस्तुत करना। इसके अतिरिक्त विधि विभाग आरबीएस डाटा से संबंधित कार्रवाई भी करता है।

19. अनुपालन:

बैंक में एक स्वतंत्र अनुपालन विभाग है जिसकी अध्यक्षता मुख्य महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी द्वारा की जाती है। इन्हें नियामक उद्देश्यों के लिए मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में भी जाना जाता है। विभाग का मुख्य कार्य घरेलू और विदेशी दोनों परिचालनों के लिए सांविधिक, विनियामक और बैंक के आंतरिक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक के लिए संपर्क का एकल बिंदु है और प्रचलित एसपीएआरसी ढांचे के अनुसार आरबीएस का सुचारू संचालन सुनिश्चित करता है।

बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुपालन कार्य नीति है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किया जाता है और इसकी वार्षिक समीक्षा और इसके अद्यतन का कार्य किया जाता है। यह नीति निम्नलिखित घटकों से संबंधित है: i) प्रशासन ii) अनुपालन जोखिम मूल्यांकन iii) नीतियां, प्रक्रिया और संबंधित नियंत्रण iv) अनुपालन निगरानी और परीक्षण v) रिपोर्टिंग और संप्रेषण vi) अनुपालन में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण और उपयोग और vii) विनियामक संपर्क और समन्वय।

अनिश्चितता से निपटने और जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए, सही उपकरण के होने से, हम ज्ञात और अज्ञात के संबंध में, रणनीति को तेज कर सकते हैं, प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं, निर्णय लेने के लिए अधिक अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं, और समय के साथ, प्रभावशीलता सुनिश्चित कर सकते हैं। इसलिए, अनुपालन विभाग ने पारदर्शिता, प्रभावकारिता, निगरानी और प्रभावशीलता में सुधार के लिए अनुपालन कार्य में प्रौद्योगिकी को अपनाया है। अनुपालन विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों/अनुदेशों के अनुपालन और संधारणीय जांच के अनुरूप समय-समय पर परीक्षण का कार्य भी कर रहा है।

अनुपालन विभाग, उन विदेशी प्रतिष्ठानों के अनुपालन कार्य की भी निगरानी कर रहा है जो अपनी संबंधित क्षेत्र आधारित अनुपालन नीतियों के साथ-साथ केवाईसी-एएमएल-सीएफटी नीतियों का पालन करते हैं। प्रत्येक विदेशी केंद्र/शाखा/अनुषंगी के पास संबंधित अनुपालन कार्य की देखभाल करने के लिए एक अनुपालन अधिकारी होता है। विदेशी शाखाएं, लागू नियामक आवश्यकताओं (स्वदेश / मेजबान देश नियामक दिशानिर्देश, जो भी कठोर हो) का पालन करती हैं और पुष्टिकरण / अनुपालन निरंतरता रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं। प्रत्येक विदेशी शाखा का अनुपालन अधिकारी, त्रैमासिक, अनुपालन परीक्षण करता है और प्रधान कार्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

संव्यवहार निगरानी और केवाईसी एएमएल विभाग को बैंक में अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी)/एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) उपायों/आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (सीएफटी) दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन/निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएल अधिनियम) के उपबंधों और इसमें बाद के संशोधनों और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित केवाईसी/एएमएल/सीएफटी नीति लागू की है जिसे भारत में शाखाओं द्वारा अपनाया जाता है। विभाग नियमित आधार पर स्टाफ सदस्यों को केवाईसी/एएमएल और इसके संबंधित अनुपालन पहलुओं पर, प्रशिक्षण प्रदान करना भी सुनिश्चित करता है। संव्यवहार निगरानी अनुभाग की अध्यक्षता करने वाले महाप्रबंधक को ठधन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएल अधिनियम) की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रधान अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

20. राजभाषा:

बैंक में एक सुस्थापित राजभाषा विभाग है जो भारत सरकार की राजभाषा नीति से संबंधित प्रावधानों के कार्यान्वयन तथा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को सुनिश्चित करता है। इस हेतु भारत सरकार के वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप हमारे बैंक द्वारा वार्षिक कार्य-योजना जारी की गई। ''आजादी के अमृत महोत्सव'' को ध्यान में रखते हुए देश के स्वतंत्रता संग्राम पर एक पुस्तिका का विमोचन हमारे एमडी एवं सीईओ द्वारा 15 अगस्त 2021 को किया गया। ''ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रेमचंद की जब्तशुदा कहानियों का सारांश एवं उनका अध्ययन'' नामक पुस्तिका प्रधान कार्यालय द्वारा प्रकाशित कराई गई। अंचलों द्वारा भी मराठी, असमिया, तेलगू, तमिल, कन्नड़, ओडिया आदि क्षेत्रीय भाषाओं से संबंधित संदर्भ साहित्य तैयार किये गए। कार्यपालक निदेशक महोदय द्वारा राजभाषा पोर्टल पर क्षेत्रीय संदर्भ साहित्य खंड का उद्‌घाटन किया गया। विभिन्न बैंकिंग तथा आर्थिक विषयों पर अंचलों तथा प्रधान कार्यालय द्वारा संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। विश्व हिन्दी दिवस के अवसर पर हमारे जापान केन्द्र द्वारा टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित कार्यक्रम को सह प्रायोजित किया गया। हमारे 18 अंचलों तथा शाखाओं को नराकास से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। वर्ष के दौरान बैंक ने 190 हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया है जिसमें 5005 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है। स्टाफ सदस्यों के लिए ''राजभाषा अनुवाद'' नामक ई-लर्निंग मॉड्यूल तैयार एवं एचआरएमएस में अपलोड किया गया है। प्रधान कार्यालय के विभागों हेतु हिन्दी ई-मेल प्रतियोगिता तिमाही आधार पर पूरे वर्ष चलाई गई है। 15 अगस्त से 14 सितम्बर, 2021 तक हिन्दी माह मनाया गया। प्रधान कार्यालय के विभागों एवं अंचलों हेतु "राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता" आयोजित की गयी। प्रधान कार्यालय द्वारा प्रत्येक सप्ताह किसी सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व पर लेख, समस्त कार्यालयों/शाखाओं को राजभाषा हिन्दी में भेजे जाते हैं। बैंक, सरकार द्वारा निर्धारित 12 नराकास के संयोजन का दायित्व सफलतापूर्वक निभा रहा है।

21. मानव संसाधन, अध्ययन एवं विकास और गृहपत्रिका

मानव संसाधन:

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक ने विभिन्न वेतनमान में 1,157 सामान्य बैंकिंग और विशेषज्ञ अधिकारी तथा 1,861 लिपिक वर्ग में तैनाती की है। वित्तीय वर्ष-22 के दौरान बैंक की 887 स्टाफ अधिकारी और 2,406 लिपिक स्टाफ भर्ती करने की योजना है।

- महामारी के बाद के परिदृश्य में, नवाचार की आवश्यकता संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने की कुंजी प्रतीत होती है। कोविड के शुरु होने और बाद में, हमने अपने ग्राहकों को वित्तीय उत्पाद वितरित करने और विविध एचआर पहल के माध्यम से लगातार कारोबार निरंतरता जारी रखने के लिए आवश्यकताओं को स्वीकार करने और प्रतिक्रिया देने के हमारे प्रयासों को बनाए रखा है।

- एचआर में निर्णय लेने का उद्देश्य विफलता और पूर्वाग्रह की संभावना को कम करने के लिए अधिक डेटा संचालित करना है। बैंक का उद्देश्य निर्माण क्षमता और लगातार अध्ययन और विकास के माध्यम से निरंतरता प्राप्त करना है।

- बैंक द्वारा की गई विविध एचआर पहलों में शामिल है:

  - ➢ महत्वपूर्ण भूमिका में उत्तरवर्ती आयोजना
  - ➢ कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली
  - ➢ विकसित संवाद
  - ➢ प्रतिभा प्रबंधन
  - ➢ नेतृत्व विकास
  - ➢ कर्मचारी नियुक्ति सर्वेक्षण (स्टार अन्वेषण) और
  - ➢ वरिष्ठ कार्यपालकों के बीच 360 डिग्री फीड बैंक सर्वेक्षण

- बैंक ने पाठ्यकम सुधार फीड बैंक और इसके बाद कार्रवाई को सक्षम करने के लिए कर्मचारी कार्यनिष्पादन के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन को प्राप्त करने के लिए प्रणाली संचालित तंत्र स्थापित किया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में, हमारे बैंक में कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) कारोबार विस्तार हेतु आबंटित 70% अंक से अधिक के साथ बजट मूल्यांकन पर आधारित थी जिसमें मापने के केआरए हेतु 50% वेटेज वाले ऑटो पॉप्लैटेड एवं गैर बजट मूल्यांकन शामिल है। बचत मूल्यांकन में, लक्षित/बजट आँकडे फिनेकल से लिये जा रहे हैं और वित्तीय वर्ष 2019-20 से वास्तविक कार्य निष्पादन के विषय में बजट लक्ष्य से तुलना की जा रही है। बैंक का वर्तमान प्रयास मूल्यांकन के गैर बजट मापदण्ड को मापने की डिग्री में वृद्धि करना भी है।

- उत्तराधिकार नियोजन के क्षेत्र में हमारा प्रयास महत्वपूर्ण क्षेत्रों (कॉरपोरेट ऋण, ऋण निगरानी, वसूली कोषागार, जोखिम प्रबंधन, अंतरराष्ट्रीय प्रभाग सूचना प्रौद्योगिकी, आईटीईएस एवं एचआरडी) और साथ ही आनेवाले नए क्षेत्रों जैसे चिन्हित किए गए महत्वपूर्ण भूमिका की तुलना में पात्रता की मैपिंग माध्यम से अवसंरचना वित्तीय सहायकता और वित्तीय समावेश में कौशल कमी के अंतर को व्यवस्थित ढंग से कम करना है।

- प्रतिभा प्रबंधन क्षेत्र में, एकाग्र प्रतिभा समीक्षा एवं विकास प्रक्रिया, यह सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है कि इन भूमिकाओ में वर्तमान पदाधिकारी एवं सामर्थ्यवान कर्मचारियों को समय पर इन भूमिकाओं को ग्रहण करने के लिए उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित एवं तैयार किया जाए।

- बैंक में नई भर्तियों का अधिक एकीकरण में सक्षम बनाने के लिए हमारे पास एकीकृत ऑन बॉर्डिंग प्रक्रिया है। प्रशिक्षण प्रणाली को परिचालन उन्मुख बनाने, बैंकिंग क्षेत्र के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रतिभा पूल बनाने, योग्यता के अंतर को कम करने प्रशिक्षण प्रणाली को प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रत्येक प्रशिक्षण के लिए ऋण निर्धारित करने के संदर्भ में प्रशिक्षण को अधिक सार्थक बनाने के लिए कार्यपालकों हेतु भूमिका संबंधी प्रशिक्षण एवं फिर से तैयार किया जा रहा है।

- पेपरलेस एचआर की दिशा में और स्टाफ सदस्यों को परेशानी मुक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए, निम्नलिखित डिजिटलीकरण पहलों को लागू किया है -

  - ➢ ग्रेच्युटी नामांकन को ऑनलाइन स्वीकार करना
  - ➢ वीआरएस/त्यागपत्र पर पीएफ/ग्रेज्युटी/आईएमएएस हेतु आवेदन
  - ➢ जीवन प्रमाणपत्र के अद्यतन को सरल बनाना
  - ➢ ऑन-लाइन पेंशन आवेदन और उक्त की प्रोसेसिंग करना
  - ➢ सिस्टम/ई मेल के माध्यम से फॉर्म-16 प्रेषित करना
  - ➢ डीसीपीएस अपडेशन को सरल बनाना।
  - ➢ प्रबंधन हेतु निवेश डैशबोर्ड
  - ➢ शिकायत प्रबंधन
  - ➢ डीएमएस का कार्यान्वयन
  - ➢ कागजी प्रक्रिया को कम करना
  - ➢ कर्मचारी शिकायत (यौन उत्पीड़न अधिनियम निवारण के तहत शिकायतों सहित) सुधार प्रणाली
  - ➢ व्हिसल ब्लोअर नीति
  - ➢ एचआर लेखा परीक्षा

- जॉब फैमिली धारणा को जॉब विशिष्टीकरण बनाने और बैंकिंग परिचालन एवं क्षमता विकसित करने के विभिन्न क्षेत्रो में एक्सपोजर सरल बनाने के लिए लागू किया गया है।

- चूंकि अंतिम दो वर्ष से, जो अधिकारी इच्छुक है और विशिष्ट क्षेत्रों जैसे ऋण जोखिम प्रबंधन कोषागार इत्यादि में कार्य करने का ज्ञान है उनकी 'स्टार हंट' योजना के माध्यम से पहचान की जा रही है। स्टार

हंट के तहत, इच्छुक अधिकारी ने उपर्युक्त वर्टिक हेतु आवेदन किया है, और उनका चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार पर आधारित है। चयन के बाद, ऐसे अधिकारियों को वर्टिकल में प्रशिक्षित किया है, उनके चयन पर उन्हें पहचान किए गए क्षेत्रों में नियुक्त किया गया है।

- पहचान की गए क्षमताओं का मूल्यांकन करने के लिए वेतनमान IV, V और VI में अधिकारियों हेतु विकास केन्द्र चलाया जा रहा है। मूल्यांकन हेतु कुल लगभग 1900 अधिकारियों की पहचान की गई है और क्षमताओं का मूल्यांकन लगभग 1200 अधिकारियों हेतु पूरा कर लिया गया है। चयनित व्यक्तिगत मूल्यांकन स्तर को कर्मचारियों के व्यक्तिगत डेटा में दर्ज किया गया है, और उत्तरवर्ती आयोजना हेतु इनपुट में से एक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमताओं, विकास के मूल्यांकन पर व्यक्तिगत रूप से अधिकारियों की पहचान की गई क्षमताओं में सुधार शुरू करना होगा। नेतृत्व विकास कार्यक्रमों को एएससीआईआरई (एडमिनिस्ट्रेटिव स्टॉफ कॉलेज ऑफ इंडिया) हैदराबाद और आईएमआई (इंटरनेशनल मैनेजमेंट संस्था) नई दिल्ली में वेतनमान V और उससे अधिक के अधिकारियों हेतु शुरू किया गया।

- ऋण, विदेशी मुद्रा, जोखिम प्रबंधन, अनुपालन आदि जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकारियों के लिए, क्रिसिल, आईआईबीएफ, सीएबी आदि जैसे बाहरी प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोग से अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। महिला अधिकारियों के लिए अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। प्रतिभा का एक पूल बनाने के लिए, मणिपाल ग्लोबल एकेडमी में विदेशी मुद्रा संचालन के क्षेत्र में कुल 60 लिपिक कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

- अनुशासनात्मक कार्यवाही से गुजरने वाले या किसी भी कारण से अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाले अधिकारियों को प्रेरित करने के प्रयासों के एक भाग के रूप में, हमने सकारात्मक मनोविज्ञान चिकित्सकों के माध्यम से दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की है।

- स्व-शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहचाने गए संस्थानों के साथ-साथ एमओओसीएस के तहत कई पाठ्यक्रमों को बैंक की क्षमता निर्माण और शुल्क योजनाओं की प्रतिपूर्ति में शामिल किया गया था, जहां पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए कुछ नकद प्रोत्साहन के साथ अधिकारियों को शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

- बैंक का उद्देश्य बैंक द्वारा शुरू की गई विभिन्न मानव संसाधन पहलों का निर्बाध कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है जैसे कर्मचारी जुड़ाव सर्वेक्षण, 360 डिग्री प्रतिक्रिया, नौकरी परिवार, उत्तराधिकार योजना और प्रतिभा प्रबंधन प्रक्रिया और किसी भी अन्य सरकारी निर्देश की परिकल्पना पीएसबी सुधार एजेंडा में बढ़ी हुई पहुंच और सेवा उत्कृष्टता के लिए (ईएएसई)।

- बैंक ने नैतिकता और नैतिक मूल्यों पर आधारित संगठन और किसी भी तरह के पक्षपात/भेदभाव से मुक्त कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए “बैंक ऑफ इंडिया आचार संहिता और हितों के टकराव की नीति” लागू की है, जिसमें किसी भी तरह के यौन उत्पीड़न के लिए शून्य सहिष्णुता शामिल है।

- हमारे बैंक ने कर्मचारी जुड़ाव सर्वेक्षण और 360 डिग्री फीडबैक सर्वेक्षण पूरा कर लिया है और जल्द ही संबंधित सर्वेक्षणों में बताए गए फोकस क्षेत्रों को लागू करेगा। सभी स्तरों पर आवश्यक दक्षताओं और कौशल सेटों के साथ जनशक्ति रखने के लिए व्यापक प्रशिक्षण और विकास पहल के माध्यम से मौजूदा कौशल का आवश्यक उन्नयन जारी रहेगा।

- प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए बैंक का टैलेंट इंडक्शन मॉडल और साथ ही व्यवसाय की वृद्धि और प्रतिभा के निरंतर प्रतिस्थापन/पुन:पूर्ति के अनुरूप गुणात्मक हेड काउंट में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करना।

- ई-लर्निंग ने कोविड महामारी की स्थिति के बीच शिक्षित और अद्यतन करने में सहायता की है। इसे तदनुसार विकसित और उपयुक्त मॉड्यूल के माध्यम से अद्यतन किया जा रहा है। पहचान किए गए ई-लर्निंग मॉड्यूल के पूरा होने पर प्रदर्शन मूल्यांकन में वेटेज दिया जाता है। हमारा उद्देश्य ई-लर्निंग सिस्टम की प्रगति को बढ़ावा देना और उसकी निगरानी करना है और इसे प्रदर्शन मूल्यांकन और संवर्धन प्रक्रिया से जोड़ना है।

- निष्पादन मूल्यांकन में 100 अंकों (पूरी तरह से मापने योग्य) का बजटीय मूल्यांकन शामिल होगा, जिसमें से 80 अंक व्यावसायिक आयाम का गठन करेंगे जो ऑटो-पॉप्युलेट होगा। गैर-बजटीय, मूल्यांकन में 100% मापने योग्य होगा।

- हम सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में अपने बैंक में समान अवसर नीति के सख्त अनुपालन और कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि विकलांग व्यक्ति समानता, गरिमा प्राप्त करें और दूसरों के समान प्रदर्शन करने के लिए सशक्त और बेहतर सुसज्जित हों।

- वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर के 23 खिलाड़ियों की भर्ती की है। यह बड़े गर्व की बात है कि खिलाड़ी कर्मचारियों ने विभिन्न स्तरों पर देश के साथ-साथ बैंक का भी प्रतिनिधित्व किया है। इनमें सुश्री निखत ज़रीन, अमोज जैकब और निरंजन मुकुंदन ने देश और बैंक का नाम रौशन किया है।

एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी/भूतपूर्व-सैनिकों के प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण नीति का अनुपालन:

बैंक भारत सरकार की आरक्षण नीति का कड़ाई से पालन कर रहा है। प्रधान कार्यालय के साथ-साथ सभी आंचलिक कार्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अलग कक्ष स्थापित किया गया है जो आरक्षण नीति को लागू करने और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों से संबंधित शिकायतों

के निवारण में विशेष ध्यान रखता है।

महाप्रबंधक के रैंक में अलग-अलग कार्यकारी अधिकारियों को क्रमश: एससी/पीडब्ल्यूडी/भूतपूर्व-सैनिक, एसटी और ओबीसी के लिए मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों को आंचलिक कार्यालय में कक्ष/संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

बैंक में आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) वर्गों के लिए सीधी भर्ती में आरक्षण 01 फरवरी 2019 से लागू किया गया था।

तिमाही बैठकें

बैंक प्रधान कार्यालय में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ के प्रतिनिधियों के साथ नियमित रूप से तिमाही बैठकें आयोजित करता है। साथ ही इस तरह की बैठकें हमारे सभी आंचलिक कार्यालयों में तिमाही रूप से आयोजित की जाती हैं।

रोस्टरों

पदों के सभी समूहों अर्थात ग्रुप ए से ग्रुप डी के लिए सीधी भर्ती के माध्यम से की गई नियुक्तियों के रखरखाव के लिए पोस्ट आधारित रोस्टर रजिस्टर वार्षिक आधार पर तैयार किए जाते हैं। पदोन्नति के मामले में, स्केल- III तक अलग रोस्टर रजिस्टर बनाए जाते हैं। वित्तीय सेवा विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार रोस्टर रजिस्टर तैयार किए जाते हैं।

यथा 31.03.2022 तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व:

संवर्ग	एससी	कुल स्टाफ का %	एसटी	कुल स्टाफ का %	ओबी	कुल स्टाफ का %	ईडब्ल्यूएस	कुल स्टाफ का %	कुल
अधिकारी	4516	18.15	2198	8.83	7166	28.8	228	0.92	24880
लिपिक	3149	15.23	2470	11.95	5568	26.93	416	2.01	20678
अधीनस्थ	2119	33.81	737	11.76	1657	26.44	--	--	6267
कुल	9784	18.88	5405	10.43	14391	27.77	644	1.24	51825

अध्ययन एवं विकास:

यह एक अलग स्वतंत्र विभाग है जो क्षमता निर्माण सहित देशभर के संपूर्ण प्रशिक्षण महाविद्यालयों, एमडीआई एवं सभी संबंधित गतिविधियों का प्रभार रखता है। अध्ययन एवं विकास विभाग द्वारा आंतरिक प्रतिभा विकास एवं कक्षा के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। बैंक अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए हाइब्रिड मोड का उपयोग स्वीकार किया है। बैंक के 7 प्रशिक्षण महाविद्यालयों ने हाइब्रिड मोड का उपयोग करते हुए वित्तीय वर्ष के दौरान 30000 से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। बैंक, कर्मचारियों की क्षमताओं को बढ़ाने तथा विभिन्न खण्डों में लगातार बदलती कारोबार परिस्थितियों को पूरा करने के लिए सही कौशल एवं ज्ञान से सुसज्जित करने के लिए ई-लर्निंग मॉड्यूल का उपयोग कर रहा है। 21000 से अधिक अधिकारियों ने विभिन्न ई-लर्निंग मॉड्यूल उत्तीर्ण किए हैं। स्टाफ सदस्यों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बैंक ने प्रशिक्षण संस्थाओं जैसे मणिपाल ग्लोबल, आईएमआई नई दिल्ली, एएससीआई हैदराबाद, सीएबी पुणे इत्यादि के साथ अनेक समझौते किए हैं। बीबीबी के अनुदेशों के अनुसार, चयनित कार्यपालकों को आईआईएम में प्रशिक्षण हेतु नामित किया गया है। सीवीसी दिशा-निर्देशों के अनुसार, हाल में भर्ती हुए अधिकारियों के एक समान आरंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा नए अधिकारियों एवं मध्यम कैरियर अधिकारियों हेतु उपचारात्मक सतर्कता संबंधी कार्यक्रम भी बैंक द्वारा स्वीकार किए गए हैं।

बैंक की गृह पत्रिका 'तारांगण' :

वर्ष 1964 से हमारे बैंक की अपनी गृह पत्रिका रही है। और तब से हमारी घर पत्रिका बीओआई परिवार के लिए ज्ञान और मनोरंजन का स्रोत है। यह बीओआई के स्टाफ सदस्यों के लिए प्रतिभा-प्रदर्शन का एक माध्यम है। हमारे स्टाफ सदस्य लेखन एवं कला के क्षेत्र में अपने कौशल का प्रदर्शन करा सकते हैं। तारांगण में रोचक एवं अर्थपूर्ण लेख प्रकाशित किए जाते हैं जो पाठकों का मनोरंजन और ज्ञानवर्धन करते हैं।

तारांगण भी हमारे पाठकों को बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विषयों पर अद्यतन ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। अंचलों/शाखाओं/कार्यालयों/विदेशी केंद्रों में आयोजित विभिन्न गतिविधियों को भी तारांगण में स्थान दिया जाता है। तारांगण की डिजिटल प्रति अब स्टाफ पोर्टल, एचआरएमएस और अलम्नाई पोर्टल पर भी उपलब्ध है। अपनी लंबी एवं यादगार यात्रा के दौरान हमारी गृह पत्रिका ने अनेक पुरस्कार प्राप्त किए और बैंक का नाम रौशन किया है।

22. ग्राहक श्रेष्ठता शाखा बैंकिंग

बैंक ने बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति को अधिकारसम्पन्न बनाया है। यह शीर्ष स्तर की बोर्ड समिति है जो हमारे बैंक में ग्राहक सेवा का मूल्यांकन करने के लिए अधिकारसम्पन्न है।

ग्राहक सेवा पर बैंक की स्थायी समिति है जो बैंक के विभिन्न विभागों और बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति के मध्य ब्रिज के रूप में कार्य करती है।

बैंक ने विनियामकीय अपेक्षाओं के अनुसार एकल कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिकायत पंजीकरण के बहु-चैनलों के एकीकरण के लिए प्रभावी निगरानी और समयबद्ध समीक्षा हेतु परिचालनगत शिकायत संबंध प्रबंधन (ओसीआरएम) को अपनाया है।

विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप विविध नीतियां जैसे कि ग्राहक अधिकार नीति, ग्राहक स्वीकार्यता, ग्राहक सेवा एवं ग्राहक पृथक्करण नीति और शिकायत निवारण नीति तैयार की गई है तथा विनियामक प्राधिकरणों के निदेशों/दिशानिर्देशों के अनुसार परिवर्तन करने के लिए समय-समय पर इनकी समीक्षा की जाती है। इन सभी नीतियों को सर्वजन हेतु वेबसाइट पर भी रखा गया है। पूर्णत:/आंशिक रूप से अस्वीकृत शिकायतों की समीक्षा करने एवं निर्णय देने के लिए हमने आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार आंतरिक लोकपाल नियुक्त किया है।

बैंक के दो पूर्ण विकसित कॉल सेंटर हैं जो एरोली (मुंबई) और बेगमपेट (हैदराबाद) में स्थित हैं। ये कॉल सेन्टर हमारे ग्राहकों/गैर ग्राहकों को 24x7x365 सहायता प्रदान कर रहे हैं।

हमारा बैंक पारदर्शी तरीके से उच्च स्तरीय सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा बैंक नियमित आधार पर ग्राहक अभिमुखता कार्यक्रम चलाता है और ग्राहकों को आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए नियमित आधार पर ग्राहक बैठकों का आयोजन करता है ताकि उन्हें बैंक के द्वारा प्रस्तुत विविध बैंकिंग उत्पादों पर उचित निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सके।

23. शाखा नेटवर्क एवं विस्तार:

भौगोलिक रूप से भारत एवं विदेश में बैंक का शाखा नेटवर्क काफी विस्तृत है। 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार, बैंक की भारत में 5105 शाखाएं थी। विदेशों में बैंक की 22 शाखाएं, 4 अनुषंगियाँ, 1 संयुक्त उद्यम एवं 1 प्रतिनिधि कार्यालय हैं तथा सभी टाइम जोन एवं वैश्विक स्तर पर सभी महत्वपूर्ण वित्तीय केन्द्रों पर बैंक की उपस्थिति है। वर्ष 2021-22 के दौरान, बैंक ने 25 नई शाखाएं खोली हैं। बैंक के शाखा नेटवर्क की संरचना निम्न प्रकार है:-

वर्ग	31.03.2021		31.03.2022	
	शाखाओं की संख्या	कुल का %	शाखाओं की संख्या	कुल का %
महानगरीय	991	19.49	991	19.41
शहरी	812	15.97	815	15.97
अर्ध-शहरी	1453	28.58	1462	28.64
ग्रामीण	1828	35.96	1837	35.98
कुल घरेलु शाखाएं	5084	100	5105	100
विदेशी शाखाएं	24		22	
कुल शाखाएं	5108		5127	

24. घरेलू अनुषंगी प्रबंधन प्रभाग

बैंक की घरेलू अनुषंगी/एसोसिएट/संयुक्त वेंचर

बीओआई शेयरहोल्डिंग लिमिटेड (बीओआईएसएल)

बीओआईएसएल में बैंक का निवेश रु.6.65 करोड़ है जो कि बैंक की 100% अनुषंगी है। बीओआईएसएल राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि(एनएसडीएल) और केंद्रीय निक्षेपागार सेवा (भारत) लि. (सीडीएसएल) दोनों निक्षेपागारों हेतु निक्षेपागार सहभागी (डीपी) के रूप में कार्य करता है।

बैंक ऑफ इंडिया स्टार इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्रा.लि. (बीएसआईएम) तथा

बैंक ऑफ इंडिया स्टार ट्रस्टी सर्विसेस प्रा.लि. (बीएसटीएस) (पूर्व में बीओआई एक्सए इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्रा.लि. बीओआई एक्सए ट्रस्टी सर्विसेस प्रा.लि.)

ये अनुषंगी, सेबी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र विनियमन के तहत म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो प्रबंधन के कारोबार में हैं। बैंक ऑफ इंडिया रु.74.27 करोड़ के निवेश के साथ बीएसआईएम और बीएसटीएस में 100% शेयरधारक है।

बीओआई मर्चेंट बैंकर्स लि. (बीओआईएमबीएल)

बीओआई मर्चेंट बैंकर्स का 31.10.2014 को सामूहिक ऋण, बॉन्ड तथा डिबेंचर की व्यवस्था करने सहित मर्चेंट बैंकिंग कारोबार करने हेतु संस्थापित किया गया था। यह बैंक की रु.10 करोड़ की प्रदत्त पूंजी के साथ पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है।

एसटीसीआई फाइनांस लि.

1994 में स्थापित एसटीसीआई फाइनांस लि. जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। बैंक ऑफ इंडिया एसटीसीआई में रु.380 करोड़ की प्रदत्त पूंजी के साथ 29.96% (रु.130.10 करोड़ का निवेश) धारिता वाला सबसे बडा हितधारक है। एसटीसीआई प्राइमरी डीलर लि. (एसटीसीआईपीडी), एसटीसीआई फाइनांस लि. पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी है। एसटीसीआईपीडी ने 25 जून, 2007 से परिचालन शुरू किया तथा यह देश के अग्रणी डीलरों में से एक है।

स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. (सुड लाइफ)

अपने ग्राहकों को जीवन बीमा सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तथा दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जापान ने "स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी" का गठन किया है। कंपनी ने फरवरी, 2009 से बीमा कारोबार आरंभ किया। कंपनी में बीओआई की धारिता 28.96% (रु.75 करोड़ का निवेश) यूबीआई की धारिता 25.10% तथा दाई-इची लाइफ इन्टनैशनल होल्डिंग्स की अंतरराष्ट्रीय धारिता 45.94% है।

एएसआरईसी (इंडिया) लि.एएसआरईसी (इंडिया) लि. को जांच तथा आस्ति पुनर्गठन गतिविधियां करने के लिए यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के विनिर्दिष्ट उपक्रम द्वारा शुरू किया गया था। कंपनी की रु.98 करोड़ की इक्विटी पूंजी में बैंक की हिस्सेदारी 26.02% (रु.27.60 करोड़ का निवेश) है।

निवेश/गठबंधन:

नेशनल एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लि. (एनएआरसीएल) - आईबीए ने बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए समस्या के समाधन करने के लिए बैड बैंक स्थापित किया है। बैंक ने 9% धारिता के साथ कंपनी में रु.126.81 करोड़ का निवेश किया है।

इंडिया डेब्ट मैनेजमेंट कंपनी लि. (आईडीएमसीएल) - आईबीए ने क्षेत्रीय विशेषज्ञ और टर्न अराउंड विशेषज्ञ सहित एनएआरसीएल को डेब्ट मैनेजमेंट सर्विस प्रदान करने के लिए आईडीएमसीएल की भी स्थापना की गई है। बैंक ने 4% शेयर धारिता सहित कंपनी में रु.0.80 करोड़ का निवेश किया है।

नेशनल कोलेट्रल मैनेजमेंट सर्विसेस लि.(एनसीएमएल) को नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लि.(एनसीडीईएक्स) द्वारा प्रवर्तित है। यह प्रतिभूतियों तथा वस्तुओं के सुरक्षित प्रबंधन तथा नियंत्रण रखने के लिए संपार्श्विक प्रबंधन सेवाओं को बढावा देने तथा उपलब्ध कराने हेतु 28.09.2004 को निगमित हुआ। रु.3 करोड़ के निवेश के साथ कंपनी की इक्विटी पूंजी में बैंक की धारिता 2.34% है।

स्विफ्ट इंडिया डोमेस्टिक सर्विस प्रा. लि. एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसे स्विफ्ट और बैंक ऑफ इंडिया सहित 9 प्रमुख बैंकों द्वारा प्रोन्नत किया गया है। स्विफ्ट के पास इक्विटी की 55% धारिता है और शेष 45% धारिता 9 प्रमुख

बैंकों के पास है। कंपनी में रु. 7.72 करोड़ के निवेश के साथ बैंक ऑफ इंडिया का इक्विटी स्टेक 3.26% है।

एक्यूट रेटिंग एंड रिसर्च लि. (पहले एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ़ इंडिया लि. (एसएमईआरए) एक प्रमुख ऋण रेटिंग एजेंसी डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के सहयोग से सिडबी द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान एसएमईआरए की स्थापना की गई। कंपनी का प्रमुख उद्देश्य एक व्यापक, पारदर्शी और विश्वसनीय रेटिंग प्रदान करना है जिससे एसएमई क्षेत्र को बड़ी मात्रा में और आसानी से ऋण की उपलब्धता होगी। रु.0.28 करोड़ के निवेश के साथ की इक्विटी पूंजी में बैंक की धारिता 1.88% है।

अन्य महत्वपूर्ण निवेश:

बैंक का सिडबी (रु.45.30 करोड़), मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (रु.27.50 करोड़), एनपीसीआई (रु.10 करोड़), इन्वेंट एसेट सिक्यूरिटाजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. (रु.10 करोड़) एसबीआईडीएफएचआई (रु.5.54 करोड़), सीईआरएसएआई (रु.2.16 करोड़), एग्रीकल्चर फाइनांस कॉरपोरेशन लि.(रु.1.26 करोड़), सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन लि. (रु.1.11 करोड़), पीएसबी एलाइंस (रु.1.00 करोड़), सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेस इंडिया लि. (रु.1 करोड़), क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (रु.0.50 करोड़), यू.वी.एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कं.लि. (रु.0.15 करोड़), में भी महत्वपूर्ण निवेश है।

25. धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन

उत्तम कारपोरेट शासन, धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों को नियंत्रित करने में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में कार्य करता है। यह सच है कि धोखाधड़ी को समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन एक सक्रिय फ्रेमवर्क और दृष्टिकोण के साथ, अन्य कारोबारी जोखिमों की तरह धोखाधड़ी जोखिमों का प्रबंधन किया जा सकता है और कम किया जा सकता है।

धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन विभाग निम्न क्षेत्रों में सभी धोखाधड़ी संबंधी मामलों की देखरेख करता है:

- ➢ नियत समय के भीतर विनियामक को रिपोर्टिंग और धोखाधड़ी की निगरानी करना,
- ➢ शीर्ष प्रबंध तंत्र और बोर्ड को धोखाधड़ी रिपोर्ट करना,
- ➢ धोखाधड़ियों पर केंद्रीकृत डाटा का रखरखाव,
- ➢ की गई धोखाधड़ियों और धोखाधड़ियों के प्रयासों का विश्लेषण,
- ➢ प्रधान कार्यालय के स्टेकधारक विभागों की मदद से धोखाधड़ी मामलों के मूल कारणों का विश्लेषण और निदान तथा उपचारी उपायों का कार्यान्वयन, उत्पाद की कमियों के संबंध में जोखिम कम करना,
- ➢ परिपत्रों के जरिए धोखाधड़ी की कार्यप्रणाली की जानकारी देना,
- ➢ स्टाफ को शॉर्ट अलर्ट संदेशों टिकरों/आवधिक संदेशों एमएमएस/प्रशिक्षण वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जागरूक करना,
- ➢ प्रधान कार्यालय में कार्यबल समिति की बैठक का आयोजन करना,
- ➢ कार्ड को छोड़कर सभी वितरण चैनलों को शामिल करने वाले उद्यम व्यापक धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन समाधान (ईएफआरएम) को घरेलू शाखाओं को कवर करते हुए लागू किया गया है,
- ➢ डिजिटल बैंकिंग विभाग के साथ समन्वय में, आवश्यक डेटा प्रदान करने के लिए एलईए द्वारा प्रबंधित I4C पोर्टल पर काम करना,
- ➢ अध्ययन एवं विकास विभाग के सहयोग से धोखाधड़ी, कार्यप्रणाली, और परिचालन इकाइयों को कम करने के उपायों पर समय-समय पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना।
- ➢ एम.एच.ए के दिशा-निर्देशानुसार एल.ओ.सी जारी करना।

26. सतर्कता प्रबंधन :

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की सामान्य निगरानी में, बैंक में सतर्कता प्रशासन के लिए, सतर्कता विभाग है जिसका नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी करते हैं। घरेलू परिचालनों, विदेशी परिचालनों तथा अनुषंगियों में, बैंक के अधिकारियों के सभी सतर्कता संबंधी मामलों को सतर्कता विभाग कवर करता है।

बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा प्रायोजित तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों अर्थात विदर्भ-कोंकण ग्रामीण बैंक, आर्यावर्त बैंक तथा मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक के सतर्कता प्रशासन की देखरेख भी सतर्कता विभाग करता है।

सतर्कता विभाग, मुख्य सतर्कता अधिकारी के अंतर्गत कार्य करता है जिनकी सहायता एक उप महाप्रबंधक तथा अन्य अधिकारी करते हैं जिन्हें जांच तथा अनुशासनात्मक मामलों के क्षेत्र में अनुभव है। परिचालनात्मक सहायता के लिए, सतर्कता विभाग, प्रधान कार्यालय के सीधे नियंत्रण में 12 सतर्कता इकाईयाँ कार्य कर रहीं हैं जो सभी राष्ट्रीय बैंकिंग समूहों (एन.बी.जी.) को कवर करती हैं। ओवरसीज केन्द्रों में कार्यरत समवर्ती लेखा परीक्षक ओवरसीज शाखाओं हेतु सतर्कता अधिकारी की भूमिका निभाते है।

सतर्कता प्रशासन के सभी 3 कार्यप्रणाली जैसे निवारक, सहभागी तथा दण्डात्मक सतर्कता के मूलभूत आधार पर सतर्कता विभाग कार्य करता है तथा इसका लक्ष्य यह है कि संस्था की प्रबंधकीय दक्षता के स्तर को बढ़ाया जाय। डीएफएस, सीवीसी द्वारा जारी परिपत्रों, दिशानिर्देशों तथा अनुदेशों इत्यादि का पत्र व्यवहार कवरिं सार निवारक सतर्कता के अन्य संबंधित विषय के साथ-साथ समय समय पर फल्ड पदाधिकारियों/कार्यालयों को परिचालित किया जाता है।

27. लाभांश वितरण नीति

सेबी - सूचीकरण दायित्व और प्रकटन आवश्यकता विनियमन के खंड 43ए के अनुसार बैंक ने लाभांश वितरण नीति बनाई है और यह हमारी वेबसाइट -https://www.bankofindia.co.in/pdf/DDP.pdf पर उपलब्ध है।

28. कारोबार दायित्व रिपोर्टिंग 2021-22

सेबी - सूचीकरण दायित्व और प्रकटन आवश्यकता विनियमन के खंड 32 (2) (एफ़) के अनुसार कारोबार दायित्व रिपोर्ट हमारी वेबसाइट www.bankofindia.co.in पर उपलब्ध है।

29. बासेल III (स्तंभ 3)-प्रकटन (समेकित) मार्च 2021

बासेल पूँजी III विनियम संबंधी आरबीआई परिपत्र डीबीओडी.सं. बीपी.बीसी.1/21.06.201/2015-16 दिनांक 1 जुलाई, 2015 के अनुसार पूँजी पर्याप्तता और चलनिधि मानक संशोधनों पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों को आरबीआई परिपत्र डीबीआर.सं. बीपी.बीसी.80/21.06.201/2014-15 दिनांक 31 मार्च, 2015 के साथ पढ़ा जाए, बैंको को बासेल III फ्रेमवर्क के तहत लीवरेज अनुपात और चलनिधि कवरेज अनुपात सहित स्तंभ 3 प्रकटन को लागू करना आवश्यक हैं। ये प्रकटन बैंक की वेबसाइट के लिंक http://www.bankofindia.co.in/regDisclosureSec.aspx. पर उपलब्ध है।

30. भारतीय लेखांकन मानक (Ind-AS) के कार्यान्वयन हेतु कार्यनीति एवं उसकी प्रगति :

आरबीआई ने अपने परिपत्र डीबीआर.बीपी.सं.29/21.07.001/2018-19 दिनांक 22 मार्च, 2019 के माध्यम से अगले आदेश तक भारतीय लेखांकन मानक के कार्यान्वयन को आस्थगित कर दिया, क्योंकि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में आरबीआई ने जो विधि संबंधी संशोधन करने की अनुशंसा की है, उन पर भारत सरकार विचार कर रही है। बैंक, स्टियरिंग समिति से विचार-विमर्श करने/उनसे अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, जून-2018 से तिमाही प्रारूप भारतीय लेखांकन मानक (Ind-AS) वित्तीय विवरण (पीएफएस) प्रस्तुत करता रहा है। बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति को भारतीय लेखांकन मानक (Ind-AS) के कार्यान्वयन संबंधी संपूर्ण प्रगति रिपोर्ट के साथ पीएफएस भी प्रस्तुत किया जाता है।

आभार:

बोर्ड, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के प्रति उनके यथोचित मार्गदर्शन तथा सहायता के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। बोर्ड वित्तीय संस्थाओं एवं प्रतिनिधि बैंकों के प्रति भी उनके सहयोग एवं सहायता के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता है। बोर्ड ग्राहकों, कारोबार सहयोगियों एवं शेयरधारकों की असीमित सहायता हेतु आभार व्यक्त करता है। साथ ही बोर्ड बैंक के समग्र निष्पादन के लिए स्टाफ सदस्यों के प्रति भी उनकी समर्पित सेवाओं और सहयोग के लिए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

बोर्ड के निदेशकों हेतु एवं उनकी ओर से

ह/-

ए के दास

एमडी एवं सीईओ

स्थान : मुंबई

दिनांक : 24 मई, 2022

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1. GLOBAL SCENARIO:

The year 2021-22 started off with rebound in economic activities, supported by improvement in vaccination coverage and relaxation in Covid restrictions. However, the pace of recovery was hindered to a large extent due to resurgence of delta variant of pandemic during Q1 and Omicron variant towards December,2021. The outbreak of war between the Russia and Ukraine towards year-end also gave rise to concerns over durability of economic recovery. The year was marked by supply chain disruptions and resultant buildup of inflationary pressure across the globe. To contain inflationary pressures, Central Banks throughout the world started withdrawing accommodative stance on monetary policy along with tapering off of easy money policy pursued during the pandemic. Also, there were capital outflows from emerging markets, which led to depreciation of exchange rates in emerging markets. Nevertheless, economic recovery during the year was visible in all the countries, albeit, with varying degree. As per the estimate by the IMF, as against contraction of 3.1% during 2020, the global output grew by 6.1% during 2021.The advances economies grew by 5.2% and the emerging market and developing economies grew by 6.8%.

2. DOMESTIC ECONOMIC SCENARIO:

Domestic economy, in tandem with global trend, also witnessed rebound in commercial activities which, however, was interspersed with repeated waves of pandemic, supply chain disruptions and inflationary pressures. As per the latest estimate of the National Statistical office (NSO), the GDP grew by 8.7% during 2021-22 against contraction of 6.6% during 2020-21. With this, the GDP could spring back to the pre-covid level during the year. Agriculture segment, which was minimally affected during the pandemic grew by 3.0% against 3.3% during FY21. All other sectors, mining, manufacturing, electricity, construction and services sector including contact sensitive sectors exhibited marked turn-around during the year.

Industrial output registered a higher growth rate of 11.3% during FY22 against contraction of 8.4% during FY21. All the three subsectors viz. mining, manufacturing and electricity exhibited marked recovery, with growth rate of 12.2%, 11.7% and 7.9%, respectively. Similarly, all the subsectors as per the use-based classification showed rebound in growth. The infrastructure/construction goods and capital goods sector notched 19% and 16.7% growth rate respectively, signifying recovery in investment expenditure.

Both Retail inflation (CPI) and WPI remained at elevated level throughout 2021-22 due to various factors such as supply side bottleneck, food price inflation and higher fuel prices etc. The CPI Inflation, although moderated during the initial period of the year, witnessed significant jump, particularly during the last quarter. The headline CPI moved up from 5.52% in March,2021 to 6.95% in March, 2022. Rise in pent-up demand, increase in commodity prices across the globe, particularly, that of petroleum were major contributory factors for inflation remaining high during the year. The supply disruptions consequent upon Russia-Ukraine war further accentuated the situation towards the year-end.

The merchandise exports growth remained buoyant during FY2021-22, with monthly exports growth rising above 40% for initial six months. For the year as a whole, merchandise exports reached a record level of $419.65 bn in FY22, registering 43.81% growth. With recovery in economy, imports also grew at a faster rate than exports. During the year 2021-22, imports went up by 55.13%, reaching $611.89 bn by March,31,2022. With this, trade balance rose from (-) $102.63 bn in FY21 to (-) $192.24 bn in FY 22. However, with the rise in exports in services, the overall trade balance was restricted to (-) $87.03 bn during the year. During 2021-22, FDI Equity inflow stood at $58.77 bn, a tad lower than that during 2020-21 (i.e. $59.64 bn). For the nine months period during FY22, the current account deficit (CAD) stood at 1.2% of GDP as against surplus of 1.7% during the corresponding period of FY21.

On fiscal front, with the bouncing back of economy, revenue receipts went up by 32.71% during 2021-22 and the fiscal deficit was contained at Rs.15.86 lakh crore against Rs.18.18 lakh crore in FY21. In terms of percentage of GDP, fiscal deficit improved from 9.2% in FY21 to 6.7% in FY22.

3. BANKING AND FIANACIAL SECTOR DEVELOPMENTS:

During FY22, the banking industry witnessed a lower deposits growth but a higher advances growth. The deposits registered a growth of 8.9 % against 11.4% in FY21 and advances grew by 9.6% against 5.6% during FY21. Gradual return to normalcy of the commercial sectors helped higher credit growth during the year. Credit flow to all the sub-sectors i.e. agriculture, industrial and services sector increased by 9.9%, 7.1% and 8.9% respectively, which was much higher than that during the previous year. The financial performance of the Banks, in general, improved with rise in NII, Operating profit, Net profits and improvement in NPA ratios.

With the easy money policy pursued by the RBI, liquidity during the year remained in surplus mode. Initially, RBI helped augment liquidity through various measures such as special refinance facilities to financial institutions like NABARD, SIDBI and NHB and various other measures like term liquidity facility for COVID related healthcare sector, Special Long Term Repo Operation (SLTRO) for small finance banks, extension of on-tap TLTRO and above all G-sec acquisition programme (G-SAP). However, subsequently, with gradual normalization of liquidity situation, CRR was raised by 100 bps to its pre-pandemic level and G-SAP was discontinued. Nevertheless, surplus liquidity in the range of Rs 5-8 lakh crore persisted and RBI had to resort to VRRR auctions to absorb the liquidity.

The G-sec yield softened initially during the first half of the year on account of various liquidity enhancing measures by RBI, of course with occasional rise during June and August,2021. However, during the second half G-Sec yield hardened because of various factors such as higher crude oil prices, higher inflation level, rise in government bond yield in US. The 10 year benchmark yield rose from 6.32% as on March 31, 2021 to 6.79% as on March 31, 2022.

The Rupee- USD exchange rate exhibited two way movement during the year, mostly with depreciating bias in nominal terms, of course it showed appreciation during certain

months such as May, June, October and November. The outflow in foreign portfolio investment, appreciation of USD against all other currencies, rise in crude oil prices, monetary policy normalization and geopolitical tensions were the main causal factors affecting rupee to depreciate against USD, especially during Q4 of the year. The Rupee-USD exchange rate moved down from Rs.73.11 as on March,31, 2021 to Rs75.79 as on March 31, 2022. However, the depreciation of rupee against the USD is lower than that of the currencies of Emerging market peers. India's foreign exchange reserves improved from $576.98 at end March 2021 to $ 607.3 billion as on March 31,2022, which is equivalent to 12 months of merchandise imports in 2021-22.

During 2021-22, both the RBI as well as the Government announced a host of measures for promoting growth and alleviate stress to the sectors affected by the pandemic. RBI continued with the accommodative stance and kept the policy repo rate unchanged throughout the year. A number of liquidity enhancing measures were undertaken such as extension of TLTRO, Rs.50,000 crore liquidity support to healthcare entities, allowing special long term Repo operation for Small Finance Banks, extension of resolution mechanism for Individuals and Small Businesses. (RFCRS-2.0), on-tap liquidity window for contact intensive sectors like hotels & tourism sectors etc. On the fiscal front, a number of policy measures were announced such as Loan guarantee scheme for COVID affected sectors such as healthcare and tourism sectors, additional 1.5 lakh crore for ECLGS, credit guarantee for Micro Finance Institutions (MFIs), special lending schemes for tourist guides/ stakeholders, extension of PLI scheme. All these measures by RBI and the Government have helped alleviate distress of the vulnerable segments of the society and propped up economic recovery of various sectors. Further, in the Union Budget 2022-23, the Government has announced various growth-oriented measures such as 25% increase in capital investment, emphasis on infrastructure expenditure with 'Gati Shakti' project and inclusive growth, further extension of ECLGS till March 31,2023, which is expected to consolidate recovery process.

BUSINESS REVIEW:

1. RESOURCE MOBILISATION:

There has been an overall CASA growth of Rs 20,795 crore during the FY 2021-22 depicting a YoY growth of 9.26%. During the period, the Saving Bank deposits have shown a higher growth of Rs.19,135 crore with 9.74% growth over last year. Bank has also registered growth in current deposits with base figures increasing by Rs 1,660 crore with 5.89% growth over last year.

104391 new customer were added to the SB Diamond customer base, an increase of 3.5% YOY with a growth of Rs.3585 crore in the deposit base of SB Diamond customers. Similarly the CD diamond base has also grown by 784 crores with YoY growth of 4.00%

The CASA ratio has grown sharply to 45.02% from last year's figure of 41.27%. During the FY 2021-22, the share of retail term deposits has also shown a growth from 84 % to 89%. The bank continues to focus on retails deposits & CASA.

2. ADVANCES:

Bank's Global Gross Advances improved from Rs. 410,436 crores as on 31.03.2021 to Rs.457, 014 crores as on 31.03.2022 showing an improvement of 11.35% Y-o-Y basis. Gross Domestic Credit registered a moderate growth of 8.61% from Rs. 362361 crore as on 31.03.2021 to Rs. 393,991 crore as on 31.03.2022. Bank caters to specialized needs of Corporates/Mid Corporates through 10 Large Corporate Branches and other Large Branches headed by DGMs/AGMs.

Bank has launched special schemes under RBIs COVID 19 Regulatory Package for borrowers facing stress on account of economic fallout of the pandemic during the year.

3. RETAIL:

The Retail loan segment grew at 18.54% during FY 2021-22. The Bank kept special focus on Home Loans and vehicle loans during the year, which has yielded us a good growth. The Home loan segment during the year recorded a growth of 13.54% from Rs. 38,566 crores to Rs. 43,788 crores. The Vehicle Loan segment recorded growth of 50.27% from Rs.6,890 crores to Rs.10,353 crores during the year. Bank had reintroduced COVID-19 Personal & Pensioner Loan during the year. The Personal Loan Segment recorded a growth of 114.43% from Rs.2,557 crores to Rs.5,483 crores. Bank has tie-up arrangement with Maruti Suzuki, Tata Motors, Hyundai Motors and Mahindra & Mahindra. Bank also extends Personal Loans to employees of PSUs/PSEs/ Reputed Corporates/ Institutions under tie up arrangement with employer. Apart from Home Loans, Vehicle loans & Personal Loans, we also extend Loan against Property and Education Loans.

4. MSME (MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES):

Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) is a very important segment. Around 6.33 crore MSME units contributing nearly 30% of the GDP, 45% of the manufacturing output and nearly 49% of the exports. It generates employments for about 11.09 crore people. MSME sector is considered to be the backbone of the Indian economy that has contributed substantially in the socio economic development of the country.

Considering the importance of the MSME and to bring larger business population under its fold, Government of India has now relaxed and revised the definition of the MSMEs.

Focus on programmes, such as make in India, Skill India, Digital India, Aatma Nirbhar Bharat, Ease Reforms and One Time Restructuring have also brought major changes in MSME Credit at Bank's Level.

MSME PERFORMANCE:

Particulars	March'19	March'20	March'21	March'22	Y-O-Y Growth	
					Amt.	%
Total MSME (Inc. SIDBI)	54,595	56,092	63,425	69,462	6,037	9.52%
Core MSME (Exc. SIDBI)	53,878	55,617	62,804	68,039	5,235	8.34%

- During the financial year up to 31st March **2022, 3,49,600 New Accounts** have been added with sanctioned limit of **Rs.15,509.74 Cr**. These accounts have outstanding of **Rs. 11,438.86 Cr**.

- Total Sanctions under **MUDRA** as on 31.03.2022 was **Rs. 6,575 Cr. against budget of Rs. 6,500 Cr.**
- Total **38,801** accounts were sanctioned through **"Online PSB59 Loans"** amounting to **Rs. 3,795.54 Cr**
- **29,342** new accounts covered under CGTMSE with total guarantee amount of Rs.1,880 Cr and cumulative accounts covered under CGTMSE is **4,61,234** with total amount of **Rs. 33,234 Cr as on 31.03.2022**.
- Total NPA under MSME segment was at 22.50%.
- Total NPA under MUDRA segment was at 12.96%.

Highlights of FY 2021-22:

- **GECL Extension Scheme** launched by GOI. Against the expected business of Rs 2450.00 Cr. till March 2022, total Sanctioned Limit is Rs 2525.83 Cr with disbursement of Rs. 2353.18 Cr.
- On **TReDS** platform we have crossed outstanding business of Rs.1000.00 Cr and at the end of March'22 it was Rs. 1329.79 Cr.
- **SMECC Revamping**: The number of SMECC & UCs increased from 58 to 91 and centralized processing of all proposals of above Rs.10 Lakhs is being done smoothly.
- Achieved the regulatory target under **Micro enterprises** with total outstanding being **11.00% of ANBC** as on 31.03.2022 against target of 7.5% of ANBC.
- Appreciation Letter for Lending under **MUDRA Scheme** during the Year 2021-22 by Govt. of India.
- Bank of India has been awarded Best MSME Bank of the year for 2020-21 by SME chamber of India- in MSME segment.
- Our Bank has won three awards viz. "**Best MSME Bank-Runner Up", "Best Branding-Winner" and "Best Bank for promoting Social Schemes – Winner" in "MSME Banking Excellence Awards 2021"** conducted by Chamber of Indian MSME.
- **Dr. Ambedkar Business Excellence Award for lending to SC Entrepreneurs** awarded by IFCI Venture Capital Ltd.

5. AGRICULTURE FINANCE:

Priority Sector Advances:

The bank is serving to the priority and agriculture sectors, through its network of rural and semi-urban branches. During FY 2020-21, we have revamped Agriculture Banking Centers (ABCs) structure as Star Krishi Vikas Kendra (SKVK). Presently there are 87 SKVKs. In addition to this, 59 Agri Desks are operationalized in SME City centres. The Bank has registered an outstanding level of Rs 151600 crore (41.55 % of Average FY 21-22 ANBC) under Priority Sector Advances consisting of Agriculture Rs 66418 crore (18.00% of Average FY 21-22 ANBC). Out of which SF & MF Rs.38,927 crore (10.36 of Average FY 21-22 ANBC), SME Rs 62,398 crore out of which MSME Micro Rs. 39,637 crore (11.00% of Average FY 21-22 ANBC), Education Rs 2,181 crore, Housing Rs 20,481 crore and other priority sector advances is Rs 121 crore. The Bank has achieved the regulatory ratios under Priority sector, SF & MF, MSME Micro and credit to weaker sections of FY 2021-22.

Amt in crore

Particulars	Amt O/S		Y-O-Y Growth (Mar20/Mar21)		% of Average ANBC (FY 2021-22)	RBI Benchmark (ANBC %)
	Mar 21	Mar 22	Amount	%		
*Total Agriculture	59007	66418	7411	12.56	18.00	18.00
Small & Marginal Farmers	31992	38927	6935	21.68	10.36	9.00
Micro Enterprises	38158	39637	1479	3.88	11.00	7.50
*Priority Sector Advances	138935	151600	12665	9.12	41.55	40.00

*Total Agriculture and Priority Sector includes outstanding of RIDF & PSLC

Under Agriculture, Bank branches disbursed Rs 42703 crore, whereas under Small and Marginal Farmers total disbursement during FY 2021-22 was Rs. 26,725 crore. Bank has issued 1.86 lakhs Kisan Credit Cards during the year with credit limits of Rs 2565 crore for flexible credit utilization. The Bank also extends financial assistance under Differential Rate of Interest at concessional rate of interest of 4% to low income groups. The Bank has sanctioned 110 cases under DRI scheme during the year involving Rs 0.88 crore. Bank's credit exposure to the Minority Communities is Rs 18,829 crores as on March 22 (15.36% of Priority Sector Lending against target of 15.00%). Amount O/s as on 31.03.2022 under weaker section is Rs. 47,402 crores (13.02 % for FY 21-22). Bank's finance to Food & Agro Industries as on 31.03.2022 is Rs. 6,836 crore.

Gold Loan: Gold loans registered incremental growth of Rs. 4900 Cr (YOY growth of 44.23%) during FY2021-22 and stood at Rs. 15979 crore as on 31.03.22. Gold loans under agriculture increased by Rs. 4597 Cr (YTD growth of 50.67%) during FY2021-22 and stood at Rs. 13669 crore as on 31.03.22.

Self Help Groups (SHGs): Bank has customer base of 5.91 lakhs Self Help Groups (SHGs) as on 31.03.2022 of which 2.37 lakhs SHGs are credit linked including 1.93 lakhs women SHGs as on 31.03.2022. Bank has introduced Dual Biometric authentication for offsite transactions, financial and Data Digitalization for monitoring of SHGs.

National Rural Livelihood Mission (NRLM): It is an important poverty eradication programme for rural poor. During the year Bank has disbursed Rs 3,268 crore to 1.68 lakhs borrowers.

Star Krishi Vikas Kendra (SKVK)- Presently 87 SKVKs are functional. In addition to this, 59 Agri Desks are operationalized in SME City centres for focused & quality growth in agriculture portfolio.

Lead Bank Scheme: The Bank has Lead Bank responsibility in 51 districts spread across five states of Jharkhand (15), Maharashtra (14), Madhya Pradesh (13), Uttar Pradesh (7) and Odisha (2). The Bank is convener of the State Level

Bankers' Committee (SLBC) in the state of Jharkhand.

KCC Saturation: During year 2021-22 we have added 1.86 lakhs new KCC customer under KCC Saturation Campaign.

6. FINANCIAL INCLUSION:

Bank considers Financial Inclusion as a viable business proposition and has shifted outlook from "CSR" to "economic viability". ICT based solution to support and secure sufficiently low cost transactions required by the financial sector. Financial inclusion drive gained momentum with Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna (PMJDY) programme. Bank has provided banking services in unbanked rural areas through ICT led Business Correspondents model.

PMJDY and Social Security Schemes:

During the FY (21-22), 17.36 Lakh PMJDY account has been opened. Bank has also actively participated in Social security schemes launched by Govt of India. During the year bank has covered 45.52 Lakh account under PMSBY (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana). 23.09 Lakh account has been covered under PMJJBY (Pradhan Mantri Jivan Jyoti Bima Yojana) in this period. There are 4.65 Lakh number of APY (Atal Pension Yojana) new subscribers have been canvassed by the bank in FY 2021-22 with cumulative APY at 19.52 Lakh.

Star Hawker Atamnirbhar Loan (SHAL)

Star Hawker Atamnirbhar Loan (SHAL)-PMSVANidhi has been launched in June 2020 to provide hassle free Working Capital Demand Loan up to 10,000/- repayable in 12 EMI to Street Vendors under Tranche I. Second Tranche under PMSVANidhi for those street vendors who have repaid their 1st PMSVANidhi Loan. Under Tranche II, WCDL up to Rs 20000/- (Minimum Rs 15000/-) provides to street vendors and it is repayable in 18 months installments.

Till 31/03/2022, Bank has sanctioned 2.42 lakh cases (94.73%) and total disbursed 2.37 lakhs (90%) out of 2.56 Lakhs applications received.

Star Swarojgar Prashikshan Sansthan (RSETIs):

Bank is sponsoring 43 RSETIs in the States of Jharkhand, Odisha, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra and West Bengal. During the Financial year 2021-2022 the RSETIs have conducted 939 training programs and imparted training to 26,050 candidates ensuring settlement of 44.92% (11704) and providing credit linkage to 65.41% (7511) candidates to enable them for gainful employment. Out of 43 RSETIs Bank has 42 RSETIs rated "AA" to impart training to Rural Youth.

Financial Literacy and credit Counseling Centres (FLCC)

FLCC/FLCs are established as per Reserve Bank of India guidelines at Rural and Urban Centers at district locations where Bank is having Lead Bank responsibility. Bank's 51 FLCs are functional in all 51 Lead districts. The FLCs in addition to imparting training also undertake remedial counselling on case to case basis for the distressed borrowers, preventive counselling through media, workshops and seminars. Till 31st March 2022, total 17,39,301 needy distressed people were given counseling.

Centre For Financial Literacy (CFL): Pilot Project

In terms of communication dated December 10, 2020 from RBI, we have been advised that RBI had announced expanding the reach of CFL to every block in the Country in phased manner by March 2024. Bank has been associated as one of the sponsor bank since initial implementation of CFL Pilot Project Phase-I which now stands scaled up w.e.f. 01.12.2021. We have been entrusted responsibilities for sponsoring of 110 CFL, funded from Depositor Education and Awareness (DEA) / Financial Inclusion Fund (FIF) with some portion to be funded by sponsor bank. Accordingly, We have opened / scaled up 106 CFLs out of 110 CFLs in five States (Jharkhand, Maharashtra, Odisha, Madhya Pradesh & Uttar Pradesh) in collaboration with RBI Identified Five NGOs from 1st December, 2021. Put together, all 106 CFL have conducted 11067 camps and total 2,42,624 distressed people have been counseled.

Regional Rural Banks:

Post amalgamation, Bank had sponsored 3 RRBs, **Aryavart Bank (AB),-** in Uttar Pradesh, **Madhya Pradesh Gramin Bank (MPGB)** in Madhya Pradesh and **Vidharbha Konkan Gramin Bank (VKGB)** in Maharashtra state, covering 82 districts with a network of 2554 branches as on 31.03.2021. All these sponsored RRBs are managed by the Chairmen deputed from Bank of India and the performances are being monitored by General Manager FI & RRB (Div.) from Head Office. All three RRBs Branches and Administrative offices are on CBS platform with system generated report facility. These RRBs are enabled on RTGS, NEFT and ATM platform. All RRB have a combined business mix of Rs.89014.50 Cr as on 31.03.2022.

7. INTERNATIONAL:

The Bank has 22 Overseas Branches, 1 Representative Office at Jakarta (Indonesia), 4 Subsidiaries, 1 Associate/ Joint Venture, all spread across 16 countries of all time zones. The contribution of foreign operations in Bank's global business mix has been 12% as on 31.03.2022.

Overseas Subsidiaries and Associates:

i. PT Bank of India Indonesia Tbk

ii. Bank of India (Tanzania) Ltd

iii. Bank of India (New Zealand) Ltd

iv. Bank of India (Uganda) Ltd

v. Indo-Zambia Bank Ltd. (IZB) - Joint Venture

8. CREDIT MONITORING:

Monitoring of the credit portfolio is essential in order to maintain and improve the asset quality of the bank and minimize credit risks. The main objective of Credit Monitoring is to ensure Compliance of sanction terms and end use of funds. It has to further ensure that the credit assets remain in standard category, endeavor made for up-gradation of identified stressed accounts/watch list accounts and take corrective action to prevent slippage of the accounts from performing to non-performing. The Department has been using various tools and methods for identifying and monitoring stressed accounts with signs of weakness /potential default/delinquencies to ensure good asset quality coupled with containment of probable slippages effectively.

Tools for efficient monitoring & control process:-

Early Warning Signal:

- A fully tech based EWS solution is implemented in Bank since August 2020. EWS is fully automated solution with in built well defined work flow. Alerts are generated based on both internal (CBS and Rating Data) and External Data (MCA, CIC etc). The alerts generated helps the Bank for identifying incipient weakness and initiate proactive timely remedial measures. The solution helps the Bank in early identification of Fraud in accounts (if any). This solution also enables the branches for close monitoring of accounts.

CRILC Reporting:

- Identification of the accounts in SMA category triggers mitigating steps such as follow-up for regularization, restructuring etc. In terms of RBI's revised guidelines, stressed accounts with credit limit of Rs.5 crores and above are reported to RBI on CRILC platform on weekly basis.

System Asset Classification (SASCL):

- A predictive program in identifying the probable slippages showing overdue of more than two months period based on record of recovery as well as for accounts showing technical irregularities such as non-submission of Stock/QIS statement over three months insufficient/ no credit in CC accounts etc. This may cause downgrading of accounts if timely corrective action is not taken. These accounts are monitored specifically by various verticals for containment of downgrading of standard assets. A new SASCL format has been devised which is more user friendly and will provide more focused information to the field.

SMA Monitoring

- Apart from SASCL, Focus will shift to SMA monitoring this year. Branches will be focused on monitoring SMA 0 accounts so that the remedial actions can be taken at initial steps and the concerned account do not move further to SMA 1 or SASCL. We plan to push SMA data to branches directly instead of NBGs (present practice).

SMA Automation:

- **Bank is in the process of making an automated system for managing SMA portfolio of the Bank.** This system will cover SMA risk gradation, collection action, geo tagging, Real time SMA Analysis including Pushing of alerts which will leads to better slippage management.

Credit Process Audit

- Credit Process Audit is to ensure compliance of Pre and Post disbursement terms of sanction terms/ covenants, where in the disbursing officer, before parting with the Banks funds, has taken all necessary measures for creation/perfection of security with a view to ensure enforceability of the said securities. Now, CPA is Finacle integrated to monitor in real-time.

Stock Audit:

- We ensure timely conduct of Stock & Receivables audit in eligible accounts and take active/preventive steps wherever warranted. The stock audit is presently applicable to standard advance accounts having working capital exposure of Rs.5 crore and above. It is required to be conducted annually. Assets showing inherent signs of weakness, such as out of order position, overdue Bills under Letters of Credit, invocation of guarantees, review overdue etc., which pose a threat to the bank's asset quality, are followed up at various platforms & levels through Tele/ Video conferencing.

Daily marking of NPA:

- The Bank has migrated to daily marking of NPA w.e.f. 15.04.2021 to have more transparency in identification of NPA & for compliance of regulatory guidelines.

Monitoring of Restructured Accounts (RFCRS portfolio):

- To guard the asset quality of accounts restructured under RFCRS, a dedicated team is formed at Head office level which ensures timely reminder in form of personal calls to the borrowers. Apart from the same, SMS are being sent from HO level to all RFCRS borrowers including the DNPA borrowers.

Reminder calls from Call Centre:

- A dedicated team of 50 people employed at our call Centre is working for Monitoring of advances. They are engaged in outbound calling for SASCL & SMA borrowers.

Other monitoring tools:

- Centralized monitoring of Pre-disbursement & post disbursement covenants implemented for strengthening Compliance level.
- Bank has appointed ASMs for specialized monitoring in accounts above Rs.250 Cr for verification of transaction monitoring, Inspections etc.
- Policies are in place for Red Flagging of accounts on observance of EWS & examination of Fraud angle within a specified timeline in terms of regulatory guidelines. Prompt reporting is ensured once account is declared fraud, in RBI's CRILC platform.
- SMS are being sent to all SMA borrowers/SMA Guarantors/RFCRS DNPA borrowers/RFCRS borrowers/All CC/OD & TL borrowers for repayment intimation. In addition to this, SMS are being sent in vernacular languages as well.
- Separate list of account where review is overdue for more than a month and where stock statement is due for more than a month is being provided to branches on a monthly frequency for aversion of technical slippages

9. NPA MANAGMENT:

The Bank made sustained relentless efforts for NPA and Written Off recovery by adopting Board approved strategies with activation of Asset Recovery Branches, staff at grass root levels.

The NPA Position of as on 31.03.2022 are as under:

(Amount in Crore)

Particular	Position as on 31.03.2021	Position as on 31.03.2022
Gross NPA	56535	45605
Net NPA	12262	9852
Gross NPA (%)	13.77	9.98
Net NPA (%)	3.35	2.34
Provision Coverage Ratio (%)	86.24	87.76

The measures initiated resulted in improved recovery through some of the following strategies despite pandemic effect :

ABC analysis of NPA

- During the year, GNPA reduced by 379 bps (from 13.77% to 9.98%) whereas NNPA reduced by 101 bps (from 3.35% to 2.34%) while PCR continues to strengthen from 86.24% to 87.76%.
- We had launched Star SAKSHAM Campaign to encourage and involve sub staff in the recovery process. We have launched STAR SAKSHAM 3.0 for current FY with inclusion of clerical staff in the scheme coverage.
- Weekly Recovery Camps are being organised at NBG/Zone level whereas "STAR Intensive Recovery campaign" is organised on monthly basis. We have extended "Branch Adalat campaign" to include amount upto Rs. 5.00 crore to maximize recovery in small ticket size NPA accounts.
- We have modified tailor made scheme for One Time Settlement (OTS) which are non-discretionary & non-discriminatory.
- Thrust on generation of OTS proposals at each level. Rs. 5 Crores & above being driven by Head Office. Online monitoring of OTS proposals.
- Conclusive SARFAESI/Legal action and legal menu for suit filed/ decreed accounts
- Holding-on operations in NPA accounts arising out of temporary Cash Flow mismatch, for up-gradation within short span of time.
- Up-gradation of the entire account after recovery of the total overdue.
- Restructuring in accounts which need long term support.
- Filing application with NCLT and pursuing other Banks in the consortium where we are not leader.
- Filing of suit, follow-up for vacation of stay and for speedy resolution through the DRT.
- Facility of online submission of OTS application by NPA borrowers with tracking option.
- Driving OTS in accounts which have positive impact on Bank's profits & loss A/c;
- Invoke promptly the provisions of SARFAESI Act.
- Tracking of recovery in OTS approved accounts to ensure that they don't fail.
- Initiating the process of declaring Borrowers as Wilful Defaulters / Non-Cooperative in all eligible cases
- Conducting Mega E-auctions on Pan-India basis to fast forward the process. Bank is utilizing services of Call Centre for recovery in accounts having o/s up to ₹ 10 Lakhs and expanding it to cover the accounts having o/s up to ₹ 100.00 Lakhs
- Participation in the National Lok Adalat at various levels.
- Suit filed/decreed cases are now monitored online.
- Proactive participation in JLM meetings conducted at Bank level in all cases where Bank is Leader and also a member of consortium.

10. TREASURY:

Forex Business:

The Treasury manages the foreign exchange business of the bank, providing hedging solutions to the customers through forwards, options and swaps. Apart from having Centralized Treasury at Mumbai, the Bank has 4 satellite dealing rooms situated at New Delhi, Ahmedabad, Chennai and Kolkata. During the financial year 2021-22, Merchant and interbank turnover was Rs.1.77 lakh crore and Rs.35.55 lakh crore respectively. The aggregate turnover of Bank's forex business during the year was Rs.37.32 lakh crore. The treasury actively participates in trading in Currency Futures and is one of the leading banks in all the exchanges. During the Financial Year 2021-22, Bank's Turnover in Currency Futures was USD 88.664 Bn. Bank has been conferred various awards for Currency Futures business. The Bank was awarded Certificate of Appreciation by NSE and BSE for being among top performing member in Currency Futures and top performer in MCX in currency derivative segment amongst all banks.

Treasury Operations & Investments:

Bank continued to play an active role in all segments of the market – Money market, Forex, Bonds and Derivatives 2021-22. While maintating investment complying regulatory requirements, we also have some excess investments to meet our liquidity needs on a day to day basis. As on 31.03.2022 the gross SLR investments were Rs.128,162.91 crore (74.77% of total investments) and Non-SLR investments stood at Rs.44,150.56 crore (25.62% of total investments). The Non- SLR investments also includes Recapitalization Bonds of Rs.24,699 crore. The treasury dynamically managed its investment portfolio and brought down M-Duration of SLR AFS portfolio from 1.22 as on 31.03.2021 to 0.47 as on 31.03.2022. M-duration of SLR and Non-SLR investment under AFS portfolio as on 31.03.2022 stands at 1.17%. The investments are made in accordance with the Board approved investment policy which is reviewed periodically to respond to market developments/regulatory requirements.

11. INFORMATION TECHONOLOGY:

Document Management System:

- **Document Management System** has helped various

department to continue their work in an effective way without any hindrance during the Covid19 pandemic. Various HO departments, branches and zones are accessing DMS in Live environment.

- Statutory Branch Audit (SBA) and Statutory Control Audit (SCA) has been conducted effectively with the help of DMS. All the documents have been made available to the auditors on real-time basis.
- The SB account opening Process through DMS is made live in all the branches linked to 59 ZCODs (Zonal Centralized Operations Department), based on the request received from Centralized Back-Office Department w.e.f 01.04.2021.
- Templates have been generated for storage and retrieval of necessary documents based on the requests received from different departments (International, HRMS, L&D, DBD etc.)

Website:

Bank is Corporate Website has hosted many forms/ application for providing relief in COVID pandemic to customer by providing loans to borrowers as per the RBI guidelines from time to time, for providing financial support to the stressed borrowers in order to cope with the economic crisis. The Global Website of Foreign Centers provides Center specific information to related customers.

Cheque Deposit Kiosk

- Cheque Deposit Kiosk has been implemented in Bank on 17th May 2021 with the view to automate the cheque clearing process.
- The customers submit the cheque in the Kiosk with minimum requird information and upon successful submission acknowledgement slip is generated for the customer.
- End of Day (EOD) of the CDK is performed by the designated branch officials. After EOD, the cheques submitted in the Kiosk is processed through CTS application and submitted to NPCI.
- The process reduces the load on the employees and customer can deposit cheque at any e-gallery/Branch Lobby.

National Portal

- JanSamarth, the National portal for government sponsored credit schemes, is a Department of Financial Services (DFS) initiative to setup a one stop unified government portal. The Portal facilitate applicants to visit the portal to apply for loan under 14 schemes.
- Bank has successfully integrated with the portal wherein, the leads eligible as per bank's assessment parameters will flow directly into bank's LOS with complete details of the applicant along with the documents uploaded at the portal for further processing and sanction.
- The entire integration is end to end. I.e. status from bank's LOS, from sanction, rejection to disbursement along with the disbursement details for loan applications, are updated directly at the portal without any manual intervention. With this, the credit process has been made significantly convenient for applicants who want avail loans under various government sponsored schemes and has considerably reduced the TAT for credit application processing for the bank.

MISSCALLPAY

- **MissCallPay** is digital payment offline solution that provides all the functionality of UPI based mobile payments over a feature phone using Missed Call. It does not have any dependency on internet connection, hence it is suitable for rural and urban under-served population of India.
- Users can also transact in their local language. Currently 12 local languages are available.
- MissCallPay P2P solution (UPI123Pay) is made live by Respected RBI Governor Shri Shaktikanta Das for CUG on 08.03.2022.
- User can send money, check balance, set UPI PIN using MissCallPay

Digilocker

- DigiLocker is an online service provided by Ministry of Electronics and IT (MeitY), Government of India, under its Digital India initiative.
- Presently, used to access authentic documents/ certificates such as driving license, vehicle registration and academic Mark sheets in digital format from the original issuers of these certificates.
- Integrated with Bank's Mobile Banking and Internet Banking. Functionality of Downloading TDS certificate (based on CUSTID/ CIF) (with same mobile as in Finacle) is made live on 07.03.2022. Functionality also available on GOI Digilocker Application.
- Bank is in the process of implementing 2 new modules (Requester and Save to Locker Module) in FY 2022-23.

12. MANAGMENT INFORMATION SYSTEM:

E-Platform Project:

EIT services India Pvt. Ltd is selected through RFP process for implementation & maintenance of integrated e-PLATFORM solution for Straight through Origination and Processing of all Banking Products (Assets & Liability products) including third party products. Phase wise status of product implementation is under –

- E-platform phase 1 implementation consists of 20 products. Out of which, Shishu product branch journey & Agri Gold loan branch journey released to closed user group. SB account opening, video KYC, Personal Loan, Kishore, Tarun, KCC -Crop loan, KCC- animal husbandry and KCC- Bhumihin Kisan are under UAT.
- Non-Digital Complaint module is under UAT and Digital complaints module is under development.

- Lead Management Module is under UAT.
- National Portal launched by DFS has been integrated with e-platform CRM Lead Management and subsequently, integration between CRM lead management to loan processing system has been implemented. Hence, the leads from national portal will seamlessly flow into loan processing system with data fields through CRM Lead management system.
- At present, seven products are covered in National Portal Viz ACABC, AIF, AMI, PMMY, Stand up India, weaver's mudra and SRMS.
- HO MIS department setup a cross functional team for formulation of digital lending policy after taking approval from competent authority. M/s KPMG was selected for formulation of Digital Lending Credit Policy and Digital Lending Operational Policy.

Next Generation Enterprise Reporting and Analytical Solution (Data Lake) Project.

Bank has initiated RFP process for selection of SI to implement suitable and cost effective next generation Data Lake solution.

Enhanced Access and Services Excellence (EASE)

MIS department has implemented following requirements of EASE 3.0 & 4.0.

- Activation of digital lead initiation channels from alternate delivery channels viz. SMS, Missed Call, Call Center, Web-site, and BOI Mobile Banking.
- Analytics based lead generation implemented wherein following models are moved in to production as per UAT sign-off provided by business departments:
  a) MSME - Credit Cash Overdraft (CCOD) Renewal
  b) MSME - Term Loan Renewal
  c) MSME – Pre-Approval letter
  d) Credit Risk Monitoring - Credit Risk Gradation
  e) RETAIL - Pre-Closed TD
  f) RETAIL - Personal Loan
  g) RETAIL - HL - Top-Up Loan
  h) RETAIL - HL- Takeover
- Following Analytical Models of Retails & Government Business Products are under UAT –
  a) RETAIL – Mutual Fund Offering Model
  b) RETAIL – Insurance Offering Model
  c) RETAIL – Vehicle Insurance Offering Model
  d) PPF
  e) Sovereign Gold Bond.

Star Sankalan - New Data Capturing Tool for TRANCHE data

New Data Capturing tool is developed by in-house bank team of MIS department for capturing tranche data from various functional departments & overseas centers to collate the same for submitting to RBI. The application is having feature of Four-eye (maker & checker) principle, AD based login in intra-net and direct fetching of data from EDW database based on logic shared by functional departments.

Executive Dashboard for Top Management.

A new Dashboard for Top management is developed by in-house bank team of MIS department with features like GUI based Interactive Dashboard, User Friendly Interface, Drill Down facility, Layout optimized for Portable Device (IPAD), etc.

Other applications developed by In-house team

Following applications are developed by in-house bank team of MIS department for MSME Department.

- MSME Review Proposal
- SMECC lead Management

Procurement of IDEA Data Analysis Software

IDEA Data Analysis Software is procured from M/s Sama Audit Systems which is used for data validation, analysis and reconciliation by various HO departments. Presently, 10 HO departments are using this software for data validation and analysis, for data/data dump which contains large size of data.

13. DIGITAL BANKING:

The performance of various digital products for FY 2022 are as under:

Product	31.03.2022
Credit Card Active Users (in lakh)	1.66
POS (in nos.)	48,615
UPI based Merchants (in lakh)	3.53
Internet Banking (in lakh)	80.83
Mobile banking (in lakh)	61.07

Planned launch of products in FY 2022-23

- Integration of Loyalty Rewards Program in Mobile Banking
- Universal application – Integration of various Digital Products of Bank under one Application.
- Introduction of Option to Choose Regional Language on ATM Screen.
- Credit card services through Finacle
- Debit Card Management system migration
- Installation of Micro ATMs.
- Bulk UPI Payments & Mandates – Introduction of bulk UPI payments facility to Corporates and Government institutions
- BOI POS – Introduction of Dynamic QR Code – A new

mode of payment through BOI POS where customer can pay through UPI by scanning a dynamically generated QR.

- E-Rupee – Electronic Prepaid Vouchers where Voucher Code will be shared via SMS.

Internet Banking (IB)

- We have enabled the following features in our Internet Banking solution so as to bring ease to the customers:-
- End-to-end encryption before transmission of OTP SMS from IB system to SMS gateway has been implemented.
- Integrated facility for viewing details and generating account statement for Sukanya Samriddhi accounts.
- Auto-fetching of PPF account in Internet Banking on basis of customer ID feeded in PPF account has been developed
- Internet Banking (Corporate) has been integrated with Bank's e-FRM system to provide alerts.
- Digilocker integration with IB in which Bank's existing customers can view/download the TDS certificate. Customers will also upload documents available with them for future purpose
- Integration with Kfintech and NSDL to facilitate online NPS account opening is under process.

Mobile Banking(MB)

- We have enabled the following modules in our MB solution so as to bring ease to the customers:-
- Facility enabled to access Digi Locker through Mobile App
- UPI Facility integrated
- Demo Videos added for customer's Ease of Use
- Customized Dashboard including Search Menu
- Feedback module
- Link added to facilitate easy access to other BOI apps.

14. RISK MANAGEMENT :

Risk and Control:

Bank has appropriate mechanism in place to ensure ongoing assessment of relevant risks on an individual bucket as well as on a portfolio basis to maintain the trade-off between risks and returns. Risk Management is a Board driven function in the Bank with the Risk Management Committee of the Board (R.Com) at the apex level, supported by operational level committees of Top Executives for managing various risks, such as Asset Liability Management Committee (ALCO), CRMC (Credit Risk Management Committee), MRMC (Market Risk Management Committee) and CORM (Committee on Operational Risk Management).

The process of Risk Management consists of identification, measurement, monitoring and control of all sources of risk to which the Bank is exposed to. These processes are covered under various policies on Enterprise Wide Risk Management, Credit Risk Management, Operational Risk Management, Market Risk Management, Exposure (Bank Exposure & Large Exposure Framework), Derivatives, ALM, Foreign Exchange and Dealing Room operations etc.

Risk Management includes process of risk identification, measurement, monitoring & mitigation of potential risks, in all activities and products is done through detailed analysis and vetting of the same is done by the operational level risk committees and task forces. Tools and systems for prudential limits, Basel Compliant Credit Rating Models, Credit Audit. Sensitivity based measures such as M Duration, PV01, and Value-at-Risk (VaR) limit, Stop loss trigger limit, NOOP, Forex daylight limit are monitored on daily basis. Risk Control and Self-assessment exercise (RCSA) coupled with tracking of Key Risk Indicators (KRI) for Operational Risk are in place for assessing / measuring the identified risks.

Bank's Risk Management Framework is focused on full integration of risk management into its operations and culture. The integrated risk management framework starts with a risk management cycle, consisting of several steps: determining the risk appetite, stress testing, scenario analysis, preparing full scope risk assessment of all segments and measuring & monitoring risks. Risks are adequately identified, analyzed, reported and managed. Risk management is responsible for putting in place procedures for measuring, monitoring and reporting risks. Risks are proactively identified and managed within the Bank. Risk Management is one of the core focus areas in the Bank. The Bank is working to ensure that it adopts global best practices in all the risk areas. This commitment is being achieved by investing both in people and systems and building an enduring risk culture.

Risk Management Department ensures through an extensive framework of limits and controls to monitor and manage Bank's risk profile. The Risk Management Department ensures that risk management is implemented correctly, that it is in line with all regulatory guidelines.

Credit Rating thresholds were based on the performance of the specific industry/sector. Bank uses different internal Credit Risk Assessment Models and scorecards for assessing borrowers credit worthiness. Recently bank has done the rating model recalibration in view of the changing economic environment and evolving business models, to better capture the risk drivers and further strengthen the underwriting standards.

There are primarily three risks Banks experience in the normal course of business viz. Credit Risk, Market Risk and Operational Risk.

Credit Risk is the possibility of loss resulting from a borrower's failure to repay a loan or meet contractual obligations. Bank has adopted Standardized Approach (SA) for Credit Risk Computation

Market risk is possibility of loss to the bank due to movement in market factors viz. Interest Rate, Foreign Exchange Rate, Equity Prices etc. Bank has adopted Standardized Duration Method (SDM) for Market Risk computation.

Operational Risk is defined as the risk of loss resulting from inadequate or failed internal process, people and systems or external events. Operational Risk includes legal risk, but excludes strategic and reputation risk. Bank calculates Operational Risk Weighted Assets through Basic

Indicator Approach (BIA). Bank is in the readiness to adopt standardized approach for computing Operational Risk Weighted Assets, as mentioned in the draft RBI Guidelines.

The Bank monitors and manages operational risks vis-à-vis a comprehensive set of processes, systems of internal controls, and policies, to reduce the probability and potential impact of losses from Operational Risks.

The Bank undertakes Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) on a yearly basis which contains assessment / measurement of various risks (Pillar II Risk) along with the pillar I risk, the Risk Appetite of the Bank and appropriate level of internal capital required by the bank in relation to the Banks risk profile. Stress Testing Process is in place for enhancing risk assessment by providing the Bank a better understanding of the likely impact even in extreme unfavorable circumstances. The ICAAP is the process by which the bank ensures that it operates with an appropriate level of capital. It encompasses a large part of what could be considered a complete Enterprise Risk Management (ERM) framework. The ICAAP brings together risk and capital management activities in a form that can be used to support business decisions.

In addition, Bank has field level Risk Managers at all geographical centers (Zones and National Banking Group) to inculcate the risk culture at the field functionary level also.

Bank's Information Risk Management System has clear objective to protect the bank from Information Security risks in the face of acceleration in cyber-attacks and cyber security threat, specifically to financial institutions. Information security department strengthens controls to protect the brand, reputation and assets of the Bank. Bank is vigilant of the security and privacy of the data related to its patrons and account holders and takes utmost care to protect it from cyber-attacks. Bank has put in place Captive Security Operation Centre (SOC). Bank has implemented information security tools for Real-Time monitoring of Information Security breach attempts / incidents / events on 24x7 basis in order to timely prevent, detect and respond. Advanced security tools like SIEM (Security Information and Event Management), PIM (Privilege Identity Management), DAM (Database Activity Monitoring), WAF (Web Application Firewall), NBAD (Network Behaviour Anomaly Detection), Anti-APT (Advance Persistence Threat) for Web & Email Channels and Anti-DDoS, Data DLP (Data Leakage Prevention) are some of the many security solutions deployed. Various new security solutions focusing on threat hunting, prevention, detection and response are also put in place. The Bank is ISO 27001:2013 (ISMS) and ISO 22301:2019 (BCMS) certified. Effective brand protection services are put in place to protect Bank's customers from Phishing attacks by way of fake sites. Risk and vulnerability assessment exercises are regularly carried out for all systems with timely remedial activities. Security awareness campaigns, especially with respect to social engineering, are conducted across the Bank encompassing staff as well as customers through various channels of learning and communication.

15. THIRD PARTY PRODUCTS DIVISION:

As per IRDAI regulations 2015, Banks can act as Corporate Agents for three Insurance companies under Life Insurance, General Insurance and Standalone Health Insurance category separately. Presently Bank has tie-up with two Life Insurance companies, three General Insurance companies and three Standalone Health Insurance companies.

In case of Mutual Fund, Banks can adopt two types of models for distribution of Mutual Fund products namely Execution Model & Advisory Model. Our Bank has adopted Execution model for distribution of Mutual Fund products.

In the Mutual Funds business, which is an open architecture the Bank can enter into multiple tie-up arrangements. Our Bank had also entered tie-up agreement with various Asset Management Companies to distribute Mutual Fund products.

While offering the products and services of Bancassurance & Mutual Fund AMCs, the Bank adheres to the relevant guidelines of RBI / IRDAI / AMFI /SEBI or any other regulator which is binding upon it.

The Existing Tie up of the Bank with various Insurance companies under each category as well as with Mutual Fund AMC are as follows:

Existing Tie-ups:-

Sr. No	Products	Tie-up Partner
1	Life Insurance	1) Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Ltd. 2) LIC of India
2	General Insurance	1) Reliance General Insurance Co. Ltd. 2) Bajaj Allianz General Insurance Co.Ltd. 3) Future Generali India Insurance Co.Ltd.
3	Health Insurance	1) Star Health & Allied Insurance Co. Ltd. 2) Care Health Insurance Co. Ltd. 3) Niva Bupa Health Insurance Co. Ltd.
4	Mutual Funds	Name of AMCs 1) BOI Star Investment Managers Pvt Ltd.(Formerly BOI AXA Investment Managers Pvt Ltd) 2) UTI Asset Management Co. Pvt. Ltd. 3) HDFC Asset Management Co. Ltd. 4) Kotak Mahindra Asset Management Co. Ltd. 5) Franklin Templeton Asset Mgmt. Pvt. Ltd. 6) IDFC Asset Management Co. Pvt. Ltd. 7) DSP Mutual Fund (Formerly DSP BlackRock Investment Managers Ltd.) 8) Aditya Birla Sun Life Mutual Fund (Formerly Birla Sun Life Asset Management Co. Ltd.) 9) Nippon India Mutual Fund (Formerly Reliance Mutual Fund). 10) SBI Funds Management Private Limited

16. MARKETING & PUBLICITY:

Bank of India, implement various Publicity & Public Relations strategies for the Bank which helps to improve its visibility, spread brand awareness amongst general public, customers & all its stake holders. These overall marketing strategies, advertising & publicity activities are intended to create impact on general public and customers for sustained

brand recall to translate the same into business growth. Bank has also adopted social media & digital marketing strategies to reach out larger population. Publicity & PR activities are implemented across all geographies with an objective to cater all sections of the society by bringing out various advertisements and communications through various media available viz. OOH, electronic, digital, print etc. Bank in its Publicity & PR Strategies intend to highlight its Unique Selling Proposition (USP) for continued business growth. Marketing, publicity, advertising & public relations help the bank for sustained brand recall amongst population and the same is considered as an investment in the brand building.

17. BUSINESS PROCESS RE-ENGINEERING:

BPR Department works on improving the existing systems and processes in the Bank and on other aspects of change management that include the organizational structure, products, & policies. The major **customer centric initiatives** taken during 2021-22 are given below.

Project works/initiatives during FY (2021-22):

- **Creation of Two NBGs and Nine New zones:** Two new NBGs, NBG-Chandigarh and NBG-South II (Hyderabad) and nine new zones namely, Gaya, Siwan, Gorakhpur, Hardoi, Barasat, Dhar, Delhi-NCR, Baripada and Thiruvananthapuram zones have been created to garner potential business opportunities, facilitate smooth functioning, better monitoring and customer outreach.
- **Review of Area Manager Office(AMO) Structure:** Along with the reorganization of zones, we have reviewed the present AMOs structure and have been able to right size the offices to 21. The present 21 AMOs have been created to help the connected zones reach distant places and for quicker decision making. This has made the AMOs more emphatic in view of customer reach and business orientation.
- **Policy document on Product and Process Re-engineering in the Bank:** Policy has been made for Product and Process re-engineering in our bank to make our products/ process more customer friendly and make easy robust growth in terms of overall business.
- **Set up of new Division:** Policy Division was created for vetting and value addition in bank's existing and new policies to facilitate better customer service, introduce new products and for smooth functioning of the bank.
- **Rationalization of Service Charges:** Service charges have been rationalized in order to make it customer friendly, promote digitalization and remain competitive with industry trends.

Star Paramarsh – Staff Suggestion Scheme to have firsthand operational/practical suggestions from the field: We have expanded the scheme to cover all ideas & suggestions of staff given at all fora, including at conferences, conclaves, & training centers, for operational efficiency & service effectiveness. Out of 464 suggestions received during the year, 18 have been selected for implementation and Prizes have been awarded to 2 staff members.

18. LEGAL & RIGHT TO INFORMATION ACT:

Legal Department of the Bank acts as support department and provides platform for various matters of Opinion, Documentation, Litigation etc. emanating from various other functional departments at Head Office.

Besides attending to referral matters of various NBGs/ Zones, Domestic Branches/Foreign Branches and Bank's subsidiaries, the Department also caters to the specific needs of specialized Departments like Information Technology Department, International Department, Treasury Department, Digital Banking Department, Card Products Department, Transaction Banking Department etc. by Drafting/Vetting of documents of various contracts/ Service Level Agreements (SLAs), Software/Hardware procurement, various types of tie-up arrangements /new products etc.

The Right to Information Act has taken a pivotal role in the Society and lot many applications are received by the Bank at various levels. Bank has identified Central Public Information Officer and Appellate Authority at various Zones/NBGs/LCBs. Assistant General Manager (Law) of Legal Department, Head Office is designated as the CPIO of the Bank, and the General Manager, Legal Department is the Appellate Authority. The procedure for disposing of application or appeals involves collecting the desired information from various Departments and supplying the same to the applicant within the fixed time duration of 30 days and also to guide the other Zones/NBG on specific points.

Moreover, with a view to create awareness among the staff, Legal Department issues circulars and guidance to NBGs/ Zones on the amendments on Statutes and New Legislations.

In addition to the above, the Legal Department also attends to:

- Approval of Plaints in respect of suits filed by Bank and Monitoring of said cases.
- Advising on writs, cases, appeals, claims etc. filed against the Bank, vetting of the applications/affidavits etc. wherever required.
- Attending to the various queries of Ministry, Reserve Bank of India and IBA on different matters including new Legislation/amendments under consideration on various Acts.
- Opinion on Share transmission matters of Share Dept.
- Cases against Bank/Claim against Bank not acknowledged as debt/provision requirement/ follow up with Zones etc.
- Collection and compilation of data/statistics pertaining to suit filed/ decreed cases and submission to various authorities like Reserve Bank of India, MOF etc. RBS data.

19. COMPLIANCE :

Bank has an independent Compliance Department which is headed by an officer of the rank of Chief General Manager who is for regulatory purposes also referred to as Chief Compliance Officer. The core function of the department

is to ensure compliance of statutory, regulatory and Bank's internal guidelines for both Domestic as well as overseas operations. The department is the single point of contact for RBI and ensures smooth conduct of RBS as per prevalent SPARC framework.

Bank has a Board approved Compliance Function Policy which is framed as per Reserve Bank of India guidelines and is reviewed and updated annually. The policy gives credence to the following components: i) Governance ii) Compliance Risk Assessment iii) Policies, Procedure and related controls iv) Compliance Monitoring and Testing v) Reporting and Communication vi) training and use of technology to improve compliance and vii) Regulatory interaction and Co-ordination.

Having the right tools to deal with uncertainty and manage risks, both known and unknown, can elevate strategy, improve performance, offer greater insights for decision making, and assure effectiveness over time. Therefore, Compliance Department has adopted technology in Compliance Function to improve transparency, efficacy, oversight and effectiveness. Compliance department is also conducting periodic testing exercise to conform adherence and sustenance checking of RBI guidelines/ instructions.

The Compliance Department is also overseeing compliance function of overseas establishments who follow their respective territory based compliance policies as well as KYC-AML-CFT Policies. Each overseas Centre/ Branch/ subsidiary has a compliance officer to look after the respective compliance function. Overseas branches comply with the applicable regulatory requirements (home country /host country regulatory guidelines whichever is stringent) and submit confirmations / compliance sustainability reports. The compliance officer of each overseas Branch undertakes Quarterly Compliance testing and submits reports to Head Office.

Transaction Monitoring and KYC AML Department is vested with the responsibility of implementation/ monitoring Know Your Customer (KYC)/ Anti Money Laundering (AML) Measures/ Combating Financing of Terrorism (CFT) guidelines in the Bank. As per the provisions of Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PML Act) and its subsequent amendments thereto and the Rules made thereunder as well as the guidelines issued by the RBI, Bank has put in place Board approved KYC/ AML/CFT Policy which is adopted by branches in India. The department also ensures imparting of training on KYC/AML and its related compliance aspects to the staff members on a regular basis. The General Manager heading Transaction Monitoring Cell is designated as "Principal Officer in line with Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PML Act).

20. OFFICIAL LANGUAGE:

Our Bank has a well-established Department of Official Language which ensures the implementation of the provisions relating to the Official Language Policy of the Government of India and the progressive use of Hindi. For this, according to the Annual Programme of the Government of India, an annual action plan (Karya Yojana) was issued by our bank. Keeping in mind the "Azadi Ka Amrit Mahotsav" celebration, a booklet on the freedom struggle movement of our country was released by our MD & CEO on 15th August 2021. A booklet titled "Summary and Study of Premchand's Stories that were confiscated by the British Government" was published by our Head Office. Reference literature related to regional languages like Marathi, Assamese, Telugu, Tamil, Kannada, Odia etc. were also prepared by the Zones. A Regional Reference Literature section on Rajbhasha Portal was inaugurated by our Executive Director. Seminars were organized by the Zones and Head Office on various banking and economic issues. On the occasion of World Hindi Day, our Japan Center co-sponsored the programme organized by the Indian Embassy in Tokyo. Our 18 Zones and Branches have received awards from TOLIC. During the year, the Bank has organized 190 Hindi workshops in which 5005 staff members have been trained. An e-learning module named “Rajbhasha Anuwad” has been prepared and uploaded in HRMS for the staff members. Hindi e-mail competition was organized on quarterly basis throughout the year for the departments of Head Office. Hindi month was celebrated from 15 August to 14 September 2021. “Rajbhasha Shield Competition” was organized for the departments of the Head Office and for the Zones. Every week articles on a famous personality are sent by the head office to all the offices/branches in the official language Hindi. The Bank is successfully performing the responsibility of convenorship of 12 TOLIC assigned by the Government.

21. HUMAN RESOURCES, LEARNING AND DEVELOPMENT AND IN HOUSE JOURNALS:

HUMAN RESOURCES:

During FY 2021-22, our Bank recruited **1,157** Staff Officers in General Banking and Specialist cadre in various scales and **1,861** in Clerical cadre. During FY22, the Bank has a plan to recruit **887** Staff Officers and **2,406** clerical staff.

- In the post pandemic scenario, necessity for innovation seems to be the key to achieve organizational objectives. Through and post- covid, we have maintained our efforts to adapt and respond to the requirements for delivering financial products to our customers and maintaining business continuity through various HR initiatives.
- Decision making in HR is aimed to be more data-driven to reduce the likelihood of failure and bias. Bank aims to achieve consistency through building capability and continuous learning and development.
- The various HR initiatives undertaken by the Bank include:
  - ➢ Succession Planning in critical roles;
  - ➢ Performance Management System;
  - ➢ Development Conversation;
  - ➢ Talent Management;
  - ➢ Leadership Development;
  - ➢ Employee Engagement Survey (Star Anveshan) and
  - ➢ 360 Degree Feedback Survey among senior executives.

- Bank has put in place a system driven mechanism for achieving an objective assessment of employee performance to enable course correction feedback and action thereof. In the FY 2021-22, the Performance Management System (PMS) in our Bank was based on Budgetary Appraisal with more than 70% marks allotted for Business dimensions which are auto-populated and Non-Budgetary Appraisal carrying 50% weightage for measurable KRAs. In the Budgetary Appraisal, target / budget figures are being captured from the FINACLE and compared with budgetary targets vis-à-vis the actual performance since FY 2019-20, Bank's current endeavour is to increase the degree of measurability of the Non-budgetary parameters of Appraisal as well.
- In the area of Succession Planning, endeavor is being made to bridge systematically the gaps of skill shortage in the critical areas (Corporate Credit, Credit Monitoring, Recovery, Treasury, Risk Management, International Division, Information Technology, ITES and HRD) and also in the emerging new areas such as Infrastructure Financing and Financial Inclusion, through mapping of competencies vis-à-vis the critical roles identified.
- In Talent Management sphere, a focused Talent Review & Development Process is being undertaken to ensure that the current incumbents and potential employees in these roles will be suitably trained and groomed to assume these roles in time.
- We have an integrated on-boarding process to enable greater integration of new recruits in the Bank. The training system is being redesigned to make it operation- oriented, creating a talent pool in critical areas of banking, to bridge competency gaps, role related training for executives and making training more meaningful in terms of prescribing credits for each of the training attended.
- Towards paperless HR and to provide hassle free services to the staff members, the following digitization initiatives have been implemented:
  - ➢ Online acceptance of Gratuity nominations,
  - ➢ Application for PF/Gratuity/REMAS on VRS/ Resignation
  - ➢ Streamlining the Life certificate updation
  - ➢ Online Pension application and processing the same
  - ➢ Sending Form-16 through the system/email
  - ➢ Streamlining of DCPS updations
  - ➢ Investment Dashboard for the Management
  - ➢ Complaint handling
  - ➢ Implementation of DMS
  - ➢ Minimizing the paper movements
  - ➢ Employee Grievance (including complaints under Prevention of Sexual Harassment Act) Redressal System
  - ➢ Whistle Blower Policy
  - ➢ HR Audit
- Job Family concept has been implemented to create job specialization and to facilitate exposure in different areas of banking operations and develop competencies.
- Since the last two years, Officers who are interested and are having flair of working in specialized areas like Credit, Risk Management, Treasury etc., are being identified through 'Star Hunt' scheme. Under the Star Hunt, interested Officers have to apply for the above verticals and their selection is based on written examination and interview. After selection, such officers are trained in the vertical they are selected for and are posted in identified fields.
- Development Centre is being carried out for Officers in Scale IV, V and VI to assess the identified competencies. Total approx. 1900 Officers are being identified for assessment and assessment of competencies has been completed for about 1200 officers. The level of individual competencies identified are entered in the Personal Data of the employees and may be used as one of the inputs for succession planning. Upon assessment of competencies, development through training shall be undertaken to improve identified competencies of the individual officers. Leadership Development programmes have been undertaken for Officers belonging to Scale V and above at ASCAI (Administrative Staff College of India), Hyderabad and IMI (International Management Institute), New Delhi.
- For the officers working in specialized areas like Credit, Foreign Exchange, Risk Management, Compliance etc., customized training programmes have been formulated in collaboration with external training institutes like CRISIL, IIBF, CAB etc. Customized training programmes have been conducted for women officers. To create a pool of talent, a total of 60 clerical staff have been trained in the area of Foreign Exchange Operations at Manipal Global Academy.
- As a part of the efforts to motivate officers who have undergone disciplinary proceedings or not performing well due to any reason, we have arranged long term training programmes through Positive Psychology Practitioners.
- To promote self-learning many courses from identified institutes as well as under MOOCS were included in the Bank's Capacity Building and Reimbursement of fee schemes where the fee for the completion of the course will be reimbursed to the officers along with some cash incentive.
- Bank aims to ensure seamless implementation of various HR initiatives launched by the Bank like Employee Engagement Survey, 360 Degree Feedback, Job Family, Succession Planning & Talent Management Process and any other Government directive envisaged in PSB Reforms Agenda for Enhanced Access & Service Excellence (EASE).
- Bank has implemented 'Bank of India Code of Ethics & Conflict of Interest Policy' towards ensuring an organization based on ethics and moral values and a work environment free of any kind of bias/ discrimination, including zero tolerance to any kind of

sexual harassment across the organization.

- Our Bank has concluded employee engagement survey and 360 degree feedback survey and shall shortly implement the focus areas brought out in the respective surveys. Necessary up gradation of existing skills through extensive training & development initiatives shall continue in order to have manpower with necessary competencies and skill sets at all levels.
- Talent induction model of the Bank to attract talent as well as to ensure sustained growth in qualitative head count in line with business growth and consistent replacement / replenishment of talent.
- E- Learning has aided in educating and updating amidst the covid pandemic situation. It is being accordingly developed and updated through appropriate modules. Weightage is given in Performance Appraisal on completion of identified E-learning modules. We aim to promote and monitor progress of E-learning systems and link the same to Performance Appraisal and Promotion process.
- Performance appraisal shall incorporate budgetary appraisal of 100 marks (fully measurable) out of which 80 marks shall constitute business dimension which will be auto-populated. In the non-budgetary appraisal, 100% will be measurable.
- We are committed to strict compliance and implementation of Equal Opportunity Policy in our bank towards eliminating all forms of discrimination and ensure that the persons with disabilities enjoy equality, dignity and are empowered and better equipped to perform at par with others.
- Bank has recruited 23 Sportsperson of National/ International repute during the FY 2021-22. It is a matter of great pride that the Sportsperson Employees have represented the country as well as our Bank at various levels. Ms. Nikhat Zareen, Mr. Amoj Jacob and Mr. Niranjan Mukundan among others have been instrumental in bringing laurels to the country and Bank.

Compliance with Reservation Policy for representation of SC/ST/OBC/EWS/PwD/Ex-SM:

The Bank is strictly complying with the reservation policy of Government of India. Separate cell for SC/ST and OBC has been set up at Head Office as well as in all Zonal Offices which takes exclusive care in implementing the reservation policy and redressal of grievances related to SC/ST/OBC Employees.

Separate Executives in the rank of General Manager are appointed as Chief Liaison officers for SC/PwD/ExSM, ST and OBC respectively. Similarly Officers from SC/ST/OBC categories are designated as Cell/Liaison officers at Zonal office.

EWS reservation in Direct Recruitment was implemented in the Bank since 01st February 2019.

Quarterly meetings

Bank conducts Quarterly meetings regularly with the representatives of All India Bank of India SC/ST/OBC Employees' Welfare Association at Head office. Also such meetings are conducted quarterly at all our zonal offices.

Rosters

Post based Roster registers are prepared on yearly basis for maintenance of the appointments made through Direct Recruitment for all groups of posts i.e. Group A to Group D. In case of promotion, separate roster Registers are maintained up to SCALE-III. Roster registers are prepared as per the format prescribed by Department of Financial Services.

Representation of SC/ST/OBC/EWS staff as on 31.03.2022:

Cadre	SC	% to total staff	ST	% to total staff	OBC	% to total staff	EWS	% to total staff	Total
OFFICER	4516	18.15	2198	8.83	7166	28.8	228	0.92	**24880**
CLERK	3149	15.23	2470	11.95	5568	26.93	416	2.01	**20678**
SUBSTAFF	2119	33.81	737	11.76	1657	26.44	--	--	**6267**
TOTAL	**9784**	**18.88**	**5405**	**10.43**	**14391**	**27.77**	**644**	**1.24**	**51825**

LEARNING AND DEVELOPMENT:

A separate independent Department as overall countrywide in charge of the training colleges, MDI and all related activities including capacity building. In house talent development and imparting of class room trainings are being taken care of by the Learning and Development Department. Bank has adopted Hybrid mode of training to train its employees. Bank's 7 training colleges have imparted training to 30000+ number of employees during the financial year using Hybrid mode. Bank has been using E-Learning modules for enhancing the competencies of employees and to equip the staff with right skills and knowledge for meeting ever changing business dynamics across different segments. 21000+ officers have done various e learning modules. To enhance the capabilities of employee's, bank has made several collaborations with Training Institutes viz. Manipal Global, IMI New Delhi, ASCI Hyderabad, CAB Pune etc. Select Executives have been nominated for training for IIM Bengaluru as per BBB instructions. As per CVC guidelines, uniform Induction Training Programme of Newly Recruited Officers and also programme on Preventive vigilance for newly joined officers and mid-career officers have been adopted by the Bank.

BANK'S HOUSE JOURNAL 'TAARANGAN'

Our Bank has had a house journal since 1964. And since then our house journal has been a source knowledge and entertainment for the BOI family. It is a medium of expression of BOI's in-house talent and also an important tool for employee engagement. Our staff members can express their creativity in the field of writing, art etc. Through its interesting and insightful articles Taarangan provides wholesome entertainment to our readers.

Taarangan also helps our readers to get updates on various subjects related to banking and financial sector. Activities conducted by Zones/Branches/ Offices/ Overseas Centres and are also highlighted through Taarangan. Digital copy of Taarangan is also available in staff portal "Star desk",

"HRMS" and on Alumni. During its long and eventful journey our house magazine has received several accolades and brought laurels to our Bank.

22. CUSTOMER EXCELLENCE BRANCH BANKING:

The Bank has empowered the Customer Service Committee of the Board, which is an apex level Board Committee, empowered to evaluate the Customer Service in our Bank.

The Bank has a Standing Committee on Customer Service, which acts as the bridge between the various department of the Bank and the Customer Service Committee of the Board.

The Bank has adopted Operational Complaint Relationship Management (OCRM) module as per the regulatory requirement for integration of multiple channels of complaints registration on a single common digital platform, for effective monitoring and timely review.

Bank's various Policies such as Customer Rights Policy, Customer Acceptance, Customer Care and Customer Severance Policy and Grievance Redressal Policy are in place as per the regulatory requirements and same are reviewed from time to time to incorporate the changes as per the directions/ guidelines of the regulatory authorities. All these policies are placed on public domain. We have appointed Internal Ombudsman as per the RBI guidelines to review the wholly/ partly rejected complaints and give decision.

The Bank has a full-fledged Call Centre located at two centre viz. Airoli (Navi Mumbai) and Begumpet (Hyderabad) providing 24X7X365 assistance to the customer/ non-customers.

Bank is committed to provide Customer Service of a high order in a transparent manner. Bank undertakes customer meetings on a regular basis to get the feedback of customers so as to enable the Bank to take appropriate decision on different banking products offered by the Bank.

23. BRANCH NETWORK & EXPANSION:

Bank has a geographically well spread branch network in India and aboard. Bank had 5105 branches in India as on 31.03.2022. In the foreign countries 22 branches, 4 Subsidiaries, 1 Joint Venture and 1 representative offices keep Bank's presence felt in all times Zones and important financial centers of the globe. During the year 2021-22, Bank has opened 25 new branch. Composition of Bank's Branch Network is as under:

Category	31.03.2021		31.03.2022	
	No of Branches	% to total	No of Branches	% to total
Metropolitan	991	19.49	991	19.41
Urban	812	15.97	815	15.97
Semi-Urban	1453	28.58	1462	28.64
Rural	1828	35.96	1837	35.98
Total Domestic Branches	5084	100	5105	100
Overseas	24		22	
Total Branches	5108		5127	

24. BANK'S DOMESTIC SUBSIDIARY/ASSOCIATES/JOINT VENTURES:

BOI SHAREHOLDING LIMITED (BOISL)

Bank has investment of Rs.6.65 crore in BOISL, a wholly owned subsidiary of the Bank. BOISL acts as Depository Participant (DP) of both the Depositories, National Securities Depository Ltd. (NSDL) and the Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL).

BOI STAR INVESTMENT MANAGERS PVT. LTD. (BSIM) &

BOI STAR TRUSTEE SERVICES PVT. LTD (BSTS). (Erstwhile BOI AXA Investment Managers Pvt. Ltd. and BOI AXA Trustee Services Pvt Ltd).

These subsidiaries are in the business of Mutual Fund and Investment Advisory Services under SEBI Investment Advisor Regulations. Bank of India is holding 100% Stake in BSIM and BSTS with Investment of Rs.74.27 crore

BOI MERCHANT BANKERS LIMITED (BOIMBL)

BOI Merchant Bankers Limited was promoted on 31.10.2014 to undertake merchant banking business including arranging of Syndicated Loans, Bonds and Debentures. It is a wholly owned subsidiary of the Bank with paid up capital of Rs.10 crore.

STCI FINANCE LIMITED

Established in 1994, STCI Finance Ltd., acts as a non-deposit taking NBFC. Bank of India with 29.96% holding (Investment of Rs. 130.10 Cr.) is the largest stakeholder in STCI, with a Paid up Capital of Rs.380 crore. STCI Primary Dealer Ltd. (STCIPD) is a wholly owned subsidiary of STCI Finance Limited. STCIPD commenced its operations from 25th June 2007 and is one of the leading primary dealers in the country.

STAR UNION DAI-ICHI LIFE INSURANCE COMPANY LTD. (SUDLIFE):

Bank of India, Union Bank of India and Dai-Ichi Life International Holdings, Japan have formed a Joint Venture "Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company" to provide life insurance services to its clients. The company commenced insurance business in February 2009. BOI holds 28.96% (Investment of Rs.75 crore), UBI holds 25.10%, and Dai-Ichi Life International Holdings holds 45.94% stake of the Company.

ASREC (India) Ltd. was floated by the Specified Undertaking of the Unit Trust of India (SUUTI) to undertake securitization and asset reconstruction activities. Bank holds 26.02% stake (Investment of Rs.27.60 Cr.), in the equity capital of the company of Rs. 98 crore.

INVESTMENT / ALLIANCES:

National Asset Reconstruction Company Ltd (NARCL) – IBA has set up of Bad Bank to resolve the NPA issue in Banking Sector. Bank has invested Rs 126.81 Crore in the company with 9% holding.

India Debt Management Company Ltd (IDMCL) - IBA has also set up of IDMCL to provide debt management service to NARCL comprising of sectorial experts and turnaround specialists. Bank has invested Rs 0.80 Crore in the company with 4% holding.

National Collateral Management Services Ltd. (NCML) is promoted by the National Commodity and Derivatives Exchange Ltd. (NCDEX). It was incorporated on 28.09.2004 to promote and provide collateral management services for securing, managing and controlling securities and commodities. Bank holds stake of 2.34% in the equity capital of the company with Investment of Rs.3 crore.

SWIFT India Domestic Service Pvt. Ltd. a joint venture company promoted by SWIFT and 9 major Banks including Bank of India. SWIFT is holding 55 % equity and remaining 45% is held by 9 major Banks. Bank of India has an equity stake of 3.26% in the company with Rs.7.71 crore Investment.

Acuite Ratings & Research Limited (Earlier SME Rating Agency of India Ltd. (SMERA)) was set up during FY 2005-06 by SIDBI in association with Dun & Bradstreet, one of the leading providers of commercial data and analytics. The Company's objective is to provide comprehensive, transparent and reliable ratings which would facilitate greater and easy flow of credit to SME sector. Bank holds a stake of 1.88% in the equity capital with investment of Rs.0.28 crore.

Other Strategic Investments:

Bank also has strategic investments in SIDBI (Rs.45.30 crore), Metropolitan Stock Exchange of India (Rs.27.50 crore), NPCI (Rs.10 crore), Invent Assets Securitization and Reconstruction Pvt. Ltd. (Rs.10 crore), SBIDFHI (Rs.5.54 crore),.CERSAI (Rs.2.16 crore), Agricultural Finance Corporation Ltd. (Rs.1.26 crore), Central Ware Housing Corporation Ltd. (Rs.1.11 crore), PSB Alliance (Rs. 1.00 crore), CSC e-Governance services India Ltd. (Rs.1 crore), Clearing Corporation of India (Rs.0.50 crore), U.V. Asset Reconstruction Co. Ltd. (Rs.0.15 crore).

25. FRAUD RISK MANAGEMENT

Good corporate governance serves as an important factor in control of fraudulent activities. It may be true that Fraud itself cannot be eliminated but fraud risks can be managed and mitigated like other business risks with a proactive framework and approach.

Fraud Risk Management Department handles fraud related matters in the areas of:

- Reporting Frauds to Regulators within stipulated timeline and Monitoring of Frauds,
- Reporting Frauds to Top Management and Board,
- Maintenance of Centralized data on frauds,
- Analysis of Perpetrated and Attempted Frauds,
- Root cause analysis of fraud cases and implementation of steps to mitigate risks thereof in respect of product deficiencies with support from stake-holders departments at HO,
- Dissemination of modus operandi & of frauds by way of Circulars,
- Sensitizing staff through short alert messages through tickers / periodical messages through MMS/ training / Video Conferencing.
- Enterprise wide Fraud Risk Management Solution (EFRMS) encompassing all delivery channels except cards has been implemented covering domestic branches,
- Working on I4C portal managed by LEAs to provide required data in coordination with Digital Banking Department,
- Conducting periodical training sessions on fraud modus operandi and mitigating measures to oprational units with support from Learning and Development Department,
- Issuance of LOCs as per extent guidelines of M.H.A.

26. VIGILANCE MANAGEMENT:

Vigilance department is headed by Chief Vigilance Officer for vigilance administration in the Bank under the general superintendence of the Central Vigilance Commission (CVC). The vigilance department covers all vigilance related matters of bank's officials in domestic operation, overseas operations, and subsidiaries.

The vigilance administration of three Regional Rural banks sponsored by Bank of India, viz. Vidharbha-Konkan Gramin Bank, Aryavart Bank and Madhya Pradesh Gramin Bank are also supervised by Vigilance Department.

The Vigilance Department works under Chief vigilance Officer assisted one Deputy General Manager and other officials having background/experience in the field of investigation and disciplinary matters. For operational convenience, Vigilance Department has operationalized 12 Vigilance Units under the direct control of Vigilance Department, Head Office, which covers all the National Banking Groups. Concurrent Auditors, working at overseas centres, perform the role of Vigilance Officer for overseas branches.

The Vigilance department deals with all 3 functions of vigilance administration such as, Preventive, Detective and Punitive vigilance with the objective of enhancing the level of managerial efficiency and effectiveness in the organization. Communications covering gist of circulars, guidelines, and instructions etc., issued by the DFS, CVC are circulated to field functionaries/offices from time to time along with other related subjects of preventive vigilance.

27. DIVIDEND DISTRIBUTION POLICY :

In terms of Regulation 43A of SEBI-Listing Obligation and Disclosure Requirement Regulations, Bank has formed a Dividend Distribution Policy and the same is available on our website - https://www.bankofindia.co.in/pdf/DDP.pdf

28. BUSINESS RESPONSIBILITY REPORTING:

In terms of Regulation 32 (2) (F) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, the Business Responsibility Report is available on our website - www.bankofindia.co.in.

29. BASEL-III (PILLAR 3) DISCLOSURE (CONSOLIDATED) MARCH 2022

In terms of RBI Circular DBOD.No.BP.BC.1/21.06.201/2015-16 dated July 1, 2015 on Basel III Capital Regulations

read together with RBI Circular DBR.No.BP.BC.80/21.06.201/2014-15 dated March 31, 2015 onPrudential Guidelines on Capital adequacy and Liquidity Standard – Amendments, requires Banks to make applicable Pillar 3 disclosures including Leverage Ratio and Liquidity Coverage Ratio under the Basel III framework. These disclosures are available on Bank's website at the link https://www.bankofindia.co.in/RegDisclosureSec.aspx.

30. STRATEGY FOR IND-AS IMPLEMENTATION AND ITS PROGRESS:

RBI vide its circular DBR.BP.BC.No.29/21.07.001/2018-19 dated March 22, 2019, deferred implementation of Ind AS till further notice as the legislative amendments in Banking Regulation Act, 1949 as recommended by RBI are under consideration of the Government of India. The Bank has been submitting quarterly Proforma Ind AS Financial Statements (PFS) from June-2018 after discussion/approval by Steering Committee. The PFS are also presented to Audit Committee of Board along-with the overall progress report regarding Ind AS implementation.

ACKNOWLEDGEMENT:

The Board expresses its gratitude to the Government of India, Reserve Bank of India and Securities and Exchange Board of India and other regulatory authorities for their valuable guidance and support. The Board also thanks Financial Institutions and correspondent banks for their co-operation and support. The Board acknowledges the unstinted support of its customers, business associates and shareholders. The Board also wishes to place on record its appreciation of staff members for their dedicated service and contribution for the overall performance of the Bank.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-

Place : Mumbai
Date : 24.05.2022

A. K. Das
MD & CEO

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

एक जिम्मेदार कॉरपोरेट नागरिक होने के नाते, बैंक ऑफ इंडिया पूर्ण रुप से प्रतिबद्ध है तथा समाज को गुणवत्ता पूर्ण जीवन जीने तथा समाज की बेहतरी हेतु अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने में योगदान देने के महत्व को समझता है। हम विश्वास करते हैं कि बैंक द्वारा किया गया योगदान समाज की सामान्य भलाई के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समाज के उत्थान हेतु है।

बैंक एक स्वयंसेवी तथा जिम्मेदार कॉरपोरेट नागरिक होने के नाते कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों के तहत, बैंक द्वारा समाज के जरुरतमंद, तथा वंचित तब वर्ग के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए विभिन्न कल्याणकारी तथा सामाजिक गतिविधियाँ/परियोजनाएँ/कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बैंक निरंतर ऐसी सीएसआर गतिविधियां करने में प्रयासरत रहता है, जिनकी संकल्पना बड़े पैमाने पर समाज के सामुदायिक विकास तथा लाभ के लिए की गई है। बैंक जरुरतमंदों तथा वंचित लोगों के लिए सीएसआर गतिविधियों द्वारा समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

बैंक शोषित एवं वंचित समुदायों को सशक्त बनाने वाली सीएसआर गतिविधियों द्वारा समाज की बेहतरी हेतु योगदान करने के उद्देश्य से सीएसआर गतिविधियाँ करता है तथा साथ ही सीएसआर को बैंक के कॉरपोरेट संबंधी सिद्धांत, व्युत्पन्न मूल्य तथा छवि निर्माण का एक अभिन्न अंग बना दिया गया है। इन सीएसआर गतिविधियों को बडे पैमाने पर सामाजिक कल्याण के लिए तथा अधिकतर स्वच्छ भारत अभियान, ग्रामीण विकास, पर्यावरणीय संधारणीयता, शैक्षणिक कार्यक्रम जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, गरीबों/वंचितों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने, सामाजिक आर्थिक विकास, स्वच्छता, पेय जल उपलब्ध कराने, जीवन स्तर सुधारने, कौशल विकास, महिलाओं बच्चों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का कल्याण आदि के क्षेत्र में सीएसएआर गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर स्थायी प्रभाव डालने के लिए कार्यान्वित किया गया है।

बैंक ऑफ इंडिया ने वर्ष 2021-22 के दौरान विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं को अनुमादित किया है। अपनी सीएसआर गतिविधियों की अवधारणा के अंतर्गत बैंक ने विभिन्न गतिविधियों में सहायता प्रदान की है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

1. स्वच्छ भारत अभियान
2. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान
3. पर्यावरणीय संधारणीयता एवं इकोलॉजिकल संतुलन
4. सामाजिक कल्याण सहित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
5. आधारभूत शिक्षा, कौशल विकास प्रशिक्षण
6. स्थानीय सामुदायिक सेवाएँ/सामाजिक गतिविधियां
7. अन्य रूप से सक्षम व्यक्तियों की सहायता करना
8. कोविड 19 - निवारणात्मक स्वास्थ्य सेवा तथा स्वच्छता सहित हेल्थ केयर को प्रोत्साहन तथा आपदा प्रबंधन

बैंक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को प्रोत्साहित करने के लिए "स्टार एंजेल स्कीम" नामक ब्रांड के अंतर्गत अपनी फ्लैगशिप सीएसआर गतिविधियों को भी जारी रख रहा है। इस कार्यक्रम में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की छात्राओं की पहली कक्षा में ही पहचान की जाती है तथा उन्हें स्नातक तक उनके शिक्षा संबंधी व्ययों को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष रु.1200/- की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

As a responsible corporate citizen, Bank of India is deeply committed and recognizes the importance of contributing towards betterment of society to enable them to lead a quality life and the economy to prosper. We believe that contribution made by the Bank is largely for upliftment of the society to serve the purpose of common social good.

The Corporate Social Responsibility activities are undertaken by the Bank as a voluntary and responsible corporate citizen. Under the Corporate Social Responsibility (CSR) activities, various welfare and social activities/ projects/ programmes are undertaken by the Bank to raise the quality of life of the needy, deprived & underprivileged sections of the society. Bank constantly endeavor to undertake those CSR activities which are conceptualized for community development and benefiting to the society at large. Bank is committed to the philosophy of giving back to the society by way of undertaking CSR activities for the needy & deprived.

The Bank undertakes CSR activities with an objective to contribute for the betterment of the society by undertaking CSR activities aimed at empowering the underprivileged & deprived communities and has also made CSR an integral part of the Bank's corporate philosophy, deriving value and image building for the Bank. These CSR activities are implemented for addressing the larger social cause and sustainable impacts by focusing on CSR activities mostly in the area of Swachh Bharat Abhiyan, Rural Development, Environment sustainability, Educational program such as Beti Bachao Beti Padhao Abhiyan, extending health care to poor/underprivileged, socioeconomic development, sanitation, providing drinking water, improving standard of living, skill development, welfare of women, children and economically weaker sections etc.

Bank of India has approved various CSR projects during the year 2021-22. Under its concept of CSR activities, Bank has assisted in various projects bifurcated as under:

- Swachh Bharat Abhiyan
- Beti Bachao Beti Padhao Abhiyan
- Environmental Sustainability and Ecological balance
- Health and Family Welfare including Social welfare
- Basic Education, Skill development training
- Local community service/ social activity
- Supporting differently abled
- COVID19 - towards promotion of health care, including preventive health care and sanitation, and disaster management

Bank is also continuing its flagship CSR activities under brand name "Star Angel Scheme" for promoting Beti Bachao Beti Padhao Abhiyan. In this program, girl students from economically weaker sections are identified in their standard-I for extending financial support of Rs.1200/- per annum for meeting their educational expenses upto graduation.

बैंक ऑफ इंडिया ने गरीब एवं वंचित नागरिकों हेतु स्वास्थ्य कैम्प प्रायोजित कर स्वास्थ्य क्षेत्र में सहायता की है। हमारे बैंक ने गरीब मरीजों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने वाले अस्पतालों को मेडिकल संबंधी उपकरण भी उपलब्ध कराए हैं। एक जिम्मेदार कॉरपोरेट नागरिक होने के नाते, हमारा बैंक शिक्षा को प्रायोजित कर, शिक्षा संबंधी सामग्री दान कर, दिव्यांगजनों तथा अनाथों को सहायता प्रदान कर तथा गरीबों एवं वंचितों को जीवन जीने के बेहतर अवसरों के लिए कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध करा कर आधारभूत शिक्षा को सहायकता प्रदान कर रहा है।

Bank of India has assisted in health sector by sponsoring health camps for poor and underprivileged citizen. Our Bank also provided medical equipment to hospitals catering medical services to poor patients. As a responsible corporate citizen, our Bank has been continuing to supports basic education by sponsoring education, donating education materials, extending assistance to differently abled and orphans, and also providing skill training for better life opportunities to poor and underprivileged.

कॉरपोरेट प्रशासन प्रणाली

प्रशासन प्रणाली संहिता पर बैंक का दर्शन :

बैंक का कॉरपोरेट गवर्नेंस दर्शन इस विश्वास पर आधारित है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस, दक्षता में सुधार और विकास के साथ-साथ निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने में एक प्रमुख तत्व है। बैंक, कॉर्पोरेट प्रशासन के उच्च मानक प्राप्त करने के लिए नैतिक मूल्यों और आत्म-अनुशासन में दृढ़तापूर्वक विश्वास करता है और पारदर्शिता, हितधारकों, सरकार और बैंक के साथ काम करने वाले अन्य लोगों के प्रति जवाबदेही के माध्यम से व्यापार संचालन में उत्कृष्ट प्रयास करना जारी रखे हुए है। तदनुसार,कॉरपोरेट गवर्नेंस दर्शन को निम्नानुसार प्रतिपादित किया गया है:

"नैतिक व्यवसाय प्रथाओं के माध्यम से हितधारकों के मूल्य में वृद्धि करना"।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कार्यान्वयन के मूल में बोर्ड है, जो इस बात की देखरेख करता है कि प्रबंधन कैसे बैंक के सभी हितधारकों के दीर्घकालिक हितों को पूरा तथा इसकी रक्षा करता है। बैंक का मानना है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए एक सक्रिय, अच्छी तरह से सूचित और स्वतंत्र बोर्ड आवश्यक है। बैंक की कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं का उद्देश्य भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) और सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015, बीआईएस-कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट गवर्नेंस आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसके अलावा पेशेवर निकायों द्वारा अनुशंसित अच्छी प्रथाओं या भारत में अग्रणी बैंकों / कंपनियों द्वारा प्रथाओं के पालन पर भी ध्यान दिया जाता है।

बोर्ड, कार्यकारियों और अन्य पदाधिकारियों के बीच अंतर-संबंध इस प्रकार से रखा गया है कि इनकी भूमिकाओं का स्पष्ट रूप से सीमांकन किया जाए और कॉर्पोरेट प्रदर्शन में सुधार हो। बैंक उच्च प्रकटीकरण मानकों और पारदर्शिता का पालन करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप, बैंक ने व्यवसाय के हर पहलू की निगरानी के लिए बोर्ड की विभिन्न समितियों का गठन किया है।

बोर्ड के निदेशक :

समय-समय पर यथा संशोधित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (राष्ट्रीयकरण अधिनियम) के अन्तर्गत बैंक का गठन किया गया है। निदेशक मंडल की संरचना राष्ट्रीयकरण अधिनियम के उपबंधों, यथासंशोधित और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970, यथासंशोधित द्वारा शासित होती है।

बैंक के कार्यों और व्यवसायों का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन निदेशक मंडल में निहित है अध्यक्षता चेयरमैन करते हैं। 14 अगस्त, 2020 को, अध्यक्ष ने अपने कार्यकाल की समाप्ति पर अपने पद का त्याग कर दिया है। वर्तमान में अध्यक्ष का पद रिक्त है।

समीक्षाधीन वर्ष (2021-22) के दौरान बोर्ड की संरचना इस प्रकार थी:

श्री अतनु कुमार दास (20.01.2020 से)	प्रबंध निदेशक और सीईओ
श्री पी आर राजगोपाल (18.03.2020 से)	कार्यपालक निदेशक
श्री स्वरूप दासगुप्ता (10.03.2021 से)	कार्यपालक निदेशक
श्री एम. कार्तिकेयन (10.03.2021 से)	कार्यपालक निदेशक
सुश्री मोनिका कालिया (10.03.2021 से)	कार्यपालक निदेशक
श्री सुब्रत दास (13.08.2019 से)	आरबीआई नामित निदेशक
श्री पी एन प्रसाद (25.10.2020 से)	शेयरधारक निदेशक

CORPORATE GOVERNANCE

Bank's Philosophy on Code of Governance:

The Bank's Corporate Governance philosophy stems from the belief that Corporate Governance is a key element in improving efficiency and growth as well as enhancing investor confidence. The Bank strongly believes in ethical values and self-discipline to achieve higher standard of Corporate Governance and continues to strive for excellence in business operations through transparency, accountability to stakeholders, Government and others who deal with the Bank. Accordingly, the Corporate Governance philosophy has been scripted as under:

"Enhancing stakeholders' value through ethical business practices".

At the core of its Corporate Governance practice is the Board, which oversees how the management serves and protects the long-term interests of all the stakeholders of the Bank. The Bank believes that an active, well informed and independent Board is necessary to ensure the highest standards of Corporate Governance. The Bank's Corporate Governance practices are aimed at meeting the Corporate Governance requirements as per the Government of India, Reserve Bank of India (RBI), Securities Exchange Board of India (SEBI) and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, BIS-Corporate Governance Guidelines, besides good practices either recommended by professional bodies or practices by leading Banks / Companies in India.

The interrelation between the Board, the Executives and other functionaries is so configured as to have distinctly demarcated roles and improved corporate performance. The Bank is also committed to following high disclosure standards and transparency. In line with the best practices, the Bank has formed various committees of the Board to monitor every aspect of business.

Board of Directors:

The Bank is constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, (the Nationalisation Act) as amended from time to time. The composition of the Board of Directors is governed by the provisions of the Nationalisation Act, as amended and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended.

The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Bank is vested in the Board of Directors presided over by the Chairman. On 14th August, 2020, the Chairman has vacated the office on competition of his term. Presently Chairman's post is vacant.

During the year under review (2021-22) the Composition of the Board was as under:

Shri Atanu Kumar Das (From 20.01.2020)	Managing Director & CEO
Shri P R Rajagopal (From 18.03.2020)	Executive Director
Shri Swarup Dasgupta (From 10.03.2021)	Executive Director
Shri M. Karthikeyan (From 10.03.2021)	Executive Director
Ms. Monika Kalia (From 10.03.2021)	Executive Director
Shri Subrata Das (From 13.08.2019)	RBI Nominee Director
Shri P N Prasad (From 25.10.2020)	Shareholder Director

सुश्री दक्षिता दास (14.05.2021 तक)	भारत सरकार नामित निदेशक
सुश्री वंदिता कौल (14.05.2021 से)	भारत सरकार नामित निदेशक
सुश्री वेनी थापर (04.12.2021 से)	शेयरधारक निदेशक
श्री मुनीश कुमार रल्हन (21.03.2022 से)	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और कार्यपालक निदेशकों को छोड़कर शेष सभी निदेशकगण, बोर्ड के गैर-कार्यपालक निदेशक हैं। केंद्रीय सरकार को छोड़कर, बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक और एक अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक, सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन बाध्यताएं) विनियमन-2015 (सेबी-एलओडीआर) के विनियम 16 (बी) के अनुरूप स्वतंत्र निदेशक हैं।

स्वतंत्र निदेशकों को दिए गए पहचान कार्यक्रम का विवरण हमारी वेबसाइट अर्थात् www.bankofindia.co.in में उपलब्ध है।

बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशक इन विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

हमारा कोई भी निदेशक दूसरे किसी निदेशक का रिश्तेदार नहीं है।

वर्ष 2021-22 के दौरान और अब तक बैंक में कार्यग्रहण करने वाले निदेशकों का संक्षिप्त परिचय

सुश्री वंदिता कौल

सुश्री वंदिता कौल ने दिल्ली विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान में एमएससी किया है और एनएचएल से सिस्टम मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया है। उन्हें भारत सरकार द्वारा 13.05.2021 को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। वह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग में अपर सचिव के रूप में तैनात हैं।

उन्हें वित्त, बजट, आईटी परियोजना प्रबंधन, परिचालन और ग्राहक संबंध प्रबंधन, सामाजिक सहायता, पिछड़े क्षेत्रों और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, सिंचाई, शहरी विकास, ई-गवर्नेंस, प्रशासन आदि के क्षेत्र में 32 वर्षों से अधिक का अनुभव है।

सुश्री कौल वर्ष 1989 में भारतीय डाक सेवा (आईपीओएस) में शामिल हुई थीं और उन्होंने वित्तीय सेवा विभाग, पर्यावरण और वन मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, गृह मंत्रालय और डाक विभाग जैसे मंत्रालयों के विभिन्न विभागों के तहत काम किया है।

उन्होंने 11.04.2022 को पद खाली कर दिया है।

सुश्री वेनी थापर

सुश्री वेनी थापर, एक चार्टर्ड एकाउंटेंट और कॉस्ट लेखाकार हैं। उन्होंने आईसीएआई से सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा में डिप्लोमा और आईएसएसीए (यूएसए) से सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा में सर्टिफिकेशन किया है। वह मेसर्स वी के थापर एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की एक वरिष्ठ भागीदार हैं।

अपने 25 वर्षों से अधिक के करियर के दौरान, उन्होंने कंपनियों और संगठनों के वैधानिक और आंतरिक ऑडिट, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की विभिन्न शाखाओं के लिए बैंक ऑडिट, सार्वजनिक क्षेत्र की विभिन्न इकाइयों के सरकारी ऑडिट, सूचना प्रणाली ऑडिट में कंसल्टेंसी, कंपनी लॉ में कंसल्टेंसी, अप्रत्यक्ष कर, फेमा और आरबीआई मामले, अंतर्राष्ट्रीय कराधान सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान में परामर्श, फर्मों, बैंक, कंपनियों आदि में बोर्ड के सदस्य आदि कार्यों को संभाला है।

वर्तमान में, वे भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में हैं।

Ms Dakshita Das (Upto 14.05.2021)	GOI Nominee Director
Ms. Vandita Kaul (From 14.05.2021)	GOI Nominee Director
Ms. Veni Thapar (From 04.12.2021)	Shareholder Director
Shri Munish Kumar Ralhan (From 21.03.2022)	Part-time non-official Director

All Directors, other than the Managing Director & CEO and the Executive Directors, are non-Executive Directors on the Board. The Directors representing shareholders of the Bank other than the Central Government and one Part-time non-official Director are Independent directors within the meaning of Regulation 16 (b) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI-LODR).

Details of familiarization programmes imparted to Independent Directors are available on our website i.e. www.bankofindia.co.in.

In the opinion of the Board, independent directors fulfil the conditions specified in these Regulations and are independent of the management.

None of the Directors is a relative of other Director.

Brief Profile of the Directors who joined the Bank during the year 2021-22 and till date:

Ms. Vandita Kaul

Ms. Vandita Kaul holds M.Sc degree in Zoology from the University of Delhi and a Diploma in Systems Management from NHL. She was appointed by Government of India as Government Nominee Director on 13.05.2021, with immediate effect and until further orders. She is posted as Additional Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India.

She is having more than 32 years of experience in the area of Finance, budgeting, IT Project Management, Operations and Customer Relations Management, Social assistance, Development of backward areas and border areas, Irrigation, Urban development, EGovernance, Administration, etc.

Ms. Kaul joined the Indian Postal Service (IPoS) in the year 1989 and has worked under various Deparments of Ministries such as Department of Financial Services, Ministry of Environment and Forests, Ministry of Social Justice and Empowerment, Ministry of Home Affairs and Department of Posts.

She has vacated the office on 11.04.2022.

Ms. Veni Thapar

Ms. Veni Thapar, is a Chartered Accountant and Cost Accountant. She has Diploma in Information Systems Audit from ICAI and Certification in Information Systems Audit from ISACA (USA). She is a Senior Partner with M/s V K Thapar and Company, Chartered Accountants.

During her career spanning over more than 25 years, she has handled Statutory and Internal Audits of companies and organisations, Bank Audits for various branches of Public Sector Banks, Government Audits of various Public Sector Units, Consultancy in Information Systems Audit, Consultancy in Company Law, Indirect Taxes, FEMA and RBI matters, Consultancy in Direct and Indirect Taxation including International Taxation, Board member in firms, bank, companies, etc.

Presently, she is on the Board of Governors of Indian Institute of Corporate Affairs.

उन्हें 04.12.2021 से 3 साल की अवधि के लिए बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में चुना गया था।

She was elected as Shareholder Director of the Bank for a term of 3 years, w.e.f 04.12.2021.

श्री मुनीश कुमार रल्हन

श्री मुनीश कुमार रल्हन, विज्ञान (बी.एससी) और एलएलबी में स्नातक हैं। वे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में वकालत करते हैं। इनके पास सिविल, आपराधिक, राजस्व, वैवाहिक, बैंकिंग, बीमा कंपनियों, उपभोक्ता, संपत्ति, दुर्घटना मामलों, सेवा मामलों आदि से संबंधित मामलों से निपटने का 25 वर्षों का व्यापक अनुभव है।

वे होशियारपुर, पंजाब में यूनियन ऑफ इंडिया के स्थायी वकील हैं।

उन्हें 21.03.2022 से 3 साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया गया है।

Shri Munish Kumar Ralhan

Shri Munish Kumar Ralhan, is a graduate in Science (B.Sc) and LLB. He is a Practicing advocate in Punjab and Haryana High Court and Subordinate Courts, having rich experience of 25 years dealing with cases relating to Civil, Criminal, Revenue, Matrimonial, Banking, Insurance Companies, Consumer, Property, Accident cases, Service matters, etc.

He is the Standing Counsel for Union of India at Hoshiarpur, Punjab.

He was appointed w.e.f 21.03.2022 for a period of 3 years or until further orders, whichever is earlier.

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा को 11.04.2022 से बैंक ऑफ इंडिया में भारत सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। वे भारतीय आर्थिक सेवा के 1993 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने नेशनल ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट (एनजीएसएम), ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री (एमबीए) और वित्तीय अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। वर्तमान में वे वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में संयुक्त सचिव के रूप में तैनात हैं। 2018 में डीएफएस में कार्यभार ग्रहण करने से पहले, उनका निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) में आर्थिक सलाहकार के रूप में तीन साल का कार्यकाल था।

वे 14.05.2018 से 11.04.2022 तक भारत सरकार के नामित निदेशक के रूप में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड में थे। बैंक ऑफ इंडिया के अलावा, वे आईएफसीआई लिमिटेड के निदेशक मंडल में भारत सरकार के नामित निदेशक भी हैं।

Dr. Bhushan Kumar Sinha

Dr. Bhushan Kumar Sinha, was appointed as Government of India Nominee Director in Bank of India from 11.04.2022. He belongs to the 1993 batch of Indian Economic Service. He holds a Master's degree in Business Administration (MBA) from the National Graduate School of Management (NGSM), Australian National University, Canberra, Australia and a Ph. D from the Department of Financial Studies, University of Delhi. Presently he is posted as Joint Secretary in the Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance, Government of India, New Delhi. Before joining DFS in 2018, he had a three year stint as Economic Adviser in the Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM).

He was on the Board of Central Bank of India as GOI's Nominee Director w.e.f 14.05.2018 till 11.04.2022. Besides Bank of India, he is also GoI's Nominee Director on the Board of Directors of IFCI Ltd.

निदेशकों के अन्य विवरण (31.03.2022 तक) OTHER PARTICULARS OF DIRECTORS (As on 31.03.2022)

क्र सं. SR. No	निदेशकों के नाम Name of Directors	श्रेणी (अध्यक्ष / कार्यपालक / गैरकार्यपालक / स्वतंत्र / नामिती) Category (Chair- person/ Executive / Non-Executive/ independent/ Nominee)	बैंक के ईक्विटी शेयरों की धारिता Holding of Bank's Equity shares	निदेशक के रूप में नियुक्ति की तारीख Date of Appointment as Director	विशेषज्ञता क्षेत्र Area of Expertise	अन्य कंपनियों में निदेशक पद Directorships of other Companies	बोर्ड समितियों के सदस्य Member of Board Committees*	
							सदस्य Member	अध्यक्ष Chairman
1	श्री अतनु कुमार दास Shri Atanu Kumar Das	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Managing Director and CEO	4750	20.01.2020	बैंकिंग Banking	जनरल इन्श्युरेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया General Insurance Corporation of India	2	1
2.	श्री पी.आर. राजगोपाल Shri P R Rajagopal	कार्यपालक निदेशक Executive Director	-	18.03.2020	बैंकिंग Banking	बीओआई मर्चेन्ट बैंकर्स लि. BOI Merchant Bankers Limited	1	0
3.	श्री स्वरूप दासगुप्ता Shri Swarup Dasgupta	कार्यपालक निदेशक Executive Director	4395	10.03.2021	बैंकिंग Banking	Nil	1	0
4.	श्री एम. कार्तिकेयन Shri M. Karthikeyan	कार्यपालक निदेशक Executive Director	-	10.03.2021	बैंकिंग Banking	Nil	1	0
5.	सुश्री मोनिका कालिया Ms. Monika Kalia	कार्यपालक निदेशक Executive Director	-	10.03.2021	बैंकिंग Banking	Nil	1	0
6.	सुश्री वंदिता कौल Ms. Vandita Kaul	Non-Executive Nominee Director	-	14.05.2021	वित्त Finance	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड The New India Assurance Company Limited	1	0

क्र सं. SR. No	निदेशकों के नाम Name of Directors	श्रेणी (अध्यक्ष / कार्यपालक / गैरकार्यपालक / स्वतंत्र / नामिती) Category (Chair- person/ Executive / Non-Executive/ independent/ Nominee)	बैंक के ईक्विटी शेयरों की धारिता Holding of Bank's Equity shares	निदेशक के रूप में नियुक्ति की तारीख Date of Appointment as Director	विशेषज्ञता क्षेत्र Area of Expertise	अन्य कंपनियों में निदेशक पद Directorships of other Companies	बोर्ड समितियों के सदस्य Member of Board Committees*	
							सदस्य Member	अध्यक्ष Chairman
7.	श्री सुब्रत दास Shri Subrata Das	गैर-कार्यपालक नामिती निदेशक Non-Executive Nominee Director	-	13.08.2019	बैंकिंग Banking	प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड Security Printing and Minting Corporation Of India Limited	1	0
8.	श्री पी.एन. प्रसाद Mr. P N Prasad	शेयरधारक निदेशक Shareholders Director	500	25.10.2020	बैंकिंग Banking	Nil	1	1
9.	सुश्री वेनी थापर Ms. Veni Thapar	शेयरधारक निदेशक Shareholders Director	300	04.12.2021	लेखा परीक्षा Audit	एस जे एस इंटरप्राइज S.J.S Enterprises Limited	3	2
10.	श्री मुनीश कुमार रल्हन Shri Munish Kumar Ralhan	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र) Part-time non-official Director (Independent)	-	21-03.2022	विधि Legal		1	0

* सेबी एलओडीआर विनियम 2015 की अनुसूची V के खंड सी के अनुपालन में, बैंक ने हमारे बैंक सहित सूचीबद्ध संस्थाओं में केवल लेखा परीक्षा समिति और हितधारकों की संबंध समिति की अध्यक्षता/सदस्यता पर विचार किया है।

* In compliance of Clause C of Schedule V of SEBI LODR Regulations 2015, the Bank has considered the Chairmanship / Membership of the Audit Committee and the Stakeholders' Relationship Committee only, in listed entities including our Bank.

बोर्ड की बैठकों का संचालन : Conduct of Board Meetings:

वित्त-वर्ष 2022 के दौरान, निम्नलिखित तारीखों को बोर्ड की कुल 16 (सोलह) बैठकें आयोजित की गईं:

During the FY 2022, 16 (Sixteen) Board Meetings were held on the following dates:

30.04.2021	28.05.2021	04.06.2021	21.06.2021	30.07.2021	03.08.2021
24.09.2021	29.10.2021	02.11.2021	03.12.2021	23.12.2021	28.01.2022
04.02.2022	16.02.2022	16.03.2022	23.03.2022		

वित्त-वर्ष 2022 में बोर्ड बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

Details of attendance of the Directors at the Board Meetings in FY 2021-2022 are as follows:

निदेशकों के नाम Name of Directors	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	उपस्थिति अभिलेख Attendance Recorded	अवधि (से-तक) Period (From —To)
श्री ए. के. दास Shri A. K. Das	16	16	01.04.2021 to 31.03.2022
श्री पी.आर राजगोपाल Shri P.R. Rajagopal	16	16	01.04.2021 to 31.03.2022
श्री स्वरूप दासगुप्ता Shri Swarup Dasgupta	16	16	01.04.2021 to 31.03.2022
श्री एम कार्तिकेयन Shri M. Karthikeyan	16	16	01.04.2021 to 31.03.2022
सुश्री मोनिका कालिया Ms. Monika Kalia	16	15	01.04.2021 to 31.03.2022
सुश्री दक्षिता दास Ms. Dakshita Das	1	1	01.04.2021 to 14.05.2021
श्री सुब्रत दास Shri Subrata Das	16	16	01.04.2021 to 31.03.2022
सुश्री वंदिता कौल Ms. Vandita Kaul	15	12	14.05.2021 to 31.03.2022

निदेशकों के नाम Name of Directors	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	उपस्थिति अभिलेख Attendance Recorded	अवधि (से-तक) Period (From —To)
श्री पी.एन.प्रसाद Shri P.N.Prasad	16	16	01.04.2021 to 31.03.2022
सुश्री वेनी थापर Veni Thapar	6	6	04.12.2021 to 31.03.2022
श्री एम के रल्हन Shri M K Ralhan	1	1	21.03.2022 to 31.03.2022

बोर्ड समितियां:

कॉर्पोरेट शासन और जोखिम प्रबंधन पर भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी/भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्यनीतिक महत्व वाले विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान देने हेतु बैंक के निदेशक मंडल ने निदेशकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है। बोर्ड समितियां निम्नानुसार हैं :-

क्रम संख्या	समिति का नाम
1.	बोर्ड की प्रबंधन समिति
2.	बोर्ड की ऋण स्वीकृति समिति
3.	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति
4.	हितधारकों की संबंध समिति
5.	शेयर ट्रांसफर समिति
6.	जोखिम प्रबंधन पर निदेशकों की समिति
7.	ग्राहक सेवा पर निदेशकों की समिति
8.	निदेशकों पर नामांकन और पारिश्रमिक समिति
9.	निवेश अनुमोदन समिति
10.	बड़े मूल्य की धोखाधड़ी पर निगरानी के लिए समिति
11.	आईटी रणनीति और डिजिटल भुगतान संवर्धन समिति
12.	निदेशकों की पदोन्नति समिति
13.	मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति
14.	उच्च मूल्य एनपीए और हानि संपत्तियों की निगरानी के लिए समिति
15.	विलफुल डिफॉल्टरों के लिए समीक्षा समिति
16.	बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों की समिति
17.	अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति
18.	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति
19.	एमडी और सीईओ, कार्यपालक निदेशकों और महाप्रबंधकों के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए समिति
20.	असहयोगी ऋणी की घोषणा के लिए समिति
21.	समूह शासन समिति

बोर्ड की प्रबंधन समिति :

बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन राष्ट्रीकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है । प्रबंधन समिति वित्तीय स्वीकृतियों, समझौतों/बट्टे खाते लिखने संबंधी प्रस्तावों, वाद/अपील दायर करने आदि के संबंध में बोर्ड को प्राप्त सभी अधिकारों का प्रयोग करती है। यथा दिनांक 31.03.2022 इस समिति में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, 4 कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक और 1 शेयरधारक निदेशक सहित 7 सदस्य शामिल हैं ।

Board Committees

The Board of Directors of the Bank has constituted various Committees of Directors to look into different areas of strategic importance in terms of Reserve Bank of India / SEBI / Government of India Guidelines on Corporate Governance and Risk Management. The Board Committees are as under:

Serial No.	Name of the Committee
1.	Management Committee of the Board
2.	Credit Approval Committee of the Board
3.	Audit Committee of the Board
4.	Stakeholders' Relationship Committee
5.	Share Transfer Committee
6.	Committee of Directors for Risk Management
7.	Committee of Directors for Customer Services
8.	Nomination and Remuneration Committee of Directors
9.	Investment Approval Committee
10.	Committee for Monitoring of Large Value Frauds
11.	IT Strategy and Digital Payment Promotion Committee
12.	Directors Promotion Committee
13.	Steering Committee of the Board on HR
14.	Committee for Monitoring High Value NPAs and Loss Assets
15.	Review Committee for Wilful Defaulters
16.	Independent Directors' Committee of the Board
17.	Disciplinary Proceeding Committee
18.	Corporate Social Responsibility Committee
19.	Committee for Performance Evaluation of MD&CEO, Executive Directors and General Managers
20.	Committee for declaration of Non Co-operative Borrower
21.	Group Governance Unit Committee

1. The Management Committee of the Board

It is constituted as per the provisions of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provision) Scheme, 1970. The Management Committee exercises all the powers vested in the Board in respect of financial sanctions, compromises/write off proposals and filing of suits/appeals, etc. As on 31.03.2022, it comprised of 7 members consisting of the Managing Director and CEO, 4 Executive Directors, RBI Nominee Director and 1 Shareholder Director.

वित्तीय-वर्ष 2021-22 के दौरान बोर्ड की प्रबंधन समिति की निम्नलिखित तारीखों को 30 बैठकें हुई :

The Management Committee of the Board met 30 times during the FY 2021-22 on the following dates:

03.04.2021	17.04.2021	03.05.2021	18.05.2021	07.06.2021	16.06.2021
21.06.2021	28.06.2021	03.07.2021	17.07.2021	31.07.2021	07.08.2021
06.09.2021	13.09.2021	18.09.2021	27.09.2021	08.10.2021	16.10.2021
30.10.2021	12.11.2021	20.11.2021	18.12.2021	23.12.2021	10.01.2022
15.01.2022	05.02.2022	23.02.2022	07.03.2022	22.03.2022	29.03.2022

उपर्युक्त बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का रिकॉर्ड निम्नानुसार है:

Attendance record of the members in the above meetings is shown below:

निदेशकों के नाम Name of Directors	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	कितनी बैठकों में उपस्थित Attendance Recorded	अवधि (से-तक) Period (From — To)
श्री ए. के. दास Shri A. K. Das	30	30	01.04.2021- 30.04.2022
श्री पी. आर. राजगोपाल Shri P.R. Rajagopal	30	29	01.04.2021- 30.04.2022
सुश्री मोनिका कालिया Ms Monika Kalia	30	28	01.04.2021- 30.04.2022
श्री स्वरूप दासगुप्ता Shri Swarup Dasgupta	30	30	01.04.2021- 30.04.2022
श्री एम. कार्तिकेयन Shri M. Karthikeyan	30	26	01.04.2021- 30.04.2022
श्री सुब्रत दास Shri Subrata Das	30	29	01.04.2021- 30.04.2022
श्री पी. एन. प्रसाद Shri P.N.Prasad	30	30	01.04.2021- 30.04.2022

बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति:

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नयी दिल्ली की संसूचना संदर्भ सं.13/1/2006-130.1 दिनांकित 31 जनवरी, 2012, द्वारा जारी निदेशों के अनुसार बैंक ने बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया है। यह ऋण अनुमोदन समिति हमारे बैंक के मामले में रु.600 करोड़ तक के किसी एकल ऋण प्रस्ताव के बारे में बोर्ड के अधिकारों का इस्तेमाल करेगी और ऐसी सीमाओं से अधिक एक्सपोज़र के मामलों पर प्रबंधन समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण, वित्त के प्रभारी महाप्रबंधक और जोखिम प्रबंधन के प्रभारी महाप्रबंधक इस समिति के सदस्य हैं। इस समिति की बैठकों की अध्यक्षता बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ करते हैं। वित्तीय-वर्ष 2021-22 के दौरान बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति की निम्नलिखित तारीखों को 28 बैठकें हुई:

2. Credit Approval Committee of the Board:

In terms of the directions of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi, vide their communication reference No.13/1/2006-130.1 dated 31st January 2012, the Bank has constituted the Credit Approval Committee of the Board. The Credit Approval Committee shall exercise the powers of the Board in respect of any single credit proposal upto Rs. 600 Crore in case of our Bank and exposure exceeding such limits shall be considered by the Management Committee.

The members of the committee are the Managing Director & CEO, the Executive Directors, The General Manager in-charge of Finance and the General Manager in-charge of Risk Management. The committee meetings are being chaired by the Managing Director & CEO of the Bank. Credit Approval Committee of the Board met 28 times during the FY 2021-22 on the following dates:

19.04.2021	03.05.2021	17.05.2021	08.06.2021	29.06.2021	03.07.2021
07.07.2021	19.07.2021	07.08.2021	23.08.2021	06.09.2021	22.09.2021
29.09.2021	08.10.2021	03.11.2021	12.11.2021	20.11.2021	04.12.2021
17.12.2021	28.12.2021	10.01.2022	15.01.2022	09.02.2022	23.02.2022
07.03.2022	09.03.2022	22.03.2022	30.03.2022		

उपर्युक्त बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार है :

Attendance record of the members in the above meetings is shown below:

निदेशकों के नाम Name of Directors	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	कितनी बैठकों में उपस्थित Attendance Recorded	अवधि (से-तक) Period (From — To)
श्री ए. के. दास A. K. Das	28	28	01.04.2021 to 31.03.2022
श्री पी. आर. राजगोपाल P.R. Rajagopal	28	26	01.04.2021 to 31.03.2022
श्री स्वरूप दासगुप्ता Swarup Dasgupta	28	26	01.04.2021 to 31.03.2022
श्री एम. कार्तिकेयन M. Karthikeyan	28	26	01.04.2021 to 31.03.2022
सुश्री मोनिका कालिया Monika Kalia	28	27	01.04.2021 to 31.03.2022

3. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति :

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में निदेशक मंडल द्वारा किया गया है। यह एसीबी निर्देश देती है तथा बैंक के संपूर्ण लेखा-परीक्षा कार्य के परिचालन की देखरेख भी करती है।

यथा दिनांक 31.03.2022, लेखा परीक्षा समिति में 3 सदस्य हैं, अर्थात शेयरधारक निदेशक, सरकार नामिती निदेशक और भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक। वित्तीय-वर्ष 2021-22 के दौरान निम्नलिखित तारीखों को लेखा परीक्षा समिति की 12 बैठकें हुई:

3. Audit Committee of the Board:

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the Board of Directors as per the guidelines of the Reserve Bank of India. The ACB provides direction and also oversees the operation of the total audit function of the Bank.

As on 31.03.2022, the Audit Committee comprises of 3 members viz. Shareholder Director, Government Nominee Director and Reserve Bank of India Nominee Director. During the FY 2021-22, the Audit Committee met 12 times on the following dates:

30.04.2021	04.06.2021	21.06.2021	03.08.2021	07.10.2021	02.11.2021
26.11.2021	18.12.2021	28.12.2021	04.02.2022	16.02.2022	23.03.2022

उपर्युक्त बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार है :

The attendance record of the members in the above meetings is shown below:

Name of Directors	Meetings held during their tenure	Attendance Recorded	Period (From — To
सुश्री वेणी थापर Ms. Veni Thapar	5	5	04.12.2021 to 31.03.2022
सुश्री वंदिता कौल Ms. Vandita Kaul	11	11	14.05.2021 to 31.03.2022
श्री सुब्रत दास Shri. Subrata Das	12	12	01.04.2021 to 31.03.2022
सुश्री दक्षिता दास Ms Dakshita Das	1	1	01.04.2021 to 14.05.2021
सुश्री मोनिका कालिया Ms Monika Kalia	12	11	01.04.2021 to 31.03.2022

बोर्ड के निदेशकों के समक्ष स्वीकार किए जाने हेतु प्रस्तुत करने से पूर्व बैंक के गैर-लेखा परीक्षित तिमाही परिणामों और वर्ष के लेखा परीक्षित परिणामों की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई।

Unaudited quarterly results of the Bank and audited results for the year were reviewed by the Audit Committee of the Board prior to the placing before the Board of Directors for approval.

4. स्टेक होल्डर संबंध समिति:

सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 के विनियम 20 के प्रावधान के अनुरूप कॉर्पोरेट शासन पर सेबी के दिशानिर्देशों के अनुपालन में शेयरों के अंतरण, तुलन पत्र प्राप्त न होने, लाभांश प्राप्त न होने इत्यादि के संबंध में शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों के निवारण हेतु स्टेकहोल्डर संबंध समिति का गठन किया गया है। वर्ष के दौरान निवेशकों से अब तक प्राप्त सभी शिकायतों/सदंर्भो का उत्तर दिया गया/निपटाया गया। संबंधित जानकारी प्राप्त हो जाने के बाद प्राय:सात दिनों के अंदर निवेशकों की शिकायतें पर कार्रवाई की जाती हैं। इस समिति में 4 कार्यपालक निदेशकगण हैं और शेयरधारक निदेशक श्री पी.एन. प्रसाद इस समिति के अध्यक्ष हैं ।

4. Stakeholders Relationship Committee:

In compliance of Regulation 20 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Stakeholders' Relationship Committee, has been constituted, for redressal of the grievances of the shareholders/ investors with regard to the transfer of shares, non-receipt of Balance Sheet, non-receipt of dividends, etc. All the references/ complaints received from the investors during the year have been replied / redressed till date. Investors' grievances are normally attended to within seven days on receipt of the relevant information. The Committee comprises of Four Executive Directors and is headed by Shri P N Prasad, Shareholder's Director of the Bank.

श्री राजेश वी उपाध्या, कंपनी सचिव, इस उद्देश्य के लिए बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-2022 के दौरान बैंक को 5 शिकायतें प्राप्त हुई। इन सभी शिकायतों का निवारण किया गया है और यथा 31.03.2022 को एससीओआरईएस (SCORES) में कोई शिकायत लंबित नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान दिनांक 28.06.2021 को समिति की बैठक आयोजित की गई: सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नलिखित है:

Shri Rajesh V Upadhya, Company Secretary, is the Compliance Officer of the Bank for this purpose.

During the year 2021-22, Bank has received 5 Complaints. All of these have been resolved and there are no pending complaints at SCORES as on 31.03.2022.

The Committee met on 28.06.2021 during the FY 2021-22. The attendance record of the members is shown below:

Name of Directors	Meetings held during their tenure	Attendance Recorded	Period (From — To)
श्री पी. एन. प्रसाद Shri P N Prasad	1	1	01.04.2021 to 31.03.2022
श्री पी. आर. राजगोपाल Shri P.R. Rajagopal	1	1	01.04.2021 to 31.03.2022
श्री स्वरूप दासगुप्ता Shri Swarup Dasgupta	1	1	01.04.2021 to 31.03.2022
श्री एम. कार्तिकेयन Shri M. Karthikeyan	1	1	01.04.2021 to 31.03.2022
सुश्री मोनिका कालिया Ms Monika Kalia	1	1	01.04.2021 to 31.03.2022

5. शेयर अंतरण समिति:

इस समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अथवा उनकी अनुपस्थिति में कोई कार्यपालक निदेशक और दो शेयरहोल्डर निदेशक हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की 4 बैठकें हुई :

5. Share Transfer Committee:

It comprises of Managing Director & CEO or in his absence any Executive Director and two Shareholder Directors. The Committee met 4 times during the FY 2021-22 on the following dates:

03.05.2021	07.08.2021	12.11.2021	23.03.2022

6. जोखिम प्रबंधन के लिए निदेशकों की समिति:

इस समिति का गठन बैंक द्वारा लिए गए समस्त जोखिमों की समीक्षा और मूल्यांकन करने के लिए किया गया था। इस समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, चार कार्यपालक निदेशकगण और दो शेयरधारक निदेशक हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की 5 बैठकें हुई :

6. Committee of Directors for Risk Management:

This committee was formed to review and evaluate the overall risks assumed by the Bank. It comprises of Managing Director & CEO, four Executives Directors and Two Shareholder Director. The committee met 5 times during the FY 2021-22 on the following dates:

28.06.2021	23.07.2021	20.11.2021	16.02.2022	16.03.2022

7. ग्राहक सेवा के लिए निदेशकों की समिति:

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप सितंबर 2004 में ग्राहक सेवा के लिए निदेशकों की समिति का गठन किया गया था। समिति का कार्य बैंक द्वारा प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता में अनवरत रूप से सुधार लाने की है और ग्राहक सेवा हेतु गठित संचालन समिति (प्रधान कार्यालय में) के प्रदर्शन की समीक्षा करना है। इसमें प्रबंध निदेशक व सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक, एक शेयरधारक निदेशक और एक अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक शामिल होते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की 4 बैठकें हुईं:

7. Committee of Directors for Customer Service:

As per the RBI guidelines, the Customer Service Committee of the Board was formed in September 2004. The functions of the Committee are to bring about improvement in the quality of customer service provided by the Bank on an ongoing basis and to review the performance of the Standing Committee on Customer Service (at the Head Office). It comprises of Managing Director & CEO, Executive Directors, GOI Nominee Director, one Shareholder's Director and one Part time non official director. The committee met 4 times during the FY 2021- 2022 on the following dates:

28.06.2021	24.09.2021	18.12.2021	16.03.2022

8. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति:

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में निदेशकों के चयन के लिए व्यक्तियों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रखे गए 'फिट एंड प्रोपर' मानदंड को पूरा करना होगा। इस समिति को रिजर्व बैंक की अधिसूचना संख्या आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71/मास्टर निदेश डीबीआर-आवेदन क्र. : 09/29.67.001/2019-20 दिनांक 02 अगस्त 2019 को बनाया गया। नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में 2 स्वतन्त्र निदेशक और एक सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई ।

8. Nomination and Remuneration Committee:

Under the provisions of Section 9 (3) (i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Reserve Bank of India has laid down 'Fit and Proper' criteria to be fulfilled by the persons to be elected as Directors on the Boards of the Nationalised Banks. The Committee was formed in terms of Reserve Bank of India Notification No: RBI/DBR/2019-20/71/ Master Direction DBR-Appl.No: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019. The NRC consists of Two Independent Director and one Govt. Nominee Director.

No meeting was held during the FY 2021-22.

9. निवेश अनुमोदन समिति:

निवेश संबंधित निर्णय लेने के लिए निवेश अनुमोदन समिति का गठन किया गया। इस समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण,निदेशकगण, महाप्रबंधक - जोखिम प्रबंधन और महाप्रबंधक - वित्त शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निम्नलिखित तारीखों पर इसकी बैठकें हुई।

9. Investment Approval Committee:

The Investment Approval Committee was formed to take investment decisions. It consists of the Managing Director & CEO, Executive Directors, General Manager – Risk Management and General Manager – Finance. During the FY 2021- 2022 it met on the following dates:

08.06.2021	16.06.2021	03.07.2021	08.07.2021	19.07.2021	27.07.2021
04.08.2021	20.08.2021	22.09.2021	08.10.2021	01.11.2021	12.11.2021
03.12.2021	04.12.2021	17.12.2021	28.12.2021	07.03.2022	22.03.2022

10. बड़े मूल्य की धोखाधडियों की निगरानी हेतु समिति:

बड़े मूल्य की धोखाधडियों की निगरानी हेतु समिति का गठन किया गया था। इस समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण और तीन अन्य गैर कार्यपालक निदेशक हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निम्नलिखित तारीखों पर इसकी बैठकें हुई।

10. Committee for Monitoring of Large Value Frauds:

The Committee was formed to monitor large value frauds. This committee consist of the Managing Director & CEO, Executive Directors and three other Non-Executive Directors. During the FY 2021-22, it met on following dates:

28.05.2021	03.09.2021	26.11.2021	09.03.2022

11. आई.टी. कार्यनीति समिति एवं डिजिटल भुगतान प्रोत्साहन समिति :

आई.टी. कार्यनीतियों पर निर्णय लेने के लिए तथा आई.टी. परियोजनाओं के क्षेत्र में हुए विकास की निगरानी के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुपालन में यह समिति गठित की गई। इस समिति में प्रबंध निदेशक व सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण और तीन अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक शामिल हैं। वित्तीय-वर्ष 2021-22 के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की बैठकें हुई:

11. IT Strategy and Digital Payment Promotion Committee:

The Committee was formed in compliance of guidelines issued by Reserve Bank of India to take decision on IT Strategies and to monitor the development in the area of IT Projects. IT Strategy Committee consists of MD and CEO, Executive Directors, and three other Non-Executive Directors. During the FY 2021-22, it met on the following dates.

28.05.2021	03.09.2021	26.11.2021	16.02.2022

12. निदेशकों की पदोन्नति समिति:

इस समिति का गठन वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है । इस समिति में प्रबंध निदेशक व सीईओ, एक कार्यपालक निदेशक, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक और आरबीआई नामिती निदेशक शामिल होते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान समिति की 28.02.2022 को बैठक हुई।

12. Directors Promotion Committee:

The committee was formed on Ministry of Finance (DFS) Guidelines. The members of this committee are Managing Director & CEO, one Executive Director, GOI Nominee Director and RBI Nominee Director. During the year 2021-22, this committee met once 28.02.2022.

13. एचआर पर बोर्ड की संचालन समिति:

समिति एचआर से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए गठित की गई। इस समिति के प्रबंध निदेशक और सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण, सरकार द्वारा नामित निदेशक और एक शेयरधारक निदेशक शामिल हैं। वित्तीय-वर्ष 2021-22 के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की बैठकें हुई:

13. Steering Committee of the Board on HR:

The Committee was formed to consider the HR related matters. The Members of this committee are Managing Director & CEO, Executive Directors, Govt. Nominee Director and one Shareholder Director. During the FY 2021-22 it met on the following dates:

28.05.2021	03.09.2021	29.10.2021	03.12.2021	28.01.2022	09.03.2022

14. अत्यधिक मूल्य वाले एनपीए और हानि आस्तियां की निगरानी हेतु समिति :

समिति वसूली की निगरानी और उच्च 30 एनपीए की समीक्षा के लिए गठित की गई। इस समिति में प्रबंध निदेशक और सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण, सरकार द्वारा नामित निदेशक, अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक और संयोजक के रूप में महाप्रबंधक-वसूली विभाग संयोजक है। वित्तीय-वर्ष 2021-22 के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की बैठकें हुई :

14. Committee for Monitoring High Value NPAs and Loss Assets:

The Committee was formed to monitor recovery & review of top 30 NPAs. This committee consist of the Managing Director & CEO, Executive Directors, Govt. Nominee Director, Part Time Non official Director. General Manager – Recovery Department is the convener. During the FY 2021-22, it met on following dates:

30.04.2021	21.06.2021	24.09.2021	26.11.2021	27.01.2022	09.03.2022

15. इरादतन चूककर्ताओं के लिए समीक्षा समिति :

इस समिति के सदस्य प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, दो शेयरधारक निदेशक और एक अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक हैं। वित्तीय-वर्ष 2021-22 के दौरान समिति की

15. Review Committee for Wilful Defaulters:

The Members of this committee are Managing Director & CEO, Two Shareholder Directors and one Part time non official Director.

एक बार अर्थात 27.01.2022 को बैठक हुई ।

During the FY 2021-22, it met once on 27.01.2022.

16. बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों की समिति:

दो शेयरधारक निदेशक इस समिति के सदस्य हैं। स्वतंत्र निदेशक समिति की बैठक 16.03.2022 को हुई।

16. Independent Directors' Committee:

The two Shareholder Directors are the members of this Committee. The Independent Directors' Committee of the Board met on 16.03.2022.

17. बोर्ड की अनुशासनिक कार्यवाही समिति :

इस समिति के सदस्य प्रबंध निदेशक और सीईओ , सरकार द्वारा नामित निदेशक, आरबीआई नामित निदेशक और एक अन्य गैर कार्यपालक निदेशक है। वित्तीय-वर्ष 2021-22 के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की बैठकें हुई :

17. Disciplinary Proceedings Committee:

The Members of this committee are Managing Director & CEO, Govt. Nominee Director, RBI Nominee Director and one Shareholder Directors. During the FY 2021-22, it met on the following dates:

28.06.2021	24.09.2021	23.12.2021	09.03.2022

18. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति:

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ इस समिति के अध्यक्ष हैं. चार कार्यपालक निदेशकगण और एक स्वतंत्र निदेशक इस समिति के सदस्य हैं। निम्नलिखित तारीखों को समिति की बैठकें हुई :

18. Corporate Social Responsibility Committee:

The Managing Director & CEO is the Chairman of the Committee. Four Executive Directors and one Independent Director are members of this committee. The Committee met on the following dates:

28.06.2021	24.09.2021	18.12.2021	16.03.2022

19. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकों एवं महाप्रबंधकों के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन संबंधी समिति:

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के फाइल नं. 9/5/2009-आईआर दिनांक 30.08.2019 के निर्देशों के अनुसार इस समिति का गठन किया गया है। अध्यक्ष, सरकार द्वारा नामित निदेशक एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक इस समिति के सदस्य होते हैं। समिति की बैठक 28.01.2022 को हुई।

19. Committee for Performance Evaluation of Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors and General Managers

This committee is constituted as per Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services directives F. No. 9/5/2009-IR dated 30.08.2019. The Members of this committee are one Shareholder Director, Govt. Nominee Director and RBI Nominee Director. . The Committee met on 28.01.2022

20. सहयोग न करने वाले उधारकर्ताओं संबंधी घोषणा हेतु समिति:

यह समिति आरबीआई परिपत्र आरबीआई/20104-15/362/-डीबीआर सं सीआईडी. बीसी.54/20.16.064/2014-15 के अनुपालन में गठित की गई थी. इस समिति के सदस्य प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और एक -गैर कार्यपालक निदेशक हैं. उक्त वर्ष के दौरान इस समिति की बैठकें दिनांक 27.01.2022 को आयोजित की गई।

20. Committee for declaration of Non Co-operative Borrower

The committee was constituted as per RBI Circular RBI/2014-15/362- DBR No. CID.BC.54/20.16.064/2014-15. The committee consists of MD & CEO, Two Shareholder Director and one Part time Non official Director. During the year the committee met on 27.01.2022.

21. समूह प्रशासन समिति:

इस समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण और एक शेयरधारक निदेशक शामिल हैं. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान इस समिति की 04 बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गई।

21. Group Governance Unit Committee

The Committee consists of MD & CEO, four Executive Directors and Two Shareholder Directors. During the year, the committee met 4 times during the Financial Year 2021-22:

28.06.2021	18.09.2021	23.12.2021	16.03.2022

विगत वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति:

श्री ए.के. दास एमडी एवं सीईओ, श्री पी.आर राजगोपाल, श्री स्वरूप दासगुप्ता, श्री एम कार्तिकेयन, श्रीमती मोनिका कालिया और श्री पी.एन प्रसाद दिनांक 20 जुलाई 2021 को आयोजित बैंक की विगत अर्थात पचीसवीं वार्षिक आम बैठक में उपस्थित हुए।

Attendance of the Directors at the last Annual General Meeting:

Shri A K Das, MD & CEO, Shri P R Rajagopal, Shri Swarup Dasgupta, Shri M Karthikeyan, Smt. Monika Kalia and Shri P N Prasad attended the last Annual General Meeting i.e. Twenty Fifth Annual General Meeting of the Bank held on 20th July, 2021.

शेयर अंतरण और शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों का निवारण :

शेयर अंतरण, लाभांश/ ब्याज का भुगतान और निवेशकों से संबंधित अन्य सभी कार्यकलापों पर कार्रवाई हमारे पंजीयक एवं अंतरण एजेंट के कार्यालय में की जाती है। इनमें से किसी दस्तावेज को जमा करने और किसी भी पूछताछ/शिकायत/कठिनाइयों के संबंध में शेयरधारकों एवं निवेशकों से निम्नलिखित पते पर संपर्क करने का अनुरोध है :

Share Transfers and Redressal of Shareholders`/Investors` Grievances:

Share Transfers, Dividend / Interest Payments and all other investor related activities are attended to and processed at the office of our Registrar and Transfer Agents. For lodgement of any of these documents and for queries/complaints/grievances, shareholders and investors are requested to contact:

इक्विटी शेयरों और डिबेंचर/बॉण्ड्स के लिए :

बिगशेयर सर्विसेस प्रा. लि.,

ईकाई : बैंक ऑफ इंडिया,

कार्यालय सं एस6-2, छठवां तल, पिनाकल बिजनेस पार्क अहुरा सेंटर से आगे, महाकाली केव्स रोड,

अंधेरी (पूर्व) मुंबई- 400093,

उपर्युक्त के अलावा, निवेशक निम्नलिखित पते पर बैंक के शेयर विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं:

स्टार हाउस, 8 वां तल, पूर्वी खण्ड, सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई- 400 051, फोन 022-66684491, फैक्स- 022-66684491,

ई-मेल:headoffice.share@bankofindia.co.in

For Equity Shares and Debentures/ Bonds:

Bigshare Services Pvt. Ltd.,

Unit: Bank of India,

Office No S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park,

Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road,

Andheri (East) Mumbai – 400093

Apart from the above, investors may also contact the Bank at its Investor Relations Cell at:

Star House, 8th Floor, East Wing, C-5, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051, Phone: 022 – 6668 4491, Fax: 022 - 6668 4491,

E-mail: headoffice.share@bankofindia.co.in.

आम सभा बैठकें :
General Body Meetings:

क्र.सं. Sr. No.	बैठक का स्वरूप Nature of Meeting	दिनांक एवं समय Date & Time	स्थान Venue	विशेष संकल्प Special Resolution
1.	असाधारण आम बैठक (केवल एक वैध नामांकन प्राप्त हुआ, संभावित बैठक आयोजित नहीं हुई और सुश्री वेणी थापर को 04 दिसंबर 2021 से शेयरधारक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया. Extraordinary General Meeting (As only one valid nomination was received, the proposed meeting was not held and Ms. Veni Thapar was appointed as Shareholder Director w.e.f 04th December 2021.)	बुधवार, 15 दिसम्बर, 2021 11.00 A.M वीडियो कॉन्फ्रेंस(वीसी)/अन्य ऑडियो - विजुअल के माध्यम से (ओएवीएम) Wednesday, 15th December, 2021 at 11.00 A.M through Video Conference (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM).	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 Bank of India Head Office, Star House, Bandra Kuria Complex, Bandra (East), Mumbai — 400 051	केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों के बीच से एक निदेशक का चुनाव Election of One Director from amongst the Shareholders of the Bank other than the Central Government.
2.	25 वीं वार्षिक आम बैठक Twenty Fifth Annual General Meeting	मंगलवार , 20 जुलाई, 2021 11.00 सूबह वीडियो कॉन्फ्रेंस(वीसी)/अन्य ऑडियो - विजुअल के माध्यम से (ओएवीएम) Tuesday, 20th July 2021 at 11.00 A.M. through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM)	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 Bank of India Head Office, Star House, Bandra Kuria Complex, Bandra (East), Mumbai — 400 051	नई पूंजी और टियर-I/टियर-II बांड्स/ जारी करने हेतु अनुमोदन Approval to issue Fresh Equity Capital and Tier-I / Tier-II Bonds
3.	असाधारण आम बैठक Extraordinary General Meeting	बुधवार, 05 मई, 2021 11.00 सूबह वीडियो कॉन्फ्रेंस(वीसी)/ अन्य ऑडियो - विजुअल के माध्यम से (ओएवीएम) Wednesday 05th May, 2021, at 11.00 A.M through VC / OAVM.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 Bank of India Head Office, Star House, Bandra Kuria Complex, Bandra (East), Mumbai — 400 051	भारत सरकार(भारत का राष्ट्रपति) को अधिमानी आधार पर इक्विटी शेयर आंवटन एवं जारी करने हेतु अनुमोदन . Approval to issue and allot equity share on preferential basis to Government of India (President of India)
4.	असाधारण आम बैठक Extraordinary General Meeting	गुरुवार, 22 ऑक्टोबर, 2020 11.00 सूबह वीडियो कॉन्फ्रेंस(वीसी)/अन्य ऑडियो - विजुअल के माध्यम से (ओएवीएम) Thursday, 22nd October, 2020, at 11.00 A.M through VC / OAVM.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 Bank of India Head Office, Star House, Bandra Kuria Complex, Bandra (East), Mumbai — 400 051	केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों के बीच से एक निदेशक का चुनाव Election of One Director from amongst the Shareholders of the Bank other than the Central Government.

क्र.सं. Sr. No.	बैठक का स्वरूप Nature of Meeting	दिनांक एवं समय Date & Time	स्थान Venue	विशेष संकल्प Special Resolution
4.	असाधारण आम बैठक Extraordinary General meeting	शनिवार, 19 सितंबर , 2020 11.00 A.M. वीडियो कॉन्फ्रेंस(वीसी)/अन्य ऑडियो - विजुअल के माध्यम से (ओएवीएम) Saturday 19th September, 2020 at 11.00. a.m. through Video Conference (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM)	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 Bank of India Head Office, Star House, Bandra Kuria Complex, Bandra (East), Mumbai — 400 051 (Deemed Venue)	1. बैंक के शेयर प्रीमियम खाते से बैंक की संचित हानियों का विनियोजन । 2. नई पूंजी और टियर-1/ टियर-2 बॉण्ड्स/जारी करने हेतु अनुमोदन। 1. Appropriation of accumulated losses of the Bank from Share Premium Account of the Bank. 2. Approval to issue Fresh Capital and Tier-I / Tier-II Bonds.
5.	चौबीसवीं वार्षिक आम बैठक Twenty fourth Annual Annual General Meeting	11 अगस्त , 2020 11.00A.M. वीडियो कॉन्फ्रेंस(वीसी)/अन्य ऑडियो - विजुअल के माध्यम से (ओएवीएम) August 11, 2020 at 11.00 A.M through Video Conference (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM)	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 Bank of India Head Office, Star House, Bandra Kuria Complex, Bandra (East), Mumbai — 400 051	कुछ नहीं Nil
6.	पोस्टल बैलट Postal Ballot	16 जनवरी, 2020 16th January, 2020		विभिन्न माध्यमों से इक्विटी शेयर जारी करने हेतु बहुप्रयोजन अनुमोदन 1. Omnibus approval for issue of Equity Shares through various modes 2. Omnibus approval for issue of bonds.
7.	तेईसवीं वार्षिक आम बैठक Twenty Third Annual General Meeting	27 जून, 2019 सुबह 10 बजे 27th June, 2019 10.30 A.M.	Bank of India Auditorium, Star House, Bandra Kurla Complex, Mumbai 400 051.	कुछ नहीं Nil

प्रकटन:

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 , बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के अंतर्गत बैंक शासित है। सेबी ने यह स्पष्ट किया है कि विनियम 15(2) के अंतर्गत सूचीबद्ध संस्थाएं जो कंपनियां नहीं किंतु कार्पोरेट निकाय हैं या कारपोरेट शासन प्रणाली के प्रावधानों के अन्य संविधियों के विनियम के अधीन है, जैसा कि कुछ विनियमों के तहत स्पष्ट किया गया है यह उस सीमा तक लागू होगा जहां उनके संबन्धित प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा संबंधित संविधि का उल्लंघन न हो रहा हो।

i) निदेशकों का पारिश्रमिक:

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा कार्यपालक निदेशक का पारिश्रमिक केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। बैंक, अन्य निदेशकों को बैठक शुल्क, जो कि निम्नलिखित है, के अलावा अन्य किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करता:

क्र सं	विवरण	बैठक के अनुसार राशि
1.	बोर्ड बैठक में शामिल होने के लिए	रु. 70,000/-
2.	बोर्ड समिति की बैठक में शामिल होने के लिए	रु. 35,000/-

Disclosures:

The Bank is governed under the Banking Regulations Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 and Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and is regulated by Reserve Bank of India. Bank has complied with the provisions of SEBI (LODR) Regulations, 2015 except where the provisions of these regulations are not in conformity with the Nationalisation Act and the guidelines issued by RBI and Government of India.

i) Remuneration of Directors :

The remuneration of the Managing Director & CEO and Executive Directors is fixed by the Central Government. The Bank does not pay any remuneration to the other Directors except sitting fees which is as under:

Sr	Particulars	Sitting Fee
1.	For attending Board Meeting.	Rs. 70, 000/-
2.	For attending meeting of Board Committee	Rs. 35, 000/-

3.	बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करने के लिए	रु. 20,000/- [उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त].
4.	बोर्ड समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए	रु. 10000/- [उपर्युक्त (ख) के अतिरिक्त].

* प्रति निदेशक प्रतिवर्ष रु. 25 लाख की सम्पूर्ण सीमा के अधीन

ii) महत्वपूर्ण संव्यवहारों और आर्थिक संबंधों का प्रकटन:

बैंक कारोबार की सामान्य प्रकृति के अलावा बैंक ने कोई महत्वपूर्ण भौतिक संव्यवहार इसके प्रवर्तकों, निदेशकों अथवा प्रबंधन, उनकी सहायक कंपनियों अथवा संबंधियों आदि से नहीं किया है जिसका बैंक के हितों से कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास हो सकता हो। बैंक और इसके गैर-कार्यपालक निदेशक के बीच वर्ष के दौरान कोई आर्थिक संबंध अथवा संव्यवहार नहीं हुए हैं।

बैंकिंग में यह सुस्थापित प्रथा है कि निदेशक, बोर्ड और बोर्ड की उप समितियों की उपसमतियों की उन चर्चाओं में भाग नहीं लेते जिनसे उनसे संबंधित या उनके रिश्तेदारों से संबंधित कोई मामला बोर्ड में चर्चाधीन होता हो।

iii) सार्वजनिक निर्गमों, अधिकार निर्गमों, अधिमानी निर्गमों, टियर बांड्स आदि की आगम राशियाँ

a) इक्विटी शेयर जारी करके :

दिनांक	कार्यक्रम
31/08/2021	क्यूआईपी के माध्यम से रु. 2550.01 करोड़ जुटाए गए
11/06/2021	भारत सरकार को अधिमानी जारी के माध्यम से रु. 3000 करोड़ के इक्विटी शेयर जुटाए गए. उक्त हेतु आवेदन राशि 31.03.2021 को प्राप्त हुई।

b) बेसल III अपरिवर्तनीय बांड्स जारी करके :

आवंटन की तिथि	विवरण (निवेशक)	शेयर/बांड्स की संख्या	निर्गम आकर
30.09.2021	बेसल III अपरिवर्तनीय 7.14% टियर बांड्स	1800	रु.1800 करोड़

iv. पूंजी पर्याप्तता अनुपात को सशक्त करने के लिए तथा बैंक की लंबी अवधि के स्रोतो को विकसित करने के लिए टियर I एवं टियर II पूंजी संवर्धित करने के प्राथमिक उद्देश्य से निधि बढ़ाई गई तथा इस उद्देश्य हेतु उसका उपयोग किया गया।

v. किसी भी स्टॉक एक्सचेंज, सेबी या अन्य वैधानिक प्राधिकारी द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक पर पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले पर कोई दंड या प्रतिबंध नहीं लगाया गया।

vi. सेबी एलओडीआर विनियमन-2015 के विनियम 40 (9) के अनुसार अंतरण करने, प्रेषण, उप विभाजन, समेकन, नवीनीकरण एवं प्रस्तुतीकरण के एक माह के भीतर इक्विटी शेयर्स के विनिमय के संबंध में जानकारी के साथ-साथ व्यावसायिक कंपनी सचिव से प्रत्येक वर्ष में एक प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जाता है। ये प्रमाण पत्र जारी किए जाने के 30 दिनों के भीतर बीएसई और एनएसई के वेब-पोर्टल, जहां शेयर सूचीबद्ध हैं, पर लोड किए जाते हैं।

3.	For Chairing Board Meeting	Rs.20,000/- [in addition to (a) above]
4.	For Chairing meeting of Board Committee	Rs.10,000, -[in addition to (b) above]

* Subject to an overall ceiling of Rs.25.00 lakhs per annum per Director.

ii) Disclosure of Material Transactions and Pecuniary Relationship

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management, their subsidiaries or relatives etc., which may have potential conflict with the interests of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the Non-Executive Director vis-a-vis the bank during the year.

It is an established practice in the Bank that Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or to their relatives are discussed.

iii) Proceeds from Public issues, Right issues, Preferential issues, Tier 2 bonds, etc.

a) By issue of Equity Shares:

Date	Event
31/08/2021	Raising of Rs 2550.01 Crores through QIP
11/06/2021	Raising of Equity share of Rs 3000 Crore Through Preferential Issue to Govt of India. Application money for the same was received on 31/03/2021

b) By Issue of Basel III compliant Bonds:

Date of Allotment	Particulars (Investors)	Number of Shares/ Bonds	Issue Size
30.09.2021	Basel III compliant 7.14 % Tier II Bonds	1800	Rs.1800 crore

iv. The funds were raised with the primary objective of augmenting Tier-I and Tier-II Capital for strengthening Capital Adequacy Ratio and for improving the long- term resources of the Bank and the same were utilised for the said purpose.

v. No penalties or strictures were imposed on the Bank by any of the Stock Exchanges, SEBI or any Statutory Authority on any matter relating to Capital Markets during the year under review.

vi. As required under regulation 40(9) of the SEBI LODR Regulations-2015, a certificate is obtained every Year from a practising Company Secretary, with regard to, inter alia, effecting transfer, transmission, sub-division, consolidation, renewal and exchange of equity shares within one month of the lodgement. The certificates are uploaded on the web portals of BSE and NSE, where the equity shares are listed, within 30 days of issuance.

vii. सेबी के परिपत्र सं. डी एवं सीसी/एफआईटीटीसी/सीआइआर-16 दिनांक 31 दिसंबर, 2002 की शर्तों के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ कुल प्रविष्ट इक्विटी शेयर पूंजी के समाधान एवं बैंक ऑफ़ इंडिया की कुल जारी/प्रदत्त इक्विटी पूंजी सहित प्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत किए जाने के प्रयोजन के साथ-साथ अभ्यासी कंपनी सचिव की फर्म के द्वारा तिमाही आधार पर एक कैपिटल रिपोर्ट का समाधान (reconciliation) किया जाता है। इस संबंध में जारी प्रमाणपत्र निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं एवं बीएसई एवं एनएसई को प्रेषित किए जाते हैं जहां बैंक ऑफ़ इंडिया के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए गए हैं।

viii. वर्तमान में बैंक का कोई भौतिक अनुषंगी नहीं है।

ix. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक - स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक 16.03.2022 को आयोजित की गयी।

x. गैर-कार्यपालक निदेशकों का प्रशिक्षण:

वर्ष के दौरान निरंतर कोविड महामारी की स्थिति के कारण, बैंक गैर-कार्यपालक निदेशकों को बैंक के उद्योग की प्रकृति और व्यवसाय मॉडल से परिचित कराने के लिए प्रशिक्षण प्रदान नहीं कर सका।

हालांकि, निदेशकों को अलग-अलग दस्तावेजों के साथ बैंक की प्रक्रिया और नीतियों से परिचित कराया गया था।

xi. निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता बैंक की वेबसाइट- https://www.bankofindia.co.in/pdf/BOI_Code_of_Conduct_Dir_19042021.pdf पर पोस्ट किया गया है।

xii. व्हिसल ब्लोअर नीति बैंक की वेबसाइट - http://www.bankofindia.co.in/english/SEBI.aspx पर पोस्ट किया जाता है।

xiii. संबंधित पार्टी संव्यवहार - संबंधित पार्टी संव्यवहार की सूचना लेखापरीक्षा समिति को दी जाती है। संबंधित पार्टी संव्यवहार पर बैंक की नीति बैंक की वेबसाइट https://www.bankofindia.co.in/SEBIParty पर पोस्ट की जाती है - संबंधित पार्टी के संव्यवहार का विस्तृत वर्णन एएस-18 के अंतर्गत है।

xiv. पारिश्रमिक नीति - प्रबंध निदेशक और सीईओ, कार्यपालक निदेशकों का पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है। अन्य स्टाफ सदस्यों के वेतन का निर्धारण आईबीए के त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार होता है।

xv. लेखा परीक्षकों को भुगतान की गई फीस का विवरण:

क्र.सं.	विवरण	राशि (करोड़ रुपये में)
1	वर्ष 2021-22 हेतु बैंक के लेखापरीक्षकों को प्रदत्त राशि	93.28
2	वर्ष 2021-22 हेतु बैंक एवं उसके अनुषंगियों के लेखापरीक्षकों को प्रदत्त राशि	95.04

संचार के माध्यम:

तिमाही और अर्ध-वार्षिक वित्तीय परिणाम (अलेखापरीक्षित लेकिन सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के अध्यधीन) और लेखा परीक्षित वार्षिक परिणाम बिजनेस स्टैंडर्ड में अंग्रेजी में, मुंबई लक्षदीप तथा लोकसत्ता में मराठी (क्षेत्रीय भाषा) में और बिजनेस स्टैंडर्ड में हिंदी में प्रकाशित हुए। परिणाम बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.co.in पर भी प्रदर्शित किया गया है। संस्थागत निवेशकों को की गई प्रस्तुतियां भी बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

जैसा कि सेबी द्वारा अपेक्षित है तथा एलओडीआर करारनामे के अनुसार, बैंक ऑफ इंडिया, स्टॉक एक्सचेज के अपने वेब पोर्टलों पर ऑनलाइन वित्तीय तथा अन्य सूचनाएं फाइल करता है।

vii. In terms of SEBI's circular No.D&CC/FITTC/CIR-16 dated December 31, 2002 a Reconciliation of Capital Audit is conducted on a quarterly basis by a firm of practising company secretaries, for the purpose of, inter alia, reconciliation of the total admitted equity share capital with the depositories and in the physical form with the total issued/paid up equity capital of Bank of India. Certificate issued in this regard is placed before the Board of Directors and forwarded to BSE and NSE, where the equity shares of Bank of India are listed.

viii. At present, the Bank does not have any material subsidiary.

xi. **Independent Directors Meeting:** The separate meeting of Independent Directors was held on 16.03.2022

x. **Training of Non-Executive Directors:**

Due to continued Covid pandemic situation during the year, the Bank could not provide the training to Non-Executive Directors to familiarize them with the nature of industry and business model of the Bank.

However, the Directors were familiarised with Bank's Procedure and Policies with separate set of documents.

xi. Code of Conduct for Directors and Senior Management is posted on Bank's website – https://www.bankofindia.co.in/pdf/BOI_Code_of_Conduct_Dir_19042021.pdf

xii. Whistle Blower Policy is posted on Bank's website – http://www.bankofindia.co.in/english/SEBI.aspx

xiii. Related Party transaction – The Related party transactions are reported to Audit Committee. The Bank's policy on Related Party transaction is posted on Bank's website – https://www.bankofindia.co.in/SEBIPartyTransaction details of related party transactions are as detailed under AS-18.

xiv. Remuneration Policy - The Remuneration of the Managing Director & CEO, Executive Directors is fixed by the Government of India. Salary of other staff members is as per the Tripartite Agreement of the IBA.

xv. Details of fees paid to Auditors:

Sl. No.	Particulars	Amount (Rs. In Crore)
1	Amount paid to Auditors of the Bank for the year 2021-22	93.28
2	Amount paid to Auditors of the Bank and its subsidiaries for the year 2021-22	95.04

Means of Communication:

The quarterly and half-yearly financial results (unaudited but subject to limited review by the Statutory Auditors) and audited Annual results were published in the Business Standard and Economic Times in English, Mumbai Lakshadeep and Loksatta in Marathi (Regional language) and Business Standard in Hindi. The results were also displayed on the Bank's website at **www.bankofindia.co.in.** The presentations made to Institutional Investors are also available on Bank's website.

As required by SEBI and in the Listing Regulations, Bank of India files its financial and other information online on the web portals of the Stock Exchange.

वित्तीय कैलेंडर: 1 अप्रैल, 2022 से :

बैंक ऑफ इंडिया के वार्षिक लेखा परीक्षित खातों तथा लाभांश की अनुशंसा, पर चर्चा हेतु बोर्ड की बैठक, यदि कोई हो	24.05.2022
वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण	ईमेल / स्पीड पोस्ट / कूरियर द्वारा
बही बंद करने की तिथि (दोनों दिन सम्मिलित)	09.07.2022 से 15.07.2022
प्राधिकृत आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	09.07.2022
लाभांश के भुगतान के लिए रिकॉर्ड तिथि	08.07.2022
26वीं एजीएम की तिथि, समय, स्थल	15 जुलाई, 2022 12.00 P.M. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैंक ऑफ इंडिया, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई 400 051
प्रथम तीन तिमाहियों के अलेखापरीक्षित परिणाम पर विचार करने हेतु बोर्ड की बैठक	संबंधित तिमाही के 45 दिनों के भीतर।

स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण

बैंक के शेयरों का बीएसई लि., नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीकरण किया गया है। स्टॉक स्क्रिप कोड निम्नानुसार हैं:

बीएसई लि. (बीएसई)	532149/ BANKINDIA
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई)	BANKINDIA EQ
आईएसआईएन क्रमांक	INE084A01016

उक्त दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

बैंक ने समय-समय पर डिबेंचर के रूप में अपरिवर्तनीय बॉड (टियर I और II पूंजी) जारी किये हैं। तत्संबंधित ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

विवरण	राशि	जारी करने की तिथि
श्रृंखला XV 7.14%- टियर II (INE084A08151)	1800 करोड़	30-09-2021

Financial Calendar: From 1st April, 2022:

Board Meeting for considering Annual Audited Accounts of Bank of India and recommendation of dividend, if any	24.05.2022
Posting of Annual Report	By Email /Speed Post/ Courier.
Book Closure dates (both days inclusive)	09.07.2022 to 15.07.2022
Last date for receipt of Authorised Representation	09.07.2022
Record Date for payment of dividend	08.07.2022
Date, Time, Venue of 26th AGM	15th July, 2022 at 12.00 P.M. through VC / OAVM Bank of India, Star House, Bandra Kurla Complex, Mumbai 400 051.
Board Meeting for considering Un-audited result for first 3 quarters	Within 45 days of the relevant quarter.

Listing on Stock Exchanges

The shares of the Bank are listed on The BSE Ltd., and The National Stock Exchange of India Limited. The stock scrip codes are as follows:

The BSE Ltd. (BSE)	532149/ BANKINDIA
National Stock Exchange of India Limited (NSE)	BANKINDIA EQ
ISIN Number	INE084A01016

Annual listing fee for 2021-22 has been paid to both the Stock Exchanges.

The Bank has issued Non Convertible Bonds in the nature of Debentures (Tier I & II capital) from time to time. The relevant details thereof are as under:

Particulars	Amounts	Date of Issue
Series XV 7.14%- Tier II (INE084A08151)	1800 Crore	30-09-2021

वैंक ऑफ इंडिया बॉन्ड - टीयर I और टीयर II बॉन्ड की स्थिति यथा 31.03.2022

BANK OF INDIA BOND – TIER I and TIER II BONDS POSITION AS ON 31.03.2022

निर्गम का विवरण **Particulars of the Issue**		कुल मूल्य (रु. करोड़ में) **Total Value (Rs. in Crores)**	आईएसआईएन संख्या **ISIN No.**
अतिरिक्त टियर I Additional Tier I	**कूपन दर Coupon Rate**		
श्रृंखला - VI Series - VI	9.04%	750	INE084A08136
श्रृंखला VII Series VII	9.30%	602	INE084A08144
टियर II बॉन्ड Tier II Bonds			
श्रृंखला X Series-X	9.80%	1,000	INE084A08037
श्रृंखला -XI Series-XI	9.80%	500	INE084A08045
श्रृंखला XII Series-XII	8.52%	3,000	INE084A08060
श्रृंखला XV Series XV	7.14%	1,800	INE084A08151
कुल TOTAL		**7652**	

इन सभी बॉन्डों का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. में सूचीकरण किया गया हैं तथा बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को वर्ष 2021-22 का वार्षिक शुल्क अदा किया है।

All these bonds are listed on National Stock Exchange of India Ltd. and the Bank has paid the Annual listing fee for 2021-2022 to the Stock Exchange.

क्रेडिट रेटिंग (दृष्टिकोण): Credit Ratings (Outlooks):

क्र.सं. Sr. No.	जारीकर्ता रेटिंग Issuer Rating	कॉर्पोरेट रेटिंग (दीर्घ/लघु) Corporate Rating (Long/ Short)	बैंक सावधि जमा Bank Fixed Deposit	अतिरिक्त टियर I बॉन्ड Additional Tier I Bonds	टियर II बॉन्ड Tier II Bonds	जमा प्रमाणपत्र Certificate of Deposit
1	स्टैंडर्ड एण्ड पूअर (एसएंडपी) Standard & Poor (S&P)	BB+/ B (स्थिर) (Stable)	-	-	-	-
2	फिच रेटिंग्स Fitch Ratings	BBB-/ B+ (स्थिर) (Stable)	-	-	-	-
3	क्रिसिल लिमिटेड CRISIL Limited	-	-	AA (स्थिर) (Stable)	AA+ (स्थिर) (Stable)	-
4	ब्रिकवर्क रेटिंग Brickwork Ratings	-	-		AA (स्थिर) (Stable)	-
5	इन्फोमेरिक वैल्यूएशन और रेटिंग InfomericValuation & Rating	AAA (स्थिर) (Stable)	-	-	AAA (स्थिर) (Stable)	-
6	एक्यूट रेटिंग Acuite Ratings	AA (स्थिर) (Stable)		AA (स्थिर) (Stable)	-	-
7	आईसीआरए ICRA	-	ICRA AA+			

शेयरों का अमूर्तीकरण:

बैंक के शेयरों का लेन-देन अनिवार्य रूप से केवल अमूर्त (डीमैट) रूप में ही किया जाता है। बैंक ने शेयरों के अमूर्तीकरण के लिए दोनों निक्षेपागारों यथा राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. (एनएसडीएल) एवं केन्द्रीय निक्षेपागार सेवाएं (भारत) लि. (सीडीएसएल) के साथ करार किया गया है।

यथा 31/03/2022 को शेयरधारकों द्वारा प्रत्यक्ष एवं अमूर्त रूप में धारित शेयरों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

Dematerialisation of Shares:

The Bank's shares are being traded compulsorily in Demat form only. The Bank has entered into agreements with both the Depositories viz. National Securities Depositories Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for dematerialization of shares.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by the shareholders as of 31/03/2022 are as under:

		शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरधारकों का % Shareholders in %	शेयरों की संख्या No. of Shares	शेयरधारिता का % Shareholding %
एनएसडीएल	NSDL	152160	29.12	597238183	14.55
सीडीएसएल	CDSL	279594	53.51	3492776473	85.12
मूर्त	Physical	90802	17.38	13551414	0.33
कुल	Total	522556	100.00	4103566070	100.00

इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से लाभांश/ब्याज भुगतान:

जहां कहीं भी निवेशकों द्वारा अधिदेश दिया जाता है, बैंक विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से निवेशकों को शेयरों पर लाभांश/बॉन्डों पर ब्याज का भुगतान कर रहा है। इस उद्देश्य के लिए, बैंक नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच), नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज (एनईसीएस), आर.टी.जी.एस, एन.ई.एफ.टी और डायरेक्ट क्रेडिट आदि की सेवाओं का उपयोग कर रहा है।

DIVIDEND / INTEREST PAYMENT THROUGH ELECTRONIC MODES

The Bank is paying Dividend on Shares / Interest on Bonds to the Investors through various electronic modes, wherever mandate is given by he Investors. For this purpose, Bank is using the services of National Automated Clearing House (NACH), National Electronic Clearing Services (NECS), RTGS, NEFT and Direct Credit, etc.

निवेशक इस रिपोर्ट में दिए गए पते पर अपना जनादेश बैंक के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, मेसर्स बिगशेयर सर्विसेज प्रा. लिमिटेड को दर्ज़ करा सकते हैं।

लाभांश का भुगतान/रिकॉर्ड दिनांक :

बैंक के निदेशक मंडल के अनुमोदन के अधीन एजीएम में वर्ष 2021-22 के लिए प्रत्येक शेयरधारक को रु.2.00 प्रति इक्विटी शेयर (अर्थात 20%) के अंकित मूल्य के लाभांश की सिफारित की है। उन शेयरधारकों कोा लाभांश का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है, जिनके नाम एनएसडीएल/सीडीएसए द्वारा शुक्रवार दिनांक 08 जुलाई, 2022 (बाद में रिकॉर्ड तिथि के रूप में संदर्भित) के अनुसार शेयरधारकों/लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज़ हैं। वार्षिक आम बैठक (15 जुलाई, 2022) में घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान किया जाएगा।

अदावाकृत लाभांश, यदि कोई हो:

जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वारंट का नकदीकरण नहीं किया है / पिछली अवधियों अर्थात् वर्ष 2014-15 का लाभांश प्राप्त नहीं किया है, उन्हें पुनर्वैधिकरण/डुप्लीकेट वारंट जारी कराने के लिए बैंक के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए), मेसर्स बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है। बैंक ने अदावाकृत/अदत्त लाभांश वारंट का विवरण अपनी साइट headoffice.share@bankofindia.co.in. पर संपर्क करके दावा कर सकें ।

राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 10बी के अनुसार, सात साल की अवधि के लिए बकाया या अदावाकृत लाभांश की राशि को केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के तहत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में स्थानांतरित करना अपेक्षित है। बैंक वर्ष 2014-15 के लिए अदावाकृत/अदत्त लाभांश राशि को 20.08.2022 को उक्त निधि में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में है।

Investors may lodge their mandate with Bank's Registrar and Transfer Agent, M/s Bigshare Services Pvt. Ltd., at the address given in this report.

PAYMENT OF DIVIDEND / RECORD DATE:

The Board of Directors of the Bank has recommended a dividend of Rs.2.00 per equity share (i.e. 20%) of face value of Rs.10/- each to the Shareholders for the year 2021-22, subject to the approval of the Shareholders at the AGM. It has been decided to pay the dividend to the Shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial owners as furnished by NSDL / CDSL as on Friday, 08th July 2022 (hereinafter referred to as Record Date). The dividend will be paid to the shareholders within 30 days from the date of declaration at the Annual General Meeting (15th July, 2022).

UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY:

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend of previous periods i.e for the year 2014-15, are requested to contact the Registrar and Transfer Agent (RTA) of the Bank, M/s Bigshare Services Pvt. Ltd., for revalidation / issue of duplicate warrants. The Bank has posted the details of the unclaimed / unpaid dividend warrants on its site i.e www.bankofindia.co.in to enable the shareholders to claim by contacting the RTA / or the Bank at headoffice.share@bankofindia.co.in.

As per Section 10B of the Nationalisation Act, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under section 125 of the Companies Act, 2013. The Bank is in the process of transferring the Unclaimed / Unpaid Dividend amount for the year 2014-15 to the said fund on 20.08.2022.

31.03.2022 को शेयरधारिता का पैटर्न तथा 31.03.2022: Shareholding Pattern as on 31.03.2022:

शेयरधारकों का वर्ग	Category of Shareholders	शेयरधारकों की संख्या Number of Shareholders	शेयरों की संख्या Number of Shares	शेयरधारिता % % of Holding	लॉक इन के तहत शेयर Shares under Lock- in	लॉक इन के तहत शेयरों का % % of Shares under Lock-in
प्रवर्तक (भारत सरकार)	Promoter (Government of India)	1	3340861720	81.4136	1892563647	100.0000
म्यूचुअल फंड	Mutual Funds	20	24882381	0.6064	0	0.0000
वित्तीय संस्थाएं/बैंक	Financial Institution/Bank	23	54143370	1.3194	0	0.0000
बीमा कंपनियां	Insurance Company	11	365972296	8.9184	0	0.0000
कार्पोरेट निकाय	Bodies Corporate	1420	17189745	0.4189	0	0.0000
विदेशी वित्तीय संस्था निवेशक	Foreign Financial Institution Investor	79	38626575	0.9413	0	0.0000
भारतीय जनता	Indian public	518225	244186189	5.9506	0	0.0000
अन्य	Others	2776	17703794	0.4314	0	0.0000
कुल	**Total**	**522555**	**4103566070**	**100.0000**	**1892563647**	**100.0000**

एकल व्यक्तियों (जन सामान्य) की शेयरधारिता जिनके पास कुल शेयरों की संख्या का 1% से अधिक है:
Shareholding of persons (Public) holding more than 1% of the total number of shares:

शेयरधारक का नाम	Name of the Shareholder	शेयरों की संख्या Number of Shares	शेयरधारिता % % of Holding
भारतीय जीवन बीमा निगम	Life Insurance Corporation of India	289287324	7.04%

शेयरधारिता का संवितरण यथा 31 मार्च, 2022:
Distribution of Shareholdings as on 31st March, 2022:

धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	No. of Equity Shares held	फोलियो Folio		शेयर Shares	
		संख्या Nos.	प्रतिशत %age	संख्या Nos.	प्रतिशत %age
500 तक	Upto 500	442880	84.7526	55293981	1.3475
501 से 1000	501 to 1000	35866	6.8636	28455513	0.6934
1001 से 5000	1001 to 5000	37798	7.2333	84159227	2.0509
5001 से 10000	5001 to 10000	3620	0.6927	26677968	0.6501
10001 एवं इससे अधिक	10001 & Above	2392	0.4577	3908979381	95.2581
कुल	**Total**	**522556**	**100.0000**	**4103566070**	**100.00**

Share Price/Volume:

The monthly high and low quotation and the volume of Shares traded on NSE are as under:

अवधि	Period	अधिकतम रु. Highest Rs.	न्यूनतम रु. Lowest Rs.	Volume of Share Traded शेयरों के लेन-देन की मात्रा
अप्रैल-2021	April-2021	75.70	52.60	14,68,04,751
मई-2021	May-2021	82.75	64.60	21,17,22,864
जून-2021	June -2021	87.00	73.10	19,24,99,149
जुलाई-2021	July-2021	78.75	69.35	4,58,10,676
अगस्त-2021	Aug-2021	76.65	62.00	5,19,22,800
सितंबर-2021	Sep-2021	66.75	55.50	21,20,76,423
अक्टूबर-2021	Oct-2021	64.70	54.70	25,89,84,887
नवंबर-2021	Nov-2021	55.80	54.10	15,46,95,227
दिसंबर-2021	Dec-2021	58.80	48.80	10,70,91,083
जनवरी-2022	Jan-2022	57.45	50.35	11,91,81,957
फरवरी-2022	Feb -2022	59.60	43.15	17,82,87,026
मार्च-2022	March-2022	50.30	45.05	8,78,46,638

व्यापक आधारित सूचियों (broad based indices) की तुलना में प्रदर्शन:
Performance in comparison to Broad Based Indices:

एनएसई में बैंक ऑफ़ इंडिया का शेयर मूल्य Bank of India Share Price on NSE	बीएसई में बैंक ऑफ़ इंडिया का शेयर मूल्य Bank of India Share Price on BSE
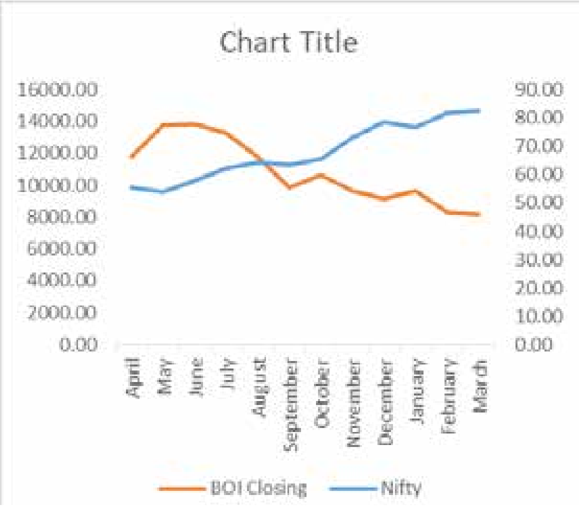	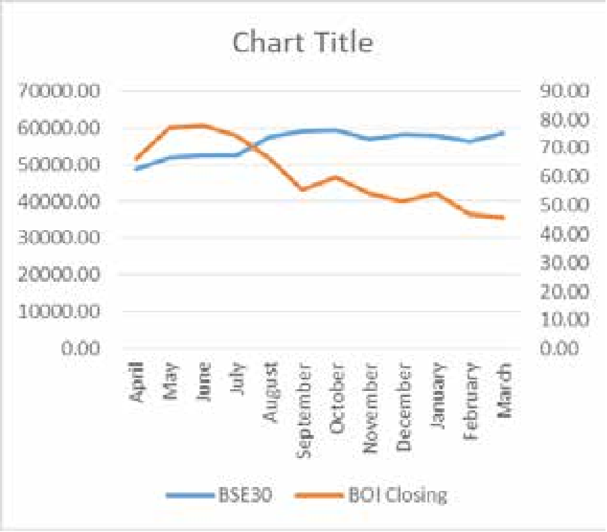

अन्य अनुपालन:

1. स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीकरण करार की शर्तों के अनुसार कॉर्पोरेट शासन प्रणाली के अनिवार्य अनुबंध के अनुपालन में कारोबारी कंपनी सचिव द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
2. कंपनी सचिव से प्राय: इस आशय का प्रमाण पत्र निदेशक मंडल के किसी भी निदेशक को कंपनी के निदेशक/कार्पोरेट मामलों या ऐसी किसी वैधानिक स्वायत्तता द्वारा नियुक्त अथवा जारी रखे जाने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
3. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट:

   सेबी एलओडीआर 2015 के विनियम 24A के अनुपालन में वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट (फॉर्म एमआर 3) संलग्न है।
4. अनुषंगियों के वित्तीय विवरण:

   सेबी एलओडीआर 2015 के विनियम 46(2) के अनुपालन में, अनुषंगियों के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण हमारी वेबसाइट यानी www.bankofindia.co.in पर अपलोड कर दिए गए हैं।

अनिवार्य / गैर अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन:

बैंक ने सेबी सूचीकरण करार, 2015 की अनुसूची II के भाग-ई की निम्नलिखित विवेकपूर्ण अपेक्षाओं का अनुपालन किया है:

Other Compliances:

1. The certificate issued by the practicing Company Secretary, regarding compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance in terms of the listing agreement with the Stock Exchange is attached.
2. A Certificate from a Company Secretary in practice that none of the Directors on the board of the company have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the Board / Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority is attached.
3. Secretarial Audit Report:

   In Compliance of Regulation 24A of SEBI LODR 2015, the Annual Secretarial Compliance Report (Form MR 3) is enclosed.
4. Financial Statements of Subsidiaries:

   In compliance of Regulation 46(2) of SEBI LODR 2015, the Audited Financial Statements of subsidiaries have been uploaded on our website i.e. www.bankofindia.co.in.

Compliance of Mandatory / Non Mandatory Requirements:

The Bank has complied with the following Discretionary Requirement as mentioned under Part –E of Schedule II of SEBI LODR Regulations, 2015:

क्र.सं. Sr. No.	अपेक्षाएं जो गैर-अनिवार्य हैं Non Mandatory requirements	कार्यान्वयन की स्थिति Status of implementation
1	**बोर्ड** - एक गैर कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के खर्च पर अध्यक्ष का कार्यालय रखने के लिए हकदार है। The Board – A Non-Executive Chairman may be entitled to maintain a Chairman's office at the company's expenses.	अध्यक्ष का पद गैर-कार्यपालक का है और बैंक में उनका पृथक कार्यालय है। The Chairman's Position is a Non- Executive and he is having a separate office in the Bank.

2	**शेयरधारकों का अधिकार-** विगत छः महीनों में महत्वपूर्ण घटनाओं का सारांश सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की अर्धवार्षिक घोषणा शेयरधारकों को भेजी जा सकती है। Shareholder's Rights- A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six- months, may be sent to shareholders.	तिमाही/वर्ष में आज तक/वार्षिक वित्तीय विवरण एवं प्रमुख विशेषताएं एनएसई और बीएसई को भेजी जाती है और अखबारों में प्रकाशित की जाती है तथा बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती है। अतः शेयरधारकों को सूचना व्यक्तिशः नहीं भेजी जाती है। The quarterly/year to date/ Annual Financial Results are sent to NSE & BSE & published in Newspapers and placed on Bank's website including highlights. As such, information to Shareholders is not sent individually.
3	**लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संशोधित मत -** सूचीबद्ध संस्था असंशोधित लेखा परीक्षा मत वाली वित्तीय विवरण की व्यवस्था का चयन कर सकती है। Modified Opinion (s) in Audit Report –The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion.	बैंक के वार्षिक वित्तीय विवरण असंशोधित लेखा-परीक्षा मत के साथ हैं। The Bank's Annual Financial Statements are with unmodified audit opinion..
4	**आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंग** Reporting of Internal Auditor	सभी आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति हमारे निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा विभाग द्वारा की जाती है, जो लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट करता है। All internal auditors are appointed by our Inspection and Audit Department, which reports to Audit Committee.
5.	**अध्यक्ष एवं सीईओ के पृथक पद -** सूचीबद्ध संस्था अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर अलग-अलग व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है। Separate posts of Chairperson and Chief Executive Officer- The listed entity may appoint separate persons to the post of Chairperson and Managing Director or Chief Executive Officer.	बैंक के पास यह पद है। The Bank is having this position.

आर. एस. पाडिया एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

कॉर्पोरेट शासन प्रणाली पर प्रमाणपत्र

सदस्यगण
बैंक ऑफ इंडिया
स्टार हाउस,सी-5,जी ब्लॉक
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स
बांद्रा (पूर्व)
मुंबई-400 051

हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑ.फ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड (स्टॉक एक्सचेंज) के साथ हुए सूचीकरण करार के तहत कॉर्पोरेट शासन प्रणाली की शर्तों, जिनका उल्लेख सेबी सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं विनियम, 2015 के विनियम 17-27, 46 एवं अनुसूची V के प्रावधानों में किया गया है, के अनुपालन के प्रमाणीकरण के प्रयोजन से बैंक ऑफ़ इंडिया ("बैंक/कंपनी") के सभी संगत अभिलेखों की जांच की है।

कॉर्पोरेट शासन प्रणाली की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच कॉर्पोरेट शासन प्रणाली की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली तथा उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी।

यह प्रमाणत्र न तो भविष्य में बैंक की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही प्रबंधन द्वारा बैंक की दक्षता या प्रभावशीलता के संचालन से संबन्धित है।

हमारी राय में और हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने ऊपर उल्लेख किए गए सेबी (एलओडीआर) 2015 में निर्धारित कॉर्पोरेट शासन प्रणाली की शर्तों का अनुपालन किया है।

कृते आर. एस. पाडिया एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
(आईसीएसआई यूनिक कोड S2007MH094000)

हस्ता./-

सीएस राजश्री पाडिया
एफसीएस: 6804
सीपी: 7488
यूडीआईएन : F006804D000232810

दिनांक: 28.04.2022
स्थान: मुंबई

R.S. Padia & Associates
Company Secretaries

CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

The Members
Bank of India
Star House, C-5, `G' Block,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East)
Mumbai 400 051

We have examined all relevant records of Bank of India ("the Bank/Company") for the purpose of certifying compliances of conditions of Corporate Governance under the Regulation 17 to 27, 46 and Schedule V of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 entered into with National Stock Exchange of India Ltd and BSE Limited (Stock Exchanges) for the Financial Year ended 31st March, 2022.

The compliance of conditions of corporate governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliances of conditions of Corporate Governance.

This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of corporate governance as stipulated in the above mentioned SEBI (LODR) 2015.

For R.S. Padia & Associates
Company Secretaries
(ICSI Unique Code: S2007MH094000)

Sd/-

CS Rajshree Padia
FCS: 6804
CP: 7488
UDIN: F006804D000232810

Date: 28/04/2022
Place: Mumbai.

R.S. Padia & Associates

Company Secretaries

निदेशकों की गैर-अयोग्यता का प्रमाणपत्र

[सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) तथा अनुसूची V, अनुच्छेद सी, उपबंध (10)(i) के अनुसार]

प्रति

बैंक ऑफ़ इंडिया के सदस्यगण

हमने बैंक ऑफ़ इंडिया, जिसका प्रधान कार्यालय, सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 (इसके बाद इसे "बैंक" कहा जाएगा), है, के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्टरों, रिकॉर्ड, फॉर्म, रिटर्न तथा प्रकटनों की जांच की है, जिन्हें भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) के साथ पठित अनुसूची V अनुच्छेद सी उपबंध 10(i) के अनुसार इस प्रमाणपत्र को जारी करने के प्रयोजन से बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

हमारे विचार से तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और यथा आवश्यक माने गए पोर्टल (www.mca.gov.in) पर उपलब्ध सत्यापनों(निदेशकों की पहचान संख्या(डीआईएन) सहित) एवं बैंक, और उसके अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम एतद्द्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि नीचे बताये गए अनुसार बैंक के बोर्ड के किसी भी निदेशक को 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड/कॉरपोरेट मामले मंत्रालय/वित्त मंत्रालय/भारतीय रिज़र्व बैंक या ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशकों के रूप में नियुक्त किए जाने या जारी रखे जाने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

क्रं सं.	निदेशक का नाम	पद	बैंक में नियुक्ति की तारीख
1.	श्री अतनु कुमार दास डीआईएन:07758968	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	20.01.2020
2.	श्री पी.आर. राजगोपाल डीआईएन:09017710	कार्यपालक निदेशक	18.03.2020
3.	श्री स्वरूप दासगुप्ता डीआईएन: 09138124	कार्यपालक निदेशक	10.03.2021
4.	श्री एम. कार्तिकेयन डीआईएन: 09450145	कार्यपालक निदेशक	10.03.2021
5.	श्रीमती मोनिका कालिया डीआईएन:08579733	कार्यपालक निदेशक	10.03.2021
6.	श्रीमती वंदिता कौल डीआईएन: 07854527	गैर - कार्यपालक नामिति निदेशक	13.05.2021
7.	श्री सुब्रत दास डीआईएन: 05114257	गैर - कार्यपालक नामिति निदेशक	13.08.2019
8.	श्री पी. एन. प्रसाद डीआईएन:7430506	शेयरधारक निदेशक	25.10.2020
9	श्रीमती वेणी थापर डीआईएन: 01811724	शेयरधारक निदेशक	04.12.2021
10	श्री मुनीश कुमार रल्हन डीआईएन: लागू नहीं	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	21.03.2022

नियुक्ति की पात्रता को सुनिश्चित करना/ बोर्ड में प्रत्येक निदेशक को जारी रखना, बैंक के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व है हमारे सत्यापन के आधार पर इन पर, अपनी राय प्रकट करना।

कृते आर. एस. पाडिया एंड एसोसिएट्स

कंपनी सचिव

दिनांक : 21.05.2022

स्थान: मुंबई

यूडीआईएन :F006804D000362456

हस्ता/-

राजश्री पाडिया

एफसीएस: 6804; सीपी: 7488

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

(Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10)(i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015)

To,

The Members of Bank of India

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of Bank of India having its Head office at Star House, C-5, `G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai 400 051 (hereinafter referred to as 'the Bank'), produced before us by the Bank for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10(i) of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal (www.mca.gov.in) as considered necessary and explanations furnished to us by the Bank & its officers, We hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank as stated below for the Financial Year ending on 31st March, 2022 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of Bank / Companies by the Securities and Exchange Board of India / Ministry of Corporate Affairs / Ministry of Finance / Reserve Bank of India or any such statutory authority.

Sr. No.	Name of Directors	Category	Date of Appointment
1	Shri Atanu Kumar Das DIN : 07758968	Managing Director and CEO	20.01.2020
2.	Shri P R Rajagopal DIN :09017710	Executive Director	18.03.2020
3.	Shri Swarup Dasgupta DIN : 09138124	Executive Director	10.03.2021
4.	Shri M. Karthikeyan DIN : 09450145	Executive Director	10.03.2021
5.	Ms. Monika Kalia DIN :08579733	Executive Director	10.03.2021
6	Ms. Vandita Kaul DIN: 07854527	Non-Executive Nominee Director	13.05.2021
7.	Shri Subrata Das DIN : 05114257	Non-Executive Nominee Director	13.08.2019
8.	Mr. P N Prasad DIN : 7430506	Shareholders Director	25.10.2020
9.	Ms. Veni Thapar DIN: 01811724	Shareholders Director	04.12.2021
10.	Munish Kumar Ralhan DIN: NA	Part Time Non official Director	21.03.2022

Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification.

For R.S. Padia & Associates

Company Secretaries

Date: 21/05/2022

Place: Mumbai

UDIN: F006804D000362456

Sd/-

Rajshree Padia

FCS: 6804; CP: 7488

फार्म संख्या एमआर-3
सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के साथ पठित सेबी के परिपत्र संख्या आईआर/सीएफडी/सीएमडी1/27/2019 दिनांक 08.02.2019 के अनुसरण में]

सेवा में,

सदस्य गण,
बैंक ऑफ़ इंडिया

हमने **बैंक ऑफ इंडिया** (इसके बाद इसे 'बैंक' कहा जायेगा) के द्वारा, लागू विधिक प्रावधानों तथा अच्छी कॉरपोरेट परिपाटी के अनुपालन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस प्रकार से की गयी कि हमें कॉरपोरेट परिचालन/विधिक अनुपालन के मूल्यांकन तथा उसके संबंध में अपने मत को प्रकट करने का पर्याप्त आधार प्राप्त हुआ है।

सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान **बैंक ऑफ इंडिया** के बही, दस्तावेज, कार्यवृत्त बही, फॉर्म एवं दायर विवरणी तथा बैंक के द्वारा रखे गये अन्य दस्तावेजों के सत्यापन एवं बैंक, उसके अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गयी जानकारी के आधार पर भी, हम एतद्-द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारे विचार से, बैंक ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष की लेखा परीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित सूचीबद्ध विधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है। इसके अतिरिक्त हमारे मत में बैंक के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं तथा अनुपालन व्यवस्था भी स्थापित है। उक्त प्रक्रिया तथा व्यवस्था उस सीमा तक तथा उस प्रकार की है जैसा कि यहाँ इसके बाद रिपोर्टिंग में प्रतिपादित किया गया है:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए बैंक के द्वारा रखी गयी बही, दस्तावेजों, कार्यवृत्त बही, दायर विवरणी तथा फार्म एवं अन्य रिकॉर्ड का अध्ययन किया है:

i) कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अधीन बने नियम जिस सीमा तक बैंक पर लागू हो;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1957 ('एससीआरए') तथा इसके अंतर्गत बने नियम:

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 तथा इसके अंतर्गत बने विनियम तथा उप विधि,

(iv) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम:

- (क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015
- (ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूँजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2018;
- (ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011;
- (घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015;
- (ङ) सेबी (निक्षेपागार एवं सहभागी) विनियम, 2018
- (च) भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, भारत से बाहर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी वाणिज्यिक ऋण के संबंध में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके अंतर्गत बने तत्संबंधी नियम एवं विनियम (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं)

Form No. MR-3
SECRETARIAL AUDIT REPORT
For The Financial Year Ended 31st March 2022.

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 read along with SEBI circular No. IR/CFD/CMD1/27/2019 DATED 08.02.2019]

To,

The Members of
Bank of India,

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Bank of India**, (hereinafter called the 'Bank'). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/ statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the **Bank of India** books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank officials during the conduct of secretarial audit, We hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2022 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the financial year ended on 31st March, 2022 according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder to the extent applicable to the Bank

(ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1957 ('SCRA') and the rules made thereunder;

(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

(iv) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-

- a) Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;
- b) Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;
- c) Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
- d) Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
- e) SEBI (Depositories and Participants) Regulations, 2018.
- f) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings; (Not Applicable during the year under review)

(छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे) विनियम, 2014; (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नही)

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्णय और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008. (समीक्षाधीन वर्ग के दौरान लागू नहीं)

(झ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्णय और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2021

(ञ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्वटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2009 (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं) तथा

(ट) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) विनियम, 1998 (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं)

(ठ) बैंक पर लागू अन्य नियम निम्नलिखित है:

(क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं तथा परिपत्रों सहित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949

(ख) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और तत्संबंधी संशोधन

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970

(घ) बैंक ऑफ इंडिया शेयर एवं बैठक विनियमन, 2007

हमने निम्नलिखित लागू उपबंधों के अनुपालन का भी अध्ययन किया है :

(i) भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक

(ii) बीएसई लिमिटेड (बीएसई) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) के साथ किए गए सूचीकरण संबंधी करार

समीक्षा की अवधि के दौरान, बैंक ने ऊपर उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का पालन किया है

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि

बैंक ऑफ इंडिया बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम) के तहत गठित एक नया तदनुरूप बैंक है। बैंक के निदेशक मंडल की संरचना इस अधिनियम द्वारा शासित होती है।

केंद्र सरकार प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति करती है और अधिनियम के तहत विभिन्न परिभाषित श्रेणियों से पहचाने गए और चुने गए गैर-कार्यपालक निदेशकों को नामित करने की हकदार है जिन्हें स्वतंत्र निदेशक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारक बैंक में गैर-सरकारी शेयरधारिता के प्रतिशत के आधार पर अधिकतम 3 निदेशकों का चुनाव करने के हकदार हैं।

वर्तमान में, बैंक में दो शेयरधारक निदेशक हैं जिन्हें स्वतंत्र निदेशकों के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक गैर-सरकारी निदेशक हैं जिन्हें स्वतंत्र निदेशक के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

बैंक अधिकारियों ने बोर्ड स्तर पर विभिन्न रिक्तियों को तत्काल भरने के लिए वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के साथ बातचीत की है और केंद्र सरकार

g) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014; (Not Applicable during the year under review)

h) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008; (Not Applicable during the year under review).

i) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non Convertible Securities) Regulations, 2021.

j) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009; (Not Applicable during the year under review)

k) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998 (Not Applicable during the year under review)

l) The Following other Laws as applicable to the Bank:

(a) Banking Regulation Act 1949 along with Notifications and Circulars issued by the Reserve Bank of India (RBI) and Government of India (GOI) from time to time.

(b) Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 and its amendments thereof.

(c) Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970

(d) Bank of India Shares and Meeting Regulation, 2007

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

(i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India.

(ii) The Listing Agreements entered into by the Bank with BSE Ltd (BSE) and the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)

During the period under review the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above.

We further report that

Bank of India is a corresponding new bank constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (the Act). Composition of the Board of Directors of the Bank is governed by this Act.

The Central Government appoints Whole time Directors including the Managing Director and is entitled to nominate Non- Executive Directors identified and selected from various defined categories under the Act who can be classified as Independent Directors.

Shareholders other than the Central Government are entitled to elect upto 3 Directors depending on the percentage of non governmental shareholding in the Bank.

At present, Bank is having two Shareholder's Directors who are also classified as Independent Directors. One Non-Official Director appointed by Government of India who is classified as Independent Director.

The Bank officials have taken up with Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India for immediate

अन्य निदेशकों को नामित करने की प्रक्रिया में है। भारत सरकार द्वारा निदेशकों की नियुक्ति होने पर रिक्तियों को भरा जाएगा।

कोविड 19 महामारी को ध्यान में रखते हुए तथा कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय और सेबी द्वारा जारी छूट के कारण, बोर्ड की बैठकें तथा आम बैठकें वीडियो या ऑडियो विज्युअल माध्यम से आयोजित की गई थी तथा सभी बैठकों के नोटिस ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किए गए थे और भावी संदर्भ के लिए समुचित रिकॉर्डिंग रखी गई है।

परिचालन द्वारा अनुमोदित संकल्पों सहित बैंक के निदेशक मंडल की बैठकों में लिए गए निर्णयों को सर्वसम्मति से पारित किया गया। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल के किसी भी सदस्य द्वारा असहमति प्रकट नहीं की गई थी।

हम आगे सूचित करते हैं कि नियमों, कानूनों, विनियमनों एवं दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा निगरानी रखने के लिए बैंक के आकार और परिचालनों के अनुरूप बैंक के पास उचित प्रणाली एवं प्रक्रियाएँ उपलब्ध हैं।

हम यह भी रिपोर्ट कराते हैं कि लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान:

1 बैंक ने 05 मई, 2021 को आयोजित अपनी असाधारण बैठक में अपेक्षित बहुमत के साथ निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया है :

क) अधिमानी निर्गम के माध्यम से भारत सरकार को 71.23/- रुपये प्रति इक्विटी शेयर पर नकद के लिए 10/- रुपये (दस रुपये केवल) के 42,11,70,854 इक्विटी शेयर जारी करने और आवंटित करने हेतु अनुमोदन

तदनुसार बैंक ने 11 जून,2021 को अधिमानी निर्गम के जरिए भारत सरकार को 71.23/- रुपये प्रति इक्विटी शेयर पर नकद के लिए 10/- रुपये (दस रुपये केवल) के 42,11,70,854 इक्विटी शेयर जारी और आवंटित किए ।

ख) एक शेयर धारक निदेशक के चुनाव के लिए असाधारण आम बैठक की नोटिस जारी की गई, बैठक का आयोजन 15 दिसंबर 2021 को किया जाना था। तथापि शेयरधारक निदेशक की नियुक्ति के लिए सुश्री वेनी थापर का केवल एक वैध नामांकन प्राप्त हुआ था, प्रस्तावित बैठक आयोजित नहीं की गई थी और सुश्री वेनी थापर को 4 दिसंबर 2021 से शेयरधारक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

2. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 20 जुलाई, 2021 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में अपेक्षित बहुमत से निम्नलिखित संकल्प पारित किए

क) 3000 करोड़ रुपये (केवल तीन हज़ार करोड़ रुपये) की राशि तक के ऐसे प्रीमियम पर नकद के लिए प्रत्येक 10 रुपये के अंकित मूल्य की नई इक्विटी पूंजी जारी करने का अनुमोदन।

ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार स्थायी ऋण लिखतों को सबस्क्राइब करने के लिए प्रस्ताव या आमंत्रण देने के लिए अनुमोदन, गैर परिवर्तनीय डिबेंचर, जिसमें अधीनस्थ डिबेंचर, बांड और / या अन्य ऋण प्रतिभूतियां / अधिमानी शेयर, आदि शामिल हैं, आदि निजी प्लेसमेंट आधार पर, एक या एक से अधिक ट्रांच में, जो ऊपर पैरा (क) में उल्लिखित राशि सहित 3000 करोड़ रुपये तक की राशि के लिए बेसल III अनुपालन टियर 1 कैपिटल के लिए वर्गीकृत कर सकते हैं।

ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण पूंजी लिखतों को सबस्क्राइब करने के लिए प्रस्ताव/ आमंत्रण देने के लिए अनुमोदन, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर, जिसमें अधीनस्थ डिबेंचर, बांड, पर्पेचुअल गैर-संचयी अधिमानी शेयर और / या ऋण प्रतिभूतियों / अधिमानी

filling up of various vacancies at the Board level and the Central Government is in the process of nominating other Directors. The vacancies shall be filled in as and when the Directors are appointed by Government of India.

In the wake of outbreak of Covid 19 pandemic and subject to relaxations issued by Ministry of Corporate Affairs and SEBI, Board meetings and General meetings were conducted via video or audio visual mode and notices of all the meetings were sent through e-mail and proper recordings are maintained for subsequent reference.

Decisions at the Meetings of the Board of Directors of the Bank, including the resolutions approved through circulations, were resolved unanimously. There were no dissenting views by any member of the Board of Directors during the period under review.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period:

1. The Bank in its Extraordinary Meeting held on 5th May, 2021 passed the following resolution with requisite majority:

   a) Approval to issue and allot upto 42,11,70,854 equity shares of Rs.10/- each (Rupees Ten only) for cash at Rs.71.23/-per equity share to GOI through preferential issue

      Accordingly, The Bank issued and allotted 42,11,70,854 equity shares of Rs.10/- each (Rupees Ten only) for cash at Rs.71.23/-per equity share to GOI through preferential issue on 11th June, 2021

   b) Extra ordinary General Meeting Notice was issued for Election of one Share Holder Director, meeting to be held on 15th December 2021. However as only one valid nomination of Ms. Veni Thapar was received for appointment of Share holder Director, the proposed Meeting was not held and Ms. Veni Thapar was appointed as Shareholder Director with effect from 4th December 2021.

2. The Bank in its Annual General meeting for the Financial year 2020 – 21 held on July 20, 2021 passed the following resolution with requisite majority

   a. Approval to issue Fresh Equity Capital of face value of Rs. 10 each for cash at such premium upto an amount of Rs. 3000 Crore (Rs. Three Thousand Crore only)

   b. Approval for making offer or invitation to subscribe to perpetual debt instruments in accordance with the guidelines framed by RBI, Non Convertible Debentures including but not limited to Subordinated Debentures, bonds and /or other debt Securities/ Preference Shares, etc. on Private Placement Basis, in one or more tranches which may classify for Basel III compliant TIER 1 Capital for an amount upto Rs. 3000 crore including amount mentioned in para (a) above

   c. Approval for making offer / invitation to subscribe to debt capital instruments in accordance with guidelines framed by RBI, Non Convertible Debentures including but not limited to Subordinated Debentures, bonds, Perpetual Non Cumulative Preference shares and/ or debt securities/ Preference shares etc. on private

शेयरों आदि को निजी प्लेसमेंट के आधार पर एक या अधिक ट्रांच में शामिल किया गया है, जो बेसल III अनुपालन युक्त टियर 2 कैपिटल के लिए वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसा कि आरबीआई द्वारा अधिकतम 1800 करोड़ रुपये की राशि के लिए चिन्हित और वर्गीकृत किया गया है।

तदनुसार, बैंक ने 31 अगस्त 2021 को क्यूआईपी के माध्यम से 2,550.01 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी जुटाई है। बैंक ने निवेशकों को नकद के लिए 52.89 रुपये प्रति शेयर के प्रीमियम पर 10/- रुपये (केवल दस रुपये) के 40,54,71,866 इक्विटी शेयर जारी और आबंटित किए हैं।

इसके अलावा, बैंक ने 30 सितंबर, 2021 को 1800 करोड़ रुपये के अंकित मूल्य के ऋणपत्रों की प्रकृति में अपरिवर्तनीय, कर योग्य, स्थायी, गौण, गैर जमानती, पूर्णत: प्रदत्त बासेल III का अनुपालन करने वाले टियर II बांड आबंटित किए हैं।

3 02 दिसंबर, 2020 को बैंक ने एएक्सए इंवेस्टमेंट मैनेजर्स एशिया होल्डिंग्स प्रा.लि (AXA IM) के साथ शेयर खरीद करार (एसपीएस) किया है, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया ने एएक्सए आईएम के:

क) बीओआई एएक्सए इंवेस्टमेंट मैनेजर्स प्रा.लि (बीएएलएम) में सम्पूर्ण 100% इक्विटि शेयर(पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 47.07% लिए गए थे) तथा

ख) बीओआई एएक्सए ट्रस्टी सर्विसेज़ प्रा. लि(बीटीएस) में सम्पूर्ण 100% इक्विटि शेयर (बीएटीएस) (पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 49% लिए गए थे)

शीर्षांकित अधिग्रहणों के बाद बीएआईएम और बीएटीएस दोनों बैंक ऑफ इंडिया की पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगियाँ हो गई है।

4. सेबी (सूचिकरण दायित्व एवं प्रकटन बाध्यताएँ), 2015 के विनियम 57(1) के अनुसार बैंक ने निम्नलिखित अपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के लिए मूलधन और ब्याज का भुगतान किया है तथा मूलधन या ब्याज दोनों के देय होने और उनके विधिवत मोचन किए जाने की सूचना दी है।

दिनांक	प्रतिभूति का प्रकार	राशि (रु)
07.07.2021	8.57% बीओआई - टियर II बॉन्ड -सिरीज़ XIII	रु. 1500 करोड़
25.03.2022	8.00% बीओआई - टियर II बॉन्ड - सिरीज़ XIV	रु.. 1000 करोड़

कृते आर.एस पाडिया एण्ड असोसिएट
कंपनी सचिव

दिनांक:
स्थान : मुंबई
यूडीआईएन: F006804D000362467

हस्ता/-
राजश्री पाडिया
एफसीएस: 6804 सीपी:7488

placement basis, in one or more tranches which may classify for Basel III compliant TIER 2 Capital as identified and classified by RBI for an amount not exceeding Rs. 1800 crores

Accordingly, The Bank raised Equity Capital of Rs. 2,550.01 Crores through Qualified Institutional Placement on 31st August 2021. The Bank issued and allotted 40,54,71,866 equity shares of Rs.10/- each (Rupees Ten only) at a premium of Rs. 52.89 per shares for cash to the Investors.

Further, Bank has allotted Non-convertible, Taxable, Perpetual, Subordinated, Unsecured, fully paid-up Basel III compliant Tier II Bonds in the nature of debentures of face value of Rs.1 Crore each amounting to Rs. 1800 crore on 30th September, 2021.

3. Bank of India had entered into a Share Purchase Agreement (SPA) with AXA Investment Managers Asia Holdings Private Limited (AXA IM) on 2nd December 2020, whereby Bank of India has agreed to purchase AXA IM's :

(a) entire 100% equity shares in BOI AXA Investment Managers Private Limited (BALM) (47.07% was acquired during last financial year) and

(b) entire 100% equity shares in BOI AXA Trustee Services Private Limited (BATS) (49% was acquired during the last financial year).

After the captioned acquisitions, both BAIM and BATS have become wholly owned subsidiaries of Bank of India.

4. Pursuant to Regulation 57(1) of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement), 2015 the Bank made payment of principle and interest for the following non-convertible debt securities and intimated the stock exchange on principle or interest or both becoming due and duly redeemed.

Date	Security type	Amount(Rs)
07.07.2021	8.57% BOI — Tier II Bonds -Series XIII	Rs. 1500 crore
25.03.2022	8.00% BOI — Tier II Bonds -Series XIV	Rs. 1000 crore

For R.S. Padia & Associates
Company Secretaries

Date:
Place: Mumbai
UDIN: F006804D000362467

Sd/-
Rajshree Padia
FCS: 6804; CP:7488

31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक-I

सेवा में,

सदस्य गण,

बैंक ऑफ़ इंडिया,

निर्धारित तिथि की हमारी सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. बैंक ऑफ इंडिया ("बैंक") पर लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के सभी प्रावधानों का अनुपालन बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करने के लिए हमारी जांच परीक्षण के आधार पर रिकॉर्ड और प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
2. लागू कानूनों के सचिवीय तथा अन्य रिकॉर्ड के रखरखाव का उत्तरदायित्व बैंक के प्रबंधन का है। हमारी जिम्मेदारी है कि जहां आवश्यक हो, स्पष्टीकरण के साथ-साथ बैंक द्वारा रखे गए और हमें प्रस्तुत किए गए प्रासंगिक अभिलेखों की लेखा परीक्षा के आधार पर सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करना है।
3. हमने उन लेखा कार्य प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय रिकॉर्ड की विषय-वस्तु की सटीकता के बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने हेतु उपयुक्त हैं। सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य दर्शाए गए हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण आधार पर सत्यापन किया गया है। हमें विश्वास है कि हमने जिन प्रक्रियाओं एवं कार्य प्रणालियों का पालन किया है वे हमारी राय हेतु तर्कसंगत आधार उपलब्ध कराती हैं।
4. हमने बैंक के वित्तीय रिकॉर्ड और खाता बहियों की सटीकता एवं उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
5. जहाँ कहीं भी अपेक्षित था, हमने विधि, नियमों एवं विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के संबंध में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

कृते आर.एस पाडिया एण्ड असोसिएट
कंपनी सचिव

दिनांक: 21.05.2022
स्थान : मुंबई
यूडीआईएन: F006804D000362467

हस्ता/-
राजश्री पाडिया
एफसीएस: 6804 सीपी:7488

नोट: हाइब्रिड मोड के माध्यम से प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के साथ दस्तावेजों, अभिलेखों और जानकारी के आधार पर वार्षिक सचिवीय लेखा परीक्षा की गई थी।

तदनुसार, इलैक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के साथ दस्तावेजों, अभिलेखों और जानकारी के आधार पर सचिवीय लेखा परीक्षा की गई थी।

Annexure-I to the Secretarial Audit Report for the Financial Year Ended 31st March 2022

To,

The Members of Bank of India,

Our Secretarial Audit Report of even date is to be read along with this letter.

1. The Compliances of provisions of all laws, rules, regulations, standards applicable to Bank of India (The Bank) is the responsibility of the Management of the Bank. Our Examination was limited to the verification of records and procedures on test check basis for the purpose of the issue of the Secretarial Audit report.
2. Maintenance of the secretarial and other records of the applicable laws is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to issue Secretarial Audit Report, based on the audit of the relevant records maintained and furnished to us by the Bank, along with the explanations where so required.
3. We have followed the audit practices and process as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial Records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in Secretarial Records. The verification was done on test check basis to ensure that correct facts as reflected in secretarial and other records produced to us. We believe that the process and practices we followed, provides reasonable basis for our opinion for the purpose of issue of the Secretarial Audit Report.
4. We have not verified the correctness and appropriateness of Financial Records and Books of Accounts of the Company.
5. Wherever required, we have obtained the Management representation about the Compliance of laws, rules and regulations and happening of events during the Audit period.

For R.S. Padia & Associates
Company Secretaries

Date: 21/05/2022
Place: Mumbai
UDIN: F006804D000362467

Sd/-
Rajshree Padia
FCS: 6804; CP:7488

Note: Annual Secretarial audit was conducted based on the documents, records and information along with explanations provided through hybrid mode.

Accordingly, Secretarial audit was conducted based on the documents, records and information along with explanations provided through electronic mode..

सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण

प्रति,
निदेशक मंडल,
बैंक ऑफ़ इंडिया,
मुंबई

विषय : सेबी सूचीकरण विनियम-2015 के विनियम 17(8) तथा अनुसूची II भाग बी के अंतर्गत प्रमाणपत्र

एतद्-द्वारा हम प्रमाणित करते हैं कि :

(क) हमने संबंधित वर्ष (2021-22) की वित्तीय विवरणियों तथा नकद प्रवाह विवरणियों की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार :

(i) इन विवरणियों में तात्विक रूप से कोई गलत विवरण नहीं दिया गया है या इनमें कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छोड़ा गया है या इसमें कोई ऐसे कथन नहीं हैं जो भ्रामक हों।

(ii) ये सभी विवरणियां कुल मिलाकर बैंक की गतिविधियों की सही और उचित स्थिति दर्शाती हैं और ये वर्तमान लेखांकन मानकों, लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन करते हैं।

(ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, बैंक ने वर्ष के दौरान ऐसा कोई संव्यवहार नहीं किया है जो धोखाधड़ीपूर्ण हो, अवैध हो अथवा बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो।

(ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण की स्थापना एवं रखरखाव की जिम्मेदारी और वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना स्वीकार करते हैं और ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के परिचालन अथवा डिजाइन में कमियों का प्रकटन, यदि कोई हो, लेखा-परीक्षक और लेखा-परीक्षा समिति के समक्ष किया गया है जिसके बारे में हमें जानकारी है और इन कमियों को सुधारने के प्रयोजन से हमने कदम उठाए हैं या कदम उठाया जाना प्रस्तावित है।

(घ) हमने लेखा-परीक्षकों और लेखा-परीक्षा समितियों को यह सूचित किया है :

(i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

(ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और उनका प्रकटन वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियों में किया गया है; तथा

(iii) ऐसी किसी बड़ी धोखाधड़ी की हमें जानकारी मिली हो तथा जिसमें प्रबंधन अथवा कोई कर्मचारी शामिल हो जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका हो।

कृते बैंक ऑफ़ इंडिया

(शंकर सेन) — मुख्य वित्तीय अधिकारी

(ए.के. दास) — प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई
दिनांक 24.05.2022

CEO / CFO CERTIFICATION

To
The Board of Directors,
Bank of India,
Mumbai.

Re : Certificate Under Regulation 17(8) & Schedule II Part B of SEBI (LODR) Regulations, 2015

This is to certify that

(a) We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year (2021-22) and that to the best of our knowledge and belief

(i) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading

(ii) these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

(b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

(c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of internal controls, if any, of which we were aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

(d) We have indicated to the auditors and the Audit Committee –

(i) significant changes in internal control over financial reporting during the year

(ii) significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

(iii) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

For Bank of India

(Sankar Sen) — Chief Financial Officer

(A. K. Das) — Managing Director & CEO

Place: Mumbai
Date: 24.05.2022

मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा घोषणा

बैंक ने सभी निदेशकों और कोर प्रबंधन के लिए आचार संहिता निर्धारित की है, जिसका पाठ बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। निदेशकों एवं कोर प्रबंधन ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इस आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

स्थान : मुंबई
दिनांक : 24.05.2022

(ए.के. दास)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

DECLARATION BY CEO

Bank has laid down a Code of Conduct for all the Directors and Core Management of the Bank, the text of which is posted on the Bank's website. The Directors and Core Management have affirmed compliance with the Code of Conduct for the financial year ended 31st March, 2022.

Place : Mumbai
Date: 24.05.2022

(A K Das)
Managing Director & CEO

हमारे बैंक में सत्यनिष्ठा संधि (आईपी) का अंगीकरण एवं कार्यान्वयन

केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों, अन्य वित्तीय संस्थानों और स्वायत्त निकायों आदि द्वारा सभी प्रमुख प्रापणों के संबंध में स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों (आईईएम) के माध्यम से इसके कार्यान्वयन के लिए सत्यनिष्ठा संधि (आईपी) के आवश्यक अवयवों को रेखांकित करते हुए मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है।

हमारे बैंक ने सीवीसी के अनुमोदन से 28.08.2018 से नियुक्त आईईएम के माध्यम से हमारे बैंक में आईपी का कार्यान्वयन शुरू किया। हमारे बैंक की वस्तुओं और सेवाओं की सभी खरीद (अनुमानित मूल्य रु.1.0 करोड़ एवं उससे अधिक) की तिमाही आधार पर आईईएम द्वारा समीक्षा की जा रही है। हमारे बैंक के लिए वर्तमान आईईएम (28.08.2021 से) निम्नानुसार हैं:

	आईईएम-1	आईईएम-2
नाम	श्री पी.के.दाश, आईएएस (सेवानिवृत्त)	श्री सलिल कुमार झा, पूर्व प्रबंध निदेशक, एचएएल
पता	एच-83, बागमुगलिया एक्सटेंशन, लहरपुर बांध के पास, भोपाल- 462043	सी 300, एसकेएस फ्लैट्स, शेख सराय फेज -1 नई दिल्ली - 110017
संपर्क ब्यौरे	ईमेल : pkdash81@gmail.com	ईमेल : skjha_ick@rediffmail.com

Adoption and Implementation of Integrity Pact (IP) in our Bank

Central Vigilance Commission has prepared the Standard Operative Procedure (SOP) outlining the essential ingredients of Integrity Pact (IP) for implementation of the same through Independent External Monitors (IEMs) in respect of all major procurements by the Govt. organizations, Public Sector Enterprises, Public Sector Banks, Insurance Companies, Other Financial Institutions and Autonomous bodies etc.

Our Bank started implementation of IP in our Bank through IEMs appointed w.e.f 28.08.2018 with the approval of CVC. Our Bank's all procurement of goods and services (estimated value Rs. 1.0 Crore and above) are reviewed by the IEMs on quarterly basis. Present IEMs for our Bank (w.e.f 28.08.2021) are as under:

	IEM-1	IEM-2
Name	Shri P.K. Dash, IAS (Retired)	Shri Salil Kumar Jha, Ex-MD, HAL
Address	H-83, Bagmugalia Extension Near Laharpur Dam Bhopal- 462043	C 300, SKS Flats, Sheikh Sarai Phase-1 New Delhi — 110017
Contact details	Email : pkdash81@gmail.com	Email : skjha_ick@rediffmail.com

बैंक ऑफ़ इंडिया

तुलन-पत्र

यथा 31 मार्च, 2022

एवं

लाभ एवं हानि खाता

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु

BANK OF INDIA

BALANCE SHEET

As at 31st March, 2022

&

PROFIT AND LOSS ACCOUNT

For the Year Ended 31st March, 2022

तुलन-पत्र यथा 31 मार्च, 2022
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2022

(000's छोड़े गए हैं 000's Omitted)

विवरण	Particulars	अनुसूची Schedule No.	यथा As at 31-03-2022 ₹	यथा As at 31-03-2021 ₹
I. पूंजी और देयताएं	CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी	Capital	1	41,043,052	32,776,625
आरक्षिती एवं अधिशेष	Reserves & Surplus	2	510,269,339	424,079,259
शेयर आवेदन रकम, जो आबंटन हेतु लंबित है	Share Application Money, pending allotment		0	30,000,000
जमाराशियां	Deposits	3	6,278,959,591	6,271,135,601
उधार	Borrowings	4	267,603,666	324,641,055
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other Liabilities and Provisions	5	248,264,475	175,931,916
कुल	**TOTAL**		**7,346,140,123**	**7,258,564,456**
II. आस्तियां	ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद एवं शेष	Cash and balances with Reserve Bank of India	6	402,805,778	606,975,678
बैंकों में शेष एवं मांग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	Balances with Banks and money at call and short notice	7	512,770,611	658,831,007
निवेश	Investments	8	1,744,484,066	1,872,528,456
अग्रिम	Advances	9	4,208,417,907	3,656,865,239
अचल आस्तियां	Fixed Assets	10	97,749,535	89,141,309
अन्य आस्तियां	Other Assets	11	379,912,226	374,222,767
कुल	**TOTAL**		**7,346,140,123**	**7,258,564,456**
आकस्मिक देयताएं	Contingent Liabilities	12	4,231,982,122	4,536,348,516
वसूली के लिए बिल	Bills for Collection		276,009,290	249,069,223

ऊपर बताई गई अनुसूचियां तुलन-पत्र का अभिन्न अंग हैं।
The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.
तुलन-पत्र, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फॉर्म 'ए' के अनुसार तैयार किया गया है।
The Balance Sheet has been prepared in conformity with Form `A' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

शंकर सेन	अशोक कुमार पाठक	मोनिका कालिया	एम.कार्तिकेयन	स्वरुप दासगुप्ता	पी आर राजगोपाल	ए.के. दास
Sankar Sen	**Ashok Kumar Pathak**	**Monika Kalia**	**M. Karthikeyan**	**Swarup Dasgupta**	**P R Rajagopal**	**A.K.Das**
महाप्रबंधक और मुख्य वित्तीय अधिकारी General Manager & Chief Financial Officer	मुख्य महाप्रबंधक Chief General Manager	कार्यपालक निदेशक Executive Director	कार्यपालक निदेशक Executive Director	कार्यपालक निदेशक Executive Director	कार्यपालक निदेशक Executive Director	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Managing Director & CEO

निदेशकगण DIRECTORS

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा	सुब्रत दास	पी एन प्रसाद	वेणी थापर	मुनीष कुमार रल्हन
Dr. Bhushan Kumar Sinha	**Subrata Das**	**P N Prasad**	**Veni Thaper**	**Munish Kumar Ralhan**

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते वी शंकर अय्यर एंड कंपनी For V Sankar Aiyar & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन: 109208W) (FRN:109208W)	कृते लक्ष्मी तृप्ति एंड एसोसिएट्स For Laxmi Tripti & Associates सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन: 009189C) (FRN:009189C)	कृते मुकुंद एम चितले एंड कंपनी For Mukund M Chitale & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफ़आरएन: 106655W) (FRN: 106655W)
एस.नागभूषणम S. Nagabushanam भागीदार Partner सदस्यता एम.नं. M. No.107022	राजेश गुप्ता Rajesh Gupta भागीदार Partner सदस्यता एम.नं. M. No.077204	नीलेश आर एस जोशी Nilesh R S Joshi भागीदार Partner सदस्यता एम.नं. M. No. 114749

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 24 मई, 2022 / Date : 24th May, 2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022

(000's छोड़े गए हैं 000's Omitted)

	विवरण	Particulars	अनुसूची Schedule No.	को समाप्त वर्ष For the Year ended 31-03-2022 ₹	को समाप्त वर्ष For the Year ended 31-03-2021 ₹
I.	आय	INCOME			
	अर्जित ब्याज	Interest earned	13	380,758,259	405,994,385
	अन्य आय	Other income	14	78,787,317	68,418,656
	कुल	TOTAL		459,545,576	474,413,041
II.	व्यय	EXPENDITURE			
	व्यय किया गया ब्याज	Interest expended	15	240,137,287	263,296,031
	परिचालनगत व्यय	Operating expenses	16	119,523,743	108,391,063
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	Provisions and Contingencies		65,837,588	81,122,960
	कुल	TOTAL		425,498,618	452,810,054
III.	लाभ/(हानि)	PROFIT/(LOSS)			
	वर्ष के लिए शुद्ध लाभ / (हानि)	Net Profit/(Loss) for the Year		34,046,958	21,602,987
	जोड़े :समूह के लिए आगे लाया गया समेकित लाभ/(हानि)	Add: Profit/(Loss) brought forward		-	(237,823,882)
	कुल	TOTAL		34,046,958	(216,220,895)
IV.	विनियोग	APPROPRIATIONS			
	सांविधिक आरक्षितियों को अंतरण	Transfer to Statutory Reserve		8,520,000	5,410,000
	निवेश घट-बढ आरक्षिति को अंतरण	Transfer to Investment Fluctuation Reserve		2,537,920	6,738,011
	राजस्व आरक्षिति को/(से) अंतरण	Transfer to Revenue Reserve		-	-
	पूंजी आरक्षितियों को अंतरण	Transfer to Capital Reserve		3,002,535	4,954,976
	विशेष आरक्षिति (से)/को अंतरण-करेंसी स्वैप	Transfer from Share Premium (for Setoff of brought forward loss)		-	(237,823,882)
	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित	Transfer to Special Reserve u/s Sec 36(1) (viii) of Income Tax Act,1961		-	4,500,000.00
	समेकित तुलन-पत्र में आगे लाया गया शेष	Balance in Profit and Loss Account		19,986,503	-
	कुल	TOTAL		34,046,958	(216,220,895)
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	Significant accounting policies	17		
	लेखे पर नोट	Notes to Accounts	18		
	प्रति शेयर अर्जन (मूलभूत एवं तनुकृत)	Earnings Per Share (Basic and Diluted)		8.84	6.59

ऊपर बताई गई अनुसूचियां लाभ-हानि खाते का अभिन्न अंग हैं।
The schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account.
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फॉर्म 'बी' के अनुसार लाभ-हानि खाता तैयार किया गया है।
The Profit and Loss Account has been prepared in conformity with Form `B' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

शंकर सेन	अशोक कुमार पाठक	मोनिका कालिया	एम.कार्तिकेयन	स्वरुप दासगुप्ता	पी आर राजगोपाल	ए.के. दास
Sankar Sen	**Ashok Kumar Pathak**	**Monika Kalia**	**M. Karthikeyan**	**Swarup Dasgupta**	**P R Rajagopal**	**A.K.Das**
महाप्रबंधक और मुख्य वित्तीय अधिकारी	मुख्य महाप्रबंधक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
General Manager & Chief Financial Officer	Chief General Manager	Executive Director	Executive Director	Executive Director	Executive Director	Managing Director & CEO

निदेशकगण DIRECTORS

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा	सुब्रत दास	पी एन प्रसाद	वेणी थापर	मुनीष कुमार रल्हन
Dr. Bhushan Kumar Sinha	**Subrata Das**	**P N Prasad**	**Veni Thaper**	**Munish Kumar Ralhan**

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते वी शंकर अय्यर एंड कंपनी	कृते लक्ष्मी तृप्ति एंड एसोसिएट्स	कृते मुकुंद एम चितले एंड कंपनी
For V Sankar Aiyar & Co.	For Laxmi Tripti & Associates	For Mukund M Chitale & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants	सनदी लेखाकार Chartered Accountants	सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन: 109208W) (FRN:109208W)	(एफआरएन: 009189C) (FRN:009189C)	(एफ़आरएन: 106655W) (FRN: 106655W)
एस.नागभूषणम S. Nagabushanam	राजेश गुप्ता Rajesh Gupta	नीलेश आर एस जोशी Nilesh R S Joshi
भागीदार Partner	भागीदार Partner	भागीदार Partner
सदस्यता एम.नं. M. No.107022	सदस्यता एम.नं. M. No.077204	सदस्यता एम.नं. M. No. 114749

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 24 मई, 2022 / Date : 24th May, 2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण
Statement of Cash Flow for the year ended 31st March, 2022

(000's छोड़े गए हैं 000's Omitted)

विवरण		Particulars	वर्षान्त/ Year ended 31-03-2022	वर्षान्त Year ended 31-03-2021
क.	परिचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह :	A. **Cash Flow from Operating Activities:**		
	करपूर्व निवल लाभ	**Net Profit before taxes**	55,667,484	32,367,150
	निम्नलिखित के लिए समायोजन :	**Adjustments for:**		
	निवेशों पर परिशोधन/मूल्यह्रास	Amortisation/Depreciation on Investments	6,166,144	5,630,305
	निवेशों के (निष्पादन कर रहे निवेशों पर मूल्यह्रास सहित) पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ/हानि)	(Profit)/Loss on Revaluation of investments (including depreciation on performing investments)	3,522,575	5,996,235
	अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	Depreciation on Fixed Assets	3,635,111	3,722,039
	अचल आस्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि	(Profit)/Loss on sale of Fixed Asset	(7,938)	(600,494)
	एनपीए के लिए प्रावधान	Provision for NPAs	29,429,505	66,125,359
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provision for Standard Assets	9,013,825	(407,398)
	अन्य मदों के लिए प्रावधान	Provision for Other items	1,800,120	1,950,551
	एटी 1 एवं टियर II बॉण्ड पर ब्याज (पृथक माना गया)	Interest on AT 1 & Tier II Bonds (treated separately)	7,038,868	6,538,394
	अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों से प्राप्त लाभांश	Dividend received from Subsidaries/Joint Ventures/ Associates	(184,462)	(252,042)
	निम्नलिखित के लिए समायोजन :	**Adjustments for:**		
	जमाराशियों में वृद्धि /(गिरावट)	Increase /(Decrease) in Deposits	7,823,990	716,085,815
	उधार में वृद्धि /(गिरावट)	Increase /(Decrease) in Borrowings	(50,037,389)	(73,403,604)
	अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि /(गिरावट)	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	54,715,621	(6,548,545)
	निवेश में (वृद्धि)/गिरावट	(Increase) / Decrease in Investments	121,399,571	(297,952,966)
	अग्रिमों में (वृद्धि)/गिरावट	(Increase)/ Decrease in Advances	(580,982,173)	(34,157,557)
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/गिरावट	(Increase) / Decrease in Other Assets	(16,553,919)	(51,552,652)
	प्रत्यक्ष कर (भुगतान)/वापसी	Direct Taxes (Paid)/Refund	(5,609,666)	7,090,040
	परिचालनगत गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ए)	**Net Cash Flow from Operating Activities (A)**	**(353,162,733)**	**380,630,631**
ख.	निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह:	B. **Cash Flow from Investing Activities :**		
	अचल सम्पत्तियों की खरीद	Purchase of Fixed Assets	(5,691,277)	(3,275,928)
	अचल सम्पत्ति की बिक्री	Sale of Fixed Assets	204,117	127,436
	अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों में (अतिरिक्त) निवेश/बिक्री/मोचन (निवल)	Sale / Redemption / (Additional) investment in Subsidiaries/Jt Ventures/Associates (Net)	(3,043,900)	(472,156)
	अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों से प्राप्त लाभांश	Dividend received from Subsidiaries, Joint Venture & Associates	184,462	252,042
	निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (बी)	**Net Cash Flow from Investing Activities (B)**	**(8,346,599)**	**(3,368,606)**
सी.	वित्तपोषण गतिविधयों से नकदी प्रवाह :	C. **Cash Flow from Financing Activities:**		
	शेयर पूंजी	Share Capital	4,054,719	--
	शेयर प्रीमियम	Share Premium	21,263,185	--
	शेयर आवेदन	Share Application	--	30,000,000
	टियर II कैपिटल बांड का निग्रम/(मोचन) (निवल)	Issue/(redemption) of Tier II Capital bonds (Net)	(7,000,000)	520,000
	एटी 1, टियर II बॉण्ड पर ब्याज	Interest on AT 1 & Tier II Bonds	(7,038,868)	(6,538,394)
	वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (सी)	**Net Cash Flow from Financing Activities (C)**	**11,279,036**	**23,981,606**
	नकद और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (ए) + (बी) + (सी)	**Net Increase in Cash & Cash Equivalents (A)+(B)+(C)**	**(350,230,296)**	**401,243,631**
	वर्ष के आरंभ में नकद और नकदी समतुल्य	**Cash and Cash Equivalents as at the beginning of the year**	**1,265,806,685**	**864,563,054**
	वर्ष के अंत में नकद और नकदी समतुल्य	**Cash and Cash Equivalents as at the end of the year**	**915,576,389**	**1,265,806,685**

विवरण	Particulars	वर्षान्त/ Year ended 31-03-2022	वर्षान्त Year ended 31-03-2021
वर्ष के अंत में नकद और नकदी समतुल्य का समाधान	**Reconciliation of Cash and Cash Equivalents as at the end of the year**		
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं शेष (अनुसूची 6)	Cash and balances with Reserve Bank of India (Schedule 6)	402,805,778	606,975,678
बैंकों में शेष एवं मांग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि (अनुसूची 7)	Balances with Banks and money at call and short notice (Schedule 7)	512,770,611	658,831,007
वर्ष के अंत में नकद और नकदी समतुल्य	**Cash and Cash Equivalents as at the end of the year**	**915,576,389**	**1,265,806,685**

नकदी प्रवाह विवरणी के अनुसार नकद एवं नकद समतुल्य में हाथ में नकदी, एटीएम में, आरबीआई एवं अन्य बैंकों में शेष (जमाराशियां सहित) और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धनराशि जिसे तुरंत नकदी में परिवर्तित किया जा सके, शामिल हैं।

Cash and cash equivalent as per cash flow statement comprises of cash in hand, in ATM, balances in current account with RBI and other Banks (including deposits) and money at call and short notice which can be readily convertible into cash.

शंकर सेन	अशोक कुमार पाठक	मोनिका कालिया	एम.कार्तिकेयन	स्वरुप दासगुप्ता	पी आर राजगोपाल	ए.के. दास
Sankar Sen	**Ashok Kumar Pathak**	**Monika Kalia**	**M. Karthikeyan**	**Swarup Dasgupta**	**P R Rajagopal**	**A.K.Das**
महाप्रबंधक और मुख्य वित्तीय अधिकारी	मुख्य महाप्रबंधक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
General Manager & Chief Financial Officer	Chief General Manager	Executive Director	Executive Director	Executive Director	Executive Director	Managing Director & CEO

निदेशकगण DIRECTORS

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा	सुब्रत दास	पी एन प्रसाद	वेणी थापर	मुनीष कुमार रल्हन
Dr. Bhushan Kumar Sinha	**Subrata Das**	**P N Prasad**	**Veni Thaper**	**Munish Kumar Ralhan**

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते वी शंकर अय्यर एंड कंपनी For V Sankar Aiyar & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन: 109208W) (FRN:109208W)	कृते लक्ष्मी तृप्ति एंड एसोसिएट्स For Laxmi Tripti & Associates सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन: 009189C) (FRN:009189C)	कृते मुकुंद एम चितले एंड कंपनी For Mukund M Chitale & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफ़आरएन: 106655W) (FRN: 106655W)
एस.नागभूषणम S. Nagabushanam भागीदार Partner सदस्यता एम.नं. M. No.107022	राजेश गुप्ता Rajesh Gupta भागीदार Partner सदस्यता एम.नं. M. No.077204	नीलेश आर एस जोशी Nilesh R S Joshi भागीदार Partner सदस्यता एम.नं. M. No. 114749

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 24 मई, 2022 / Date : 24 May, 2022

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000 छोडे गए हैं) / **(000's Omitted)**

		यथा As at 31-03-2022 ₹	यथा As at 31-03-2021 ₹
अनुसूची - 1 : पूँजी	**SCHEDULE - 1 : CAPITAL**		
प्राधिकृत पूँजी	**AUTHORISED CAPITAL**		
प्रत्येक ₹ 10 के 600,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष अंत में 600,00,00,000)	600,00,00,000 (Previous year ended 600,00,00,000) Equity Shares of ₹10 each	**60,000,000**	**60,000,000**
जारी पूँजी	**ISSUED CAPITAL**		
प्रत्येक ₹ 10 के 410,47,43,170 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष के अंत में 327,81,00,450)	Equity Shares 410,47,43,170 (Previous year ended 327,81,00,450) of ₹10 each	41,047,432	32,781,004
कुल	**TOTAL**	**41,047,432**	**32,781,004**
अभिदत्त एवं प्रदत्त पूँजी	**SUBSCRIBED & PAID-UP CAPITAL**		
प्रत्येक ₹ 10 के 410, 35, 66, 070 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष के अंत में 327,69,23,350)	410,35,66,070 Equity Shares (Previous year ended 327,69,23,350) of ₹10 each	41,035,661	32,769,234
जोडें: जब्त शेयरों की राशि	Add: Amount of shares forfeited	7,391	7,391
कुल *	**TOTAL ***	**41,043,052**	**32,776,625**
* उपर्युक्त में से प्रत्येक रु. 10 के पूर्णत: प्रदत्त 334, 08, 61, 720 शेयर (पिछले वर्ष की समाप्ति पर 291,96,90,866) जिनकी कीमत ₹ 3340.86 करोड़ (पिछले वर्ष की समाप्ति पर ₹2919.69 करोड़) है, भारत सरकार द्वारा धारित हैं।	* Of the above, 334,08,61,720 Equity Shares (Previous year ended 291,96,90,866) of ₹10 each fully paid up amounting to ₹3340.86 crore (Previous year ended ₹2919.69 crore) is held by Central Government;		
अनुसूची - 2 : आरक्षितियां और अधिशेष	**SCHEDULE - 2 : RESERVES & SURPLUS**		
I. सांविधिक आरक्षितियां :	**I. Statutory Reserve:**		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	76,278,842	70,868,842
वर्ष के दौरान संवर्धन	Additions during the year	8,520,000	5,410,000
कुल (I)	**TOTAL (I)**	**84,798,842**	**76,278,842**
II. पूँजी आरक्षितियां :	**II. Capital Reserves:**		
ए) पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति :	A) Revaluation Reserve :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	62,517,920	63,223,557
जोडें : परिसर के पुनर्मूल्यांकन पर वर्ष के दौरान जोड़	Add: Addition during the period on Revaluation of Premises	7,338,808	0
घटाएं: अवधि के दौरान समायोजन	Less: Adjustments during the year	(84,766)	4,613
घटाएं : राजस्व आरक्षिति को अंतरित पुनर्मूल्यांकित अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	Less: Depreciation on revalued Fixed Assets transferred to Revenue reserve	675,335	701,024
(ए) का कुल	**Total of (A)**	**69,266,159**	**62,517,920**
बी) अन्य	B) Others:		
i. निवेश को बिक्री पर लाभ - परिपक्वता तक धारित	i. Profit on sale of Investments - "Held to Maturity"		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	30,518,144	25,563,168
अवधि के दौरान संवर्धन	Additions during the period	3,002,535	4,954,976
(i) का उप-जोड	**Sub-total of (i)**	**33,520,679**	**30,518,144**
ii. विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिति	ii. Foreign Currency Translation Reserve		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	20,485,971	23,390,751
जोड़ें/(घटाएं) : अवधि के दौरान संवर्धन/समायोजन (निवल)	Add/ (Less) : Additions / adjustments during the year (Net)	(628,578)	(2,904,780)
(ii) का उप-जोड़	**Sub-total of (ii)**	**19,857,393**	**20,485,971**
(बी) का कुल	**Total of (B)**	**53,378,072**	**51,004,115**
कुल (II)	**TOTAL (II)**	**122,644,231**	**113,522,035**

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000 छोडे गए हैं) / **(000's Omitted)**

		यथा As at 31-03-2022 ₹	यथा As at 31-03-2021 ₹
अनुसूची - 2 : आरक्षितियाँ एवं अधिशेष (जारी)	**SCHEDULE - 2 : RESERVES & SURPLUS (contd.)**		
III. शेयर प्रीमियम :	**III. Share Premium :**		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	115,493,848	353,317,730
जोडें: वर्ष के दौरान संवर्धित	Add : Additions during the year	47,233,699	
कम : वर्ष के दौरान कटौती / (उपयोग)	Less : Deductions/ Utilization during the year	182,223	237,823,882
कुल (III)	**TOTAL (III)**	**162,545,324**	**115,493,848**
IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां :	**IV. Revenue and Other Reserves :**		
i) राजस्व आरक्षिति :	i) Revenue Reserve :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	85,846,523	85,146,374
जोडें : वर्ष के दौरान संवर्धन	Add: Additions during the period	1,026,852	700,149
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	Less: Deductions during the period	2,054,867	-
IV(i) का उप-जोड	**Sub-total of IV(i)**	**84,818,508**	**85,846,523**
ii) निवेश आरक्षिति खाता	ii) Investment Reserve Account :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	-	-
जोडें: वर्ष के दौरान परिवर्धन संवर्धन	Add: Additions during the year	-	-
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	Less: Deductions during the year	-	-
IV (ii) का उप-जोड	**Sub-total of IV(ii)**	**-**	**-**
iii) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति	iii) Investment Fluctuation Reserve :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	6,738,011	-
जोडें: वर्ष के दौरान संवर्धन	Add: Additions during the year	2,537,920	6,738,011
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	Less: Deductions during the year	-	-
IV (iii) का उप-जोड	**Sub-total of IV(iii)**	**9,275,931**	**6,738,011**
iv) आयकर अधिनियम,1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति	iv) Special Reserve u/s Sec 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	26,200,000	21,700,000
जोड़े: वर्ष के दौरान संवर्धन	Add: Additions during the year	-	4,500,000
IV (iv) का कुल-जोड़	**Sub-total of IV(iv)**	**26,200,000**	**26,200,000**
जोड (IV)	**TOTAL (IV)**	**120,294,439**	**118,784,534**
V. लाभ-हानि खाते में शेष :	**V. Balance in Profit and Loss Account :**	**19,986,503**	**-**
कुल (I से V)	**TOTAL (I TO V)**	**510,269,339**	**424,079,259**
अनुसूची - 3 : जमाराशियां	**SCHEDULE - 3 : DEPOSITS**		
ए. I. मांग जमाराशियां :	**A. I. Demand Deposits :**		
i) बैंकों से	i) From Banks	8,453,986	5,746,377
ii) अन्यों से	ii) From Others	341,372,366	320,088,663
कुल (I)	**TOTAL (I)**	**349,826,352**	**325,835,040**
II. बचत बैंक जमाराशियां	**II. Savings Bank Deposits**	**2,166,813,869**	**1,975,015,678**
III. मीयादी जमाराशियां :	**III. Term Deposits :**		
i) बैंकों से	i) From Banks	362,297,362	438,216,135
ii) अन्यों से	ii) From Others	3,400,022,008	3,532,068,748
कुल (III)	**TOTAL (III)**	**3,762,319,370**	**3,970,284,883**
कुल ए (I to III)	**TOTAL A (I to III)**	**6,278,959,591**	**6,271,135,601**
ब. i) भारत में शाखाओं की जमाराशियां	**B.** i) Deposits of branches in India	5,508,327,657	5,511,351,725
ii) भारत से बाहर को शाखाओं की जमाराशियां	ii) Deposits of branches outside India	770,631,934	759,783,876
कुल (बी)	**TOTAL (B)**	**6,278,959,591**	**6,271,135,601**

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000 छोडे गए हैं) / **(000's Omitted)**

		यथा As at 31-03-2022 ₹	यथा As at 31-03-2021 ₹
अनुसूची - 4 : उधार	**SCHEDULE - 4 : BORROWINGS**		
I. भारत में उधार:	**I. Borrowings in India:**		
i. भारतीय रिज़र्व बैंक	i. Reserve Bank of India	35,190,000	35,190,000
ii. अन्य बैंक	ii. Other Banks		
ए. टियर I पूँजी	a. Tier I Capital	4,020,000	6,930,000
बी. टियर II पूँजी	b. Tier II Capital	3,140,000	250,000
सी. अन्य	c. Others	521,400	139,300
कुल (ii)	**Total (ii)**	**7,681,400**	**7,319,300**
III) अन्य संस्थाएं और एजेन्सियां	**III) Other Institutions and Agencies**		
ए . टियर I पूँजी	a. Tier I Capital	9,500,000	6,590,000
बी. टियर II पूँजी	b. Tier II Capital	59,860,000	69,750,000
सी. अन्य	c. Others	152,812,119	203,022,679
कुल **(iii)**	**Total (iii)**	**222,172,119**	**279,362,679**
कुल (I)	**Total (I)**	**265,043,519**	**321,871,979**
II. भारत के बाहर उधार	**II. Borrowings outside India**		
ए. टियर I पूँजी	a. Tier I Capital	-	-
बी. अपर टियर II पूँजी	b. Upper Tier II Capital	-	-
सी. अन्य	c. Others	2,560,147	2,769,076
कुल **(II)**	**Total (II)**	**2,560,147**	**2,769,076**
कुल (I & II)	**Total (I & II)**	**267,603,666**	**324,641,055**
उपर्युक्त I & II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार	**Secured borrowings included in I & II above**	**136,472,904**	**197,755,232**
अनुसूची - 5 : अन्य देयताएं एवं प्रावधान	**SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS**		
I. देय बिल	I. Bills Payable	17,110,211	14,158,433
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	II. Inter-office adjustments (net)	-	-
III. उपचित ब्याज	III. Interest accrued	17,395,308	16,366,851
IV. आस्थगित कर देयता	IV. Deferred Tax Liabilities	4,669	38,497
V. अन्य (प्रावधान सहित)*	V. Others (Including Provisions)*	213,754,287	145,368,135
कुल	**TOTAL**	**248,264,475**	**175,931,916**
*मानक आस्तियों के लिए प्रावधान ₹ 3,63,81,717 (पिछले वर्ष ₹ 2,72,31,029) शामिल	* Includes provision for Standard Assets ₹ 3,63,81,717 (Previous Year ₹ 2,72,31,029)		
अनुसूची-6 भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद एवं शेष राशि	**SCHEDULE - 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA**		
I. हाथ में नकदी (विदेशी करेंसी नोट सहित)	**I. Cash in hand** (including foreign currency notes)	**24,244,922**	**32,955,084**
II. रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के पास शेषराशि :*	**II. Balances with Reserve Bank of India : ***		
i) चालू खातों में	i) In Current Account	333,560,856	574,020,594
ii) अन्य खातों में	ii) In Other Accounts	45,000,000	-
कुल (II)	**TOTAL (II)**	**378,560,856**	**574,020,594**
कुल (I & II)	**TOTAL (I & II)**	**402,805,778**	**606,975,678**

*भारत के बाहर के केंद्रीय बैंकों के पास शेष राशि को मिलाकर

* Including balances with Central Banks outside India

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000 छोड़े गए हैं) / **(000's Omitted)**

		यथा As at 31-03-2022 ₹	यथा As at 31-03-2021 ₹
अनुसूची - 7 : बैंकों के पास शेषराशि और मांग एवं अल्प सूचना पर धन	**SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE**		
I. भारत में :	**I. In India :**		
i) बैंकों में शेषराशि	i) Balances with Banks		
ए) चालू खातों में	a) in Current Accounts	1,002,318	1,020,987
बी) अन्य जमाराशि खातों में	b) in Other Deposit Accounts	1,894,813	-
ii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर धन	ii) Money at call and short notice		
ए) बैंकों में	a) With Banks	1,000,000	254,540
बी) अन्य संस्थाओं में	b) With Other Institutions	5,033,499	95,998,088
कुल (I)	**TOTAL (I)**	**8,930,630**	**97,273,615**
II. भारत के बाहर :	**II. Outside India :**		
i) चालू खातों मे	i) In Current Accounts	22,050,717	24,482,120
ii) अन्य जमाराशि खातों में	ii) In Other Deposit Accounts	399,114,307	477,779,920
iii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर धन	iii) Money at call and short notice	82,674,957	59,295,352
कुल (II)	**TOTAL (II)**	**503,839,981**	**561,557,392**
कुल (I & II)	**TOTAL (I & II)**	**512,770,611**	**658,831,007**
अनुसूची - 8 : निवेश	**SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS**		
I. भारत में निवेश :	**I. Investments in India :**		
i) सरकारी प्रतिभूतियां	i) Government Securities	1,527,475,165	1,656,373,300
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	ii) Other approved Securities	-	-
iii) शेयर	iii) Shares	8,486,760	7,579,872
iv) डिबेंचर एवं बॉण्ड्स	iv) Debentures and Bonds	101,909,798	126,463,086
v) अनुषंगिया और/अथवा संयुक्त उद्यम (सहायक कंपनियाँ सहित)	v) Subsidiaries and/or Joint ventures (including Associates)	8,715,451	5,497,440
vi) अन्य (वाणिज्यिक दस्तावेज़, म्यूचुअल फंड के यूनिट, पास थ्रू सर्टिफिकेट, प्रतिभूति रसीदें, जोखिम फंड, स्वर्ण इत्यादि)	vi) Others (Commercial Papers, Units of Mutual Funds, Pass Through Certificates, Security Receipts, Venture Fund, Gold etc.)	6,941,855	8,850,980
कुल (I)	**TOTAL (I)**	**1,653,529,029**	**1,804,764,678**
सकल	Gross	1,704,670,134	1,849,325,429
घटाएं: मूल्यह्रास एवं परिशोधन	Less: Depreciation and Amortisation	51,141,105	44,560,751
निवल	**Net**	**1,653,529,029**	**1,804,764,678**
II. भारत के बाहर निवेश:	**II. Investments outside India :**		
i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	i) Government Securities (including local authorities)	65,840,383	41,080,665
ii) विदेश में अनुषंगियों और/अथवा संयुक्त उद्यमों में	ii) In Subsidiaries and/or joint ventures abroad	9,422,633	9,422,633
iii) अन्य निवेश (डिबेंचर, बॉण्ड आदि)	iii) Other Investments (Debentures, Bonds etc.)	15,692,021	17,260,480
कुल (II)	**TOTAL (II)**	**90,955,037**	**67,763,778**
सकल	Gross	**91,935,009**	**67,988,812**
घटाएं: मूल्यह्रास एवं परिशोधन	Less: Depreciation and Amortisation	**979,972**	**225,034**
निवेश	**Net**	**90,955,037**	**67,763,778**
कुल (I & II)	**TOTAL (I & II)**	**1,744,484,066**	**1,872,528,456**

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000 छोडे गए हैं) / **(000's Omitted)**

		यथा As at 31-03-2022 ₹	यथा As at 31-03-2021 ₹
अनुसूची - 9 : अग्रिम	**SCHEDULE - 9 : ADVANCES**		
ए. i) खरीदे गए और बट्टाकृत बिल	A. i) Bills Purchased and Discounted	174,634,399	92,462,046
ii) कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकाने योग्य ऋण	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	1,649,278,767	1,512,567,085
iii) मीयादी ऋण	iii) Term Loans	2,384,504,741	2,051,836,108
कुल (ए)	**TOTAL (A)**	**4,208,417,907**	**3,656,865,239**
बी. अग्रिमों का विवरण :	**B. Particulars of Advances :**		
i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के निमित्त अग्रिमों सहित)	i) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	2,826,923,683	2,632,585,554
ii) बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा कवर किया गया	ii) Covered by Bank/Government Guarantees	260,820,700	190,902,259
iii) अप्रतिभूत	iii) Unsecured	1,120,673,524	833,377,426
कुल (बी)	**TOTAL (B)**	**4,208,417,907**	**3,656,865,239**
सी. अग्रिमों का क्षेत्रवार वर्गीकरण :	**C. Sectoral Classification of Advances :**		
I. भारत में अग्रिम	**I. Advances in India**		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	i) Priority Sector	1,326,166,340	1,217,412,779
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	ii) Public Sector	1,057,294,505	859,160,292
iii) बैंक	iii) Banks	39	448,742
iv) अन्य	iv) Others	1,255,665,795	1,188,350,817
कुल (सी-I)	**Total (C-I)**	**3,639,126,679**	**3,265,372,630**
II. भारत के बाहर अग्रिम :	**II Advances outside India :**		
i) बैंकों से देय	i) Due from Banks	230,430,196	112,091,012
II) अन्य से देय	II) Due from others		
ए) खरीदे गए और बट्टाकृत बिल	a) Bills Purchased and Discounted	64,923,607	24,248,314
बी) समूहनकृत ऋण	b) Syndicated Loans	101,440,541	100,482,255
सी) अन्य	c) Others	172,496,884	154,671,028
कुल **(सी-II)**	**TOTAL (C-II)**	**569,291,228**	**391,492,609**
कुल **(सी - I, सी - II)**	**TOTAL (C - I, C - II)**	**4,208,417,907**	**3,656,865,239**
अनुसूची - 10 : अचल आस्तियां	**SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS**		
I. परिसर :	**I. PREMISES :**		
लागत पर आरंभिक शेष	Opening Balance, at cost	17,163,960	17,249,734
वर्ष के दौरान जोड़/समायोजन	Additions / Adjustments during the period	1,535,644	11,287
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती/ समायोजन	Less:Deductions / Adjustments during the period	0	97,061
उप-जोड	**Sub-total**	18,699,604	17,163,960
पुनर्मूल्यांकन के कारण अब तक संवर्धन	Addition to date on account of revaluation	69,750,574	63,976,932
घटाएं: इस तारीख को मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यांकन सहित)	Less : Depreciation to date (including on account of revaluation)	4,701,077	5,660,008
कुल -(I)	**TOTAL (I)**	**83,749,101**	**75,480,884**
II. अन्य अचल आस्तियां : **(फर्नीचर एवं फिक्स्चर सहित)**	**II. OTHER FIXED ASSETS : (including Furniture and Fixtures)**		
लागत पर आरंभिक शेष	Opening Balance at cost	39,325,380	36,959,513
वर्ष के दौरान जोड़/समायोजन	Additions / Adjustments during the period	3,815,730	2,542,358
घटाएं :वर्ष के दौरान कटौती/समायोजन	Less:Deductions / Adjustments during the period	196,179	176,491
उप-जोड	**Sub-total**	**42,944,931**	**39,325,380**
घटाएं: तिथि पर मूल्यह्रास	Less: Depreciation to date	31,798,468	29,303,552
जोड **(II)**	**TOTAL (II)**	**11,146,463**	**10,021,828**
III. निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य	**III. CAPITAL WORK IN PROGRESS**	**2,853,971**	**3,638,597**
कुल (I से III)	**TOTAL (I to III)**	**97,749,535**	**89,141,309**

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000 छोडे गए हैं) / **(000's Omitted)**

		यथा As at 31-03-2022 ₹	यथा As at 31-03-2021 ₹
अनुसूची - 11 : अन्य आस्तियां	**SCHEDULE - 11 : OTHER ASSETS**		
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	I. Inter-office adjustments (net)	71,919,504	55,890,055
II. उपचित ब्याज	II. Interest accrued	27,505,683	28,904,785
III. अग्रिम में अदा किया गया कर / स्रोत पर काटा गया कर (निवल)	III. Tax paid in advance/tax deducted at source	73,700,345	48,795,537
IV. लेखन सामग्री एवं स्टैम्प	IV. Stationery and Stamps	97,356	77,622
V. आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	V. Deferred Tax Assets (Net)	87,078,619	127,744,620
VI. अन्य*	VI. Others*	119,610,719	112,810,148
कुल	**TOTAL**	**379,912,226**	**374,222,767**
* इसमें नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी के पास ₹58,423,630 की राशि की जमा राशि (पिछले वर्ष ₹ 54,141,048) शामिल है	* Includes Deposits placed with NABARD/SIDBI/NHB amounting to ₹ 58,423,630 (Previous Year ₹ 54,141,048)		
अनुसूची - 12 : आकस्मिक देयताएं	**SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES**		
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है	I. Claims against the Bank not acknowledged as debts	18,100,466	26,202,648
II. आंशिक रूप से प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	II. Liability for partly paid Investments	972,953	1,010,314
III. अतिदेय वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता	III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	3,691,798,145	4,046,620,870
IV. घटकों की ओर से दी गई गारंटी:	IV. Guarantees given on behalf of Constituents :		
ए. भारत में	a. In India	207,749,624	218,030,102
बी. भारत के बाहर	b. Outside India	39,140,541	30,852,421
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन एवं अन्य बाध्यताएं	V. Acceptances, endorsements and other obligations	240,477,714	183,047,143
VI. उपरोक्त III में सूचीबद्ध के अलावा डेरिवेटिव संविदाएं	VI. Derivative contracts other than listed at III above	15,630,342	14,865,980
VII. अन्य मदें जिसके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	VII. Other items for which the Bank is contingently liable	18,112,337	15,719,038
कुल	**TOTAL**	**4,231,982,122**	**4,536,348,516**

लाभ एवं हानि खाता की अनुसूची
SCHEDULES TO THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(000 छोड़े गए हैं) / **(000's Omitted)**

				को समाप्त वर्ष For the Year ended 31-03-2022 ₹	को समाप्त वर्ष For the Year ended 31-03-2021 ₹
अनुसूची - 13 : अर्जित ब्याज	**SCHEDULE - 13 : INTEREST EARNED**				
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	I. Interest/Discount on advances/bills			258,415,093	274,067,419
II. निवेशों पर आय	II. Income on Investments			111,162,588	115,477,834
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि पर ब्याज और अन्य अंतर-बैंक निधियां	III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds			6,233,916	11,420,907
IV. अन्य	IV. Others			4,946,662	5,028,225
कुल	**TOTAL**			**380,758,259**	**405,994,385**
अनुसूची - 14 : अन्य आय	**SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME**				
I. कमीशन, विनिमय एवं ब्रोकरेज	I. Commission, exchange and brokerage			11,975,488	11,064,271
II. निवेशों की बिक्री पर लाभ	II. Profit on sale of Investments	17,601,913	25,470,833		
घटाएं: निवेशों की बिक्री पर हानि	Less : Loss on sale of Investments	(7,505)	(178)	17,594,408	25,470,655
III. निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ	III. Profit on revaluation of Investments	435	172,495		
घटाएं : निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि	Less : Loss on revaluation of Investments	(3,523,010)	(6,168,187)	(3,522,575)	(5,995,692)
IV. जमीन, बिल्डिंग और अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ	IV. Profit on sale of land, buildings and other assets	2,780,903	600,494		
घटाएं: जमीन, बिल्डिंग और अन्य आस्तियों की बिक्री से हानि	Less : Loss on sale of land, buildings and other assets	(7,781)	-	2,773,122	600,494
V. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ	V. Profit on exchange transactions	25,612,617	18,888,583		
घटाएं : विनिमय संव्यवहारों पर हानि	Less: Loss on Exchange Transactions	(8,359)	(24,176)	25,604,258	18,864,407
VI. अनुषंगी/कंपनी और/अथवा विदेश/भारत में संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय	VI. Income earned by way of dividends etc., from subsidiaries/ companies and/or joint ventures abroad/in India			184,462	252,042
VII. विविध आय*	VII. Miscellaneous Income*			24,178,154	18,162,479
कुल	**TOTAL**			**78,787,317**	**68,418,656**
* बट्टे खाते में की गई वसूली राशि रु. 1,09,71,278 (पिछले वर्ष ₹ 52,96,460) शामिल है	* Includes Recoveries made in write-off accounts amounting to ₹ 1,09,71,278 (Previous Year ₹ 52,96,460)				
अनुसूची - 15 : व्यय किया गया ब्याज	**SCHEDULE - 15 : INTEREST EXPENDED**				
I. जमाराशियों पर ब्याज	I. Interest on Deposits			226,294,933	244,822,894
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज	II. Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings			6,224,865	11,558,910
III. अन्य:	III. Others			7,617,489	6,914,227
कुल	**TOTAL**			**240,137,287**	**263,296,031**
अनुसूची - 16 : परिचालन खर्चे	**SCHEDULE - 16 : OPERATING EXPENSES**				
I. कर्मचारियों को भुगतान और उसके लिए प्रावधान	I. Payments to and provisions for employees			70,555,291	64,729,900
II. किराया, कर एवं लाइटिंग	II. Rent, Taxes and Lighting			7,868,853	7,518,229
III. प्रिंटिंग एवं लेखन सामाग्री	III. Printing and Stationery			770,845	646,682
IV. विज्ञापन एवं प्रचार	IV. Advertisement and Publicity			166,003	75,439
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास	V. Depreciation on Bank's property			3,635,111	3,722,039
VI. निदेशकों का शुल्क, भत्ते और खर्चे	VI. Directors' fees, allowances and expenses			4,055	4,295
VII. लेखा-परीक्षकों का शुल्क और खर्चे (शाखा के लेखा-परीक्षकों के शुल्क एवं भत्ते सहित)	VII. Auditors' fees and expenses (Including branch Auditors' fees & expenses)			932,798	802,916
VIII. विधि प्रभार	VIII. Law Charges			435,100	274,646
IX. डाक-खर्च, टेलीग्राम, टेलीफोन, इत्यादि	IX. Postage, Telegrams, Telephones, etc.			1,607,582	1,776,218
X. मरम्मत एवं रखरखाव	X. Repairs and Maintenance			675,525	600,363
XI. बीमा	XI. Insurance			7,490,347	6,994,167
XII. अन्य खर्चे	XII. Other Expenditure			25,382,233	21,246,169
कुल	**TOTAL**			**119,523,743**	**108,391,063**

अनुसूची 17 :

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. तैयार करने का आधार:

संस्था की निरन्तरता की अवधारणा तथा यदि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो तो पूर्व के लागत के आधार पर, वित्तीय विवरण तैयार किये जाते हैं जो सभी महत्वपूर्ण पक्षों में भारत में 'सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों" (जीएएपी) का पालन करते हैं। इसके अंतर्गत, लागू विधिक प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा निर्धारित विनियामकीय नियम, लेखा मानक (ए.एस.), भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के द्वारा जारी निदेश, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित लेखा प्रथाएं शामिल हैं। यदि अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है तो, विदेशी शाखाओं/कार्यालयों के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक उपबन्धों तथा लेखांकन पद्धतियों का अनुपालन किया जाता है।

2. आकलन का आधार:

वित्तीय विवरणी की तैयारी हेतु प्रबंधन के लिए यह आवश्यक है कि वह वित्तीय विवरण की प्रभावी तारीख को रिपोर्ट की गयी आस्ति एवं देयता (आकस्मिक देयताएं सहित) तथा रिपोर्टिंग अवधि के लिए आय एवं व्यय का आकलन तथा अनुमान प्रतिपादित करे। प्रबंधन यह मानता है कि वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में प्रयुक्त आकलन उचित तथा तार्किक हैं। तथापि वास्तविक परिणाम आकलन से भिन्न हो सकते हैं। वर्तमान तथा भविष्य की अवधि के लिए लेखांकित आकलन में किसी भी परिवर्तन को भविष्य में निर्धारित किया जाता है।

3. राजस्व का निर्धारण:

क. यदि अन्यथा न उल्लिखित हो तो आय/व्यय को उपचय के आधार पर तय किया जाता है। विदेशी कार्यालयों के संबंध में संबंधित मेज़बान देश के स्थानीय कानूनों/मानकों के अनुसार आय/व्यय निर्धारित की जाती है।

ख. अनर्जक आस्तियों पर ब्याज को छोड़कर, आय का निर्धारण, समय के अनुपात के आधार पर किया जाता है।

ग. बैंक गारंटी तथा साख पत्र जारी करने पर कमीशन का निर्धारण, बीजी/एलसी की अवधि पर होता है।

घ. अन्य सभी कमीशन एवं विनिमय, ब्रोकरेज, फीस तथा अन्य शुल्कों की जब प्राप्ति हो जाती है तब उसका आय के रूप में उनका निर्धारण होता है।

ङ. "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी में निवेश पर आय (ब्याज के अतिरिक्त) जिसे उसके अंकित मूल्य पर बट्टे के रूप में प्राप्त किया गया था, उसे निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित किया जाता है:

i.) ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर, केवल बिक्री/मोचन के समय ही इनका निर्धारण किया जाता है।

ii.) जीरो-कूपन प्रतिभूतियों में, स्थिर प्रतिफल के आधार पर प्रतिभूति की शेष परिपक्वता अवधि पर इसका लेखांकन किया जाता है।

च. निवेशों की बिक्री में हुए लाभ या हानि को, लाभ तथा हानि खाते में मान्यता दी जाती है। आर.बी.आई. के दिशानिर्देशों के अनुसार, "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के अंतर्गत निवेशों की बिक्री के मामले में (करों तथा सांविधिक आरक्षितियों में अंतरण करने हेतु आवश्यक राशि छोड़कर), इसके बराबर की राशि "आरक्षित पूँजी खाते" में विनियोजित की जाती है।

SCHEDULE-17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. BASIS OF PREPARATION:

The financial statements are prepared following the going concern concept, on historical cost basis unless otherwise stated and conform, in all material aspects, to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India (RBI), Accounting Standards (AS), pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), Banking Regulation Act, 1949 and accounting practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices/ branches, statutory provisions and accounting practices prevailing in the respective foreign countries are complied with, except as specified elsewhere.

2. USE OF ESTIMATES:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. However, actual results can differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

3. REVENUE RECOGNITION:

a. Income/Expenditure is recognised on accrual basis, unless otherwise stated. In respect of foreign offices, income/expenditure is recognised as per local laws/ standards of host country.

b. Interest income is recognised on time proportion basis except interest on non-performing assets.

c. Commission on issue of Bank Guarantee and Letter of Credit is recognised over the tenure of BG/LC.

d. All other Commission and Exchange, Brokerage, Fees and other charges are recognised as income on realisation.

e. Income (other than interest) on investments in "Held to Maturity" category acquired at a discount to the face value, is recognised as follows:

i. On Interest bearing securities, it is recognised only at the time of sale/ redemption.

ii. On zero-coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the security on a constant yield basis.

f. Profit or loss on sale of investments is recognised in the Profit and Loss account. As per RBI Guidelines, in case of profit on sale of investments under 'Held to Maturity' category, an equivalent amount (net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserves) is appropriated to 'Capital Reserve Account'.

छ. जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है, तब लाभांश को आय के रूप पहचाना जाता है।

ज. निर्धारण आदेश जारी होने के वर्ष में आयकर वापसी पर ब्याज, आय के रूप में निर्धारित किया जाता है।

झ. एन.पी.ए. के संबंध में वसूलियों का विनियोजन :

क) समझौता निपटान/विशेष ओटीएस, ख) न्यायालय/डीआरटी/एनसीएलटी के निर्णय तथा ग) एआरसी/एससी को समनुदेशन - इन तीन मामलों को छोड़कर, एनपीए में वसूली निम्नलिखित क्रम से प्रभावी की जाती है :-

- उधारकर्ता के खाते में नामे प्रभार,
- ऐसे खर्च/अपने जेब से खर्च, जो किये तो गये परंतु जिन्हें नामे नहीं किया गया,
- न वसूले गये ब्याज,
- अप्रभारित ब्याज,
- मूल धन।

अन्य मामलों में प्रासंगिक प्राधिकारी के आदेश के अनुसार की गई वसूलियों को विनियोजित किया जाता है।

4. अग्रिम:

(क) लागू विनियामकीय दिशानिर्देशों के अनुसार अग्रिमों को "अर्जक" और "अनर्जक अग्रिमों" (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(ख) इसके अतिरिक्त, लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, अनर्जक आस्तियों (एनपीए) को अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ग) घरेलू शाखाओं के संबंध में, एनपीए से संबंधित प्रावधान, निम्नलिखित दर पर किये जाते हैं :

g. Dividend Income is recognised when the right to receive the dividend is established.

h. Interest Income on Income-tax refund is recognised in the year of passing of assessment order.

i. Appropriation of recoveries in NPAs:

In respect of NPAs, recoveries effected except through a.) compromise settlement /special OTS, b.) Judgement of a Court/DRT/NCLT and c.) Assignment to ARC's/SC's. are to be made in the following order:-

- Charges debited to borrower's account,
- Expenses/out of pocket expenses incurred but not debited,
- Unrealised interest,
- Uncharged interest,
- Principal

In other cases, the recoveries made are appropriated as per the order of relevant authority.

4. ADVANCES:

a. Advances are classified into "Performing" and "Non-Performing Advances" (NPAs) in accordance with the applicable regulatory guidelines.

b. NPAs are further classified into Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets in terms of applicable regulatory guidelines.

c. In respect of domestic branches, NPA Provisions are made at the rates given as under:

एनपीए की श्रेणी	Category of NPAs	निवल बकाया अग्रिम पर प्रावधान का प्रतिशत Provision % on net outstanding advance
अवमानक आस्ति:*	Sub Standard:*	
ऐसे एक्सपोज़र, जो आरंभ से गैर जमानती हैं	Exposures, which are unsecured ab initio	25%
आधारभूत संरचना ऋण खातों के संबंध में प्रतिभूति रहित एक्सपोज़र जहाँ कुछ सुरक्षा प्रावधान, जैसे एस्क्रो खाते उपलब्ध हैं (गैर प्रतिभूति-इंफ्रा)	Unsecured exposure in respect of infrastructure loan accounts where certain safeguards such as escrow accounts are available (unsecured – infra)	20%
अन्य	Others	15%
संदिग्ध :	Doubtful:	
जमानती हिस्सा (उस अवधि के लिए जिसके दौरान अग्रिम संदिग्ध श्रेणी में रहा)	Secured portion (Period for which advance has remained in doubtful category)	
- एक वर्ष तक	- Upto one year	25%
- एक वर्ष से तीन वर्ष तक	- One year to three years	40%
- तीन वर्ष से अधिक	- More than three years	100%
गैर जमानती हिस्सा	Unsecured portion	100%
हानि	Loss	100%

* बकाया अग्रिम पर

* On the outstanding advance

(घ) विदेशी शाखाओं के संबंध में, अग्रिमों का एनपीए के रूप में वर्गीकरण और एनपीए के संबंध में प्रावधान, संबंधित विदेशी केन्द्र पर लागू विनियामकीय आवश्यकताओं अथवा घरेलू शाखाओं के लिए लागू

d. In respect of foreign branches, classification of advances as NPAs and provision in respect of NPAs is made as per the regulatory requirements prevailing at the respective foreign countries or

दिशानिर्देशों, इनमें से जो भी कड़े हो, उसके अनुसार होंगे।

(ङ) भारतीय रिज़र्व बैंक के मानकों के अनुसार, शुद्ध अग्रिम के परिकलन हेतु, कुल अग्रिमों में से अनर्जक आस्तियों, अप्राप्त ब्याज, ईसीजीसी दावा इत्यादि के संबंध में प्रावधान घटाएं जाते हैं।

(च) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, पुनर्निधारित/पुन:संरचित अग्रिमों के संबंध में, मौजूदा मूल्य में आकलित, पुनर्संरचित अग्रिम के फेयर वैल्यू में ह्रास के लिए प्रावधान किया जाता है। शुद्ध अग्रिम के परिकलन हेतु उक्त प्रावधान को घटाया जाता है।

(छ) आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी)/प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को वित्तीय आस्तियां बेचे जाने के मामले में, यदि बिक्री, निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात् बकाया में से धारित प्रावधान घटाकर) से कम है तो, इस कमी को आरबीआई के समय-समय पर जारी मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभ एवं हानि खाते से नामे किया जाना है। यदि बिक्री का मूल्य, निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक है तो जिस वर्ष राशि प्राप्त होती है, उस वर्ष में, एनपीए की बिक्री पर किए गए अतिरिक्त प्रावधान को लाभ एवं हानि खाते में वापस किया जाना है। परंतु किसी भी अतिरिक्त प्रावधान को तभी रिवर्स किया जाता है जब आस्ति का निवल बही मूल्य (एनबीवी), प्राप्त नकदी (केवल प्रारंभिक प्रतिफल द्वारा/अथवा एसआर/पीटीसी के रिडेम्पशन के द्वारा) से अधिक होगा। अतिरिक्त प्रावधान का रिवर्सल, आस्ति के एनबीवी से अधिक प्राप्त नकदी की सीमा तक ही होगा।

(ज) मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुन:संरचित अग्रिमों सहित मानक आस्तियों हेतु प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किये जाते हैं। विदेशी शाखाओं के मामलों में मानक आस्तियों के लिए प्रावधान, संबन्धित विदेशी केन्द्र पर लागू विनियामकीय आवश्यकताओं के अनुसार अथवा घरेलू शाखाओं के लिए लागू दिशानिर्देशों, इनमें से जो भी कड़े हों, उसके अनुसार किये जाते हैं।

(झ) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, निवल निधीकृत कंट्री एक्सपोज़र का (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष), ग्रेड किये गये स्केल के आधर पर प्रावधान किये जाते हैं।

5. अस्थायी प्रावधान:

बैंक में अस्थायी प्रावधान का सृजन करने और उसका उपयोग करने की नीति है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सृजित किये जाने वाले अस्थायी प्रावधान की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। अस्थायी प्रावधान का उपयोग, नीति में निर्धारित, केवल असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत, आकस्मिकताओं के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से अथवा किसी निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई विशेष अनुमति से ही किया जाता है। निवल एनपीए निर्धारित करने के लिए इन प्रावधानों को सकल एनपीए में से घटा दिया जाता है।

6. डेबिट/क्रेडिट कार्ड रिवार्ड प्वाइंट :

बैंक के डेबिट कार्ड धारकों के संबंध में रिवार्ड पॉइंट का प्रावधान, एक्चुरीयल आकलन के आधार किया जाता है और क्रेडिट कार्ड पर रिवार्ड पॉइंट के लिए प्रावधान, जमा हुए बकाया पॉइंट के आधार पर किया जाता है।

7. निवेश :

क. सरकारी प्रतिभूतियों में संव्यवहार को, निपटान की तारीख पर मान्यता दी जाती है और अन्य सभी निवेशों को, ट्रेड की तारीख पर मान्यता दी जाती है।

as per guidelines applicable to domestic branches, whichever is stringent.

e. Provisions in respect of NPAs, unrealised interest, ECGC claims, etc. are deducted from total advances to arrive at net advances as per RBI norms.

f. In respect of Rescheduled/Restructured advances, provision is made for the diminution in the fair value of restructured advances measured in present value terms as per RBI guidelines. The said provision is reduced to arrive at Net advances.

g. In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitisation Company (SC), if the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. outstanding less provision held) the shortfall is debited to the Profit and Loss account as per the extant RBI guidelines issued from time to time. If the sale is at a price higher than the NBV, the excess provision on sale of NPAs may be reversed to profit and loss account in the year the amounts is received. However, any excess provision is reversed only when the cash received (by way of initial consideration only/or redemption of SR's/PTC) is higher than the net book value (NBV) of the asset. Reversal of excess provision is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

h. Provision for Standard assets, including restructured advances classified as standard, is made in accordance with RBI guidelines. In respect of foreign branches provision for Standard Assets is made as per the regulatory requirements prevailing at the respective foreign countries or as per guidelines applicable to domestic branches, whichever is stringent.

i. Provision for net funded country exposures (Direct/Indirect) is made on a graded scale in accordance with the RBI guidelines.

5. FLOATING PROVISION:

The bank has framed a policy for creation and utilisation of floating provisions. The quantum of floating provisions to be created is assessed at the end of each financial year. The floating provisions are utilised only for contingencies under extraordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India or on being specifically permitted by Reserve Bank of India for specific purposes. These provisions are netted off from gross NPAs to arrive at Net NPAs.

6. DEBIT/CREDIT CARDS REWARD POINTS:

Provision for reward points in relation to the debit cards is provided for on actuarial estimates and Provision for Reward Points on Credit cards is made based on the accumulated outstanding points.

7. INVESTMENTS:

a. Transactions in Government Securities are recognised on Settlement Date and all other Investments are recognised on trade date.

ख. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का वर्गीकरण, "परिपक्वता तक धारित", "कारोबार के लिए धारित" और 'बिक्री हेतु उपलब्ध" श्रेणियों में किया गया है। तुलन पत्र में अनुसूची 8 में (I) भारत में निवेश को 6 वर्गों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है जैसे i.) सरकारी प्रतिभूतियां, ii.) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां iii.) शेयर, iv.) डिबेंचर और बॉण्ड, v.) अनुषंगियों और संयुक्त उद्यम में निवेश और (vi) अन्य और (II) भारत के बाहर के निवेशों को निम्नलिखित 03 श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है - i.) सरकारी प्रतिभूतियां, ii.) विदेशों की अनुषंगियों और संयुक्त उद्यम में निवेश और iii.) अन्य निवेश।

क) वर्गीकरण का आधार

किसी निवेश का वर्गीकरण, उसके अर्जन के समय किया जाता है।

(i) परिपक्वता तक धारित

इसमें ऐसे निवेश शामिल हैं जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखने का इरादा रखता है। अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों की इक्विटी में किए गए निवेशों को भी, परिपक्वता तक धारित के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

(ii) कारोबार के लिए धारित

इसमें ऐसे निवेश शामिल हैं जिन्हें अल्पकालिक मूल्य/ब्याज दर के उतार-चढ़ाव का लाभ लेते हुए कारोबार के इरादे से अर्जित किया जाता है। खरीद की तारीख से 90 दिनों के अंदर इन्हें बेच दिया जाना है।

(iii) बिक्री के लिए उपलब्ध

इसमें ऐसे निवेश शामिल हैं जो "परिपक्वता तक धारित" अथवा "कारोबार के लिए धारित" की श्रेणी में नहीं आते है।

ख) निवेश के अधिग्रहण की लागत

(i) इक्विटी निवेश के अर्जन के लिए भुगतान किए गए ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूति संव्यवहार कर इत्यादि को लागत में शामिल किया जाता है।

(ii) कर्ज निवेशों पर ब्रोकरेज, कमीशन, खण्डित अवधि के लिए ब्याज भुगतान/प्राप्तियों को व्यय/आय के रूप में माना गया है और इसे लागत/बिक्री पर विचार करते समय शामिल नहीं किया जाता है।

(iii) निवेशों के अभिदान पर प्राप्त ब्रोकरेज और कमीशन, यदि कुछ हो तो, उसे लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है।

ग) मूल्यांकन का तरीका

भारत में निवेशों का मूल्यांकन, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है और विदेशी शाखाओं द्वारा किये गये निवेशों को संबंधित देश में लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुसार जो मूल्य है अथवा समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार जो मूल्य है - इन दोनों में जो भी कम हो, उसके अनुसार किया जाता है।

ट्रेज़री बिलों और अन्य सभी बट्टाकृत लिखतों का मूल्य, कैरिंग कॉस्ट (अर्थात् प्राप्त करने की लागत में, प्राप्त करते समय लागू दर में उपचित बट्टा को जोड़कर) के आधार पर निकाला जाता है।

(i) परिपक्वता तक धारित:

1. इस श्रेणी के अंतर्गत निवेशों को उनके अर्जन लागत, परिशोधन को घटाकर, यदि कोई हो, पर लिया जाता है। अंकित मूल्य से अधिक अर्जन लागत, यदि कोई हो, तो उसे स्थिर प्रतिफल पद्धति का प्रयोग करते हुए परिपक्वता की शेष बची अवधि में परिशोधित किया गया है।

b. Investments are classified under `Held to Maturity', 'Held for Trading' and 'Available for Sale' categories as per RBI guidelines. For the purpose of disclosure in the Balance Sheet in Schedule 8, (I) 'Investments in India' are classified under six categories viz. i.) Government Securities, ii.) Other Approved Securities, iii.) Shares, iv.) Debentures and Bonds, v.) Subsidiaries and Joint Ventures and vi.) Others and (II) 'Investments outside India' are classified under three categories viz. i.) Government Securities, ii.) Subsidiaries and Joint Ventures abroad and iii.) Other Investments.

A. Basis of classification

Classification of an investment is done at the time of its acquisition.

(i) Held to Maturity

These comprise investments that the Bank intends to hold till maturity. Investments in equity of subsidiaries, joint ventures and associates are also categorised under Held to Maturity.

(ii) Held for Trading

These comprise investments acquired with the intention to trade by taking advantage of short term price/interest rate movements. Securities are to be sold within 90 days from the purchase date.

(iii) Available for Sale:

These comprise investments which do not fall either under "Held to Maturity" or "Held for Trading" category.

B. Acquisition Cost of Investment:

(i) Brokerage, commission, securities transaction tax, etc. paid on acquisition of equity investments are included in cost.

(ii) Brokerage, commission, broken period interest paid/received on debt investments is treated as expense/income and is excluded from cost/sale consideration.

(iii) Brokerage and Commission, if any, received on subscription of investments is credited to Profit and Loss Account.

C. Method of valuation:

Investments in India are valued in accordance with the RBI guidelines and investments held at foreign branches are valued at lower of the value as per the statutory provisions prevailing at the respective foreign countries or as per RBI guidelines issued from time to time.

Treasury Bills and all other discounted instruments are valued at carrying cost (ie acquisition cost plus discount accrued at the rate prevailing at the time of acquisition)

(i) Held to Maturity:

1. Investments included in this category are carried at their acquisition cost, net of amortisation, if any. The excess of acquisition cost, if any, over the face value is amortised over the remaining period of maturity

प्रीमियम का इस प्रकार परिशोधन, आय में 'निवेश पर ब्याज" शीर्ष के अंतर्गत समायोजित किया जाता है।

2. अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों (भारत और विदेश दोनों में) में निवेश, पूर्व के लागत के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है, सिवाय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश के, जिन्हें कैरिंग कॉस्ट (अर्थात् बही मूल्य) पर मूल्यांकित किया जाता है। अस्थायी प्रकृति को छोड़कर, प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग ह्रास (डिमिन्युशन) का प्रावधान किया जाता है।

(ii) कारोबार के लिए धारित / बिक्री के लिए उपलब्ध :

1. इस श्रेणियों के अंतर्गत निवेशों का मूल्यांकन, विनियामकीय दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार मूल्य अथवा उचित मूल्य पर, एक-एक करके निर्धारित किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी के प्रत्येक वर्गीकरण में केवल निवल मूल्यह्रास लगाया जाता है और निवल मूल्यवृद्धि को ध्यान में नहीं लिया जाता है। मूल्यह्रास के लिए प्रावधान के संबंध में, बाजार मूल्य को बही में अंकित करने के पश्चात एकल प्रतिभूतियों का बही मूल्य अपरिवर्तित रहता है।

"कारोबार के लिए धारित" और "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणियों में उद्धृत किए गए निवेश के मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु, स्टॉक एक्सचेंज पर बाजार दर/भाव, भारतीय प्राथमिक डीलर संघ (पीडीएआई) / निर्धारित आय मुद्रा बाजार और डेरिवेटिव संघ (एफआईएमएमडीए)/ फाइनान्शियल बेंचमार्क इंडिया प्रा.लि. (एफबीआईएल) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया जाता है। जिन निवेशों के लिए ऐसे दर/भाव उपलब्ध नहीं है, उनका मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है जो निम्नानुसार है :

वर्गीकरण	मूल्यांकन का आधार
सरकारी प्रतिभूतियां	परिपक्वता के समय प्रतिफल के आधार पर
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	परिपक्वता के समय प्रतिफल के आधार पर
इक्विटी शेयर्स, पीएसयू और न्यासी शेयर	नवीनतम तुलन पत्र के अनुसार ब्रेक अप वैल्यू पर (18 महीनों से अधिक पुरानी नहीं), अन्यथा प्रति कंपनी ₹1
अधिमान्य शेयर	परिपक्वता के समय प्रतिफल के आधार पर
पीएसयू/कॉर्पोरेट बॉन्ड	परिपक्वता के समय प्रतिफल के आधार पर
म्यूचुअल फंड के यूनिट	नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य / प्रत्येक योजना के संबंध में घोषित एनएवी पर
उद्यम पूँजी निधि (वीसीएफ)	ऐसे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार घोषित एनएवी अथवा ब्रेक अप एनएवी जो 18 महीनों से पुरानी नहीं हो। यदि एनएवी/ लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण 18 महीनों से अधिक हेतु उपलब्ध नहीं है तो ₹1 प्रति वीसीएफ।
प्रतिभूति रसीद	प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा घोषणा के अनुसार एनएवी पर जो 6 माह से अधिक पुरानी न हो।

घ) विभिन्न श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण:

ए) एचटीएम से एएफएस/एचएफटी -

i) यदि किसी डिस्काउंट पर मूलत: प्रतिभूति को एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत रखा गया था तो इसे अधिग्रहण कीमत/बही मूल्य पर अंतरित किया जाता है। अंतरण के बाद, इन प्रतिभूतियों

using constant yield method. Such amortisation of premium is adjusted against income under the head "interest on investments".

2. Investments in subsidiaries, joint ventures and associates (both in India and abroad) are valued at historical cost except for investments in Regional Rural Banks, which are valued at carrying cost (i.e. book value). Suitable provision is made for diminution, other than of temporary nature, for each investment individually.

(ii) Held for Trading / Available for Sale:

1. Investments under these categories are individually valued at the market price or fair value determined as per Regulatory guidelines and only the net depreciation in each classification for each category is provided for and net appreciation is ignored. On provision for depreciation, the book value of the individual securities remains unchanged after marking to market.

For the purpose of valuation of quoted investments in "Held for Trading" and "Available for Sale" categories, the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA)/ Financial Benchmark India Pvt. Ltd. (FBIL) are used. Investments for which such rates/quotes are not available are valued as per norms laid down by RBI, which are as under:

Classification	Basis of Valuation
Government Securities	on Yield to Maturity basis
Other Approved Securities	on Yield to Maturity basis
Equity Shares, PSU and Trustee shares	at break-up value as per the latest Balance Sheet (not more than 18 months old), otherwise Re.1 per company.
Preference Shares	on Yield to Maturity basis
PSU/Corporate Bonds	on Yield to Maturity basis
Units of Mutual Funds	at the latest repurchase price/ NAV declared by the fund in respect of each scheme
Units of Venture Capital Funds (VCF)	declared NAV or break-up NAV as per audited financials which are not more than 18 months old. If NAV/audited financials are not available for more than 18 months then at Re. 1/- per VCF.
Security Receipts	at NAV as declared by Securitisation Companies which is not more than 6 months old.

D. Transfer of Securities between Categories:

A) HTM to AFS/HFT –

i) If the security was originally placed under the HTM category at a discount it is transferred at the acquisition price / book value. After transfer, these securities are immediately re-

का तत्काल मूल्यांकन किया जाता है तथा यदि कोई मूल्यह्रास होता है तो उसका लेखांकन किया जाता है।

ii) यदि किसी प्रीमियम पर प्रतिभूति को एचटीएम श्रेणी में रखा गया था तो इसे एमोर्टाइजेशन की लागत पर एएफएस/ एचएफटी श्रेणी में अंतरित किया जाता है। अंतरण के बाद इन प्रतिभूतियों का तत्काल मूल्यांकन किया जाता है तथा यदि कोई मूल्यह्रास होता है तो उसका लेखांकन किया जाता है।

बी) **एएफएस/एचएफटी से एचटीएम में अंतरण -** बही मूल्य या बाजार मूल्य में से जो की कम हो उस पर एएफएस/एचएफटी श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में स्क्रिप का अंतरण किया जाता है। यदि अंतरण के समय बाजार मूल्य बही मूल्य से ज्यादा होता है तो बढ़ोतरी को नजरअंदाज किया जाता है। यदि बही मूल्य से बाजार मूल्य कम होता है तो वैसी प्रतिभूति के लिए किये गये मूल्यह्रास के प्रावधान को समायोजित किया जाता है एवं बही मूल्य को बाजार मूल्य तक कम किया जाता है तथा प्रतिभूति को बाजार मूल्य पर अंतरित किया जाता है।

सी) **एएफएस से एचएफटी तथा इसके विपरीत -** एएफएस से एचएफटी श्रेणी या इसके विपरीत, प्रतिभूति अंतरित करने के मामले में, अंतरण की तारीख पर प्रतिभूतियों का पुन: मूल्यांकन नहीं किया जाता है तथा संकलित मूल्यह्रास का प्रावधान, यदि कुछ हो तो, उसे एचएफटी प्रतिभूतियां या इसके विपरीत, जैसा मामला हो, के विरुद्ध मूल्यह्रास के लिए प्रावधान में अंतरित किया जाता है।

ङ) अनर्जक निवेश (एनपीआई) और उसका मूल्यांकन:

(i) निवेशों को अर्जक और अनर्जक में वर्गीकृत किया जाता है जो घरेलू कार्यालयों के मामले में आरबीआई और विदेशी कार्यालयों के मामले में संबंधित विनियामकों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर आधारित होते हैं।

(ii) अनर्जक निवेशों के संबंध में आय मान्य नहीं होती है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य में ह्रास हेतु प्रावधान किये जाते हैं।

(iii) परिपक्व एनपीआई को अनुसूची 11 में "अन्य आस्तियों" के अंतर्गत दिखाया गया है। (प्रावधान घटाकर)

च) रेपो/रिवर्स रेपो:

रेपो/रिवर्स रेपो के अंतर्गत बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियों का लेखांकन, संपार्श्विक ऋण और ऋण के संव्यवहार के रूप में किया जाता है। तथापि, प्रतिभूतियों का अंतरण वैसे ही किया जाता है जैसे सामान्य सीधी बिक्री/ खरीद संव्यवहार के मामले में होता है और ऐसी प्रतिभूतियों का आवागमन रेपो/रिवर्स रेपो खातों और दुतरफा प्रविष्टियों के प्रयोग द्वारा होता है। उपर्युक्त प्रविष्टियों को परिपक्वता की तारीख पर रिवर्स किया जाता है। लागत तथा राजस्व का लेखांकन, जैसा भी मामला हो, ब्याज व्यय/आय के रूप में किया जाता है। तुलन पत्र में रेपो खाते में शेष को ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया और रिवर्स रेपो खाते में शेष को बैंक के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

छ) आस्तियों के विरुद्ध प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में निवेश

24 सितंबर, 2021 के परिपत्र संख्या आरबीआई/डीओआर/2021-22/86डीओआर.एसटीआर.आरईसी.51/21.04.048/2021-22 के माध्यम से जारी आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने प्रतिभूतिकरण के अंतर्गत एसआर के संबंध में मूल्यांकन पद्धति को संशोधित किया है।

valued and resultant depreciation, if any, is provided.

ii) If the security was originally placed in the HTM category at a premium, it is transferred to the AFS / HFT category at the amortised cost. After transfer, these securities are immediately re-valued and resultant depreciation, if any, is provided.

B) **AFS/HFT TO HTM-** Transfer of scrips from AFS / HFT category to HTM category is made at the lower of book value or market value. In cases where the market value is higher than the book value at the time of transfer, the appreciation is ignored. In cases where the market value is less than the book value, the provision against depreciation held against this security is adjusted to reduce the book value to the market value and the security is transferred at the market value.

C) **AFS TO HFT AND VICE-VERSA** - In the case of transfer of securities from AFS to HFT category or vice-versa, the securities are not re-valued on the date of transfer and the provisions for the accumulated depreciation, if any, held are transferred to the provisions for depreciation against the HFT securities and vice-versa.

E. Non-performing Investments (NPIs) and valuation thereof:

(i) Investments are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the RBI in case of domestic offices and respective regulators in case of foreign offices.

(ii) In respect of non-performing investments, income is not recognised and provision is made for depreciation in value of such securities as per RBI guidelines.

(iii) Matured NPIs are shown under 'Other Assets' Schedule11 (Net of Provision).

F. Repo / Reverse Repo:

The securities sold and purchased under Repo/ Reverse repo are accounted as Collateralised lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in case of normal outright sale/ purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/ Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified as Borrowings and balance in Reverse Repo account is classified as Balance with Banks and Money at Call & Short Notice in the Balance sheet.

G. Investment in Security Receipts (SRs) backed by assets:-

In terms of RBI guidelines issued vide circular no RBI/ DOR/2021-22/86DOR.STR.REC.51/21.04.048/2021-22 dated September 24, 2021, the bank has revised valuation methodology in respect of SRs under securitization,

ए) बैंकों द्वारा एआरसी द्वारा जारी एसआर/पीटीसी/अन्य प्रतिभूतियों में निवेश का मूल्यांकन समय-समय पर ऐसे लिखत के लिए प्राप्त वसूली रेटिंग के आधार पर एआरसी द्वारा घोषित शुद्ध संपत्ति मूल्य (एनएवी) की गणना करके किया जाएगा।

बशर्ते कि जब बैंक एआरसी द्वारा जारी किए गए एसआर/पीटीसी में उनके द्वारा एआरसी को हस्तांतरित किए गए तनावग्रस्त ऋणों के संबंध में निवेश करते हैं, तो बैंक निवेश को अपनी बहियों में निरंतरता के आधार पर तब तक जारी रखेगा, जब तक कि उसका हस्तांतरण या वसूली नहीं हो जाती है। यह ऊपर दिए गए एनएवी के आधार पर एसआर का मोचन मूल्य और बैंक हस्तांतरित तनावग्रस्त ऋण के समय के एनबीवी के आधार पर, इन दोनों में जो भी कम हो पर बही में रखा जाता है।

बशर्ते कि आगे कि जब बैंक द्वारा एसआर में उसके द्वारा हस्तांतरित ऋणों द्वारा समर्थित निवेश, उसके हस्तांतरित ऋणों द्वारा समर्थित सभी एसआर के 10 प्रतिशत से अधिक हो और उस प्रतिभूतिकरण के तहत जारी किया गया हो, तो बैंक द्वारा ऐसे एसआर का मूल्यांकन एसआर के अंकित मूल्य के फ्लोर के अधीन होगा जिसे अंतर्निहित ऋणों पर लागू प्रावधान दर से कम किया जायेगा, यदि बैंक की बही में ऋण जारी रहे।

बी) एसआरएस/पीटीसी जिन्हें समाधान अवधि (अर्थात पांच साल या आठ साल जैसा भी मामला हो) के अंत में भुनाया नहीं गया है, उन्हें बैंक की बही में नुकसान की संपत्ति के रूप में माना जाएगा और पूरी तरह से प्रावधान किया जाएगा।

सी) आरबीआई द्वारा समय-समय पर निर्धारित गैर-एसएलआर लिखतों में निवेश के लिए लागू मूल्यांकन, वर्गीकरण और अन्य मानदंड एआरसी द्वारा जारी डिबेंचर/बांड/एसआरएस/पीटीसी में बैंक निवेश पर लागू होंगे। हालांकि, यदि एआरसी द्वारा जारी उपरोक्त में से कोई भी लिखत संबंधित योजना में लिखतों को सौंपी गई वित्तीय परिसंपत्तियों की वास्तविक वसूली के अधीन है, तो बैंक ऐसे निवेशों के मूल्यांकन के लिए समय-समय पर एआरसी से प्राप्त एनएवी की गणना करेगा।

8) डेरिवेटिव

वर्तमान में बैंक फॉरेक्स वायदा संविदा, ब्याज दर एवं करेंसी डेरिवेटिव का कार्य करता है। बैंक द्वारा किया जाने वाला, ब्याज दर डेरिवेटिव, रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप, वायदा दर करार तथा ब्याज दर फ्यूचर है। बैंक द्वारा किये जा रहे मुद्रा डेरिवेटिव हैं - ऑप्शन, करेन्सी स्वैप तथा करेन्सी फ्यूचर। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार, डेरिवेटिव को निम्नानुसार मूल्यांकित किया जाता है :

क) हेज/नॉन हेज (मार्केट मेकिंग) संव्यवहार अलग-अलग रिकॉर्ड किए जाते हैं।

ख) हेज़िग डेरिवेटिव पर आय/व्यय, उपचय आधार पर लेखांकित होती है।

ग) फॉरेक्स फॉरवर्ड संविदाओं को बाजार मूल्य पर अंकित किया जाता है और परिणामत: लाभ एवं हानि को लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

घ) हेजिंग डेरिवेटिव की एमटीएम बढ़ोतरी (एप्रीसिएशन)/मूल्यह्रास होने पर सर्वप्रथम इनके संबंधित अंडरलाइंग आस्ति के मूल्यह्रास/बढ़ोतरी (एप्रीसिएशन) से इसका समंजन (सेट ऑफ) किया जाता है तथा इसके परिणाम से निकले मूल्यह्रास को निर्धारित किया जाता है। यदि उक्त के परिणाम स्वरूप बढ़ोतरी (एप्रीसिएशन) निकलता है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

a) Investments by banks in SRs / PTCs / other securities issued by ARCs shall be valued periodically by reckoning the Net Asset Value (NAV) declared by the ARC based on the recovery ratings received for such instruments.

Provided that when bank invest in the SRs/PTCs issued by ARCs in respect of the stressed loans transferred by them to the ARC, the bank shall carry the investment in their books on an ongoing basis, until its transfer or realization, at lower of the redemption value of SRs arrived based on the NAV as above, and the NBV of the transferred stressed loan at the time of bank.

Provided further that when the investment by bank in SRs backed by stressed loans transferred by it, is more than 10 percent of all SRs backed by its transferred loans and issued under that securitisation, the valuation of such SRs by the bank will be additionally subject to a floor of face value of the SRs reduced by the provisioning rate as applicable to the underlying loans, had the loans continued in the books of the bank.

b) SRs/PTCs which are not redeemed as at the end of the resolution period (i.e., five years or eight years as the case may be) shall be treated as loss asset in books of the bank and fully provided for.

c). The valuation, classification and other norms applicable to investment in non-SLR instruments prescribed by RBI from time to time shall be applicable to bank investment in debentures/ bonds/ SRs /PTCs issued by ARC. However, if any of the above instruments issued by ARC is limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the bank shall reckon the NAV obtained from ARC from time to time, for valuation of such investments.

8. DERIVATIVES:

The Bank presently deals in Forex Forward Contracts, interest rate, and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Forward Rate Agreements and Interest Rate Futures. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency Swaps and Currency Futures. Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

a. The hedge/non hedge (market making) transactions are recorded separately.

b. Income/expenditure on hedging derivatives are accounted on accrual basis.

c. Forex forward contracts are marked to market and the resultant gains and losses are recognized in the profit and loss account

d. MTM appreciation/ depreciation of hedging derivative is first set off with the depreciation / appreciation of the corresponding underlying and the resultant depreciation is recognized. Resultant appreciation, if any, is ignored.

ङ) ट्रेडिंग के उद्देश्य से, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव के अलावा, ब्याज दर डेरिवेटिव और मुद्रा डेरिवेटिव को बाजार मूल्य पर अंकित किया जाता है और परिणामत: हानि, यदि कोई हो तो, उसको लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित किया जाता है। शुद्ध लाभ, यदि कोई हो तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

च) व्यापार के उद्देश्य से प्रविष्ट, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव का, संबंधित एक्सचेंज द्वारा प्रदत्त दरों के आधार पर, प्रचलित बाजार दरों पर अंकन किया जाता है तथा इसके परिणामस्वरूप लाभ और हानि को, लाभ-हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

छ) ट्रेडिंग स्वैप के निरस्तीकरण से, लाभ/हानियों को, निरस्तीकरण तिथि पर आय/व्यय के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। हेजिंग स्वैप की समाप्ति पर, किसी भी लाभ/हानि को, उस समय स्थगित किया जाता है तथा संविदा के अनुसार स्वैप की बची हुई अवधि या निर्दिष्ट आस्ति/देयता की अवधि - इन दोनों में जो भी कम हो, उस काल खण्ड में उसे निर्धारित किया जाता है।

ज) ऑप्शन संविदा की परिपक्वता अवधि पर, ऑप्शन शुल्क/प्रीमियम का परिशोधन किया जाता है।

9. संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण

क. पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के मामलों के अतिरिक्त, जिन्हें पुनर्मूल्यन रकम पर बताया जाता है, अचल आस्तियों को पूर्व के लागत के आधार पर बताया है। पुनर्मूल्यांकन से आई वृद्धि (एप्रीसिएशन) को पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति में जमा किया जाता गया है।

ख. खरीद की लागत तथा आस्ति के उपयोग के पहले या उसे पहले प्रयोग योग्य बनाने के लिए स्थान संबंधी तैयारी की संस्थापना लागत, व्यावसायिक शुल्क इत्यादि जैसे किए गए सभी व्यय लागत में शामिल हैं। उपयोग की जा रही आस्तियों पर किए गए उत्तरवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाएगा, जब ऐसी आस्तियों से अथवा उनकी कार्यात्मक क्षमता से भविष्य में लाभ में वृद्धि होती है।

ग. 5 वर्ष से कम आकलित उपयोगी जीवन वाली आस्तियों को छोड़कर, सभी आस्तियों के लिए 5% अवशिष्ट मूल्य रखा गया है (यथा मोबाईल फोन, कम्प्यूटर, ऐसे कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर का अभिन्न अंग हैं), जहाँ संबंधित आस्ति की पूरी लागत, उपयोगी जीवन के ऊपर परिशोधित की जाती है।

घ. मूल्यह्रास की दर तथा मूल्यह्रास प्रभारित करने का तरीका नीचे दिया गया है -

e. Interest Rate Derivatives and currency derivatives other than exchange traded derivatives for trading purpose are marked to market and the resulting losses, if any, are recognised in the Profit & Loss account. Net Profit if any, is ignored.

f. Exchange Traded Derivatives entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the Exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account.

g. Gains/ losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/ expenditure. Any gain/loss on termination of hedging swaps are deferred and recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/liabilities.

h. Option fees/premium is amortised over the tenor of the option contract.

9. PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT:

a. Fixed assets are stated at historic cost, except in the case of assets which have been revalued, which are stated at revalued amount. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve.

b. Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs, professional fees, etc. incurred on the asset before it is ready to use or capable of ready to use. Subsequent expenditure incurred on assets ready to use is capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

c. 5% residual value has been kept for all the assets except for the assets with estimated useful life less than 5 Years (eg. Mobile Phones, Computers and Computer Software forming integral part of hardware), where the entire cost of the assets is amortised over the useful life.

d. The rates of depreciation and method of charging depreciation is given below:

क्र. सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	मूल्यह्रास की दर Rate of Depreciation	बैंक के द्वारा निर्धारित उपयोगी जीवन का आकलन Estimated useful life as determined by the Bank	मूल्यह्रास प्रभारित करने का तरीका Method of charging depreciation
1	**भवन एवं भूमि**	**Land & Building:**			
a.	भूमि (फ्री होल्ड)	Land (Freehold)	शून्य NIL		
b.	पट्टाधारित भूमि	Leasehold Land		लीज प्रीमियम को पट्टे की अवधि पर परिशोधित की जाती है। Lease premium is amortised over the period of lease	
c.	भवन (भूमि की लागत सहित यदि पहले निर्धारित नहीं की गयी है)	Building (including cost of land if not ascertained separately)	1.58%	60 Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
2.	**अन्य अचल आस्तियां:-**	**Other Fixed Assets:-**			

क्र. सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	मूल्यह्रास की दर Rate of Depreciation	बैंक के द्वारा निर्धारित उपयोगी जीवन का आकलन Estimated useful life as determined by the Bank	मूल्यह्रास प्रभारित करने का तरीका Method of charging depreciation
a.	फर्नीचर, फिक्सचर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग एवं उपकरण	Furniture, Fixtures, Electrical fittings and Equipment's	9.50%	10 Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
b.	इलेक्ट्रिकल फिटिंग एवं उपकरण	Electrical Fitting and Equipment's	9.50%	10 Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
c.	एयर कंडिशनिंग प्लांट इत्यादि एवं कारोबार मशीनें	Air-conditioning plants, etc. and business machines	6.33%	15 Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
d.	मोटर कार, वैन एवं मोटर साइकिलें	Motor cars, Vans & Motor cycles	11.88%	8 Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
e.	साइकल	Cycle	20.00%	5 Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
f.	मोबाइल फोन	Mobile phones	33.33%	3 Years	Straight Line
g.	कम्प्यूटर तथा कंम्प्यूटर साफ्टवयेर जो हार्डवेयर का अभिन्न अंग है।	Computers and Computer Software forming integral part of hardware	33.33%	3 Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
h.	सर्वर	Servers	20%	5 Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
i.	कंम्प्यूटर साफ्टवयेर जो हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है।	Computer Software, which do not form integral part of computer hardware	20%	5 Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line

ङ. खरीद/बिक्री के संबंध में मूल्य ह्रास को वर्ष के दौरान जितने दिनों के लिए आस्ति का प्रयोग किया गया, उसके आनुपातिक आधार पर किया जाता है।

च. जैसा कि आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के समय मूल्यांकित किया गया, उक्त आस्ति के बचे हुए, उपयोगी जीवन में पुनर्मूल्यांकित अंश का मूल्यह्रास किया जाता है। ऐसे मूल्यह्रास को लाभ एवं हानि पर प्रभारित किया जाता है और इसके बराबर की राशि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति से राजस्व आरक्षिति में अंतरित किया जाता है।

छ. भारत के बाहर की अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास, सीधी आरेख पद्धति पर आधारित होता है, उन स्थानों को छोड़कर जहाँ स्थानीय संबंधित प्राधिकारियों के द्वारा अलग दर/पद्धति निर्धारित की गयी है।

10. विदेशी मुद्रा विनिमय से संबद्ध संव्यवहार :

विदेशी मुद्रा से संबंधित संव्यवहारों का लेखांकन, आरबीआई के वर्तमान दिशानिर्देशों के साथ पठित लेखामानक (एएस)11, "विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव" के अनुसार किया जाता है:

1) **समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण:** भारतीय शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों का वर्गीकरण समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में किया गया है और ऐसे परिचालन के विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को निम्नानुसार परिवर्तित किया गया है:

   i. विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को, रिपोर्टिंग मुद्रा में, आरंभिक मान्यता पर रिकॉर्ड किया जाता है, जो कॉजेन्सिस/रायटर के पृष्ठ में प्रदर्शित दैनिक क्लोजिंग दर पर रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर को विदेशी मुद्रा रकम पर लगाया जाता है।

e. In respect of additions/sale during the year, depreciation is provided on proportionate basis for the number of days the assets have been ready to use during the year.

f. The revalued portion is depreciated over the balance useful life of the assets as assessed at the time of revaluation. Such depreciation is charged to Profit & loss and equivalent amount is transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

g. Depreciation on fixed assets outside India is provided on Straight Line Method, except at the centres where different rates/method have been prescribed by the local statutory authorities.

10. TRANSACTION INVOLVING FOREIGN EXCHANGE:

Transactions involving foreign exchange are accounted for in accordance with AS 11, "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates" read with extant RBI guidelines:

A. **Translation in respect of Integral Foreign operations:** Foreign currency transactions of Indian branches have been classified as integral foreign operations and foreign currency transactions of such operations are translated as under:

   i. Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount, the daily closing rate as available from Cogencis/ Reuter's page on date of the transaction.

ii. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को, भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (एफईडीएआई) के क्लोजिंग स्पॉट दरों का प्रयोग कर, रिपोर्ट किया जाता है।

iii. विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों को, जिन्हें पूर्व के लागत के अनुसार लगाया जाता है, उन्हें संव्यवहार की तारीख पर विनिमय दर का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है।

iv. विदेशी मुद्रा में रखी गयी आकस्मिक देयताओं को एफईडीएआई के क्लोजिंग स्पॉट दरों का प्रयोग कर रिपोर्ट किया जाता है।

v. बकाया विदेशी मुद्रा विनिमय स्पॉट और कारोबार के लिए धारित वायदा संविदा का निर्धारित परिपक्वता के लिए एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और परिणामत: लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

vi. एफईडीएआई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बकाया विदेशी मुद्रा विनिमय वायदा संविदा जिन पर कारोबार नहीं किया जाएगा, उनका क्लोजिंग स्पॉट दर पर मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे वायदा विनिमय संविदा के आरंभ में उत्पन्न प्रीमियम अथवा बट्टे को, संविदा के जीवनकाल में व्यय अथवा आय पर परिशोधित किया जाता है।

vii. मौद्रिक मदों के निपटान में, आरंभ में रिकार्ड किए गए दरों से भिन्न दरों के लिए उत्पन्न विनिमय अंतर को, उस अवधि के लिए आय के रूप में अथवा व्यय के रूप में माना जाएगा जिस समय यह उत्पन्न हुआ।

viii. मुद्रा वायदा कारोबार में खुली स्थिति के विनिमय दर में परिवर्तन के कारण प्राप्ति/हानि का निपटान, दैनिक आधार पर, विनिमय समाशोधन गृह में किया जाता है और ऐसे लाभ/हानि को, लाभ एवं हानि खाते में मान्य किया जाता है।

ख) **समाकलन रहित विदेशी परिचालनों के संबंध में परिवर्तन:** विदेशी शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहार को आंतरिक विदेशी परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनके वित्तीय विवरणपत्रों को निम्नानुसार परिवर्तित किया जाता है :

i. आस्तियों एवं देयताओं (मौद्रिक और गैर-मौद्रिक के साथ साथ आकस्मिक देयताओं) को वर्ष की समाप्ति पर भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (एफईडीएआई) द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग दरों के आधार पर परिवर्तित किया जाता है।

ii. आय और व्ययों को संबंधित तिमाही की समाप्ति पर, एफईडीएआई द्वारा सूचित तिमाही औसत क्लोजिंग दर पर परिवर्तित किया जाता है।

iii. सभी परिणामी विनिमय अंतरों को, संबंधित विदेशी शाखाओं में, निवल निवेशों के निपटान तक, एक अलग खाते -"विदेशी मुद्रा परिवर्तन रिजर्व" में संचित किया जाता है।

iv. विदेशी कार्यालयों के विदेशी मुद्रा में आस्तियों और देयताओं (विदेशी कार्यालयों के स्थानीय मुद्रा को छोड़कर) को उस देश में लागू स्पॉट दरों का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है।

ii. Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing spot rates.

iii. Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms of historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

iv. Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

v. Outstanding foreign exchange spot and forward contracts held for trading are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities, and the resulting notional profit or loss is recognised in the Profit and Loss account.

vi. Outstanding Foreign exchange forward contracts which are not intended for trading are valued at the closing spot rate as advised by FEDAI. The premium or discount arising at the inception of such a forward exchange contract is amortised as expense or income over the life of the contract.

vii. Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

viii. Gains/Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/ losses are recognised in the Profit and Loss account.

B. **Translation in respect of Non-Integral Foreign operations:** Transactions and balances of foreign branches are classified as non-integral foreign operations and their financial statements are translated as follows:

i. Assets and Liabilities (monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing rates notified by FEDAI.

ii. Income and expenses are translated at the quarterly average closing rates notified by FEDAI.

iii. All resulting exchange differences are accumulated in a separate account 'Foreign Currency Translation Reserve' till the disposal of the net investments by the bank in the respective foreign branches.

iv. The Assets and Liabilities of foreign offices in foreign currency (other than local currency of the foreign offices) are translated into local currency using spot rates applicable to that country.

11. कर्मचारी लाभ :

क. अल्पावधि कर्मचारी लाभ :

अल्पावधि कर्मचारी लाभों की बट्टाकृत रकम जैसे मेडिकल लाभ आदि का भुगतान, जो कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के विनिमय में किया जाता है, उसे कर्मचारी द्वारा दी जा रही सेवा की अवधि के दौरान ही स्वीकृत किया जाता है।

ख. दीर्घावधि कर्मचारी लाभ :

क. परिनिश्चित लाभ योजना:-

i.) उपदान (ग्रैच्युटी)

बैंक, सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रैच्युटी प्रदान करता है। यह लाभ, निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नियोजन के दौरान मृत्यु पर, अथवा नियोजन की समाप्ति पर एक मुश्त भुगतान के रूप में दिया जाता है। यह राशि, प्रत्येक पूर्ण किए गए सेवा वर्ष के लिए देय, 15 दिनों के मूल वेतन के समतुल्य है जो उपदान संदाय अधिनियम, 1972 अथवा बीओआई उपदान निधि नियम, 1975 में निर्धारित अधिकतम राशि में, जो भी अधिक हो, के अधीन है। पांच वर्षों की सेवा पूर्ण होने पर वेस्टिंग होती है। बैंक, निधि में आवधिक अंशदान करता है जिसका प्रबंधन न्यासियों (ट्रस्टी) द्वारा किया जाता है जो तिमाही आधार पर एक स्वतंत्र बाह्य एक्चुरीयल मूल्यांकन पर आधारित है।

ii.) पेंशन

बैंक, सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन देता है। नियमों के अनुसार यह लाभ मासिक भुगतान के रूप में होता है और निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नियोजन के दौरान मृत्यु पर, अथवा नियोजन की समाप्ति पर भुगतान किया जाता है। नियमों के अनुसार वेस्टिंग विभिन्न स्तरों पर होती है। बीओआई पेंशन विनियमन,1995 के अनुसार बैंक, पेंशन निधि में वेतन का 10% मासिक अंशदान करता है। पेंशन की देयता, स्वतंत्र एक्चुरीयल मूल्यांकन पर आधारित है जो तिमाही रूप में की जाती है और पेंशन विनियमन के अंतर्गत भुगतान के लाभों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर निधि में बैंक द्वारा ऐसे अतिरिक्त अंशदान किए जाते हैं।

ख. परिनिश्चित अंशदान योजना :

i.) भविष्य निधि:

बैंक एक भविष्य निधि योजना चलाती है। सभी पात्र कर्मचारियों को बैंक की भविष्य निधि योजना के अंतर्गत लाभ पाने का हक है। बैंक, एक निर्धारित दर (वर्तमान में कर्मचारी के बेसिक वेतन के 10% के साथ पात्र भत्ते) पर मासिक अंशदान करता है। यह अंशदान इस उद्देश्य से स्थापित न्यास को प्रेषित किया जाता है और इसे लाभ तथा हानि खाते से प्रभारित किया जाता है। बैंक ऐसे वार्षिक अंशदानों को उस संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है।

11. EMPLOYEE BENEFITS:

A. Short Term Employee Benefits:

The undiscounted amount of short-term employee benefits, such as medical benefits etc. which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the period when the employee renders the service.

B. Long Term Employee Benefits:

a. Defined Benefit Plan:-

i.) Gratuity:

The Bank provides gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum payments to vested employees on retirement, or on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to 15 days basic salary payable for each completed year of service, subject to a maximum prescribed as per The Payment of Gratuity Act, 1972 or Bank of India Gratuity Fund Rules,1975, whichever is higher. Vesting occurs upon completion of five years of service. The Bank makes periodic contributions to a fund administered by trustees based on an independent actuarial valuation carried out quarterly.

ii.) Pension:

The Bank provides pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules and payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment. Vesting occurs at different stages as per rules. The Bank makes monthly contribution to the pension fund at 10% of pay in terms of Bank of India Pension Regulations, 1995. The pension liability is reckoned based on an independent actuarial valuation carried out quarterly and Bank makes such additional contributions periodically to the Fund as may be required to secure payment of the benefits under the pension regulations.

b. Defined Contribution Plan:

i.) Provident Fund:

The Bank operates a Provident Fund scheme. All eligible employees are entitled to receive benefits under the Bank's Provident Fund scheme. The Bank contributes monthly at a determined rate (currently 10% of employee's basic pay plus eligible allowance). These contributions are remitted to a trust established for this purpose and are charged to Profit and Loss Account. The bank recognises such annual contributions as an expense in the year to which it relates.

ii.) पेंशन

दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से बैंक में भर्ती हुए सभी कर्मचारी अंशदायी पेंशन के पात्र हैं। ऐसे कर्मचारी पेंशन योजना में पूर्व निर्धारित दर पर मासिक अंशदान करते हैं। उक्त पेंशन योजना में बैंक भी पूर्व निर्धारित दर पर मासिक अंशदान करता है। बैंक, ऐसी योजना में हुए व्यय को संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है। यह अंशदान राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम न्यास को प्रेषित किया जाता है। बैंक का दायित्व ऐसे पूर्व निर्धारित अंशदान तक सीमित है।

सी) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ :

सभी पात्र कर्मचारी निम्नलिखित के पात्र हैं -

i.) छुट्टी नकदीकरण लाभ जो परिभाषित लाभ दायित्व है, एएस 15 - कर्मचारी लाभ के अनुरूप एक्चुरीयल मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाया जाता है।

ii.) अन्य कर्मचारी लाभ जैसे छुट्टी किराया रियायत, माइलस्टोन अवार्ड, पुनर्स्थापना लाभ, बीमारी अवकाश इत्यादि परिनिश्चित लाभ दायित्व हैं जो एएस 15 - कर्मचारी लाभ के अनुरूप ऐक्चुरीयल मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाए जाते हैं।

iii.) विदेशी शाखाओं, कार्यालयों एवं सहायक कंपनियों के मामलों में, प्रतिनियुक्तियों को छोड़कर, अन्य कर्मचारियों के संबंध में लाभों की गणना, संबंधित देशों में विद्यमान कानूनों के आधार पर की जाती है।

12. सेग्मेंट रिपोर्टिंग

बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 17 के अनुपालन में व्यवसाय खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को द्वितीयक रिपोर्टिंग खंड के रूप में मान्यता देता है।

13. प्रति शेयर अर्जन :

एएस 20 "अर्जन प्रति शेयर" के अनुसार, प्रति इक्विटी शेयर, बेसिक एवं डायल्यूटेड अर्जन रिपोर्ट किये जाते हैं। प्रति इक्विटी शेयर मूल अर्जन की गणना, कर पश्चात् निवल लाभ को उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है।

प्रति इक्विटी शेयर डायल्यूटेड आय की गणना, इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं अवधि के दौरान बकाया डाइलूटिव संभाव्य इक्विटी शेयरों को उपयोग में लाकर की जाती है।

14. आय पर कर :

बैंक द्वारा किये गये वर्तमान कर तथा आस्थगित कर के व्यय की कुल राशि, आयकर व्यय है। आयकर अधिनियम, 1961 तथा लेखांकन मानक 22 "आय पर कर के लिए लेखांकन" के प्रावधानों अनुसार क्रमश: वर्तमान कर व्यय तथा आस्थगित कर व्यय का निर्धारण किया जाता है। इसमें विदेशी कार्यालयों द्वारा संबंधित देशों के कर कानूनों पर आधारित, भुगतान किये गये करों को ध्यान में रखा जाता है।

ii.) **Pension:**

All Employees of the bank, who have joined from 1st April, 2010 are eligible for contributory pension. Such employees contribute monthly at a predetermined rate to the pension scheme. The bank also contributes monthly at a predetermined rate to the said pension scheme. Bank recognises its contribution to such scheme as expenses in the year to which it relates. The contributions are remitted to National Pension System Trust. The obligation of bank is limited to such predetermined contribution.

C. Other Long term Employee Benefit:

All eligible employees are entitled to the following-

i.) Leave encashment benefit, which is a defined benefit obligation, is provided for on the basis of an actuarial valuation in accordance with AS 15 - Employee Benefits.

ii.) Other employee benefits such as Leave Fare Concession, Milestone award, resettlement benefits, Sick leave etc. which are defined benefit obligations are provided for on the basis of an actuarial valuation in accordance with AS 15 - Employee Benefits.

iii.) In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

12. SEGMENT REPORTING:

The Bank recognises the business segment as the primary reporting segment and geographical segment as the secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by Institute of Chartered Accountants of India.

13. EARNINGS PER SHARE:

Basic and Diluted earnings per equity share are reported in accordance with AS 20 "Earnings per share". Basic earnings per equity share are computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the period.

Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the end of the period.

14. TAXES ON INCOME:

Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax expense incurred by the Bank. The current tax expense and deferred tax expense are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 - "Accounting for Taxes on Income" respectively after taking into account taxes paid at the foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdictions.

आस्थगन कर समायोजन में, वर्ष के दौरान स्थगित कर आस्ति या देयता में परिवर्तन शामिल होता है। वर्तमान वर्ष हेतु कर योग्य आय तथा लेखांकन आय के बीच अंतर तथा हानि को आगे ले जाने पर, समय के प्रभाव पर विचार करते हुए आस्थगित कर आस्ति एवं देयताओं को निर्धारित किया जाता है। तुलन पत्र की तारीख को लागू या पूर्णत: लागू कर दर तथा कर कानून का प्रयोग कर, आस्थगित कर आस्तियाँ तथा देयताएँ तय की जाती हैं। आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन का प्रभाव, लाभ तथा हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

प्रबंधन के निर्णय के अनुसार यदि उगाही निश्चित है तो प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को आस्थगित कर आस्तियाँ, निर्धारित एवं पुनर्मूल्यांकित की जाती हैं। अनवशोषित मूल्यह्रास तथा कर हानि को आगे ले जाने पर आस्थगित कर आस्ति को तब ही निर्धारित किया जाता है जब इस बात के ठोस और निश्चित प्रमाण हों कि भविष्य के कर योग्य आय के विरुद्ध आस्थगित कर आस्ति की उगाही की जा सकती है।

15. आस्तियों का ह्रास

“स्थिर आस्तियों (पुनर्मूल्यित आस्तियों सहित) पर ह्रासित हानि, यदि कोई हो तो, एएस 28 “आस्तियों का ह्रास” के अनुरूप, लाभ और हानि खाते में प्रभारित की जाती है। तथापि, पुनर्मूल्यित आस्ति पर ह्रासित हानि को सीधे आस्ति के लिए किसी पुनर्मूल्यन अधिशेष पर मान्यता, उस हद तक है जहां तक, एक ही आस्ति के पुनर्मूल्यन अधिशेष में रखी गयी रकम ह्रासित हानि से अधिक न हो।”

16. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां :

एएस 29 “प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां” के अनुसार बैंक, प्रावधानों को तभी मान्यता देता है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान पर कोई दायित्व हो और यह संभाव्य है कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों के बहिर्गमनों के दायित्वों का निपटान करने की आवश्यकता पड़ेगी और जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है।

जब तक कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना कम न हो, आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया जाता है।

वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक आस्तियों को मान्य नहीं किया जाता है।

17. शेयर जारी करने हेतु व्यय :

जिस वर्ष में शेयर जारी किया जाता है, उस वर्ष शेयर जारी करने के व्यय को लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

Deferred Tax adjustments comprise changes in the deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred tax assets and liabilities are recognised by considering the impact of timing differences between taxable income and accounting income for the current year, and carry forward losses. Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognised in the profit and loss account.

Deferred tax assets are recognised and re-assessed at each reporting date, based upon management's judgment as to whether their realisation is considered as reasonably certain. Deferred Tax Assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future taxable income.

15. IMPAIRMENT OF ASSETS:

“Impairment losses, if any on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised and charged to Profit and Loss account in accordance with AS 28 “Impairment of Assets”. However, an impairment loss on a revalued asset is recognised directly against any revaluation surplus for the asset to the extent that the impairment loss does not exceed the amount held in the revaluation surplus for that same asset.”

16. PROVISIONS, CONTINGENT LIABLITIES AND CONTINGENT ASSETS:

As per AS 29 “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets”, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent Assets are not recognised in the financial statements.

17. SHARE ISSUE EXPENSES:

Share issue expenses are charged to Share Premium Account in the year of issue of shares.

अनुसूची 18

जब तक कि विशिष्ट रूप से अन्यथा न कहा गया हो, सभी आंकड़े ₹करोड़ में हैं, कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं।

लेखा के भाग स्वरूप टिप्पणियाँ

आरबीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित जानकारी दी गयी है:

1. पूंजी (बेसल-III के अनुसार):

(क) नियामक पूंजी की संरचना :

SCHEDULE 18

All figures are in ₹ crore unless specifically stated, figures in brackets relate to previous year.

NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

The following information is disclosed in terms of guidelines issued by RBI:

1. Capital (As per BASEL-III):

(a) Composition of Regulatory Capital:

Sr. No.	विवरण	Particulars	31.03.2022	31.03.2021
i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1)	Common Equity Tier 1 capital (CET 1)	44,347.01	34,689.55
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	Additional Tier 1 capital	1,352.00	1,352.00
iii)	टियर 1 पूंजी (i + ii)	Tier 1 capital (i + ii)	45,699.01	36,041.55
iv)	टियर 2 पूंजी	Tier 2 capital	8,205.57	8,948.64
v)	कुल पूंजी (टियर 1+टियर 2)	Total capital (Tier 1+Tier 2)	53,904.58	44,990.19
vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए)	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	3,16,395	3,01,305
vii)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (सीईटी1) (%)	Common Equity Tier 1 Capital ratio (CET1) (%)	14.02%	11.51%
viii)	टियर I पूंजी अनुपात (%)	Tier I Capital ratio (%)	14.44%	11.96%
ix)	टियर II पूंजी अनुपात (%)	Tier II Capital ratio (%)	2.59%	2.97%
x)	पूंजी से जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	17.04%	14.93%
xi)	लीवरेज अनुपात	Leverage Ratio	5.90%	4.74%
xii)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	Percentage of the shareholding of Government of India	81.41%	89.10%
xiii)	वर्ष के दौरान जुटाई गई चुकता इक्विटी पूंजी की राशि	Amount of paid-up equity capital raised during the year	* 5,550.01	0.00
xiv)	आवंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि	Share application money pending for allotment	0.00	3,000.00*
xv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि, जिसमें से:	Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year, of which:		
	ए) बेसल III अनुवर्ती स्थायी गैर-संचयी अधिमान्य शेयर	a) Basel III compliant Perpetual Non-Cumulative Preference Shares	0.00	0.00
	बी) बेसल III शिकायत स्थायी अतिरिक्त टियर- I ऋण लिखत (श्रृंखला VI और VII)	b) Basel III complaint Perpetual Additional Tier-I Debt Instruments (Series VI & VII)	0.00	1,352.00
xvi)	वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर 2 पूंजी की राशि, जिसमें से	Amount of Tier 2 capital raised during the year, of which		
	क) स्थायी संचयी अधिमान्य शेयर	a) Perpetual Cumulative Preference Shares	0.00	0.00
	बी) बेसल III अनुवर्ती प्रतिदेय टियर-II बॉन्ड	b) Basel III Compliant redeemable Tier-II Bond Series	1,800.00	0.00

*इसमें 31 मार्च, 2021 को इक्विटी शेयरों के अधिमान्य आवंटन के लिए भारत सरकार से प्राप्त ₹3,000 शामिल हैं, जिस हेतु बैंक ने 11 जून, 2021 को ₹71.23 प्रति निर्गम मूल्य पर ₹10 के प्रत्येक प्रदत्त 42,11,70,854 इक्विटी शेयर जारी और आवंटित किए हैं। दिनांक 30 अप्रैल, 2021 के अनुसार आरबीआई संप्रेषण संदर्भ संख्या DOR.CAP.एS82/21.01/002/2021-22, CET 1 पूंजी की गणना के लिए ₹3,000 की शेयर आवेदन राशि दिनांक 30 मार्च, 2021 के सुविचारित है।

दिनांक 31 अगस्त, 2021 को क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के माध्यम से बैंक ने ₹2,550.01 की इक्विटी शेयर पूंजी जुटाई है । बैंक ने निवेशकों को ₹52.89 प्रति शेयर के प्रीमियम पर अंकित मूल्य ₹10 के 40,54,71,866 इक्विटी शेयर जारी और आवंटित किए हैं। .

*Includes ₹ 3,000 received from Government of India on March 31, 2021 towards preferential allotment of equity shares for which the Bank has issued and allotted 42,11,70,854 equity shares of ₹10 each fully paid up at an issue price of ₹71.23 per share on June 11, 2021. In terms of RBI communication reference no. DOR.CAP.S82/21.01/002/ 2021-22 dated April 30, 2021, the share application money of ₹3,000 has been considered for computation of CET 1 capital as on March 31, 2021.

The Bank has raised Equity Share Capital of ₹2,550.01 through Qualified Institutional Placement on August 31, 2021. The Bank has issued and allotted 40,54,71,866 equity shares of face value ₹10 each at a premium of ₹52.89 per share to the investors.

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीआर.सं.बीपी. बीसी.83/21.06.201/2015-16 दिनांक 1 मार्च 2016 के अनुरूप, बैंक ने पूंजी पर्याप्तता अनुपात यथा 31 मार्च 2022 के परिकलन में पुनर्मूल्यांकन आरक्षित, विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित और आस्थगित कर पर विचार किया है।

टियर-1 पूंजी को बढ़ाने हेतु उठाए गए बकाया अतिरिक्त टियर 1 (एटी-1) बांड का विवरण निम्नानुसार है: -

जिस वर्ष में जुटाये	स्वरूप	राशि	सीआरएआर परिकलन के प्रयोजन हेतु गणना (बेसल III)
2020-21	अतिरिक्त टियर 1	1,352.00	1,352.00
	कुल	**1,352.00**	**1,352.00**

टियर-II पूंजी बढ़ाने हेतु बकाया टियर-II लिखतों के ब्यौरे निम्नानुसार है:

जिस वर्ष जुटाया गया	स्वरूप	राशि	सीआरएआर परिकलन के प्रयोजन हेतु गणना (बेसल III)
2013-14	टियर II	1,500.00	300.00
2015-16	टियर II	3,000.00	1,800.00
2021-22	टियर II	1,800.00	1,800.00
	कुल	6,300.00	3,900.00

दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान , बैंक ने कॉल ऑप्शन का प्रयोग करते हुए दिनांक 7 जुलाई, 2021 को ₹1,500 की राशि के टियर- II बांड सीरिज XIII को रिडीम किया है। साथ ही बैंक ने दिनांक 25 मार्च, 2022 को कॉल ऑप्शन का प्रयोग करते हुए ₹1,000 की राशि को टियर II बांड सीरिज XIV को रिडीम किया है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने 30 सितंबर, 2021 को टियर II बांड सीरिज XV की राशि ₹1,800 बढ़ा दी है।

(ख) आरक्षितियों का विनियोजन:

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, आरबीआई के दिनांक 18 अप्रैल 2016 के परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.92/21.04.048/2015-16 के अनुसार, बैंक ने तिमाही के दौरान घोषित धोखाधड़ी के प्रति दिनांक 31.03.2022 को समाप्त, चार तिमाहियों की अवधि में ₹273.99 की राशि प्रदान करने का विकल्प चुना है। तदनुसार, 31.03.2022 को समाप्त तिमाही के दौरान लाभ और हानि खाते में रु. 68.50 की राशि प्रभारित की गई है और रु. 205.49 की शेष असंशोधित राशि को "अन्य आरक्षित" में डेबिट कर दिया गया है, जिसे अगले वित्तीय वर्ष में चुका दिया जाएगा।

2. आस्ति देयता प्रबंधन

(क) 31 मार्च, 2022 को संपत्ति और देनदारियों की कुछ वस्तुओं के परिपक्वता का स्वरूप

Pursuant to RBI Circular No. DBR.No.BP.BC.83/21.06.201/2015-16 dated March 1, 2016, the Bank has considered revaluation reserve, foreign currency translation reserve and deferred tax assets in calculation of Capital Adequacy Ratios as on March 31, 2022.

Details of outstanding Additional Tier 1 (AT-1) bonds raised to augment Tier-1 Capital are as under:-

Raised during the year	Nature	Amount	Reckoned for the purpose of CRAR computation (Basel III)
2020-21	Additional Tier 1	1,352.00	1,352.00
	Total	**1,352.00**	**1,352.00**

Details of outstanding Tier-II Instruments raised to augment Tier -II capital are as under:

Raised during the year	Nature	Amount	Reckoned for the purpose of CRAR computation (Basel III)
2013-14	Tier-II	1,500.00	300.00
2015-16	Tier-II	3,000.00	1,800.00
2021-22	Tier-II	1,800.00	1,800.00
	Total	6,300.00	3,900.00

During the year ended 31st march, 2022, the Bank has redeemed Tier – II Bonds Series XIII amounting to ₹1,500 by exercising call option on July 7, 2021. The Bank has also redeemed Tier-II Bonds Series XIV amounting to ₹1,000 by exercising call option on March 25, 2022. Further, Bank has raised Tier II Bonds Series XV amounting to ₹1,800 on September 30, 2021.

(b) Draw down from Reserves

During the year ended March 31, 2022, as per RBI Circular DBR.No.BP.BC.92/21.04.048/ 2015-16 dated April 18, 2016, the Bank has opted to provide the liability towards fraud declared during the quarter ended 31.03.2022, amounting to ₹273.99 over a period of four quarters. Accordingly, an amount of ₹68.50 has been charged to Profit & Loss account during the quarter ended 31.03.2022 and the remaining unamortised amount of ₹205.49 has been debited to "Other Reserves" and will be amortised in the next financial year.

2. Asset Liability Management

(a) Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as on 31st March, 2022

विवरण Details	दिन 1 Day 1	2 से 7 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 30 दिन 15 to 30 Days	31 दिन से 2 महीने 31 Days to 2 months	2 महीने से अधिक और 3 महीने तक Over 2 months and up to 3 months	3 महीने से अधिक और 6 महीने तक Over 3 months and up to 6 months	6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक Over 6 months and up to 1 year	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक Over 1 year and upto 3 years	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक Over 3 years and up to 5years	5 साल से अधिक Over 5 years	कुल (1 से 10) TOTAL (1 TO 10)
जमा $ Deposits $	15,778.19	25,256.04	14,681.74	16,177.77	28,355.06	24,764.49	27,677.63	27,107.98	1,40,429.91	1,10,530.66	1,97,136.49	6,27,895.96
	(17,083.61)	(26,879.61)	(14,132.55)	(20,450.70)	(17,701.00)	(23,213.67)	(22,093.67)	(16,050.26)	(1,53,562.56)	(1,05,156.51)	(2,10,789.43)	(6,27,113.56)
अग्रिमों# Advances #	11,781.62	4,498.53	4,830.48	7,301.23	10,805.37	8,012.25	14,073.59	18,277.18	1,71,230.15	51,766.34	1,18,265.05	4,20,841.79
	(17,301.50)	(6,654.55)	(6,901.82)	(6,513.82)	(6,657.11)	(9,362.30)	(11,523.67)	(18,142.69)	(1,59,972.93)	(34,387.93)	(88,268.22)	(3,65,686.52)
निवेश Investments	250.24	2,883.23	1,460.81	1,775.55	3,107.11	6,478.85	13,115.29	4,252.39	10,360.06	20,017.10	1,10,747.78	1,74,448.41
	(129.53)	(618.01)	(469.84)	(279.77)	(41.41)	(815.59)	(10,891.04)	(7,603.22)	(24,775.16)	(18,780.34)	(1,22,848.95)	(1,87,252.85)
उधारी Borrowings	1,157.55	10,198.07	0.00	2.14	0.00	557.03	0.00	4,501.58	4,192.00	6,152.00	0.00	26,760.37
	(5.81)	(16,494.36)	(154.54)	(154.54)	(87.06)	(0.00)	(0.00)	(463.62)	(8,252.18)	(3,000.00)	(3,852.00)	(32,464.11)
विदेशी मुद्रा आस्तियां## Foreign Currency Assets ##	1,880.39	2,375.27	1,669.62	21,949.17	10,559.67	21,334.74	11,396.46	12,448.23	25,450.21	15,950.10	8,332.83	1,33,346.70
	(3,639.63)	(11,756.73)	(1,540.71)	(8,453.90)	(4,441.37)	(8,698.81)	(6,838.28)	(7,831.55)	(14,422.27)	(7,540.31)	(12,171.47)	(87,335.03)
विदेशी मुद्रा देयताएं $$ Foreign Currency Liabilities $$	4,772.88	12,840.33	2,907.49	4,392.19	13,883.90	9,194.81	11,943.11	7,847.08	12,845.90	6,021.09	154.30	86,803.09
	(5,957.14)	(15,181.40)	(3,897.11)	(8,855.61)	(19,225.60)	(18,761.41)	(23,801.82)	(10,906.35)	(9,111.30)	(654.29)	(482.01)	(1,16,834.03)

$ विदेशी मुद्रा में जमा सहित including deposits in Foreign Currency

विदेशी मुद्रा में अग्रिम सहित including advances in Foreign Currency

बैलेंस शीट परिसंपत्तियों पर विदेशी मुद्रा अग्रिम और निवेश का प्रतिनिधित्व करती है Foreign Currency on Balance Sheet Assets represent Advances and Investments

$$ बैलेंस शीट देनदारियों पर विदेशी मुद्रा उधार और जमा का प्रतिनिधित्व करती है Foreign Currency on Balance Sheet Liabilities represent Borrowings and Deposits

नोट: 31 मार्च 2022 तक जमा, उधार, अग्रिम और निवेश का परिपक्वता पैटर्न निम्नलिखित पर आधारित है:

Note: The maturity pattern of Deposits, Borrowings, Advances and Investment as of 31st March 2022 is based on the following:

- एएलएम पर आरबीआई के दिशानिर्देश RBI Guidelines on ALM
- आस्तियों और देनदारियों का व्यवहारिक अध्ययन जिनकी निश्चित परिपक्वता नहीं होती है और अंतर्निहित वैकल्पिकता के लिए
Behavioural studies of Assets & Liabilities which do not have definite maturity and for embedded optionality

(b) चलनिधि कवरेज अनुपात : प्रबंधन द्वारा यथा समेकित **Liquidity Coverage Ratio: As compiled by the management**

मात्रात्मक प्रकटन Quantitative Disclosure:

LCR DISCLOSURE TEMPLATE for the Financial year ended March 31, 2022 — Amount in INR Crore

	राशि रु. करोड़ में **AMOUNT IN RS CRS**	वित्तीय वर्ष 2021-22 **FY 2021-22***		वित्तीय वर्ष 2020-21 **FY 2020-21***	
		कुल अनिर्धारित मूल्य (औसत) @ **Total Unweighted Value (average) @**	कुल भारित मूल्य (औसत) @ **Total Weighted Value(average) @**	कुल अनिर्धारित मूल्य (औसत) @ **Total Unweighted Value (average) @**	कुल भारित मूल्य (औसत) @ **Total Weighted Value(average) @**
उच्च् स्तरीय परिसंपत्ति आस्तियाँ HIGH QUALITY LIQUID ASSETS					
1	कुल उच्च स्तरीय आस्तियां (एचक्यूएलए) Total High Quality Assets(HQLA)		1,52,978.82		1,42,882.62
नकदी प्रवाह CASH OUTFLOW					
2	खुदरा जमाराशियां तथा छोटे कारोबारी ग्राहकों की, जिसमें से Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	4,81,892.84	42,040.18	4,22,053.05	38,301.74
(i)	स्थिर जमाराशियां Stable deposits	1,22,982.07	6,149.10	77,198.78	3,814.62
(ii)	कम स्थिर जमाराशियां Less stable deposits	3,58,910.77	35,891.08	3,44,854.27	34,487.12
3	अरक्षित थोक निधियां, जिसमें से : Unsecured wholesale funding of which:	79,063.20	43,190.90	78,645.06	42,663.37
(i)	परिचालनगत जमाराशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार) Operational deposits (all counterparties)	179.42	44.85	70.41	17.62
(ii)	गैर-परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार) Non -operational deposits (all counterparties)	59,562.89	23,825.16	59,026.50	23,501.40
(iii)	अरक्षित ऋण unsecured debts	19,320.89	19,320.89	19,548.15	19,144.35
4	जमानती थोक निधियन Secured wholesale funding		9.47		78.51
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से Additional requirements, of which	23,506.27	7,852.73	22,320.24	7,081.92
(i)	ब्युत्पन्न एक्सपोज़र से संबंधित बहिर्गमन Outflows related to derivative exposures and other collateral requirement	3,133.31	3,133.31	3,057.01	3,046.87
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधियन हानि से संबंधित बहिर्गमन Outflows related to loss of funding on debt products	-	-	228.50	91.40
(iii)	ऋण तथा चलनिधि सुविधाएं Credit and liquidity facilities	20,372.95	4,719.42	19,034.72	3,943.65
6	अन्य संविदागत निधियन दायित्व Other contractual funding obligations	19,509.66	19,509.66	14,596.73	14,534.23
7	अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व Other contingent funding obligations	37,416.21	1,125.66	33,118.98	1,050.29
8	कुल नकदी बहिर्गमन TOTAL CASH OUTFLOWS		1,13,728.60		1,03,710.05
नकदी अंतर्वाह CASH INFLOW					
9	जमानदी उधार (उदा:रिवर्स रेपो) Secured lending (e.g. reverse repos)	9,036.03	6,766.98	10,992.44	8,867.75
10	पूर्णतया निष्पादक एक्सपोजर से अंतर्वाह Inflows from fully performing exposurs	29,487.00	20,462.70	23,154.33	15,306.84
11	अन्य नकदी अंतर्वाह Other cash inflows	15,390.67	14,621.87	18,424.21	17,353.96
12	कुल नकदी अंतर्वाह TOTAL CASH INFLOWS	53,913.71	41,851.55	52,570.98	41,528.56

21	कुल एचक्यूएलए TOTAL HQLA	[redacted]	1,52,978.82	[redacted]	1,42,882.62
22	कुल निवल नकदी बहिर्गमन TOTAL NET CASH OUTFLOWS	[redacted]	71,877.05	[redacted]	62,181.50
23	चलनिधि कवरेज अनुपात (%) LIQUIDITY COVERAGE RATIO(%)	[redacted]	212.83	[redacted]	229.78

Note:- * समेकित आधार पर (घरेलू एवं विदेशी अनुषंगियां शामिल) *On consolidated basis (including domestic operations , overseas centres and overseas subsidiaries)

@ दिनांक 31 मार्च 2020 साथ ही साथ 31.03.2019 तक के डाटा हेतु विगत 4 तिमाहियों में दैनिक अवलोकनों का साधारण औसत लेकर (अर्थात वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 क्रमश: हेतु औसत) प्रकटन किए गए हैं। यह दिनांक 31 मार्च, 2015 के आरबीआई के दिशानिर्देश संदर्भ सं. डीबीआर.नं.बीपी. बीसी.80/21.06.201/2014-15 के अनुरूप है।

@ Disclosure as on 31.03.2022 as well as 31.03.2021 has been done by taking simple averages of daily observations over previous 4 quarters (i.e. average for the FY 2020-21 & FY 2021-22). This is as per RBI guidelines ref. no. DBR.No.BP.BC.80 /21.06.201/2014-15 dated March 31, 2015.

एलसीआर के संबंध में गुणात्मक प्रकटीकरण

1 जनवरी, 2015 से बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) पर दिशानिर्देशों को कार्यान्वित किया है।

एलसीआर का मानक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक भार-रहित उच्च स्तरीय चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) को यथोचित स्तर पर अनुरक्षित करता रहें जिससे अत्यधिक चलनिधि दबाव परिदृश्य के अन्तर्गत 30 कलेंडर दिन सीमा के लिए चलनिधि आवश्यकता को पूरा करने हेतु एचक्यूएलए को नकदी में परिवर्तित किया जा सके। गंभीर चलनिधि दबाव परिदृश्य में चलनिधि आस्तियों के स्टॉक की सहायता से बैंक कम से कम अगले 30 कैलेंडर दिवस गुज़ार सके।

$$\text{एलसीआर} = \frac{\text{उच्च कोटी की चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए)}}{\text{अगले 30 कलेंडर दिनों तक कुल निवल नकदी बहिर्गमन}}$$

यहाँ,

- एचक्यूएलए लेवल 1 तथा लेवल 2 आस्तियां सम्मिलित हैं, दूसरे शब्दों में यह नकदी हैं या नकदी मदों के करीब हैं जिसे आवश्यकता पड़ने पर बाज़ार में आसानी से उपयोग किया जा सकता है/भुनाया जा सकता है।
- आरबीआई/बासेल द्वारा परिभाषा के अनुसार दबाव की स्थिति के अन्तर्गत कुल बहिर्गमन पर कुल अंतर्वाह का निवल नकदी बहिर्गमन अधिक रहता है। निवल नकदी बहिर्गमन के परिकलन के लिए, अंतर्वाह को पूर्व परिभाषित हेयरकट पर माना जाता है तथा बहिर्गमन को पूर्व परिभाषित रन-ऑफ़ फैक्टर पर माना जाता है।
- यदि दबावग्रस्त निधियों का अंतर्वाह दबावग्रस्त निधियों के बहिर्गमन से अधिक है, तो कुल निधियों के बहिर्गमन का 25% एलसीआर के परिकलन के लिए कुल शुद्ध नकद निधियों के बहिर्गमन के रूप में लिया जाएगा।
- प्रभावी तिथि 01.01.2015 से, अविरत आधार पर 60% एलसीआर को बनाए रखना बैंकों के लिए आवश्यक है। प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धिशील के साथ दिनांक 01.01.2019 तक यह 100% तक पहुंच जाएगा।

	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	01.04.2020	01.10.2020
न्यूनतम एलसीआर	60%	70%	80%	90%	100%	80%	90%

हालांकि, कोविड 19 महामारी के कारण बैंक के नकदी प्रवाह पर बोझ को समायोजित करने के लिए दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के आरबीआई के परिपत्र संख्या डीओआर.बीपी.बीसी.सं.65/21.04.098/2019-20, के तहत बैंकों को एलसीआर निम्नानुसार बनाए रखने की अनुमति दी है:

परिपत्र की तिथि से 30 सितंबर, 2020 तक	80%
1 अक्टूबर, 2020 से 31 मार्च, 2021	90%
1 अप्रैल, 2021 से आगे	100%

Qualitative disclosures with regard to LCR

W.e.f. 1st January 2015, the Bank has implemented guidelines on Liquidity Coverage Ratio (LCR) as directed by Reserve Bank of India.

The LCR standard aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLA) that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario. At a minimum, the stock of liquid assets should enable the bank to survive until next 30 calendar days under a severe liquidity stress scenario.

$$\text{LCR} = \frac{\text{High Quality Liquid Assets (HQLA)}}{\text{Total net cash outflows over the next 30 calendar days}}$$

Here,

- HQLA comprises of level 1 and level 2 assets, in other words these are cash or near to cash items which can be easily used / discounted in the market in case of need.
- Net cash outflows are excess of total inflows over total outflows under stressed situation as defined by Basel / RBI. While arriving at the net cash outflow, the inflows are taken with pre-defined hair-cuts and the outflows are taken at pre-defined run-off factors.
- In case stressed inflows are more than the stressed outflows, 25% of total outflows shall be taken as total net cash outflows to arrive at the LCR.
- With effect from 01.01.2015, Banks are required to maintain minimum 60% LCR on an ongoing basis. The same shall reach 100% as on 01.01.2019 with incremental increase of 10% each year.

	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	01.04.2020	01.10.2020
Minimum LCR	60%	70%	80%	90%	100%	80%	90%

However , in order to accommodate the burden on bank's cash flow on account of Covid 19 pandemic , RBI vide circular no DOR.BP.BC.No.65/21.04.098/2019-20, dated April 17,2020 permitted Banks to maintain LCR as under:

From date of Circular to September 30, 2020	80%
Oct 1, 2020 to March 31, 2021	90%
April 1, 2021 onwards	100%

एलसीआर का मुख्य संचालक : एलसीआर के मुख्य संचालक, उच्च गुणवत्ता की चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) और खुदरा ग्राहकों से उच्च निधियन स्रोत की वजह से न्यून निवल नकदी हैं। एचक्यूएलए के पर्याप्त स्टॉक ने एलसीआर बनाए रखने में बैंक की सहायता की है।

एचक्यूएलए की संरचना : उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) की संरचना में प्रमुखतया नकदी शेष, अतिरिक्त एसएलआर, अतिरिक्त सीआरआर तथा एफएएलएलसीआर (चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि प्राप्त करना) होता है।

आज की तिथि तक एचक्यूएलए संरचना का प्रकटन निम्नलिखित है :

हाथ में नकदी	2.00%
अतिरिक्त सीआरआर शेष	7.48%
न्यूनतम एसएलआर आवश्यकता से अधिक सरकारी प्रतिभूति	19.02%
एफएएलएलसीआर (एमएसएफ के लिए अनुमत वर्तमान में एनडीटीएल का 15 प्रतिशत तक) सहित एमएसएफ के अन्तर्गत भारिबैं द्वारा अनुमत अनुसार न्यूनतम एसएलआर आवश्यकता की अधिकता में सरकारी प्रतिभूतियां	10.14%
बासेल II के मानक दृष्टिकोण के अन्तर्गत 0%, जोखिम के विदेशी सार्वभौम द्वारा जारी या रारंटीकृत प्रतिभूतियां	3.97%
चलनिधि कवरेज अनुपात हेतु चलनिधि सुविधा	54.97%
लेवल 2 अस्तियां	2.42%

निधियन स्रोत का संकेन्द्रीकरण: बैंक का अधिकांश निधियन स्रोत खुदरा ग्राहकों (लगभग 60%) से है अतएव बहिर्गमन दबाव तुलनात्मक ढंग से कम है। तथापि, मीयादी जमाराशियों के लिए किसी अप्रतिदेय विकल्प के अभाव में भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार बहिर्गमन अनुभाग के अन्तर्गत लगभग सभी जमाराशियों को बैंक ने शामिल किया है। बैंक का, किसी महत्वपूर्ण प्रतिपक्षकार से अत्यधिक निधि प्राप्त नहीं है। महत्वपूर्ण प्रतिपक्षकार से तात्पर्य है एकल प्रतिपक्षकार या सम्बद्ध प्रतिपक्षकारों का समूह जिनकी बैंक की कुल देयताओं में हिस्सेदारी 1% से अधिक है।

व्युत्पन्नी एक्सपोज़र तथा संभाव्य संपार्श्विक कॉल: डेरिवेटिव कारोबार में बैंक का बहुत कम क्सपोज़र है जो उल्लेखनीय नहीं है।

एलसीआर में मुद्रा असंतुलन : भारिबैं दिशानिर्देशों के अनुसरण में एक महत्वपूर्ण मुद्रा वह है जिसमें उस मुद्रा में कुल मूल्यवर्गित देयताएं बैंक की कुल देयताएं का 5 प्रतिशत या अधिक हो। हमारे मामले में यूएसडी एकमात्र महत्वपूर्ण मुद्रा है। अतएव बैंक, एलसीआर का परिकलन यूएसडी मुद्रा में भी करता है।

चलनिधि प्रबंधन के संकेन्द्रीकरण के स्तर का वर्णन तथा समूह की इकाईयों में पारस्परिक क्रिया : उद्यम स्तर पर बैंक का चलनिधि प्रबंधन, बोर्ड स्तरीय कार्य है तथा बोर्ड की एक अलग उप-समिति (आर.कॉम) इसपर निगाह रखती है। एएलसीओ द्वारा नियमित अंतराल पर चलनिधि प्रबंधन की नियमित निगरानी की जाती है। बैंक की संपूर्ण चलनिधि प्रबंधन प्रक्रिया, बैंक की एएलएम नीति से शासित होती है।

घरेलू परिचालनों के लिए चलनिधि प्रबंधन के केन्द्रीय कार्य है जो प्रधान कार्यालय स्तर पर प्रबंधित किया जाता है। निगरानी तथा नियंत्रण के लिए तथा स्थानीय विनियामक का अनुपालन भी प्रत्येक केन्द्र के क्षेत्राधिकार अनुसार विदेशी चलनिधि प्रबंधन किया जाता है। बैंक का अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाग विदेशी चलनिधि स्थिति पर निगरानी रखता है तथा प्रधान कार्यालय स्तर पर केन्द्रीय रूप से सम्पूर्ण चलनिधि निगरानी की जाती है।

Main Drivers of LCR: The main drivers of the LCR are adequacy of High Quality Liquid Assets (HQLA) and lower net cash outflow on account of higher funding sources from retail customers. Sufficient stock of HQLA helped the Bank to maintain adequate LCR.

Composition of HQLA: The composition of High Quality Liquid Assets (HQLA) mainly consists of cash balances, excess SLR, excess CRR and FALLCR (Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio).

The composition of HQLA as on date of disclosure is given below:

Cash in hand	2.00%
Excess CRR balance	7.48%
Government securities in excess of minimum SLR Requirement	19.02%
Government securities within the mandatory SLR Requirement, to the extent allowed by RBI under MSF including FALLCR (presently to the extent of 15 percent of NDTL as allowed for MSF)	10.14%
Marketable securities issued or guaranteed by foreign sovereigns having 0% risk weight under Basel II standardized approach and other securities adjustments on account of Repo/Reverse Repo transactions	3.97%
Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio	54.97%
Level 2 Assets	2.42%

Concentration of funding sources: Majority of Bank's funding sources are from retail customers (about 60%) therefore the stressed outflows are comparatively lower. However, in absence of any non-callable option for term deposits, the Bank has considered almost all deposits under outflow section as per RBI guidelines. Bank also does not have funding concentration from any significant counterparty. A significant counterparty is defined as a single counterparty or group of connected or affiliated counter parties accounting in aggregate for more than 1% of the bank's total liabilities.

Derivative Exposures and potential collateral calls: Bank has very little exposure in derivative business which is not very significant.

Currency mismatch in the LCR: In terms of RBI guidelines, a significant currency is one where aggregate liabilities denominated in that currency amount to 5 per cent or more of the bank's total liabilities.

Description of the degree of centralization of liquidity management and interaction between the group's units: The liquidity management of the Bank at enterprise level is a Board level function and a separate sub-committee of the Board (R.Com.) keeps close watch on that. The periodical monitoring of the liquidity management is being monitored by the ALCO on regular intervals. The entire liquidity management process of the Bank is being governed by ALM Policy of the Bank.

The liquidity management for domestic operations is the central function, being managed at Head Office level. The overseas liquidity management is being handled at each centre, jurisdiction wise to keep close monitoring and control and also to comply with the local regulatory requirements as well. International Division of the Bank keeps watch on the overseas liquidity position and the overall liquidity monitoring is done at Head Office level centrally.

एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट - 31.03.2022 NSFR Disclosure Template - 31.03.2022						₹ करोड़ में in crore
		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा भारित मूल्य Unweighted value by residual maturity				भारित मूल्य Weighted value
		कोई परिपक्वता नहीं# No maturity#	< 6 महीने < 6 months	6 महीने से <1 वर्ष 6 months to < 1 yr	> 1 वर्ष > 1 yr	
एएसएफ मद ASF Item						
1	पूंजी (2+3) Capital (2+3)	0	0	0	60,745	60,745
2	विनियामक पूंजी Regulatory Capital	0	0	0	60,745	60,745
3	अन्य पूंजी लिखत Other Capital Instruments	0	0	0	0	0
4	छोटे व्यवसाय ग्राहकों से खुदरा जमा और जमा: (5+6) Retail Deposits and deposits from small business customers: (5+6)	2,20,660	55,280	21,318	2,53,284	5,24,537
5	स्थिर जमा Stable Deposits	55,258	13,843	5,339	63,428	1,34,146
6	कमतर स्थिर जमा Less Stable Deposits	1,65,402	41,436	15,980	1,89,856	3,90,392
7	थोक निधियन (8+9) Wholesale Funding (8+9)	31,004	13,317	2,995	39,299	62,958
8	परिचालन जमा Operational Deposits	77	19	7	89	141
9	अन्य थोक निधीकरण Other wholesale funding	30,927	13,298	2,988	39,210	62,817
10	अन्य देनदारियां: (11+12) Other Liabilities: (11+12)	0	15,753	26,646	0	0
11	एनएसएफआर व्युत्पन्न देयताएं NSFR Derivative Liabilities		0	0	0	
12	अन्य सभी देनदारियां और इक्विटी उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं All other liabilities and equity not included in the above categories	0	15,753	26,646	0	0
13	कुल एएसएफ (1+4+7+10) Total ASF (1+4+7+10)					6,48,240
आरएसएफ मद RSF Item						
14	कुल NSFR उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (HQLA) Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					7,988
15	परिचालन उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में जमाराशियां Deposits held at other financial institutions for operational purposes	0	2,660	0	25	1,342
16	ऋण और प्रतिभूतियों का निष्पादन (17+18+19+21+23) Performing Loans and securities (17+18+19+21+23)	0	1,80,252	10,929	1,95,253	2,77,368
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को ऋण देना Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0	0	0	0	0
18	गैर-स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को ऋण देना और वित्तीय संस्थानों को असुरक्षित प्रदर्शन करने वाले ऋण Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0	6,666	2,629	46,973	49,288

एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट - 31.03.2022 NSFR Disclosure Template - 31.03.2022						₹ करोड़ में in crore
		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा भारित मूल्य Unweighted value by residual maturity				भारित मूल्य Weighted value
		कोई परिपक्वता नहीं# No maturity#	< 6 महीने < 6 months	6 महीने से <1 वर्ष 6 months to < 1 yr	> 1 वर्ष > 1 yr	
19	गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को ऋण देना, खुदरा और लघु व्यवसाय ग्राहकों को ऋण देना, और संप्रभु, केंद्रीय बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण देना, जिनमें से: Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which:	0	1,70,623	6,970	1,24,522	2,10,491
20	ऋण जोखिम हेतु बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% बराबर या उससे कम भारित जोखिम के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0	1,70,623	6,970	1,24,522	2,10,491
21	आवासीय बंधक प्रदर्शन करना, जिनमें से: Performing residential mortgages, of which:		2,962	1,330	23,759	17,589
22	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0	2,962	1,330	23,759	17,589
23	प्रतिभूतियां जो डिफ़ॉल्ट रूप से नहीं हैं और एक्सचेंज-ट्रेडेड इक्विटी सहित एचक्यूएलए के रूप में योग्य नहीं हैं Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	0	0	0	0	
24	अन्य संपत्तियां: (25 से 29 पंक्तियों का योग) Other assets: (sum of rows 25 to 29)	35,960	94,150	14,832	90,143	1,50,064
25	स्वर्ण सहित भौतिक व्यापारिक वस्तुएं Physical traded commodities, including gold					
26	डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई संपत्तियां और सीसीपी के डिफॉल्ट फंड में योगदान Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs	0	0	0	0	0
27	एनएसएफआर व्युत्पन्न आस्तियां NSFR derivative assets	0	15627	0	0	15,627
28	पोस्ट किए गए भिन्नता मार्जिन की कटौती से पहले एनएसएफआर व्युत्पन्न देयताएं NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted	0	236	0	0	236
29	अन्य सभी संपत्तियां उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं All other assets not included in the above categories	35960	78,286	14,832	90,143	1,34,200
30	ऑफ-बैलेंस शीट आइटम Off-balance sheet items		79,782	0	0	3,139
31	कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30) Total RSF (14+15+16+24+30)					4,39,901

एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट - 31.03.2022 NSFR Disclosure Template - 31.03.2022						₹ करोड़ में in crore
		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा भारित मूल्य Unweighted value by residual maturity				भारित मूल्य Weighted value
		कोई परिपक्वता नहीं# No maturity#	< 6 महीने < 6 months	6 महीने से <1 वर्ष 6 months to < 1 yr	> 1 वर्ष > 1 yr	
32	शुद्ध स्थिर निधियन अनुपात (%) Net Stable Funding Ratio (%)					147.36%

'नो मेच्योरिटी' टाइम बकेट में रिपोर्ट किए जाने वाले आइटम्स की कोई निश्चित परिपक्वता नहीं होती है। इनमें स्थायी परिपक्वता वाली पूंजी, गैर-परिपक्वता जमा, शॉर्ट पोजीशन, खुली परिपक्वता स्थिति, गैर-एचक्यूएलए इक्विटी, और भौतिक व्यापार वाली वस्तुएं शामिल हो सकती हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

Items to be reported in the 'no maturity' time bucket do not have a stated maturity. These may include, but are not limited to, items such as capital with perpetual maturity, non-maturity deposits, short positions, open maturity positions, non-HQLA equities, and physical traded commodities.

(c) निवल स्थिर निधियन अनुपात

नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो (एनएसएफआर) का उद्देश्य बैंक की तरलता जोखिम प्रोफाइल के आघात-सहनीयता को बढ़ावा देना और लंबे समय तक अधिक आघात-सह बैंकिंग क्षेत्र को प्रोत्साहित करना है। एनएसएफआर के लिए बैंकों को उनकी परिसंपत्तियों की संरचना और तुलन पत्र से इतर गतिविधियों के संबंध में पूंजी और देनदारियों के रूप में एक स्थिर फंडिंग प्रोफाइल बनाए रखने की आवश्यकता होगी।

एनएसएफ़आर को आवश्यक स्थिर फंडिंग की राशि के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर फंडिंग की राशि के रूप में परिभाषित किया गया है।

आरबीआई ने मई 2018 में कम से कम 100% के बराबर की न्यूनतम आवश्यकता के साथ शुद्ध स्थिर वित्त पोषण अनुपात के कार्यान्वयन पर नियम जारी किए। इसका कार्यान्वयन 1 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी है। एनएसएफआर बैंक के घरेलू परिचालनों के साथ-साथ विदेशी परिचालनों पर भी लागू होता है और इसकी गणना स्टैंडअलोन और समेकित स्तर पर की जाती है।

अवलेबल स्टेबल फंडिंग (एएसएफ) को पूंजी और देनदारियों के विश्वसनीय होने की उम्मीद के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है, जो 1 वर्ष या उससे अधिक की परिपक्वता वाली देनदारियों के साथ देनदारियों की प्रकृति और परिपक्वता के अनुसार विभिन्न कारक भार द्वारा निर्धारित किया जाता है।

रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग (आरएसएफ) को बैलेंस शीट और ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे सतत आधार पर वित्त पोषित करने की आवश्यकता होती है। ऐसी आवश्यक स्थिर निधि की राशि चलनिधि विशेषताओं और धारित विभिन्न परिसंपत्तियों की अवशिष्ट परिपक्वता का एक कार्य है।

बैंक के एनएसएफआर के बारे में संक्षिप्त

अवलेबल स्टेबल फंडिंग (एएसएफ) के मुख्य चालक पूंजी आधार, खुदरा जमा आधार, और गैर-वित्तीय कंपनियों से वित्त पोषण और संस्थागत ग्राहकों से दीर्घकालिक वित्त पोषण हैं। संबंधित भार को लागू करने के बाद, पूंजी आधार लगभग 9% , खुदरा जमा (छोटे आकार के व्यावसायिक ग्राहकों से जमा सहित) का गठन 81% और थोक वित्त पोषण कुल उपलब्ध स्थिर फंडिंग का 10% बनता है।

रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग में मुख्य रूप से कॉरपोरेट्स, खुदरा ग्राहकों और वित्तीय संस्थानों को उधार देना शामिल था, जो प्रासंगिक भार लागू करने के बाद कुल आरएसएफ का 68% था। उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्तियों का स्टॉक जिसमें प्रमुख रूप से आरबीआई के साथ नकद और आरक्षित शेष शामिल हैं, सरकारी ऋण जारी करने से उनकी उच्च गुणवत्ता और तरल विशेषता के कारण रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग की मात्रा कम या नहीं हुई। तदनुसार, एचक्यूएलए ने प्रासंगिक भारों को लागू करने के बाद आवश्यक स्थिर वित्त पोषण का केवल 2% गठित किया। अन्य परिसंपत्तियां और आकस्मिक निधीयन दायित्व, जैसे कि प्रतिबद्ध क्रेडिट सुविधाएं, गारंटी और साख पत्र, आवश्यक स्थिर फंडिंग का 32% है।

बैंक ने ₹4,39,901 के मुकाबले ₹6,48,357 के समेकित स्तर पर अवलेबल स्टेबल फंडिंग के साथ आरामदायक स्टेबल फंडिंग बफर बनाए रखा है, जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2022 तक 147.39% का समेकित एनएसएफआर हो गया है।

(c) Net Stable Funding Ratio

The objective of the Net Stable Funding Ratio (NSFR) is to promote the resilience of bank's liquidity risk profiles and to incentivize a more resilient banking sector over a longer time horizon. The NSFR will require banks to maintain a stable funding profile in the form of Capital & liabilities in relation to the composition of their assets and off-balance sheet activities.

NSFR is defined as the amount of available stable funding relative to the amount of required stable funding.

RBI issued the regulations on the implementation of the Net Stable Funding Ratio in May 2018 with minimum requirement of equal to at least 100%. The implementation is effective from 1st October, 2021. NSFR is applicable to Bank's domestic operations as well as overseas operations and computed at standalone and consolidated level.

Available Stable Funding (ASF) is defined as the portion of capital and liabilities expected to be reliable which is determined by various factor weights according to the nature and maturity of liabilities with liabilities having maturity of 1 year or more receiving 100 weight.

Required Stable Funding (RSF) is defined as the portion of on balance sheet and off-balance sheet exposures which requires to be funded on an ongoing basis. The amount of such stable funding required is a function of the liquidity characteristics and residual maturities of the various assets held.

Brief about NSFR of the Bank

The main drivers of the Available Stable Funding (ASF) are the capital base, retail deposit base, and funding from non-financial companies and long-term funding from institutional clients. The capital base formed around 9%, retail deposits (including deposits from small sized business customers) formed 81% and wholesale funding formed 10% of the total Available Stable Funding, after applying the relevant weights.

The Required Stable Funding primarily comprised lending to corporates, retail clients and financial institutions which constituted 68% of the total RSF after applying the relevant weights. The stock of High-Quality Liquid Assets which majorly includes cash and reserve balances with the RBI, government debt issuances attracted no or low amount of stable funding due to their high quality and liquid characteristic. Accordingly, the HQLA constituted only 2% of the Required Stable Funding after applying the relevant weights. Other assets and Contingent funding obligations, such as committed credit facilities, guarantees and letters of credit constituted 32% of the Required Stable Funding.

Bank has maintained comfortable stable funding buffers with Available Stable Funding at consolidated level of ₹6,48,357 against ₹4,39,901 of Required Stable Funding, resulting in a consolidated NSFR of 147.39% as on 31st March, 2022.

3. निवेश **Investments**

(a) निवेश पोर्टफोलियो की संरचना Composition of Investment Portfolio

31.03.2022 के अनुसार निवेश Investments as at 31.03.2022

	भारत में निवेश Investments in India							भारत के बाहर निवेश Investments outside India				कुल निवेश Total Investments
	सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां Other Approved Securities	शेयर Shares	डिबेंचर और बांड Debentures and Bonds	सहायक और/या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/or joint ventures	अन्य Others	भारत में कुल निवेश Total investments in India	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) Government securities (including local authorities)	सहायक और/या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/or joint ventures	अन्य Others	कुल निवेश Total Investments outside India	
परिपक्वता के लिए धारित Held to Maturity												
कुल Gross	1,26,901.15	0.00	1.11	4,490.60	894.91	48.97	1,32,336.73	0.00	944.13	0.00	944.13	1,33,280.86
घटाएं: निष्पादित हेतु प्रावधानए Less: Provision for nonperforming investments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87	0.00	1.87	1.87
निवल Net	1,26,901.15	0.00	1.11	4,490.60	894.91	48.97	1,32,336.73	0.00	942.26	0.00	942.26	1,33,278.99
बिक्री के लिए उपलब्ध **Available for Sale**												
कुल Gross	26,363.38	0.00	2,596.44	6,822.02	0.00	2,722.50	38,504.33	6,637.30	0.00	1,612.07	8,249.37	46,753.70
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	1,667.51	546.70	0.00	0.00	2,214.21	53.27	0.00	42.87	96.14	2,310.35
निवल Net	26,363.38	0.00	928.93	6,275.32	0.00	2,722.50	36,290.12	6,584.03	0.00	1,569.20	8,153.23	44,443.35
ट्रेडिंग के लिए धारित **Held for Trading**												
कुल Gross	(-)375.07	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	-374.06	0.00	0.00	0.00	0.00	(-)374.06
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल Net	(-)375.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-375.07	0.00	0.00	0.00	0.00	(-)375.07
कुल निवेश **Total Investments**	1,52,889.46	0.00	2,598.56	11,312.62	894.91	2,771.46	1,70,467.01	6,637.30	944.13	1,612.07	9,193.50	1,79,660.51
घटाएं:निष्पादित हेतु प्रावधानए Less: Provision for nonperforming	0.00	0.00	1,667.51	546.70	0.00	0.00	2,214.21	0.00	1.87	0.00	1.87	2,216.08
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान Less: Provision for depreciation and NPI	141.93	0.00	82.37	574.94	23.36	2,077.28	2,899.88	53.27	0.00	42.87	96.14	2,996.02
निवल Net	**1,52,747.53**	**0.00**	**848.68**	**10,190.98**	**871.55**	**694.18**	**1,65,352.92**	**6,584.03**	**942.26**	**1,569.20**	**9,095.49**	**1,74,448.41**

31.03.2021 के अनुसार निवेश **Investments as at 31.03.2021**

	भारत में निवेश Investments in India							भारत के बाहर निवेश Investments outside India				
	सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां Other Approved Securities	शेयर Shares	डिबेंचर और बांड Debentures and Bonds	सहायक और/या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/or joint ventures	अन्य Others	भारत में कुल निवेश Total investments in India	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) Government securities (including local authorities)	सहायक और/या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/or joint ventures	अन्य Others	कुल निवेश Total Investments outside India	कुल निवेश Total Investments
परिपक्वता के लिए धारित Held to Maturity												
कुल Gross	1,25,625.49	0.00	1.11	5,872.15	590.51	36.28	1,32,125.54	0.00	944.13	0.00	944.13	1,33,069.67
घटाएं: निष्पादित हेतु प्रावधानए Less: Provision for nonperforming	0.00	0.00	0.00	7.68	0.00	0.00	7.68	0.00	1.87	0.00	1.87	9.55
निवल Net	1,25,625.49	0.00	1.11	5,864.47	590.51	36.28	1,32,117.86	0.00	942.26	0.00	942.26	1,33,060.12
बिक्री के लिए उपलब्ध Available for Sale												
कुल Gross	40,242.01	0.00	2,508.11	7,248.61	0.00	2,804.05	52,802.78	4,122.33	0.00	1,732.42	5,854.75	58,657.53
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	1,636.36	354.32	0.00	0.00	1,990.68	14.26	0.00	6.37	20.63	2,011.31
निवल Net	40,242.01	0.00	871.75	6,894.29	0.00	2,804.05	50,812.10	4,108.07	0.00	1,726.05	5,834.12	56,646.22
ट्रेडिंग के लिए धारित Held for Trading												
कुल Gross	-23.91	0.00	28.13	0.00	0.00	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल Net	-23.91	0.00	28.13	0.00	0.00	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22
कुल निवेश Total Investments	1,65,843.59	0.00	2,537.35	13,120.76	590.51	2,840.33	1,84,932.54	4,122.33	944.13	1,732.42	6,798.88	1,91,731.42
घटाएं:अनर्जकों हेतु प्रावधान Less: Provision for nonperforming	0.00	0.00	1,636.36	362.00	0.00	0.00	1,998.36	0.00	1.87	0.00	1.87	2,000.23
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान Less: Provision for depreciation and NPI	206.27	0.00	143.00	112.44	40.77	1,955.23	2,457.71	14.26	0.00	6.37	20.63	2,478.34
निवल Net	1,65,637.32	0.00	757.99	12,646.32	549.74	885.10	1,80,476.47	4,108.07	942.26	1,726.05	6,776.38	1,87,252.85

(i) राशि रु. 24,555.27 (पिछले वर्ष रु. 36,705.27) की सरकारी प्रतिभूतियाँ (अंकित मूल्य) को मार्जिन/प्रतिभूति निपटान के पक्ष में आरबीआई, सीसीआईएल, समाशोधन गृह और एक्सचेंजों के पास मार्जिन के रूप में रखा गया है।

(ii) 31 मार्च को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने 'बीओआई स्टार इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में बीओआई एक्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) ये 47.71% (रु. 7.79 के लिए) की अतिरिक्त हिस्सेदारी और 49.00% (रु. शून्य के लिए) बीओआई स्टार ट्रस्टी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जाना जाता (पूर्व में बीओआई एक्सा ट्रस्टी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) का अधिग्रहण किया हो, इसके परिणाम स्वरूप ये सहायक कंपनियाँ बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियाँ बन गई हैं।

(iii) अपनी मौजूदा विदेशी सहायक कंपनी पीटी बैंक ऑफ इंडोनेशिया टीबीके से रु. 530.65 की पूंजी (लंबित आवंटन) डाली है।

(iv) बैंक ने वित्तीयवर्ष 2021-22 में निम्नलिखित सहयोगी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अतिरिक्त अनुपाती पूँजी डाली है :

1. मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में रु.296.60
2. विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक में रु. 270.24 (लंबित आवंटन)
3. आर्यव्रत बैंक में रु. 54.60 (लंबित आवंटन)

(b) मूल्यह्रास और निवेश में उतार-चढ़ाव रिजर्व के प्रावधानों का संचलन

(i) Government Securities (Face Value) amounting to ₹24,555.27 (previous year ₹ 36,705.27) are kept as margin with RBI, CCIL, Clearing House and Exchange towards margin/security settlement.

(ii) During the year ended March 31, 2022 Bank has acquired additional stake of 47.71% (for ₹7.79) in 'BOI Star Investment Managers Private Limited' (formerly known as BOI AXA Investment Managers Private Limited) and 49.00% (for ₹ Nil) in 'BOI Star Trustee Services Private Limited' (formerly known as BOI AXA Trustee Services Private Limited). Consequently, these subsidiaries have become wholly owned subsidiaries of the Bank.

(iii) Bank has infused capital (pending allotment) of ₹ 530.65 in one of its existing overseas subsidiary, namely PT Bank of Indonesia TBK.

(iv) Bank has infused additional proportionate capital in FY 2021-22 in the following associate Regional Rural Banks:

a. ₹296.60 in Madhya Pradesh Gramin Bank

b. ₹270.24 in Vidharbha Konkan Gramin Bank (pending allotment)

c. ₹54.60 in Aryavrat Bank (pending allotment)

(b) Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve

विवरण Particulars	यथा As at 31.03.2022	यथा As at 31.03.2021
i) निवेश पर मूल्यह्रास की दिशा में धारित प्रावधानों का संचलन i) Movement of provisions held towards depreciation on investments		
ए) प्रारंभिक जमा a) Opening balance	4,478.58	3,609.51
बी) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान b) Add: Provisions made during the year	1,300.52	1,086.35
सी) घटाएँ: अधिक को बट्टे खाते में डालना / वापस लिखना वर्ष के दौरान प्रावधान c) Less: Write off / write back of excess provisions during the year	567.80	217.69
घ) जोड़ें/(घटाएँ): विनिमय अंतर के कारण समायोजन d) Add/(Less): Adjustments on account of exchange difference	0.81	0.41
इ) जमा शेष e) Closing balance	5,212.11	4,478.58
ii) निवेश में उतार-चढ़ाव रिजर्व का संचलन ii) Movement of Investment Fluctuation Reserve		
ए) प्रारंभिक जमा a) Opening balance	673.80	0.00
बी) जोड़ें: वर्ष के दौरान हस्तांतरित राशि b) Add: Amount transferred during the year	253.79	673.80
सी) घटाएँ: ड्रॉडाउन c) Less: Drawdown	0.00	0.00
डी) जमा शेष d) Closing balance	927.59	673.80
iii) एएफएस और एचएफटी/वर्तमान श्रेणी में निवेश 13 के अंतिम शेष के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में अंतिम शेष iii) Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments13 in AFS and HFT/ Current category	2.00%	1.15%

(c) वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एचटीएम श्रेणी को/से बिक्री तथा हस्तांतरण:

01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के दौरान, एचटीएम श्रेणी से प्रतिभूतियों की बिक्री एवं अंतरण का कुल मूल्य, यथा 31 मार्च 2021 को एचटीएम श्रेणी में रखे गए बही मूल्य के 5% से ज्यादा नहीं है। उपर्युक्त उल्लिखित 5 प्रतिशत की सीमा में निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे -

(ए) निदेशक मंडल के अनुमोदन से लेखांकन वर्ष के प्रारंभ में बैंकों द्वारा

(c) Sale and transfers to/from HTM category during the financial year 2021-22:

The total value of sale and transfers of securities from HTM category during April 1, 2021 to March 31, 2022 has not exceeded 5% of the book value of investments held in HTM category as on March 31, 2021. The 5 per cent threshold referred to above will exclude:

(a) The one-time transfer of securities to/from HTM category with the approval of Board of Director

जिन प्रतिभूतियों का एकबारगी अंतरण किया जाना अनुमत है;

(बी) पूर्व घोषित खुला बाजार परिचालन नीलामियों के तहत आरबीआई को बिक्री।

(सी) बैंक से भारत सरकार द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीदी

(डी) लेखांकन वर्ष के आरंभ में अनुमति प्राप्त अंतरण के अतिरिक्त, एचटीएम के अंतर्गत एसएलआर प्रतिभूतियों पर सीलिंग के कम होने के कारण एएफएस/एचएफटी में अंतरण या प्रतिभूतियों की बिक्री।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एचटीएम से प्रतिभूतियों की बिक्री (ओएमओ के अंतर्गत एकबारगी अंतरण एवं बिक्री के अलावा)	4,797.50	बिक्री % में (<5%) =4.43%
31.03.2021 को एचटीएम श्रेणी में धारित प्रतिभूतियां	1,08,370.68	

(डी) **गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो**

i. **अनर्जक गैर-एसएलआर निवेश**

क्रं. सं.	विवरण	2021-22	2020-21
क	प्रारंभिक शेष	2,975.61	2,268.59
ख	1 अप्रैल से वर्ष के दौरान परिवर्धन	490.39	783.34
ग	घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां	738.22	67.20
घ	जोडें/(घटाएं): एक्सचेंज अंतर	11.87	(-)9.12
ङ	अंतिम शेष	2,739.65	2,975.61
च	धारित कुल प्रावधान	2,727.73	2,455.80

permitted to be undertaken by banks at the beginning of the accounting year.

(b) Sale to the Reserve Bank of India under pre-announced OMO auctions.

(c) Repurchase of Government Securities by Government of India from banks.

(d) Sale of securities or transfer to AFS/HFT consequent to the reduction of ceiling on SLR securities under HTM, in addition to the shifting permitted at the beginning of the accounting year.

Sale of Securities from HTM during FY 2021-22 (Other than one time Shifting & sale under OMO)	4,797.50	Sale in % (<5%) =4.43%
Securities held in HTM Category as on 31.03.2021	1,08,370.68	

(d) Non-SLR investment portfolio

i. Non-performing non-SLR investments

Sr. No.	Particulars	2021-22	2020-21
(a)	Opening balance	2,975.61	2,268.59
(b)	Additions during the year since 1st April	490.39	783.34
(c)	Reductions during the above period	738.22	67.20
(d)	Exchange difference	11.87	(-)9.12
(e)	Closing balance	2,739.65	2,975.61
(f)	Total provisions held	2,727.73	2,455.80

ii. **गैर-एसएलआर निवेश संविभाग: Issuer Composition of non-SLR Investments**

क्रं. सं. Sr. No.	जारीकर्ता Issuer	राशि Amount	निजी तौर पर शेयर आवंटन Extent of Private Placement	'निवेश ग्रेड से नीचे' प्रतिभूति* आवंटन Extent of 'Below Investment Grade' Securities*	'अश्रेणीकृत' प्रतिभूति आवंटन* Extent of 'Unrated' Securities*	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियां का आवंटन* Extent of 'Un-listed' Securities*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i.	सार्वजनिक उपक्रम PSUs	2281.92	1737.35	0.00	586.96	0.00
		(2,561.83)	(1,944.05)	(0.00)	(616.25)	(0.00)
ii.	वित्तीय संस्थाएं FIs	1448.30	1344.16	0.00	0.00	0.00
		(2,593.84)	(2,593.84)	(0.00)	(0.00)	(337.40)
iii.	बैंक Banks	1159.94	365.60	0.00	0.00	0.00
		(520.29)	(340.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
iv.	निजी कॉर्पोरेट Private Corporates	5332.71	4225.36	1426.40	56.35	0.00
		(4,216.25)	(3,206.52)	(1,590.56)	(56.35)	(12.40)
v.	अनुषंगियां/ संयुक्त उद्यम # Subsidiaries/ Joint Ventures #	1839.03	1839.03	0.00	0.00	0.00
		(1,534.64)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
vi.	अन्य Others $	40338.03	33736.74	0.00	0.00	108.40
		(39,187.52)	(31,104.19)	(0.00)	(0.00)	(0.00)

क्रं. सं. Sr. No.	जारीकर्ता Issuer	राशि Amount	निजी तौर पर शेयर आबंटन Extent of Private Placement	'निवेश ग्रेड से नीचे' प्रतिभूति* आबंटन Extent of 'Below Investment Grade' Securities*	'अश्रेणीकृत' प्रतिभूति आबंटन* Extent of 'Unrated' Securities*	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियां का आबंटन* Extent of 'Un-listed' Securities*
	कुल Total	52,399.93	43248.24	1426.4	643.31	108.40
		(50,614.37)	(39,188.60)	(1,590.56)	(672.60)	(349.80)
vii.	घटाएं: मूल्काह्रास हेतु किए गए प्रावधान Less: Provision held towards Depreciation	5070.17	0.00	0.00	0.00	0.00
		(4,272.31)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
	निवल Net	47329.76	43248.24	1426.40	643.31	108.40
		(46,342.06)	(39,188.60)	(1,590.56)	(672.60)	(349.80)

* इक्विटी में निवेश, इक्विटी अभिविन्यस्त म्यूचुअल फंड, जोखिम पूंजी, रेटेड आस्तियों द्वारा समर्थित प्रतिभूति, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ, प्रतिभूति रसीद, इत्यादि को इन श्रेणियों के तहत अलग नहीं किया गया है, क्योंकि इन्हें वर्गीकरण/सूचीकरण दिशानिर्देशों से छूट दी गई है।

अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/सहायकों में निवेश को विभिन्न श्रेणियों में पृथक नहीं किया गया है क्योंकि इन्हें आरबीआई के संबंधित दिशानिर्देशों के तहत कवर नहीं किया गया है।

$ रु. 24,699 (विगत वर्ष रु.24,699) का भारत सरकार गैर-एसएलआर पुनर्पूंजीकरण बॉण्ड में निवेश शामिल है।

* Investment in Equity, Equity Oriented Mutual Funds, Venture Capital, Rated Assets Backed Securities, Central Govt. Securities, Security Receipts, etc. are not segregated under these categories as these are exempt from rating/listing guidelines.

Investment in Subsidiaries/Joint Ventures/Associates have not been segregated into various categories as these are not covered under relevant RBI guidelines.

$ includes investment in GOI Non-SLR re-capitalisation bonds of ₹ 24,699 (previous year ₹ 24,699)

iii. वर्ष के दौरान किए गए रेपो संव्यवहार (अंकित मूल्य पर) : Repo Transactions (in face value terms) undertaken during the year:

विवरण Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया Daily Average outstanding during the year	बकाया यथा 31 मार्च, 2021 Outstanding as on March 31, 2021
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां Securities sold under repo:				
i) सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	0.00 (0.00)	3,574.36 (19,307.26)	3,519.30 (7,119.86)	3,519.00 (3,519.00)
ii) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate Debt Securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां Securities purchased under reverse repo:				
i) सरकारी प्रतिभूतियां i) Government Securities	0.00 (0.00)	23,622.00 (41,612.00)	7,741.99 (7,607.89)	4,500.00 (9,500.00)
ii) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां ii) Corporate Debt Securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

(बी) परिपक्व एनपीआई (अनुसूची 11 'अन्य आस्तियों' में शामिल)

(e) Matured NPI (included in Schedule 11 'Other Assets'):

(i) निवेश का मूल्य: Value of Investments:

विशिष्ट Particular	2021-22	2020-21
(i) निवेश का सकल मूल्य Gross Value of Investments	1,413.98	1246.38
(ए) भारत में (a) In India	902.33	790.81
(बी) भारत के बाहर (b) Outside India	511.65	455.57
(ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान Provision for Depreciation	1,364.38	1246.38

विशिष्ट Particular	2021-22	2020-21
(ए) भारत में (a) In India	852.73	790.81
(बी) भारत के बाहर (b) Outside India	511.65	455.57
(iii) निवेश का शुद्ध मूल्य Net Value of Investments	49.60	-
(ए) भारत में (a) In India	49.60	-
(बी) भारत के बाहर (b) Outside India	-	-

(ii) निवेश पर मूल्यह्रास की दिशा में धारित प्रावधानों का संचलन: Movement of provisions held towards depreciation on investments:

विशिष्ट Particular	2021-22	2020-21
प्रारंभिक जमा Opening Balance	1,246.38	1,204.94
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान Add: Provisions made during the year	400.41	50.56
उप कुल Sub-total	1,646.79	1,255.50
घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान को बट्टे खाते में डालना/राइट-बैक करना Less: Write off/ write-back of excess provision during the year	294.28	0.00
जोड़ें/(कम): एक्सचेंज अंतर के कारण समायोजन Add/(Less): Adjustments on account of Exchange Diff	11.87	(-)9.12
जमा शेष Closing Balance	1,364.38	1,246.38

(f) अनर्जक निवेश Non performing Investments

विवरण Particulars	2021-22	2020-21
(i) निवल निवेश पर निवल एनपीआई (%) Net NPIs to Net Investment (%)	0.01%	0.29%
(ii) एनपीआई (सकल) का उतार चढ़ाव Movement of NPIs (Gross)		
ए) आरंभिक शेष a) Opening balance	2,975.62	2,268.60
बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन b) Additions during the year	502.26	774.21
सी) वर्ष के दौरान कमी c) Reductions during the year	738.22	67.19
डी) अंतिम शेष d) Closing balance	2,739.66	2,975.62
(iii) एनपीआई का उतार-चढ़ाव (निवल) Movement Provision for NPIs		
क) आरंभिक शेष a) Opening balance	2,455.80	2,195.90
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन b) Additions during the year	441.21	310.02
ग) वर्ष के दौरान कमी c) Reductions during the year	169.27	50.12
घ) अंतिम शेष d) Closing balance	2,727.74	2,455.80
(iv) एनपीआई प्रावधान का उतार-चढ़ाव Movement of NPIs (Net)		
क) आरंभिक शेष a) Opening balance	519.82	72.70
ख) वर्ष के दौरान किए गये प्रावधान b) Provisions made during the year	61.05	464.19
ग) राइट ऑफ़/अतिरिक्त प्रावधान का राइट बैक c) Write-off/write-back of excess provisions	568.95	17.07
घ) अंतिम शेष d) Closing balance	11.92	519.82

4. आस्ति गुणवत्ता Asset Quality

(a) आस्ति गुणवता धारित अग्रिमों और प्रावधानों का वर्गीकरण Classification of Advances and Provisions held

यथा 31.03.2022 As on 31.03.2022

	मानक Standard	गैर निष्पादित Non-Performing				कुल Total
	कुल मानक अग्रिम Total Standard Advances	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल अनर्जक अग्रिम Total Non-Performing Advances	
सकल मानक अग्रिम और एनपीए Gross Standard Advances and NPAs						
प्रारंभिक जमा Opening Balance	353900.96	6630.35	27919.91	21984.68	56,534.94	4,10,435.57
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन Add: Additions during the year					8,834.65	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती* Less: Reductions during the year*					19,764.20	
अंतिम शेष Closing balance	411408.25	4365.69	21921.99	19317.71	45,605.39	4,57,013.64
*सकल एनपीए में कटौती के कारण: *Reductions in Gross NPAs due to:						
(i) उन्नयन Upgradation					2,732.67	
(ii) वसूली (अपग्रेडेड खातों से वसूली को छोड़कर) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					6,707.59	
(iii) तकनीकी/प्रुडेंशियल16 बट्टे खाते में डालना Technical/ Prudential16 Write-offs					2,352.12	
(iv) ऊपर (iii) के तहत उन लोगों के अलावा अन्य बट्टे खाते में डालना Write-offs other than those under (iii) above					7,971.82	
प्रावधान (अस्थायी प्रावधानों को छोड़कर) Provisions (excluding Floating Provisions)						
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक शेष Opening balance of provisions held	2,723.10	1,253.36	20,802.66	21,984.68	44,040.70	46,763.80
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान Add: Fresh provisions made during the year					2,942.95	
घटाएं: अतिरिक्त प्रावधान प्रतिवर्ती किए /बट्टे खाते में डाले गए ऋण Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					11,230.18	
धारित प्रावधानों का अंतिम शेष Closing balance of provisions held	3,638.17	820.39	15,615.37	19,317.71	35,753.47	39,391.64
शुद्ध अनर्जक आस्तियां **Net NPAs**						
प्रारंभिक शेष Opening Balance		5,376.99	7,117.25	0.00	12,494.24	
जोड़ें: वर्ष के दौरान नये परिवर्धन Add: Fresh additions during the year					5,891.71	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां Less: Reductions during the year					8,534.02	
अंतिम शेष Closing Balance		3,545.30	6,306.62	0.00	9,851.93	9851.93

नोट: एनपीए के प्रावधानों के प्रारंभिक और अंतिम शेष में प्राप्त ईसीजीसी दावे शामिल हैं (वित्त वर्ष 2021-22 ₹977.60 / वित्तीय वर्ष 2020-21 ₹905.95) आंशिक भुगतान प्राप्त और उचंत खाते में रखा गया (वित्त वर्ष 2021-22 ₹59.36 / वित्तीय वर्ष 2020-21 ₹48.87), एनपीए खातों के संबंध में विविध खातों में शेष (वित्त वर्ष 2021-22 ₹922.04 / वित्तीय वर्ष 2020-21 ₹981.68) और अनर्जक आस्तियों की पुन:संरचित के उचित मूल्य में कमी के बदले प्रावधान (वित्त वर्ष 2021-22 ₹19.18 / वित्तीय वर्ष) 2020-21 ₹30.32)

Note: Opening and closing balances of provisions for NPAs include ECGC claims received (FY 2021-22 ₹977.60 /FY 2020-21 ₹ 905.95) part payment received and kept in suspense account (FY 2021-22 ₹59.36 /FY 2020-21 ₹48.87), balance in sundries account in respect of NPA accounts (FY 2021-22 ₹922.04 /FY 2020-21 ₹981.68) and provision in lieu of diminution in the fair value of restructured NPAs (FY 2021-22 ₹19.18 /FY 2020-21 ₹30.32)

31.03.2022 तक अस्थायी प्रावधान Floating Provisions as on 31.03.2022

	मानक Standard	गैर निष्पादित Non-Performing				कुल Total
	कुल मानक अग्रिम Total Standard Advances	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल अनर्जक अग्रिम Total Non-Performing Advances	
प्रारंभिक शेष Opening Balance						232.22
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान Add: Additional provisions made during the year						0.00
घटाएं:वर्ष के दौरान आहरित[15] राशि Less: Amount drawn down[15] during the year						232.22
अस्थायी प्रावधानों का अंतिम शेष Closing balance of floating provisions						0.00

31.03.2022 को तकनीकी बट्टे खाते में डालना और उस पर की गई वसूली
Technical write-offs and the recoveries made thereon as on 31.03.2022

	मानक Standard	गैर निष्पादित Non-Performing				कुल Total
	कुल मानक अग्रिम Total Standard Advances	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल अनर्जक अग्रिम Total Non-Performing Advances	
तकनीकी/प्रूडेंशियल बट्टे खाते में डाले गए खातों का प्रारंभिक शेष Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						32,561.37
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डालना* Add: Technical/ Prudential write-offs during the year*						4,920.05
घटाएं: वर्ष के दौरान पहले के तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डाले गए खातों से की गई वसूली Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year						2,567.93
अंतिम शेष Closing balance						34,913.49

*विनिमय अंतर सहित *including exchange difference

As on 31.03.2021

	मानक Standard	गैर निष्पादित Non-Performing				कुल Total
	कुल मानक अग्रिम Total Standard Advances	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल अनर्जक अग्रिम Total Non-Performing Advances	
सकल मानक अग्रिम और एनपीए Gross Standard Advances and NPAs						
प्रारंभिक शेष Opening Balance	3,54,971.52	6,419.01	39,017.41	16,113.62	61,549.93	4,16,521.56
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन Add: Additions during the year					8,540.03	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती* Less: Reductions during the year*					13,555.02	

अंतिम शेष Closing balance	3,53,900.96	6,630.35	27,919.91	21,984.68	56,534.94	4,10,435.90
* सकल एनपीए में कटौती के कारण: * Reductions in Gross NPAs due to:						
(i) अपग्रेडेशन Upgradation					635.34	
(ii) वसूली (अपग्रेड किए खातों से वसूली को छोड़कर) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					4,188.22	
(iii) तकनीकी/प्रूडेंशियल16 बट्टे खाते में डालना Technical/ Prudential16 Write-offs					6,030.93	
(iv) ऊपर (iii) के तहत उन लोगों के अलावा अन्य बट्टे खाते में डालना Write-offs other than those under (iii) above					2,700.53	
प्रावधान (अस्थायी प्रावधानों को छोड़कर) Provisions (excluding Floating Provisions)						
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक शेष Opening balance of provisions held	2,766.56	1,321.42	29,562.57	16,113.62	46,997.61	49,764.17
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान Add: Fresh provisions made during the year					6,612.54	
घटाएं: अतिरिक्त प्रावधान उलटे/बट्टे खाते में डाले गए ऋण Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					9,569.45	
धारित प्रावधानों का अंतिम संतुलन Closing balance of provisions held	2,723.10	1,253.36	20,802.66	21,984.68	44,040.70	46,763.80
शुद्ध एनपीए Net NPAs						
प्रारंभिक जमा Opening Balance		5,097.59	9,222.51	0.00	14,320.10	
जोड़ें: वर्ष के दौरान ताजा परिवर्धन Add: Fresh additions during the year					898.84	
कम: वर्ष के दौरान कटौती Less: Reductions during the year					2,724.70	
अंतिम शेष Closing Balance		5,376.99	7,117.25	0.00	12,494.24	12,494.24

नोट: एनपीए के प्रावधानों के प्रारंभिक और अंतिम शेष में प्राप्त ईसीजीसी दावे शामिल हैं (वित्त वर्ष 2020-21 ₹905.95 / वित्तीय वर्ष 2019-20 ₹859.24) आंशिक भुगतान प्राप्त हुआ और उचंत खाते में रखा गया (वित्त वर्ष 2020-21 ₹48.87/वित्त वर्ष 2019-20) ₹49.25), एनपीए खातों के संबंध में विविध खातों में शेष (वित्त वर्ष 2020-21 ₹981.68/वित्त वर्ष 2019-20 ₹986.27) और अनर्जक आस्तियों के पुन:संरचित के उचित मूल्य में कमी के बदले प्रावधान (वित्त वर्ष 2020-21 ₹30.32/वित्तीय वर्ष 2019-20 ₹21.52)

Note: Opening and closing balance s of provisions for NPAs include ECGC claims received (FY 2020-21 ₹905.95 /FY 2019-20 ₹859.24) part payment received and kept in suspense account (FY 2020-21 ₹48.87/FY 2019-20 ₹49.25), balance in sundries account in respect of NPA accounts (FY 2020-21 ₹981.68/FY 2019-20 ₹986.27) and provision in lieu of diminution in the fair value of restructured NPAs (FY 2020-21 ₹30.32/FY 2019-20 ₹21.52)

31.03.2021 तक अस्थायी प्रावधान Floating Provisions as on 31.03.2021

	मानक Standard	गैर निष्पादित Non-Performing				कुल Total
	कुल मानक अग्रिम Total Standard Advances	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल अनर्जक अग्रिम Total Non-Performing Advances	
प्रारंभिक जमा Opening Balance						232.22
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान Add: Additional provisions made during the year						0.00
घटाएं : वर्ष के दौरान घटाई गई 15 राशि Less: Amount drawn down15 during the year						0.00
अस्थायी प्रावधानों का अंतिम संतुलन Closing balance of floating provisions						232.22

31.03.2021 को तकनीकी बट्टे खाते में डालना और उस पर की गई वसूली
Technical write-offs and the recoveries made thereon as on 31.03.2021

	मानक Standard	गैर निष्पादित Non-Performing				कुल Total
	कुल मानक अग्रिम Total Standard Advances	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल अनर्जक अग्रिम Total Non-Performing Advances	
तकनीकी/प्रूडेंशियल बट्टे खाते में डाले गए खातों का प्रारंभिक शेष Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						26,530.43
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डालना* Add: Technical/ Prudential write-offs during the year*						8,022.95
घटाएं: वर्ष के दौरान पहले के तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डाले गए खातों से की गई वसूली Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year						1,992.01
जमा शेष Closing balance						32,561.37

अनुपात Ratios

विवरण Particulars	2021-22	2020-21
सकल एनपीए से सकल अग्रिम (% में) Gross NPA to Gross Advances (in %)	9.98	13.77
शुद्ध एनपीए से निवल अग्रिम (% में) Net NPA to Net Advances (in %)	2.34	3.35
प्रावधान कवरेज अनुपात (% में) Provision coverage ratio (in %)	87.76	86.24

(b) क्षेत्रवार एनपीए (प्रूडेन्शियल /तकनीकी राइट ऑफ को शामिल करते हुए) (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित)
Sector-wise Advances (Including Prudential/Technical write off) (As compiled by management)

क्र. सं. Sr. No.	क्षेत्र Sector	2021-22			2020-21		
		बकाया सकल अग्रिम O/S Gross Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत % of Gross NPAs to Total Advances in that Sector	बकाया सकल अग्रिम O/S Gross Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत % of Gross NPAs to Total Advances in that Sector
क A	**प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Priority sector**						
1	कृषि एवं संबंधित गतिविधियां Agriculture & allied activities	63,292.65	8,777.37	13.87	52,892.30	8500.69	16.07
2	प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में पात्र उद्योगों को अग्रिम Advances to industries sector eligible as priority sector lending	22,743.23	3,561.66	15.66	21,676.01	4096.13	18.90
3	सेवाएं Services	35,557.49	5,654.78	15.90	35,118.65	5246.06	14.94
4	व्यक्तिगत ऋण Personal loans	22,033.54	896.55	4.07	21,833.57	949.01	4.35
	उप योग (क) Sub-total (A)	**1,43,626.91**	**18,890.37**	**13.15**	**1,31,520.53**	**18791.89**	**14.29**
ख B	**गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Non Priority Sector**						

क्र. सं. Sr. No.	क्षेत्र Sector	2021-22			2020-21		
		बकाया सकल अग्रिम O/S Gross Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत % of Gross NPAs to Total Advances in that Sector	बकाया सकल अग्रिम O/S Gross Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत % of Gross NPAs to Total Advances in that Sector
1	कृषि एवं संबंधित गतिविधियां Agriculture & allied activities	0.00	0.00	0.00	2807.65	0.00	0.00
2	उद्योग Industry	81,221.76	9,342.82	11.50	78821.23	13,654.41	17.32
3	सेवाएं Services	1,10,832.87	9,727.88	8.78	103365.02	13,340.73	12.91
4	व्यक्तिगत ऋण Personal loans	58,309.64	1,161.68	1.99	45846.76	1214.00	2.65
	उप योग (ख) Sub-total (B)	**2,50,364.27**	**20,233.37**	**8.08**	**230840.66**	**28209.14**	**12.22**
	योग (क+ख) Total (A+B)	**3,93,991.18**	**39,123.74**	**9.93**	**362361.19**	**47001.03**	**12.97**

(c) विदेशी आस्तियां, एनपीए तथा राजस्व Overseas Assets, NPAs and Revenue:

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	2021-22	2020-21
1	कुल आस्तियां Total Assets	86,317.65	84,591.16
2	कुल एनपीए Total NPAs	8,568.77	11,713.93
3	कुल राजस्व Total Revenue	1,626.11	2,226.26

(d) समाधान योजना और पुनर्गठन का विवरण Particulars of resolution plan and restructuring

(i) समाधान योजना का विवरण Particulars of Resolution Plan

दबावग्रस्त आस्तियां के समाधान के लिए विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क पर दिनांक 7 जून 2019 के आरबीआई परिपत्र संख्या डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 के अनुसार, 31 मार्च, 2022 तक 14 उधारकर्ता खातों (ओ/एस एक्सपोजर ₹3,476.22) के संबंध में बैंक के पास ₹717.86 का अतिरिक्त प्रावधान है, जहां व्यवहार्य समाधान योजना समीक्षा अवधि के 180 दिनों / 365 दिनों के भीतर लागू नहीं की गई है।

As per RBI Circular No.DBR.No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated June 7, 2019 on Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets, as on March 31, 2022 Bank holds additional Provision of ₹717.86 in respect of 14 borrower accounts (o/s exposure ₹3,476.22), where the viable Resolution Plan has not been implemented within 180 days / 365 days of review period.

(ii) पुनर्गठन के अधीन खातों का विवरण- 2021-22 के दौरान पुनर्गठन हेतु नियत आस्तियों के विवरण (यथा प्रबंधन द्वारा संकलित और जिससे लेखापरीक्षक आश्वस्त हैं)

(ii) Particulars of Accounts subjected to Restructured- Details of Loan assets subjected to restructuring during 2021-22 (As compiled by the management and relied upon by the Auditors):

क्र. सं. Sr No	पुनर्गठन का प्रकार Type of Restructuring		सीडीआर प्रक्रिया के तहत Under CDR Mchanism					एसएमई ऋण पुनर्गठन के तहत Under SME Debt Restructuring				
			मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
1	वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को पुनर्रचित खाता (प्रारम्भ आंकड़े)* Restructured Account As on April 1 of FY (Opening Figure)*	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrowers	0.00	0.00	6.00	7.00	13.00	139266.00	1956.00	209.00	11.00	141442.00
			(1.00)	(0.00)	(12.00)	(4.00)	(17.00)	(102359.00)	(1548.00)	(121.00)	(6.00)	(104034.00)
		बकाया राशि Amount Outstanding	0.00	0.00	669.92	2507.23	3177.15	4136.90	78.86	407.18	70.83	4693.77
			(17.83)	(0.00)	(1,695.93)	(1,908.02)	(3,621.78)	(2,693.63)	(143.22)	(338.43)	(28.68)	(3,203.96)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.75	2.37	3.04	0.00	207.16
			(0.00)	(0.00)	(0.04)	(0.00)	(0.04)	(139.94)	(2.49)	(0.28)	(0.00)	(142.71)
2	वर्ष के दौरान नए पुनर्गठन Fresh restructuring during the year	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrowers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85139.00	8354.00	18850.00	0.00	112343.00
			(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(50,074.00)	(413.00)	(59.00)	(0.00)	(50,546.00)
		बकाया राशि# Amount Outstanding#	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07	3449.10	218.09	421.29	0.01	4088.49
			(0.00)	(0.00)	(0.07)	(4.12)	(4.19)	(1,854.02)	(21.35)	(9.99)	(0.01)	(1,885.37)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(103.59)	(0.84)	(0.04)	(0.00)	(104.47)
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्रचित मानक श्रेणी में उन्नयन* Upgradations to restructured standard category during the FY *	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrowers	0.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	(2.00)	0.00
			(-1.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(-1)	(3.00)	(-3.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
		बकाया राशि* Amount Outstanding*	0.00	0.00	296.31	(296.31)	0.00	1.85	2.54	2.27	(6.66)	0.00
			(-17.83)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(-17.83)	(52.19)	(-52.19)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	-0.03	0.00	0.00
			(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)

4	पुनर्रचित मानक अग्रिम जिनमें वित्तीय वर्ष के अंत में उच्च प्रावधान और / या अतिरिक्त जोखिम भार की संभावना समाप्त हो चुकी है और इसलिए इन्हें अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में पुनर्रचित मानक अग्रिम के रूप में प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है उधारकर्ताओं की संख्या Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrowers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
			(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(13,130.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(13,130.00)
		बकाया राशि Amount Outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.21	0.00	0.00	0.00	36.21
			(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(294.73)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(294.73)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72
			(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(16.48)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(16.48)
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्रचित खाते जिनका ग्रेड घटा Downgradations of restructured accounts during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrowers	0.00	0.00	-1.00	1.00	0.00	(32.00)	3.00	27.00	2.00	0.00
			(0.00)	(0.00)	(-3.00)	(3.00)	(0.00)	(-33.00)	(-1.00)	(29.00)	(5.00)	(0.00)
		बकाया राशि Amount Outstanding	0.00	0.00	-221.40	221.40	0.00	-83.52	7.71	72.79	3.02	0.00
			(0.00)	(0.00)	(-610.71)	(610.71)	(0.00)	(-100.78)	(-31.69)	(77.24)	(55.23)	(0.00)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2.71)	0.42	2.26	0.03	0.00
			(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(-1.92)	(-0.91)	(2.72)	(0.11)	(0.00)
6	वित्तीय वर्ष के दौरान जिन पुनर्रचित खातों को बट्टे खाते डाला गया Write-offs of restructures accounts during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrowers	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	37.00	4.00	11.00	2.00	54.00
			(0.00)	(0.00)	(1.00)	(0.00)	(1.00)	(7.00)	(1.00)	(0.00)	(0.00)	(8.00)
		बकाया राशि Amount Outstanding	0.00	0.00	50.91	166.98	217.89	231.07	9.40	58.58	13.65	312.70
			(0.00)	(0.00)	(181.41)	(15.62)	(197.03)	(67.43)	(1.83)	(18.48)	(13.09)	(100.83)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.29	0.16	0.39	0.03	6.87
			(0.00)	(0.00)	(0.04)	(0.00)	(0.04)	(23.38)	(0.05)	(0.00)	(0.11)	(23.54)
7	वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को पुनर्रचित खाते (अंतिम आंकड़े) Restructured Accounts as on March 31 of the FY (closing figures*)	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrowers	0.00	0.00	5.00	7.00	12.00	224327.00	10309.00	19076.00	9.00	253721.00
			(0.00)	(0.00)	(6.00)	(7.00)	(13.00)	(1,39,266.00)	(1,956.00)	(209.00)	(11.00)	(1,41,442.00)
		बकाया राशि Amount Outstanding	0.00	0.00	693.92	2265.34	2959.26	7237.05	297.8	844.95	53.55	8433.35
			(0.00)	(0.00)	(669.92)	(2,507.23)	(3,177.15)	(4,136.90)	(78.86)	(407.18)	(70.83)	(4,693.77)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	0.00	0.00	(0.00)	(0.00)	(0.00)	192.06	2.63	4.88	(0.00)	199.57
			(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(201.75)	(2.37)	(3.04)	(0.00)	(207.16)

* श्रेणियों के भीतर आंकड़ो का आपसी आवागमन शामिल है; #बकाया में वृद्धि/कमी भी शामिल है जो 31 मार्च, 2021 की बही में भी थी।
* includes movement within categories; #includes increase / decrease in outstanding which were also there in the books as at March 31, 2021

क्र. सं. Sr No	पुनर्गठन का प्रकार Type of Restructuring		अन्य Others					कुल Total				
			मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
1	वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को पुनर्रचित खाता (प्रारम्भ आंकड़े)* Restructured Account As on April 1 of FY (Opening Figure)*	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrowers	6005	12041	802	40	18888	145271	13997	1017	58	160343
			(47)	(12,042)	(835)	(22)	(12,946)	(1,02,407)	(13,590)	(968)	(32)	(1,16,997)
		बकाया राशि Amount Outstanding	3386.53	226.89	6,405.45	2,173.10	12,191.97	7,523.43	305.75	7,482.55	4,751.16	20,062.89
			(2,021.28)	(342.08)	(8,706.96)	(1,568.42)	(12,638.74)	(4,732.74)	(485.30)	(10,741.32)	(3,505.12)	(19,464.48)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	72.87	8.63	14.31	26.14	121.95	274.62	11.00	17.35	26.14	329.11
			(48.50)	(8.50)	(198.37)	(61.34)	(316.71)	(188.44)	(10.99)	(198.69)	(61.34)	(459.46)
2	वर्ष के दौरान नए पुनर्गठन Fresh restructuring during the year	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrowers	56513	1550	207	0.00	58270	141273	9890	19033	0.00	170613
			(5,992)	(2)	(1)	(0.00)	(5,995)	(56,066)	(415)	(60)	(0.00)	(56,541)
		बकाया राशि# Amount Outstanding#	6450.15	195.15	52.36	0.02	6697.68	9899.25	413.24	473.65	0.03	10786.17
			(3,111.27)	(4.48)	(94.41)	(0.00)	(3,210.16)	(4,965.29)	(25.83)	(104.47)	(4.13)	(5,099.72)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			(65.58)	(0.13)	(8.80)	(0.00)	(74.51)	(169.17)	(0.97)	(8.84)	(0.00)	(178.98)
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्रचित मानक श्रेणी में उन्नयन* Upgradations to restructured standard category during the FY *	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrowers	1	0	-1	1	1	2	0	1	-2	1
			(1.00)	(-1.00)	(-1.00)	(0.00)	(-1.00)	(3.00)	(-4.00)	(-1.00)	(0.00)	(-2.00)
		बकाया राशि* Amount Outstanding*	0.89	0	-0.89	1.81	1.81	2.74	`	297.69	-301.16	1.81
			(4.74)	(-12.94)	(-40.978)	(0.00)	(-49.18)	(39.10)	(-65.13)	(-40.98)	(0.00)	(-67.01)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	0.18	0.00	-0.18	0.00	0.00	0.21	0.00	-0.21	0.00	0.00
			(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
4	पुनर्रचित मानक अग्रिम जिनमें वित्तीय वर्ष के अंत में उच्च प्रावधान और / या अतिरिक्त जोखिम भार की संभावना समाप्त हो चुकी है और इसलिए इन्हें अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में पुनर्रचित मानक अग्रिम के रूप में प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है उधारकर्ताओं की संख्या Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrowers	1	0	0	0	1	11	0	0	0	11
			(31.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(31.00)	(13,161.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(13,161.00)
		बकाया राशि Amount Outstanding	3.01	0.00	0.00	0.00	3.01	39.22	0.00	0.00	0.00	39.22
			(1,373.59)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(1,373.59)	(1,668.32)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(1,668.32)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.76	0.00	0.00	0.00	0.76
			(40.81)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(40.81)	(57.29)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(57.29)

5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्रचित खाते जिनका ग्रेड घटा Downgradations of restructured accounts during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrowers	(4)	(0)	(1)	5	(0)	(36)	3	25	8	(0)
			(-1)	(-2)	(-16)	(19)	(0)	(-34)	(-3)	(10)	(27)	(0)
		बकाया राशि Amount Outstanding	(7.67)	(2.18)	(564.14)	573.99	0.00	(91.19)	5.53	(712.75)	798.41	0.00
			(-1.72)	(-106.73)	(-932.29)	(1,040.74)	(0.00)	(-102.5)	(-138.42)	(-1465.77)	(1,706.68)	0
		उस पर प्रावधान Provision thereon	(0.46)	0.01	0.33	0.12	0.00	(3.17)	0.43	2.59	0.15	0.00
			(-0.18)	(0.00)	(-1.98)	(2.16)	(0.00)	(-2.1)	(-0.91)	(0.74)	(2.27)	(0.00)
6	वित्तीय वर्ष के दौरान जिन पुनर्रचित खातों को बट्टे खाते डाला गया Write-offs of restructures accounts during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrowers	30	0	18	3	51	67	4	30	5	106
			(2.00)	(0.00)	(14.00)	(0.00)	(16.00)	(9.00)	(1.00)	(16.00)	(0.00)	(26.00)
		बकाया राशि Amount Outstanding	2406.94	0	814.97	285.95	3507.86	2638.01	9.4	924.46	466.58	4038.45
			(366.96)	(0.00)	(857.32)	(51.07)	(1,279.36)	(434.39)	(1.83)	(1,057.21)	(83.79)	(1,577.22)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	52.35	0.11	12.17	0.12	64.75	58.64	0.27	12.56	0.15	71.62
			(0.22)	(0.00)	(0.08)	(2.16)	(2.46)	(23.60)	(0.05)	(0.12)	(2.27)	(26.04)
7	वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को पुनर्रचित खाते (अंतिम आंकड़े) Restructured Accounts as on March 31 of the FY (closing figures*)	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrowers	62484	13591	989	43	77107	286811	23900	20070	59	330840
			(6,006)	(12,041)	(805)	(41)	(18,893)	(1,45,272)	(13,997)	(1,020)	(59)	(1,60,348)
		बकाया राशि Amount Outstanding	7,419.95	419.86	5,077.81	2,462.97	15,380.59	14,657.00	717.66	6,616.68	4,781.86	26,773.20
			(3,395.02)	(226.89)	(6,836.92)	(2,550.07)	(13,008.91)	(7,531.92)	(305.75)	(7,914.02)	(5,128.13)	(20,879.83)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	20.20	8.53	2.29	26.14	57.16	212.26	11.16	7.17	26.14	256.73
			(72.87)	(8.63)	(205.11)	(61.34)	(347.95)	(274.62)	(11.00)	(208.15)	(61.34)	(555.11)

* श्रेणियों के भीतर आंकड़ो का आपसी आवागमन शामिल है; #बकाया में वृद्धि/कमी भी शामिल है जो 31 मार्च, 2021 की बही में भी थी।

* includes movement within categories; #includes increase / decrease in outstanding which were also there in the books as at March 31, 2021

दबावग्रस्त आस्तियों पर प्रकटन Disclosure on Stressed Assets

(1) वर्तमान ऋणों की लचीली पुन:संरचना पर प्रकटन : Disclosure on Flexible Structuring of Existing Loans:

अवधि Period	कितने उधारकर्ताओं के लिए लचीली पुन:संरचना पर विचार किया गया No. of borrowers taken up for flexible structuring	लचीली पुन:संररचना हेतु चयनित ऋणों की राशि Amount of loans taken up for flexible structuring		लचीली पुन:संररचना हेतु चयनित ऋणों की एक्सपोज़र भारित औसत अवधि Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring	
		मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	लचीली पुन:संररचना लागू करने से पूर्व Before applying flexible structuring	लचीली पुन:संररचना लागू करने से पश्चात After applying flexible structuring
पिछला वित्तीय वर्ष Previous Financial Year	0	0.00	0.00	0	0
मौजूदा वित्तीय वर्ष (अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक) Current Financial Year (From April 2020 to March 2021)	0	0.00	0.00	0	0

(2) कार्यनीतिक ऋण पुन:संरचना योजना (खाते जो वर्तमान में स्टैंड-स्टिल अवधि के अंतर्गत हैं) :

(2) Disclosure on Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand-still period):

खाते जहां एसडीआर शुरू किया गया है No. of accounts where SDR has been invoked	रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		जिन खातों में ऋण का इक्विटी में परिवर्तन लंबित है उनमें रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		जिन खातों में ऋण का इक्विटी में परिवर्तन किया गया है उनमें रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	
	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
शून्य Nil						

(3) एसडीआर योजना के बाहर स्वामित्व परिवर्तन पर प्रकटीकरण (खाते जो वर्तमान में स्टैंड-स्टिल अवधि के अंतर्गत हैं) :

(3) Disclosures on Change in Ownership outside SDR Scheme (accounts which are currently under the stand-still period):

उन खातों की संख्या जिनमे बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन करने का निर्णल ले लिया है No. of accounts where banks have decided to effect change in ownership	रिपोर्टिंग की तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		रिपोर्टिंग तारीख को उन खातों में बकाया राशि जहां ऋण को शेयरों में परिवर्तित किया गया है/गिरवी इक्विटी शेयरों की मांग लंबित है Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares is pending		रिपोर्टिंग तारीख को उन खातों में बकाया राशि जहां ऋण को शेयरों में परिवर्तित किया गया है/गिरवी इक्विटी शेयरों की मांग हो चुकी है Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares has taken place		रिपोर्टिंग तारीख को वो खाते जहां नए शेयर जारी कर या प्रमोटर की इक्विटि की बिक्री द्वारा स्वामित्व में परिवर्तन प्रस्तावित है Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoters equity	
	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
शून्य Nil								

4) **कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन संबंधी प्रकटन (वो खाते जो वर्तमान में स्टैंड-स्टिल अवधि के अंतर्गत हैं) :**

(4) Disclosure on Change in Ownership of Projects Under Implementation (accounts which are currently under the stand-still period):

परियोजना ऋण खातों की संख्या जहां बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है No. of project loan accounts where the Bank has decided to effect change in ownership	रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		
	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	मानक पुनर्रचित के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard restructured	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
शून्य Nil			

5) **दबावग्रस्त आस्तियों की धारणीय पुनर्रचना (एस4ए) की योजना संबंधी प्रकटन, जहां भी कार्यान्वित किया गया हो :**

(5) Disclosure on Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A), wherever implemented:

क्रमांक Sr. No.	कुल बकाया राशि Aggregate Amount Outstanding	बकाया राशि Amount Outstanding		प्रावधान किए गए Provision Held
		भाग ए में In Part A	भाग बी में In Part B	
मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard				
3	325.01	152.88	172.14	60.43
एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA				
4	318.52	97.38	221.14	301.10
कुल Total				
7	643.53	250.26	393.28	361.52

(e) परिसंपत्ति के वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन:

वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण, परिसंपत्ति के वर्गीकरण में विचलन तथा प्रावधान संबंधी रिज़र्व बैंक को दिनांक 30 अगस्त, 2021 (15 नवंबर, 2021 तक अद्यतन) के मास्टर निदेश संख्या.डीओआर.एसीसी.आरईसी. सं.45/21.04.018/2021-22 प्रस्तुतीकरण एवं प्रकटन- आस्तियों के वर्गिकरण और प्रावधान में विचलन के अनुसार यदि निम्नलिखित में से कोई एक या दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो बैंकों को विचलन का प्रकटीकरण करना है।

(a) उल्लेखित अवधि के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा मूल्यांकित एनपीए, बैंक के प्रावधानों एवं आकस्मिताओं के अतिरिक्त रिपोर्ट किए गए लाभ के 10% से अधिक होने पर, उसके लिए अतिरिक्त प्रावधान किए जाए।

(b) अपनी पर्यवेक्षी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में रिज़र्व बैंक द्वारा चिन्हित अतिरिक्त सकल एनपीए को उल्लेखित अवधि के लिए बैंक द्वारा प्रकाशित वृद्धिशील सकल एनपीए के 15% से अधिक होने पर प्रकटीकरण आवश्यक है। बैंक में विचलन उपरोक्त विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर हैं। इसलिए, अतिरिक्त प्रकटीकरण की आवश्यकता लागू नहीं होती है।

(f) ऋण जोखिम के हस्तांतरण का प्रकटीकरण :

दिनांक 24 सितंबर, 2021 के रिज़र्व बैंक परिपत्र संख्या डीओआर. एसटीआर.आरईसी.51/21.04.048/2021-22 के अनुसार ऋण खातों (एसएमए और एनपीए) के हस्तांतरण का प्रकटीकरण :

a. बैंक ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने कोई भी ऐसा ऋण जो चूक नहीं है या विशेष उल्लेखित खातों (एसएमए) में नहीं है, को हस्तांतरित और अर्जित नहीं किया है।

b. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने कोई भी दबावग्रस्त (गैर-निष्पादित) आस्तियों का अधिग्रहण नहीं किया है।

(e) Divergence in asset classification and provisioning:

As per RBI Master Direction No.DOR.ACC.REC. No.45/21.04.018/2021-22 dated August 30, 2021 (updated as on November 15, 2021) on Financial statements – Presentation and Disclosures, divergence in the asset classification and provisioning, Banks should disclose divergences, if either or both of the following conditions are satisfied:

(a) the additional provisioning for NPAs assessed by RBI exceeds 10% of the reported profit before provisions and contingencies for the reference period, and;

(b) the additional Gross NPAs identified by RBI as part of its supervisory process exceeds 15% of published incremental Gross NPAs for the reference period.

Divergences are within threshold limits in the Bank as specified above. Hence, the need for additional disclosure does not apply.

(f) Disclosure of transfer of loan exposures:

Disclosure of Transfer of Loan Accounts (SMAs & NPAs) in terms of RBI Circular No. DOR.STR. REC.51/21.04.048/2021-22 dated September 24, 2021:

a. The Bank has not transferred and acquired any loans not in default or Special Mention Accounts (SMA) during the year ended March 31, 2022.

b. During the year ended March 31, 2022 the Bank has not acquired any stressed (Non-Performing) Assets.

c. **31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान हस्तांतरित दबावग्रस्त ऋण (एनपीए) का विवरण:**

Details of Stressed Loans (NPAs) transferred during the year ended March 31, 2022:

क्रमांक **Sr. No.**	विवरण **Particulars**	एआरसी को **To ARCs**	अनुमत स्थानान्तरित करने वालों के लिए **To permitted transferees**	अन्य स्थानान्तरित करने वालों के लिए **To other transferees**
क a.	खातों की संख्या No. of accounts	10	--	--
ख b.	हस्तांतरित ऋणों का कुल मूलधन Aggregate principal outstanding of loans transferred	930.68	--	--
ग c.	हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि Weighted average residual tenor of the loans transferred	--	--	--
घ d.	हस्तांतरित ऋणों का शुद्ध बही मूल्य (हस्तांतरण के समय) Net book value of the loans transferred (at the time of transfer)	107.90	--	--
ङ e.	कुल विचार Aggregate consideration	403.01	--	--
च f.	पूर्व के वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	--	--	--
छ g.	दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में वापस किए गए अतिरिक्त प्रावधानों की मात्रा Quantum of excess provisions reversed to the Profit & Loss account on account of sale of stressed loans	295.11	--	--

वर्ष के दौरान अर्जित ऋणों का विवरण

(सभी राशि ₹ करोड़ में)	हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) सहित एससीबी, आरआरबी, यूसीबी, एसटीसीबी, डीसीसीबी, एआईएफआई, एसएफबी और एनबीएफसी से	एआरसी से
अर्जित ऋणों का कुल बकाया मूलधन	--	--
कुल प्रतिफल का भुगतान किया गया	--	--
अधिग्रहीत ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	--	--

31 मार्च, 2022 तक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे प्रतिभूती रसीदों को (एसआर) को सौंपे गए रिकवरी रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में आयोजित प्रतिभूती रसीदों (एसआर) का वितरण:

रिकवरी रेटिंग बैंड	बही मूल्य
आरआर1+	0.00
आरआर1	280.84
आरआर2	9.40
आरआर3	36.40
आरआर4	167.33
आरआर5	829.32
रेटिंग वापस ले ली गई	733.18
कुल	2,056.47

Details of loans acquired during the year

(all amounts in ₹ crore)	From SCBs, RRBs, UCBs, StCBs, DCCBs, AIFIs, SFBs and NBFCs including Housing Finance Companies (HFCs)	From ARCs
Aggregate principal outstanding of loans acquired	--	--
Aggregate consideration paid	--	--
Weighted average residual tenor of loans acquired	--	--

Distribution of the Security Receipts (SRs) held across the various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit rating agencies as on March 31, 2022:

Recovery Rating Band	Book Value
RR1+	0.00
RR1	280.84
RR2	9.40
RR3	36.40
RR4	167.33
RR5	829.32
Ratings Withdrawn	733.18
Total	2,056.47

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार रेटिंग 8 साल के बाद लागू नहीं होती है।

(fa) एनपीए की बिक्री से लाभ:

क्र.	विवरण	2021-22	2020-21
1	एनपीए की बिक्री से दर्ज लाभ	295.11	71.08

(g) धोखाधड़ी खाते

विवरण	2021-22	2020-21
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या	216	177
धोखाधड़ी में शामिल राशि	5793.22	12184.32
ऐसी धोखाधड़ी के लिए किए गए प्रावधान की राशि	250.79	592.49
वर्ष के अंत में 'अन्य भंडार' से डेबिट किए गए असंशोधित प्रावधान की राशि	205.49	0.00

(h) COVID-19 से संबंधित तनावग्रस्तता के लिए संकल्प फ्रेमवर्क के अंतर्गत प्रकटीकरण

(i) रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के दिनांक अगस्त 06, 2020 के संकल्प फ्रेमवर्क 1.0 और जो अब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के व्यक्तियों और छोटे कारोबारों हेतु दिनांक 05 मई 2021 के संकल्प फ्रेमवर्क 2.0 में संवर्धित हो चुका है, के अंतर्गत बैंक के 670.99 रु के कुल एक्सपोजर वाले 28,815 उधारकर्ताओं के खाते थे, जहां बैंक ने संकल्प फ्रेमवर्क को लागू किया था।

As per RBI guidelines Rating is not applicable post 8 years.

(fa) Profit from sale of NPA:

Sr. No.	Particular	2021-22	2020-21
1	Profit booked in respect of sale of NPA	295.11	71.08

(g) Fraud Accounts

Particulars	2021-22	2020-21
Number of frauds reported	216	177
Amount involved in fraud	5793.22	12184.32
Amount of provision made for such frauds	250.79	592.49
Amount of Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year	205.49	0.00

(h) Disclosure under Resolution Framework for COVID-19-related Stress

(i) There were 28,815 borrower accounts having an aggregate exposure of ₹ 670.99 to the Bank, where the resolution plan has been implemented under RBI's Resolution Framework 1.0 dated August 6, 2020 and now modified under RBI's Resolution Framework 2.0 dated May 5, 2021 for Individuals and Small Businesses.

उधारकर्ता का प्रकार Type of Borrower	संकल्प फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर - पिछले छमाही के अंत में स्थिति (ए) Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at the end of the previous half-year (A)		(ए) का, कुल ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए में फिसल गया Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half year	(ए) का, अर्ध-वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि Of (A), amount written off during the half-year	का (ए), छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि Of (A), amount paid by the borrowers during the half-year	संकल्प फ्रेमवर्कके कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर - इस छमाही के अंत में स्थिति Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of the resolution plan - Position as at the end of this half-year
	(ए) (A)		(बी) (B)	(सी) (C)	(डी) (D)	(इ) (E)
	A) संकल्प फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर - पिछले छमाही के अंत में स्थिति (ए) Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at the end of the previous half-year (A)	जोड़ - संकल्प फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर, जहां सितंबर 2021 तक आवेदन प्राप्त हुआ (पुनर्रचना तिथि के अनुसार स्थिति) Addition – Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan, where application received by September 2021 (Position as on restructuring date)				
व्यक्तिगत ऋण Personal Loans	131.01	5.65	3.16	--	6.32	137.92
कॉर्पोरेट व्यक्ति* Corporate Persons*	524.36	10.03	35.91	0.30	46.09	533.07
जिनमें से, एमएसएमई of which, MSMEs	524.36	10.03	35.91	0.30	46.09	533.07
अन्य Others	--	--	--	--	--	--
कुल Total	655.37	15.68	39.07	0.30	52.41	670.99

*जैसा कि दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित किया गया है

*As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

(ii) दिनांक 6 अगस्त, 2020 के रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीओआर.बीपी.बीसी/3/21.04.048/2020-21 (रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0) और दिनांक 5 मई, 2021 के परिपत्र डीओआर STR.REC.11/21.04.048/2021-22 (रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0), के अनुसार 31 मार्च, 2022 तक के संकल्प फ्रेमवर्क का विवरण:

(ii) In terms of RBI Circular No. DOR.BP.BC/3/21.04.048/2020-21 dated August 6, 2020 (Resolution Framework 1.0) and DOR. STR.REC.11/21.04.048/2021-22 dated May 5, 2021 (Resolution Framework 2.0), the details of resolution plan as on March 31, 2022:

उधारकर्ता का प्रकार Type of borrower	(ए) (A)		(ए) का, कुल ऋण जो 31 मार्च, 2022 को समाप्त छमाही के दौरान एनपीए में फिसल गया **Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half-year ended March 31, 2022**	(ए) 31 मार्च, 2022 को समाप्त छमाही के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि **Of (A) amount written off during the half-year ended March 31, 2022**	(ए) 31 मार्च, 2022 को समाप्त छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि **Of (A) amount paid by the borrowers during the half- year ended March 31, 2022**	संकल्प फ्रेमवर्कके कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर - इस छमाही के अंत में स्थिति, अर्थात 31 मार्च, 2022 **Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at the end of this half-year, i.e, March 31, 2022**
	संकल्प फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर- पिछले छमाही के अंत में स्थिति, यानी 30 सितंबर, 2021 (ए) Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan– Position as at the end of the previous half-year, i.e, September 30, 2021 (A)	अतिरिक्त - संकल्प फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर, जहां सितंबर'21 तक प्राप्त आवेदन (पुनर्गठन तिथि के अनुसार स्थिति) Addition - Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan, where applications received by September'21 (Position as on restructuring date)				
व्यक्तिगत ऋण Personal Loans	5,649.09	114.45	95.23	0.64	303.06	5,652.60
कॉर्पोरेट व्यक्ति Corporate persons	5,561.91	176.09	411.99	4.17	1,033.55	4,255.03
जिनमें से एमएसएमई Of which MSMEs	3,007.80	176.09	295.42	4.17	259.87	3,097.09
अन्य Others	39.08	--	--	--	2.02	36.59
कुल Total	11,250.08	290.54	507.22	4.81	1,338.63	9,944.22

5. एक्सपोज़र Exposures

बैंक ऐसे क्षेत्रों को जो आस्तियों की कीमत में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील है, उधार दे रहा है।

The Bank is lending to sectors, which are sensitive to asset price fluctuation.

(a) रियल इस्टेट क्षेत्र को एक्सपोज़र, प्रबंधन द्वारा यथा संकलित Exposure to Real Estate Sector, as compiled by management

क्र. सं. Sr. No.	प्रवर्ग Category	31.03.2022	31.03.2021
1	प्रत्यक्ष एक्सपोज़र Direct Exposure	54,967.61	50,782.70

	(क) (a)	आवासीय बंधक Residential Mortgages	51,075.00	46,285.36
		(i) आवासीय संपत्ति पर ऋण, बंधक द्वारा पूरी तरह से प्रतिभूत है, जो उधारकर्ता द्वारा काबिज है या काबिज किया जाएगा या किराये पर दिया है (नीचे दिये गए (ii) के अलावा) (i) Lending fully secured by Mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented (other than (ii) below);	32,241.26	18,767.32
		(ii) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में समावेश के लिए पात्र वैयक्तिक गृह ऋण (ii) Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector	18,833.74	27,518.04
	(ख) (b)	**वाणिज्यिक रियल इस्टेट** Commercial Real Estate-	3,059.06	4,248.61
		मोर्गेज़ के द्वारा प्रतिभूत वाणिज्यिक उधार गैर निधि आधारित (एनएफ़बी) लिमिटें भी रियल इस्टेट (कार्यालय बिल्डिंग, रिटेल स्पेस, बहुद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, अनेक परिवारों के रहने हेतु आवासीय बिल्डिंग, अनेक किराएदारों वाले वाणिज्यिक परिसर, औदौगिक या वेयरहाउस स्पेस, होटल, भूमि अधिग्रहण, विस्तार एवं निर्माण, आदि) के एक्सपोजर में सम्मलित होगी। Lending secured by mortgages on commercial real estate's (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits;	3,059.06	4,248.61
	(ग) (c)	गिरवी रखी गयी ड्यूटी (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूत एक्सपोजर में निवेश Investments in Mortgage Backed duties (MBS) and other securitised Exposures	833.55	248.73
		a) आवासीय Residential b) व्यवसायिक रियल इस्टेट Commercial Real Estate	0.00 833.55	0.10 248.63
2	अप्रत्यक्ष एक्सपोजर Indirect Exposure		19,530.35	29,450.23
	नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (एचएफसीज्) पर निधि आधारित एवं गैर निधि आधारित एक्सपोजर Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)		19,530.35	29,450.23
रियल इस्टेट सेक्टर हेतु कुल एक्सपोजर (1+2) Total exposure to Real Estate Sector (1+2)			74,497.96	80,232.93

b) पूंजी बाजार हेतु एक्सपोजर Exposure to Capital Market

क्र.सं. Sr. No	प्रवर्ग Category	31.03.2022	31.03.2021
i)	इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर तथा इक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फण्ड में प्रत्यक्ष निवेश जिनकी आधारभूत निधि केवल कार्पोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई है; Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	1,099.91	1,006.84
ii)	शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों/अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष या बेजमानती आधार पर व्यक्तियों को शेयरों(आईपीओ/ईएसओपीएस सहित)परिवर्तनीय बॉण्ड/ परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश के लिए अग्रिम; Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	3.73	5.44
iii)	अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों की यूनिट को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है; Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	886.91	407.23

iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत सीमा तक, अर्थात जहाँ मूलभूत प्रतिभूति शेयरों/ परिवर्तनीय बाण्डों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों की यूनिटों के अलावा पूर्णतया अग्रिमों को कवर नहीं करती हैं, किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम; Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	2.82	2.69
v)	स्टॉक ब्रोकरों को जमानती एवं गैर जमानती अग्रिम एवं स्टॉक ब्रोकरों तथा बाजार निर्धारकों की ओर से जारी गारंटियाँ; Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	1,503.85	1,121.13
vi)	संसाधनों की वृद्धि की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी के लिए प्रवर्तकों के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों/बाण्डों/ डिबेंचरों की प्रतिभूति या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष या बेजमानती आधार पर कंपनियों के लिए स्वीकृत ऋण; Loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new Companies in anticipation of raising resources;	-	0.00
vii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों के समक्ष कंपनियों के लिए पूरक ऋण; Bridge loans to Companies against expected equity flows/issues;	-	0.00
viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं; Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	-	0.00
ix)	मार्जिन ट्रेडिंग हेतु स्टॉक ब्रोकरों के लिए वित्तपोषण; Financing to stockbrokers for margin trading;	0.00	0.00
x)	उद्यम के लिए पूंजी निधि हेतु सभी निवेशों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) को इक्विटी के बराबर माना जाएगा और इस प्रकार पूंजी बाजार निवेश सीमा (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों) के अनुसार गणना की जाएगी। All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	225.63	256.68
पूंजी बाजार में कुल एक्सपोज़र Total Exposure to Capital Market		**3,722.85**	**2,800.01**

(c) देशभर में जोखिम श्रेणी के अनुसार एक्सपोज़र Risk Category-wise Country Exposure

आरबीआई के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक का देश में एक्सपोजर को विभिन्न जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत कर निम्नलिखित तालिका में सूचीबद्ध किया गया है।

As per the extant RBI guidelines, the country exposure of the Bank is categorised into various risk categories listed in the following table.

क्र. सं. Sr. No.	जोखिम प्रवर्ग **Risk Category**	यथा दिनांक 31.03.2022 **As at 31.03.2022**		यथा दिनांक 31.03.2021 **As at 31.03.2021**	
		एक्सपोज़र (निवल) **Exposure (Net)**	धारित प्रावधान **Provision held**	एक्सपोज़र (निवल) **Exposure (Net)**	धारित प्रावधान **Provision held**
1	नगण्य Insignificant	58,765.95	42.04	62,168.11	36.53
2	न्यून Low	26,696.34	20.62	22,183.03	15.21
3	साधारण Moderate	3,954.94	0.00	4,358.89	0.00
4	उच्च High	588.80	0.00	5,590.86	0.00
5	बहुत उच्च Very High	1,576.27	0.00	6.48	0.00
6	प्रतिबंधित Restricted	0.00	0.00	0.00	0.00
7	ऑफ क्रेडिट Off Credit	0.00	0.00	0.52	0.00
	कुल **Total**	**91,582.30**	**62.66**	**94,307.89**	**51.74**

(d) गैर-जमानती अग्रिम : Unsecured Advances

विवरण Particulars	2021-22	2020-21
कुल गैर-जमानती अग्रिम Total Unsecured Advances	1,12,067.35	83,337.74
जिसमें से i) अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, लाइसेन्स, प्राधिकार आदि जो बैंक को सांपार्श्विक के रूप में प्रभारित किए गए हैं के प्रभार पर बकाया अग्रिम की कुल राशि. Out of which i) Amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as rights, licenses, authorizations etc. charged to the Bank as collateral	2,713.69	2,651.15
ii) ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य (जैसा कि उपर्युक्त (i)) ii) The estimated value of such intangible securities (as in (i) above)	17,353.22	18,491.55

(e) फैक्टरिंग एक्सपोजर

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक ने गैर-आश्रय आधार पर कोई निर्यात फैक्टरिंग नहीं लिया है।

(f) इंट्रा-ग्रुप एक्सपोजर (जैसा कि प्रबंधन द्वारा संकलित किया गया है और लेखा परीक्षकों द्वारा भरोसा किया गया है):

क्र.	विवरण	2021-22	2020-21
ए	इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि	6,860.37	6,373.59
बी	शीर्ष 20 इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि	6,860.37	6,373.59
सी	उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर कुल एक्सपोजर का इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर का%	1.07%	1.07%
डी	इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर पर सीमा के उल्लंघन और उस पर नियामक कार्रवाई, यदि कोई हो, का विवरण।	शून्य	शून्य

(g) अप्रतिबंधित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

क्र.	विवरण	2021-22	2020-21
ए	शेष राशि प्रावधान खाता खोलना	62.03	76.75
बी	लेखा वर्ष में किए गए प्रावधानों की मात्रा	20.29	53.71
सी	लेखा वर्ष के दौरान रिवर्स राशि	6.06	68.44
डी	प्रावधान खाते में शेष राशि	76.26	62.03

गैर-हेज किए गए विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीई) के साथ संस्थाओं के एक्सपोजर के लिए पूंजी और प्रावधान आवश्यकताओं के संबंध में बैंक की नीति है जो आरबीआई परिपत्रों पर आधारित है।

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार, उपलब्ध आंकड़ों और उधारकर्ताओं से घोषणा के आधार पर, जहां कहीं भी पॉलिसी के अनुसार प्राप्त हुआ, इस एक्सपोजर पर अतिरिक्त आरडब्ल्यूए ₹414.81(पिछले वर्ष ₹431.80)है। इसके विपरीत, अतिरिक्त न्यूनतम पूंजी आवश्यकता ₹47.70 (पिछला वर्ष ₹ 46.96) है.

(h) एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), सामूहिक उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) जिनका बैंक द्वारा उल्लंघन किया गया, के ब्यौरे :

बैंक ने आरबीआई द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमा के अंदर एकल उधारकर्ता एक्सपोजर तथा समूह उधारकर्ता एक्सपोजर लिया था।

(e) **Factoring exposures**

Bank has not taken any Export Factoring on non-recourse basis exposure during the financial year 2021-22.

(f) **Intra-group exposures** (As compiled by the management and relied upon by the Auditors):

Sr. No.	Particulars	2021-22	2020-21
A	Total amount of intra group exposures	6,860.37	6,373.59
B	Total amount of top 20 intra group exposure	6,860.37	6,373.59
C	% of Intra group Exposure to total exposure on Borrowers/ Customers	1.07%	1.07%
D	Details of breach of limits on intra group exposures and regulatory action thereon, if any.	Nil	Nil

(g) **Unhedged Foreign Currency Exposure**

Sr. No.	Particulars	2021-22	2020-21
A	Opening balance provisions account	62.03	76.75
B	The quantum of provisions made in the accounting year	20.29	53.71
C	Amount Reverse during the accounting year	6.06	68.44
D	Closing balance in the provisions account	76.26	62.03

The bank has a policy with regard to capital and provisioning requirements for exposure to entities with unhedged foreign currency exposure (UFCE) which is based on RBI Circulars.

As on 31.03.2022, based on available data and declaration from the borrowers, wherever received in accordance with the policy, the additional RWA on this exposure is ₹414.81 (Previous Year ₹431.80). As against this, additional minimum capital requirement is ₹47.70 (Previous Year ₹ 46.96).

(h) **Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank:**

The Bank had taken single borrower exposure and Group Borrower exposure within the prudential limit prescribed by RBI.

क्र. सं	उधारकर्ता का नाम	एक्सपोज़र सीमा	स्वीकृत सीमा	बकाया यथा 31.03.2021
1.	एकल उधारकर्ता			
	कुछ नहीं	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)
2.	सामूहिक उधारकर्ता			
	कुछ नहीं	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)

6. **जमाओं, अग्रिमों, एक्सपोज़र तथा एनपीए का संकेंद्रण**

(a) **जमाराशियों का संकेंद्रण-**

विवरण	2021-22	2020-21
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशियां	40,303.29	44,183.35
बैंक की कुल जमाराशियाँ में से बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	6.42%	7.05%

(b) **अग्रिमों का संकेंद्रण -**

विवरण	2021-22	2019-20
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं का कुल अग्रिम	83,288	72,236
बैंक के कुल अग्रिमों में से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	16.47%	15.84%

(c) **एक्सपोज़र का संकेंद्रण:**

विवरण	2021-22	2020-21
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र	90,039	79,163
बैंक के उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को कुल एक्सपोजर में से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं /ग्राहकों के एक्सपोज़र का प्रतिशत	13.14%	12.22%

(d) **एनपीए संकेंद्रण**

विवरण	2021-22	2020-21
चार शीर्ष एनपीए खातों का कुल एक्सपोजर	15,169	20,595
कुल सकल एनपीए में बीस सबसे बड़े एनपीए एक्सपोजर का प्रतिशत	33.26%	36.43

7 **डेरिवेटिव**

(a) **वायदा दर अनुबंध/ब्याज दर स्वैप**

क्र. सं.	विवरण	यथा 31.03.2022	यथा 31.03.2021
i)	स्वैप अनुबंध की नोशनल मूल राशि	1563.03	1,486.60
ii)	संबंधित पक्षों द्वारा करार के अंतर्गत अपने दायित्व पूर्ति न किए जाने के फलस्वरूप होने वाली हानियां	38.89	0.05

Sr. No.	Name of the Borrower	Exposure Ceiling	Limit Sanctioned	Outstanding as on 31.03.2021
1.	Single Borrower			
	None	NIL (NIL)	NIL (NIL)	NIL (NIL)
2.	Group Borrower			
	None	NIL (NIL)	NIL (NIL)	NIL (NIL)

6. **Concentration of deposits, advances, exposures and NPAs**

(a) **Concentration of deposits:**

Particulars	2021-22	2020-21
Total Deposits of twenty largest depositors	40,303.29	44,183.35
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	6.42%	7.05%

(b) **Concentration of advances:**

Particulars	2021-22	2019-20
Total Advances to twenty largest borrowers	83,288	72,236
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	16.47%	15.84%

(c) **Concentration of exposures**

Particulars	2021-22	2020-21
Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	90,039	79,163
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/ customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers	13.14%	12.22%

(d) **Concentration of NPAs:**

Particulars	2021-22	2020-21
Total Exposure to top twenty NPA accounts	15,169	20,595
Percentage of exposure to the twenty largest NPA exposure to total Gross NPAs	33.26%	36.43%

7. **Derivatives**

(a) **Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap**

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
i)	The notional principal of swap agreements	1563.03	1,486.60
ii)	Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfil their obligations under the agreements	38.89	0.05

क्र. सं.	विवरण	यथा 31.03.2022	यथा 31.03.2021
iii)	स्वैप प्रक्रिया अपनाने पर बैंक द्वारा अपेक्षित सम्पार्श्विक प्रतिभूति	स्वैप के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति की जरूरत नहीं थी क्योंकि काउन्टर पार्टी या तो बैंक अथवा प्रीमियर कार्पोरेट थे।	
iv)	स्वैप के कारण क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण	वर्ष के दौरान ब्याज दर स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का कोई संकेन्द्रण नहीं है।	
v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	(-)1.64	(-)2.08

(b) **विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव**

क्र. सं.	विवरण	यथा 31.03.2022	यथा 31.03.2021
(i)	वर्ष के दौरान लिये गये विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव की नोशनल मूल राशि (लिखत-वार)	0.00	0.00
(ii)	यथा 31 मार्च को बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेविरेटिव की कल्पित मूल राशि (लिखत वार)	0.00	0.00
(iii)	बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव की नोशनल मूल राशि और जो "उच्च प्रभावी" नहीं हो (लिखत वार)	0.00	0.00
(iv)	बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव का मार्क-टू-मार्केट मूल्य और जो "बहुत प्रभावी" नहीं हो (लिखत वार)	0.00	0.00

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आरबीआई में आरआरसी खाता में तथा रेपो/रिजर्व रेपो संव्यवहार में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कोई चूक एवं दंड नहीं लगाया गया है।

(c) **डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोज़र पर प्रकटन**

i. **गुणात्मक प्रकटन**

बैंक, तुलन पत्र की आस्तियों और देयताओं की प्रतिरक्षा के लिए अथवा कारोबारी उद्देश्यों और ग्राहक जरूरतों को पूरा करने के लिए डेरिवेटिव संविदाएं करता है जैसे कि ब्याज-दर डेरिवेटिव, मुद्रा स्वैप और मुद्रा आप्शन। ये उत्पाद जोखिम की प्रतिरक्षा, लागत घटाने तथा प्रतिफल बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बैंक इस प्रकार के व्यवहार में जिस प्रकार के जोखिमों का सामना करता है, वे हैं ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालनगत जोखिम आदि।

जोखिम प्रबंधन बैंक के कारोबार प्रबंधन का एक अनिवार्य भाग है। जोखिम की पहचान करने और उनका विश्लेषण करने, समुचित जोखिम सीमाएं निर्धारित करने और उन जोखिमों और सीमाओं की निरंतर आधार पर, अद्यतन प्रबंधन सूचना प्रणालियों के जरिए देख-रेख करने के लिए बैंक ने जोखिम प्रबंधन नीतियां तैयार की हैं। जोखिम प्रबंधन नीतियां और प्रमुख

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
iii)	Collateral required by the bank upon entering into swaps	No collaterals were required for the swaps as counterparties were either banks or premier corporate	
iv)	Concentration of Credit Risk arising from the swaps	There is no concentration of credit risk arising from the interest rate swaps undertaken during the year	
v)	The fair value of the swap book	(-)1.64	(-)2.08

(b) **Exchange Traded Interest Rate Derivatives**

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
(i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	0.00	0.00
(ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March(instrument-wise)	0.00	0.00
(iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	0.00	0.00
(iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	0.00	0.00

There was no default and penalty imposed by Reserve Bank of India in Repo/ Reverse Repo transactions and in RRC Account with RBI during the Financial year 2021-22.

(c) **Disclosures on risk exposure in derivatives**

i. **Qualitative Disclosure**

The Bank enters into derivative contracts such as interest rate derivatives, currency swaps and currency options to hedge on balance sheet assets and liabilities or to meet client requirements as well as for trading purpose as per policy approved by the Board. These products are used for hedging risk, reducing cost and increasing the yield. In such transactions, the types of risks to which the bank is exposed to, are credit risk, market risk, operational risk etc.

Risk management is an integral part of bank's business management. Bank has risk management policies designed to identify and analyse risks, to set appropriate risk limits and to monitor these risks and limits on an on-going basis by means of reliable and up to date management information systems. The risk management policies and major control limits are approved by the

नियंत्रण सीमाएं, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई हैं और उनकी नियमित आधार पर देख-रेख तथा समीक्षा की जाती है। बैंक का संगठन, जोखिम के प्रबंधन में सहायक रहा है। डेरिवेटिव परिचालन में ट्रेडिंग गतिविधियों के एक्सपोजर का आकार तथा जोखिमों के विषय में पर्याप्त जागरूकता है।

बैंक के निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति है जिसका सभापतित्व अध्यक्ष करते हैं।

हेज/गैर-हेज (मार्केट मेकिंग) संव्यवहारों को अलग से रिकार्ड किया जाता है। हेजिंग डेरिवेटिव पर आय/खर्च को उपचित आधार पर लेखांकित किया जाता है।

फोरेक्स फॉरवर्ड संविदाओं को बाजार पर चिह्नित किया गया है और परिणामत: लाभ और हानि को लाभ एवं हानि खाते में बताया जाता है।

व्यापार उद्देश्य से विनिमय व्यापार डेरिवेटिव के अलावा ब्याज दर डेरिवेटिव और मुद्रा डेरिवेटिव को बाजार पर चिह्नित किया जाता है और परिणामत: हानि, यदि कोई, को लाभ एवं हानि खाते में बताया जाता है। निवल लाभ, यदि कोई, पर ध्यान नहीं दिया जाता है ।

व्यापार उद्देश्य से प्रविष्ट विनिमय व्यापार डेरिवेटिव का विनिमय द्वारा दिए गए दर के आधार पर प्रचलित मार्केट दरों पर मूल्यांकन किया जाता है और परिणामत: लाभ एवं हानि को लाभ एवं हानि खाते में बताया जाता है ।

व्यापार स्वैप की समाप्ति पर लाभ/हानि को समाप्ति तिथि पर आय/खर्च के रूप में रिकार्ड किया जाता है। स्वैप की समाप्ति पर किसी भी लाभ/हानि का स्थगन स्वैप की शेष अनुबंधित अवधि अथवा निर्धारित आस्तियों/देयताओं की बकाया अवधि, इनमें से जो भी कम हो, से संबद्ध किया जाता है।

ऑप्शन संविदा के परिपक्वता काल पर आप्शन शुल्क/प्रीमियम का परिशोधन किया जाता है।

बैंक में वरिष्ठ और उच्च प्रबंधन को आवधिक रिपोर्टों को प्रस्तुत करने की उचित पद्धति है। इसके साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपेक्षित/या परिचालन आवश्यकतानुसार विनियामक प्राधिकारियों को भी रिपोर्ट भेजी जाती है। बैंक के पास निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित विभिन्न पहलुओं पर स्पष्ट डेरिवेटिव दिशा-निर्देश हैं। डरिवेटिव लेन-देन समवर्ती, आंतरिक, सांविधिक और विनियामक लेखा परीक्षा के शर्तों के अध्यधीन है।

संव्यवहारों के प्रतिपक्ष बैंक, प्राथमिक डीलर और प्रीमियर कार्पोरेट्स इकाइयाँ हैं। इनमें व्यवहार अनुमोदित ऋण जोखिम सीमा के अंदर किया जाता है। बैंक ने ब्याज दर एवं विदेशी विनिमय डेरिवेटिव लेन-देनों के कारण उत्पन्न ऋण जोखिमों के मापन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित चालू ऋण जोखिम विधि अपनाई है। चालू ऋण जोखिम विधि में वर्तमान ऋण जोखिम और इन संविदाओं के संभावी आगामी ऋण जोखिम को जोड़ है।

चालू ऋण एक्सपोज़र, इन संविदाओं के सकारात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्य का जोड़ है अर्थात् जब बैंक को प्रतिपक्ष से राशि प्राप्त करनी होती है।

संभावी आगामी ऋण जोखिम का निर्धारण इन संविदाओं के कतिपत मूल राशि, चाहे संविदा का शून्य, सकारात्मक अथवा नकारात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्य हो, के साथ निम्नानुसार संबंधित एड-ऑन तत्वों के अनुसार लिखत के शेष परिपक्वता और स्वैप का गुणा करके प्राप्त किया जाएगा।

Board of Directors and they are monitored and reviewed regularly. The organization of the Bank is conducive to managing risks. There is sufficient awareness of the risks and the size of exposure of the trading activities in derivative operations.

The Bank has a Risk Management Committee of Directors presided over by the Chairman.

The hedge/non-hedge (market making) transactions are recorded separately. Income/expenditure on hedging derivatives is accounted on accrual basis.

Forex forward contracts are marked to market and the resultant gains and losses are recognized in the profit and loss account.

Interest rate derivatives and currency derivatives other than exchange traded derivatives for trading purpose are marked to market and the resulting losses, if any, are recognised in the Profit & Loss account. Net Profit, if any, is ignored.

Exchange traded derivatives entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the Exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit & Loss account.

Gains/losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/expenditure. Any gain/loss on termination of hedging swaps are deferred and recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/liabilities.

Option fees/premium is amortised over the tenor of the option contract.

Bank has a proper system of submitting periodical reports to Senior and Top Management and Board as well as regulatory authorities as required by RBI and/or as per operational requirements. Bank has clearly spelt derivative guidelines on various aspects approved by the Board of Director. The derivative transactions are subject to concurrent, internal, statutory and regulatory audits.

The counter parties to the transactions are banks, primary dealers and corporate entities. The deals are done under approved exposure limits. The Bank has adopted the Current Exposure method prescribed by Reserve Bank of India for measuring Credit Exposures arising on account of interest rate and foreign exchange derivative transactions. Current exposure method is the sum of current credit exposure and potential future exposure of these contracts.

The current credit exposure is the sum of positive mark to market value of these contracts i.e. when the Bank has to receive money from the counter party.

Potential future credit exposure is determined by multiplying the notional principal amount of these contracts irrespective of whether the contract has zero, positive or negative mark to market value by the relevant add-on factors as under according to the nature and residual maturity of the instrument.

अवशिष्ट परिपक्वता	कुल नोशनल मूल राशि पर लगाया जाने वाला ऋण परिवर्तनकारक तत्व	
	ब्याज दर संविदा	विनिमय दर संविदा
एक वर्ष या उससे कम	0.50%	2.00%
एक वर्ष से अधिक पांच वर्ष तक	1.00%	10.00%
पाँच वर्ष से अधिक	3.00%	15.00%

ऋण जोखिम की गणना करते समय "सॉल्ड ऑप्शन" को वहाँ छोड़ दिया जाता है जहाँ कहीं प्रीमियम / शुल्क या किसी भी रूप में आय प्राप्त / वसूली होती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशानुसार संविदा के वर्तमान बाजार मूल्य पर ऋण जोखिम की गणना की जाती है। इस पर संबंधित प्रतिपक्षकार की "मानक श्रेणी के ऋण आस्ति पर लागू प्रावधान आवश्यकताएं भी लागू हैं। वर्तमान में जोखिम वाली आस्तियों पर 0.40% प्रावधान किया जाना है। हमारे खातों में बैंक उपर्युक्त के अनुसार अपेक्षित प्रावधान करते हैं।

ii. मात्रात्मक प्रकटन

क्र. सं.	विवरण	मुद्रा डेरिवेटिव		ब्याजदर डेरिवेटिव	
1	डेरिवेटिव (नोशनल मूल राशि)	13,326.50		1,563.03	
	क) हेजिंग हेतु	13,048.16		1,463.03	
		(11,846.17)		(1,461.60)	
	ख) कारोबार हेतु	278.34		100.00	
		(1,991.69)		(25.00)	
2	मार्क्ड टू मार्केट स्थिति (1)				
	क)आस्ति [+]	158.32		0.36	
		(119.31)		(0.05)	
	ख) देकाता (-)	2.65		34.70	
		(8.84)		(68.86)	
3	क्रेडिट एक्सपोजर [2]	421.12		15.99	
		(395.80)		(14.87)	
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत के परिवर्तन से होने वाला संभाव्य प्रभाव (100*पीवी01)				
	क) हेजिंग डेरिवेटिव पर	0.00		11.81	
		(0.00)		(24.81)	
	ख)ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर	0.00		4.37	
		(0.00)		(1.11)	
5	वर्ष के दौरान देखी गई 100*पीवी01 की अधिकतम एवं न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम
	क) हेजिंग पर				
		0.00	0.00	0.97	0.01
		(0.00)	(0.00)	(1.88)	(0.46)
	ख) ट्रेडिंग पर	0.00	0.00	4.37	4.37
		(0.00)	(0.00)	(1.11)	(1.11)

Residual Maturity	Credit Conversion factor applied on Notional Principal Amount	
	Interest Rate Contract	Exchange Rate Contract
One year or less	0.50%	2.00%
Over one year to five years	1.00%	10.00%
Over five years	3.00%	15.00%

While computing the credit exposure, "sold options" are excluded wherever the entire premium/fee or any other form of income is received / realized.

As per the extant RBI guidelines, credit exposures computed as per the current Mark to Market value of the contracts, also attracts provisioning requirement as applicable to the loan assets in the "Standard" category, of the concerned counterparty. At present, the provision is to be maintained at 0.40% of the risk weighted assets. The Bank makes the requisite provision as aforesaid in the books.

ii. Quantitative Disclosures

Sr. No.	Particulars	Currency Derivatives		Interest Rate Derivatives	
1	Derivatives (Notional Principal Amount)	13,326.50		1,563.03	
	a) For hedging	13,048.16		1,463.03	
		(11,846.17)		(1,461.60)	
	b) For trading	278.34		100.00	
		(1,991.69)		(25.00)	
2	Marked to Market Positions [1]				
	a) Asset (+)	158.32		0.36	
		(119.31)		(0.05)	
	b) Liability (-)	2.65		34.70	
		(8.84)		(68.86)	
3	Credit Exposure [2]	421.12		15.99	
		(395.80)		(14.87)	
4	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	a) On hedging derivatives	0.00		11.81	
		(0.00)		(24.81)	
	b) On trading derivatives	0.00		4.37	
		(0.00)		(1.11)	
5	Maximum & Minimum of 100*PV01 observed during the year	Max	Min	Max	Min
	a) On hedging	0.00	0.00	0.97	0.01
		(0.00)	(0.00)	(1.88)	(0.46)
	b) On trading	0.00	0.00	4.37	4.37
		(0.00)	(0.00)	(1.11)	(1.11)

(d) क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स :

बैंक ने कोई क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स नहीं किया है।

8. प्रतिभूतिकरण से सम्बद्ध प्रकटन :

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कोई स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) फ्लोट नहीं किया है।

9. ऑफ बैलेन्स शीट प्रायोजित एसपीवी

स्पॉन्सर किए गए एसपीवी का नाम	
स्वदेशी	विदेशी
शून्य	शून्य

10. जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता फंड (डीईएएफ) को अंतरण :

विवरण	2021-22	2020-21
डीईएएफ में अंतरित प्रारंभिक शेष राशि	1,488.26	1,137.94
जोड़ें : वर्ष के दौरान डीईएएफ में अंतरित राशि	291.16	367.76
घटाएं :दावों के तहत डीईएएफ द्वारा राशि की प्रतिपूर्ति	22.76	17.44
डीईएएफ में अंतरित राशि का अंतिम शेष	1,756.66	1,488.26

11. शिकायतों का प्रकटन

(a) ग्राहकों तथा ओबीओ (बैंकिंग लोकपाल कार्यालय) से बैंक द्वारा प्राप्त शिकायतों की सूचना का सार

(d) **Credit Default Swaps**

The bank has not dealt with any Credit Default Swap.

8. **Disclosures relating to Securitisation**

The Bank has not floated any Special purpose Vehicle (SPV) during the Financial Year 2021-22.

9. **Off balance sheet SPVs sponsored**

Name of the sponsored SPV	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

10. **Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund) as per Form I**

Particulars	2021-22	2020-21
Opening balance of amounts transferred to DEAF	1,488.26	1,137.94
Add : Amounts transferred to DEAF during year	291.16	367.76
Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims	22.76	17.44
Closing balance of amounts transferred to DEAF	1,756.66	1,488.26

11. **Disclosure of Complaints**

(a) Summary information on complaints received by the bank from customers and from the OBOs [Offices of the Banking Ombudsman]

क्र.सं. Sr. No		विवरण Particulars	2021-22	2020-21
अपने ग्राहकों से बैंक द्वारा प्राप्त शिकायतें Complaints received by the bank from its customers				
1		वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at beginning of the year	13188	12194
2		वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of complaints received during the year	492450	446920
3		वर्ष के दौरान निपटाई गर्इ शिकायतों की संख्या Number of complaints disposed during the year	502914	445926
अपने ग्राहकों से बैंक द्वारा प्राप्त शिकायतें Complaints received by the bank from its customers				
	3.1	उनमें से बैंक द्वारा निरस्त शिकायतों की संख्या Of which, number of complaints rejected by the bank	10124	1452
4		वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the end of the year	2724	13188
ओबीओ से बैंक द्वारा प्राप्त रखरखाव योग्य शिकायतों की संख्या Maintainable complaints received by the bank from OBOs				
5		ओबीओ से बैंक द्वारा प्राप्त रखरखाव योग्य शिकायतें Number of maintainable complaints received by the bank from OBOs	4634	7099
	5.1	5 में से, बीओ के द्वारा बैंक के पक्ष में निपटाये गए शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by BOs	1355	1908
	5.2	5 में से बीओ द्वारा जारी समझौता/मध्यस्थता/एडवायजरी के माध्यम से समाधान की गई शिकायतें Of 5, number of complaints resolved through conciliation/mediation/advisories issued by BOs	3279	5191
	5.3	5 में से बैंक के विरुद्ध निर्णय पारित करने के बाद समाधान की गई शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by BOs against the bank	0	1
6		निर्धारित समय में कार्यान्वयन किये गये निर्णयों की संख्या (अपीलीय को छोड़कर) Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	0	0

नोट: रखरखाव योग्य शिकायतें वे हैं जो विशेष रूप से बीओ योजना 2006 में उल्लिखित हैं तथा योजना के क्षेत्र के अंतर्गत कवर की गई हैं। ग्राहकों से बैंक द्वारा प्राप्त शीर्ष पाँच प्रकारों की शिकायतें

Note: Maintainable complaints refer to complaints on the grounds specifically mentioned in BO Scheme 2006 and covered within the ambit of the Scheme

(b) बैंक को ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के प्रमुख पाँच आधार Top five grounds of complaints received by the bank from customers

शिकायत का आधार (अर्थात् शिकायत किस से संबंधित है) Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the beginning of the year	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of complaints received during the year	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में बढ़ोतरी/कमी का % % increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the end of the year	5 में से 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
एटीएम/डेबिट कार्ड संबंधित ATM/ Debit Cards	12733 (11942)	456410 (425654)	+7.23 (-13.68)	2566 (12733)	3 (2)
इंटरनेट/मोबाईल/इलेक्ट्रानिक बैंकिग Internet/ Mobile/ Electronic Banking	67 (35)	14497 (3080)	+65.11 (+25.10)	0 (67)	0 (0)
खाता परिचालन संबंधित Account operation related	141 (68)	9444 (6433)	+46.81 (+73.16)	1 (141)	0 (0)
अग्रिम/ऋण संबंधी Advances/ Credit Related	35 (24)	1802 (1693)	+6.44 (+2.48)	4 (35)	1 (1)
प्रभार संबंधी लेवी Levy of charges	52 (34)	1726 (1778)	-2.92 (-9.56)	0 (52)	0 (1)
अन्य Others	160 (91)	8571 (8282)	+3.49 (+28.72)	153 (160)	6 (2)
कुल Total	13188 (12194)	492450 (446920)	+8.80 (-12.26)	2724 (13188)	10 (6)

12. भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य विनियामकों द्वारा लगाए गए जुर्मानों (पेनल्टीज़) का प्रकटन

विवरण	2021-22	2020-21
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) तथा अन्य विनियमों के अंतर्गत लगाई गई पेनल्टी	21.31	5.13

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान , उपरोक्त में से, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक पर ₹ 4.27 और विदेशी शाखा पर ₹16.54 और संबंधित देश के नियामक द्वारा विदेशी सहायक कंपनी पर ₹0.25 का जुर्माना लगाया गया है।

13. पारिश्रमिक पर प्रकटीकरण

क्र.सं.	विवरण	2021-22	2020-21
1	श्री अतनु कुमार दास	32,62,233	30,02,820
2	श्री पीआर राजगोपाल	34,40,568	31,52,053
3	श्री एम कार्तिकेयन	27,25,869	1,46,801
4	श्री स्वरूप दासगुप्ता	27,25,869	1,46,801
5	श्रीमती मोनिका कालिया	28,00,774	1,46,801
6	श्री सी. जी. चैतन्य	0	47,68,776

12. Disclosure of Penalties imposed by the Reserve Bank of India and other regulators

Particulars	2021-22	2020-21
Penalty imposed under Section 46(4) of The Banking-Regulation Act, 1949 and under other regulations	21.31	5.13

During the year ended March 31, 2022, out of the above, penalty of ₹4.27 has been imposed on the Bank by the Reserve Bank of India and ₹16.54 on overseas branch & ₹0.25 on overseas subsidiary by the regulator of respective country.

13. Disclosure on remuneration

Sr. No	Particulars	2021-22	2020-21
1	Shri Atanu Kumar Das	32,62,233	30,02,820
2	Shri P. R. Rajagopal	34,40,568	31,52,053
3	Shri M Karthikeyan	27,25,869	1,46,801
4	Shri Swarup Dasgupta	27,25,869	1,46,801
5	Smt. Monika Kalia	28,00,774	1,46,801
6	Shri C. G. Chaitanya	0	47,68,776

14. अन्य खुलासे

(a) व्यापार अनुपात

क्र. सं	विवरण	31.03.2022 (में %)	31.03.2021 (में %)
(i)	औसत कार्यशील पूंजी के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	4.83	5.35
(ii)	औसत कार्यशील पूंजी के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय	1.00	0.90
(iii)	जमा लागत	3.69	4.10
(iv)	निवल ब्याज मार्जिन	2.36	2.48
(v)	औसत कार्यशील पूंजी के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	1.64	1.57
(vi)	आस्तियों पर प्रति लाभ	0.43	0.28
(vii)	प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा और इंटरबैंक जमा सहित अग्रिम)	20.71	19.94
(viii)	प्रति कर्मचारी लाभ	0.065	0.042

(b) बैंकएश्योरेंस बिजनेस से प्राप्त फीस, पारिश्रमिक

विवरण	2021-22	2020-21
जीवन बीमा व्यवसाय	99.01	77.64
गैर-जीवन बीमा व्यवसाय	21.22	21.26
स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय	7.59	5.25
कुल	**127.82**	**104.15**

(c) विपणन और वितरण से प्राप्त शुल्क, पारिश्रमिक :

विवरण	2021-22	2020-21
म्यूचुअल फंड्स	2.89	3.14
कुल	**2.89**	**3.14**

(d) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) का प्रकटीकरण (जैसा कि प्रबंधन द्वारा संकलित किया गया है):

वर्ष के दौरान खरीदा गया	वर्ष के दौरान बेचा गया
2,000.00 (2,000.00)	0.00 (0.00)

बैंक ने कृषि पोर्टफोलियो में अंतर को पाटने के लिए 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹2,000 की राशि के कृषि पोर्टफोलियो के लिए प्राथमिकता प्राप्त ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) खरीदा है , जिसकी लागत ₹46.06 है।

14. Other Disclosures

(a) Business Ratios

Sr. No.	Particulars	31.03.2022 (in %)	31.03.2021 (in %)
(i)	Interest Income as a percentage to average Working Funds	4.83	5.35
(ii)	Non-interest income as a percentage to average Working Funds	1.00	0.90
(iii)	Cost of Deposits	3.69	4.10
(iv)	Net Interest Margin	2.36	2.48
(v)	Operating Profit as a percentage to average Working Funds	1.64	1.57
(vi)	Return on Assets	0.43	0.28
(vii)	Business per employee (deposits plus advances including interbank deposits)	20.71	19.94
(viii)	Profit per employee	0.065	0.042

(b) Fees, remuneration received from Bancassurance Business

Particulars	2021-22	2020-21
Life Insurance Business	99.01	77.64
Non-Life Insurance Business	21.22	21.26
Health Insurance Business	7.59	5.25
Total	**127.82**	**104.15**

(c) Fees, remuneration received from Marketing and Distribution:

Particulars	2021-22	2020-21
Mutual Funds	2.89	3.14
Total	**2.89**	**3.14**

(d) Disclosure of Priority Sector Lending Certificates (PSLCs) (As compiled by the Management):

Purchased during the year	Sold During the Year
2,000.00 (2,000.00)	0.00 (0.00)

The Bank has purchased Priority Sector Lending Certificate (PSLCs) for Agriculture portfolio amounting to ₹2,000 during the year ended March 31, 2022 costing ₹46.06 to bridge the gap in Agriculture portfolio

(e) **प्रावधान और आकस्मिकताएं**

लाभ और हानि खाते में प्रदर्शित होने वाले "प्रावधानों और आकस्मिकताओं" का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	2021-22	2020-21
एनपीआई के लिए प्रावधान	232.72	269.03
निवेश के लिए प्रावधान	164.64	599.62
एनपीए के लिए प्रावधान	2,942.95	6,612.54
आयकर के लिए किया गया प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	2,162.05	1,076.41
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	901.38	(-)40.74
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं		
• पुनर्रचित खातों में हानि का प्रावधान	(-)69.23	199.70
• देश के जोखिम के लिए प्रावधान	10.93	(-)5.53
• अन्य प्रावधान	238.31	0.89
कुल	**6,583.76**	**8,711.92**

(f) **आईएफ़आरएस अभिसरण भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन (इंड एएस)**

आरबीआई ने दिनांक 22 मार्च, 2019 के अपने परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.29/21.07.001/2018-19 के माध्यम से इंड एएस के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया है, क्योंकि आरबीआई द्वारा अनुशंसित बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में विधायी संशोधन हैं जो की भारत सरकार के विचाराधीन है। बैंक संचालन समिति द्वारा चर्चा/अनुमोदन के बाद जून-2018 से तिमाही प्रोफार्मा इंड एएस वित्तीय विवरण (पीएफएस) जमा कर रहा है। पीएफएस को इंड-एएस कार्यान्वयन के संबंध में समग्र प्रगति रिपोर्ट के साथ बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को भी प्रस्तुत किया जाता है।

(g) **डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान**

क्र. सं	विवरण	2021-22	2020-21
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान	628.41	585.06
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया	शून्य	शून्य

(h) **निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को दी जाने वाली सुविधाएं**

केवल यूसीबी पर लागू

(i) **बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण व्यय के परिशोधन पर प्रकटीकरण**

दिनांक 4 अक्टूबर, 2021 के भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या आरबीआई/2021-22/105 डीओआर.एसीसी.आरईसी.57/21.04.018/2021-22 ने बैंकों को पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से शुरू होने वाले पांच वर्षों से अधिक की अवधि के लिए अतिरिक्त देयता को प्रत्येक वर्ष व्यय की जाने वाली कुल राशि का न्यूनतम 1/5 भाग तक परिशोधित करने की अनुमति दी है। बैंक ने पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण ₹612.09 की अतिरिक्त

(e) **Provisions and Contingencies**

The break-up of "Provisions and Contingencies" appearing in the Profit and Loss Account is as under:

Particulars	2021-22	2020-21
Provision for NPI	232.72	269.03
Provision for Investments	164.64	599.62
Provision towards NPA	2,942.95	6,612.54
Provision made towards Income Tax (including Deferred Tax)	2,162.05	1,076.41
Provision towards Standard Assets	901.38	(-)40.74
Other Provision & Contingencies		
• Provision for Sacrifice in Restructured Accounts	(-)69.23	199.70
• Provision for Country Risk	10.93	(-)5.53
• Other Provisions	238.31	0.89
Total	**6,583.76**	**8,711.92**

(f) **Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standards (Ind AS)**

RBI vide its circular DBR.BP.BC. No.29/21.07.001/2018-19 dated March 22, 2019, deferred implementation of Ind AS till further notice as the legislative amendments in Banking Regulation Act, 1949 as recommended by RBI are under consideration of the Government of India. The Bank has been submitting quarterly Proforma Ind AS Financial Statements (PFS) from June-2018 after discussion/approval by Steering Committee. The PFS are also presented to Audit Committee of Board along-with the overall progress report regarding Ind AS implementation.

(g) **Payment of DICGC Insurance Premium**

Sr. No.	Particulars	2021-22	2020-21
i)	Payment of DICGC Insurance Premium	628.41	585.06
ii)	Arrears in payment of DICGC premium	Nil	Nil

(h) **Facilities granted to Directors and their relatives**

Applicable only to UCBs

(i) **Disclosure on amortisation of expenditure on account of enhancement in family pension of employees of banks**

Reserve Bank of India vide its Circular No. RBI/2021-22/105 DOR. ACC. REC. 57/21.04.018/2021-22 dated October 4, 2021, permitted Banks to amortise the additional liability on account of revision in family pension over a period not exceeding five years beginning with the financial year ending March 31, 2022, subject to a minimum of 1/5th of the total amount being expensed every year. The Bank has recognised additional liability on account of revision in family pension amounting to ₹612.09 and has opted to amortise the said liability

देयता को मान्यता दी है और 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से शुरू होने वाले पांच वर्षों से अधिक की अवधि में उक्त देयता को परिशोधित करने का विकल्प चुना है। तदनुसार, बैंक ने ₹61.21 और ₹122.42 को मान्यता दी है, क्रमश: 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में और शेष ₹489.67 को आगे बढ़ाया गया है। यदि बैंक द्वारा गैर-परिशोधित देयता को लाभ और हानि खाते में पूरी तरह से मान्यता दी गई होती, तो 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए शुद्ध लाभ (कर पश्चात) ₹318.56 कम होता ।

(j) “सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र - अग्रिमों की पुनर्रचना” पर दिनांक 1 जनवरी, 2019 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं.डीबीआरनो.बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018-19 के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2022 तक समय-समय पर एमएसएमई पुनर्रचित खातों का विवरण निम्नानुसार है:

पुनर्रचित खातों की संख्या	राशि
64,725	1,761.85

(k) बैंक द्वारा अनुषंगियों की ओर से जारी चुकौती आश्वासन पत्रों (एलओसीज़) पर प्रकटन (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित):

वर्ष 2020-21 के दौरान, बैंक ने अनुषंगियों की ओर से कोई चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किए हैं।

वर्ष 2010-11 के दौरान, अपने पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी बीओआई (न्यूजीलैंड) लि. के लिए रॉयल बैंक ऑफ न्यूजीलैंड लि. के पक्ष में बैंक ने वित्तीय वायदे देय होने पर उन्हें पूरा करने के लिए अभिभावकीय गारंटी जारी की है।

यथा 31.03.2021 तक, उपर्युक्त वायदों से कोई वित्तीय दायित्व उत्पन्न नहीं हुआ है।

(l) आयकर :

(a) आकस्मिक देयताओं (अनुसूची 12) के अंतर्गत बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है जिसके अंतर्गत रु 529.03 (विगत वर्ष रु. 1186.47) की विवादित आय कर/ ब्याज कर देयताएं सम्मिलित हैं जिनके लिए ऐसे विवादों पर विगत आकलनों के संदर्भ में विभिन्न न्यायिक निर्णयों के आधार पर कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है। कथित विवादों को के विरुद्ध भुगतान/समायोजनों को अन्य आस्तियों (अनुसूची 11) के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।

(b) लागू कर-विधियों के प्रावधानों और कतिपय विवादित मामलों में विभिन्न न्यायिक निर्णयों पर उचित विचार किये जाने के बाद कर के प्रावधान का परिकलन किया गया है।

over a period not exceeding five years, beginning financial year ending March 31, 2022. Accordingly, Bank has recognised ₹61.21 and ₹122.42 as an expense in the Profit and Loss account, for the quarter and year ended March 31, 2022 respectively and the balance unamortised liability of ₹489.67 has been carried forward. If the unamortised liability had been fully recognised in the Profit & Loss account by the Bank, the Net Profit (after tax) for the quarter and year ended March 31, 2022 would have been lower by ₹318.56.

(j) In accordance with RBI circular no.DBRNo. BP.BC.18/21.04.048/2018-19 dated January 1, 2019, on “Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector – Restructuring of Advances”, as amended from time to time, the details of MSME restructured accounts as on March 31, 2022 is as under:

No. of accounts restructured	Amount
64,725	1,761.85

(k) Disclosure of Letters of Comfort (LoCs) issued by bank for Subsidiaries (As compiled by the management):

During the year 2020-21, the bank has not issued any Letter of Comforts on behalf of Subsidiaries.

During the year 2010-11, the bank had issued parental guarantee in favour of Royal Bank of New Zealand Ltd., for its wholly owned subsidiary, BOI (New Zealand) Ltd. to meet its financial obligations, if they fall due.

As on 31.03.2022, no financial obligations have arisen on the above commitments.

(l) Income Tax:

(a) Claims against the Bank not acknowledged as debt under contingent liabilities (Schedule 12) include disputed income tax/interest tax liabilities of ₹529.03 (previous year ₹1,186.47) for which no provision is considered necessary based on various judicial decisions in respect of past assessments on such disputes. Payments/adjustments against the said disputed dues are included under Other Assets (Schedule 11).

(b) Provision for taxes has been arrived at after due consideration of the provisions of the applicable tax laws and relevant judicial decisions on certain disputed issues.

(m) वर्ष 2021-21 के लिए रिवार्ड पॉइंट का मूवमेंट : Movement of Reward Points for 2021-22:

(यूनिट में) (in Units)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	डेबिट कार्ड पर रिवार्ड प्वाइंट Reward points on Debit Card	क्रेडिट कार्ड पर रिवार्ड प्वाइंट Reward points on Credit Card	कुल Total
1	प्रारंभिक शेष Opening Balance	3,96,13,36,176	34,96,12,812	4,31,09,48,988
		(3,82,10,64,037)	(31,39,34,925)	(4,13,49,98,962)
2	जोडें : ग्राहकों द्वारा वर्ष के दौरान अर्जित किए गए रिवार्ड प्वाइंट Add: Reward points accrued during the Year by Customers	2,76,14,72,516	16,83,12,689	2,92,97,85,205
		(1,25,36,90,259)	(13,89,06,561)	(1,39,25,96,820)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	डेबिट कार्ड पर रिवार्ड प्वाइंट Reward points on Debit Card	क्रेडिट कार्ड पर रिवार्ड प्वाइंट Reward points on Credit Card	कुल Total
3	घटाएं : रिवार्ड प्वाइंट जिनका ग्राहकों द्वारा लाभ उठाया गया Less: Reward Points availed by customers	30,14,39,811 (18,86,23,058)	6,61,69,723 (5,36,79,158)	36,76,09,534 (24,23,02,216)
4	घटाएं : रिवार्ड प्वाइंट जिनकी समय सीमा समाप्त (विव 2020-21) Less: Reward Points Expired (FY 2020-21)	1,58,75,24,242 (92,47,95,062)	10,57,03,140 (4,95,49,517)	1,69,32,27,382 (97,43,44,579)
5	अंतिम शेष Closing Balance	4,83,38,44,639 (3,96,13,36,176)	34,60,52,638 (34,96,12,811)	5,17,98,97,277 (4,31,09,48,987)

(n) बैंक के पास 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए निवेशकों की शिकायतों की संख्या का विवरण है: शुरुआत में लंबित: शून्य; प्राप्त: 2; निपटारा: 2 और अंत में लंबित: शून्य।

(o) बैंक की अनुमोदित पुनर्मूल्यांकन नीति के अनुसार, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, अचल संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन बैंक के अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं की पुनर्मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है और पुनर्मूल्यांकन राशि से उत्पन्न होने वाले शुद्ध अधिशेष ₹667.71 को "पुनर्मूल्यांकन रिजर्व" में जोड़ा गया है।

(p) बैंक के पास एक विशेष खाते में 100% प्रावधान था, जिसकी वसूली किसी अन्य पीएसयू बैंक के साथ विवाद में है। खाते को धोखाधड़ी के रूप में आरबीआई को सूचित किया गया है। आरबीआई ने दिनांक 13 अप्रैल 2020 के अपने पत्रव्यवहार संदर्भ सं. डीओएस.सीओ.एसएसएम (बीओआई)/6557/13.37.007/2019-20 के माध्यम से बैंक को कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए विवादित राशि के 50% के प्रावधान को निरंतर आधार पर बनाए रखने की अनुमति प्रदान की है। तदनुसार, बैंक उक्त विवादित राशि के लिए ₹145.82 (बकाया राशि का 50% होने के नाते) का प्रावधान रखता है।

(q) आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों को ₹8,109.09 के बुक वैल्यू के साथ और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों को ₹7,495.41 के बुक वैल्यू के साथ एचटीएम से एएफएस श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया है। इसके अलावा, बैंक ने ₹80.84 के स्थानांतरण हानि के प्रावधान के बाद एएफएस से एचटीएम श्रेणी में केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों को ₹2,640.87 के बुक वैल्यू के साथ स्थानांतरित कर दिया है। ₹12.53 की राशि के वेंचर कैपिटल फंड को एचटीएम से एएफएस श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया गया है।

(r) 31 मार्च, 2022 तक आरबीआई द्वारा संदर्भित एनसीएलटी खातों (सूची 1 और 2) के संबंध में, बैंक के पास ₹3,533.75 के बकाया मूल्य का 100% प्रावधान है।

(s) दिनांक 05 मई 2021 के आरबीआई के परिपत्र संख्या डीओआर.एसटीआर.आरईसी.12/21.04.048/2021-22 एवं दिनांक 04 जून के आरबीआई परिपत्र संख्या डीओआर.एसटीआर.आरईसी.21/21.04.048/2021-22 के अनुसार, 2021 के समाधान फ्रेमवर्क 2.0 पर - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कोविड-19 संबंधित दबाव का समाधान, पुनर्गठित खातों का विवरण निम्नानुसार है:

(खातों की संख्या को छोड़कर ₹करोड़ में)

खातों की संख्या	31.03.2022 तक राशि	प्रावधान धारित
1,20,443	3,433.04	343.30

(t) "रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क- 2.0: व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के कोविड-19 संबंधित तनाव का समाधान" पर 5 मई, 2021 के आरबीआई परिपत्र संख्या

(n) The Bank has Details of Number of Investors complaints for the year ended March 31, 2022: Pending at Beginning: Nil; Received: 2; Disposed off: 2 and Pending at the end: Nil.

(o) In terms of Bank's approved revaluation policy, during the year ended March 31, 2022 the immovable properties are revalued based on the revaluation reports of Bank's approved valuers and the net surplus arising from revaluation amounts to ₹667.71 has been added to "Revaluation Reserve".

(p) Bank was holding 100% provision in a particular account, recovery of which is under dispute with another PSU Bank. The account has been reported as fraud to RBI. RBI vide its communication ref. no. DoS. Co. SSM (BOI)/6557/13.37.007/2019-20 dated April 13, 2020 permitted the Bank to maintain provision of 50% of the disputed amount on an ongoing basis subject to certain conditions. Accordingly, the Bank holds provision of ₹145.82 (being 50% of the outstanding amount) for the said disputed amount.

(q) In accordance with the RBI guidelines, during the year ended March 31, 2022, Bank has shifted Central Government securities with a book value of ₹8,109.09 and State Government securities with a book value of ₹7,495.41 from HTM to AFS category. Further, Bank has shifted from AFS to HTM category, Central Government securities with a book value of ₹2,640.87 after providing for shifting loss of ₹80.84. Venture Capital Fund for an amount of ₹12.53 has been shifted from HTM to AFS category.

(r) In respect of RBI referred NCLT accounts (List 1 & 2) as on March 31, 2022, Bank holds 100% provision of the outstanding value of ₹3,533.75.

(s) In accordance with RBI circular No. DOR.STR.REC.12/21.04.048/2021-22 dated May 5, 2021 & RBI Circular No. DOR.STR.REC.21/21.04.048/2021-22 dated June 4, 2021 on Resolution Framework 2.0 –Resolution of COVID-19 related stress of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), the details of accounts restructured is as under:

(₹in Crore except number of accounts)

No. of Accounts	Amount as on 31.03.2022	Provision Held
1,20,443	3,433.04	343.30

(t) In accordance with RBI Circular No. DOR.STR.REC.11/21.04.048/2021-22 dated May 5, 2021 on "Resolution Framework- 2.0: Resolution of COVID-19

डीओआर.एसटीआर.आरईसी.11/21.04.048/2021-22 के अनुसार, उन उधारकर्ता खातों की संख्या जिनमें संशोधन स्वीकृत और कार्यान्वित किए गए थे और ऐसे उधारकर्ताओं का कुल एक्सपोजर निम्नानुसार है:

पुनर्रचित खातों की संख्या	31.03.2022 को कुल एक्सपोजर (₹ करोड़ में)
28,815	670.99

(u) दिनांक 5 मई, 2021 के आरबीआई की अधिसूचना आरबीआई/2021-22/28 डीओआर.एसटीआर.आरईसी. 10/21.04.048/2021-22 के अनुसार, बैंकों को उनके द्वारा धारित फ्लोटिंग प्रावधानों/काउंटर साइक्लिकल प्रोविजनिंग बफर के 100 प्रतिशत का उपयोग करने की अनुमति है। 31 दिसंबर, 2020 को अपने संबंधित बोर्ड के अनुमोदन से गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के लिए विशिष्ट प्रावधान करने के लिए बैंक ने अपने निदेशक मंडल से अपेक्षित पूर्वानुमोदन प्राप्त कर लिया है और 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के दौरान गैर-निष्पादित आस्तियों के लिए विशिष्ट प्रावधान की आवश्यकता के विरुद्ध ₹232.22 राशि के अस्थायी प्रावधान का उपयोग किया है ।

(v) बैंक ने मौजूदा सीबीएस प्रणाली को "फिनेकल 7" से सीबीएस के एक उन्नत संस्करण यानी "फिनेकल 10" में स्थानांतरित कर दिया है। बैंक वित्तीय विवरणों पर इस तरह के स्थानांतरण के कारण किसी भी भौतिक प्रभाव की अपेक्षा नहीं करता है।

(w) कोविड 19 प्रभाव का प्रभाव:

कोविड-19 के प्रभाव, जिसमें ग्राहक व्यवहार और महामारी की आशंकाओं में बदलाव, साथ ही व्यापार और व्यक्तिगत गतिविधियों पर प्रतिबंध शामिल हैं, ने वैश्विक और भारतीय वित्तीय बाजारों में महत्वपूर्ण अस्थिरता और वैश्विक और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों में उल्लेखनीय कमी आई है। प्रकोप के बाद व्यवधान, ऋण की उत्पत्ति और संग्रह प्रयासों में दक्षता प्रभावित हुई जिसके परिणामस्वरूप ग्राहक चूक की संख्या में वृद्धि हुई और इसके परिणामस्वरूप प्रावधानों में वृद्धि हुई। भारत कोविड-19 महामारी से उभर रहा है। कोविड-19 की कोई भी नई लहर बैंक के संचालन और वित्तीय परिणामों को किस हद तक प्रभावित करेगी, यह चल रहे और साथ ही भविष्य के विकास पर निर्भर करेगा, जिसमें अन्य बातों के अलावा, कोविड-19 महामारी की गंभीरता से संबंधित कोई भी नई जानकारी,तथा कोई भी इसके प्रसार को रोकने या इसके प्रभाव को कम करने के लिए कार्रवाई चाहे सरकार द्वारा अनिवार्य हो या हमारे द्वारा चुनी गई हो।

(x) अन्य आय में कमीशन और ब्रोकरेज आय, संपत्ति की बिक्री पर लाभ/हानि, निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/हानि (निवल) (निवेश प्रदर्शन पर मूल्यह्रास सहित), विदेशी मुद्रा और डेरिवेटिव लेनदेन से आय, पहले से बट्टे खाते में डाले गए खातों से वसूली, लाभांश आय, आदि

(y) निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अपेक्षित अनुमोदन के अधीन ₹2.00 प्रति इक्विटी शेयर (20%) के लाभांश की सिफारिश की है।

(z) सहायक खाताबही खातों का संतुलन, विदेशी शाखाओं के साथ शेष राशि की पुष्टि/समाधान, अंतर-कार्यालय खाते, नोस्ट्रो खाते, उचंत, देय ड्राफ्ट, समाशोधन अंतर, अन्य कार्यालय खाते आदि निरंतर आधार पर प्रगति पर हैं। प्रबंधन की राय में, वित्तीय विवरणों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई हो, लंबित अंतिम मंजूरी/उपरोक्त के समायोजन के महत्वपूर्ण होने की संभावना नहीं है।

related stress of Individuals and Small Businesses", the number of borrower accounts where modification were sanctioned and implemented and the aggregate exposure to such borrowers are as under:

No. of accounts restructured	Aggregate Exposure as on 31.03.2022 (₹ in Crore)
28,815	670.99

(u) As per RBI notification RBI/2021-22/28 DOR.STR.REC.10/21.04.048/2021-22 dated May 5, 2021, Banks are permitted to utilize 100 percent of Floating Provisions/ Counter Cyclical Provisioning Buffer held by them on December 31, 2020 for making specific provisions for non-performing assets with the approval of their respective Boards. The Bank has obtained requisite prior approval from its Board of Directors and has utilized floating provision amounting to ₹232.22 against the requirement for specific provision for non-performing assets during the quarter and year ended March 31, 2022.]

(v) The Bank has migrated the existing CBS system from "Finacle 7" to an improved version of CBS i.e. "Finacle 10". The Bank does not expect any material impact on account of such migration on the financial statements.

(w) Impact of Covid 19 impact:

The impact of COVID-19, including changes in customer behaviour and pandemic fears, as well as restrictions on business and individual activities, has led to significant volatility in global and Indian financial markets and a significant decrease in global and local economic activities. The disruptions following the outbreak, impacted loan originations and the efficiency in collection efforts resulting in increase in the number of customer defaults and consequently an increase in provisions there against. India is emerging from the COVID-19 pandemic. The extent to which any new wave of COVID-19 will impact the Bank's operations and financial results will depend on ongoing as well as future developments, including, among other things, any new information concerning the severity of the COVID-19 pandemic, and any action to contain its spread or mitigate its impact whether government- mandated or elected by us.

(x) Other Income includes commission and brokerage income, profit/loss on sale of assets, profit/loss on revaluation of investments (net) (including depreciation on performing investments), earnings from foreign exchange and derivative transactions, recoveries from accounts previously written off, dividend income, etc.

(y) The Board of Directors has recommended a dividend of ₹2.00 per equity share (20%) for the year ended March 31, 2022 subject to requisite approvals.

(z) Balancing of Subsidiary Ledger Accounts, confirmation/ reconciliation of balances with foreign branches, Inter-office accounts, NOSTRO Accounts, Suspense, Draft Payable, Clearing Difference, other office accounts, etc. is in progress on an on-going basis. In the opinion of the management, the overall impact on the financial statements, if any, of pending final clearance/adjustment of the above, is not likely to be significant.

लेखांकन मानकों (एएस) के अनुसार अपेक्षित प्रकटन :

6.1 **लेखांकन मानक - 5 अवधि के लिए निवल लाभ/हानि, पूर्व अवधि मदें एवं लेखांकन नीतियों में परिवर्तन :**

(ग) **पूर्व अवधि मद :**

वर्ष के दौरान, कोई महत्वपूर्ण पूर्व अवधि आय/व्यय मद नहीं थे।

(गग) **लेखांकन नीति में परिवर्तन :**

31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष के दौरान अपनाई जाने वाली महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो की 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में आरबीआई द्वारा अनुमत शेयर प्रीमियम खाते में डेबिट किए गए शेयर निर्गम व्यय को छोड़कर है, जिसको पहले लाभ और हानि खाते मे चार्ज किया जाता था। लेखांकन नीति में परिवर्तन के परिमाणस्वरूप 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ में ₹18.22 करोड़ की वृद्धि हुई है।

6.2 **लेखांकन मानक 9 - राजस्व निर्धारण**

लेखांकन नीति की अनुसूची 17 के पैरा सं. 3 मुख्य लेखांकन नीतियों के अनुसार आय की कुछ मदों को वसूली के पश्चात स्वीकार किया जाता है। तथापि उक्त आय को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है।

Disclosure requirements as per Accounting Standards (AS):

6.1 **Accounting Standard – 5 Net Profit / loss for the period, Prior Period Items and changes in accounting policies:**

(i) **Prior Period Items:**

During the year, there were no material prior period income / expenditure items.

(ii) **Change in accounting policy:**

There is no change in the Significant Accounting Policies followed during the quarter and year ended March 31, 2022 as compared to those followed in the previous financial year ended March 31, 2021 except for share issue expenses debited to Share premium account as permitted by RBI, which were earlier charged to Profit and Loss account. The change in accounting policy has resulted in increase in profit before tax by ₹18.22 for the year ended March 31, 2022.

6.2 **Accounting Standard 9 – Revenue recognition**

Certain items of income are recognised on realisation basis as per Accounting Policy para 3 of Schedule 17: Significant Accounting Policies. However, the said income is not considered to be material.

6.3 **लेखांकन मानक 15 - कर्मचारी लाभ : Accounting Standard 15 – Employee Benefits:**

क्रं. सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	वित्व 2021-2022 FY 2021-2022		वित्व 2020-2021 FY 2020-2021	
			ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension
(i)	**प्रयुक्त प्रमुख बीमांकिक संभाव्यताएं :**	**Principal actuarial assumptions used :**				
	छूट की दर	Discount Rate	7.37%	6.84%	6.96%	6.49%
	योजनागत आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर	Rate of Return on Plan Assets	6.42%	8.21%	8.04%	10.85%
	वेतन वृद्धि दर	Salary Escalation Rate	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
	मौजूदा संघर्षण दर	Attrition Rate Current	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
(ii)	**बाध्यता परिवर्तन का वर्तमान मूल्य दिखाने वाली तालिका :**	**Table showing change Present value of obligation :**				
	वर्ष की शुरुआत में देयता	Liability at the beginning of the year	1,935.32	16,837.05	1,747.81	16,065.92
	ब्याज लागत	Interest Cost	121.82	775.14	108.69	989.13
	वर्तमान सेवा लागत	Current Service Cost	99.24	946.18	166.37	873.16
	भुगतान किया गया लाभ	Benefit Paid	369.98	1,824.62	372.36	1,650.19
	बीमांकिक (लाभ)/बाध्यता पर हानि	Actuarial (gain)/loss on Obligation	112.11	1,155.78	284.81	559.03
	वर्ष के अंत में देयता	Liability at the end of the year	1,898.52	17,889.53	1,935.32	16,837.05
	अज्ञात पिछली सेवा लागत	Unrecognised past service cost	-	489.67	-	-
	कुल परिभाषित लाभ दायित्व	**Total Defined Benefit obligation**	**1,898.52**	**18,379.20**	**1,935.32**	**16,837.05**
(iii)	**योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य की तालिका :**	**Table of Fair value of Plan Assets :**				
	वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	1,930.62	16,531.02	1,649.47	15,827.60
	योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	Expected return on Plan Assets	119.13	1,356.20	132.62	1,717.29
	योगदान	Contributions	219.86	1,800.30	444.70	903.63
	भुगतान किया गया लाभ	Benefit Paid	369.98	1,824.62	372.36	1,650.19
	योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	(12.31)	(258.26)	76.19	(267.31)

क्रं. सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	वित्त 2021-2022 FY 2021-2022		वित्त 2020-2021 FY 2020-2021	
			ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension
	वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1,887.32	17,604.64	1,930.62	16,531.02
	कुल बीमांकिक लाभ/(हानि) जोकि मान्य होगा	**Total Actuarial Gain/(Loss) to be recognised**	**(124.42)**	**(1,414.03)**	**(208.62)**	**(826.34)**
(iv)	**योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ :**	**Actual return on Plan Assets :**				
	योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	Expected Return on Plan Assets	119.13	1,356.20	132.62	1,717.29
	योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	(12.31)	(258.26)	76.19	(267.31)
	योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ :	**Actual return on Plan Assets**	**106.82**	**1,097.94**	**208.81**	**1,449.98**
(v)	**तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशि:**	**Amount recognised in the Balance Sheet :**				
	वर्ष के अंत में देयता	Liability at the end of the year	1,898.52	18,379.20	1,935.32	16,837.05
	वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1,887.32	17,604.64	1,930.62	16,531.02
	अज्ञात पिछली सेवा लागत	Unrecognised past service cost	-	489.67	-	-
	तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशि	**Amount Recognised in the Balance Sheet**	**11.20**	**284.88**	**4.70**	**306.03**
(vi)	**आय-विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय:**	**Expenses recognised in the Income-Statement :**				
	वर्तमान सेवा लागत	CurrentService Cost	99.24	946.18	166.37	873.16
	ब्याज लागत	Interest Cost	121.82	775.14	108.69	989.13
	योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	Expected Return on Plan Assets	(119.13)	(1,356.20)	(132.62)	(1,717.29)
	पूर्व वर्षों से संबंधित व्यय जो मान्य हुए	Expenses recognized relating to prior years	-	-	-	-
	बीमांकिक (लाभ) या हानि	Actuarial (Gain) or Loss	124.42	1,414.03	208.62	826.34
	पी एंड एल में मान्य व्यय	**Expense Recognised in P & L**	**226.35**	**1,779.15**	**351.06**	**971.34**
(vii)	**समाधानिकृत तुलन पत्र:**	**Balance Sheet Reconciliation :**				
	निवल प्रारम्भिक देयताएं (तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त अंतिम अवधि की शुद्ध राशि)	Opening Net Liability(Last period's net amount recognized in the balance sheet)	4.70	306.03	98.34	238.32
	उपरोक्त उल्लेखित व्यय	Expenses as above	226.35	1,779.15	351.06	971.34
	नियोक्ता का अंशदान	Employer's Contribution	(219.86)	(1,800.30)	(444.70)	(903.63)
	तुलन पत्र में मान्य प्राप्त राशि	**Amount Recognised in Balance Sheet**	**11.20**	**284.88**	**4.70**	**306.03**
(viii)	**आस्तियों की श्रेणी** :**	**Category of Assets** :**				
	भारत सरकार की प्रतिभूतियां	Government of India Securities	71.50	2,288.50	73.81	2,198.78
	हिस्सेदारी	Equity	0.00	551.87	0.00	316.89
	कॉर्पोरेट बॉन्ड	Corporate Bonds	120.61	5,422.74	134.42	5,184.24
	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	State Government Securities	130.70	2,858.58	248.27	5,363.35
	अन्य	Other	1,564.51	6,482.95	1,474.12	3,467.76
	कुल	**Total**	**1,887.32**	**17,604.64**	**1,930.62**	**16,531.02**
(ix)	**अनुभव समायोजन:**	**Experience Adjustment :**				
	योजनागत देयता (लाभ)/हानि पर	On Plan Liability (Gain)/Loss	152.27	1,092.69	315.39	791.71
	योजनागत आस्ति (हानि)/लाभ पर	On Plan Asset (Loss)/Gain	(42.37)	(694.35)	86.25	(620.28)

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी सुविधाएं* Other long term employee benefits*:

विवरण Particulars	31.03.2022		31.03.2021	
	देयता Liability	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान/(w/back) Provisions made/ (w/back) during the year	देयता Liability	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान/(w/back) Provisions made/ (w/back) during the year
छुट्टियों का नकदीकरण Leave Encashment	1,183.77	(-)99.81	1,283.57	437.52
अवकाश यात्रा रियायत Leave Travel Concession	62.41	0.18	62.23	0.14
पुनर्वास लाभ Resettlement Benefits	7.71	0.38	7.33	(-)0.54
प्रमुख उपलब्धियां Milestone Awards	4.56	0.04	4.52	0.03
बीमारी के लिए अवकाश ** Sick Leave**	3.00	0.00	3.00	0.00

* अन्य दीर्घकालिक लाभों के लिए बीमांकिक धारणाएं वही हैं जो ग्रेच्युटी के लिए उपयोग की जाती हैं।

बैंक ने कर्मचारी भविष्य निधि/परिभाषित अंशदान योजना में योगदान को व्यय के रूप में मान्यता दी है। वर्ष के दौरान बैंक ने रु. 364.15 करोड़ (पिछले वर्ष 229.26 करोड़ रुपये) ऐसे फंड के लिए जो एक परिभाषित योगदान योजना है।

** बैंक बीमार अवकाश के संबंध में कर्मचारी लाभ (एएस-15) - (संशोधित 2005) के कार्यान्वयन पर मार्गदर्शन नोट के अनुरूप बीमार अवकाश की देयता को पहचानता रहा है, इस संबंध में देयता की संभावना के आधार पर मान्यता प्राप्त है कर्मचारियों द्वारा इस तरह के अवकाश का लाभ उठाना।

पेंशन के लिए बैलेंस शीट की तारीख के बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि के दौरान बैंक का योगदान अनुमान ₹2106.26 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1548.05 करोड़) और ग्रेच्युटी के लिए ₹45.69 करोड़ (पिछले वर्ष 331.98 करोड़ रुपये) है।

* The actuarial assumptions for other long term benefits are same which are used for Gratuity.

The bank has recognised contribution to employees' Provident Fund/Defined contribution scheme as an expense. During the year, the bank has contributed ₹364.15 (Previous Year ₹229.26) towards such fund which is a defined contribution plan.

** The bank has been recognising the liability of sick leave to full extent hitherto i.e. entire outstanding leave balance. In line with the Guidance Note on implementation of Employee Benefits (AS-15) - (revised 2005) in respect of Sick Leave, the liability in this regard is recognised based on probability of availing such leaves by employees.

The Bank's best estimate of contributions expected to be paid during the annual period beginning after the Balance sheet date, towards Pension is ₹2,106.26 (Previous Year ₹1,548.05) and towards Gratuity is ₹45.69 (Previous Year: ₹331.98).

योजना में अधिशेष/घाटा: Surplus /Deficit in the Plan:

	ग्रेच्युटी योजना Gratuity Plan				
विवरण Particular	वि.व. 2020-21 FY2021-22	वि.व. 2019-20 FY2020-21	वि.व. 2018-19 FY2019-20	वि.व. 2017-18 FY2018-19	वि.व. 2016-17 FY2017-18
परिभाषित लाभ देयता Defined benefit obligation	1,898.52	1,935.33	1,747.81	1,683.78	1,754.54
प्लान आस्तियां Plan assets	1,887.32	1,930.63	1,649.47	1,592.38	1,319.42
अनिर्धारित संक्रमणशील देयता Unrecognised Transitional liability	-	0.00	0.00	0.00	326.34
अधिशेष / (घाटा) Surplus/(deficit)	(11.20)	(-)4.70	98.34	91.40	108.78
प्लान देयता (लाभ)/हानि पर अनुभव समायोजन Experience Adjustment On Plan Liability (Gain)/Loss	152.27	315.39	(-)86.04	54.03	(-)22.79
प्लान आस्ति (लाभ)/हानि पर अनुभव समायोजन Experience Adjustment On Plan Asset (Loss)/ Gain	(42.37)	86.25	100.21	14.29	(-)4.76

	ग्रैच्युटी योजना Gratuity Plan				
विवरण Particular	वि.व. 2020-21 FY2021-22	वि.व. 2019-20 FY2020-21	वि.व. 2018-19 FY2019-20	वि.व. 2017-18 FY2018-19	वि.व. 2016-17 FY2017-18
परिभाषित लाभ देयता Defined benefit obligation	18,379.20	16,837.05	16,065.92	14,709.20	13,716.87
प्लान आस्तियां Plan assets	17,604.64	16,531.02	15,827.60	14,314.88	13,330.64
अनिर्धारित संक्रमणशील देयता Unrecognised Transitional liability	489.67	0.00	0.00	0.00	0.00
अधिशेष / (घाटा) Surplus/(deficit)	(284.88)	(-)306.03	(-)238.32	(-)394.32	(-)386.23
प्लान देयता (लाभ)/हानि पर अनुभव समायोजन Experience Adjustment On Plan Liability (Gain)/Loss	1,092.69	791.71	808.90	546.91	(-)66.62
प्लान आस्ति (लाभ)/हानि पर अनुभव समायोजन Experience Adjustment On Plan Asset (Loss)/Gain	(694.35)	(-)620.28	155.64	37.73	33.27

6.4 लेखांकन मानक 17 - खंड रिपोर्टिंग Accounting Standard 17 - Segment Reporting

भाग क : कारोबार खंड Part A: Business Segment

कारोबार खण्ड Business Segment	कोषागार परिचालन Treasury Operations		थोक बैंकिंग परिचालन Wholesale Banking Operations		खुदरा बैंकिंग परिचालन Retail Banking Operations		(ङ)अन्य बैंकिंग परिचालन (*)Other Banking Operations		कुल Total	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
राजस्व Revenue	15,606.42	17,158.41	14,372.71	15,531.21	15,716.53	15,100.47	0.00	0.00	45,695.66	47,790.09
गैर-आबंटित राजस्व Unallocated revenue	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	305.16	283.48
अंतर खंड राजस्व Inter segment revenue	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	46.26	32.64
कुल राजस्व Total Revenue	**XXXX**	**XXXX**	**XXXX**	**XXXX**	**XXXX**	**XXXX**	**XXXX**	**XXXX**	**45,954.56**	**48,040.93**
परिणाम Results	5,972.28	5,470.24	(-)2166.90	(-)1,466.93	2,945.16	(-)15.67	0.00	0.00	6,750.54	3,987.64
गैर-आबंटित व्यय Unallocated Expenses	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(-)1,183.79	(-)750.92
परिचालनात्मक लाभ/ (हानि) Operating Profit/(Loss)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5,566.75	3,236.72
आयकर Income Tax	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2,162.05	1,076.42
असाधारण लाभ/ (हानि) Extraordinary Profit/ (Loss)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
निवल लाभ/(हानि) Net Profit/(Loss)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3,404.70	2,160.30
अन्य जानकारी : Other Information :										
खंड आस्तियां Segment Assets	260,048.48	277,688.87	232,137.13	237,987.82	216,917.68	185,138.74	0.00	0.00	709,103.29	700,815.43
गैरआबंटित आस्तियां Unallocated Assets									25,510.72	25,041.02
कुल आस्तियां Total Assets	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	734,614.01	725,856.45
खंड देयताएं Segment Liabilities	246,522.16	266,000.92	259,957.50	254,595.41	166,631.03	151,080.44	0.00	0.00	673,110.69	671,676.77
गैर आबंटित देयताएं Unallocated Liabilities									6,372.08	5,494.09
कुल देयताएं Total Liabilities	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	679,482.77	677,170.86

(*) बैंक का कोई अर्थपूर्ण “अन्य बैंकिंग परिचालन” नहीं है। The Bank does not have any significant “Other Banking Operations”.

भाग ख : भौगोलिक खण्ड Part B: Geographical Segment

भौगोलिक खण्ड Geographical Segments	घरेलू Domestic		अंतर्राष्ट्रीय International		कुल Total	
विवरण Particulars	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
राजस्व Revenue	44,328.45	45,814.67	1,626.11	2,226.26	45,954.56	48,040.93
आस्तियां Assets	648,296.36	641,265.29	86,317.65	84,591.16	734,614.01	725,856.45

बैंक ने लेखांकन मानक (एएस) 17 के अनुपालन में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप प्राथमिक रिपोर्टिंग वाले खंडों और गौण खंड के रूप में भौगोलिक खंडों को मान्यता दी है।

प्राथमिक खंड : कारोबारी खंड

क) कोषागार परिचालन : खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य हेतु कोषागार में संपूर्ण निवेश संविभाग शामिल हैं जैसे सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियाँ, मुद्रा बाजार परिचालन तथा फॉरेक्स परिचालन में लेनदेन।

ख) थोक बैंकिंग : थोक बैंकिंग में वह सभी अग्रिम सम्मिलित हैं जो खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए गए हैं।

ग) खुदरा बैंकिंग : खुदरा बैंकिंग में वह निवेश सम्मिलित हैं जो निम्नलिखित दो मानदंडों को पूर्ण करते हैं :

i) एक्सपोजर : अधिकतम कुल एक्सपोजर रु. 5 तक।

ii) कुल वार्षिक टर्नओवर रु. 50 से कम अर्थात मौजूदा कम्पनियों के मामले में विगत तीन वर्षों का औसत टर्नओवर और नई कम्पनियों के लिए पूर्वानुमानित टर्नओवर है।

अंतर खण्डीय अंतरणों का मूल्य निर्धारण

खुदरा बैंकिंग खण्ड एक प्राथमिक स्रोत संग्रह इकाई है एवं थोक खण्ड और कोषागार खण्ड, खुदरा बैंकिंग खण्ड को उसके द्वारा उधार दी गई निधियों की पूर्ति जमाराशियों की औसत लागत को दृष्टिगत रखते हुए करते हैं।

लागत का विनियोजन :

क)- किसी खण्ड विशेष से प्रत्यक्षत: संबंधित व्ययों को संबंधित खण्ड में विनियोजित किया गया है।

ख)- जो व्यय किसी खण्ड विशेष से प्रत्यक्षत: संबंधित न हो उन्हें कर्मचारियों/संचालित कारोबार की संख्या के अनुपात में विनियोजित किया गया है।

गौण खण्ड : भौगोलिक खण्ड

क) स्वदेशी परिचालन

ख) अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

6.5. लेखांकन मानक 18 - संबंधित पक्ष से संव्यवहार : (प्रबंधन द्वारा संकलित तथा लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया।)

I) संबंधित पक्षकारों की सूची

(क) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक :

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ :	श्री अतनु कुमार दास
कार्यपालक निदेशक गण :	श्री पी. आर. राजगोपाल
	श्री स्वरूप दासगुप्ता
	श्री एम. कार्तिकेयन
	श्रीमती मोनिका कालिया

The Bank has recognised Business Segments as Primary reporting segment and Geographical Segments as Secondary segment in line with RBI guidelines in compliance with Accounting Standard 17.

Primary Segment: Business Segments

a) Treasury Operations: 'Treasury' for the purpose of Segment Reporting includes the entire investment portfolio i.e. dealing in Government and other Securities, Money Market Operations and Forex Operations.

b) Wholesale Banking: Wholesale Banking includes all advances which are not included under Retail Banking.

c) Retail Banking : Retail Banking includes exposures which fulfil following two criteria:

i) Exposure – The maximum aggregate exposure up to ₹5.

ii) The total annual turnover is less than ₹50 i.e. the average turnover of the last three years in case of existing entities and projected turnover in case of new entities.

Pricing of Inter-Segmental transfers

Retail Banking Segment is a Primary resource mobilising unit and Wholesale Segment and Treasury Segment compensates the Retail banking segment for funds lent by it to them taking into consideration the average cost of deposits incurred by it.

Allocation of Costs:

a) Expenses directly attributed to particular segment are allocated to the relative segment.

b) Expenses not directly attributable to specific segment are allocated in proportion to number of employees/business managed.

Secondary Segment: Geographical Segments

a) Domestic Operations

b) International Operations

6.5 Accounting Standard 18 - Related Party Transactions (As compiled by the management and relied upon by the Auditors):

I) List of Related Parties:

a. Key Managerial Personnel:

Managing Director & CEO:	Shri Atanu Kumar Das
Executive Directors:	Shri P R Rajagopal
	Shri Swarup Dasgupta
	Shri M. Karthikeyan
	Smt. Monika Kalia

(ख) अनुषंगियाँ :

i. बीओआई शेयरहोल्डिंग लिमिटेड

ii. बीओआई स्टार इनवेस्टमेंट मैनजर्स प्राइवेट लि. (पूर्व में बीओआई एएक्सए इनवेस्टमेंट मैनजर्स प्राइवेट लि.)

iii. बीओआई स्टार ट्रस्टी सर्विसेज् प्राइवेट लि. (पूर्व में बीओआई ट्रस्टी सर्विसेज् प्राइवेट लि.)

iv. बीओआई मर्चंट बैंकर्स लि.

v. पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके

vi. बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानियां) लि.

vii. बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि.

viii. बैंक ऑफ़ इंडिया (युगान्डा) लि.

(ग) सहायक कंपनियां :

i. एसटीसीआई फाइनैन्स लिमिटेड

ii. एएसआरईसी (इंडिया) लि.

iii. इंडो-जाम्बिया बैंक लि.

(घ) बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

i. मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक (पहले नर्मदा झबुआ ग्रामीण बैंक)

ii. विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक

iii. आर्यावर्त बैंक

(ड.) संयुक्त उद्यम

स्टार यूनियन दाई- ईची लाइफ इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड

b. Subsidiaries

i. BOI Shareholding Limited

ii. BOI Star Investment Managers Private Limited (erstwhile BOI AXA Investment Managers Private Limited)

iii. BOI Star Trustee Services Private Limited (erstwhile BOI AXA Trustee Services Private Limited)

iv. BOI Merchant Bankers Limited

v. PT Bank of India Indonesia Tbk

vi. Bank of India (Tanzania) Limited

vii. Bank of India (New Zealand) Limited

viii. Bank of India (Uganda) Limited

c. Associates

i. STCI Finance Limited

ii. ASREC (India) Limited

iii. Indo Zambia Bank Limited

d. Regional Rural Banks sponsored by the Bank

i. Madhya Pradesh Gramin Bank (erstwhile Narmada Jhabua Gramin Bank)

ii. Vidarbha Konkan Gramin Bank

iii. Aryavart Bank

e. Joint Venture:

Star Union Dai-Ichi Life Insurance Co. Limited

संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार (प्रबंधन द्वारा यथा संकलित और लेखा परीक्षकों द्वारा आश्वासित)

Transactions with Related Parties (As compiled by Management and relied upon by the Auditors)

विवरण Particulars	अनुषंगियाँ/ सहायक कंपनियां/ संयुक्त उद्यम With Subsidiaries/ Associates/Joint Ventures		प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदार Key Management Personnel & their relatives		कुल TOTAL	
	वर्षांत Year ended 31.03.2022	वर्षांत Year ended 31.03.2021	वर्षांत Year ended 31.03.2022	वर्षांत Year ended 31.03.2021	वर्षांत Year ended 31.03.2022	वर्षांत Year ended 31.03.2021
वर्ष के दौरान संव्यवहार Transactions during the period						
प्राप्त ब्याज Interest Received	-	-	-	-	-	-
प्रदत्त ब्याज Interest Paid	315.62	155.42	-	-	315.62	155.42
प्राप्त लाभांश Dividend received	8.38	3.98	-	-	8.38	3.98
अन्य आय Other Income	113.15	86.74	-	-	113.15	86.74
सरकारी प्रतिभूतियों/ट्रेज़री बिलों की बिक्री Sale of Govt. Securities/Treasury Bills	-	-	-	-	-	-
सरकारी प्रतिभूतियों/ट्रेज़री बिलों की खरीद Purchase of Govt. Securities/Treasury Bills	-	-	-	-	-	-
कार्पोरेट बॉन्ड और अन्य मौद्रिक बाजार लिखत की ख़ीद Puchase of Corporate Bonds and Other money market instruments	-	-	-	-	-	-
प्राप्त की गयी जमराशियां Deposits accepted	-	-	-	-	-	-
परिपक्व जमाराशियां Matured Deposits	-	-	-	-	-	-
दिये गए ऋण Loans Provided	-	-	-	-	-	-
चुकाए गए ऋण Loans Repaid	-	-	-	-	-	-
एनपीए की बिक्री Sale of NPA	-	-	-	-	-	-
किए गए निवेश Investments made	-	-	-	-	-	-
कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना (ईएसपीएस) के अंतर्गत जारी इक्विटी शेयर Equity shares issued under Employee's Stock Purchase Scheme (ESPS)	-	-	-	-	-	-
वर्ष के समाप्त में यथा बकाया Outstanding	As on 31.03.2022	As on 31.03.2021	As on 31.03.2022	As on 31.03.2021	As on 31.03.2022	As on 31.03.2021
देय Payable	-	-	-	-	-	-
जमाराशियां स्वीकार्य Deposits accepted	227.24	149.71	-	-	227.24	149.71
उधार Borrowing	-	-	-	-	-	-
दिये गए ऋण Loans given	10.00	-	-	-	10.00	-
जमाराशियों का नियोजन Placement of the Deposits	-	-	-	-	-	-
अन्य देयताएं Other Liabilities	-	4.01	-	-	-	4.01
प्राप्त राशियां (अग्रिम) Receivables (Advances)	-	-	-	-	-	-
निवेश Investments	122.59	122.59	-	-	122.59	122.59
गैर वित्तपोषित प्रतिबद्धता Non Funded Commitment	-	-	-	-	-	-
प्राप्त पट्टे पर/एचपी व्यवस्था Leasing / HP arrangements availed	-	-	-	-	-	-

विवरण Particulars	अनुषंगियाँ/ सहायक कंपनियां/ संयुक्त उद्यम With Subsidiaries/ Associates/Joint Ventures		प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदार Key Management Personnel & their relatives		कुल TOTAL	
	वर्षांत Year ended 31.03.2022	वर्षांत Year ended 31.03.2021	वर्षांत Year ended 31.03.2022	वर्षांत Year ended 31.03.2021	वर्षांत Year ended 31.03.2022	वर्षांत Year ended 31.03.2021
प्रदत्त पट्टे पर/एचपी व्यवस्था Leasing / HP arrangements provided	-	-	-	-	-	-
अचल संपत्तियों की खरीद Purchase of fixed assets	-	-	-	-	-	-
अंचल संपत्तियों की बिक्री Sale of fixed assets	-	-	-	-	-	-
अन्य अस्तियाँ Other Assets	13.14	8.06	-	-	13.14	8.06

पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगियों के साथ संव्यवहार और चूंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सरकार द्वारा नियंत्रित हैं उनके साथ संव्यवहारों का प्रकटन नहीं किया गया है क्योंकि संबंधित पार्टी प्रकटन के संबंध में आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक-18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार 'सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यमों' को अन्य संबद्ध पार्टियों, जो स्वयं 'सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यम' हैं, के साथ किए गए अपने संव्यवहारों का प्रकटन करने से छूट प्राप्त है। इसके अलावा लेखांकन मानक-18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार, बैंक-ग्राहक रिश्ते की प्रकृति स्वरूप संव्यवहारों, जिसमें महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों एवं उनके रिश्तेदारों के साथ संव्यवहार शामिल हैं, का प्रकटन नहीं किया गया है क्यों कि ऐसा प्रकटन गोपनीयता संबंधी बैंक के कर्तव्यों के प्रतिकूल होगा।

The transactions with wholly owned subsidiaries and regional rural banks being state controlled, have not been disclosed in view of Para 9 of AS - 18 on Related Party disclosure issued by ICAI exempting 'State Controlled Enterprises' from making any disclosure pertaining to their transactions with other related parties which are also 'State Controlled Enterprises'. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker – Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel, since the disclosure would conflict with Bank's duties of confidentiality.

6.6. लेखांकन मानक 19 - पट्टा वित्तपोषण : शून्य

6.7 लेखांकन मानक 20 - प्रति शेयर अर्जन (रुपयों में) :

क्र.सं.	विवरण	2021-22	2020-21
1	बेसिक ईपीएस	8.84	6.59
2	डाइल्यूटेड ईपीएस	8.84	6.59

मूलभूत एवं तनुकृत ईपीएस का परिकलन

6.6 Accounting Standard 19 – Lease Financing: - Nil

6.7 Accounting Standard 20 - Earnings per Share in ₹:

Sr. No.	Particulars	2021-22	2020-21
1.	Basic EPS	8.84	6.59
2.	Diluted EPS	8.84	6.59

Calculation of Basic & Diluted E.P.S.:

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	2021-22	2020-21
(क) (A)	वर्ष के लिए इक्विटी शेयाधारकों को प्राप्य निवल लाभ / (हानि) Net Profit/(Loss) for the year attributable to Equity Shareholders	3,404.70	2160.30
(ख) (B)	इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या (रु करोड़ में) Weighted Average Number of Equity shares (in crore)	385.28	327.69
(ग) (C)	मूलभूत प्रति शेयर आय (क/ख) (रु.) Basic Earnings per Share (A/B) (₹)	8.84	6.59
(घ) (D)	इक्विटी शेयरों की डायल्यूटिव क्षमता सहित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (करोड़ में) Weighted Average Number of Equity shares including dilutive potential equity shares (in crore)	410.36	327.81
(ड.) (E)	प्रतिशकयर डायल्यूटिव आय (क/ड.) (रु.) Dilutive Earnings per Share (A/E) (₹)	8.84	6.59
(च) (F)	प्रति शेयर नॉमिनल वैल्यू (रु.) Nominal Value per Share (₹)	10.00	10.00

6.8 लेखांकन मानक 22 - आय पर करों के लिए लेखांकन Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income

6.8.1 आस्थगित कर आस्तियां और आस्थगित कर देयताओं के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं :
The major components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31.03.2022	31.03.2021
	आस्थागित कर आस्तियां Deferred Tax Assets		
i)	संदेहास्पद कर्ज तथा अग्रिमों के संबंध में प्रावधान के निमित्त समय अन्तर के कारण On account of timing difference towards provision for doubtful debt and advances	9,788.61	14,139.07
ii)	अन्य प्रावधान/मदों के निमित्त समय अन्तर के कारण On account of timing difference towards other provisions/items	93.79	113.49
iii)	विदेशी मुद्रा अंतरण रिजर्व के कारण (एफसीटीआर) On account of Foreign Currency Translation Reserve (FCTR)	218.57	209.92
iv)	अन्य Others	564.71	449.96
	कुल आस्थगित कर आस्तियाँ Total Deferred Tax Assets	**10,665.68**	**14,912.44**
	आस्थगित कर देयता Deferred Tax Liabilities		
i)	स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास के कारण On account of Depreciation on fixed assets	154.77	279.12
ii)	उपचित ब्याज के कारण लेकिन निवेशों पर देय नहीं On account of interest accrued but not due on investments	887.51	943.32
iii)	आय कर अधिनियम 1961 की धारा 36(01)(viii) के कारण कटौती* On account of Deduction in respect of special reserve u/s 36(1)(viii) of the Income Tax Act 1961*	915.53	915.53
iv)	अन्य Others	0.48	3.85
	कुल आस्थगित कर देयताएं Total Deferred Tax Liabilities	**1958.29**	**2,141.82**
	निवल आस्थगित कर आस्तियां/(देयताएं) Net Deferred Tax Assets / (Liabilities)	**8,707.39**	**12,770.62**

*रू. 431.67 पुरानी आरक्षितियों में से और लाभ में से शेष *₹431.67 out of past reserves and balance out of profit

6.8.2 आय कर हेतु वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान

विवरण	2021-22	2020-21
मौजूदा कर	(-)1,901.16	138.31
आस्थगित कर	4063.22	938.10
कुल कर व्यय	2,162.05	1,076.41

भारत सरकार ने कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 बीएए को परिभाषित किया है। बैंक ने अधिनियम की धारा 115 बीएए के अंतर्गत उपलब्ध विकल्पों की समीक्षा की है तथा 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु आयकर अधिनियम के पूर्ववर्ती प्रावधानों के अनुसार आय पर कर निर्धारण को जारी रखने का विकल्प चुना है।

6.9 लेखांकन मानक 24 - परिचालन बंद करना:

भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप और वित्तीय वर्ष 2019-20 में विदेशी परिचालन के युक्तिकरण के लिए रणनीतिक पहल के एक भाग के रूप में वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, बैंक ने अपनी विदेशी अनुषंगी बैंक ऑफ इंडिया (बोत्स्वाना) लि. को बेच दी है, जिसके लिए रु. 14.64 की राशि प्राप्त हुई। रु.19.18 के निवेश की बची हुई लागत का पूर्ण प्रावधान किया गया है।

6.10 लेखांकन मानक 27- संयुक्त उद्यमों में निवेश :

निवेशों में रु.75 (पिछले वर्ष रु.75) शामिल है जो निम्नलिखित संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों में बैंक-हित को दर्शाता है :-

क्र.सं.	कंपनी का नाम	राशि	निवास देश	होल्डिंग %
1	स्टार यूनियन दाई-ईची जीवन बीमा कंपनी लि.,	रु. 75	भारत	28.96%

6.8.2 Amount of Provisions made for Income-tax during the year

Particulars	2021-22	2020-21
Current Tax	(-)1,901.16	138.31
Deferred Tax	4063.22	938.10
Total Tax Expense	2,162.05	1,076.41

Government of India has pronounced section 115BAA of Income Tax Act 1961 through Taxation Laws (Amendment) Act, 2019. The Bank has evaluated the options available under section 115BAA of the Act and opted to continue to recognise the taxes on income for the year ended 31st March, 2022 as per the earlier provisions of Income-tax Act.

6.9 Accounting Standard 24 - Discontinuing Operations:

In consonance with the Government of India directives and as a part of strategic initiatives for rationalisation of overseas operations in FY 2019-20, the Bank has sold its overseas subsidiary i.e. Bank of India (Botswana Ltd. for a consideration of ₹14.64 and remaining cost of improvement of ₹19.18 has been fully provided.

6.10 Accounting Standard 27 – Investments in Joint Venture

Investments include ₹75 (Previous year ₹75) representing Bank's interest in the following jointly controlled entity:

Sr. No.	Name of the Company	Amount	Country of Residence	Holding %
1	Star Union Dai–Ichi Life Insurance Company Ltd.	75	India	28.96%

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों में समूह के निवेश से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्ययों की कुल राशि:

Aggregate amount of assets, liabilities, income and expenses related to the group's interest in jointly controlled entities:

विवरण Particulars	31.03.2022	31.03.2021
देयताएं Liabilities		
पूंजी एवं आरक्षितियां Capital & Reserves	213.22	208.63
जमाराशियां Deposits	-	-
उधार Borrowings	-	-
अन्य देयताएं एवं प्रावधान Other Liabilities & Provisions	4,211.15	3,390.38
कुल Total	**4,424.37**	**3,599.02**
आस्तियां Assets		
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष राशियां Cash and Balances with Reserve Bank of India	41.15	54.56
बैंकों में शेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Balances with Banks and Money at call and short notice	-	-
निवेश Investments	**4,206.16**	**3,386.41**
अग्रिम Advances	**4.90**	**3.74**
अचल आस्तियां Fixed Assets	**10.52**	**7.51**
अन्य आस्तियां Other Assets	**161.65**	**146.80**
कुल Total	4,424.37	3,599.02
पूंजीगत प्रतिबद्धताएं Capital Commitments	**-**	**-**
अन्य आकस्मिक देयताएं Other Contingent Liabilities	**31.56**	**27.13**
आय Income		
अर्जित ब्याज Interest Earned	**12.71**	**11.30**
अन्य आय Other Income	**76.62**	**50.56**
कुल Total	89.34	61.86
व्यय Expenditure		
व्यय किया गया ब्याज Interest Expended		**-**
परिचालन व्यय Operating Expenses	**89.37**	**37.77**
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies	**(6.63)**	**5.14**
कुल Total	82.73	42.91
लाभ / (हानि) Profit / (Loss)	**6.60**	**18.95**

6.11. परिसंपत्तियों की हानि (लेखांकन मानक 28) : रु. शून्य

6.12. "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां" (लेखांकन मानक 29)

क. आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधानों में उतार-चढ़ाव :

विवरण	विधिक मामले/आकस्मिकताएं*	
	2021-22	2020-21
प्रारंभिक शेष	100.91	99.19
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	2.67	11.01
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	42.56	9.29
अंतिम शेष	61.02	100.91
बहिर्गमन का समय/अनिश्चितताएं	समझौते/क्रिस्टलीकरण पर बहिर्गमन	

* अन्य के लिए प्रावधानों को छोड़कर

6.11 Impairment of Assets (Accounting Standard 28): ₹ Nil

6.12 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" (Accounting Standard 29)

A. Movement of Provisions for contingent liabilities:

Particulars	Legal cases/contingencies*	
	2021-22	2020-21
Opening Balance	100.91	99.19
Provided during the year	2.67	11.01
Amounts used during the year	42.56	9.29
Closing Balance	61.02	100.91
Timing of outflow/uncertainties	Outflow on settlement / Crystallization	

*Excluding provisions for others

ख आकस्मिक देयताएं

यथा उल्लिखित इस प्रकार की देयताएं, न्यायालय के निर्णय/ मध्यस्थता / न्यायालय के बाहर का समझौता, अपील का निपटान, मांगी गई राशि, संविदागत दायित्वों की शर्तें, संबंधित पक्षों द्वारा उठाई गई मांग एवं डिवॉल्वमेंट , जैसा भी मामला हो, पर क्रमश: निर्भर करता है। इन मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

7. पिछली अवधि के आंकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप आवश्यक समझे जाने पर पुनर्वर्गीकृत/पुनर्श्रेणीबद्ध किया गया है।

B. Contingent Liabilities:

Such liabilities are dependent upon, the outcome of court order/arbitration/out of court settlement, disposal of appeals and the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, as the case may be. No reimbursement is expected in such cases.

7. Figures of the previous period have been regrouped / reclassified, wherever considered necessary to conform to the current period's classification.

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति/बैंक ऑफ़ इंडिया का निदेशक मंडल

मत

1) हमने बैंक ऑफ़ इंडिया (**'बैंक'**) के एकल वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा की है। इसमें यथा 31 मार्च, 2022 को तुलन पत्र, संबंधित वर्ष के अंत में लाभ-हानि विवरणी तथा नकद प्रवाह की विवरणी तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों सहित एकल वित्तीय विवरणियों पर नोट्स एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल हैं जिसमें उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के विवरण शामिल हैं:

(i) हमारे द्वारा 20 घरेलू शाखाएं, ट्रेजरी शाखा तथा डिजिटल बैंकिंग विभाग, लेखापरीक्षित किये गये;

(ii) संबंधित सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा 3281 घरेलू शाखाएँ तथा प्रसंस्करण केन्द्र लेखा-परीक्षित किये गये और

(iii) संबंधित स्थानीय लेखापरीक्षकों द्वारा 21 विदेशी शाखाएँ लेखा-परीक्षित की गईं।

बैंक ने हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित एवं अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं का चयन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया है। तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरणी तथा नकदी प्रवाह विवरणी में उन 2070 घरेलू शाखाओं तथा 01 विदेशी शाखा की विवरणी भी शामिल है जिन्हें लेखापरीक्षित नहीं किया गया है। इन लेखापरीक्षित शाखाओं से 5.48% अग्रिम, 16.07% जमाराशियाँ, 4.58% ब्याज आय तथा 16.43%ब्याज व्यय सम्बन्धित है।

2) हमारे विचार से एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार पूर्वोक्त एकल वित्तीय विवरणियाँ, बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (संबंधितअधिनियम) के द्वारा जैसा आवश्यक है, उसके अनुरूप जानकारी देती हैं तथा यह भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप हैं और निम्नलिखित की उचित एवं सही स्थिति प्रस्तुत करती हैं:

क) यथा दिनांक 31 मार्च, 2022 को बैंक के तुलनपत्र एवं बैंक की परिस्थिति के संबंध में उचित एवं सही स्थिति,

ख) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ/हानि खाते के विवरण के संबंध में लाभ का वास्तविक शेष; और

ग) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी के संबंध में सही व उचित स्थिति।

मत का आधार

3) हमने अपनी लेखा-परीक्षा, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "लेखा-परीक्षा पर मानक" (एसए) के अनुसार की है। उक्त मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी को विस्तारपूर्वक हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा-परीक्षकों की जिम्मेदारी खण्ड में प्रतिपादित किया गया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता तथा उक्त "अधिनियम" के प्रावधानों के अंतर्गत एकल वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखा-परीक्षा के लिए जो प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाएं हैं, उसके अनुसार हम बैंक से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन आवश्यकताओं तथा नैतिक आचार संहिता के अनुसार अपनी सभी नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि बाद में प्रतिपादित "अन्य मामले" शीर्षक के अनुच्छेद में संदर्भित अन्य

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Report on Audit of the Standalone Financial Statements

To

The President of India / The Members of Bank of India

Opinion

1) We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of Bank of India ('the Bank'), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2022, the Statement of Profit and Loss and the Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to Standalone Financial Statements including Significant Accounting Policies and other explanatory information in which are included returns for the year ended on that date of:

(i) 20 Domestic branches, Treasury Branch and Digital Banking department audited by us;

(ii) 3281 domestic branches and processing centres audited by respective Statutory Branch Auditors and

(iii) 21 Foreign branches audited by respective local Auditors

The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also included in the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and Statement of Cash Flows are the returns from 2070 domestic branches and one foreign branch which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 5.48 % of advances, 16.07 % of deposits, 4.58 % of interest income and 16.43 % of interest expenses.

2) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Standalone Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 ("the Act") in the manner so required and are in conformity with the accounting principles generally accepted in India and give true and fair view:

a) In case of Balance Sheet, of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2022,

b) true balance of profit, in case of Profit & Loss account for the year ended on that date; and

c) true and fair view of the cash flows, in the case of Cash Flow Statement for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3) We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by The Institute of Chartered Accountants of India. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the Standalone Financial Statements under provision of the Act, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence obtained by us and audit evidences obtained by other

लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों की शर्तों के अनुसार, उनके द्वारा प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य तथा हमारे द्वारा प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य, लेखा-परीक्षा संबंधी मत का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामलों का प्रभाव

4) हम रु.612.09 करोड़ की राशि फैमिली पेंशन में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता के परिशोधन के संबंध में एकल वित्तीय विवरणी के नोट संख्या 14 (आई), अनुसूची 18 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। बैंक ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लिए रु.61.21 करोड़ तथा रु.122.42 करोड़ लाभ तथा हानि खाते से प्रभारित किया है तथा रु.489.67 करोड़ की शेष अपरिशोधित व्यय को आगे ले जाया गया है। इस मामले में हमारा मत परिवर्तित नहीं है।

महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले

5) मौजूदा अवधि के लिए वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा में महत्वपूर्ण लेखांकन मामले, वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है तथा उस पर विचार तैयार करने में हमने इन मामलों पर कार्रवाई की है तथा इन मामलों पर हम अलग से कुछ विचार नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित करने के लिए बैंक के महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामलों का निर्धारण किया है, जिनका विवरण निम्नलिखित है:

क्रम. संख्या	मुख्य लेखापरीक्षा मामले	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामलों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए पालन की जाने वाली लेखा-परीक्षा प्रक्रिया
1.	**भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अग्रिमों तथा निवेशों पर आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान संबंधी नियमों(आईआरएसी) का अनुपालन।** **अग्रिम :** बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/परिपत्रों तथा अनुदेशों के आधार पर खातों को अर्जक अग्रिम तथा अनर्जक अग्रिम के अंतर्गत वर्गीकृत करना है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी दिशा-निर्देश, बैंक द्वारा दी गयी सभी ऋण सुविधाओं के लिए हैं तथा इसका पालन अनिवार्य रूप से, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण के लिए किया जाना है। अर्जक तथा अनर्जक अग्रिमों का निर्धारण सिस्टम द्वारा होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा प्रयुक्त सॉफ्टवेयर वर्गीकरण के लिए खातों की पहचान करता है तथा प्रावधानीकरण करता है। यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी नियमों के अनुसार आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण ठीक प्रकार से नहीं किया जाता है तो यह बैंक की वित्तीय विवरणों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी नियमों/परिपत्रों तथा दिशा-निर्देशों तथा बैंक की पॉलिसी के आधार पर हमने अग्रिमों तथा निवेशों की लेखा-परीक्षा की है। हमने आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुपालन के सत्यापन के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन किया है। **अग्रिम:** हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल हैं: क) हमने शाखा के सांविधिक लेखापरीक्षकों को आईआरएसी नियमों तथा प्रक्रियाओं एवं बैंक के द्वारा स्वीकृत नीतियों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए सूचित किया है तथा हमने शाखा के सांविधिक लेखा-परीक्षकों को रिपोर्ट पर भरोसा किया है। ख) अग्रिमों के मामले में उससे संबंधित निर्धारण, वर्गीकरण तथा प्रावधान के लिए बैंक द्वारा सिस्टम में बनाए गये सत्यापन तथा लॉजिक एवं स्थापित नियंत्रण एवं आईटी प्रणाली को समझना। ग) नमूना आधार पर यह जाँच करना कि क्या भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक तथा अनर्जक के रूप में किया गया है तथा इसके संबंध में प्रावधान किये गये हैं।

auditors in terms of their reports referred to in "Other Matter" paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

4) We draw attention to Note No. 14(i) of Schedule 18 of the standalone financial statements, regarding amortization of additional liability on account of revision in family pension amounting to Rs. 612.09 Crores. The Bank has charged an amount of Rs. 61.21 Crores and Rs. 122.42 Crores to the profit and loss account for the quarter and year ended March 31, 2022 and balance unamortized expense of Rs. 489.67 Crores has been carried forward.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Key Audit Matters

5) Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters to be communicated in our report.

Sl. No.	Key Audit Matters	Audit Procedure followed to address the Key Audit Matters
	Compliance of Income Recognition, Asset Classification and Provisioning Norms on advances and investments as per guidelines issued by Reserve Bank of India (IRAC Norms) **Advances** Bank has to classify the accounts as performing advances or non performing advances based on the guidelines/circulars and directives issued by Reserve Bank of India. The guidelines issued by Reserve Bank of India is for all credit facilities given by the bank and is to be mandatorily followed for the purpose of Income Recognition, Asset Classification and Provisioning. Identification of performing and non performing advances is system driven. The software used by the bank identifies the accounts for classification and provisioning as per the guidelines issued by Reserve Bank of India. The Income recognition, asset classification and provisioning if not done properly as per the IRAC norms issued by Reserve Bank of India may materially impact the financial statements of the bank.	We have carried out the audit of the advances and investments based on the IRAC Norms/ Circulars and directives issued by Reserve Bank of India and the policy of the Bank. **Advances:** Our audit procedure included: a) Communication to the branch statutory auditors to verify the compliance of IRAC Norms and procedures and the policies adopted by the bank and reliance on the audit reports furnished by the branch statutory auditors. b) Understanding the IT system and controls put in place and logic and validations built in the system by the bank for identification, classification and provisioning in case of advances. c) Testing on sample basis whether the classification of advances as performing or non-performing and provisioning have been carried out as per the guidelines of Reserve Bank of India.

क्रम. संख्या	मुख्य लेखापरीक्षा मामले	मुख्य लेखापरीक्षा मामलों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए पालन की जाने वाली लेखापरीक्षा प्रक्रिया
	बैंक ने सॉफ्टवेयर के माध्यम से एनपीए खातों की पहचान तथा वर्गीकरण के लिए आईआरएसी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर को कार्यान्वित किया है। **निवेश :** भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा अनुदेशों/परिपत्रों के आधार पर बैंक को निवेशों को अर्जक तथा अनर्जक में वर्गीकृत करना है। निवेशों का अर्जक तथा अनर्जक के रूप में निर्धारण आम तौर पर सिस्टम से होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकन (वैल्यूएशन) किया जाता है तथा बीएससी/एनएससी, एफआईएमडीए/एफबीआईएल दर इत्यादि पर उद्धृत मूल्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी नियमों के अनुसार ठीक प्रकार से आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण नहीं किया जाता है तो वह बैंक के वित्तीय विवरण को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। बैंक की कुल आस्तियों में अग्रिम तथा निवेश, क्रमश: 57.29% तथा 23.75% है। चूँकि बैंक के व्यवसाय का बड़ा हिस्सा अग्रिम तथा निवेश है तथा इसमें विनियामकीय अनुपालन शामिल है, अत: हमने इस पक्ष को महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले के रूप में विचारित किया है।	घ) हमें आबंटित शाखाओं की, लेखा-परीक्षण के दौरान, हमने महत्वपूर्ण अग्रिमों के संबंध में पर्याप्त जाँच की है जिसमें विशेष रूप से उल्लिखित खाते (एसएमए) शामिल हैं तथा मूल्यांकन रिपोर्टों की जाँच के द्वारा प्रतिभूति संबंधी पक्षों को भी सत्यापित किया है। ङ) आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्टों, समवर्ती लेखा-परीक्षा रिपोर्टों, ऋण लेखा-परीक्षा, सिस्टम लेखा-परीक्षा तथा बैंक द्वारा की गयी विशेष लेखा-परीक्षा पर भी भरोसा किया गया है। च) आईआरएसी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का सिस्टम ऑडिट करने के लिए बैंक ने स्वतंत्र बाह्य एजेंसी नियुक्त की है। एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार सभी अवलोकनों का अनुपालन किया गया/किया जा रहा है। हमारे द्वारा इन पर भरोसा किया गया है। **निवेश:** हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल है: क) निवेश के मामले में उसकी पहचान, वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण, बैंक के द्वारा सिस्टम में स्थापित, लॉजिक तथा वैधीकरण एवं स्थापित नियंत्रण और आईटी प्रणाली को समझना। ख) नमूना आधार पर यह जाँच करना कि क्या निवेशों का मूल्यांकन तथा वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। ग) नमूना आधार पर यह भी सत्यापित किया गया कि क्या निवेशों के मूल्य में मूल्यह्रास के लिए उचित प्रावधान किया गया है तथा यह सुनिश्चित किया गया कि मूल्यह्रास का प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। घ) आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्टों, समवर्ती लेखा-परीक्षा रिपोर्टों तथा बैंक द्वारा की गयी सिस्टम लेखा-परीक्षा रिपोर्ट पर भी भरोसा किया गया है।

Sl. No.	Key Audit Matters	Audit Procedure followed to address the Key Audit Matters
	The bank has implemented IRAC Automation software for identification and classifying of NPA accounts through the software. **Investments :** Bank has to classify the investments as performing or non performing based on the guidelines/circulars and directives issued by Reserve Bank of India. Identification of performing and non performing investments is generally system driven. The valuation is done as per the guidelines issued by Reserve Bank of India and the valuations are done based on the price quoted on BSE/NSE, FIMDA / FBIL rates etc. The Income recognition, asset classification and provisioning if not done properly as per the IRAC norms issued by Reserve Bank of India may materially impact the financial statements of the bank. Advances and Investments constitute 57.29% and 23.75% respectively of total assets of the bank. As advances and investments form part of a major portion of the business of the bank and the regulatory compliances are involved, we have considered this aspect as Key Audit Matter.	d) Carrying out substantive test on major advances including Specially Mentioned Accounts (SMA) and also verification of security by checking the valuation reports in respect of the audit of branches conducted by us. e) Reliance on the internal audit reports, concurrent audit reports, credit audit, system audit and special audits conducted by the bank. f) The bank has appointed an independent external agency to carry out systems audit of IRAC Automation software. As per the report submitted by the agency, all observations are complied / being complied with and the same has been relied upon by us. **Investments:** Our audit procedure included: a) Understanding the IT system and controls put in place and logic and validations built in the system by the bank for identification, classification and provisioning in case of investments. b) Testing on sample basis whether the classification and valuation of investments is carried out as per the guidelines of Reserve Bank of India. c) Verification on sample basis whether proper provision for depreciation in the value of investments is made as per RBI guidelines. d) Reliance made on the internal audit reports, concurrent audit reports and system audit conducted by the bank.

क्रम. संख्या	मुख्य लेखापरीक्षा मामले	मुख्य लेखापरीक्षा मामलों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए पालन की जाने वाली लेखापरीक्षा प्रक्रिया
2.	**<u>अनिश्चित कर के मुकदमों तथा आकस्मिक दायित्वों का मूल्यांकन।</u>** टैक्स मुकदमों सहित बैंक अनेक मुकदमों में शामिल है। अप्रत्यक्ष करों के अंतर्गत, कुछ भुगतानों पर प्रतिवर्ती प्रभार प्रणाली (आर.सी.एम.) की प्रयोज्यता/इनपुट क्रेडिट की उपलब्धता संबंधी विवाद चल रहे हैं। परिणामों की अनिश्चितता के कारण यह एक प्रमुख लेखा परीक्षा का विषय है, जिसमें इन संभावित परिणामों के अनुमानों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल होते हैं।	हमारी लेखा-परीक्षा जांच में निम्नलिखित शामिल है: क) मुकदमों/कर मूल्यांकनों की वर्तमान स्थिति को समझना; हमने कर संबंधित मुकदमों व आकस्मिक देयताओं की वर्तमान स्थिति की जांच की है। ख) नवीनतम आदेश, विभिन्न कर प्राधिकारियों से प्राप्त संप्रेषण तथा दायर अपीलों की समीक्षा की है; ग) आवश्यकता होने पर विधि तथा कर परामर्शदाताओं पर भरोसा किया गया है।
3.	**<u>सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का मूल्यांकन:</u>** क. संव्यवहारों को रिकॉर्ड करने, आईआरएसी सहित आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में विभिन्न रिपोर्ट जनरेट करना, वित्तीय विवरणी तैयार करना तथा विनियामकों को अनुपालन की रिपोर्ट देना आदि में आईटी कंट्रोल, प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस प्रकार की रिपोर्टिंग कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर तथा अन्य सहायक सिस्टमों के प्रभावी रूप से कार्य करने पर बहुत अधिक निर्भर है। हमने इसे प्रमुख लेखा-परीक्षा का विषय माना है क्योंकि नियंत्रण में चूक, वैधता की विफलता, त्रुटिपूर्ण इनपुट डाटा तथा गलत डाटा निकालने के परिणामस्वरूप प्रबंधन तथा विनियामकों को डाटा की गलत रिपोर्टिंग हो सकती है। ख. बैंक मौजूदा सीबीएस सिस्टम के फिनैकल 7 से फिनैकल 10 में माइग्रेट कर गया है।	हमारी लेखा-परीक्षा जांच में निम्नलिखित शामिल है: क) सिस्टम के परिचालन की प्रभावशीलता को समझना तथा उसकी जांच करना। ख) विभिन्न श्रेणी के ग्राहकों के लिए बैंक द्वारा अपनाए गए कोडिंग सिस्टम को समझना। ग) सिस्टम में उपलब्ध विभिन्न वैधीकरण को समझना तथा उनकी जांच करना। घ) बैंक की विनियमों/नीति में किसी भी प्रकार के परिवर्तनों के लिए की उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं की जांच। ङ) डाटा निकालने के लिए प्रयुक्त लॉजिक को जांच। च) जनरेट हुई रिपोर्टों की नमूना आधार पर समीक्षा छ) बैंक के सिस्टम लेखापरीक्षा पर भरोसा किया गया है। बैंक ने बाह्य एजेंसी के माध्यम से ऑडिट माइग्रेशन किया है जिसने यह पुष्टि की है कि उन्होंने गो लाइव तथा पोस्ट माइग्रेशन में निर्धारित सीआरएम तथा कोर अवलोकन में अनुपालन गतिविधि को पूरा किया है। उन्होंने यह पुष्टि की है कि कोई मुक्त मद नहीं है तथा हमने उस पर भरोसा किया है। साथ ही प्रबंधन ने पुष्टि की है कि ऐसे माइग्रेशन के कारण कोई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव नहीं है।

Sl. No.	Key Audit Matters	Audit Procedure followed to address the Key Audit Matters
2	**<u>Evaluation of uncertain tax litigations and contingent liabilities</u>** The Bank has various litigations including tax litigations. The Bank has also disputes regarding availability of input credits/applicability of Reverse Charge Mechanism on certain payments under Indirect Tax. This is a key audit matter due to uncertainty of the outcome which involves significant judgment to determine the possible outcome of these disputes.	Our audit approach involved: a) Understanding the current status of the litigations/tax assessments; b) Review of the latest orders, communication received from various tax authorities and the appeals filed; c) Reliance on the opinion of legal and tax consultants, where available.
3	**<u>Assessment of Information Technology (IT):</u>** a. IT controls with respect to recording of transactions, generating various reports in compliance with RBI guidelines including IRAC norms, preparing financial statements and reporting of compliances to regulators etc. is an important part of the process. Such reporting is highly dependent on the effective working of Core Banking Software and other allied systems. We have considered this as key audit matter as any control lapses, validation failures, incorrect input data and wrong extraction of data may result in wrong reporting of data to the management and regulators. b. The Bank has migrated the existing CBS system from Finacle 7 to Finacle 10.	Our audit procedure includes:- a) Understanding and testing of operative effectiveness of the system. b) Understanding the coding system adopted by the bank for various categories of customers. c) Understanding and testing of different validations available in the system d) Checking the user requirements for any changes in the regulations/ policy of the bank e) Testing of logic used for extracting the data. f) On sample basis reviewing the reports generated. g) Reliance on the system audit report of the bank. The Bank has carried out migration audit through an external agency which has confirmed that they have completed the compliance activity for the CRM and Core observations identified in Go-Live and Post migration. They have also confirmed that there are no open items and we have relied on the same. Also, the management has confirmed that there is no material financial impact on account of such migration.

क्रम. संख्या	मुख्य लेखापरीक्षा मामले	मुख्य लेखापरीक्षा मामलों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए पालन की जाने वाली लेखापरीक्षा प्रक्रिया
4	**आस्थगित कर आस्तियों का अभिनिर्धारण:** बैंक की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुसार, जो कि एएस 22 आय पर करों का लेखांकन के अनुसार है तथा जिसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किया गया है, आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण व प्रसारण केवल उसी सीमा तक किया जाना चाहिए जहाँ यह उचित सुनिश्चितता हो कि इस प्रकार की आस्थगित कर आस्तियों पर उपलब्ध भावी कर योग्य पर्याप्त आय की उगाही की जा सकती है। हमने आस्थगित कर आस्तियों को महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले के रूप में पहचाना है क्योंकि इसमें इन आस्थगित कर आस्तियों की उगाही की संभावना के संबंध में प्रबंधन द्वारा निर्णय शामिल होते हैं जो, ऐसे निर्धारण के समर्थन में, भविष्य की अवधि में पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा या नहीं, इत्यादि अनेक कारकों पर आधारित होता है।	आस्थगित कर आस्तियों के निर्धारण के समर्थन में भविष्य के कर योग्य लाभों की पर्याप्तता पर प्रबंधन के मूल्यांकन का परीक्षण करना जैसे आस्थगित कर आस्ति के निर्धारण के लिए प्रयुक्त मान्यताएं तथा अन्य मानदण्ड।

वित्तीय विवरणों तथा उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अतिरिक्त जानकारी

6. अन्य जानकारी के लिए बैंक का निदेशक मण्डल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में प्रबंधन रिपोर्ट और अध्यक्ष के वक्तव्य में शामिल जानकारियाँ समाविष्ट है परंतु इसमें एकल वित्तीय विवरण और इस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है जिसके संबंध में यह आशा की जाती है कि इसे इस लेखा-परीक्षा के बाद हमें उपलब्ध कराया जायेगा।

एकल वित्तीय विवरणी पर हमारा मत, अन्य जानकारियों तथा बासेल III प्रकटन के अंतर्गत प्रकटनों को शामिल नहीं करता है तथा इस पर हम किसी प्रकार के आश्वासन एवं निष्कर्ष, व्यक्त नहीं करते हैं।

एकल वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखा-परीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी, अन्य जानकारियों का अध्ययन है तथा ऐसा करने में यह विचार करना कि क्या अन्य जानकारियाँ वित्तीय विवरणियों के साथ महत्वपूर्ण रूप से असंगत तो नहीं है या लेखा-परीक्षा या अन्यथा प्राप्त हमारा ज्ञान गंभीर रूप से गलत प्रस्तुत तो नहीं लग रहा है।

जब हम अन्य जानकारी का अध्ययन करते हैं तथा यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उसमें कोई गलत जानकारी है तो हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम प्रशासन के प्रभारी को उक्त मामले के विषय में बताएं तथा लागू कानूनों एवं विनियमों के अंतर्गत कार्रवाई निर्धारित करें।

एकल वित्तीय विवरणी के संबंध में प्रबंधन तथा जिन्हें प्रशासन का प्रभार दिया गया है, उसकी जिम्मेदारी

7. बैंक का निदेशक मण्डल, इन एकल वित्तीय विवरणियों की तैयारी के लिए जिम्मेदार है जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन तथा बैंक के नकदी प्रवाह की सही तथा उचित स्थिति प्रस्तुत करता है। उक्त विवरणी, भारतीय सनदी

Sl. No.	Key Audit Matters	Audit Procedure followed to address the Key Audit Matters
4	**Recognition of Deferred Tax Assets:** As per Significant Accounting Policy of the Bank, which is in accordance with AS 22 Accounting for Taxes on Income issued by The Institute of Chartered Accountants of India Deferred tax assets should be recognised and carried forward only to the extent that there is a reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realised. We identified the recognition of deferred tax assets as a key audit matter involves judgement by management as to the likelihood of the realization of these deferred tax assets, which is based on a number of factors including whether there will be sufficient taxable profits in future periods to support recognition.	Our audit procedure included evaluating management assessment on the sufficiency of the future taxable profits in support of the recognition of deferred tax assets such as assumptions and other parameters used for recognition of deferred tax asset.

Information Other than the Financial Statements and Auditors Report thereon

6) The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Management report and Chairman's Statement but does not include the Standalone Financial Statements and our Auditor's report thereon which is expected to be made available to us after the date of this Auditors' Report.

Our opinion on the Standalone Financial Statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosures under Basel III Disclosure and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the other information, if we conclude that there is material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and determine the actions under the applicable laws and regulations.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

7) The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Standalone Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank

लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों तथा बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 एवं समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी परिपत्रों तथा दिशा-निर्देशों के अनुसरण में हैं। इस जिम्मेदारी में, निम्नलिखित शामिल हैं - बैंक की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ियों व अन्य अनियमितताओं से बचने तथा धोखाधड़ियों का पता लगाने के लिए बनाए गए अधिनियम के प्रावधानों, उपयुक्त लेखांकन नीति का चयन तथा अनुप्रयोग; विवेकपूर्ण एवं तर्कसंगत अनुमान एवं आकलन करना और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा बनाना, लागू करना एवं उसे बनाए रखना, जिन्हें लेखांकन रिकार्डों की पूर्णता एवं सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालित किया जा रहा था, जो वित्तीय विवरणयों को तैयार करने एवं प्रस्तुतीकरण से संबंधित थे और जो वास्तविक एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गंभीर गलत विवरण से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने में, संबंधित निदेशक मंडल, बैंक की संस्थागत क्रियाशीलता की निरंतरता की क्षमता का मूल्यांकन, संस्था की निरंतरता से संबंधित मामलों का प्रकटन, जो भी लागू हो तथा लेखांकन में संस्था की निरंतरता के आधार का प्रयोग, जब तक कि बैंक का प्रबंधन बैंक का परिसमापन या परिचालन बंद न करना चाहते हों या ऐसे करने के अलावा और कोई व्यावहारिक विकल्प न हो, हेतु उत्तरदायी है। बैंक के निदेशक मंडल, बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

8. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि एकल वित्तीय विवरण समग्ररूप से धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गंभीर गलत विवरणों से मुक्त है, और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय भी शामिल है। तर्कसंगत आश्वासन, उच्च स्तर का आश्वासन है परंतु यह गारंटी नहीं है कि मानक लेखांकन (एसए) के अनुरूप की गई लेखा परीक्षा में हमेशा गलत विवरण, यदि कोई हो, का पता लगा लिया जाएगा। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से हो सकते हैं तथा उन्हें गंभीर माना जाएगा, यदि अलग-अलग या समग्र रूप से इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ता के आर्थिक निर्णय पर्याप्त रूप से प्रभावित होते हैं।

मानक लेखांकन (एसए) के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम लेखा-परीक्षा के दौरान पेशेवर आकलन करते हैं और पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं। इसके साथ ही हम:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिम, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, की पहचान एवं मूल्यांकन करते हैं, इन जोखिमों का ध्यान रखन वाली लेखा परीक्षा प्रक्रिया को तैयार एवं निष्पादित करते हैं और हमारी राय को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप दिए गए गंभीर गलत विवरणों की जांच न करने का जोखिम त्रुटिवश दिए गए गलत विवरण की अपेक्षा उच्चतर होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में षडयंत्र, जालसाजी, इरादतन की गई चूक, मिथ्या प्रस्तुति या आंतरिक कानून के विरुद्ध कार्य करना शामिल हो सकते हैं।

- वर्तमान परिस्थितियों में उचित लेखा-परीक्षा प्रक्रिया को तैयार करने के लिए लेखा-परीक्षा हेतु प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण को समझना।

- उपयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन के

in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Standalone Financial Statements, the Board of Directors are responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. The Board of Directors is also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

8) Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Standalone Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Standalone Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies

मूल्यांकन एवं प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटन के औचित्य का मूल्यांकन करना।

- संस्था की निरंतरता के आधार पर लेखांकन संबंधी, प्रबंधन के उपयोग को उपयुक्तता और प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा के साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसे मामलों या स्थितियों से संबंधित कोई अनिश्चितता है जो बैंक को संस्थागत निरंतरता को जारी रखने में महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करती है, यदि हम महत्वपूर्ण अनिश्चितता के मौजूद होने का निष्कर्ष निकालते हैं या उक्त प्रकटन हमारी राय को संशोधित करने में अपर्याप्त हो तो वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन हेतु हमें हमारे लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। हमारे निष्कर्ष, हमारे लेखा परीक्षा को रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखांकन साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाएँ या मामले बैंक को संस्थागत निरंतरता को रोकने के कारण हो सकते हैं।

- प्रकटन सहित एकल वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन और वित्तीय विवरण में अंतर्निहित संव्यवहारों और मामलों को उचित प्रकार प्रस्तुत करने के तरीके का मूल्यांकन।

हम अन्य मामलों के साथ-साथ लेखा परीक्षा की समय-सीमा एवं नियोजित स्वरूप एवं हमारी लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पहचानी गई महत्वपूर्ण कमियाँ सहित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों को प्रशासन प्रभारी को सूचित करते हैं।

हम प्रशासन के प्रभारी को इस विवरण के साथ यह भी सूचित करते हैं कि हम निष्पक्षता संबंधी सभी प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का तथा उनसे संपर्क करने के लिए सभी संबंधों एवं अन्य मामलों जो हमारी निष्पक्षता को प्रभावित कर सकते हैं, और संबंधित रक्षा उपायों जहाँ भी लागू है, का पालन करते हैं।

प्रशासन को सूचित, संबंधित मामलों से, हमने उन मामलों को निर्धारित किया है जो वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरण में लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण हैं और इसलिए प्रमुख लेखा संबंधी मामले हैं। इन मामलों को हम हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दर्शाते हैं, यदि कोई कानून या विनियम इस मामले के सार्वजनिक प्रकटीकरण को प्रतिबंधित न करे या जब हम यह तय करते हैं, बहुत ही कम परिस्थितियों में, कि इन्हें हमारी रिपोर्ट में व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जनहित लाभों से ज्यादा ऐसी सूचना के प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं।

अन्य मामले

9. बैंक की एकल वित्तीय विवरणी में शामिल 3302 शाखाओं तथा प्रसंस्करण केन्द्रों, (21 विदेशी शाखाओं सहित) की वित्तीय विवरणी/वित्तीय जानकारी की लेखा परीक्षा नहीं की है जिनकी वित्तीय विवरणी/वित्तीय जानकारी, यथा मार्च 31, 2022 को रु.3,03,497.48 करोड़ की कुल आस्तियां तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए रु.15,898.72 करोड़ के कुल राजस्व दर्शाते हैं जो एकल वित्तीय विवरणियों में विचारित हैं। इन शाखाओं तथा प्रसंस्करण केन्द्रों के वित्तीय विवरण/जानकारी की लेखापरीक्षा, शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिसकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है तथा हमारी राय, जो इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशि एवं प्रकटन के संदर्भ में है वह ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर पूर्णरूप से आधारित है।

इस मामले के संदर्भ में हमारी राय को संशोधित नहीं किया गया है।

used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Standalone Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matter

9) We did not audit the financial statements / financial information of 3302 branches and processing centres (including 21 foreign branches) included in the Standalone Financial Statements of the Bank whose financial statements/financial information reflects total assets of Rs. 3,03,497.48 crores at March 31, 2022 and total revenue of Rs 15,898.72 crores for the year ended on that date, as considered in the Standalone Financial Statements. The financial statements/ financial information of these branches and processing centres have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

10. तुलनपत्र और लाभ एवं हानि खाते को बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुरूप तैयार किया गया है।

11. उपर्युक्त अनुच्छेद 6 से 9 में दी गई लेखा परीक्षा संबंधी सीमाओं के अधीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/80 की अपेक्षाओं के अनुरूप और इसमें अपेक्षित प्रकटन की सीमाओं के अध्यधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   क. हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु आवश्यक सभी जानकारी और स्पष्टीकरणों को प्राप्त कर लिया है तथा वे संतोषजनक हैं;

   ख. हमारी जानकारी में आए हुए बैंक के लेन-देन बैंक के अधिकार क्षेत्र में हैं, और

   ग. बैंक के कार्यालयों तथा शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ, हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त रही हैं।

12. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

   क. संबंधित बहियों के हमारे परीक्षण से हमारी राय में, यह प्रतीत होता है कि विधि द्वारा यथा अपेक्षित लेखे की बहियाँ, बैंक द्वारा उचित रूप से रखी गई हैं और जिन शाखाओं एवं प्रसंस्करण केन्द्रों का हमने दौरा नहीं किया है, उनसे प्राप्त विवरणियां हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त हैं।

   ख. इस रिपोर्ट में प्रस्तुत तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण हमारे द्वारा निरीक्षण न की गई शाखाओं तथा प्रसंस्करण केन्द्रों से प्राप्त बही खातों और विवरणियों से मेल खाते हैं,

   ग. बैंकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 को धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित किए गए शाखा कार्यालयों के लेखों से संबंधित रिपोर्ट हमें प्रेषित की गई है तथा रिपोर्ट को तैयार करने में हमने उचित रूप से कार्रवाई की है, और

   घ. हमारी राय में, तुलनपत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, लागू लेखांकन मानकों का, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के अनुरूप होने की सीमा तक, अनुपालन करते हैं।

13) "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्त वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग बाध्यताएं" पर पत्र सं. डीओएस.एआरजी. सं. 6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 जिसे आरबीआई द्वारा जारी अनुवर्ती संप्रेषण दिनांक 19 मई, 2020 के साथ पढ़ा जाए, की अपेक्षानुसार, हम उपर्युक्त पत्र के अनुच्छेद 2 में विनिर्दिष्ट मामलों पर रिपोर्ट देते हैं, जो निम्नलिखित हैं:

   क. हमारी राय में, उपर्युक्त वित्तीय विवरणयां, आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानकों का पालन करती हैं, उस सीमा तक जहां तक वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखा नीतियों के साथ असंगत नहीं है।

   ख. ऐसे वित्तीय संव्यवहारों/मामलों पर कोई अवलोकन या टिप्पणी नहीं हैं,

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

10) The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

11) Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 6 & 9 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

   a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

   b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

   c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

12) We further report that:

   a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches and processing centres not visited by us;

   b) the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches and processing centres not visited by us;

   c) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

   d) In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by Reserve Bank of India.

13) As required by letter No. DOS.ARG. No.6270/08.91.001/2019- 20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks–Reporting obligations for SCAs from FY: 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

   a) In our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

   b) There are no observations or comments on financial

जिससे बैंक के कार्य निष्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

ग. यथा दिनांक 31 मार्च, 2022 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, बैंक के निदेशकों में से किसी को भी यथा दिनांक 31 मार्च, 2022 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने के अयोग्य नहीं बताया गया है।

घ. खातों के प्रबंधन और उनसे संबंधित अन्य मामलों के संदर्भ में कोई शर्त, शंका या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

14. आर.बी.आई के पत्र डीओएस.एआरजी.संख्या 6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, दिनांक 17 मार्च 2020 (यथा संशोधित) के द्वारा यथा आवश्यक, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा परिचालनात्मक प्रभावशीलता पर हमारी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुलग्नक ए में दी गई है। यथा 31 मार्च, 2022 को वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी रिपोर्ट अनाशोधित विचार व्यक्त करती है।

transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.

c) On the basis of the written representations received from the directors as on March 31, 2022, none of the directors is disqualified as on March 31, 2022 from being appointed as a director in terms of sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013.

d) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.

14) Our audit report on the adequacy and operating effectiveness of the Bank's internal financial controls over financial reporting as required by the RBI Letter DOS. ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) is given in Annexure A to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting as at 31st March 2022.

कृते वी शंकर अय्यर एंड कंपनी
For V Sankar Aiyar & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 109208डब्ल्यू) (FRN 109208W)

एस. नागभूषणम् S Nagabushanam
भागीदार Partner
सदस्यता सं. 107022 M. No. 107022
UDIN: 22107022AJMAPL8648

कृते लक्ष्मी तृप्ति एंड एसोशिएट्स
For Laxmi Tripti & Associates
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 009189सी) (FRN 009189C)

राजेश गुप्ता Rajesh Gupta
भागीदार Partner
सदस्यता सं .077204 M. No. .077204
UDIN: 22077204AJMEWR2473

मुंकुद एम चितले एवं कंपनी
For Mukund M Chitale & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 106655डब्ल्यू) (FRN 106655W)

नीलेश आरएस जोशी Nilesh RS Joshi
भागीदार Partner
सदस्यता सं 114749 M.No.114749
UDIN: 22114749AJMAWZ8974

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 24 मई, 2022 / Date : May 24, 2022

स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ए'

(सम तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत 'अन्य विधिक तथा विनियामकीय आवश्यकताएं पर रिपोर्ट' का संदर्भ लें।)

भारतीय रिज़र्व बैंक (आगे "आरबीआई") के पत्र डीओएस.एआरजी. संख्या 6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (यथा संशोधित) (आगे "आरबीआई संप्रेषण") द्वारा आवश्यक वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने संबंधित तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक ऑफ़ इंडिया (आगे बैंक) की इस एकल वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखा-परीक्षा के साथ तथा 31 मार्च, 2022 को बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा-परीक्षा की है जिसमें बैंक की शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग भी शामिल है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

बैंक का प्रबंधन, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने तथा उसका रखरखाव करने के लिए जिम्मेदार होगा जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा-परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उक्त आंतरिक नियंत्रण पर आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित किया गया है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का निर्माण, कार्यान्वयन तथा रखरखाव शामिल होगा जो उसके कारोबार के व्यवस्थित तथा दक्ष परिचालन को सुनिश्चित करते हुए प्रभावी रूप से परिचालित बनाये हुए था। इस जिम्मेदारी में बैंक की नीतियों का पालन, बैंक की आस्तियों की रक्षा, धोखाधडियों एवं गलतियाँ की रोकथाम तथा पहचान, लेखांकन रिकॉर्डो की सटीकता तथा पूर्णता तथा बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 के अंतर्गत यथा आवश्यक तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परीपत्र तथा दिशा-निर्देशों द्वारा जरूरी विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समयपूर्वक तैयारी भी शामिल है।

लेखा-परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी राय व्यक्त करें। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग की लेखा-परीक्षा पर गइडेंस नोट ('गाइडेंस नोट') तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन पर मानक (एस.ए), आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा-परीक्षा पर लागू होने की सीमा तक के अनुसरण में अपनी लेखा-परीक्षा की है। उन मानकों तथा उक्त गाइडेंस नोट के अनुसार यह आवश्यक है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें तथा क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया है या रखा गया है एवं क्या सभी महत्वपूर्ण पक्षों के विषय में ऐसे नियंत्रण ने ठीक प्रकार से काम किया है, इस विषय में पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए, उसे लेखा-परीक्षा की योजना करें तथा इसे पूरा करें।

हमारी लेखा-परीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा उनकी परिचालनात्मक प्रभावशीलता के विषय में लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल थी। वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जोखिम का मूल्यांकन करना कि कोई गंभीर कमजोरी मौजूद है तथा मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालनात्मक प्रभावशीलता तथा डिजाइन की जाँच एवं उसका मूल्यांकन, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा-परीक्षा में शामिल था। चयनित

ANNEXURE "A" TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

(Referred to in paragraph 14 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date)

Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting as required by the Reserve Bank of India (the "RBI") Letter DOS.ARG. No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) (the "RBI communication")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Bank of India ("the Bank") as of March 31, 2022 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Bank for the year ended on that date which includes internal financial controls over financial reporting of the Bank's branches.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Bank's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI") and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal financial controls

प्रक्रिया, लेखा-परीक्षक के निर्णय के ऊपर आश्रित होगी जिसमें धोखाधड़ी या गलती के कारण वित्तीय विवरणियों की गंभीर गलती के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है।

हम मानते हैं कि निम्नलिखित 'अन्य मामले' शीर्षक के निम्नलिखित अनुच्छेद में संदर्भित अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों की शर्तों के अनुसार, उनके द्वारा प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य, लेखा-परीक्षा संबंधी मत का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और समुचित हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर भरोसे तथा सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणियों की तैयारी के संबंध में पर्याप्त भरोसे को उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है। वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ तथा प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं तथा यह पर्याप्त विस्तार से बैंक की आस्तियों की प्रकृति तथा संबंधित संव्यवहारों को ठीक प्रकार से तथा सही रूप में बताती हैं; (2) पर्याप्त आश्वासन उपलब्ध कराना कि सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरणियाँ तैयार करने को संभव बनाने के लिए यथा आवश्यक संव्यवहारों को दर्ज किया जाता है तथा बैंक की प्राप्तियाँ तथा व्यय बैंक के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार ही किये जाते हैं तथा (3) बैंक की आस्तियों के अप्राधिकृत अर्जन, प्रयोग या डिस्पोजिशन की समयपूर्वक पहचान या बचाव के संबंध में पर्याप्त आश्वासन उपलब्ध कराना जिसका वित्तीय विवरणियों पर गंभीर प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

अनुचित मिलीभगत की संभावना या अनुचित प्रबंधन के नियंत्रणों के ऊपर हावी होने सहित वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय कंट्रोल की अंतर्निहित सीमाओं के कारण गलती से या धोखाधड़ी के कारण गंभीर गलत विवरणी की प्रस्तुति हो सकी है तथा ऐसा भी संभव है कि यह पकड़ी न जाए। साथ ही, भविष्य की अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग के किसी मूल्यांकन का पूर्वानुमान जोखिमों के अधीन है। उक्त जोखिम यह है कि वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है या पॉलिसियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन का स्तर कम हो सकता है।

मत

हमारे मत में, तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी में एवं हमें प्रस्तुत स्पष्टीकरणों के अनुसार और नीचे के 'अन्य मामले' शीर्षक के अंतर्गत शाखा लेखा-परीक्षकों द्वारा संदर्भित रिपोर्टों के आलोक में बैंक ने, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर सामान्यत: सभी महत्वपूर्ण पक्षों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा है तथा भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा-परीक्षा पर गाइडेंस नोट में उक्त आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक अंशों को विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए मानदण्ड के अनुसार यथा 31 मार्च, 2022 को वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर ऐसा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी तरीके से कार्य कर रहा था।

based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the branch auditors, in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A Bank's internal financial controls over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial controls over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the Bank; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial controls over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the branch auditors referred to in the "Other Matters" paragraph below, the Bank has, in all material respects generally adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2022, based on the criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

अन्य मामले

हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट जहाँ तक कि वह भारत में स्थित 3281 घरेलू शाखाओं तथा प्रसंस्करण केन्द्रों की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालनात्मक प्रभावशीलता से संबंधित है,वह रिपोर्ट उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखा-परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित हैं।

इस संबंध में हमारा मत संशोधित नहीं है।

Other Matters

Our aforesaid report, insofar as it relates to the operating effectiveness of internal financial controls over financial reporting of 3281 domestic branches and processing centres in India is based on the corresponding reports of the respective branch auditors of those branches.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

कृते वी शंकर अय्यर एंड कंपनी
For V Sankar Aiyar & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 109208डब्ल्यू) (FRN 109208W)

एस. नागभूषणम् S Nagabushanam
भागीदार Partner
सदस्यता सं. 107022 M. No. 107022
UDIN: 22107022AJMAPL8648

कृते लक्ष्मी तृप्ति एंड एसोशिएट्स
For Laxmi Tripti & Associates
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 009189सी) (FRN 009189C)

राजेश गुप्ता Rajesh Gupta
भागीदार Partner
सदस्यता सं .077204 M. No. .077204
UDIN: 22077204AJMEWR2473

कृते मुंकुद एम चितले एवं कंपनी
For Mukund M Chitale & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 106655डब्ल्यू) (FRN 106655W)

नीलेश आरएस जोशी Nilesh RS Joshi
भागीदार Partner
सदस्यता सं 114749 M.No.114749
UDIN: 22114749AJMAWZ8974

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 24 मई, 2022 / Date : May 24, 2022

यह पृष्ठ खाली छोड़ा गया है
THIS PAGE HAS BEEN LEFT BLANK

बैंक ऑफ़ इंडिया

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
समेकित तुलन पत्र एवं लाभ हानि खाता

यथा 31 मार्च, 2022

BANK OF INDIA

CONSOLIDATED BALANCE SHEET & PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR YEAR ENDED 31ST MARCH 2022

As at 31st March, 2022

समेकित तुलन-पत्र यथा 31 मार्च, 2022
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2022

(000 छोडे गए हैं) / (000's Omitted)

विवरण	Particulars	अनुसूची Schedule No.	यथा As at 31-03-2022 ₹	यथा As at 31-03-2021 ₹
I. पूँजी एवं देयताएं	I. CAPITAL AND LIABILITIES			
पूँजी	Capital	1	41,043,052	32,776,625
आरक्षिती एवं अधिशेष	Reserves & Surplus	2	524,175,455	437,025,656
शेयर आवेदन रकम, जो आबंटन हेतु लंबित है	Share Application Money, pending allotment		0	30,000,000
अल्पसंख्यक हित	Minorities Interest	2A	1,294,950	1,593,141
जमाराशियां	Deposits	3	6,299,807,511	6,290,983,564
उधार	Borrowings	4	268,211,160	324,641,055
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other liabilities and provisions	5	296,781,186	210,880,934
कुल	**TOTAL**		**7,431,313,314**	**7,327,900,975**
II. आस्तियां	II. ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद एवं शेष	Cash and balances with Reserve Bank of India	6	405,303,244	609,303,760
बैंकों में शेष एवं मांग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	Balances with Banks and money at call and short notice	7	511,785,657	657,632,490
निवेश	Investments	8	1,802,739,526	1,916,930,102
अग्रिम	Advances	9	4,230,011,355	3,676,673,463
अचल आस्तियां	Fixed Assets	10	98,561,127	90,013,980
अन्य आस्तियां	Other Assets	11	382,912,405	377,347,180
कुल	**TOTAL**		**7,431,313,314**	**7,327,900,975**
आकस्मिक देयताएं	Contingent Liabilities	12	4,233,189,026	4,537,941,768
वसूली के लिए बिल	Bills for collection		276,113,735	249,139,677
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	Significant Accounting Policies			
लेखों पर टिप्पणियां	Notes to Accounts			

ऊपर बताई गई अनुसूचियां तुलन-पत्र का अभिन्न अंग हैं।

The schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

तुलन-पत्र, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फॉर्म 'ए' के अनुसार तैयार किया गया है।

The Balance Sheet has been prepared in conformity with Form `A' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

शंकर सेन
Sankar Sen
महाप्रबंधक और मुख्य वित्तीय अधिकारी
General Manager & Chief Financial Officer

अशोक कुमार पाठक
Ashok Kumar Pathak
मुख्य महाप्रबंधक
Chief General Manager

मोनिका कालिया
Monika Kalia
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

एम.कार्तिकेयन
M. Karthikeyan
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

स्वरुप दासगुप्ता
Swarup Dasgupta
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

पी आर राजगोपाल
P R Rajagopal
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

ए.के. दास
A.K.Das
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
Managing Director & CEO

निदेशकगण DIRECTORS

डॉ भूषण कुमार सिन्हा — **Dr.Bhushan Kumar Sinha**

सुब्रत दास — **Subrata Das**

पी एन प्रसाद — **P N Prasad**

वेणी थापर — **Veni Thaper**

मुनीष कुमार रल्हन — **Munish Kumar Ralhan**

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते वी शंकर अय्यर एंड कंपनी
For V Sankar Aiyar & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 109208W) (FRN:109208W)

एस.नागभूषणम S. Nagabushanam
भागीदार Partner
सदस्यता एम.नं. M. No.107022

कृते लक्ष्मी तृप्ति एंड एसोसिएट्स
For Laxmi Tripti & Associates
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 009189C) (FRN:009189C)

राजेश गुप्ता Rajesh Gupta
भागीदार Partner
सदस्यता एम.नं. M. No.077204

कृते मुकुंद एम चितले एंड कंपनी
For Mukund M Chitale & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफ़आरएन: 106655W) (FRN: 106655W)

नीलेश आर एस जोशी Nilesh R S Joshi
भागीदार Partner
सदस्यता एम.नं. M. No. 114749

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 24 मई, 2022 / Date : 24 May, 2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाता
CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022

(000 छोडे गए है) / (000's Omitted)

	विवरण	Particulars	अनुसूची Schedule	को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2022 ₹	को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2021 ₹
I.	आय	INCOME			
	अर्जित आय	Interest earned	13	382,809,149	408,538,263
	अन्य आय	Other income	14	80,105,431	68,965,513
	कुल	TOTAL		462,914,580	477,503,776
II.	व्यय	EXPENDITURE			
	व्यय किया गया ब्याज	Interest expended	15	240,834,340	264,209,496
	परिचालन व्यय	Operating expenses	16	121,700,991	110,063,541
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	Provisions & Contingencies		66,318,041	81,242,898
	कुल	TOTAL		428,853,372	455,515,935
	सहयोगि कंपनियों में अर्जन/(हानि) का हिस्सा	Share of earnings/(loss) in Associates	16A	811,857	(1,182,214)
	अल्पसंख्यको के हित की कटौती के पूर्व वर्ष के लिए समेकित निवल लाभ/(हानि)	Consolidated Net Profit/(Loss) for the year before deducting Minorities' interest		34,873,065	20,805,627
	घटाएं: अल्पसंख्यकों का हित	Less: Minorities' Interest		(52,659)	(21,874)
	वर्ष के लिए समूह के संबंधित समेकित निवल लाभ/(हानि)	Consolidated Net Profit/(Loss) for the year attributable to the group		34,925,724	20,827,501
	जोडें: समूह के लिए आगे लाया गया समेकित लाभ/(हानि)	Add: Brought forward consolidated profit/(loss) attributable to the group		(887,876)	(237,879,282)
	कुल	TOTAL		34,037,848	(217,051,781)
III.	विनियोग / उपयोग	APPROPRIATIONS			
	सांविधिक आरक्षितियों को अंतरण	Transfer to Statutory Reserve		8,520,000	5,410,000
	निवेश घट-बढ़ आरक्षितियों को अंतरण	Transfer to Investment Fluctuation Reserve		2,537,920	6,738,011
	राजस्व आरक्षिति को/(से) अंतरण	Transfer to/ (from) Revenue Reserve		-	56,990
	पूँजी आरक्षिति को अंतरण	Transfer to Capital Reserve		3,002,535	4,954,976
	अंतरिम लाभांश (लाभांश कर सहित)	Interim Dividend (including dividend tax)		-	(237,823,882)
	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित	Special Reserve u/s Sec 36(1) (viii) of Income Tax Act, 1961		-	4,500,000
	समेकित तुलन-पत्र में आगे लाया गया शेष	Balance carried over to consolidated Balance sheet		19,977,393	(887,876)
	कुल	TOTAL		34,037,848	(217,051,781)
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	**Significant accounting policies**	17		
	लेखा पर नोट	**Notes to Accounts**	18		
	मूल प्रति शेयर आय (₹) मूल	Basic Earnings Per Share (₹) (Basic)		9.07	6.36
	डिलूटड प्रति शेयर आय (₹) (डिलूटड)	Diluted Earnings Per Share (₹) (Diluted)		9.07	6.35

ऊपर बताई गई अनुसूचियां लाभ-हानि खाते का अभिन्न अंग हैं।

The schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account.

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फॉर्म 'बी' के अनुसार लाभ-हानि खाता तैयार किया गया है।

The Profit and Loss Account has been prepared in conformity with Form 'B' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

शंकर सेन	अशोक कुमार पाठक	मोनिका कालिया	एम.कार्तिकेयन	स्वरुप दासगुप्ता	पी आर राजगोपाल	ए.के. दास
Sankar Sen	**Ashok Kumar Pathak**	**Monika Kalia**	**M. Karthikeyan**	**Swarup Dasgupta**	**P R Rajagopal**	**A.K.Das**
महाप्रबंधक और मुख्य वित्तीय अधिकारी	मुख्य महाप्रबंधक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
General Manager & Chief Financial Officer	Chief General Manager	Executive Director	Executive Director	Executive Director	Executive Director	Managing Director & CEO

निदेशकगण DIRECTORS

डॉ भूषण कुमार सिन्हा	सुब्रत दास	पी एन प्रसाद	वेणी थापर	मुनीष कुमार रल्हन
Dr.Bhushan Kumar Sinha	**Subrata Das**	**P N Prasad**	**Veni Thaper**	**Munish Kumar Ralhan**

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते वी शंकर अय्यर एंड कंपनी
For V Sankar Aiyar & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 109208W) (FRN:109208W)

एस.नागभूषणम S. Nagabushanam
भागीदार Partner
सदस्यता एम.नं. M. No.107022

कृते लक्ष्मी तृप्ति एंड एसोसिएट्स
For Laxmi Tripti & Associates
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 009189C) (FRN:009189C)

राजेश गुप्ता Rajesh Gupta
भागीदार Partner
सदस्यता एम.नं. M. No.077204

कृते मुकुंद एम चितले एंड कंपनी
For Mukund M Chitale & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफ़आरएन: 106655W) (FRN: 106655W)

नीलेश आर एस जोशी Nilesh R S Joshi
भागीदार Partner
सदस्यता एम.नं. M. No. 114749

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 24 मई, 2022 / Date : 24 May, 2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह का विवरण
Statement of Consolidated Cash Flow for the year ended 31st March, 2022

(000 छोडे गए हैं) / (000's Omitted)

विवरण		Particulars	वर्षान्त/ Year ended 31-03-2022 ₹	वर्षान्त Year ended 31-03-2021 ₹
क. **परिचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह:**	A.	**Cash Flow from Operating Activities:**		
कर के पहले निवल लाभ		**Net Profit before taxes**	**56,600,977**	**31,617,782**
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		**Adjustments for:**		
निवेशों पर परिशोधन/ मूल्यहास		Amortisation / Depreciation on Investments	6,166,144	5,630,305
अचल आस्तियों पर मूल्यहास		Depreciation on Fixed Assets	3,716,786	3,800,935
आस्तियों की बिक्री पर लाभ		Profit on sale of Assets	(7,938)	(602,064)
निवेशों के (निष्पादन कर रहे निवेशों पर मूल्यह्रास सहित) पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ/हानि)		(Profit) / Loss on Revaluation of Investments (Incl depn performing inv)	3,522,575	5,996,235
एनपीए के लिए प्रावधान		Provision for NPA	29,927,109	66,479,528
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान		Provision for Standard Assets	8,938,841	(708,940)
अन्य आस्तियों के लिए प्रावधान		Provision for Other Items	1,803,226	1,991,745
एटी-I, टियर -II बॉण्ड पर ब्याज		Interest on AT I & Tier II bonds	7,038,868	6,538,394
सहायक कंपनियां से प्राप्त लाभांश		Dividend received from Associates	(155,962)	(222,042)
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		**Adjustments for:**		
जमाराशियों में बढ़/(घट)		Increase / (Decrease) in Deposits	8,823,947	717,119,293
उधार में बढ़/(घट)		Increase / (Decrease) in Borrowings	(49,429,895)	(73,403,604)
अन्य देयताओं और प्रावधानों में बढ़/(घट)		Increase / (Decrease)in Other Liabilities and Provisions	68,515,095	1,932,176
निवेश में (बढ़)/घट		(Increase) / Decrease in Investments	105,313,714	(306,509,775)
अग्रिमों में (बढ़)/घट		(Increase)/ Decrease in Advances	(583,265,001)	(36,712,143)
अन्य आस्तियों में (बढ़)/घट		(Increase) / Decrease in Other Assets	(16,819,052)	(51,830,483)
प्रत्यक्ष कर (भुगतान)/वापसी		Taxes (Paid)/Refund	(5,558,522)	7,562,696
परिचालनगत गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (अ)		**Net Cash Flow from Operating Activities (A)**	**(354,869,088)**	**378,680,038**
ख. **निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**	B.	**Cash Flow from Investing Activities :**		
अचल सम्पत्ति की खरीद		Purchase of Fixed Assets	(5,719,770)	(3,489,950)
अचल सम्पत्ति की बिक्री		Sale of Fixed Assets	234,912	190,732
सहायक कंपनियों से प्राप्त लाभांश		Dividend received from Associates	155,962	222,042
समेकन का प्रभाव		Impact of Consolidation	(812,433)	1,182,214
अल्पसंख्यक हित		Minority Interest	(298,191)	78,978
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)		**Net Cash Flow from Investing Activities (B)**	**(6,439,520)**	**(1,815,984)**
ग. **वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह:**	C.	**Cash Flow from Financing Activities:**		
शेयर पूंजी		Equity Share Capital	4,054,719	-
शेयर प्रीमियम		Share Premium	21,445,408	-
शेयर आवेदन रकम		Share Application Money	-	30,000,000
टियर I और टियर II कैपिटल बांड का निर्गम/(मोचन) (निवल)		Issue / (Redemption) of Tier I and Tier II Capital Bonds (Net)	(7,000,000)	520,000
एटी 1, टियर II बॉण्ड पर ब्याज		Interest on AT I & Tier II bonds	(7,038,868)	(6,538,394)
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)		**Net Cash Flow from Financing Activities (C)**	**11,461,259**	**23,981,607**
नकद एवं नकद समतुल्य में निवल वृद्धि (ए)+(बी)+(सी)		**Net Increase in Cash & Cash Equivalents (A)+(B)+(C)**	**(349,847,349)**	**400,845,661**
वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य		**Cash and Cash Equivalents as at the beginning of the year**	**1,266,936,250**	**866,090,593**
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य		**Cash and Cash Equivalents as at the end of the year**	**917,088,901**	**1,266,936,250**

विवरण	Particulars	वर्षान्त/ Year ended 31-03-2022	वर्षान्त Year ended 31-03-2021
वर्ष के अंत में नकद और नकदी समतुल्यों का समाधान	**Reconciliation of Cash and Cash Equivalents as at the end of the year**		
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं शेष (अनुसूची 6)	Cash and balances with Reserve Bank of India (Schedule 6)	**405,303,244**	**609,303,760**
बैंकों में शेष एवं मांग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि (अनुसूची 7)	Balances with Banks and money at call and short notice (Schedule 7)	**511,785,657**	**657,632,490**
वर्ष के अंत में नकद और नकदी समतुल्य	**Cash and Cash Equivalents as at the end of the year**	**917,088,901**	**1,266,936,250**

नकदी एवं नक़दी समतुल्य के अनुसार नक़द प्रवाह विवरण में आरबीआई और अन्य बैंक(जमाराशियों सहित) के चालू खातों में शेष,एटीएम में एवं हाथ में नक़दी और मांग पर एवं अल्प सूचना पर जिसको आसानी से नक़द में बदला जा सकता है , को शामिल किया जाता है।

Cash and cash equivalent as per cash flow statement comprises of cash in hand, in ATM, balances in current account with RBI and other Banks (including deposits) and money at call and short notice which can be readily convertible into cash.

शंकर सेन
Sankar Sen
महाप्रबंधक और मुख्य वित्तीय अधिकारी
General Manager & Chief Financial Officer

अशोक कुमार पाठक
Ashok Kumar Pathak
मुख्य महाप्रबंधक
Chief General Manager

मोनिका कालिया
Monika Kalia
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

एम.कार्तिकेयन
M. Karthikeyan
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

स्वरुप दासगुप्ता
Swarup Dasgupta
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

पी आर राजगोपाल
P R Rajagopal
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

ए.के. दास
A.K.Das
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
Managing Director & CEO

निदेशकगण DIRECTORS

डॉ भूषण कुमार सिन्हा **Dr.Bhushan Kumar Sinha**

सुब्रत दास **Subrata Das**

पी एन प्रसाद **P N Prasad**

वेणी थापर **Veni Thaper**

मुनीष कुमार रल्हन **Munish Kumar Ralhan**

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते वी शंकर अय्यर एंड कंपनी
For V Sankar Aiyar & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 109208W) (FRN:109208W)

एस.नागभूषणम S. Nagabushanam
भागीदार Partner
सदस्यता एम.नं. M. No.107022

कृते लक्ष्मी तृप्ति एंड एसोसिएट्स
For Laxmi Tripti & Associates
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 009189C) (FRN:009189C)

राजेश गुप्ता Rajesh Gupta
भागीदार Partner
सदस्यता एम.नं. M. No.077204

कृते मुकुंद एम चितले एंड कंपनी
For Mukund M Chitale & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफ़आरएन: 106655W) (FRN: 106655W)

नीलेश आर एस जोशी Nilesh R S Joshi
भागीदार Partner
सदस्यता एम.नं. M. No. 114749

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 24 मई, 2022 / Date : 24 May, 2022

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोडे गए है) / (000's Omitted)

		पर यथा As at 31-03-2022 ₹	पर यथा As at 31-03-2021 ₹
अनुसूची - 1 : पूँजी	**SCHEDULE - 1 : CAPITAL**		
प्राधिकृत पूँजी	**AUTHORISED CAPITAL**		
प्रत्येक ₹10 के 600,00,00,000 (पिछले वर्ष 600,00,00,000) इक्विटी शेयर	600,00,00,000 (Previous year 600,00,00,000) Equity Shares of ₹ 10 each	**60,000,000**	**60,000,000**
जारी एवं अभिदत्त पूँजी	**ISSUED AND SUBSCRIBED CAPITAL**		
प्रत्येक रु 10 के 410,47,43,170 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष के अंत में 327,81,00,450)	Equity Shares 410,47,43,170 (Previous year ended 327,81,00,450) of ₹10 each	41,047,432	32,781,004
कुल	**TOTAL**	**41,047,432**	**32,781,004**
प्रदत्त पूँजी	**PAID-UP CAPITAL**		
प्रत्येक रु 10 के 410,35,66,070 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष के अंत में 327,69,23,350)	410,35,66,070 Equity Shares (Previous year 327,69,23,350) of ₹10 each fully paid-up.	41,035,661	32,769,234
जोड़ें: जब्त शेयरों की राशि	Add: Amount of shares forfeited	7,391	7,391
कुल	**TOTAL***	**41,043,052**	**32,776,625**
* उपर्युक्त में से 334,08,61,720 के पूर्णत: प्रदत्त इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष की समाप्ति पर 291,96,90,866) प्रत्येक रु.10 के रु.3340.86 करोड़ (पिछले वर्ष की समाप्ति पर रु.2919.69 करोड़) केन्द्र सरकार द्वारा धारित हैं।	* Of the above, 334,08,61,720 Equity Shares (Previous year ended 291,96,90,866) of ₹10 each fully paid up amounting to ₹ 3340.86 crore (Previous year ended ₹ 2919.69 crore) is held by Central Government;		
अनुसूची - 2 : आरक्षितियां और अधिशेष	**SCHEDULE - 2 : RESERVES & SURPLUS**		
I. कानूनी आरक्षितियां :	**I. Statutory Reserve :**		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	76,456,452	71,069,103
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	Add: Additions/adjustments during the year	8,511,792	5,387,349
कुल (I)	**TOTAL (I)**	**84,968,244**	**76,456,452**
II. पूँजी आरक्षितियां :	**II. Capital Reserves :**		
ए) पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति :	A) Revaluation Reserve :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	63,046,153	63,712,369
जोड: परिसर के पुनर्मूल्यांकन पर वर्ष के दौरान जोड़े गए	Add : Addition during the year on Revaluation of Premises	7,338,808	0
घटाएं : अवधि के दौरान समायोजन	Less: Adjustments during the year	(107,664)	(34,808)
घटाएं : पुनर्मूल्यांकन की वजह से मूल्यह्रास/समायोजन	Less: Depreciation / adjustments on account of revaluation	675,335	701,024
(ए) का कुल	**Total of (A)**	**69,817,290**	**63,046,153**
बी) अन्य	B) Others:		
i) पूंजी मोचन आरक्षिति	i) Capital Redemption Reserve		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	5,000	5,000
जोड़ें/घटाएं: परिवर्धन/कटौतियां	Add /Less: Additions/deductions	-	-
(i) का उप-जोड	Sub-total of (i)	**5,000**	**5,000**
ii) "परिपक्वता तक धारित" निवेशों को बिक्री पर लाभ	ii) Profit on sale of Investments - "Held to Maturity"		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	30,518,144	25,563,168
जोडें : वर्ष के दौरान परिवर्धन	Add: Additions during the year	3,002,535	4,954,976
(ii) का उप-जोड	Sub-total of (ii)	**33,520,679**	**30,518,144**
iii) समेकन पर पूँजी आरक्षिति	iii) Capital Reserve on Consolidation		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	690,111	735,961
जोडें : वर्ष के दौरान समायोजन	Additions during the year	196,623	(45,850)
(iii) का उप-जोड	Sub-total of (iii)	**886,734**	**690,111**
iv) विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिति	iv) Foreign Currency Translation Reserve		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	20,423,918	22,147,065
जोड़े/ (घटाएं) : वर्ष के दौरान समायोजन (निवल)	Add/ (Less) : Adjustments during the year (Net)	(719,068)	(1,723,147)
(iv) का उप-जोड	Sub-total of (iv)	**19,704,850**	**20,423,918**
जोड (बी)	**Total of (B)**	**54,117,263**	**51,637,173**
जोड (II)	**TOTAL (II)**	**123,934,553**	**114,683,326**
III. शेयर प्रीमियम :	**III. Share Premium :**		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	121,209,003	359,032,884
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	47,233,699	-
घटाएं :वर्ष के दौरान कटौती/ उपयोग	Less : Deductions / Utilization during the year	182,223	237,823,882
जोड (III)	**TOTAL (III)**	**168,260,479**	**121,209,002**

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोडे गए है) / (000's Omitted)

		पर यथा As at 31-03-2022 ₹	पर यथा As at 31-03-2021 ₹
अनुसूची - 2 : आरक्षितियां एवं अधिशेष (जारी)	**SCHEDULE - 2 : RESERVES & SURPLUS (contd.)**		
IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां :	**IV. Revenue and Other Reserves :**		
i) राजस्व आरक्षिति:	i) Revenue Reserve :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	92,626,741	91,868,594
जोडें: वर्ष के दौरान परिवर्धन	Add: Addition during the year	1,026,852	757,138
जोड़े: विलय पर पूँजी आरिक्षिती अधिशेष से अतंरण	Add: Transfer from Capital Reserve-Surplus on Merge		
जोड़/ (घटाएं: समायोजन	Add / (Less): Adjustments	(56,079)	(7,215)
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां	Less: Deductions during the year	2,038,659	(8,224)
(i) का उप जोड़	Sub-total of (i)	**91,558,855**	**92,626,741**
ii) निवेश आरक्षितियाँ :	ii) Investment Reserve :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	-	-
जोडें: वर्ष के दौरान परिवर्धन	Add: Addition during the year	-	-
घटाएँ:वर्ष के दौरान कटौतियां	Less:Deduction during the year	-	-
(ii) का उप- जोड़	Sub-total of (ii)	**-**	**-**
iii) निवेश अस्थिर आरक्षिति :	iii) Investment Fluctuation Reserve :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	6,738,011	-
जोडें: :वर्ष के दौरान परिवर्धन	Add: Additions during the year	2,537,920	6,738,011
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौतियां	Less: Deductions during the year	-	-
(iii) का उप-जोड़	Sub-total of (iii)	**9,275,931**	**6,738,011**
iv) आयकर अधिनिय 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति	iv) Special Reserve u/s Sec 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	26,200,000	21,700,000
जोड़: वर्ष के दौरान परिवर्धन	Add: Additions during the year	-	4,500,000
(iv) का कुल-जोड़	Sub-total of (iv)	**26,200,000**	**26,200,000**
जोड (IV)	**TOTAL (IV)**	**127,034,786**	**125,564,752**
V. समेकित लाभ-हानि खाते में शेष	**V. Balance in Consolidated Profit and Loss Account**	**19,977,393**	**(887,876)**
जोड (I से V)	**TOTAL (I TO V)**	**524,175,455**	**437,025,656**

अनुसूची - 2ए : अल्पसंख्यक हित	**SCHEDULE - 2A : MINORITIES INTEREST**		
उस तारीख को अल्पसंख्यक हित जब मूल कंपनी - सहायक कंपनी संबंध अस्तित्व में आए	Minority interest at the date on which the parent-subsidiary relationship came into existence	471,356	471,356
परवर्ती वृद्धि/(कमी)	Subsequent increase / (decrease)	823,594	1,121,785
तुलन-पत्र की तारीख को अल्पसंख्यक हित	Minority interest on the date of Balance sheet	**1,294,950**	**1,593,141**

अनुसूची - 3 : जमाराशियां	**SCHEDULE - 3 : DEPOSITS**		
ए. I. माँग जमा राशियाँ :	**A. I. Demand Deposits :**		
i) बैंकों से	i) From Banks	8,464,941	5,769,841
ii) अन्य से	ii) From Others	342,510,753	322,173,966
जोड (I)	**TOTAL (I)**	**350,975,694**	**327,943,807**
II. बचत बैंक जमाराशियां	**II. Savings Bank Deposits**	**2,168,494,565**	**1,976,581,142**
III. मीयादी जमाराशियां :	**III. Term Deposits :**		
i) बैंकों से	i) From Banks	365,553,753	440,925,602
ii) अन्य से	ii) From Others	3,414,783,498	3,545,533,013
जोड (III)	**TOTAL (III)**	**3,780,337,251**	**3,986,458,615**
जोड ए (I to III)	**TOTAL A (I to III)**	**6,299,807,510**	**6,290,983,564**
बी. i) भारत में शाखाओं की जमाराशियां	B) i) Deposits of branches in India	5,507,688,125	5,510,794,794
ii) भारत के बाहर की शाखाओं की जमाराशियां	ii) Deposits of branches outside India	792,119,386	780,188,770
जोड (बी)	**TOTAL (B)**	**6,299,807,511**	**6,290,983,564**

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोडे गए हैं) / (000's Omitted)

		पर यथा As at 31-03-2022 ₹	पर यथा As at 31-03-2021 ₹
अनुसूची - 4 : उधार	**SCHEDULE - 4 : BORROWINGS**		
I. भारत में उधार:	I. Borrowings in India:		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	i. Reserve Bank of India	35,190,000	35,190,000
ii) अन्य बैंक	ii. Other Banks		
क. टियर I पूँजी	a. Tier I Capital	4,020,000	6,930,000
ख. टियर II पूँजी	b. Tier II Capital	3,140,000	250,000
घ. अन्य	c. Others	521,400	139,300
जोड (ii)	Total (ii)	**7,681,400**	**7,319,300**
iii) अन्य संस्थाएं और एजेन्सियां	III) Other Institutions and Agencies		
क. टियर I पूँजी	a. Tier I Capital	9,500,000	6,590,000
ख. टियर II पूँजी	b. Tier II Capital	59,860,000	69,750,000
घ. अन्य	c. Others	152,812,119	203,022,679
जोड (iii)	Total (iii)	**222,172,119**	**279,362,679**
जोड (I)	Total (I)	**265,043,519**	**321,871,979**
II. भारत के बाहर से उधार	II. Borrowings outside India		
क. टियर I पूँजी	a. Tier I Capital	-	-
ख. टियर II पूँजी	b. Tier II Capital	-	-
ग. अन्य	c. Others	3,167,641	2,769,076
जोड (II)	Total (II)	**3,167,641**	**2,769,076**
जोड (I एवं II)	Total (I & II)	**268,211,160**	**324,641,055**
ऊपर सम्मिलित प्रतिभूत उधार	Secured borrowings included in above	136,472,904	197,755,232
अनुसूची - 5 : अन्य देयताएं एवं प्रावधान	**SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS**		
I. देय बिल	I. Bills Payable	17,144,822	14,177,590
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	II. Inter-office adjustments (net)	-	-
III. उपार्जित ब्याज	III. Interest Accrued	17,513,246	16,476,917
VI. आस्थगित कर देयता	IV. Deferred Tax liability	4,669	38,497
VII. अन्य	V. Others	262,118,449	180,187,930
जोड	TOTAL	**296,781,186**	**210,880,934**
*मानक संपत्ति ₹ 3,67,54,096 हेतु प्रावधान शामिल हैं (गत वर्ष ₹ 2,76,17,753)	* Includes provision for Standard Assets ₹ 3,67,54,096 (Previous Year ₹ 2,76,17,753)		
अनुसूची - 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष	**SCHEDULE - 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA**		
I. हाथ में नकदी (विदेशी करेंसी नोट एवं सोने सहित)	I. Cash in hand (including foreign currency notes & Gold)	24,468,919	33,200,389
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष:	II. Balances with Reserve Bank of India : *		
i) चालू खातों में	i) In Current Account	335,783,757	576,058,098
ii) अन्य खातों में	ii) In Other Accounts	45,050,568	45,273
जोड (II)	TOTAL (II)	**380,834,325**	**576,103,371**
जोड (I एवं II)	TOTAL (I & II)	**405,303,244**	**609,303,760**
* भारत के बाहर केन्द्रीय बैंकों के शेष शामिल हैं	* Including balances with Central Banks outside India		
अनुसूची - 7 : बैंकों में शेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर धनराशि	**SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE**		
I. भारत में :	I. In India :		
i) बैंकों में शेष	i) Balances with Banks		
क) चालू खातों में	a) in Current Accounts	987,956	1,063,394
ख) अन्य जमाराशि खातों में	b) in Other Deposit Accounts	1,746,061	(90,266)
ii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर धनराशि	ii) Money at call and short notice		
क) बैंकों में	a) With Banks	1,000,000	254,540
ख) अन्य संस्थाओं में	b) With Other Institutions	5,033,499	95,998,088
जोड (I)	TOTAL (I)	**8,767,516**	**97,225,756**

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोडे गए है) / (000's Omitted)

		पर यथा As at 31-03-2022 ₹	पर यथा As at 31-03-2021 ₹
अनुसूची - 7 : बैंकों में शेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर धनराशि	**SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE**		
II. भारत के बाहर :	**II. Outside India :**		
i) चालू खातों में	i) In Current Accounts	21,602,341	24,522,943
ii) अन्य जमाराशि खातों में	ii) In Other Deposit Accounts	399,904,367	477,587,262
iii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर धनराशि	iii) Money at call and short notice	81,511,433	58,296,529
जोड (II)	**TOTAL (II)**	**503,018,141**	**560,406,734**
जोड (I एवं II)	**TOTAL (I & II)**	**511,785,657**	**657,632,490**
अनुसूची - 8 : निवेश	**SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS**		
I. भारत में निवेश:	**I. Investments in India :**		
i) सरकारी प्रतिभूति	i) Government Securities	1,546,540,540	1,669,102,278
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	ii) Other approved Securities	6,767,222	5,179,714
iii) शेयर	iii) Shares	11,762,589	11,147,022
iv) डिबेंचर एवं बंधपत्र	iv) Debentures and Bonds	105,185,951	129,305,958
v) सहायक कंपनियों में निवेश	v) Investment in Associates	17,765,149	14,162,575
vi) अन्य	vi) Others	16,947,145	18,760,013
जोड (I)	**TOTAL (I)**	**1,704,968,596**	**1,847,657,560**
II. भारत के बाहर निवेश:	**II. Investments outside India :**		
i) सरकारी प्रतिभूति (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	i) Government Securities (including local authorities)	74,903,627	50,126,739
ii) डिबेंचर एवं बंधपत्र	ii) Debentures & Bonds	-	-
iii) सहायक कंपनियों में निवेश	iii) Investment in Associates	1,784,232	1,608,948
iv) अन्य	iv) Others	21,083,071	17,536,855
जोड (II)	**TOTAL (II)**	**97,770,930**	**69,272,542**
जोड (I & II)	**TOTAL (I & II)**	**1,802,739,526**	**1,916,930,102**
III. भारत में निवेश :	**III. Investments in India :**		
i) निवेश का सकल मूल्य	i) Gross value of Investments	1,756,109,701	1,892,218,311
ii) मूल्यह्रास हेतु संकलित प्रावधान	ii) Aggregate provisions for depreciation	51,141,105	44,560,751
iii) निवल निवेश	iii) Net Investments	**1,704,968,596**	**1,847,657,560**
IV भारत के बाहर निवेश:	**IV. Investments outside India :**		
i) निवेश का सकल मूल्य	i) Gross value of Investments	98,750,902	69,497,576
ii) मूल्यह्रास हेतु संकलित प्रावधान	ii) Aggregate provisions for depreciation	979,972	225,034
iii) निवल निवेश	iii) Net Investments	**97,770,930**	**69,272,542**
जोड (III & IV)	**TOTAL (III & IV)**	**1,802,739,526**	**1,916,930,102**
अनुसूची - 9 : अग्रिम	**SCHEDULE - 9 : ADVANCES**		
ए. i) खरीदे गए बिल और बट्टाकृत बिल	A. i) Bills Purchased and Discounted	174,634,399	92,462,046
ii) नकद उधार, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	1,660,778,457	1,523,037,652
iii) मीयादी ऋण	iii) Term Loans	2,394,598,499	2,061,173,765
कुल (ए)	**TOTAL (A)**	**4,230,011,355**	**3,676,673,463**
बी. अग्रिम का विवरण	**B. Particulars of Advances :**		
i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों के निमित्त अग्रिम शामिल है)	i) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	2,848,375,463	2,652,232,483
ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा सुरक्षित	ii) Covered by Bank/Government Guarantees	260,943,520	191,042,206
iii) अप्रतिभूत	iii) Unsecured	1,120,692,372	833,398,774
जोड (बी)	**TOTAL (B)**	**4,230,011,355**	**3,676,673,463**
सी. अग्रिमों का क्षेत्रवार वर्गीकरण	**C. Sectoral Classification of Advances :**		
I. भारत में अग्रिम	**I. Advances in India**		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	i) Priority Sector	1,326,166,340	1,217,412,779
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	ii) Public Sector	1,057,294,505	859,160,292
iii) बैंक	iii) Banks	39	448,742
iv) अन्य	iv) Others	1,255,714,748	1,188,388,199
कुल(I)	**TOTAL (I)**	**3,639,175,632**	**3,265,410,012**

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोडे गए हैं) / (000's Omitted)

		पर यथा As at 31-03-2022 ₹	पर यथा As at 31-03-2021 ₹
अनुसूची - 9 : अग्रिम	**SCHEDULE - 9 : ADVANCES**		
II. भारत के बाहर अग्रिम	**II Advances outside India :**		
i) बैंकों से देय	i) Due from Banks	230,430,196	112,091,012
II) अन्यों से देय	II) Due from others		
क) खरीदे गए बिल और बट्टाकृत बिल	a) Bills Purchased and Discounted	64,923,607	24,248,314
ख) समूहनकृत ऋण	b) Syndicated Loans	101,440,541	100,482,255
ग) अन्य	c) Others	194,041,379	174,441,870
जोड (II)	**TOTAL (II)**	**590,835,723**	**411,263,451**
जोड (I एवं II)	**TOTAL (I & II)**	**4,230,011,355**	**3,676,673,463**
अनुसूची - 10 : अचल आस्तियां	**SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS**		
I. परिसर :	**I. PREMISES :**		
लागत पर आरंभिक शेष	Opening Balance at cost	17,897,895	17,935,517
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	Add: Additions /Adjustments during the year	1,591,666	67,889
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां/ समायोजन	Less: Deductions/ Adjustments during the year	4,074	105,510
उप-जोड	Sub-total	19,485,487	17,897,896
पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि में जमा किए गए पुनर्मूल्यन के कारण इस तारीख तक जोड	Addition to date on account of revaluation credited to revaluation reserve	69,750,574	63,976,932
घटाएं : इस तारीख को मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यांकन के कारण सहित)	Less : Depreciation to date (including on account of revaluation)	4,846,894	5,785,399
जोड (I)	**TOTAL (I)**	**84,389,167**	**76,089,429**
II. अन्य अचल आस्तियां	**II. OTHER FIXED ASSETS :**		
(फर्नीचर एवं फिक्स्चर सम्मिलित हैं)	(including Furniture and Fixtures)		
लागत पर आरंभिक शेष	Opening Balance at cost	40,267,003	37,726,704
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	Add: Additions /Adjustments during the year	3,754,434	2,744,287
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां/समायोजन	Less: Deductions/ Adjustments during the year	230,838	203,989
उप-जोड	Sub-total	43,790,599	40,267,002
घटाएं: इस तारीख को मूल्यह्रास	Less: Depreciation to date	32,478,692	29,985,564
जोड (II)	**TOTAL (II)**	**11,311,907**	**10,281,438**
III. निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य	**III. CAPITAL WORK IN PROGRESS**	**2,860,053**	**3,643,113**
जोड (I से III)	**TOTAL (I to III)**	**98,561,127**	**90,013,980**
अनुसूची - 11 : अन्य आस्तियां	**SCHEDULE - 11 : OTHER ASSETS**		
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	I. Inter Office Adjustment (Net)	71,919,504	55,890,055
II. उपचित ब्याज	II. Interest Accrued	28,602,134	29,812,027
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / स्रोत पर काटे गए कर (निवल)	III. Tax paid in advance/tax deducted at source (Net)	73,723,973	48,828,360
IV. लेखन सामग्री और स्टैम्प	IV. Stationery and Stamps	98,276	77,997
V. आस्थगित कर आस्तियां	V. Deferred Tax Assets	87,214,354	128,260,526
VI. अन्य	VI. Others	121,354,164	114,478,215
जोड	**TOTAL**	**382,912,405**	**377,347,180**

* नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी में रखी गई ₹58,423,630 की जमाराशियां शामिल हैं: (गत वर्ष ₹54,141,048)

* Includes Deposits placed with NABARD/SIDBI/NHB amounting to ₹ 58,423,630 (Previous Year ₹54,141,048)

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोडे गए है) / (000's Omitted)

		पर यथा As at 31-03-2022 ₹	पर यथा As at 31-03-2021 ₹
अनुसूची - 12 : आकस्मिक देयताएं	**SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES**		
I. बैंक के विरुद्ध दावें जिन्हे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	I. Claims against the Bank not acknowledged as debts	18,100,466	26,202,648
II. अंशत: प्रदत्त निवेशों के लिए देयताएं	II. Liability for partly paid Investments	972,953	1,010,314
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं	III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	3,691,875,457	4,046,903,334
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां:	IV. Guarantees given on behalf of Constituents :		
क) भारत में	a. In India	207,857,659	218,123,054
ख) भारत के बाहर	b. Outside India	39,793,728	31,422,823
V. स्वीकार, पृष्ठांकन एवं अन्य दायित्व	V. Acceptances, endorsements and other obligations	240,526,464	183,479,758
VI. ब्याज दर स्वैप	VI. Interest Rate Swaps	15,630,342	14,865,980
VII. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप में देनदार है	VII. Other items for which the Bank is contingently liable	18,431,957	15,933,857
जोड	**TOTAL**	**4,233,189,026**	**4,537,941,768**

समेकित लाभ एवं हानि खाता की अनुसूचियां
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(000 छोडे गए हैं) / (000's Omitted)

		समाप्त वर्ष For the year ended 31-03-2022 ₹	समाप्त वर्ष For the year ended 31-03-2021 ₹
अनुसूची - 13 : अर्जित ब्याज एवं लाभांश	**SCHEDULE - 13 : INTEREST AND DIVIDENDS EARNED**		
I. अग्रिमों/बिल पर ब्याज/बट्टा	I. Interest/Discount on advances/bills	259,874,446	275,475,311
II. निवेशों पर आय	II. Income on Investments	111,551,256	116,483,730
III. भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य अंतर बैंक निधियों के शेषों पर ब्याज	III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	6,377,537	11,550,963
IV. अन्य	IV. Others	5,005,910	5,028,259
जोड	**TOTAL**	**382,809,149**	**408,538,263**
अनुसूची - 14 : अन्य आय	**SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME**		
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	I. Commission, exchange and brokerage	12,106,619	11,185,735
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ /(हानि)	II. Profit/(Loss) on sale of Investments	17,624,549	25,529,805
III निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/(हानि) - निवल	III. Profit /(Loss) on Revaluation of Investments - net	(3,522,575)	(5,996,235)
IV. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ /(हानि)	IV. Profit / (Loss) on sale of land, buildings and other assets	2,773,122	602,064
V. विनिमय लेनदेन पर लाभ / (हानि)	V. Profit / (Loss) on exchange transactions	25,647,353	18,916,355
VI. अनुषंगियों/कंपनियों और/अथवा संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय	VI Income Earned by way of dividend etc. on subsidiaries/ companies and /or/ joint ventures	155,962	222,042
VII. विविध आय	VII. Miscellaneous Income	25,320,401	18,505,747
जोड	**TOTAL**	**80,105,431**	**68,965,513**
* बट्टे खाते में डाले गए खातों में ₹ 1,09,71,079 . की राशि की वसूली शामिल है (गत वर्ष ₹ 53,06,640)	* Includes Recoveries made in write-off accounts amounting to ₹ 1,09,71,079 (Previous Year ₹ 53,06,640)		
अनुसूची - 15 : व्यय किया गया ब्याज	**SCHEDULE - 15 : INTEREST EXPENDED**		
I. जमाओं पर ब्याज	I. Interest on Deposits	226,977,650	245,732,509
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	II. Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings	6,229,014	11,562,760
III. गौण ऋणों, आईआरएस इत्यादि पर ब्याज	III. Interest on Subordinated Debts, IRS etc..	7,627,676	6,914,227
जोड	**TOTAL**	**240,834,340**	**264,209,496**
अनुसूची - 16 : परिचालनगत व्यय	**SCHEDULE - 16 : OPERATING EXPENSES**		
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	I. Payments to and provisions for employees	71,120,824	65,288,635
II. किराया, कर एवं बिजली	II. Rent, Taxes and Lighting	8,026,479	7,666,074
III. मुद्रण एवं लेखन सामग्री	III. Printing and Stationery	779,477	653,777
IV. विज्ञापन एवं प्रचार	IV. Advertisement and Publicity	172,548	79,969
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास	V. Depreciation on Bank's property	3,716,786	3,800,935
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय	VI. Directors' fees, allowances and expenses	43,146	46,425
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित)	VII. Auditors' fees and expenses (Including Branch Auditors' Fees & Expenses)	950,432	821,306
VIII. विधि प्रभार	VIII. Law Charges	454,629	287,886
IX. डाक व्यय, तार, टेलिफोन आदि	IX. Postage, Telegrams, Telephones, etc.	1,689,096	1,834,951
X. मरम्मत एवं रखरखाव	X. Repairs and Maintenance	688,216	617,339
XI. बीमा	XI. Insurance	7,522,746	7,027,333
XII. अन्य खर्च	XII. Other Expenditure	26,536,612	21,938,911
जोड	**TOTAL**	**121,700,991**	**110,063,541**
अनुसूची - 16 A : सहयोगी कंपनी में उपार्जन/ हानि का अंश	**SCHEDULE - 16 A : SHARE OF EARNINGS / LOSSES IN ASSOCIATES**		
I. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)	I. Regional Rural Banks (RRBs	(28,840)	(1,811,687)
II. अन्य	II. Others	840,697	629,473
जोड	**TOTAL**	**811,857**	**(1,182,214)**

कार्यसूची 17 :
महत्वपूर्ण लेखा नीतिया
(समेकित वित्तीय विवरणियां)

1) **लेखांकन परिपाटी :**

संस्था की निरंतरता की अवधारणा तथा यदि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो तो पूर्व के लागत के आधार पर संलग्न समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) तैयार किया गया है जो वस्तुत: 'सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों" (जीएएपी) के सभी पक्षों का पालन करते हैं। इसके अंतर्गत, लागू विधिक प्रावधानों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा निर्धारित विनियामक नियमों, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), कंपनी अधिनियम 2013, लेखा मानक (ए.एस.), भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के द्वारा जारी निदेशों, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित लेखा प्रथाओं को भी शामिल करते हैं। विदेशी शाखाओं/कार्यालयों के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक उपबन्धों तथा लेखांकन पद्धतियों का अनुपालन किया जाता है, यदि इन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरणी की तैयारी हेतु प्रबंधन के लिए यह आवश्यक है कि वह वित्तीय विवरण की प्रभावी तारीख को रिपोर्ट की गयी आस्ति एवं देयता (आकस्मिक देयताएं सहित) तथा रिपोर्टिंग अवधि के लिए आय एवं व्यय का आकलन तथा अनुमान प्रतिपादित करे। प्रबंधन यह मानता है कि वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में उपयोग किये गये आकलन उचित तथा तार्किक हैं। तथापि वास्तविक परिणाम आकलन से भिन्न हो सकते हैं। वर्तमान तथा भविष्य की अवधि के लिए लेखांकित आकलन में किसी भी परिवर्तन को भविष्य में उल्लिखित किया जाता है।

2) **समेकन का आधार :**

समूह के समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर तैयार किये गये हैं :-

क) बैंक ऑफ़ इंडिया (मूल बैंक) एवं उसकी अनुषंगियों की "समेकित वित्तीय विवरणियाँ", भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीआई) द्वारा जारी किये गये लेखांकन मानक (एएस) 21 के अनुसार तैयार की गई हैं। ऐसा पंक्ति दर पंक्ति आधार पर किया जाता है तथा आंतर समूह संव्यवहार हटाकर इसमें समान प्रकार की आस्ति, देयताएं, आय तथा व्यय, शेष राशि, उगाही रहित लाभ/हानि को जोड़ा जाता है तथा एकरूप लेखांकन का पालन करने के लिए जहाँ भी आवश्यक हो, महत्वपूर्ण प्रकृति का आवश्यक समायोजन किया जाता है।

ख) अनुषंगियों में मूल बैंक के निवेश की लागत तथा अनुषंगियों की इक्विटी में मूल बैंक के शेयर को गुडविल/आरक्षित पूँजी के रूप में मान्यता दी जाती है। यदि कुछ गुडविल हो तो उसे निर्धारित होने के तुरंत बाद बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

ग) समेकित वित्तीय विवरणी में अल्पसंख्यक हित, अनुषंगियों की निवल इक्विटी में अल्पसंख्यक शेयरधारकों के शेयर के रूप में हैं।

घ) सहायक कंपनियों में निवेश का मूल्यांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस)23 "समेकित वित्तीय विवरणियों में सहायक कम्पनियों में निवेश का लेखांकन" के अनुसार इक्विटी पद्धति से किया जाता है।

ङ) संयुक्त उद्यमों में निवेशों का लेखांकन, आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस)27 "संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग" के अनुसार "आनुपातिक आधार" पर किया जाता है।

SCHEDULE 17:
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Consolidated Financial Statements)

1) **ACCOUNTING CONVENTION:**

The accompanying consolidated financial statements (CFS) have been prepared following the going concern concept, on historical cost basis unless otherwise stated and conform in all material aspects to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India, Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), Companies Act 2013, Accounting Standards (AS), pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), Banking Regulation Act, 1949 and accounting practices prevailing in India. In respect of foreign offices/branches/subsidiaries/associates, statutory provisions and accounting practices prevailing in the respective foreign countries are complied with, except as specified elsewhere.

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. However actual results can differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

2) **BASIS OF CONSOLIDATION:**

Consolidated financial statements of the group have been prepared on the basis of:

a) The financial statements of Bank of India (the Parent bank) and its subsidiaries in accordance with Accounting Standard (AS) 21 "Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), on a line by line basis by adding together like items of assets, liabilities, income and expenses after eliminating intra-group transactions, balances, unrealised profit/loss and making necessary adjustments of material nature wherever required to conform to uniform accounting.

b) The difference between cost to the parent bank of its investment in the subsidiaries and parent bank's share in the equity of the subsidiaries is recognised as goodwill/capital reserve. Goodwill, if any, is written off immediately on its recognition.

c) Minority interest in the Consolidated Financial Statement consists of the share of the minority shareholders in the net equity of the subsidiaries.

d) Accounting for investment in Associate companies is done under Equity method in accordance with Accounting Standard (AS) 23, "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements", issued by ICAI.

e) Accounting for investments in Joint Venture are consolidated on "Proportionate basis" as prescribed in Accounting Standard (AS) 27, "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures" issued by ICAI.

3) आय की निर्धारण:

3.1 बैंकिंग निकाय

क. आय/व्यय को उपचय के आधार पर तय किया जाता है, यदि अन्यथा न उल्लिखित हो। विदेशी कार्यालयों के संबंध में, संबंधित मेज़बान देश के स्थानीय कानूनों/मानकों के अनुसार आय निर्धारित की जाती है।

ख. अनर्जक आस्तियों पर ब्याज को छोड़कर आय का निर्धारण, समय के अनुपात के आधार पर किया जाता है।

ग. बैंक गारंटी तथा साख पत्र जारी करने पर कमीशन का निर्धारण, बीजी/एलसी की अवधि पर होता है।

घ. अन्य सभी कमीशन एवं विनिमय, ब्रोकरेज, फीस तथा अन्य शुल्कों की उगाही होने पर आय के रूप में उनका निर्धारण होता है।

ङ. "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी में निवेश पर आय (ब्याज के अतिरिक्त) जिसे उसके अंकित मूल्य पर प्राप्त छूट के बाद खरीदा गया था, उस पर निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित की जाती है:-

i. ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर, केवल बिक्री/मोचन के समय ही इसका निर्धारण किया जाता है।

ii. जीरो-कूपन प्रतिभूतियों में, स्थिर प्रतिफल के आधार पर प्रतिभूति की शेष परिपक्वता अवधि पर इसका लेखांकन किया जाता है।

च. निवेशों की बिक्री में हुए लाभ या हानि को लाभ तथा हानि खाते में मान्यता दी जाती है। आर.बी.आई. के दिशानिर्देशों के अनुसार "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के अंतर्गत निवेशों की बिक्री के मामले में (करों तथा सांविधिक आरक्षितियों में अंतरण करने हेतु आवश्यक राशि को छोड़कर), इसके बराबर की राशि "आरक्षित पूँजी खाते" में विनियोजित की जाती है।

छ. जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है तब लाभांश को आय के रूप पहचाना जाता है।

ज. निर्धारण आदेश जारी होने के वर्ष में आयकर वापसी पर ब्याज, आय के रूप में पहचाना जाता है।

(i) एन.पी.ए. में वसूली का विनियोजन :

क) समझौता निपटान/विशेष ओटीएस, ख) न्यायालय/डीआरटी/एनसीएलटी के निर्णय तथा ग) एआरसी/एससी को समनुदेशन - इन तीन मामलों को छोड़कर एनपीए में वसूली निम्नलिखित क्रम में प्रभावी की जाती है :

- उधारकर्ता के खाते में नामे प्रभार
- ऐसे खर्च/अपने जेब से किये गये खर्च, जिन्हें नामे नहीं किया गया
- अप्राप्त ब्याज
- अप्रभारित ब्याज
- मूल धन

अन्य मामलों में प्रासंगिक प्राधिकारी के आदेश के अनुसार की गई वसूलियों को विनियोजित किया जाता है।

3) REVENUE RECOGNITION:

3.1 Banking entities:

(a) Income/Expenditure is recognised on accrual basis, unless otherwise stated. In respect of foreign offices, income/ expenditure is recognised as per local laws/standards of host country.

(b) Interest income is recognised on time proportion basis except interest on Non-performing Assets.

(c) Commission on issue of Bank Guarantee and Letter of Credit is recognised over the tenure of BG/LC.

(d) All other Commission and Exchange, Brokerage, Fees and other charges are recognised as income on realisation.

(e) Income (other than interest) on investments in "Held to Maturity" category acquired at a discount to the face value, is recognised as follows:

i. on interest bearing securities, it is recognised only at the time of sale/ redemption.

ii. on zero-coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the security on a constant yield basis.

(f) Profit or loss on sale of investments is recognised in the Profit and Loss account. As per RBI guidelines, in case of profit on sale of investments under 'Held to Maturity' category, an equivalent amount (net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserves) is appropriated to 'Capital Reserve Account'.

(g) Dividend income is recognised when the right to receive the dividend is established.

(h) Interest income on Income-tax refund is recognised in the year of passing of assessment order.

(i) Appropriation of recoveries in NPAs:

In respect of NPAs, recoveries effected except through a.) compromise settlement /special OTS, b.) Judgement of a Court/DRT/NCLT and c.) Assignment to ARC's/SC's are to be made in the following order:-

- Charges debited to borrower's account
- Expenses/out of pocket expenses incurred but not debited
- Unrealised interest
- Uncharged interest
- Principal

In other cases, the recoveries made are appropriated as per the order of relevant authority.

3.2 गैर बैंकिंग निकाय-बीमा :

क) **प्रीमियम आय :**

देय होने पर, गैर-लिंक्ड व्यवसाय के लिए, राइडर प्रीमियम सहित प्रीमियम को आय के रूप में निर्धारित किया जाता है। सहायक इकाइयों के सृजित होने पर, लिंक्ड व्यवसाय के लिए प्रीमियम को निर्धारित किया जाता है। यथा लागू वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काटकर, प्रीमियम को निर्धारित किया जाता है।

व्यपगत पॉलिसी पर प्रीमियम को आय के रूप में निर्धारित किया जाता है, जब पॉलिसियाँ पुन: आरंभ की जाती हैं।

लिंक्ड कारोबार में टॉप-अप प्रीमियम को एक सिंगल प्रीमियम माना जाता है तथा सहायक इकाइयाँ सृजित करने पर उन्हें आय के रूप में माना जाता है।

पीएमजेजेबीवाई के मामले में प्रीमियम को, बैंक को देय प्रशासनिक प्रभार तथा व्ययों की प्रतिपूर्ति (यथा लागू) को हटाकर निर्धारित किया जाता है।

ख) पॉलिसी के विरुद्ध ऋणों पर ब्याज, उपचय के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

ग) अन्य आय को तब निर्धारित किया जाता है जब कंपनी अंतिम वसूली के लिए पर्याप्त रूप से निश्चित होती है।

घ) निवेश पर ब्याज आय उपचय के आधार पर पहचाना जाता है। इसका अपवाद अनर्जक निवेशों पर ब्याज आय है जिसे निर्धारित आईआरडीएआई दिशा-निर्देशों की प्राप्ति पर निर्धारित किया गया है।

ङ) **परिशोधित आय/लागत :**

गैर-लिंक्ड निवेशों से संबंधित कर्ज प्रतिभूति/निश्चित आय प्रतिभूति के संबंध में अधिग्रहण पर प्रीमियम या डिस्काउन्ट, जैसा भी मामला हो, को परिपक्वता/धारित अवधि पर सीधी रेखा आधार पर परिशोधित किया जाता है।

च) **लाभांश :**

उद्धृत शेयरों के लिए लाभांश आय, पूर्व-लाभांश तारीख को पहचानी जाती है तथा गैर-उद्धृत शेयरों के लिए लाभांश आय तब पहचानी जाती है जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित जाता है।

छ) **लिंक्ड निधियों से आय :**

पॉलिसी की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार लिंक्ड निधियों से निधि प्रबंधन शुल्क, पॉलिसी प्रशासनिक शुल्क, मॉर्टैलिटी शुल्क आदि सहित लिंक्ड निधियों से आय जब वसूली जाती है तब निर्धारित की जाती है।

ज) **लिंक्ड कारोबार हेतु ऋण प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ/(हानि) :**

व्यय को छोड़कर बिक्री तथा बही लागत का अंतर लिंक्ड व्यवसाय के लिए कर्ज प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ/(हानि) है। इसे बिक्री की तारीख पर भारित औसत आधार पर, परिकलित किया जाता है।

3.2 Non-Banking entities- Insurance:

a) **Premium Income:**

Premium including rider premium for non-linked business is recognised as income when due from policyholders. Premium for linked business is recognised when the associated units are created. Premium is recognised net of Goods and Services Tax (GST) as applicable.

Premium on lapsed policies is recognised as income when such policies are reinstated.

Top up premium under linked business is considered as single premium and recognised as income when the associated units are created.

Premium in case of PMJJBY Scheme is recognised at Gross of administrative charges and reimbursement of expenses (as applicable) payable to intermediaries.

b) Interest on loans against policies is recognized on accrual basis.

c) Other income recognised when due, where the company is reasonably certain of ultimate collection.

d) Interest income on investments is recognised on accrual basis except interest income on non-performing investments, which is recognised upon receipt as specified in IRDAI guidelines.

e) **Amortised Income/Cost:**

Premium or discount on acquisition, as the case may be, in respect of debt securities/ fixed income securities, pertaining to non-linked investments is amortized on straight line basis over the period of maturity/holding.

f) **Dividend:**

Dividend income for quoted shares is recognised on ex-dividend date, for non-quoted shares dividend income is recognised when the right to receive dividend is established.

g) **Income from linked funds**:

Income from linked funds which includes fund management charges, policy administrative charges, mortality charges, other charges, wherever applicable, are recovered from the linked funds in accordance with the terms and conditions of policy and recognised on due basis.

h) **Realized Gain/ (Loss) on Debt Securities for Linked Business:**

Realized gain/(loss) on debt securities for linked business is the difference between the sale consideration net of expenses and the book cost, which is computed on weighted average basis, as on the date of sale.

झ) **असम्बद्ध कारोबार हेतु ऋण प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ/(हानि) :**

व्यय को छोड़कर बिक्री तथा परिशोधन लागत का अंतर, असम्बद्ध व्यवसाय के लिए कर्ज प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ/(हानि) है। इसे बिक्री की तारीख पर भारित औसत आधार पर परिकलित किया जाता है।

ञ) **इक्विटी शेयर/म्यूचुअल फंड/एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ)/अतिरिक्त टियर 1 बॉण्ड (एटी 1)/इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (आईएनवीआईटी)/रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट(आरईआईटी)/ की बिक्री पर लाभ/हानि :**

व्यय को हटाकर बिक्री तथा बिक्री के दिन भारित औसत आधार पर निर्धारित बही लागत का अंतर, इक्विटी शेयर/म्यूचुअल फंड इकाइयों/ईटीएफ/अतिरिक्त टियर 1 परपेचुअल बॉण्ड/आईएनवीआईटी/आरईआईटी की बिक्री पर लाभ/(हानि) है तथा बही मूल्य की गणना बिक्री की तारीख पर भारित औसत आधार पर की जाती है।

गैर-लिंक्ड व्यवसाय के मामले में "उचित मूल्य परिवर्तन खाते" के अंतर्गत, पूर्व में निर्धारित उचित मूल्य में उपचित परिवर्तन, लाभ/(हानि) में शामिल हैं।

ट) **लिंक्ड कारोबार के लिए अप्राप्त लाभ/(हानि) :**

लिंक्ड कारोबार के लिए अप्राप्त लाभ और हानि को संबंधित निधि के राजस्व खाते में निर्धारित किया जाता है।

ठ) **उधार पर प्रतिभूति लेने और देने से आय :**

उधार पर प्रतिभूति लेने और देने (एसएलबी) की व्यवस्था के अंतर्गत इक्विटी शेयर को देने पर प्राप्त फीस को देने की अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर परिशोधित किया जाता है।

ड) **पुनर्बीमा प्रीमियम :**

पुनर्बीमा करने वाले के साथ प्रासंगिक समझौतों के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार प्रीमियम आय के निर्धारण के समय दिये गये पुनर्बीमा प्रीमियम को लेखांकित किया जाता है। पुनर्बीमा पर दिये गये प्रीमियम के विरुद्ध पुनर्बीमा पर दिये गये लाभ/कमीशन को घटा दिया जाता है।

3.3 गैर बैंकिंग गतिविधियाँ - म्यूचुअल फंड और ट्रस्टी सेवाएं :

क) निवेश प्रबंधन करार के अनुसार, उपचय आधार पर, म्यूचुअल फंड योजना से प्रबंधन फीस का लेखांकन किया जाता है तथा जैसा की बीओआई एक्सा म्यूचुअल फण्ड की योजना के द्वारा रिकॉर्ड किया गया है, यह निवल आस्ति मूल्य पर आश्रित है।

ख) ट्रस्टी फीस को उस सीमा तक निर्धारित किया जाता है जिस सीमा तक यह संभव है कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होगा तथा बीओआई एक्सा म्यूचुअल फंड के साथ आय को भरोसापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। ब्याज तथा अन्य आय, यदि कुछ हो तो उसका लेखांकन उपचय आधार पर किया जाता है।

i) **Realized Gain/ (Loss) on Debt Securities for Non-Linked Business:**

Realized gain/(loss) on debt securities for other than linked business is the difference between the sale consideration net of expenses and the amortized cost, which is computed on a weighted average basis, as on the date of sale.

j) **Profit/ (Loss) on sale of Equity Shares/ Mutual Fund/ Exchange Traded Funds (ETFs)/ Additional Tier 1 Bonds (AT 1)/ Infrastructure Investment Trust (InvIT)/ Real Estate Investment Trust (REIT) :**

Profit/ (Loss) on sale of equity shares/ mutual fund units/ ETFs/ Additional Tier 1 Perpetual Bonds/ InvIT/ REIT is the difference between the sale consideration net of expenses and the book cost computed on weighted average basis as on the date of sale.

In respect of non-linked business the Profit/ (Loss) includes the accumulated changes in the fair value previously recognized under "Fair Value Change Account".

k) **Unrealized Gain/ (Loss) for Linked Business:**

Unrealized gains and losses for Linked Business are recognized in the Revenue account of respective fund.

l) **Income from Security Lending and Borrowing:**

Fees received for lending of equity shares under Securities Lending and Borrowing (SLB) mechanism is amortized on a straight-line basis over the period of lending.

m) **Reinsurance Premium ceded:**

Reinsurance Premium ceded is accounted for on due basis at the time of recognition of premium income in accordance with the terms and conditions of the relevant treaties with the reinsurers. Profit/commission on reinsurance ceded is netted off against premium ceded on reinsurance.

3.3 Non-Banking entities – Mutual Fund and Trustee Services:

a) Management fees from the scheme of mutual fund are accounted on an accrual basis in accordance with the investment management agreement and are dependent on the net asset value as recorded by the schemes of BOI AXA Mutual fund.

b) Trustee fees is recognized to the extent that it is probable that economic benefits will flow to the Company and the revenue can be reliably arrangement with the BOI AXA Mutual Fund. Interest and other income, if any, is accounted on accrual basis.

ग) व्यापार की तारीख को, निवेश की बिक्री पर लाभ या हानि को, लाभ/हानि खाते में अंकित किया जाता है और एएस-13 के अनुसार एकल प्रतिभूति हेतु भारित औसत आधार पर उसका निर्धारण किया जाता है।

3.4 गैर-बैंकिंग इकाइयों - मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं :

(क) यदि कंपनी का अंडररिटन इश्यू के संबंध में इक्विटी शेयरों का कुछ डिवोल्वमेंट होता है तो इसे निवेश माना जायेगा। इन निर्गमों पर अंडरराइटिंग आय, लाभ हानि खाते में जमा की जायेगी तथा निवेश के वैल्यू के विरुद्ध नहीं घटाई जायेगी।

(ख) सेकेन्ड्री मार्केट परिचालन पर अर्जित बोक्रेज तथा कमीशन, कारोबार की तारीख के आधार पर निर्धारित किये जायेंगे। ऑनलाइन पोर्टल परिचालन पर ब्रोक्रेज, कारोबार की तारीख पर निर्धारित किये जायेंगे। इश्यू मार्केटिंग तथा संसाधन संग्रहण के संबंध में बोक्रेज तथा कमीशन उपलब्ध जानकारी की सीमा तक उपचित किये जायेंगे। डिपोजिटरी, पोर्टफोलियो प्रबंधन, निवेश बैंकिंग तथा अन्य आयों को उपचय आधार पर लेखांकित किया जायेगा।

4) गैर बैंकिंग गतिविधियां - बीमा : अन्य नीतियां

क) भुगतान किये गये लाभ:

भुगतान किए गए लाभ में, पॉलिसी लाभ तथा दावा निपटान लागत, यदि कुछ हो तो, शामिल है।

सूचना की प्राप्ति पर, मृत्यु, राइडर तथा अभ्यर्पण दावे, लेखांकित किये जाते हैं। सम्बद्ध व्यवसाय के अंतर्गत सरेन्डर में व्ययगत पॉलिसियों पर भुगतान योग्य राशि भी शामिल है जो लॉक इन अवधि की समाप्ति पर लेखांकित की जाती है। लॉक इन अवधि के समाप्ति के बाद पॉलिसी को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। सरेंडर और समापन को निवल प्रभार के आधार पर लेखाकृत किया जाता है।

देय होने पर उत्तरजीविता, परिपक्वता तथा वार्षिक लाभ के दावे लेखांकित होते हैं।

जिस अवधि में संबंधित दावों का निपटान किया जाता है, उसी में पुनर्बीमा वसूलियों का लेखांकन किया जाता है।

न्यायिक प्राधिकरणों के समक्ष विवादित दावे, विवेक के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं, जैसा कि प्रबंधन, प्रत्येक ऐसे दावे के संबंध में तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर उचित समझता है।

ख) अधिग्रहण लागत :

अधिग्रहण लागत वह लागत है जो बदलती रहती है तथा यह मुख्य रूप से नये बीमा करारों या उसके नवीनीकरण से संबंधित है तथा बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन, रिवार्ड तथा प्रोत्साहन, बिक्री स्टाफ लागत, चिकित्सा जांच लागत, पॉलिसी प्रकाशन व्यय, स्टांप ड्यूटी तथा अन्य संबंधित खर्च शामिल हैं। इन्हें उस अवधि में खर्च किया गया माना जाता है जिसमें ये होते हैं।

प्रथम वर्ष में भुगतान किय गये कमीशन के लिए, भविष्य में वापसी, यदि कुछ हो तो, उसी वर्ष में लेखांकित की जाती है, जिस वर्ष में वह प्राप्त की गयी थी।

c) Profit or loss on sale of investment is recognised in the Profit & Loss Account on the trade date and determined on weighted average basis for individual security as per AS-13.

3.4 Non-Banking entities– Merchant Banking Services:

a) Devolvement of equity shares in respect of issues underwritten if any by the company shall be treated as investments. Underwriting income on these issues shall be credited to profit and loss account and shall not be netted against the value of investments.

b) Brokerage and commission earned on secondary market operations shall be recongnised on the basis of trade dates. Brokerage on online portal operations shall be recognised on the basis of trade dates. Brokerage and commission in respect of issue marketing and resource mobilization shall be accrued to the extent of availability of information. Depository, Portfolio Management, Investment Banking and other fees shall be accounted for on accrual basis.

4) NON BANKING ENTITIES – Insurance : Other Policies:

a) Benefits paid:

Benefits paid comprise of policy benefits & claim settlement costs, if any.

Death, rider, surrender & withdrawal claims are accounted for on receipt of intimation. Under linked Business, surrender also includes amount payable on lapsed/discontinued policies which are accounted for on expiry of lock in period. Surrenders and terminations are accounted net of charges.

Survival, maturity and annuity benefit claims are accounted for when due.

Reinsurance recoveries on claims are accounted for, in the same period as that of the related claims.

Claims disputed before judicial authorities are provided for on prudent basis as considered appropriate by management based on facts and circumstances in respect of each such claim.

b) Acquisition Costs:

Acquisition costs are costs that vary with and are primarily related to acquisition of new and renewal insurance contracts and consist of cost like commission to insurance intermediaries, rewards and incentives, sales staff costs, medical examination costs, policy printing expenses, stamp duty and other related expenses. These are expensed in the period in which they are incurred.

Claw back in future, if any, for the first year commission paid, is accounted for in the year in which it is recovered.

ग) **पॉलिसी देयताएं :**

वर्तमान पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा के लिए मूल्यांकन कवायद की जाती है। सलाभ नीतियों के लिए पॉलिसीधारकों की यथोचित अपेक्षाओं (पीआरई) पर भी विचार होता है। भविष्य की विभिन्न परिस्थितियों में सभी पॉलिसीधारकों को लाभ देने के लिए पर्याप्त आरक्षितियाँ होनी चाहिए। प्रतिकूल विचलन के लिए मार्जिन (एमएडी) का प्रयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि किसी संभावित विपरीत परिस्थितियों में भी पॉलिसीधारक के हित की रक्षा सुनिश्चित की जाय।

लागू पॉलिसियों के लिए बीमांकित देयता प्रीमियम पद्धति से तथा समूह व्यवसाय (क्रेडिट लाइफ व्यवसाय तथा रिवर्स बंधक ऋण सक्षम वार्षिकी को छोड़कर जहां सकल प्रीमियम पद्धति का प्रयोग होता है) के मामले में अनर्जित प्रीमियम रिवर्स पद्धति से बीमांकित देयता परिगणित होती है। सम्बद्ध देयताओं में यूनिट देयता तथा गैर-यूनिट देयता शामिल है। यूनिट देयता, पॉलिसी का निधि मूल्य प्रदर्शित करती है तथा गैर-यूनिट देयता बीमा दावा व्यय आदि के लिए है। मूल्यांकन के लिए शासित मुख्य दिशा-निर्देश हैं : बीमा अधिनियम 1938, आईआरडीए अधिनियम 1999, आईआरडीए (बीमांकिक रिपोर्ट एवं जीवन बीमा व्यवसाय के लिए सारांश) विनियम, 2016, आईआरडीएआई जीवन बीमा व्यवसाय के लिए (आस्तियां, देयताएं तथा शोधन क्षमता मार्जिन) विनियम 2016, भारतीय बीमांकिक संगठन द्वारा जारी बीमांकिक व्यवसाय मानक तथा मार्गदर्शन नोट्स एवं आईआरडीएआई द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र।

घ) **ऋण :**

बही मूल्य (चुकौतियों को हटाकर) तथा पूँजीगत ब्याज का समायोजन कर पॉलिसी के बदले ऋण का मूल्यांकन किया जाता है तथा यह किसी भी मूल्य-ह्रास, यदि कुछ हो तो, के अधीन है। 12 माह से कम परिपक्वता के मामले में ऋणों को अल्पावधि में वर्गीकृत किया जाता है। अल्पकालिक ऋणों को छोड़कर, अन्य ऋण, दीर्घावधि ऋण में वर्गीकृत किए जाते हैं।

ङ) **भविष्य में विनियोजन के लिए निधि :**

सहभागिता खण्ड में भविष्य में विनियोजनों के लिए निधि (एफएफए), ऐसी निधि को प्रदर्शित करती है जो तुलन पत्र तारीख को पॉलिसीधारकों या शेयरधारकों को आबंटित नहीं की गयी है। निधि में अंतरण तथा निधि से अंतरण अधिकता या व्यय से कम आय तथा कंपनी के पॉलिसीधारक की निधि से प्रत्येक लेखांकन अवधि में निकलने वाले विनियोजन को प्रदर्शित करता है। सहभागिता करने वाली पॉलिसियों के संबंध में पॉलिसीधारक को कोई भी आबंटन आवश्यक अनुपात में शेयरधारक को भी अंतरण आवश्यक करेगा।

च) **बंद पॉलिसी निधि :**

बंद पॉलिसी निधि का अर्थ है पृथक् निधि, जिसे निम्नलिखित कारणों से अलग रखा गया है :

i) अनुबंधित प्रीमियम का भुगतान न करना।

ii) पॉलिसी के बंद करने के विषय में पॉलिसीधारक से कंपनी द्वारा सूचना प्राप्त होने पर।

बंद की गयी पॉलिसियों के लिए निधि का भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बंद की गयी सम्बद्ध बीमा पॉलिसी के साथ व्यवहार) विनियम, 2010 तथा उसके बाद जारी परिपत्रों के अनुसार लेखांकन किया जाता है।

c) **Policy Liabilities:**

The valuation exercise is done to protect the interests of the existing policyholders. For With Profit policies the reasonable expectations of policyholders (PRE) are also considered. Adequate reserves are made for all the policyholder's benefits for various future scenarios. Adequate use of Margin for Adverse Deviation (MAD) is made to ensure that policyholders' benefits are protected even in some plausible adverse scenarios.

Actuarial liability for in force policies and for those in respect of which premium has been discontinued but a liability exists, is determined using the gross premium method and in case of group business (except for Credit Life Business and Reverse Mortgage Loan Enabled Annuity where gross premium method is used), the actuarial liabilities have been calculated on the basis of Unearned Premium Reserve method. Linked liabilities comprise unit liability representing the fund value of policies and non-unit liability for meeting insurance claims, expenses etc. The main governing guidelines considered for valuation are the Insurance Act 1938, the IRDA Act 1999, IRDAI (Actuarial Report & Abstract for Life Insurance Business) Regulations, 2016, IRDAI (Assets, Liabilities and Solvency Margin of Life Insurance Business) Regulations 2016, Actuarial Practice Standards and Guidance notes issued by Institute of Actuaries of India, Circulars issued by IRDAI from time to time.

d) **Loans:**

Loans against policies are valued at the aggregate of book values (net of repayments) plus capitalized interest and are subject to impairment if any. Loans are classified as short term in case the maturity is less than 12 months from the date of balance sheet. Loans other than short term are classified as long term.

e) **Funds for Future Appropriation:**

The Funds for Future Appropriations (FFA), in the participating segment, represents surplus, which is not allocated to policyholders or to shareholders as at the Balance Sheet date. Transfers to and from the fund reflect the excess or deficit of income over expenses and appropriations in each accounting period arising in the Company's policyholders' funds. Any allocation to the participating policyholders would also give rise to a transfer to the shareholder's profit and loss account in the required proportion.

f) **Discontinued Policies fund:**

Discontinued policy fund means the segregated fund that is set aside on account of:

a) Non-payment of contracted premium

b) Upon the receipt of the information by the Company from the policyholder about the discontinuance of the policy.

Fund for discontinued policies is accounted in accordance with the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Treatment of Discontinued Linked Insurance Policies) Regulations 2010 and circulars issued thereafter.

छ) पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि:

आईआरडीएआई परिपत्र सं. आईआरडीएआई/एफ एवं ए/सीआईआर/जीएलडी/195/08/124 दिनांक 14 अगस्त, 2014, आईआरडीए/एफ एवं ए/सीआईआर/सीपीएम/134/07/2015 दिनांक 24 जुलाई, 2015, आईआरडीए/एफ एवं ए/सीआईआर/सीएलडी/114/05/2015 दिनांक 28 मई, 2015, पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि संबंधी मास्टर परिपत्र संस्करण: 02 आईआरडीए/एफ एवं ए/सीआईआर/विविध/282/11/2020 दिनांक 17 नवंबर, 2020 और समय-समय पर यथा संशोधित निवेश विनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुरूप पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि के लिए अदावाकृत आस्तियों को रखा गया है और उन्हें निम्नानुसार प्रबंधित किया गया है:

i. पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि का निवेश अनुसूचित बैंकों की मुद्रा बाज़ार लिखतों, लिक्विड म्यूचुअल फंड और/या मीयादी जमाओं में किया जाता है जिसे पिछली लागत से वैल्यू किया जाता है, यह परिपक्वता/धारिता की अवधि/सीधी रेखा आधार पर प्रीमियम के परिशोधन या छूट की अनुवृद्धि के अध्यधीन है।

ii. पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि पर प्राप्त आय को संबंधित दावा न किए गए फंड में जोड़ दिया जाता है और फंड प्रबंधन प्रभारों को घटाकर उपचय आधार पर लेखांकन किया जाता है।

iii. पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि की देयता यथा वैल्यूएशन तारीख को बकाया इकाइयों के एनएवी के आधार पर निर्धारित की जाती है।

5) **अग्रिम:**

i. लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार में अग्रिमों को "अर्जक" और "अनर्जक" अग्रिमों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ii. इसके अतिरिक्त, लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों (एनपीए) को अवमानक, संदिग्ध तथा हानि प्राप्त आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

iii. घरेलू शाखाओं के संबंध में एनपीए से संबंधित प्रावधान, निम्नलिखित दर पर किये जाते है :

g) **Unclaimed amount of policyholders:**

Assets held for unclaimed amount of policyholders is created and maintained in accordance with the requirement of IRDAI circular No. IRDA/F&A/CIR/GLD/195/08/124 dated August 14, 2014, IRDA/F&A/CIR/CPM/134/07/2015 dated July 24, 2015, IRDA/F&A/CIR/CLD/114/05/2015 dated May 28, 2015, Master circular on Unclaimed Amount of Policyholders Ver 02 IRDA/F&A/CIR/Misc/282/11/2020 dated November 17, 2020 and Investment Regulations, 2016 as amended from time to time:

i. Unclaimed amount of policyholders is invested in money market instruments, Liquid mutual funds and/ or fixed deposits of scheduled banks which is valued at historical cost, subject to amortisation of premium or accretion of discount over the period of maturity/holding on a straight line basis.

ii. Income on unclaimed amount of policyholders is accreted to respective unclaimed fund and is accounted for on an accrual basis, net of fund management charges.

iii. Unclaimed amount of policyholders' liability is determined on the basis of NAV of the units outstanding as at the valuation date

5) **ADVANCES:**

i. Advances are classified into "Performing" and "Non-Performing Advances" (NPAs) in accordance with the applicable regulatory guidelines.

ii. NPAs are further classified into Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets in terms of applicable regulatory guidelines.

iii. In respect of domestic entities, NPA Provisions are made at the rates given as under:

एनपीए की श्रेणी	Category of NPAs	निवल बकाया अग्रिम पर प्रावधान का प्रतिशत Provision % on net outstanding advance
अवमानक आस्ति:*	Sub Standard:*	
ऐसे एक्सपोज़र, जो आरंभ से गैर जमानती हैं	Exposures, which are unsecured ab initio	25%
आधारभूत संरचना ऋण खातों के संबंध में प्रतिभूति रहित एक्सपोज़र जहाँ कुछ सुरक्षा प्रावधान, जैसे एस्क्रो खाते उपलब्ध हैं (गैर प्रतिभूति-इंफ्रा)	Unsecured exposure in respect of infrastructure loan accounts where certain safeguards such as escrow accounts are available (unsecured – infra)	20%
अन्य	Others	15%
संदिग्ध :	Doubtful:	
जमानती हिस्सा (उस अवधि के लिए जिसके दौरान अग्रिम संदिग्ध श्रेणी में रहा)	Secured portion (Period for which advance has remained in doubtful category)	
- एक वर्ष तक	- Upto one year	25%
- एक वर्ष से तीन वर्ष तक	- One year to three years	40%
- तीन वर्ष से अधिक	- More than three years	100%
ख) गैर जमानती हिस्सा	Unsecured portion	100%
हानि	Loss	100%

* बकाया अग्रिम पर On the outstanding advance

iv. विदेशी शाखाओं के संबंध में, अग्रिमों का एनपीए के रूप में वर्गीकरण और एनपीए के संबंध में प्रावधान संबंधित विदेशी देश में लागू विनियामक आवश्यकताओं अथवा बैंक के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार, इनमें से जो भी कड़े हो, उसके अनुसार होगी।

v. भारतीय रिज़र्व बैंक के मानकों के अनुसार निवल अग्रिम के परिकलन हेतु कुल अग्रिमों में से अनर्जक आस्तियों, अप्राप्य ब्याज, इसीजीसी दावा आदि का निपटान इत्यादि के संबंध में प्रावधान घटाएं जाते हैं।

vi. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्निधारित/ पुन:संरचित खातों के संबंध में विद्यमान मूल्य स्थिति में आकलित पुनर्संरचित अग्रिम के मूल्य में ह्रास के परित्याग के लिए प्रावधान किया जाता है। निवल अग्रिम के परिकलन हेतु इस प्रावधान को घटाया जाता है।

vii. आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी)/प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को वित्तीय आस्तियां बेचे जाने के मामले में यदि बिक्री, निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात् बकाया में से धारित प्रावधान घटाकर) से कम है तो कमी को आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाता है। यदि बिक्री का मूल्य निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक है तो जिस वर्ष राशि प्राप्त होती है उस वर्ष में एनपीए की बिक्री पर किए गए अतिरिक्त प्रावधान को लाभ एवं हानि खाते से वापस किया जा सकता है। परंतु कोई भी अतिरिक्त प्रावधान को तभी रिवर्स किया जाता है जब आस्ति का निवल बही मूल्य(एनबीवी) प्राप्त नकदी (केवल प्रारंभिक प्रतिफल द्वारा/अथवा एसआरएस/पीटीसी का रीडेम्पशन) से अधिक होगा। अतिरिक्त प्रावधान का रिवर्सल आस्ति के एनबीवी से अधिक प्राप्त नकदी की सीमा तक सीमित होगा।

viii. मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुन:संरचित अग्रिमों सहित मानक आस्तियों का प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। विदेशी शाखाओं के मामलों में मानक आस्तियों के लिए प्रावधान, संबन्धित विदेशी देशों में लागू विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार अथवा घरेलू शाखाओं के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार, इनमें से जो भी कड़े हों, उसके अनुसार होगी।

ix. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवल निधिक देशी एक्सपोज़र के लिए श्रेणीबद्ध स्केल पर प्रावधान किया जाता है।

6) अस्थायी प्रावधान :

बैंक ने अस्थयी प्रावधानों के निर्माण और उपयोग के लिए एक नीति तैयार की है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सृजित की जाने वाली अस्थायी प्रावधान की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। अस्थायी प्रावधान का उपयोग, नीति में निर्धारित केवल असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत आकस्मिकताओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से अथवा किसी निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई विशेष अनुमति से ही किया जाता है। शुद्ध एन.पी.ए तक पहुंचने के लिए इन प्रावधानों को सकल एन.पी.ए से घटाया जाता है।

7) डेबिट/क्रेडिट कार्ड रिवार्ड प्वाइंट:

बैंक के डेबिट कार्ड धारकों के संबंध में रिवार्ड पॉइंट का प्रावधान एक्चवेरीयल आकलन के आधार किया जाता है और क्रेडिट कार्ड पर रिवार्ड पॉइंट के लिए प्रावधान संचित बकाया पॉइंट के आधार पर किया जाता है।

iv. In respect of foreign entities, classification of advances as NPAs and provision in respect of NPAs is made as per the regulatory requirements prevailing at the respective foreign countries or as per guidelines applicable to bank, whichever is stringent.

v. Provisions in respect of NPAs, unrealised interest, ECGC claims, etc., are deducted from total advances to arrive at net advances as per RBI norms.

vi. In respect of Rescheduled/Restructured advances, provision is made for the diminution in the fair value of restructured advances measured in present value terms as per RBI guidelines. The said provision is reduced to arrive at Net advances.

vii. In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitisation Company (SC), if the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. outstanding less provision held) the shortfall is debited to the Profit and Loss account as per the extant RBI guidelines issued from time to time. If the sale is at a price higher than the NBV, the excess provision on sale of NPAs may be reversed to profit and loss account in the year the amounts is received. However, any excess provision is reversed only when the cash received (by way of initial consideration only/or redemption of SR's/PTC) is higher than the net book value (NBV) of the asset. Reversal of excess provision is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset

viii. Provision for Standard assets, including restructured advances classified as standard, is made in accordance with RBI guidelines. In respect of foreign entities provision for Standard Assets is made as per the regulatory requirements prevailing at the respective foreign countries or as per guidelines applicable to the Bank, whichever is stringent.

ix. Provision for net funded country exposures (Direct/ Indirect) is made on a graded scale in accordance with the RBI guidelines.

6) FLOATING PROVISION:

The bank has framed a policy for creation and utilisation of floating provisions. The quantum of floating provisions to be created is assessed at the end of each financial year. The floating provisions are utilised only for contingencies under extraordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India or on being specifically permitted by Reserve Bank of India for specific purposes. These provisions are netted off from gross NPAs to arrive at Net NPAs.

7) DEBIT/CREDIT CARD REWARD POINTS:

Provision for reward points in relation to debit cards is provided for on actuarial estimates and Provision for reward points on credit cards is made based on the accumulated outstanding points.

8) निवेश:

क. सरकारी प्रतिभूतियों में संव्यवहार को निपटान तारीख पर मान्यता दी जाती है और अन्य सभी निवेशों को कारोबार की तारीख पर मान्यता दी जाती है।

ख. निवेशों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 'परिपक्वता तक धारित", 'कारोबार के लिए धारित" और 'बिक्री हेतु धारित" श्रेणियों में किया गया है। तुलन पत्र की अनुसूची 8 में प्रकटन के उद्देश्य से इन्हें आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार (I) भारत में किए गए निवेशों को छह वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है जैसे-i.) सरकारी प्रतिभूतियाँ, ii.) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां, iii.) शेयर, iv.) डिबेंचर और बॉंड, v.) सहायक कंपनियों में निवेश और vi.) अन्य तथा (II) 'भारत के बाहर किए गए निवेशों" को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है यथा i.) सरकारी प्रतिभूतियाँ, ii.) विदेशी सहायक कंपनियों में निवेश, iii.) डिबेंचर और बॉंड और iv.) अन्य निवेश

क. वर्गीकरण का आधार

निवेश का वर्गीकरण उसके अर्जन के समय किया जाता है।

(i) परिपक्वता तक धारित

इसमें ऐसे निवेश हैं जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखने का इरादा रखता है। अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों में किए गए निवेश को भी परिपक्वता तक धारित के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

(ii) कारोबार के लिए धारित

इसमें ऐसे निवेश है जिन्हें अल्प मियादी मूल्य/ब्याज दर के उतार-चढ़ाव का लाभ लेते हुए कारोबार के इरादे से अर्जन किया जाता है। प्रतिभूतियों को खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर बेचा जाना है।

(iii) बिक्री के लिए उपलब्ध

इसमे ऐसे निवेश शामिल है जो "कारोबार तक धारित" अथवा "कारोबार के लिए धारित" श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते है।

ख. निवेश का अधिग्रहण लागत

(i) इक्विटी निवेश के अर्जन के लिए भुगतान किए गए ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूति संव्यवहार कर इत्यादि लागत में शामिल है।

(ii) ब्रोकरेज, कमीशन, डेब्ट निवेश पर भुगतान/प्राप्त किए गए खंडित अवधि के ब्याज को आय/व्यय के रूप में माना गया है और इसे लागत/बिक्री पर विचार करते समय शामिल नहीं किया जाता है।

(iii) निवेशों के अभिदान पर प्राप्त ब्रोकरेज और कमीशन को लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है।

ग. मूल्यांकन का तरीका

भारत में निवेशों का मूल्यांकन, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है और विदेशी शाखाओं में रखे गये निवेशों को संबंधित देश में लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुसार मूल्य अथवा समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्य, इन दोनों में जो भी कम हो उसके अनुसार किया जाता है।

ट्रेज़री बिलों और अन्य सभी बट्टाकृत लिखतों का मूल्य, कैरिंग कॉस्ट (अर्थात् प्राप्त करने की लागत में, प्राप्त करते समय लागू दर में उपचित बट्टा को जोड़कर) के आधार पर निकाला जाता है।

8) INVESTMENTS:

a) Transactions in Government Securities are recognised on settlement date and all other Investments are recognised on trade date.

b) Investments are classified under `Held to Maturity', 'Held for Trading' and 'Available for Sale' categories as per RBI guidelines. For the purpose of disclosure in the Balance Sheet in Schedule 8, (I) 'Investments in India' are classified under six categories viz. i.) Government Securities, ii.) Other Approved Securities, iii.) Shares, iv.) Debentures and Bonds, v.) Investment in Associates and vi.) Others and (II) 'Investments outside India' are classified under three categories viz. i.) Government Securities, ii) Investment in Associates abroad iii) Debentures and Bonds and iv.) Other Investments.

A. Basis of classification:

Classification of an investment is done at the time of its acquisition.

(i) Held to Maturity:

These comprise investments that the Bank intends to hold till maturity. Investments in equity of subsidiaries, joint ventures and associates are also categorised under Held to Maturity.

(ii) Held for Trading:

These comprise investments acquired with the intention to trade by taking advantage of short term price/interest rate movements. Securities are to be sold within 90 days from the purchase date.

(iii) Available for Sale:

These comprise investments which do not fall either under "Held to Maturity" or "Held for Trading" category.

B. Acquisition Cost of Investment:

(i) Brokerage, commission, securities transaction tax, etc. paid on acquisition of equity investments are included in cost.

(ii) Brokerage, commission, broken period interest paid/ received on debt investments is treated as expense/income and is excluded from cost/sale consideration.

(iii) Brokerage and commission, if any, received on subscription of investments is credited to Profit and Loss Account.

C. Method of valuation:

Investments in India are valued in accordance with the RBI guidelines and investments held at foreign branches are valued at lower of the value as per the statutory provisions prevailing at the respective foreign countries or as per RBI guidelines issued from time to time.

Treasury Bills and all others discounted instruments are valued at carrying cost (ie acquisition cost plus discount accrued at the rate prevailing at the time of acquisition)

(i) **परिपक्वता तक धारित:**

1. इस श्रेणी के तहत निवेशों को उनके अर्जन लागत, परिशोधन को घटाकर, यदि कोई हो, पर लिया जाता है। अंकित मूल्य से अधिक अर्जन लागत, यदि कोई हो, को सतत अर्जन पद्धति का उपयोग कर परिपक्वता की शेष बची अवधि में परिशोधित किया गया है। प्रीमियम का इस प्रकार परिशोधन, आय में "निवेश पर ब्याज" शीर्ष के तहत समायोजित किया जाता है।

2. सहयोगी कंपनियों में निवेश का मूल्यांकन आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 23 के अनुसार लेखांकन की इक्विटी पद्धति के अनुसार किया जाता है। प्रत्येक निवेश के लिए व्यक्तिगत रूप से, अस्थायी प्रकृति के अलावा अन्य कमी के लिए उपयुक्त प्रावधान किया गया है।

(ii) **कारोबार के लिए धारित/बिक्री के लिए उपलब्ध:**

1. इस श्रेणी के तहत निवेशों का मूल्यांकन विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार मूल्य अथवा उचित मूल्य पर एक-एक करके निर्धारित किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी के प्रत्येक वर्गीकरण में केवल निवल मूल्यह्रास लगाया जाता है और निवल मूल्यवृद्धि को ध्यान में नहीं रखा जाता है। मूल्यह्रास के लिए प्रावधान के संबंध में, बाजार मूल्य को बही में अंकित करने के पश्चात एकल प्रतिभूतियों का बही मूल्य अपरिवर्तित रहता है।

2. "कारोबार के लिए धारित" और "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणियों में उद्धत किए गए निवेश के मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु स्टॉक एक्सचेंज पर बाजार दर/भाव, निर्धारित आय मुद्रा बाजार और डेरिवेटिव संघ (एफआईएमएमडीए)/ फाइनान्शियल बेंचमार्क इंडिया प्रा.लि. (एफबीआईएल) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया जाता है। जिन निवेश के लिए ऐसे दर/भाव उपलब्ध नहीं है उनका मूल्यांकन भारतीय रि. जर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है जो निम्नानुसार है :

वर्गीकरण	मूल्यांकन का आधार
सरकारी प्रतिभूतियां	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
इक्विटी शेयर्स, पीएसयू और न्यासी शेयर	ब्रेक अप वैल्यू पर नवीनतम तुलन पत्र (18 महीनों से अधिक पुरानी नहीं), अन्यथा प्रति कंपनी ₹. 1
अधिमान्य शेयर	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
पीएसयू/कॉर्पोरेट बॉन्ड	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
म्यूचुअल फंड के यूनिट	नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य / प्रत्येक योजना के संबंध में घोषित एनएवी पर
उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ)	ऐसे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार घोषित एनएवी अथवा ब्रेक अप एनएवी जो 18 महीने से पुरानी न हो। यदि एनएवी/लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण 18 महीनों से अधिक हेतु उपलब्ध नहीं है तो ₹.1 प्रति वीसीएफ।
प्रतिभूति रसीद	प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा घोषणा के अनुसार एनएवी पर जो 6 माह से अधिक पुरानी न हो।

(i) **Held to Maturity:**

1. Investments included in this category are carried at their acquisition cost, net of amortisation, if any. The excess of acquisition cost, if any, over the face value is amortised over the remaining period of maturity using constant yield method. Such amortisation of premium is adjusted against income under the head "interest on investments".

2. Investments in associates are valued as per equity method of accounting in accordance with Accounting Standard 23 issued by the ICAI. Suitable provision is made for diminution, other than of temporary nature, for each investment individually.

(ii) **Held for Trading / Available for Sale:**

1. Investments under these categories are individually valued at the market price or fair value determined as per Regulatory guidelines and only the net depreciation in each classification for each category is provided for and net appreciation is ignored. On provision for depreciation, the book value of the individual securities remains unchanged after marking to market.

   For the purpose of valuation of quoted investments in "Held for Trading" and "Available for Sale" categories, the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA)/ Financial Benchmark India Pvt. Ltd. (FBIL) are used. Investments for which such rates/quotes are not available are valued as per norms laid down by RBI, which are as under:

Classification	Basis of Valuation
Government Securities	on Yield to Maturity basis
Other Approved Securities	on Yield to Maturity basis
Equity Shares, PSU and Trustee shares	at break up value as per the latest Balance Sheet (not more than 18 months old), otherwise Re.1 per company.
Preference Shares	on Yield to Maturity basis
PSU/Corporate Bonds	on Yield to Maturity basis
Units of Mutual Funds	at the latest repurchase price/NAV declared by the fund in respect of each scheme
Units of Venture Capital Funds (VCF)	declared NAV or break up NAV as per audited financials which are not more than 18 months old. If NAV/audited financials are not available for more than 18 months then at Re. 1/- per VCF.
Security Receipts	at NAV as declared by Securitisation Companies which is not more than 6 months old.

घ. **विभिन्न श्रेणियों के मध्य प्रतिभूतियों का अंतरण:**

(i.) **एचटीएम से एएफएस/एचएफटी :**

क. यदि किसी डिस्काउंट पर मूलत: प्रतिभूति को एचटीएम श्रेणी में रखा गया था तो इसे अधिग्रहण कीमत/बही मूल्य पर अंतरित किया जाता है। अंतरण के बाद इन प्रतिभूतियों का तत्काल मूल्यांकन किया जाता है तथा यदि कोई मूल्यह्रास होता है तो उसका लेखांकन किया जाता है।

ख. यदि किसी प्रीमियम पर प्रतिभूति को मूलत: एचटीएम श्रेणी में रखा गया था तो इसे एमोर्टाइज्ड लागत पर एएफएस/एचएफटी श्रेणी में अंतरित किया जाता है। अंतरण के बाद इन प्रतिभूतियों का तत्काल मूल्यांकन किया जाता है तथा यदि कोई मूल्यह्रास होता है तो उसका लेखांकन किया जाता है।

(ii.) **एएसएस/एचएफटी से एचटीएम :** बही मूल्य या बाजार मूल्य में से जो भी कम हो उस पर एएफएस, एचएफटी श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में स्क्रिप का अंतरण किया जाता है। यदि अंतरण के समय बाजारमूल्य बही मूल्य से ज्यादा होता है तो बढ़ोत्तरी को नजर अंदाज किया जाता है। यदि बही मूल्य से बाजार मूल्य कम होता है तो वैसी प्रतिभूति के लिए किये गये मूल्यह्रास के प्रावधान को समायोजित किया जाता है एवं बही मूल्य को बाजार मूल्य तक कम किया जाता है तथा प्रतिभूति को बाजारमूल्य पर अंतरित किया जाता है।

(iii.) **एएफएस से एचएफटी एवं इसके विपरीत:** एएफएस से एचएफटी श्रेणी या इसके विपरीत प्रतिभूति अंतरित करने के मामले में अंतरण की तारीख पर प्रतिभूतियों का पुन: मूल्यांकन नहीं किया जाता है तथा रखे गये संकलित मूल्यह्रास का प्रावधान, यदि कुछ हो तो एचएफटी प्रतिभूतियां या इसके विपरीत, जैसा मामला हो इनके विरुद्ध मूल्यह्रास के लिए प्रावधान में अंतरित किया जाता है।

ङ. **अनर्जक निवेश (एनपीआई) और उसका मूल्यांकन:**

(i) निवेशों को अर्जक और अनर्जक में वर्गीकृत किया जाता है जो घरेलू कार्यालयों के मामले में आरबीआई और विदेशी कार्यालयों के मामले में संबंधित विनियामकों द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर आधारित होते हैं।

(ii) अनर्जक निवेशों के संबंध में आय मान्य नहीं होती है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य में ह्रास हेतु प्रावधान किया जाता है।

(iii) परिपक्व एनपीआई को अनुसूची 11 में "अन्य आस्तियों" के अंतर्गत दिखाया गया है। (प्रावधान घटाकर)

च. **रेपो/रिवर्स रेपो:**

रेपो/रिवर्स रेपो के अंतर्गत बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियों का लेखांकन संपार्शिक उधार और उधार के संव्यवहार के रूप में किया जाता है। तथापि प्रतिभूतियों का अंतरण वैसे ही किया जाता है जैसे सामान्य सीधी बिक्री/खरीद संव्यवहार के मामले में होता है और ऐसी प्रतिभूतियों का आवागमन रेपो/रिवर्स रेपो खातों और दुतरफा प्रविष्टियों के प्रयोग द्वारा होता है। उपर्युक्त प्रविष्टियों को परिपक्वता पर रिवर्स किया जाता है। लागत तथा राजस्व का लेखांकन, जैसा भी मामला हो, ब्याज व्यय/आय के रूप में किया जाता है। तुलन पत्र में रेपो खाते में शेष को उधार के रूप में वर्गीकृत किया गया और रिवर्स रेपो खाते में शेष को बैंक के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

छ. **आस्तियों के विरुद्ध प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में निवेश**

24 सितंबर, 2021 के परिपत्र संख्या आरबीआई/डीओआर/2021-22/86

D. **Transfer of Securities between Categories:**

i. **HTM to AFS/HFT :**

a. If the security was originally placed under the HTM category at a discount it is transferred at the acquisition price / book value. After transfer, these securities are immediately re-valued and resultant depreciation, if any, is provided.

b. If the security was originally placed in the HTM category at a premium, it is transferred to the AFS / HFT category at the amortised cost. After transfer, these securities are immediately re-valued and resultant depreciation, if any, is provided.

ii. **AFS/HFT TO HTM:** Transfer of scrips from AFS / HFT category to HTM category is made at the lower of book value or market value. In cases where the market value is higher than the book value at the time of transfer, the appreciation is ignored. In cases where the market value is less than the book value, the provision against depreciation held against this security is adjusted to reduce the book value to the market value and the security is transferred at the market value.

iii. **AFS TO HFT AND VICE-VERSA :** In the case of transfer of securities from AFS to HFT category or vice-versa, the securities are not re-valued on the date of transfer and the provisions for the accumulated depreciation, if any, held are transferred to the provisions for depreciation against the HFT securities and vice-versa.

E. **Non performing Investments (NPIs) and valuation thereof:**

(i) Investments are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the RBI in case of domestic offices and respective regulators in case of foreign offices.

(ii) In respect of non performing investments, income is not recognised and provision is made for depreciation in value of such securities as per RBI guidelines.

(iii) Matured NPIs are shown under 'Other Assets' Schedule11 (Net of Provision).

F. **Repo / Reverse Repo:**

The securities sold and purchased under Repo/ Reverse repo are accounted as Collateralised lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in case of normal outright sale/ purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/ Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/ income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified as Borrowings and balance in Reverse Repo account is classified as Balance with Banks and Money at Call & Short Notice in the balance sheet.

G. **Investment in Security Receipts (SRs) backed by assets:-**

In terms of RBI guidelines issued vide circular no RBI/

डीओआर.एसटीआर.आरईसी.51/21.04.048/2021-22 के माध्यम से जारी आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने प्रतिभूतिकरण के अंतर्गत एसआर के संबंध में मूल्यांकन पद्धति को संशोधित किया है।

ए) बैंकों द्वारा एआरसी द्वारा जारी एसआर/पीटीसी/अन्य प्रतिभूतियों में निवेश का मूल्यांकन समय-समय पर ऐसे लिखत के लिए प्राप्त वसूली रेटिंग के आधार पर एआरसी द्वारा घोषित शुद्ध संपत्ति मूल्य (एनएवी) की गणना करके किया जाएगा।

बशर्ते कि जब बैंक एआरसी द्वारा जारी किए गए एसआर/पीटीसी में उनके द्वारा एआरसी को हस्तांतरित किए गए तनावग्रस्त ऋणों के संबंध में निवेश करते हैं, तो बैंक निवेश को अपनी बहियों में निरंतरता के आधार पर तब तक जारी रखेगा, जब तक कि उसका हस्तांतरण या वसूली नहीं हो जाती है। यह ऊपर दिए गए एनएवी के आधार पर एसआर का मोचन मूल्य और बैंक हस्तांतरित तनावग्रस्त ऋण के समय के एनबीवी के आधार पर, इन दोनों में जो भी कम हो पर बही में रखा जाता है।

बशर्ते कि आगे कि जब बैंक द्वारा एसआर में उसके द्वारा हस्तांतरित ऋणों द्वारा समर्थित निवेश, उसके हस्तांतरित ऋणों द्वारा समर्थित सभी एसआर के 10 प्रतिशत से अधिक हो और उस प्रतिभूतिकरण के तहत जारी किया गया हो, तो बैंक द्वारा ऐसे एसआर का मूल्यांकन एसआर के अंकित मूल्य के फ्लोर के अधीन होगा जिसे अंतर्निहित ऋणों पर लागू प्रावधान दर से कम किया जायेगा, यदि बैंक की बही में ऋण जारी रहे।

बी) एसआरएस/पीटीसी जिन्हें समाधान अवधि (अर्थात पांच साल या आठ साल जैसा भी मामला हो) के अंत में भुनाया नहीं गया है, उन्हें बैंक की बही में नुकसान की संपत्ति के रूप में माना जाएगा और पूरी तरह से प्रावधान किया जाएगा।

सी) आरबीआई द्वारा समय-समय पर निर्धारित गैर-एसएलआर लिखतों में निवेश के लिए लागू मूल्यांकन, वर्गीकरण और अन्य मानदंड एआरसी द्वारा जारी डिबेंचर/बांड/एसआरएस/पीटीसी में बैंक निवेश पर लागू होंगे। हालांकि, यदि एआरसी द्वारा जारी उपरोक्त में से कोई भी लिखत संबंधित योजना में लिखतों को सौंपी गई वित्तीय परिसंपत्तियों की वास्तविक वसूली के अधीन है, तो बैंक ऐसे निवेशों के मूल्यांकन के लिए समय-समय पर एआरसी से प्राप्त एनएवी की गणना करेगा।

9) डेरिवेटिव

वर्तमान में बैंक, ब्याज दर एवं करेंसी डेरिवेटिव में फॉरेक्स वायदा संविदा का कार्य करता है। बैंक द्वारा किया जाने वाले ब्याज दर डेरिवेटिव हैं - रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप, वायदा दर करार तथा ब्याज दर फ्यूचर। बैंक द्वारा किये जा रहे मुद्रा डेरिवेटिव हैं - करन्सी स्वैप तथा करन्सी फ्यूचर। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार, डेरिवेटिव को निम्नानुसार मूल्यांकित किया जाता है :

(क) हेज/नॉन हेज (मार्केट मेकिंग) संव्यवहारों को अलग-अलग रिकॉर्ड किया जाता है।

(ख) हेज़िग डेरिवेटिव पर आय/व्यय, उपचय आधार पर लेखांकित होती है

(ग) फॉरेक्स फॉरवर्ड संविदाओं को बाजार मूल्य पर अंकित किया जाता है और परिणामत: लाभ एवं हानि को लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

(घ) हेजिंग डेरिवेटिव की एमटीएम बढ़ोतरी (एप्रीसिएशन)/मूल्यह्रास होने पर सर्वप्रथम इनके संबंधित अंडरलाइंग आस्ति के मूल्यह्रास/बढ़ोतरी

DOR/2021-22/86DOR.STR.REC.51/21.04.048/2021-22 dated September 24, 2021, the bank has revised valuation methodology in respect of SRs under securitization,

a) Investments by banks in SRs / PTCs / other securities issued by ARCs shall be valued periodically by reckoning the Net Asset Value (NAV) declared by the ARC based on the recovery ratings received for such instruments.

Provided that when bank invest in the SRs/PTCs issued by ARCs in respect of the stressed loans transferred by them to the ARC, the bank shall carry the investment in their books on an ongoing basis, until its transfer or realization, at lower of the redemption value of SRs arrived based on the NAV as above, and the NBV of the transferred stressed loan at the time of bank.

Provided further that when the investment by bank in SRs backed by stressed loans transferred by it, is more than 10 percent of all SRs backed by its transferred loans and issued under that securitisation, the valuation of such SRs by the bank will be additionally subject to a floor of face value of the SRs reduced by the provisioning rate as applicable to the underlying loans, had the loans continued in the books of the bank.

b) SRs/PTCs which are not redeemed as at the end of the resolution period (i.e., five years or eight years as the case may be) shall be treated as loss asset in books of the bank and fully provided for.

c). The valuation, classification and other norms applicable to investment in non-SLR instruments prescribed by RBI from time to time shall be applicable to bank investment in debentures/ bonds/ SRs /PTCs issued by ARC. However, if any of the above instruments issued by ARC is limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the bank shall reckon the NAV obtained from ARC from time to time, for valuation of such investments.

9) DERIVATIVE

The Bank presently deals Forex Forward Contracts in interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Forward Rate Agreements and Interest Rate Futures. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency Swaps and Currency Futures. Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

(a) The hedge/non hedge (market making) transactions are recorded separately.

(b) Income/expenditure on hedging derivatives are accounted on accrual basis.

(c) Forex forward contracts are Marked to market and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account.

(d) MTM appreciation/ depreciation of hedging derivative is first set off with the depreciation /

(एप्रीसिएशन) से इसका समंजन (सेट ऑफ) किया जाता है तथा इसके परिणाम से निकले मूल्यह्रास को निर्धारित किया जाता है। यदि उक्त के परिणाम स्वरूप बढ़ोतरी (एप्रीसिएशन) निकलता है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

(ङ) ट्रेडिंग के उद्देश्य से, विनिमय व्यापार डेरिवेटिव के अलावा ब्याज दर डेरिवेटिव और मुद्रा डेरिवेटिव को बाजार मूल्य पर (एमटीएम) अंकित किया जाता है और परिणामत: हानि, यदि कोई हो तो, उसे लाभ एवं हानि के रूप में निर्धारित किया जाता है। लाभ, यदि कोई हो तो, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

(च) ट्रेडिंग के उद्देश्य से प्रविष्ट, विनिमय व्यापार डेरिवेटिव का, विनिमय द्वारा प्रदत्त दरों के आधार पर, प्रचलित मार्केट दरों पर मूल्यांकन किया जाता है तथा इसके परिणामस्वरूप लाभ और हानि को लाभ-हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

(छ) ट्रेडिंग स्वैप के निरस्तीकरण से लाभ/हानियों को, निरस्तीकरण तिथि पर आय/व्यय के रूप में रिकार्ड किया जाता है। हेजिंग स्वैप के निरस्तीकरण पर, किसी भी लाभ/हानि को उस समय स्थगित किया जाता है तथा संविदा के अनुसार स्वैप की शेष अवधि या निर्दिष्ट आस्ति/देयता की अवधि - इन दोनों में जो भी कम हो, उस काल खंड में उसे निर्धारित किया जाता है।

(ज) ऑप्शन संविदा की परिपक्वता अवधि पर ऑप्शन शुल्क/प्रीमियम का परिशोधन किया जाता है।

10) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण :

क. पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के मामलों के अतिरिक्त, जिन्हें पुनर्मूल्यांकित रकम पर ही बताया जाता है, अचल आस्तियों को पूर्व के लागत के आधार पर बताया है। पुनर्मूल्यांकन से आयी वृद्धि (एप्रीसिएशन) को पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति में जमा किया जाता है।

ख. लागत में शामिल है - खरीद की लागत तथा आस्ति के उपयोग के पहले या उसे पहले प्रयोग योग्य बनाने के लिए स्थान संबंधी तैयारी की संस्थापना लागत, व्यावसायिक शुल्क इत्यादि जैसे किए गए सभी व्यय। उपयोग की जा रही आस्तियों पर किए गए उत्तरवर्ती व्यय को केवल तभी पंजीकृत किया जाएगा जब ऐसी आस्तियों से अथवा उनकी कार्यात्मक क्षमता से भविष्य में लाभ में वृद्धि होती है।

ग. 5 वर्ष से कम आकलित उपयोगी जीवन वाली आस्तियों को छोड़कर, सभी आस्तियों के लिए 5% अवशिष्ट मूल्य रखा गया है (यथा कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तथा साइकल) जहाँ आस्ति की पूरी लागत, उपयोगी जीवन के ऊपर परिशोधित है।

घ. मूल्यह्रास की दर तथा मूल्यह्रास प्रभारित करने का तरीका नीचे दिया गया है -

appreciation of the corresponding underlying and the resultant depreciation is recognized. Resultant appreciation, if any, is ignored.

(e) Interest Rate Derivatives and currency derivatives other than exchange traded derivatives for trading purpose are marked to market and the resulting losses, if any, are recognised in the Profit & Loss account. Net Profit if any, is ignored.

(f) Exchange Traded Derivatives entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the Exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account.

(g) Gains/ losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/ expenditure. Any gain/loss on termination of hedging swaps are deferred and recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/liabilities.

(h) Option fees/premium is amortised over the tenor of the option contract.

10) PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT

a. Fixed assets are stated at historic cost, except in the case of assets which have been revalued, which are stated at revalued amount. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve.

b. Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs, professional fees, etc. incurred on the asset before it is ready to use or capable of ready to use. Subsequent expenditure incurred on assets ready to use is capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

c. 5% residual value has been kept for all the assets except for the assets with estimated useful life less than 5 Years (e.g. Mobile Phones, Computers, Computer Software forming part of hardware), where the entire cost of the assets is amortised over the useful life.

d. The rates of depreciation and method of charging depreciation is given below-

क्र. सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	मूल्यह्रास की दर Rate of Depreciation	बैंक के द्वारा निर्धारित उपयोगी जीवन का आकलन Estimated useful life as determined by the Bank	मूल्यह्रास प्रभारित करने का तरीका Method of charging depreciation
1	भवन एवं भूमि	Land & Building:			
a.	भूमि (फ्री होल्ड)	Land (Freehold)	शून्य NIL		
b.	पट्टाधारित भूमि	Leasehold Land		लीज प्रीमियम को पट्टे की अवधि पर परिशोधित की जाती है। Lease premium is amortised over the period of lease	
c.	भवन (भूमि की लागत सहित यदि पहले निर्धारित नहीं की गयी है)	Building (including cost of land if not ascertained separately)	1.58%	60 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line

क्र. सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	मूल्यह्रास की दर Rate of Depreciation	बैंक के द्वारा निर्धारित उपयोगी जीवन का आकलन Estimated useful life as determined by the Bank	मूल्यह्रास प्रभारित करने का तरीका Method of charging depreciation
2.	अन्य अचल आस्तियां:-	Other Fixed Assets:-			
a.	फर्नीचर, फिक्सचर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग एवं उपकरण	Furniture, Fixtures, Electrical fittings and Equipments	9.50%	10 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
b.	इलेक्ट्रिकल फिटिंग एवं उपकरण	Electrical Fitting and Equipments	9.50%	10 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
c.	एयर कंडिशनिंग प्लांट इत्यादि एवं कारोबार मशीनें	Air-conditioning plants, etc. and business machines	6.33%	15 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
d.	मोटर कार, वैन एवं मोटर साइकिलें	Motor cars, Vans & Motor cycles	11.88%	8 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
e.	साइकल	Cycle	20.00%	5 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
f.	मोबाईल फोन	Mobile Phones	33.33%	3 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
g.	कम्प्यूटर तथा कंम्प्यूटर साफ्टवयेर जो हार्डवेयर का अभिन्न अंग है।	Computers and Computer Software forming integral part of hardware	33.33%	3 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
h.	सर्वर	Servers	20%	5 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
i.	कंम्प्यूटर साफ्टवयेर जो हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है।	Computer Software, which do not form integral part of computer hardware	20%	5 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line

ङ) वर्ष के दौरान, खरीद/बिक्री के संबंध में मूल्य ह्रास को, जितने दिनों के लिए संबंधित आस्ति का प्रयोग किया गया, उसके आनुपातिक आधार पर परिकलित किया जाता है।

च) आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के समय यथा मूल्यांकित, संबंधित आस्ति के बचे हुए उपयोगी जीवन में पुनर्मूल्यांकित अंश का मूल्यह्रास लिया जाता है। ऐसे मूल्यह्रास को लाभ एवं हानि पर प्रभारित किया जाता है और इसके बराबर की राशि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति से राजस्व आरक्षिति में अंतरित किया जाता है।

छ) भारत के बाहर की अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास, सीधी आरेख पद्धति पर आधारित होता है, उन स्थानों को छोड़कर जहाँ स्थानीय संबंधित प्राधिकारियों के द्वारा अलग दर/पद्धति निर्धारित की गयी है।

11) विदेशी मुद्रा विनिमय से संबद्ध संव्यवहार :

विदेशी मुद्रा से संबंधित संव्यवहारों का लेखांकन, आरबीआई के वर्तमान दिशानिर्देशों के साथ पठित लेखामानक एएस 11, ''विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव'' के अनुरूप किया जाता है:

क) समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण:

भारतीय शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों का वर्गीकरण समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में किया गया है और ऐसे परिचालनों के विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है:

i. विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को, रिपोर्टिंग मुद्रा में, आरंभिक मान्यता पर रिकार्ड किया जाता है। ऐसा, कॉजेंसिज/रयूटर के पृष्ठ में प्रदर्शित साप्ताहिक औसत क्लोजिंग दर पर, रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर को विदेशी मुद्रा रकम पर लगाकर किया जाता है।

e. In respect of additions/sale during the year, depreciation is provided on proportionate basis for the number of days the assets have been ready to use during the year.

f. The revalued portion is depreciated over the balance useful life of the assets as assessed at the time of revaluation. Such depreciation is charged to Profit & loss account and equivalent amount is transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

g. Depreciation on fixed assets outside India is provided on Straight Line Method, except at the centres where different rates/method have been prescribed by the local statutory authorities.

11) TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE:

Transactions involving foreign exchange are accounted for in accordance with AS 11, "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates" read with extant RBI guidelines:

a) Translation in respect of Integral Foreign operations:

Foreign currency transactions of Indian branches have been classified as integral foreign operations and foreign currency transactions of such operations are translated as under:

i) Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount, the daily closing rate as available from Cogencis/ Reuter's page on date of the transaction.

ii. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें, भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (एफईडीएआई) के क्लोजिंग स्पॉट दरों का प्रयोग कर रिपोर्ट की जाती हैं।

iii. विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदें, जो पूर्व के लागत के अनुसार की जाती हैं उन्हें संव्यवहार की तारीख पर विनिमय दर का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है।

iv. विदेशी मुद्रा में रखी गई आकस्मिक देयताओं को एफईडीएआई के क्लोजिंग स्पॉट दरों का प्रयोग कर रिपोर्ट किया जाता है।

v. बकाया विदेशी मुद्रा स्पॉट और कारोबार के लिए धारित वायदा संविदा का, निर्धारित परिपक्वता के लिए एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और परिणामत: लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

vi. एफईडीएआई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बकाया विदेशी मुद्रा वायदा संविदा जिन पर कारोबार नहीं किया जाएगा, उनका क्लोजिंग स्पॉट दर पर मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे वायदा विनिमय संविदा के आरंभ में उत्पन्न प्रीमियम अथवा बट्टे को संविदा के जीवनकाल में व्यय अथवा आय पर परिशोधित किया जाता है।

vii. मौद्रिक मदों के निपटान में, आरंभ में रिकॉर्ड किए गए दरों से भिन्न दरों के लिए उत्पन्न विनिमय अंतर को, उस अवधि के लिए आय के रूप में अथवा व्यय के रूप में माना जाएगा जिस समय यह उत्पन्न हुई।

viii. मुद्रा वादा बाजार में खुली स्थिति के विनिमय दर में परिवर्तन के कारण प्राप्ति/हानि का निपटान दैनिक आधार पर विनिमय समाशोधन गृह में किया जाता है और ऐसी प्राप्ति/हानि को लाभ एवं हानि खाते में मान्य किया जाता है।

ख) समाकलन रहित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण:

विदेशी शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहार को आंतरिक विदेशी परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनके वित्तीय विवरणपत्रों को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है :

i) आस्तियों एवं देयताओं (मौद्रिक और गैर-मौद्रिक के साथ-साथ आकस्मिक देयताओं) को वर्ष की समाप्ति पर, भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (एफईडीएआई) द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग दरों के आधार पर स्पष्ट किया जाता है।

ii) आय और व्ययों को संबंधित तिमाही की समाप्ति पर एफईडीएआई द्वारा सूचित "तिमाही औसतन क्लोजिंग दरह्व पर स्पष्ट किया जाता है।

iii) सभी परिणामी विनिमय अंतरों को संबंधित विदेशी शाखाओं में निवल निवेशों के निपटान तक एक अलग खाते -"विदेशी मुद्रा स्पष्टीकरण रिजर्व" में संचित किया जाता है।

iv) विदेशी कार्यालयों के विदेशी मुद्रा में आस्तियां और देयताएं (विदेशी कार्यालयों के स्थानीय मुद्रा को छोड़कर) को उस देश में लागू स्पॉट दरों का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में आंका जाता है।

ii) Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing spot rates.

iii) Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms of historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

iv) Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

v) Outstanding foreign exchange spot and forward contracts held for trading are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities, and the resulting notional profit or loss is recognised in the Profit and Loss account.

vi) Outstanding Foreign exchange forward contracts which are not intended for trading are valued at the closing spot rate as advised by FEDAI. The premium or discount arising at the inception of such a forward exchange contract is amortised as expense or income over the life of the contract.

vii) Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

viii) Gains/Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/losses are recognised in the Profit and Loss account.

b) Translation in respect of Non-Integral Foreign operations:

Transactions and balances of foreign entities are classified as non-integral foreign operations and their financial statements are translated as follows:

i) Assets and Liabilities (monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing rates notified by FEDAI.

ii) Income and expenses are translated at the quarterly average closing rates notified by FEDAI.

iii) All resulting exchange differences are accumulated in a separate account 'Foreign Currency Translation Reserve' till the disposal of the net investments by the bank in the respective foreign entities.

iv) The Assets and Liabilities of foreign offices in foreign currency (other than local currency of the foreign offices) are translated into local currency using spot rates applicable to that country.

12) कर्मचारी लाभ :

i. अल्पावधि कर्मचारी लाभ :

अल्पावधि कर्मचारी लाभों की बट्टाकृत रकम जैसे मेडिकल लाभ आदि का भुगतान, कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के विनिमय में किया जाता है। इसे कर्मचारी द्वारा दी जा रही सेवा की अवधि के दौरान ही मान्यता दी जाएगी।

ii. दीर्घावधि कर्मचारी लाभ :

ए. परिनिश्चित लाभ योजना:-

क) उपदान (ग्रैच्युटी)

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रैच्युटी प्रदान करता है। यह लाभ निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नियोजन के दौरान मृत्यु पर, अथवा नियोजन की समाप्ति पर एक मुश्त भुगतान के रूप में दी जाती है। यह राशि प्रत्येक पूर्ण किए गए सेवा वर्ष के लिए देय 15 दिनों के बेसिक वेतन के समतुल्य है जो उपदान संदाय अधिनियम 1972 अथवा बीओआई (कर्मचारी) उपदान नियम, 1975 में निर्धारित अधिकतम राशि में जो भी अधिक हो के अधीन है। वेस्टिंग पांच वर्षों की सेवा पूर्ण होने पर ही होती है। बैंक निधि में आवधिक अंशदान करता है जिसका प्रबंधन ट्रस्टी द्वारा किया जाता है जो तिमाही रूप में एक स्वतंत्र बाह्य ऐक्चवेरीयल मूल्यांकन पर आधारित है।

ख) पेंशन

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन देता है। नियमों के अनुसार यह लाभ मासिक भुगतान के रूप में होता है और निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नियोजन के दौरान मृत्यु पर, अथवा नियोजन की समाप्ति पर भुगतान किया जाता है। नियमों के अनुसार वेस्टिंग विभिन्न स्तरों पर होती है। बीओआई (कर्मचारी) पेंशन विनियमन, 1995 के अनुसार बैंक पेंशन निधि में वेतन का 10% मासिक अंशदान करता है। पेंशन की देयता स्वतंत्र ऐक्चवेरीयल मूल्यांकन पर आधारित है जो तिमाही रूप में की जाती है और पेंशन विनियमन के तहत भुगतान के लाभों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर निधि में बैंक द्वारा ऐसे अतिरिक्त अंशदान किए जाते हैं।

बी. परिनिश्चित अंशदान योजना :

क) भविष्य निधि:

बैंक एक भविष्य निधि योजना चलाती है। सभी पात्र कर्मचारियों को बैंक के भविष्य निधि योजना के तहत लाभ पाने का हक है। बैंक एक निर्धारित दर (वर्तमान में कर्मचारी के बेसिक वेतन के 10% के साथ पात्र भत्ते) पर मासिक अंशदान करती है। यह अंशदान इस उद्देश्य से स्थापित न्यास को प्रेषित किया जाता है और इसे लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। बैंक ऐसे वार्षिक अंशदानों को उस संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है।

ख) पेंशन

दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से बैंक में भर्ती हुए सभी कर्मचारी अंशदायी पेंशन के पात्र हैं। ऐसे कर्मचारी पेंशन योजना में पूर्व निर्धारित दर पर मासिक अंशदान करते हैं। उक्त पेंशन योजना

12) EMPLOYEE BENEFITS:

i. Short Term Employee Benefits:

The undiscounted amount of short-term employee benefits, such as medical benefits etc. which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the period when the employee renders the service.

ii. Long Term Employee Benefits:

A. Defined Benefit Plan

a) Gratuity

The Bank provides gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum payments to vested employees on retirement, or on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to 15 days basic salary payable for each completed year of service, subject to a maximum prescribed as per The Payment of Gratuity Act, 1972 or Bank of India Gratuity Fund Rules, 1975, whichever is higher. Vesting occurs upon completion of five years of service. The Bank makes periodic contributions to a fund administered by trustees based on an independent actuarial valuation carried out quarterly.

b) Pension

The Bank provides pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules and payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment. Vesting occurs at different stages as per rules. The Bank makes monthly contribution to the pension fund at 10% of pay in terms of Bank of India (Employees) Pension regulations, 1995. The pension liability is reckoned based on an independent actuarial valuation carried out quarterly and Bank makes such additional contributions periodically to the Fund as may be required to secure payment of the benefits under the pension regulations.

B. Defined Contribution Plan:

a. Provident Fund

The Bank operates a Provident Fund scheme. All eligible employees are entitled to receive benefits under the Bank's Provident Fund scheme. The Bank contributes monthly at a determined rate (currently 10% of employee's basic pay plus eligible allowance). These contributions are remitted to a trust established for this purpose and are charged to Profit and Loss Account. The bank recognises such annual contributions as an expense in the year to which it relates.

b. Pension

All Employees of the bank, who have joined from 1st April, 2010 are eligible for contributory pension. Such employees

में बैंक भी पूर्व निर्धारित दर पर मासिक अंशदान करता है। बैंक ऐसी योजना में हुए व्यय को संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है। यह अंशदान राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम न्यास को प्रेषित किया जाता है। बैंक का दायित्व ऐसे पूर्व निर्धारित अंशदान तक सीमित है।

ग) **अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ**

सभी पात्र कर्मचारी निम्नलिखित के पात्र हैं -

i.) छुट्टी नकदीकरण लाभ जो परिभाषित लाभ दायित्व है, एएस 15 - "कर्मचारी लाभ" के अनुरूप ऐक्चवेरीयल मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाया जाता है।

ii.) अन्य कर्मचारी लाभ जैसे छुट्टी किराया रियायत, माइलस्टोन एवार्ड, पुनर्स्थापना लाभ, आकस्मिक लाभ इत्यादि परिनिश्चित लाभ दायित्व है जो एएस 15 - "कर्मचारी लाभ" के अनुरूप ऐक्चवेरीयल मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाया जाता है।

iii.) विदेशी शाखाओं, कार्यालयों एवं सहायक कंपनियों के मामलों में प्रतिनियुक्तियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों के संबंध में लाभों की गणना संबंधित देशों में विद्यमान कानून के आधार पर की जाती है।

13) सेगमेंट रिपोर्टिंग :

आरबीआई के दिशानिर्देशों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मानक लेखांकन 17 के अनुसार बैंक कारोबार संबंधी खण्ड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खण्ड और भोगेलिक खण्ड को गौण रिपोर्टिंग खंड के रूप में मान्यता देता है।

14) प्रति शेयर अर्जन :

क) एएस 20 '"अर्जन प्रति शेयर"" के अनुसार प्रति इक्विटी शेयर, बेसिक एवं डायल्यूटेड अर्जन रिपोर्ट की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर की गणना, मूल अर्जन की कर पश्चात् शुद्ध लाभ को उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या से भाग कर की जाती है।

ख) प्रति इक्विटी शेयर डायल्यूटेड आय की गणना, इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं अवधि के दौरान बकाया तरल संभाव्य इक्विटी शेयरों को उपयोग में लेकर की जाती है।

15) आय पर कर :

क) बीओआई ग्रुप द्वारा किये गये, वर्तमान कर तथा आस्थागित कर के व्यय की कुल राशि आयकर व्यय है। आयकर अधिनियम, 1961 तथा लेखांकन मानक 22 - "आय पर करों के लिए लेखांकन" के प्रावधानों अनुसार क्रमश: वर्तमान कर व्यय तथा आस्थगित कर व्यय का निर्धारण किया जाता है। इसमें विदेशी कार्यालयों द्वारा संबंधित देशों के कर कानूनों पर आधारित भुगतान किये गये करों को ध्यान में रखा जाता है।

ख) आस्थगन कर समायोजन में वर्ष के दौरान स्थगित कर आस्ति या देयता में परिवर्तन शामिल होता है। वर्तमान वर्ष हेतु कर योग्य आय तथा लेखांकन आय के बीच अंतर तथा हानि को आगे ले जाने पर समय के प्रभाव पर विचार करते हुए

contribute monthly at a predetermined rate to the pension scheme. The bank also contributes monthly at a predetermined rate to the said pension scheme. Bank recognises its contribution to such scheme as expenses in the year to which it relates. The contributions are remitted to National Pension System Trust. The obligation of bank is limited to such predetermined contribution.

c. **Other Long term Employee Benefits:**

All eligible employees are entitled to the following-

i.) Leave encashment benefit, which is a defined benefit obligation, is provided for on the basis of an actuarial valuation in accordance with AS 15 – "Employee Benefits".

ii.) Other employee benefits such as Leave Fare Concession, Milestone award, resettlement benefits, sick leave etc. which are defined benefit obligations are provided for on the basis of an actuarial valuation in accordance with AS 15 – "Employee Benefits".

iii.) In respect of overseas branches, offices and subsidiaries, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

13) SEGMENT REPORTING:

The Bank recognises the business segment as the primary reporting segment and geographical segment as the secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by Institute of Chartered Accountants of India.

14) EARNINGS PER SHARE:

a) Basic and Diluted earnings per equity share are reported in accordance with AS 20 "Earnings per share". Basic earnings per equity share are computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the period.

b) Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the end of the period.

15) TAXES ON INCOME:

a) Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax expense incurred by the BOI group. The current tax expense and deferred tax expense are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 - "Accounting for Taxes on Income" respectively after taking into account taxes paid at the foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdictions.

b) Deferred Tax adjustments comprise changes in the deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred tax assets and liabilities are recognised by considering the impact of timing differences

आस्थगित कर आस्ति एवं देयताओं को निर्धारित किया जाता है। तुलन पत्र की तारीख को लागू या पूर्णत: लागू कर दर तथा कर कानून का प्रयोग कर आस्थगित कर आस्तियाँ तथा देयताएँ तय की जाती हैं। आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन का प्रभाव लाभ तथा हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

ग) प्रबंधन के निर्णय के अनुसार यदि उगाही निश्चित है तो प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को आस्थगित कर आस्तियाँ, निर्धारित एवं पुनर्मूल्यांकित की जाती हैं। अनवशोषित मूल्यह्रास तथा कर हानि को आगे ले जाने पर आस्थगित कर आस्ति को तब ही निर्धारित किया जाता है जब इस बात के ठोस और निश्चित प्रमाण हों कि भविष्य के कर योग्य आय के विरुद्ध आस्थगित कर आस्ति की उगाही की जा सकती है।

घ) समेकित वित्तीय विवरणी में, आय कर व्यय, मूल तथा उसकी अनुषंगी/संयुक्त उपक्रम के संबंध में लागू कानूनों के अनुसार उनकी पृथक वित्तीय विवरणियों में प्रदर्शित कर व्ययों की राशि का कुल योग है।

16) आस्तियों का ह्रास:

स्थिर आस्तियों (पुनर्मूल्यित आस्तियों सहित) पर ह्रासित हानि, यदि कोई हो, तो एएस 28 "आस्तियों का ह्रास" के अनुरूप लाभ और हानि खाते में प्रभारित की जाती है। तथापि, पुनर्मूल्यित आस्ति पर ह्रासित हानि को सीधे आस्ति के लिए किसी पुनर्मूल्यन अधिशेष पर मान्यता, उस हद तक है जहां तक एक ही आस्ति के पुनर्मूल्यन अधिशेष में रखी गयी रकम ह्रासित हानि से अधिक न हो।

17) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां :

एएस 29 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां" के अनुसार बैंक प्रावधानों को केवल तभी मान्यता देता है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान पर कोई दायित्व हो और यह भी हो सकता है कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों का बहिर्गमनों की दायित्वों को निपटान करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी और जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है।

जब तक कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना कम न हो, आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया जाता है।

वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक आस्तियों को मान्य नहीं किया जाता है।

18) शेयर निर्गम संबंधी व्यय :

शेयर निर्गमित किए जाने वाले वर्ष में शेयर निर्गमन संबंधी व्यय को शेयर प्रिमियम खाते में प्रभारित किया जाता है।

between taxable income and accounting income for the current year, and carry forward losses. Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognised in the profit and loss account.

c) Deferred tax assets are recognised and re-assessed at each reporting date, based upon management's judgment as to whether their realisation is considered as reasonably certain. Deferred Tax Assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future taxable income.

d) In Consolidated Financial Statements, income tax expenses are the aggregate of the amounts of tax expense appearing in the separate financial statements of the parent and its subsidiaries/joint ventures, as per their applicable laws.

16) IMPAIRMENT OF ASSETS:

Impairment losses, if any on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised and charged to Profit and Loss account in accordance with AS 28 "Impairment of Assets". However, an impairment loss on revalued assets is recognised directly against any revaluation surplus for the asset to the extent that the impairment loss does not exceed the amount held in the revaluation surplus for that same asset.

17) PROVISIONS, CONTINGENT LIABLITIES AND CONTINGENT ASSETS:

As per AS 29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent Assets are not recognised in the financial statements.

18) SHARE ISSUE EXPENSES:

Share issue expenses are charged to Share Premium Account in the year of issue of shares.

अनुसूची 18

जब तक कि विशिष्ट रूप से अन्यथा न कहा गया हो सभी आंकडे रु. करोड़ों में हैं। कोष्ठक में दिए आंकडे पिछले वर्ष से संबंधित हैं।

समेकित वित्तीय विवरणपत्रों के भाग रूप नोट्स

1. अनुषंगियों (सब्सिडीरिज) के विवरण निम्नानुसार हैं जिनके वित्तीय विवरणपत्र बैंक ऑफ़ इंडिया (मूल बैंक) के एकल वित्तीय विवरण पत्र के साथ समेकित हैं :

	अनुषंगियों का नाम	निगमन (इन्कॉर्पोरेशन) देश	यथा 31.03.2022 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात	यथा 31.03.2021 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात
स्वदेशी अनुषंगियां :				
क	बीओआई शेयरहोल्डिंग लि.	भारत	100%	100%
ख	बीओआई स्टार इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्रा.लि.	भारत	100%	52.29%
ग	बीओआई स्टार ट्रस्टी सर्विसेज प्रा.लि	भारत	100%	51%
घ	बीओआई मर्चंट बैंकर्स लि.	भारत	100%	100%
विदेशी अनुषंगियां:				
क	पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके	इंडोनेशिया	76%	76%
ख	बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानियां) लिमिटेड	तंजानियां	100%	100%
ग	बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैन्ड) लिमिटेड	न्यूजीलैन्ड	100%	100%
घ	बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लिमिटेड	युगांडा	100%	100%

2. समेकित विवरण पत्रों में विचार की गयी सहयोगी कम्पनियों और संयुक्त उद्यमियों के विवरण इस प्रकार है:

   (i) सहयोगी कंपनियां:

	सहयोगियों के नाम	निगमन देश	यथा 31.03.2022 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात	यथा 31.03.2021 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात
क	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक-			
	i) मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक (पहले नर्मदा झबुआ ग्रामीण बैंक)	भारत	35%	35%
	ii) विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक	भारत	35%	35%
	iii) आर्यावर्त बैंक (पहले आर्यावर्त ग्रामीण बैंक)	भारत	35%	35%
ख	इंडो जाम्बिया बैंक लि.	जाम्बिया	20%	20%
ग	एसटीसीआई फाइनैन्स लिमिटेड	भारत	29.96%	29.96%
घ	एएसआरईसी (इंडिया) लि.	भारत	26.02%	26.02%

SCHEDULE 18

All figures are in ₹ Crore unless specifically stated. Figures in Brackets relate to previous year

NOTES FORMING PART OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

1. Particulars of the subsidiaries whose financial statements are consolidated with the standalone financial statement of Bank of India (the Parent bank) are as under:

	Name of Subsidiaries	Country of Incorporation	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2022	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2021
Domestic Subsidiaries:				
a)	BOI Shareholding Ltd.	India	100%	100%
b)	BOI Star Investment Managers Pvt Ltd.	India	100%	52.29%
c)	BOI Star Trustee Services Pvt Ltd.	India	100%	51%
d)	BOI Merchant Bankers Ltd	India	100%	100%
Overseas Subsidiaries:				
a)	PT Bank of India Indonesia Tbk	Indonesia	76%	76%
b)	Bank of India (Tanzania) Ltd.	Tanzania	100%	100%
c)	Bank of India (New Zealand) Ltd.	New Zealand	100%	100%
d)	Bank of India (Uganda) Ltd.	Uganda	100%	100%

2. Particulars of associates and joint venture considered in the Consolidated Financial Statements are as under :

   (i) Associates:

	Name of Associates	Country of Incorporation	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2022	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2021
a)	Regional Rural Banks-			
	i) Madhya Pradesh Gramin Bank (erstwhile Narmada Jhabua Gramin Bank)	India	35%	35%
	ii) Vidharbha Konkan Gramin Bank	India	35%	35%
	iii) Aryavart Bank (erstwhile Gramin Bank of Aryavart)	India	35%	35%
b)	Indo Zambia Bank Limited	Zambia	20%	20%
c)	STCI Finance Ltd.	India	29.96%	29.96%
d)	ASREC (India) Ltd.	India	26.02%	26.02%

(ii) संयुक्त उद्यम:

संयुक्त उद्यमों के नाम	निगमन देश	यथा 31.03.2022 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात	यथा 31.03.2021 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात
स्टार यूनियन दाई-ईची जीवन बीमा कंपनी लि.	भारत	28.96%	28.96%

3. इन अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमियों एवं सहयोगियों के विवरणपत्र जो समेकन में इस्तेमाल किए जाते हैं मूल बैंक की यथा रिपोर्टिंग तारीख अर्थात 31 मार्च, 2022 तक बनाए गए हैं, सिवाय एक सहायक कंपनी - इंडो ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड (आईज़ेडबीएल) के। आईज़ेडबीएल के वित्तीय विवरण 31 दिसंबर, 2021 तक तैयार किए गए थे और 31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही के लिए उसके प्रबंधन ने कोई महत्वपूर्ण संव्यवहार रिपोर्ट नहीं किए हैं।

4. अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमियों / सहयोगियों के मामले में, मूल बैंक और उनके द्वारा अपनायी गयी भिन्न-भिन्न लेखांकन पॉलिसियों के कारण उत्पन्न लेखागत समायोजन अनुषंगियों / संयुक्त उद्यम / सहयोगियों द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा के आधार पर किए गए है।

5. समेकित वित्तीय विवरण पत्र निम्न के आधार पर तैयार किए गए हैं :

(i) पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके के यथा 31.03.2022 के वित्तीय विवरण पत्र प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और निगमन देश की स्थानीय अपेक्षाओं के अनुरूप स्वतंत्र समीक्षक द्वारा उसकी समीक्षा की गई है।

(ii) बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) के यथा 31.03.2022 के वित्तीय विवरणपत्र प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और निगमन देश की स्थानीय अपेक्षाओं के अनुरूप स्वतंत्र समीक्षक द्वारा उसकी समीक्षा की गई है।

(iii) बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैंड) लि. के यथा 31.03.2022 के वित्तीय विवरणपत्र निगमन देश की स्थानीय अपेक्षाओं के अनुरूप लेखा-परीक्षित किए गए हैं।

(iv) बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि. के यथा 31.03.2022 के वित्तीय विवरणपत्र प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और स्थानीय अपेक्षाओं के अनुरूप स्वतंत्र समीक्षक द्वारा उसकी समीक्षा की गई है।

(v) बीओआई शेयरहोल्डिंग लि., बीओआई स्टार इंवेस्टमेंट मैनेजर प्रा.लि., बीओआई स्टार ट्रस्टी सर्विसीज़ प्रा.लि., बीओआई मर्चेंट बैंकर्स लि., मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक, विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक, आर्यावर्त ग्रामीण बैंक, एसटीसीआई फाइनेन्स लि. तथा स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरंस कंपनी लि. के 31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए और इंडो जाम्बिया बैंक लि., के बारह माह 31.12.2021 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणपत्र हैं।

(vi) एएसआरईसी (इंडिया) लि. के 31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए उनके प्रबंधन द्वारा प्रमाणित अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणपत्र।

6. वर्ष के दौरान, 31 मार्च, 2021 को भारत सरकार ने इक्विटी शेयरों के अधिमानी आबंटन द्वारा मूल बैंक में रु.3,000 का निवेश किया जिसके लिए मूल बैंक ने 11 जून, 2021 को प्रत्येक रु 10 अंकित मूल्य वाले पूर्ण प्रदत्त 42,11,70,854 इक्विटी शेयर रु 71.23 के निर्गम मूल्य पर जारी और आबंटित किए हैं।

(ii) Joint Venture:

Name of Joint Venture	Country of Incorporation	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2022	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2021
Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Limited	India	28.96%	28.96%

3. The financial statements of the subsidiaries, joint ventures and associates which are used in the consolidation have been drawn upto the same reporting date as that of the Parent Bank i.e. 31st March 2022 except for an associate Indo Zambia Bank Limited (IZBL). IZBL's financial statements are prepared upto 31st December 2021 and its management has reported no significant transactions for the quarter ended 31st March 2022.

4. In case of subsidiaries/joint venture/associates, accounting adjustments arising due to different accounting policies followed by them and the Parent Bank have been carried out on the basis of data provided by subsidiaries/joint venture/associates.

5. The Consolidated Financial Statements have been prepared on the basis of :

(i) Financial statements of PT Bank of India Indonesia Tbk as on 31.03.2022 certified by the Management and reviewed by an independent reviewer as per the local requirements of the country of incorporation.

(ii) Financial statements of Bank of India (Tanzania) Ltd. as on 31.03.2022 certified by the Management and reviewed by an independent reviewer as per the local requirements of the country of incorporation.

(iii) Financial statements of Bank of India (New Zealand) Ltd. as on 31.03.2022 duly audited as per the local requirements of the country of incorporation.

(iv) Financial statements of Bank of India (Uganda) Ltd. as on 31.03.2022 certified by the Management and reviewed by an independent reviewer as per the local requirements of the country of incorporation.

(v) Audited financial statements of BOI Shareholding Ltd., BOI Star Investment Managers Pvt. Ltd., BOI Star Trustee Services Pvt. Ltd., BOI Merchant Bankers Ltd., Madhya Pradesh Gramin Bank, Vidharbha Konkan Gramin Bank, Aryavart Bank, STCI Finance Ltd. & Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Ltd. for the financial year ended 31.03.2022 and Indo Zambia Bank Ltd. for the twelve months ended 31.12.2021.

(vi) Unaudited financial statements of ASREC (India) Ltd., for the financial year ended 31.03.2022 certified by their management.

6. Government of India had infused ₹ 3,000 towards preferential allotment of equity shares on March 31, 2021 for which the Parent Bank has issued and allotted 42,11,70,854 equity shares of face value ₹ 10 each fully paid up at an issue price of ₹ 71.23 per share on June 11, 2021.

7. मूल बैंक के संबंध में, अनुषंगी बही खातों का समतुलन, विदेशी शाखाओं, आंतर कार्यालय खातों, नोस्ट्रो खातों, उचंत, संदेय ड्राफ्ट, समाशोधन अन्तरों,अन्य ऑफिस इत्यादि के साथ शेष राशियों की पुष्टि/समाधान का कार्य सतत आधार पर प्रगति पर है। प्रबंधन की राय में उपरोक्त का लम्बित अंतिम समाशोधन/समायोजन का वित्तीय विवरणों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई हो, महत्वपूर्ण होने की सम्भावना नहीं है ।

8. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणपत्र के बारे में निम्नलिखित सूचना दी जा रही है:

ए) विनियामक पूंजी की बनावट:

क्र सं.	विवरण	31.03.2022	31.03.2021
i)	सामान्य इक्विटी टियर I पूंजी अनुपात (सीईटी-1)	46,825	37,032
ii)	अतिरिक्त टियर -I पूंजी	1352	1,352
iii)	टियर -I पूंजी (i+ii)	48,177	38,384
iv)	टियर -II पूंजी	8,241	8,949
v)	कुल पूंजी (टियर 1 + 2)	56,418	47,332
vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां (आरडबल्यूए)	3,19,579	3,04,477
vii)	सामान्य इक्विटी टियर I पूंजी अनुपात (सीईटी-1) (%)	14.65%	12.16%
viii)	टियर -I पूंजी अनुपात (%)	15.08%	12.61%
ix)	टियर -II पूंजी अनुपात (%)	2.58%	2.94%
x)	पूंजी-जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) (आरडबल्यूए के एक प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी)	17.65%	15.55%
xi)	लीवरेज अनुपात	6.14%	4.99%
xii)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	81.41%	89.10%
xiii)	जुटाई गयी प्रदत्त इक्विटी पूंजी की राशि	*5,550	0.00
xiv)	लंबित शेयर आवेदन राशि	0.00	*3,000
xv)	वर्ष के दौरान जुटाई गयी टियर I गैर इक्विटी पूंजी राशि, जिसमें से		
	a) पीएनसीपीएस	0.00	0.00
	b) पीडीआई	0.00	1,352
xvi)	वर्ष के दौरान जुटाई गयी टियर -II पूंजी राशि, जिसमें से		
	a) डेट पूंजी लिखत		0.00
	b) पीसीपीएस /आरएनसीपीएस/ आरसीपीएस	1,800	0.00

* इसमें 31 मार्च, 2021 को भारत सरकार से प्राप्त रु 3000 शामिल हैं जिसके लिए मूल बैंक ने 11 जून, 2021 को प्रत्येक रु 10 अंकित मूल्य वाले रु 71.23 निर्गम मूल्य के पूर्ण प्रदत्त 42,11,70,854 इक्विटी शेयर आबंटित एवं जारी किए हैं। आरबीआई पत्र सं. डीओआर.सीएपी. एस82/21.01/002/2021-22 दिनांक 30 अप्रैल, 2021 के संदर्भ में 31 मार्च, 2021 को रु.3,000 की शेयर आवेदन राशि प्राप्त हुई और सीईटी-1 पूंजी की गणना हेतु उसपर विचार किया गया।

मूल बैंक ने 31 अगस्त, 2021 को योग्य संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से ₹ 2,550.01 की इक्विटी शेयर पूंजी जुटाई है। मूल बैंक ने प्रत्येक रु 10 अंकित मूल्य के 40,54,71,866 इक्विटी शेयर रु 52.89 के प्रीमियम पर निवेशकों को जारी एवं आबंटित किए हैं।

7. In respect of the Parent bank, balancing of Subsidiary Ledger Accounts, confirmation/reconciliation of balances with foreign branches, Inter-office accounts, NOSTRO Accounts, Suspense, Draft Payable, Clearing Difference, other office accounts, etc. is in progress on an on-going basis. In the opinion of the management, the overall impact on the financial statements, if any, of pending final clearance/ adjustment of the above, is not likely to be significant.

8. The following information is disclosed in respect of consolidated financial statements in terms of guidelines issued by Reserve Bank of India:

(a) Composition of Regulatory Capital:

Sr. No.	Particulars	31.03.2022	31.03.2021
i)	Common Equity Tier 1 capital (CET 1)	46,825	37,032
ii)	Additional Tier 1 capital	1352	1,352
iii)	Tier 1 capital (i + ii)	48,177	38,384
iv)	Tier 2 capital	8,241	8,949
v)	Total capital (Tier 1+Tier 2)	56,418	47,332
vi)	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	3,19,579	3,04,477
vii)	Common Equity Tier 1 Capital ratio (CET1) (%)	14.65%	12.16%
viii)	Tier I Capital ratio (%)	15.08%	12.61%
ix)	Tier II Capital ratio (%)	2.58%	2.94%
x)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	17.65%	15.55%
xi)	Leverage Ratio	6.14%	4.99%
xii)	Percentage of the shareholding of Government of India	81.41%	89.10%
xiii)	Amount of paid-up equity capital raised during the year	*5,550	0.00
xiv)	Share application money pending for allotment	0.00	*3,000
xv)	Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year, *of which:*		
	a) PNCPS	0.00	0.00
	b) PDI	0.00	1,352
xvi)	Amount of Tier 2 capital raised during the year, *of which*		
	a) Debt capital instruments		0.00
	b) PCPS / RNCPS / RCPS	1,800	0.00

* Includes ₹ 3,000 received from Government of India on March 31, 2021 towards preferential allotment of equity shares for which the Parent Bank has issued and allotted 42,11,70,854 equity shares of ₹ 10 each fully paid up at an issue price of ₹ 71.23 per share on June 11, 2021. In terms of RBI communication reference no. DOR.CAP. S82/21.01/002/ 2021-22 dated April 30, 2021, the share application money of ₹ 3,000 has been considered for computation of CET 1 capital as on March 31, 2021.

The Parent Bank has raised Equity Share Capital of ₹2,550.01 through Qualified Institutional Placement on August 31, 2021. The Parent Bank has issued and allotted 40,54,71,866 equity shares of face value ₹ 10 each at a premium of ₹ 52.89 per share to the investors.

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं.डीबीआर.सं.बीपी. बीसी.83/21.06.201/2015-16 दिनांक 1 मार्च, 2016 के अनुरूप, बैंक ने पूंजी पर्याप्तता अनुपात यथा 31 मार्च, 2022 के परिकलन में पुनर्मूल्यांकन आरक्षिती, विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षिती और आस्थगित कर पर विचार किया है।

टियर I पूंजी बढ़ाने हेतु लिए गए बकाया अतिरिक्त टियर 1 (एटी-1) के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

वर्ष में वर्धित	स्वरूप	राशि	सीआरएआर परिकलन के प्रयोजन हेतु गणना (बासेल III)
2020-21	अतिरिक्त टियर 1	1,352.00	1,352.00
	कुल	1,352.00	1,352.00

टियर II पूंजी बढ़ाने हेतु लिए गए बकाया टियर II लिखतों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

वर्ष में वर्धित	स्वरूप	राशि	सीआरएआर परिकलन के प्रयोजन हेतु गणना (बासेल III)
2013-14	टियर II	1,500.00	300.00
2015-16	टियर II	3,000.00	1,800.00
2021-22	टियर II	1,800.00	1,800.00
	कुल	6,300.00	3,900.00

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान मूल बैंक ने 7 जुलाई, 2021 को कॉल ऑप्शन का प्रयोग कर रु 1500 के टियर -II बॉन्ड शृंखला XIII का मोचन किया। मूल बैंक ने 25 मार्च, 2022 को कॉल ऑप्शन का प्रयोग कर रु 1000 के टियर-II बॉन्ड शृंखला XIV का भी मोचन किया। इसके अलावा मूल बैंक ने 30 सितंबर, 2021 को रु 1800 के टियर-II बॉन्ड शृंखला XV जुटाये हैं।

बी) आरक्षितियों से ड्रॉडाउन :

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान आरबीआई परिपत्र डीबीआर न.बीपी.बीसी.92/21.04.048/2015-16 दिनांक 18 अप्रैल, 2016 के अनुसार मूल बैंक ने तिमाही के दौरान घोषित धोखाधड़ी के प्रति देयता प्रदान करने का विकल्प चुना है, जिसकी कुल राशि चार तिमाहियों की अवधि में ₹273.99 है। तदनुसार, तिमाही के दौरान रु 68.50 की राशि लाभ हानि खाते को प्रभारित की गयी है और रु 205.49 की शेष अपरिशोधित राशि को "अन्य आरक्षितियों" को नामे किया गया है और इसे अगले वित्तीय वर्ष में परिशोधित किया जाएगा।

सी) 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान मूल बैंक ने 'बीओआई स्टार इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड' (जिसे पहले बीओआई एक्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) में 47.71% (₹ 7.79 के लिए) और 'बीओआई स्टार ट्रस्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड' (जिसे पहले बीओआई एक्सा ट्रस्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) में 49.00% (₹ शून्य के लिए) की अतिरिक्त हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है।

डी) मूल बैंक ने अपनी एक वर्तमान विदेशी अनुषंगी, पीटी बैंक ऑफ इन्डोनेशिया टीबीके में रु 530.65 की पूंजी लगाई है (आबंटन लंबित)।

ई) वित्तीय वर्ष 2021-22 में मूल बैंक ने निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अतिरिक्त आनुपातिक पूँजी का निवेश किया है :

Pursuant to RBI Circular No. DBR.No.BP. BC.83/21.06.201/2015-16 dated March 1, 2016, the Parent Bank has considered revaluation reserve, foreign currency translation reserve and deferred tax assets in calculation of Capital Adequacy Ratios as on March 31, 2022.

Details of outstanding Additional Tier 1 (AT-1) bonds raised to augment Tier-1 Capital are as under:-

Raised during the year	Nature	Amount	Reckoned for the purpose of CRAR computation (Basel III)
2020-21	Additional Tier 1	1,352.00	1,352.00
	Total	1,352.00	1,352.00

Details of outstanding Tier-II Instruments raised to augment Tier -II capital are as under

Raised during the year	Nature	Amount	Reckoned for the purpose of CRAR computation (Basel III)
2013-14	Tier-II	1,500.00	300.00
2015-16	Tier-II	3,000.00	1,800.00
2021-22	Tier-II	1,800.00	1,800.00
	Total	6,300.00	3,900.00

During the year ended 31st march, 2022, the Parent Bank has redeemed Tier – II Bonds Series XIII amounting to ₹ 1,500 by exercising call option on July 7, 2021. The Parent Bank has also redeemed Tier-II Bonds Series XIV amounting to ₹ 1,000 by exercising call option on March 25, 2022. Further, the Parent Bank has raised Tier II Bonds Series XV amounting to ₹ 1,800 on September 30, 2021..

(b) Draw down from Reserves

During the year ended March 31, 2022, as per RBI Circular DBR.No.BP.BC.92/21.04.048/ 2015-16 dated April 18, 2016, the Parent Bank has opted to provide the liability towards fraud declared during the quarter, amounting to ₹ 273.99 over a period of four quarters. Accordingly, an amount of ₹ 68.50 has been charged to Profit & Loss account during the quarter and the remaining unamortised amount of ₹ 205.49 has been debited to "Other Reserves" and will be amortised in the next financial year.

(c) During the year ended March 31, 2022 Parent Bank has acquired additional stake of 47.71% (for ₹ 7.79) in 'BOI Star Investment Managers Private Limited' (formerly known as BOI AXA Investment Managers Private Limited) and 49.00% (for ₹ Nil) in 'BOI Star Trustee Services Private Limited' (formerly known as BOI AXA Trustee Services Private Limited). Consequently, these subsidiaries have become wholly owned subsidiaries of the Parent Bank.

(d) The Parent Bank has infused capital (pending allotment) of ₹ 530.65 in one of its existing overseas subsidiary, namely PT Bank of Indonesia TBK.

(e) The Parent Bank has infused additional proportionate capital in FY 2021-22 in the following associate Regional Rural Banks:

i. मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में ₹296.60

ii. विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक में ₹270.24 (आबंटन लंबित)

iii. आर्यावर्त बैंक में ₹54.60 (आबंटन लंबित)

एफ़) प्रावधान एवं आकस्मिकताएं:

मदें	2021-22	2020-21
एनपीआई के लिए प्रावधान	397.36	868.65
एनपीए के लिए प्रावधान	2,992.71	6,647.95
आयकर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	2,167.53	1,079.03
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	893.88	(-)70.89
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं		
• पुन:संरचित खातों में त्याग के लिए प्रावधान	(-)69.23	190.70
• देश जोखिम के लिए प्रावधान	10.93	(-)5.53
• अन्य प्रावधान	238.62	14.00
कुल	**6,631.80**	**8,723.91**

जी) फ्लोटिंग प्रावधान यथा 31-03-2022 - (मूल बैंक)

	मानक	गैर निष्पादक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल निष्पादक अग्रिम	
आरंभिक शेष						232.22
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन						0.00
घटाएँ : वर्ष के दौरान ड्रॉडाउन राशि						232.22
फ्लोटिंग प्रावधान का अंतिम शेष						0.00

एच) फ्लोटिंग प्रावधान यथा 31-03-2021 - (मूल बैंक)

	मानक	गैर निष्पादक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल निष्पादक अग्रिम	
आरंभिक शेष						232.22
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन						0.00
घटाएँ : वर्ष के दौरान ड्रॉडाउन राशि						0.00
फ्लोटिंग प्रावधान का अंतिम शेष						232.22

आई) आय कर - (मूल बैंक)

मूल बैंक के संबंध में आकस्मिक देयताओं (अनुसूची 12) के अंतर्गत ऋण के रूप में अभिस्वीकृत न किए गए बैंक के विभिन्न दावों में रु. 1,186.47 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 581.40 करोड़) की विवादित आय कर/ब्याज कर देयता शामिल है जिसके लिए ऐसे विवादों पर विगत निर्धारणों के लिए विभिन्न न्यायिक निर्णयों के आधार पर कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।

i. ₹296.60 in Madhya Pradesh Gramin Bank

ii. ₹270.24 in Vidharbha Konkan Gramin Bank (pending allotment)

iii. ₹54.60 in Aryavrat Bank (pending allotment)

(f) Provisions and Contingencies:

Particulars	2021-22	2020-21
Provision for NPI	397.36	868.65
Provision towards NPA	2,992.71	6,647.95
Provision made towards Income Tax (including Deferred Tax)	2,167.53	1,079.03
Provision towards Standard Assets	893.88	(-)70.89
Other Provision & Contingencies		
• Provision for Sacrifice in Restructured Accounts	(-)69.23	190.70
• Provision for Country Risk	10.93	(-)5.53
• Other Provisions	238.62	14.00
Total	**6,631.80**	**8,723.91**

g) Floating Provisions as on 31.03.2022 - (Parent Bank)

	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
Opening Balance						232.22
Add: Additional provisions made during the year						0.00
Less: Amount drawn down during the year						232.22
Closing balance of floating provisions						0.00

(h) Floating Provisions as on 31.03.2021 - (Parent Bank)

	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
Opening Balance						232.22
Add: Additional provisions made during the year						0.00
Less: Amount drawn down[15] during the year						0.00
Closing balance of floating provisions						232.22

(i) Income-Tax – (Parent Bank)

Claims against the Bank not acknowledged as debt under contingent liabilities (Schedule 12) include disputed income tax/interest tax liabilities of ₹1,186.47 (previous year ₹581.40) for which no provision is considered necessary based on various judicial decisions in respect of past assessments on such disputes. Payments/adjustments

ऐसे विवादित देयों के विभिन्न भुगतान/समायोजन अन्य आस्तियों (अनुसूची 11) के तहत शामिल हैं।

जे) लागू कर विधियों के प्रावधान तथा कुछ विवादित मामलों पर प्रासंगिक विधिक निर्णयों को ध्यान में रखने के बाद कर के लिए प्रावधान निकाला गया है।

के) अनुषंगियों के संबंध में मूल बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र (प्रबंधन द्वारा यथा संकलित)

वर्ष 2021-22 के दौरान, मूल बैंक ने अनुषंगियाँ की ओर से किसी भी प्रकार का चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है।

वर्ष 2010-11 के दौरान मूल बैंक ने, रॉयल बैंक ऑफ न्यूजीलैंड के पक्ष में, उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी बीओआई (न्यूज़ीलैंड) के लिए उसके वित्तीय दायित्वों, यदि वे देय होते हैं, को पूरा करने के लिए पैरेन्टल गारन्टी जारी की है।

यथा 31.03.2022 को उक्त वचनबद्धताओं पर कोई वित्तीय दायित्व नहीं आया है।

9. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों (एएस) के अनुरूप किए गए प्रकटन:

ए. लेखांकन मानक - 5 अवधि के लिए निवल लाभ/हानि, पूर्व अवधि मदें एवं लेखांकन नीतियों में परिवर्तन :

(i) पूर्व अवधि मद :

वर्ष के दौरान कोई महत्वपूर्ण पूर्व अवधि मद नहीं है।

(ii) लेखांकन नीति में परिवर्तन (एएस-5) :

31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष के दौरान अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो 31 मार्च, 2021 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष में अनुसरण किए गए वर्षों की तुलना में किया गया था, सिवाय इसके कि आरबीआई द्वारा अनुमत शेयर निर्गम व्यय को शेयर प्रीमियम खाते में नामे किया गया था, जो पहले लाभ और हानि खाते में प्रभारित किए गए थे। लेखांकन नीति में परिवर्तन के परिणाम स्वरुप 31.03.2022 को समाप्त वर्ष हेतु कर पूर्व लाभ में ₹18.22 की वृद्धि हुई।

against the said disputed dues are included under Other Assets (Schedule 11).

(j) Provision for taxes has been arrived at after due consideration of the provisions of the applicable tax laws and relevant judicial decisions on certain disputed issues.

(k) Disclosure of Letter of comfort issued by the Parent bank for subsidiaries (As compiled by Management)

During the year 2021-22, the Parent bank has not issued any letter of comforts on behalf of Subsidiaries.

In the Financial year 2010-11, the Parent Bank has issued parental guarantee in favour of Royal Bank of New Zealand, for its wholly owned subsidiary, BOI (New Zealand) Ltd. to meet its financial obligations, if they fall due.

As on 31.03.2022 no financial obligations have arisen on the above commitments.

9. Disclosures in terms of Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI):

A. AS – 5 Net Profit / loss for the period, Prior Period Items and changes in accounting policies:

(i) Prior Period Items:

There are no material prior period items during the year.

(ii) Change in Accounting Policy (AS-5):

There is no change in the Significant Accounting Policies followed during the quarter and year ended March 31, 2022 as compared to those followed in the previous financial year ended March 31, 2021 except for share issue expenses debited to Share premium account as permitted by RBI, which were earlier charged to Profit and Loss account. The change in accounting policy has resulted in increase in profit before tax by ₹ 18.22 for the year ended March 31, 2022.

बी . लेखांकन मानक 15 -‘कर्मचारी लाभ’ (मूल बैंक)
B. AS-15 “ Employee Benefits” (Parent Bank)

क्रम सं Sr. No	विवरण	Particulars	वित्तीय वर्ष FY 2021-22		वित्तीय वर्ष FY 2020-21	
			ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension
(i)	**प्रयुक्त प्रमुख बीमांकिक पूर्वानुमान :**	**Principal actuarial assumptions used:**				
	बट्टा दर	Discount Rate	7.37%	6.84%	6.96%	6.49%
	प्लान आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल दर	Rate of Return on Plan Assets	6.42%	8.21%	8.04%	10.85%
	वर्तमान वेतन वृद्धि	Salary Escalation Rate	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
	वर्तमान ह्रास दर	Attrition Rate current	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
(ii)	**दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शानेवाली तालिका**	**Table showing change in present value of obligation:**				
	वर्ष के प्रारंभ में देयता	Liability at the beginning of the year	1,935.32	16,837.05	1,747.81	16,065.92
	ब्याज लागत	Interest Cost	121.82	775.14	108.69	989.13
	वर्तमान सेवा लागत	Current Service Cost	99.24	946.18	166.37	873.16
	प्रदत्त लाभ	Benefit Paid	369.98	1,824.62	372.36	1,650.19
	दायित्वों पर बीमांकित (लाभ)/हानि	Actuarial (gain)/loss on Obligation	112.11	1,155.78	284.81	559.03
	वर्ष के अंत में देयता	Liability at the end of the year	1,898.52	17,889.53	1,935.32	16,837.05
	अमान्य विगत सेवा लागत	Unrecognised past service cost	-	489.67	-	-
	कुल परिभाषित लाभ दायित्व	Total Defined Benefit obligation	**1,898.52**	**18.379.20**	**1,935.32**	**16.837.05**
(iii)	**प्लान एसेट्स के उचित मूल्य की तालिका:**	**Table of Fair value of Plan Assets:**				
		Fair Value of Plan Assets at the-				
	वर्ष के प्रारंभ में प्लान एसेट्स का उचित मूल्य	Beginning of the year	1,930.62	16,531.02	1,649.47	15,827.60
	प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल	Expected return on Plan Assets	119.13	1,356.20	132.62	1,717.29
	अंशदान	Contributions	219.86	1,800.30	444.70	903.63
	प्रदत्त लाभ	Benefit Paid	369.98	1,824.62	372.36	1650.19
	प्लान एसेट्स पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	(12.31)	(258.26)	76.19	(267.31)
	वर्ष के अंत में प्लान एसेट् का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1,887.32	17,604.64	1,930.62	16,531.02
	मानने योग्य कुल बीमांकिक लाभ/(हानि)	**Total Actuarial Gain/(Loss) to be recognised**	**(124.42)**	**(1,414.03)**	**(208.62)**	**(826.34)**
(iv)	**प्लान एसेट्स पर वास्तविक प्रतिफल :**	**Actual return on Plan Assets:**				
	प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल	Expected Return on Plan Assets	119.13	1,356.20	132.62	1,717.29
	प्लान एसेट्स पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	(12.31)	(258.26)	76.19	(267.31)
	प्लान एसेट्स पर वास्तविक प्रतिफल	**Actual return on Plan Assets**	**106.82**	**1,097.94**	**208.81**	**1,449.98**
(v)	**तुलन पत्र में मान्य राशि :**	**Amount recognised in the Balance Sheet:**				
	वर्ष के अंत में देयता	Liability at the end of the year	1,898.52	18,379.20	1,935.32	16,837.05
	वर्ष के अंत में प्लान एसेट्स का उचित मूल्य अंतर	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1,887.32	17,604.64	1,930.62	16,531.02
	अमान्य विगत सेवा लागत	Unrecognised Past Service cost	-	489.67	-	-
	तुलन पत्र में मान्य राशि	**Amount Recognised in the Balance Sheet**	**11.20**	**284.88**	**4.70**	**306.03**
(vi)	**आय विवरण-पत्र में मान्य व्यय :**	**Expenses recognised in the Income-Statement:**				
	वर्तमान सेवा लागत	Current Service Cost	99.24	946.18	166.37	873.16
	ब्याज लागत	Interest Cost	121.82	775.14	108.69	989.13
	प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल	Expected Return on Plan Assets	(119.13)	(1,356.20)	(132.62	(1,717.29)
	विगत वर्षों के मान्य व्यय	Expenses recognized relating to prior years	-	-	-	-
	बीमांकिक (लाभ) या हानि	Actuarial (Gain) or Loss	124.42	1,414.03	208.62	826.34
	लाभ एवं हानि में मान्य व्यय	Expense Recognised in P & L	226.35	1,779.15	351.06	971.34
	अपरिशोधित व्यय लाभ एवं हानि					

क्रम सं Sr. No	विवरण	Particulars	वित्तीय वर्ष FY 2021-22		वित्तीय वर्ष FY 2020-21	
			ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension
(vii)	**तुलन पत्र समाधान :**	**Balance Sheet Reconciliation:**				
	प्रारंभिक निवल देयता (तुलन पत्र में मान्य की गई विगत अवधि की निवल राशि)	Opening Net Liability (Last period's net amount recognized in the balance sheet)	4.70	306.03	98.34	238.32
	उपर्युक्त अनुसार व्यय	Expenses as above	226.35	1,779.15	351.06	971.34
	नियोक्ता का अंशदान	Employer's Contribution	(219.86)	(1,800.30)	(444.70)	(903.63)
	तुलन पत्र में मान्य राशि	**Amount Recognised in Balance Sheet**	**11.20**	**284.88**	**4.70**	**306.03**
(viii)	**आस्तियों का प्रवर्ग :**	Category of Assets:				
	भारत सरकार की प्रतिभूतियां	Government of India Securities	71.50	2,288.50	73.81	2,198.78
	इक्विटी	Equity	0.00	551.87	0.00	316.89
	कार्पोरेट बांड्स	Corporate Bonds	120.61	5,422.71	134.42	5,184.24
	राज्य सरकार	State Government Securities	130.70	2,858.58	248.27	5,363.35
	अन्य	Other	1,564.51	6,482.95	1,474.12	3,467.76
	कुल	**Total**	**1,887.32**	**17,604.64**	**1,930.62**	**16,531.02**
(ix)	**अनुभव समायोजन :**	**Experience Adjustment:**				
	प्लान देयता पर (लाभ)/हानि	On Plan Liability (Gain)/Loss	152.27	1,092.69	315.39	791.71
	प्लान एसेट पर (हानि)/लाभ	On Plan Asset (Loss)/Gain	(42.37)	(694.35)	86.25	(620.28)

अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ*:

विवरण	31.03.2022		31.03.2021	
	देयता	वर्ष में किया गया प्रावधान/ प्रतिलेखन	देयता	वर्ष में किया गया प्रावधान/ प्रतिलेखन
अवकाश नकदीकरण	1,183.77	(-)99.81	1,283.57	437.52
एलटीसी	62.41	0.18	62.23	0.14
पुनर्वास लाभ	7.71	0.38	7.33	(-)0.54
माइलस्टोन अवार्ड	4.56	0.04	4.52	0.03
चिकित्सा अवकाश**	3.00	0.00	3.00	0.00

* अन्य दीर्घावधि लाभ के लिए बीमांकिक अनुमान ग्रेज्यूटी के लिए प्रयुक्त के समान ही है।

मूल बैंक ने कर्मचारी भविष्य निधि के लिए अंशदान को व्यय के रूप में माना है। वर्ष के दौरान बैंक ने ऐसी निधि के जो एक परिनिश्चित अंशदान योजना है, के लिए रू. 364.15 (विगत वर्ष रू. 229.26) का अंशदान दिया है।

** मूल बैंक ने अब तक पूरी बीमारी छुट्टी अर्थात पूरी बकाया अवकाश शेष की देयता को मान्यता प्रदान किया है। बीमारी की छुट्टी के संबंध में कर्मचारी लाभ कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश नोट (एएस-15) - (2005 में संशोधित) के अनुरूप, इस संबंध में देयता को कर्मचारियों द्वारा ऐसी छुट्टी लिए जाने की संभावना के आधार पर इसे मान्य किया है।

मूल बैंक के श्रेष्ठतम अनुमान के अनुसार तुलन पत्र की तारीख के बाद वार्षिक अवधि के दौरान पेन्शन के लिए रु. 2106.26 (विगत वर्ष रु. 1548.05) और ग्रैच्युटी के लिए रु 45.69 (विगत वर्ष रु. 331.98) का अंशदान किए जाने की संभावना है।

Other long term employee benefits*:

Particulars	31.03.2022		31.03.2021	
	Liability	Provisions made/ (w/back) during the year	Liability	Provisions made/ (w/back) during the year
Leave Encashment	1,183.77	(-)99.81	1,283.57	437.52
Leave Travel Concession	62.41	0.18	62.23	0.14
Resettlement Benefits	7.71	0.38	7.33	(-)0.54
Milestone Awards	4.56	0.04	4.52	0.03
Sick Leave**	3.00	0.00	3.00	0.00

* The actuarial assumptions for other long term benefits are same which are used for Gratuity.

The Parent bank has recognised contribution to employees' Provident Fund/Defined contribution scheme as an expense. During the year, the Parent bank has contributed ₹ 364.15 (Previous Year ₹ 229.26) towards such fund which is a defined contribution plan.

** The Parent bank has been recognising the liability of sick leave to full extent hitherto i.e. entire outstanding leave balance. In line with the Guidance Note on implementation of Employee Benefits (AS-15) - (revised 2005) in respect of Sick Leave, the liability in this regard is recognised based on probability of availing such leaves by employees.

The Parent Bank's best estimate of contributions expected to be paid during the annual period beginning after the Balance sheet date, towards Pension is ₹2,106.26 (Previous Year ₹ 1,548.05) and towards Gratuity is ₹ 45.69 (Previous Year: ₹ 331.98).

योजना में अधिशेष/घाटा:

विवरण	ग्रैच्युटी योजना				
	वि.व. 2021-22	वि.व. 2020-21	वि.व. 2019-20	वि.व. 2018-19	वि.व. 2017-18
परिभाषित लाभ देयता	1,898.52	1,935.33	1,747.81	1,683.78	1,754.54
प्लान आस्तियां	1,887.32	1,930.62	1,649.47	1,592.38	1,319.42
अमान्य संक्रमणशील देयता	-	0.00	0.00	0.00	326.34
अधिशेष / (घाटा)	(11.20)	(-)4.70	98.34	91.40	108.78
प्लान देयता (लाभ)/ हानि पर अनुभव समायोजन	152.27	315.39	(-)86.04	54.03	(-)22.79
प्लान आस्ति (हानि)/ लाभ पर अनुभव समायोजन	(42.37)	86.25	100.21	14.29	(-)4.76

विवरण	पेन्शन योजना				
	वि.व. 2021-22	वि.व. 2020-21	वि.व. 2019-20	वि.व. 2018-19	वि.व. 2017-18
परिभाषित लाभ देयता	18,379.20	16,837.05	16,065.92	14,709.20	13,716.87
प्लान आस्तियां	17,604.64	16,531.02	15,827.60	14,314.88	13,330.64
अमान्य संक्रमणशील देयता	489.67	0.00	0.00	0.00	0.00
अधिशेष / (घाटा)	(284.88)	(-)306.03	(-)238.32	(-)394.32	(-)386.23
प्लान देयता (लाभ)/हानि पर अनुभव समायोजन	1,092.69	791.71	808.90	546.91	(-)66.62
प्लान आस्ति (हानि)/ लाभ पर अनुभव समायोजन	(694.35)	(-)620.28	155.64	37.73	33.27

Surplus /Deficit in the Plan:

Particular	Gratuity Plan				
	FY2021-22	FY2020-21	FY2019-20	FY2018-19	FY2017-18
Defined benefit obligation	1,898.52	1,935.33	1,747.81	1,683.78	1,754.54
Plan assets	1,887.32	1,930.62	1,649.47	1,592.38	1,319.42
Unrecognised Transitional liability	-	0.00	0.00	0.00	326.34
Surplus/ (deficit)	(11.20)	(-)4.70	98.34	91.40	108.78
Experience Adjustment On Plan Liability (Gain)/Loss	152.27	315.39	(-)86.04	54.03	(-)22.79
Experience Adjustment On Plan Asset (Loss)/ Gain	(42.37)	86.25	100.21	14.29	(-)4.76

Particular	Pension Plan				
	FY2021-22	FY2020-21	FY2019-20	FY2018-19	FY2017-18
Defined benefit obligation	18,379.20	16,837.05	16,065.92	14,709.20	13,716.87
Plan assets	17,604.64	16,531.02	15,827.60	14,314.88	13,330.64
Unrecognised Transitional liability	489.67	0.00	0.00	0.00	0.00
Surplus/(deficit)	(284.88)	(-)306.03	(-)238.32	(-)394.32	(-)386.23
Experience Adjustment On Plan Liability (Gain)/Loss	1,092.69	791.71	808.90	546.91	(-)66.62
Experience Adjustment On Plan Asset (Loss)/ Gain	(694.35)	(-)620.28	155.64	37.73	33.27

(बी) लेखांकन मानक 17 - "खण्ड रिपोर्ट करना"

(C) AS-17 "Segment Reporting"

भाग क: कारोबार खण्ड

Part A: Business Segment

कारोबार खण्ड	Business Segment	कोषागार परिचालन Treasury Operations		थोक बैंकिंग परिचालन Wholesale Banking Operations		खुदरा बैंकिंग परिचालन Retail Banking Operations		कुल Total	
		2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
राजस्व	Revenue	15,603.57	17,155.41	14,607.48	15,760.37	15716.53	15,100.47	45,927.58	48,016.25
गैर-आबंटित राजस्व	Unallocated Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	410.14	366.39
अंतर खंड राजस्व	Inter Segment Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46.26	32.64
कुल राजस्व	Total Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46291.46	48,350.00
परिणाम	**Results**	**6,050.61**	**5,349.02**	**2,144.06**	**1,438.29**	**2,945.16**	**15.67**	**6,851.71**	**3,895.10**
गैर-आबंटित व्यय	Unallocated Expenses	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	(-)1,191.61	(-)733.32
कर पूर्व लाभ/ (हानि)	Profit/(Loss) Before Tax	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5,660.10	3,161.78
आयकर	Income Tax	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2,167.53	1,079.03
असाधारण लाभ/ हानि	Extraordinary profit/ loss	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0.00	0.00
निवल लाभ	**Net Profit**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**3,492.57**	**2,082.75**
अन्य जानकारी :	Other Information:								
खंड आस्तियां	Segment Assets	2,61,226.84	2,78,786.05	2,35,168.66	2,40,300.78	2,16,917.68	1,85,138.74	7,13,313.18	7,04,225.56
गैरआबंटित आस्तियां	Unallocated Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29,818.15	28,564.53
कुल आस्तियां	**Total Assets**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**7,43,131.33**	**7,32,790.10**
खंड देयताएं	Segment Liabilities	2,46,522.16	2,66,000.92	2,62,928.72	2,56,872.42	1,66,631.03	1,51,080.44	6,76,081.91	6,73,953.78
गैर आबंटित देयताएं	Unallocated Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10,527.57	8,856.09
कुल देयताएं	**Total Liabilities**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**6,86,609.48**	**6,82,809.87**

नोट : गैर बैंकिंग अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों से संबंधित सूचना को अनाबंटित खंड के अंतर्गत शामिल किया गया है।

Note: Information in respect of Non-Banking subsidiaries/joint venture has been included under unallocated segment.

भाग ख : भौगोलिक खण्ड

Part B: Geographical Segment

भौगोलिक खण्ड	Geographical Segments	घरेलू Domestic		अंतर्राष्ट्रीय International		कुल Total	
विवरण	Particulars	**2021-22**	**2020-21**	**2021-22**	**2020-21**	**2021-22**	**2020-21**
राजस्व	Revenue	44,430.58	45,894.58	1,860.88	2,455.42	46,291.46	48,350.00
आस्तियां	Assets	6,53,651.33	6,45,772.68	89,480.00	87,017.42	7,43,131.33	7,32,790.10

बीओआई समूह ने एएस-17 के अनुपालन में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप कारोबारी खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को गौण खंड के रूप में मान्यता दी है।

I. प्राथमिक खंड : कारोबारी खंड

क) कोषागार परिचालन : खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य हेतु कोषागार में संपूर्ण निवेश संविभाग शामिल हैं जैसे सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियां, मुद्रा बाजार परिचालन तथा फॉरेक्स परिचालन में लेनदेन।

ख) थोक बैंकिंग : थोक बैंकिंग में वह सभी अग्रिम सम्मिलित हैं जो खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए गए हैं।

ग) खुदरा बैंकिंग : खुदरा बैंकिंग में वह निवेश सम्मिलित हैं जो निम्नलिखित दो मानदंडों को पूर्ण करते हैं :

i) एक्सपोजर : अधिकतम कुल एक्सपोजर रु.5 करोड़ तक।

ii) कुल वार्षिक टर्नओवर रु.50 करोड़ से कम अर्थात मौजूदा कम्पनियों के मामले में विगत 3 वर्षों का औसत टर्नओवर और नई कम्पनियों के लिए पूर्वानुमानित टर्नओवर है।

अंतर खण्डीय अंतरणों का मूल्य निर्धारण:

खुदरा बैंकिंग खण्ड एक प्राथमिक स्रोत संग्रह इकाई है एवं थोक खण्ड और कोषागार खण्ड, खुदरा बैंकिंग खण्ड को उसके द्वारा उधार दी गई निधियों की क्षतिपूर्ति जमाराशियों की औसत लागत को दृष्टिगत रखते हुए करते हैं।

लागत का आवंटन :

- विशेष खण्ड को सीधे प्रदान किए गए व्ययों को संबंधित खण्ड में आबंटित किया गया है।
- विशेष खण्ड को सीधे न प्रदान किए गए व्ययों को कर्मचारियों/ संचालित कारोबार की संख्या के अनुपात में आबंटित किया गया है।

II. गौण खण्ड : भौगोलिक खण्ड

क) स्वदेशी परिचालन

ख) अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

(डी) लेखांकन मानक 18 "संबंधित पक्षकार संव्यवहार" (मूल बैंक):

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक :

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ :	श्री अतनु कुमार दास
कार्यपालक निदेशकगण :	श्री पी. आर. राजगोपाल
	श्री स्वरूप दास गुप्ता
	श्री एम. कार्तिकेयन
	श्रीमती मोनिका कालिया

The BOI group has recognised Business Segments as Primary reporting segment and Geographical Segments as Secondary segment in line with RBI guidelines in compliance with AS-17.

I. Primary Segment: Business Segments

a) Treasury Operations: 'Treasury' for the purpose of Segment Reporting includes the entire investment portfolio i.e. dealing in Government and other Securities, Money Market Operations and Forex Operations.

b) Wholesale Banking: Wholesale Banking includes all advances which are not included under Retail Banking.

c) Retail Banking : Retail Banking includes exposures which fulfil following two criteria:

i) Exposure – The maximum aggregate exposure up to ₹ 5

ii) The total annual turnover is less than ₹ 50 i.e. the average turnover of the last three years in case of existing entities and projected turnover in case of new entities.

Pricing of Inter-Segmental transfers

Retail Banking Segment is a Primary resource mobilising unit and Wholesale Segment and Treasury Segment compensates the Retail banking segment for funds lent by it to them taking into consideration the average cost of deposits incurred by it.

Allocation of Costs

- Expenses directly attributed to particular segment are allocated to the relative segment
- Expenses not directly attributable to specific segment are allocated in proportion to number of employees / business managed.

II. Secondary Segment: Geographical Segments

a) Domestic Operations

b) International Operations

D. AS-18 "Related Party Transactions" (Parent Bank):

Key Managerial Personnel:

Managing Director & CEO :	Shri Atanu Kumar Das
Executive Directors :	Shri P. R. Rajagopal Shri Swarup Dasgupta Shri M. Karthikeyan Smt. Monika Kalia

प्रदत्त पारिश्रमिक : (रु.में) Remuneration paid :

(in ₹)

क्र. सं. Sr No	विवरण	Name	2021-22	2020-21
1	श्री अतनु कुमार दास	Shri Atanu Kumar Das	32,62,233	30,02,820
2	श्री पी.आर. राजगोपाल	Shri P. R. Rajagopal	34,40,568	31,52,053
3	श्री एम. कार्तिकेयन	Shri M. Karthikeyan	27,25,869	1,46,801
4	श्री स्वरूप दास गुप्ता	Shri Swarup Dasgupta	27,25,869	1,46,801
5	श्रीमती मोनिका कालिया	Smt. Monika Kalia	28,00,774	1,46,801
6	श्री सी.जी. चैतन्य	Shri C. G. Chaitanya	0	47,68,776

लेखांकन मानक-18 के पैरा 5 के अनुसार, बैंक-ग्राहक रिश्ते की प्रकृति स्वरूप संव्यवहारों, जिसमें महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों एवं उनके रिश्तेदारों के साथ संव्यवहार शामिल हैं, का प्रकटन नहीं किया गया है क्यों कि ऐसा प्रकटन गोपनीयता संबंधी बैंक के कर्तव्यों के प्रतिकूल होगा।

In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker – Customer relationship, including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel have not been disclosed, since the disclosure would conflict with Parent Bank's duties of confidentiality.

(ई) लेखांकन मानक 19 - "पट्टा वित्तपोषण" (मूल बैंक): शून्य

E. AS19 "Lease Financing" (Parent Bank): Nil

(एफ) लेखांकन मानक 20 -"प्रति शेयर अर्जन" रुपयों में:

F. AS20 "Earnings per Share" in ₹:

आधारभूत एवं तनुकृत ईपीएस का परिकलन :

Calculation of Basic & Diluted E.P.S.:

क्र.सं.	विवरण	S. No.	Particulars	2021-22	2020-21
(ए)	इक्विटी शेयाधारकों को प्रदान करने योग्य वर्ष के लिए निवल लाभ (रु करोड़)	(A)	Net Profit/(Loss) for the year attributable to Equity Shareholders	3,492.57	2,082.75
(बी)	इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या (रु करोड़)	(B)	Weighted Average Number of Equity shares (in crore)	385.28	327.69
(सी)	मूलभूत प्रति शेयर आय (ए/बी) (रु.)	(C)	Basic Earnings per Share (A/B) (₹)	9.07	6.36
(डी)	तनुकृत संभावित इक्विटी शेयर सहित इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या (रु करोड़)	(D)	Weighted Average number of Equity shares including dilutive potential equity shares (in crore)	385.28	327.81
(ई)	तनुकृत प्रति शेयर आय (ए/डी) (रु.)	(E)	Dilutive Earnings per share (A/D) (₹)	9.07	6.35
(एफ)	प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (रु.)	(F)	Nominal Value per Equity Share (₹)	10.00	10.00

(जी) लेखांकन मानक 22 -"आय पर करों के लिए लेखांकन":

आस्थगित कर आस्तियां और आस्थगित कर देयताओं के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं :

G. AS-22 "Accounting for Taxes on Income":

The Major components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

विवरण	Particulars	31.03.2022	31.03.2021
आस्थगित कर आस्तियां	Deferred Tax Assets		
प्रावधान के निमित्त समय अन्तर के कारण	On account of timing difference towards provisions	9,895.77	14,304.04
अन्य	Others	783.28	659.88
कुल आस्थगित कर आस्तियां	Total Deferred Tax Assets	10,679.05	14,963.92
आस्थगित कर देयता	Deferred Tax Liabilities		
स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास के कारण	On account of depreciation on fixed assets	154.67	279.04
निवेश पर मूल्यह्रास के कारण	On account of depreciation on investment	0.00	0.00
प्रोदभूत ब्याज जो देय नहीं हैं के कारण	On account of interest accrued but not due	887.51	943.32
अन्य	Others	915.91	919.35
कुल आस्थगित कर देयताएं	Total Deferred Tax Liabilities	1,958.09	2,141.71
निवल आस्थगित कर आस्तियां/(देयताएं)	**Net Deferred Tax Assets / (Liabilities)**	**8,720.96**	**12,822.21**

(एच) लेखांकन मानक 24 - बट्टाकरण परिचालन:

भारत सरकार के निर्देशों अनुरूप एवं परिचालनों को तर्क संगत बनाने के लिए कार्यनीतिक पहल के भाग के रूप में, मूल बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान विदेशी अनुषंगियां जैसे बैंक ऑफ इंडिया (बोत्स्वाना) लि. को बेच दिया, जिसके के लिए रु.14.64 की राशि प्राप्त हुई। रु.19.18 के निवेश की बची हुई लागत का पूर्ण प्रावधान किया गया है।

(आई) लेखांकन मानक 27 - "संयुक्त उद्यमों में निवेश की वित्तीय रिपोर्टिंग":

निवेश में शामिल हैं रू.75 (पिछल वर्ष रू. 75) निम्नलिखित संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई में बैंक के हित का प्रतिनिधित्व :-

क्र. सं.	कंपनी का नाम	राशि	निवास देश	होल्डिंग %
1	स्टार यूनियन दाई इची जीवन बीमा कंपनी लि.,	रू. 75	भारत	28.96%

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों में समूह के निवेश से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्ययों की कुल राशि:

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
देयताएं		
पूंजी एवं आरक्षितियां	213.22	208.63
जमाराशियां	-	-
उधार	-	-
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	4,211.15	3,390.38
कुल	**4,424.37**	**3,599.02**
आस्तियां		
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष राशियां	41.15	54.56
बैंकों में शेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	-	-
निवेश	4206.16	3,386.41
अग्रिम	4.90	3.74
अचल आस्तियां	10.52	7.51
अन्य आस्तियां	161.65	146.80
कुल	**4,424.37**	**3,599.02**
पूंजीगत प्रतिबद्धताएं	-	-
अन्य आकस्मिक देयताएं	31.56	27.13
आय		
अर्जित ब्याज	12.71	11.30
अन्य आय	76.62	50.56
कुल	**89.34**	**61.86**
व्यय		
व्यय किया गया ब्याज	-	-
परिचालन व्यय	89.37	37.77
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	(6.63)	5.14
कुल	**82.73**	**42.91**
लाभ / (हानि)	6.60	18.95

H. Accounting Standard 24 - Discontinuing Operations:

In consonance with the Government of India directives and as a part of strategic initiatives for rationalisation of Overseas Operations, in Financial year 2019-20, the Parent Bank has sold its overseas subsidiary i.e. Bank of India (Botswana) Ltd. for consideration of ₹ 14.64 and remaining cost of investment of ₹ 19.18 has been fully provided.

I. AS-27 "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures":

Investments include ₹ 75 (Previous year ₹ 75) representing Parent Bank's interest in the following jointly controlled entity:

Sr. No.	Name of the Company	Amount	Country of incorporation	Holding %
1	Star Union Dai–Ichi Life Insurance Company Ltd.	75	India	28.96%

Aggregate amount of assets, liabilities, income and expenses related to the group's interest in jointly controlled entities:

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
Liabilities		
Capital & Reserves	213.22	208.63
Deposits	-	-
Borrowings	-	-
Other Liabilities & Provisions	4,211.15	3,390.38
Total	**4,424.37**	**3,599.02**
Assets		
Cash and Balances with Reserve Bank of India	41.15	54.56
Balances with Banks and Money at call and short notice	-	-
Investments	4206.16	3,386.41
Advances	4.90	3.74
Fixed Assets	10.52	7.51
Other Assets	161.65	146.80
Total	**4,424.37**	**3,599.02**
Capital Commitments	-	-
Other Contingent Liabilities	31.56	27.13
Income		
Interest Earned	12.71	11.30
Other Income	76.62	50.56
Total	**89.34**	**61.86**
Expenditure		
Interest Expended	-	-
Operating Expenses	89.37	37.77
Provisions & Contingencies	(6.63)	5.14
Total	**82.73**	**42.91**
Profit / (Loss)	6.60	18.95

(जे) लेखांकन मानक 29 : "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां": (मूल बैंक)

क. आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधानों में उतार चढाव

विवरण	विधिक मामले/आकस्मिकताएं*	
	2021-22	2020-21
प्रारंभिक शेष	100.91	99.19
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	2.67	11.01
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	42.56	9.29
अंतिम शेष	61.02	100.91
बहिर्गमन /अनिश्चितताओं का समय	समझौते/क्रिस्टलीकरण पर बहिर्गमन	

*अन्य के लिए प्रावधानों को छोड़कर

ख. आकस्मिक देयताएं

यथा उल्लिखित इस प्रकार की देयताएं, न्यायालय के निर्णय/ मध्यस्थता करने/ न्यायालय के बाहर समझौता, अपील का निपटान, मांगी गई राशि, संविदागत दायित्वों की शर्तें, विकास तथा संबंधित पक्षों द्वारा उठाई गई मांग जैसा भी मामला हो पर क्रमश: निर्भर करता है। इन मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

10. अन्य नोट :

(ए) जीवन-बीमा संयुक्त उद्यम के निवेशों का लेखा, बैंक के द्वारा पालन की जा रही लेखांकन नीति के स्थान पर आईआरडीएआई दिशानिर्देशों के अनुसार रखा गया है। यथा 31 मार्च 2022 को कुल निवेश का लगभग 2.33% (विगत वर्ष 1.77%) बीमा संयुक्त उद्यम के निवेश से तैयार हुआ है।

(बी) पैरेंट बैंक की अनुमोदित पुनर्मूल्यांकन नीति के अनुसार, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान अचल संपत्तियों को मूल बैंक के अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं की पुनर्मूल्यांकन रिपोर्टों के आधार पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और पुनर्मूल्यांकन राशि से उत्पन्न होने वाले शुद्ध अधिशेष ₹667.71 है जिसे "पुनर्मूल्यांकन रिजर्व" में जोड़ा गया है।

(सी) मूल बैंक एक विशेष खाते में 100% प्रावधान रखता था, जिसकी वसूली एक अन्य पीएसयू बैंक के साथ विवाद में है। खाते को भारतीय रिजर्व बैंक को धोखाधड़ी के रूप में सूचित किया गया है।भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पत्र संदर्भ सं DoS.Co.SSM (BOI)/6557/13.37.007/2019-20 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के माध्यम से मूल बैंक को कुछ शर्तों के अधीन निरंतर आधार पर विवादित राशि के 50% के प्रावधान को बनाए रखने की अनुमति दी गई थी। तदनुसार, मूल बैंक के पास उक्त विवादित राशि के लिए ₹145.82 (जो बकाया राशि का 50% है) का प्रावधान है।

डी) बैंक के कर्मचारियों के फैमिली पेंशन में वृद्धि के कारण व्ययों के परिशोधन पर प्रकटन

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र क्रमांक आरबीआई/2021-22/105 डीओआर.आरईसी आरईसी. 57/21.04.018/2021-22 दिनांक 4 अक्टूबर, 2021 द्वारा बैंकों को फैमिली पेंशन में संशोधन के कारण हुई अतिरिक्त देयता को 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष से शुरू होते हुए अधिकतम 5 वर्षों की अवधि में परिशोधन करने की अनुमति दी है बशर्ते प्रत्येक वर्ष कुल राशि के न्यूनतम 1/5 का व्यय किया

J. AS-29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets": (Parent Bank)

A. Movement of Provisions for contingent liabilities

Particulars	Legal cases/contingencies*	
	2021-22	2020-21
Opening Balance	100.91	99.19
Provided during the year	2.67	11.01
Amounts used during the year	42.56	9.29
Closing Balance	61.02	100.91
Timing of outflow/uncertainties	Outflow on settlement / crystallization	

*Excluding provisions for others

B. Contingent Liabilities

Such liabilities are dependent upon the outcome of court order/arbitration/out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, as the case may be. No reimbursement is expected in such cases.

10. Other Notes:

a) The investments of life insurance joint venture have been accounted for in accordance with the IRDAI guidelines instead of restating the same in accordance with the accounting policy followed by the Parent Bank. The investments of the insurance joint venture constitute approximately 2.33% (previous year 1.77%) of the total investments as on 31st March, 2022.

b) In terms of Parent Bank's approved revaluation policy, during the year ended March 31, 2022 the immovable properties are revalued based on the revaluation reports of Parent Bank's approved valuers and the net surplus arising from revaluation amounts to ₹ 667.71 has been added to "Revaluation Reserve".

c) Parent Bank was holding 100% provision in a particular account, recovery of which is under dispute with another PSU Bank. The account has been reported as fraud to RBI. RBI vide its communication ref. no. DoS.Co.SSM(BOI)/6557/13.37.007/2019-20 dated April 13, 2020 permitted the Parent Bank to maintain provision of 50% of the disputed amount on an ongoing basis subject to certain conditions. Accordingly, the Parent Bank holds provision of ₹145.82 (being 50% of the outstanding amount) for the said disputed amount.

d) Disclosure on amortisation of expenditure on account of enhancement in family pension of employees of banks

Reserve Bank of India vide its Circular No. RBI/2021-22/105 DOR. ACC. REC. 57/21.04.018/2021-22 dated October 4, 2021, permitted Banks to amortise the additional liability on account of revision in family pension over a period not exceeding five years beginning with the financial year ending March 31, 2022, subject to a minimum of 1/5th of the total amount being expensed every year. The Bank has

जाए। बैंक ने फैमिली पेंशन के संशोधन के फलस्वरूप रु 612.09 के अतिरिक्त दायित्व को मान्य किया है और 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष से शुरू करते हुए अगले 5 वर्षों की अवधि के दौरान कथित देयता को परिशोधित करने का विकल्प चुना है। तदनुसार बैंक ने 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली तिमाही और वर्ष के लिए लाभ हानि खाते में क्रमश: रु 61.21 और रु 122.42 के व्यय को मान्य किया है और रु 489.67 की राशि की परिशोधित देयता को आगे ले जाया गया है। यदि बैंक द्वारा परिशोधित देयता को पूर्णतया लाभ- हानि खाते में मान्य किया गया होता तो 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष और तिमाही के लिए कर पश्चात निवल लाभ रु 318.56 होता।

ई) आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान मूल बैंक ने रु 8109.09 बही मूल्य की केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों और रु 7495.41 बही मूल्य की राज्य सरकार की प्रतिभूतियों एचटीएम वर्ग से एएफ़एस वर्ग में स्थानांतरित किया है। इसके अलावा मूल बैंक ने रु 80.84 की स्थानांतरण हानी के लिए प्रावधान करने के पश्चात रु 2640.87 बही मूल्य की केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों को एएफ़एस से एचटीएम वर्ग में स्थानांतरित किया है।रु 12.53 की वेंचर कैपिटल निधि को एचटीएम से एएफ़एस वर्ग में स्थानांतरित किया गया है।

एफ़) आरबीआई संदर्भित एनसीएलटी खातों (सूची 1 एवं 2) के संबंध में यथा 31 मार्च, 2022 मूल बैंक ने रु 3,533.75 बकाया मूली ले लिए 100% प्रावधान किया है।

जी) दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क पर आरबीआई परिपत्र सं डीबीआर. नं.बीपी. बीसी. 45/21.04.048/2018-19 दि. 7 जून 2019 के अनुसार यथा 31 मार्च, 2022 मूल बैंक के पास 14 उधारकर्ता खातों (ओ/एस एक्सपोजर ₹ 3,476.22) के संबंध में ₹ 717.86 का अतिरिक्त प्रावधान है, जहां व्यवहार्य समाधान योजना को 180 दिनों / 365 दिनों की समीक्षा अवधि के भीतर लागू नहीं किया गया है।

एच) समाधान फ्रेमवर्क 2.0 - सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम (एमएसएमई) के कोविड 19 संबंधी दबाव का समाधान पर आरबीआई परिपत्र सं डीओआर.एसटीआर. आरईसी. 21/21.04.048/2021-22 दि. 5 मई 2021 और डीओआर.एसटीआर. आरईसी.12/21.04.048/2021-22 दि.4 जून 2021 के अनुसरण में, पुनर्संरचित खातों के ब्योरे निम्नानुसार हैं :-

(₹ करोड़ में, खातों की संख्या छोड़कर)

खातों की संख्या	राशि यथा 31.03.2022	किया गया प्रावधान
1,20,443	3,433.04	343.30

आई) समाधान फ्रेमवर्क 2.0 - एकल एवं लघु कारोबार के कोविड 19 संबंधी दबाव का समाधान पर आरबीआई परिपत्र सं डीओआर. एसटीआर. आरईसी. 11/21.04.048/ 2021-22 दि. 5 मई 2021 के अनुसार उधारखातों जहां आशोधनों को मंजूर किया गया और ऐसे उधारकर्ताओं को कुल एक्स्पोजर के ब्योरे निम्नानुसार है :-

पुनर्संरचित खातों की संख्या	कुल एक्स्पोजर यथा 31.03.2022 (₹ करोड़ में)
28,815	670.99

recognised additional liability on account of revision in family pension amounting to ₹ 612.09 and has opted to amortise the said liability over a period not exceeding five years, beginning financial year ending March 31, 2022. Accordingly, Bank has recognised ₹ 61.21 and ₹ 122.42 as an expense in the Profit and Loss account, for the quarter and year ended March 31, 2022 respectively and the balance unamortised liability of ₹ 489.67 has been carried forward. If the unamortised liability had been fully recognised in the Profit & Loss account by the Bank, the Net Profit (after tax) for the quarter and year ended March 31, 2022 would have been lower by ₹ 318.56.

e) In accordance with the RBI guidelines, during the year ended March 31, 2022, the Parent Bank has shifted Central Government securities with a book value of ₹ 8,109.09 and State Government securities with a book value of ₹ 7,495.41 from HTM to AFS category. Further, the Parent Bank has shifted from AFS to HTM category, Central Government securities with a book value of ₹ 2,640.87 after providing for shifting loss of ₹ 80.84. Venture Capital Fund for an amount of ₹ 12.53 has been shifted from HTM to AFS category.

f) In respect of RBI referred NCLT accounts (List 1 & 2) as on March 31, 2022, the Parent Bank holds 100% provision of the outstanding value of ₹ 3,533.75.

g) As per RBI Circular No.DBR.No.BP. BC.45/21.04.048/2018-19 dated June 7, 2019 on Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets, as on March 31, 2022 the Parent Bank holds additional Provision of ₹ 717.86 in respect of 14 borrower accounts (o/s exposure ₹ 3,476.22), where the viable Resolution Plan has not been implemented within 180 days / 365 days of review period.

h) In accordance with RBI circular No. DOR.STR. REC.12/21.04.048/2021-22 dated May 5, 2021 & RBI Circular No. DOR.STR.REC.21/21.04.048/2021-22 dated June 4, 2021 on Resolution Framework 2.0 –Resolution of COVID-19 related stress of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), the details of accounts restructured is as under:

(₹ in Crore except number of accounts)

No. of Accounts	Amount as on 31.03.2022	Provision Held
1,20,443	3,433.04	343.30

i) In accordance with RBI Circular No. DOR.STR. REC.11/21.04.048/2021-22 dated May 5, 2021 on "Resolution Framework- 2.0: Resolution of COVID-19 related stress of Individuals and Small Businesses", the number of borrower accounts where modification were sanctioned and implemented and the aggregate exposure to such borrowers are as under:

No. of accounts restructured	Aggregate Exposure as on 31.03.2022 (₹ in Crore)
28,815	670.99

जे) आरबीआई अधिसूचना सं डीओआर.एसटीआर. आरईसी. 10/21.04.048/ 2021-22 दि. 5 मई 2021 के अनुसार मूल बैंकों को अपने संबंधित बोर्डों के अनुमोदन से गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के लिए विशिष्ट प्रावधान करने के लिए 31 दिसंबर, 2020 को उनके द्वारा आयोजित फ्लोटिंग प्रावधानों / काउंटर चक्रीय प्रावधान बफर के 100% का उपयोग करने की अनुमति है। मूल बैंक ने अपने निदेशक मंडल से अपेक्षित पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया है और 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष के दौरान गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के लिए विशिष्ट प्रावधान की आवश्यकता के समक्ष ₹ 232.22 की राशि के फ्लोटिंग प्रावधान का उपयोग किया है।

के) मूल बैंक ने वर्तमान सीबीएस सिस्टम “Finacle 7” से सीबीएस के नए बेहतर वर्ज़न “Finacle 10” माइग्रेट किया है। मूल बैंक इस माइग्रेशन की वजह से वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव होने की उम्मीद नहीं करता।

एल) कोविड-19 का प्रभाव :

कोविड-19 के प्रभाव, जिसमें ग्राहकों के व्यवहार और महामारी की आशंकाओं में बदलाव के साथ-साथ व्यापार और व्यक्तिगत गतिविधियों पर प्रतिबंध शामिल हैं, की वजह से वैश्विक और भारतीय वित्तीय बाजारों में महत्वपूर्ण अस्थिरता और वैश्विक और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण कमी आई। इस महामारी के बाद के व्यवधानों ने नए ऋण और वसूली के प्रयासों में दक्षता को प्रभावित किया, जिसके परिणामस्वरूप ग्राहक चूक की संख्या में वृद्धि हुई और परिणामस्वरूप इसके लिए प्रावधानों में वृद्धि हुई। भारत कोविड-19 महामारी से उभर रहा है। कोविड-19 की कोई भी नई लहर पेरेंट बैंक के संचालन और वित्तीय परिणामों को किस हद तक प्रभावित करेगी, यह चल रहे और भविष्य के घटनाक्रमों पर निर्भर करेगा, जिसमें अन्य बातों के अलावा, कोविड -19 महामारी की गंभीरता से संबंधित कोई भी नई जानकारी, और इसके प्रसार को रोकने या इसके प्रभाव को कम करने के लिए कोई भी कार्रवाई शामिल है, चाहे वह सरकार द्वारा अनिवार्य किए गए हों या हमारे द्वारा चुनी गई हो।

एम) अन्य आय में कमीशन और ब्रोकरेज आय, परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि, निवेश (शुद्ध) के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/हानि (प्रदर्शन निवेश पर मूल्यह्रास सहित), विदेशी मुद्रा और व्युत्पन्न लेनदेन से आय, पहले बट्टे खाते में डाले गए खातों से वसूली, लाभांश आय आदि शामिल हैं।

एन) निदेशक मण्डल ने अपेक्षित अनुमोदनों के अध्यधीन यथा 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्रति इक्विटी शेयर रु 2.00 (20%) के लाभांश की सिफ़ारिश की है।

ओ) पिछली अवधि के आंकड़ो को, जहां भी आवश्यक समझा गया है, पुन: समूहित/पुन:व्यवस्थित किया गया है।

j) As per RBI notification RBI/2021-22/28 DOR.STR. REC.10/21.04.048/2021-22 dated May 5, 2021, the Parent Banks are permitted to utilize 100 percent of Floating Provisions/ Counter Cyclical Provisioning Buffer held by them on December 31, 2020 for making specific provisions for non-performing assets with the approval of their respective Boards. The Parent Bank has obtained requisite prior approval from its Board of Directors and has utilized floating provision amounting to ₹ 232.22 against the requirement for specific provision for non-performing assets during the quarter and year ended March 31, 2022.]

k) The Parent Bank has migrated the existing CBS system from “Finacle 7” to an improved version of CBS i.e. “Finacle 10”. The Parent Bank does not expect any material impact on account of such migration on the financial statements.

l) Impact of Covid 19 :

The impact of COVID-19, including changes in customer behaviour and pandemic fears, as well as restrictions on business and individual activities, has led to significant volatility in global and Indian financial markets and a significant decrease in global and local economic activities. The disruptions following the outbreak, impacted loan originations and the efficiency in collection efforts resulting in increase in the number of customer defaults and consequently an increase in provisions there against. India is emerging from the COVID-19 pandemic. The extent to which any new wave of COVID-19 will impact the Parent Bank’s operations and financial results will depend on ongoing as well as future developments, including, among other things, any new information concerning the severity of the COVID-19 pandemic, and any action to contain its spread or mitigate its impact whether government- mandated or elected by us.

m) Other Income includes commission and brokerage income, profit/loss on sale of assets, profit/loss on revaluation of investments (net) (including depreciation on performing investments), earnings from foreign exchange and derivative transactions, recoveries from accounts previously written off, dividend income, etc.

n) The Board of Directors has recommended a dividend of ₹ 2.00 per equity share (20%) for the year ended March 31, 2022 subject to requisite approvals.

o) Previous Year’s figures have been regrouped/ rearranged wherever considered necessary.

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

सेवा में,
भारत के राष्ट्रपति/बैंक ऑफ इंडिया के सदस्य

मत

1. हमने बैंक ऑफ़ इंडिया ('मूल बैंक') तथा इसकी अनुषंगियों, सहायकों तथा संयुक्त उद्यमों की समेकित वित्तीय विवरणियों (इसके बाद इसे संयुक्त रूप से "समूह" कहा जायेगा) की लेखा परीक्षा की है। इसमें यथा 31 मार्च, 2022 को समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ-हानि विवरणी तथा संबंधित वर्ष के अंत में नकद प्रवाह की समेकित विवरणी तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी सहित समेकित वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ शामिल हैं, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

   क) बैंक के लेखा परीक्षित खाते जिन्हें हमारे द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 24 मई, 2022 के माध्यम से लेखा परीक्षित किया गया है।

   ख) अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 5 अनुषंगियों, 1 संयुक्त उद्यम और 5 सहायक कंपनियों (3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) के लेखा परीक्षित परिणाम तथा प्रबंधन द्वारा तैयार किया गया 3 विदेशी अनुषंगियों का और अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा समीक्षित वित्तीय विवरण यथा दिनांक 31 मार्च, 2022 विशेषत: समेकन के उद्देश्य से है; और

   ग) प्रबंधन द्वारा तैयार किया गया एक सहायक कंपनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण।

2. हमारे विचार से एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार तथा अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों एवं संस्थाओं के पृथक वित्तीय विवरण पर अन्य लेखापरीक्षकों/ समीक्षा की रिपोर्टों तथा प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत अनुषंगियों के लेखापरीक्षा न किए गए वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे मत पर आधारित उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार एकरूप है और निम्नलिखित प्रस्तुत करते है:

   क) यथा दिनांक 31 मार्च, 2022 को बैंक के के समेकित तुलनपत्र एवं बैंक की परिस्थिति के संबंध में उचित एवं सही स्थिति।

   ख) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ/हानि खाते के विवरण के संबंध में हानि का वास्तविक शेष।

   ग) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरणी के संबंध में सही व उचित स्थिति।

मत का आधार

3. हमने अपनी लेखा-परीक्षा, आईसीएआई के द्वारा जारी "लेखा-परीक्षा पर मानक" (एसए) के अनुसार की है। उक्त मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी को विस्तारपूर्वक हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा-परीक्षकों की जिम्मेदारी खण्ड में प्रतिपादित किया गया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता तथा उक्त 'अधिनियम' के प्रावधानों के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखा-परीक्षा के लिए जो प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाएं हैं, उसके अनुसार हम बैंक से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन आवश्यकताओं तथा नैतिक आचार संहिता के अनुसार अपनी सभी नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि निम्नलिखित अनुच्छेद 10 में संदर्भित अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों की शर्तों के अनुसार, उनके द्वारा प्राप्त

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To

To The President of India / The Members of Bank of India

Report on Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying consolidated financial statements of **Bank of India** ('the Holding Bank") and its subsidiaries (collectively hereinafter referred to as **"the Group"**), associates and joint venture, which comprise the consolidated Balance Sheet as at 31 March 2022, the consolidated Statement of Profit and Loss and the consolidated Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information which includes:

   a) Audited Financial Statements of the Holding bank which have been audited by us, vide our report dated May 24, 2022;

   b) Audited Financial Statements of 5 Subsidiaries, 1 Joint Venture and 5 Associates (including 3 Regional Rural Banks) audited by other auditors and financial statements of 3 overseas subsidiaries prepared by the management as on 31st March, 2022 and reviewed by the other auditors specifically for consolidation purpose; and

   c) Un-audited financial statements of 1 Associate prepared by the management.

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on our consideration of the audit / review reports of other auditors on separate financial statements of the Subsidiaries, Joint Venture and Associates and the unaudited financial statements of Associates as furnished by the management, the aforesaid consolidated financial statements are in conformity with accounting principles generally accepted in India and give:

   a) true and fair view in case of the Consolidated Balance sheet, of the state of affairs of the Group, its associates and Joint venture as at 31st March, 2022

   b) true balance of profit in case of statement of Consolidated Profit / Loss account, for the year ended on that date; and

   c) true and fair view in case of Consolidated Cash flow statement, for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group, its associates and joint venture in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in India, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and

लेखा-परीक्षा साक्ष्य तथा हमारे द्वारा प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य, लेखा-परीक्षा संबंधी मत का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

मामलों का प्रभाव

4 हम रु.612.09 करोड़ की धनराशि के फैमिली पेंशन में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता के परिशोधन के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों के नोट सं. अनुसूची 18 के 10 (डी) की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं। बैंक ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष हेतु लाभ एवं हानि खाते में रु.61.21 करोड़ तथा रु.122.42 करोड़ धनराशि प्रभारित की है तथा रु.489.87 करोड़ के शेष अपरिशोधित व्ययों को आगे ले जाया गया हैं।

इन मामलों में हमारी राय को संशोधित नहीं किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले

5. 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा में महत्वपूर्ण लेखांकन मामले, वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है तथा उस पर मत बनाने में, इन मामलों पर हम अलग से कोई मत उपलब्ध नहीं कराते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित करने के लिए बैंक के महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामलों का निर्धारण किया है, जिनका विवरण निम्नलिखित है:

क्र सं	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामलों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए पालन को जाने वाली लेखा-परीक्षा प्रक्रिया
1)	**<u>भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अग्रिमों तथा निवेशों पर आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान संबंधी नियमों का अनुपालन।</u>** **अग्रिम :** मूल बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/परिपत्रों तथा अनुदेशों के आधार पर खातों को अर्जक अग्रिम तथा अनर्जक अग्रिम के अंतर्गत वर्गीकृत करना है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देश, बैंक द्वारा दी गयी सभी ऋण सुविधाओं के लिए हैं तथा इसका पालन अनिवार्य रूप से, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण के लिए किया जाना है। अर्जक तथा अनर्जक अग्रिमों का निर्धारण सिस्टम द्वारा होता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा प्रयुक्त सॉफ्टवेयर वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण के लिए खातों की पहचान निर्धारित करता है। यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी नियमों के अनुसार आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण ठीक प्रकार से नहीं किया जाता है तो यह बैंक के वित्तीय विवरणों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। बैंक में सॉफ्वेयर के माध्यम से एनपीए खाते की पहचान एवं वर्गीकरण के लिए आईआरएसी ऑटोमेशन कार्यान्वित है।	**आईआरएसी नियमों/परिपत्रों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों तथा मूल बैंक की पॉलिसी के आधार पर हमने अग्रिमों तथा निवेशों की लेखा-परीक्षा की है।** **<u>अग्रिम:</u> हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल है:** क) हमने शाखा के सांविधिक लेखापरीक्षकों को आईआरएसी नियमों तथा प्रक्रियाओं एवं बैंक द्वारा स्वीकृत नीतियों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए सूचित किया है तथा हमने शाखा के सांविधिक लेखा-परीक्षकों को रिपोर्ट पर भरोसा किया है। ख) अग्रिमों के मामले में उससे संबंधित निर्धारण, वर्गीकरण तथा प्रावधान के लिए बैंक द्वारा सिस्टम में बनाए गये सत्यापन तथा लॉजिक एवं स्थापित नियंत्रण एवं आईटी प्रणाली को समझना। ग) नमूना आधार पर यह जाँच करना कि क्या भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक तथा अनर्जक के रूप में किया गया है तथा इसके संबंध में प्रावधान किये गये हैं।

the code of ethics. We believe that the audit evidences obtained by us and the audit evidences obtained by the other auditors in terms of their reports referred to in paragraph 10 below, is sufficient and appropriate to provide the basis for audit opinion on the consolidated financial statements.

Emphasis of Matter

4. We draw attention to Note No. 10(d) of Schedule 18 of the consolidated financial statements, regarding amortization of additional liability on account of revision in family pension amounting to Rs. 612.09 Crores. The Bank has charged an amount of Rs. 61.21 Crores and Rs. 122.42 Crores to the profit and loss account for the quarter and year ended March 31, 2022 and balance unamortized expense of Rs. 489.67 Crores has been carried forward.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Key Audit Matters

5. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements for the year ended March 31, 2022. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters of the Bank to be communicated in our report:

Sl. No.	Key Audit Matters	Audit Procedure followed to address the Key Audit Matters
1)	**<u>Compliance of Income Recognition, Asset Classification and Provisioning Norms on advances and investments as per guidelines issued by Reserve Bank of India (IRAC Norms)</u>** **<u>Advances</u>** The Holding Bank has to classify the accounts as performing advances or non performing advances based on the guidelines/circulars and directives issued by Reserve Bank of India. The guidelines issued by Reserve Bank of India is for all credit facilities given by the bank and is to be mandatorily followed for the purpose of Income Recognition, Asset Classification and Provisioning. Identification of performing and non performing advances is system driven. The software used by the Holding Bank identifies the accounts for classification and provisioning as per the guidelines issued by Reserve Bank of India. The Income recognition, asset classification and provisioning if not done properly as per the IRAC norms issued by Reserve Bank of India may materially impact the financial statements of the Holding Bank.	We have carried out the audit of the advances and investments based on the IRAC Norms/Circulars and directives issued by Reserve Bank of India and the policy of the Holding Bank. **<u>Advances</u>:** Our audit procedure included: a) Communication to the branch statutory auditors to verify the compliance of IRAC Norms and procedures and the policies adopted by the Holding Bank and reliance on the audit reports furnished by the branch statutory auditors. b) Understanding the IT system and controls put in place and logic and validations built in the system by the Holding Bank for identification, classification and provisioning in case of advances. c) Testing on sample basis whether the classification of advances as performing or non-performing and provisioning have been carried out as per the guidelines of Reserve Bank of India.

क्र सं	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामलों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए पालन को जाने वाली लेखा-परीक्षा प्रक्रिया
	निवेश : : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा अनुदेशों/परिपत्रों के आधार पर मूल बैंक को निवेशों को अर्जक तथा अनर्जक में वगीकृत करना है। निवेशों का अर्जक तथा अनर्जक के रूप में निर्धारण आम तौर पर सिस्टम से होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकन (वैल्यूएशन) किया जाता है तथा बीएससी/एनएससी, एफआईएमडीए/एफबीआईएल दर इत्यादि पर उद्धत मूल्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी नियमों के अनुसार ठीक प्रकार से आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण नहीं किया जाता है तो वह बैंक के समेकित वित्तीय विवरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। बैंक की कुल आस्तियों में अग्रिम तथा निवेश, क्रमश: 57.29% तथा 23.75% है। चूँकि बैंक के व्यवसाय का बड़ा हिस्सा अग्रिम तथा निवेश है तथा इसमें विनियामक अनुपालन शामिल है, अत: हमने इस पक्ष को महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले के रूप में विचारित किया है।	घ) हमें आबंटित शाखाओं की लेखा परीक्षा के दौरान हमने महत्वपूर्ण अग्रिमों के संबंध में पर्याप्त जाँच की है जिसमें विशेष रूप से उल्लिखित खाते (एसएमए) शामिल हैं तथा मूल्यांकन रिपोर्टों की जाँच द्वारा प्रतिभूति संबंधी पक्षों को भी सत्यापित किया है। ड़) आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्टों, समवर्ती लेखा-परीक्षा रिपोर्टों, ऋण लेखा-परीक्षा, सिस्टम लेखा-परीक्षा तथा बैंक द्वारा की गयी विशेष लेखा-परीक्षा पर भी भरोसा किया गया है। च) बैंक ने आईआरएसी ऑटोमेशन सॉफ्टवेर की सिस्टम आधारित लेखापरीक्षा करने के लिए स्वतंत्र बाह्य एजेंसी को नियुक्त किया है। एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार सभी अवलोकनों को समेकित किया गया है / किया जा रहा है। निवेश: हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल है: क) निवेश के मामले में उसकी पहचान, वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण के लिए बैंक द्वारा सिस्टम में स्थापित, लॉजिक तथा वैधीकरण एवं स्थापित नियंत्रण और आईटी प्रणाली को समझना। ख) नमूना आधार पर यह जाँच करना कि क्या निवेशों का मूल्यांकन तथा वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। ग)) नमूना आधार पर यह भी सत्यापित किया गया कि क्या निवेशों के मूल्य में मूल्यह्रास के लिए उचित प्रावधान किया गया है तथा यह सुनिश्चित किया गया कि मूल्यह्रास का प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। घ) आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्टों, समवर्ती लेखा-परीक्षा रिपोर्टों तथा बैंक द्वारा की गयी सिस्टम लेखा-परीक्षा रिपोर्ट पर भी भरोसा जताया गया है।

Sl. No.	Key Audit Matters	Audit Procedure followed to address the Key Audit Matters
	The bank has implemented IRAC Automation software for identification and classifying of NPA accounts through the software. **Investments :** The Holding Bank has to classify the investments as performing or non performing based on the guidelines/ circulars and directives issued by Reserve Bank of India. Identification of performing and non performing investments is generally system driven. The valuation is done as per the guidelines issued by Reserve Bank of India and the valuations are done based on the price quoted on BSE/ NSE, FIMDA /FBIL rates etc. The Income recognition, asset classification and provisioning if not done properly as per the IRAC norms issued by Reserve Bank of India may materially impact the financial statements of the bank. Advances and Investments constitute 57.29% and 23.75% respectively of total assets of the Holding Bank. As advances and investments form part of a major portion of the business of the Holding Bank and the regulatory compliances are involved, we have considered this aspect as Key Audit Matter.	d) Carrying out substantive test on major advances including Specially Mentioned Accounts (SMA) and also verification of security by checking the valuation reports in respect of the audit of branches conducted by us. e) Reliance on the internal audit reports, concurrent audit reports, credit audit, system audit and special audits conducted by the Holding Bank. f) The bank has appointed an independent external agency to carry out systems audit of IRAC Automation software. As per the report submitted by the agency, all observations are complied / being complied with and the same has been relied upon by us. **Investments:** Our audit procedure included: a) Understanding the IT system and controls put in place and logic and validations built in the system by the Holding Bank for identification, classification and provisioning in case of investments. b) Testing on sample basis whether the classification and valuation of investments is carried out as per the guidelines of Reserve Bank of India. c) Verification on sample basis whether proper provision for depreciation in the value of investments is made as per RBI guidelines. d) Reliance made on the internal audit reports, concurrent audit reports and system audit conducted by the Holding Bank.

क्र सं	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामलों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए पालन को जाने वाली लेखा-परीक्षा प्रक्रिया
2)	**<u>अनिश्चित कर के मुकदमें तथा आकस्मिक देयताओं का मूल्यांकन</u>** मूल बैंक के विरूद्ध कर मुकदमें सहित विभिन्न मुकदमें है। मूल बैंक के साथ अप्रत्यक्ष कर के तहत कुछ भुगतानों पर इनपुट क्रेडिट की उपलब्धता/आरक्षित प्रभार मैकेनिज्म की प्रयोजनीयता के संबंध में भी विवाद हैं। परिणामों की अनिश्चितता के कारण यह एक प्रमुख लेखा परीक्षा का विषय है, जिसमें इन विवादों के संभावित परिणामों के अनुमानों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल होते हैं।	**हमारी लेखा-परीक्षा जांच में निम्नलिखित शामिल है:** क) मुकदमों/कर मूल्यांकनों की वर्तमान स्थिति को समझना; ख) विभिन्न कर प्राधिकारियों से प्राप्त नवीनतम आदेशों, सूचनाओं तथा दायर की गई अपीलों की समीक्षा करना। ग) आवश्यकता होने पर विधि तथा कर परामर्शदाताओं पर भरोसा जताया गया है।
3)	**सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) का मूल्यांकन:** क. संव्यवहारों को रिकॉर्ड करने, आईआरएसी सहित आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में विभिन्न रिपोर्ट जनरेट करना, वित्तीय विवरण तैयार करना तथा विनियामकों को अनुपालन की रिपोर्ट करना आदि में आईटी कंट्रोल प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस प्रकार की रिपोर्टिंग कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर तथा अन्य सहायक सिस्टमों के प्रभावी रूप से कार्य करने पर निर्भर है। हमने इसे प्रमुख लेखा-परीक्षा का विषय माना है क्योंकि नियंत्रण में चूक, वैधता की विफलता, त्रुटिपूर्ण इनपुट डाटा तथा गलत डाटा निकालने के परिणामस्वरूप प्रबंधन तथा विनियामकों को डाटा की गलत रिपोर्टिंग हो सकती है। ख. बैंक ने वर्तमान सीबीएस सिस्टम को फिनेकल 7 से फिनेकल 10 में माइग्रेट किया है।	हमारी लेखा-परीक्षा जांच में निम्नलिखित शामिल है: क) सिस्टम के परिचालन की प्रभावशीलता को समझना तथा उसकी जांच करना। ख) विभिन्न श्रेणी के ग्राहकों के लिए मूल बैंक द्वारा अपनाए गए कोडिंग सिस्टम को समझना। ग) सिस्टम में उपलब्ध विभिन्न वैधीकरण को समझना तथा उनकी जांच करना। घ) बैंक के विनियमों/नीति में किसी भी प्रकार के परिवर्तनों के लिए उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं की जांच। ङ) डाटा निकालने के लिए प्रयुक्त लॉजिक की जांच करना। च) जनरेट हुई रिपोर्टों की नमूना आधार पर समीक्षा करना छ) बैंक के सिस्टम लेखापरीक्षा पर भरोसा जताया गया है। बैंक ने एक बाह्य एजेंसी के माध्यम से माइग्रेशन ऑडिट किया है, जिसने पुष्टि की है कि कोई मुक्त मद नहीं है तथा हमने उस पर भरोसा किया है। साथ ही, प्रबंधन ने पुष्टि की है कि ऐसे माइग्रेशन के कारण कोई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव नहीं है।

Sl. No.	Key Audit Matters	Audit Procedure followed to address the Key Audit Matters
2)	**<u>Evaluation of uncertain tax litigations and contingent liabilities</u>** The Holding Bank has various litigations including tax litigations. The Holding Bank has also disputes regarding availability of input credits/ applicability of Reverse Charge Mechanism on certain payments under Indirect Tax. This is a key audit matter due to uncertainty of the outcome which involves significant judgment to determine the possible outcome of these disputes.	**Our audit approach involved:** a) Understanding the current status of the litigations/tax assessments; b) Review of the latest orders, communication received from various tax authorities and the appeals filed; c) Reliance on the opinion of legal and tax consultants, where available.
3)	**<u>Assessment of Information Technology (IT):</u>** a. IT controls with respect to recording of transactions, generating various reports in compliance with RBI guidelines including IRAC norms, preparing financial statements and reporting of compliances to regulators etc. is an important part of the process. Such reporting is highly dependent on the effective working of Core Banking Software and other allied systems. We have considered this as key audit matter as any control lapses, validation failures, incorrect input data and wrong extraction of data may result in wrong reporting of data to the management and regulators. b. The Bank has migrated the existing CBS system from Finacle 7 to Finacle 10.	Our audit procedure includes:- a) Understanding and testing of operative effectiveness of the system. b) Understanding the coding system adopted by the Holding Bank for various categories of customers. c) Understanding and testing of different validations available in the system d) Checking the user requirements for any changes in the regulations/policy of the bank e) Testing of logic used for extracting the data. f) On sample basis reviewing the reports generated. g) Reliance on the system audit report of the Holding Bank. The Bank has carried out migration audit through an external agency which has confirmed that they have completed the compliance activity for the CRM and Core observations identified in Go-Live and Post migration. They have also confirmed that there are no open items and we have relied on the same. Also, the management has confirmed that there is no material financial impact on account of such migration.

क्र सं	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामलों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए पालन की जाने वाली लेखा-परीक्षा प्रक्रिया
5)	**आस्थगित कर आस्तियों का अभिनिर्धारण** भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आय पर करों हेतु लेखांकन एएस 22 के अनुरूप बनाई गई बैंक की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण एवं प्रसारण केवल उसी सीमा तक किया जाना चाहिए जहाँ यह उचित रूप से सुनिश्चित हो कि इस प्रकार की आस्थगित कर आस्तियों पर उपलब्ध भावी कर योग्य आय की उगाही की जा सकती है। हमने आस्थगित कर आस्तियों की पहचान महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा के मामले के रूप में की क्योंकि इसमें इन आस्थगित कर आस्तियों की उगाही की संभावना के संबंध में प्रबंधन द्वारा निर्णय शामिल होते हैं, जो ऐसे निर्धारण के समर्थन में, भविष्य में पर्याप्त कर योग्य लाभ होगा या नहीं इत्यादि अनेक कारकों पर आधारित होता है।	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया में आस्थगित कर आस्तियों के निर्धारण के समर्थन में भविष्य में कर योग्य लाभों की पर्याप्तता पर प्रबंधन के मूल्यांकन का परीक्षण कर शामिल है जैसे आस्थगित कर आस्ति के निर्धारण के लिए प्रयुक्त मान्यताएँ तथा अन्य मानदंड।

समेकित वित्तीय विवरणों तथा उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा जानकारी

6. अन्य जानकारी के लिए मूल बैंक का निदेशक मण्डल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में प्रबंधन रिपोर्ट और अध्यक्ष के वक्तव्य में शामिल जानकारियाँ समाविष्ट है परंतु इसमें समेकित वित्तीय विवरण और इस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है, जिसे इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

   वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारियां और बासेल III प्रकटन के अंतर्गत पिलर 3 शामिल नहीं है तथा हम इस पर आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को प्रस्तुत नहीं करते हैं।

   समेकित वित्तीय विवरण को हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी अन्य जानकारियों का अध्ययन करना तथा ऐसा करते हुए यह ध्यान रखना कि अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरण या लेखा परीक्षा में हमारे द्वारा प्राप्त जानकारी या अन्यथा महत्वपूर्ण गलत विवरण से वास्तव में असंगत है।

   जब हम बैंक के निदेशकों की रिपोर्ट और इस संबंध में वार्षिक रिपोर्ट के अनुलग्नक यदि कोई हो तो, पढ़ते हैं, और यदि हम यह निष्कर्ष निकालते है कि कोई महत्वपूर्ण जानकारी गलत है तो हमें उक्त मामले के बारे में प्रशासन के प्रभारी से संपर्क करना होगा।

समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन तथा जिन्हें प्रशासन का प्रभार दिया गया है, उनके उत्तरदायित्व

7. बैंक का निदेशक मंडल, इन समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा बैंकों पर लागू निर्धारित लेखांकन मानकों, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों तथा भारतीय

Sl. No.	Key Audit Matters	Audit Procedure followed to address the Key Audit Matters
4)	**Recognition of Deferred Tax Assets:** As per Significant Accounting Policy of the Holding Bank, which is in accordance with AS 22 Accounting for Taxes on Income issued by The Institute of Chartered Accountants of India Deferred tax assets should be recognised and carried forward only to the extent that there is a reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realised. We identified the recognition of deferred tax assets as a key audit matter involves judgement by management as to the likelihood of the realization of these deferred tax assets, which is based on a number of factors including whether there will be sufficient taxable profits in future periods to support recognition.	Our audit procedure included evaluating management assessment on the sufficiency of the future taxable profits in support of the recognition of deferred tax assets such as assumptions and other parameters used for recognition of deferred tax asset.

Information Other than the Consolidated Financial Statements and Auditor's Report thereon

6. The Holding bank's Board of Directors are responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Management report and Chairman's Statement, but does not include the Consolidated Financial Statements and our auditor's report thereon which is expected to be made available to us after the date of this Auditors' Report.

   Our opinion on the financial statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosures under Basel III Disclosure and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

   In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

   When we read the Director's Report of the Bank, including annexures in annual report, if any, thereon, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

7. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group, its associates and Joint venture in accordance with the accounting principles generally accepted

रिज़र्व बैंक(आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों तथा दिशानिर्देशों के अनुरूप समूह, इसके सहयागियों तथा संयुक्त उद्यमों की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्यनिष्पादन तथा समेकित नकदी प्रवाह की सही तथा उचित स्थिति प्रस्तुत करता है। समूह में बैंक का संबंधित निदेशक मंडल, इसके सहयोगी तथा संयुक्त उद्यम समूह, उसके सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों की आस्तियों की रखा करने तथा धोखाधडियों तथा अन्य अनियमितताओं से बचने एवं उनके पता लगाने के लिए बनाए गए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड रखने, तर्कसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय एवं आकलन करने, तथा ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा बनाने, लागू करने तथा उसे बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्हें लेखांकन रिकॉर्डों की पूर्णता एवं सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालित किया जा रहा था, जो वित्तीय विवरणियों को तैयार करने एवं प्रस्तुतीकरण से संबंधित थे और जो वास्तविक एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते है और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गम्भीर गलत विवरण से मुक्त हैं।

समेकित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने में, समूह इकाइयों के संबंधित निदेशक मंडल बैंक की संस्थागत क्रियाशीलता को निरंतरता की क्षमता, प्रकटन, संस्था की निरंतरता से संबंधित मामलों, जो भी लागू हो तथा जब तक प्रबंधन लेखांकन का संस्था की निरंतरता के आधार पर प्रयोग न करे, चाहे वह बैंक का परिसमापन या परिचालन बंद करना चाहते हो या ऐसे करने के अलावा और कोई विकल्प न हो, का मूल्यांकन करने हेतु उत्तरदायी है।

ग्रुप में शामिल बैंक के निदेशक मंडल, इसके सहयोगी संस्थाओं तथा संयुक्त उद्यम ग्रुप इसकी सहयोगी संस्थाओं तथा संयुक्त उद्यमों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रकिया का निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार है।

समेकित वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

8. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि समेकित वित्तीय विवरण समग्ररूप से धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गंभीर गलत विवरणों से मुक्त है, और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय भी शामिल है। तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है परंतु यह गारंटी नहीं है कि मानक लेखांकन (एसए) के अनुरूप की गई लेखा परीक्षा में हमेशा गलत विवरण यदि कोई हो, का पता लगा लिया जाएगा। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से हो सकते हैं तथा उन्हें गंभीर माना जाएगा और वे अलग-अलग या समेकित रूप से प्रयोक्ता द्वारा लिए गए इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर आर्थिक निर्णयों को पर्याप्त रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

मानक लेखांकन (एसए) के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में हम लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर आकलन करते हैं और पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं। इस के साथ ही हम:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिम, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, की पहचान एवं मूल्यांकन करते हैं, इन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रिया को तैयार एवं निष्पादित करते हैं और हमारी राय को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप दिए गए गंभीर गलत विवरणों की जांच न करने का जोखिम त्रुटिवश दिए गए गलत विवरण की अपेक्षा उच्चतर होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में षडयंत्र, जालसाजी, इरादतन की गई चूक, मिथ्या प्रस्तुति या आंतरिक कानून के विरूद्ध कार्य करना शामिल हो सकता है।

in India including the Accounting Standards specified by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) as applicable to banks, provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. The respective Board of Directors of the banks within the Group, its associates and Joint venture are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Group, its associates and Joint venture and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, the respective Board of Directors of the Group Entities are responsible for assessing the ability of the Group, its associates and Joint venture to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Group, its associates and Joint venture or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the banks included in the Group, its associates and Joint venture are responsible for overseeing the financial reporting process of the Group, its associates and Joint venture financial reporting processes.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant

- परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की रूप रेखा तैयार करने के लिए मूल बैंक की लेखापरीक्षा के लिए उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं।
- उपयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन के मूल्यांकन एवं प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटन के औचित्य का मूल्यांकन करते हैं।
- संस्था की निरंतरता के आधार पर लेखांकन संबंधी प्रबंधन के उपयोग को उपयुक्तता और प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा के साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या ऐसे मामलों या स्थितियों से संबंधित कोई अनिश्चितता है जो बैंक की संस्थागत निरंतरता को जारी रखने में बड़ा संदेह उत्पन्न करती हो
- यदि यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई बड़ी अनिश्चितता विद्यमान है या उक्त प्रकटन हमारी राय को संशोधित करने में अपर्याप्त है, तो वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन हेतु हमें हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक को रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखांकन साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भविष्य की घटनाएँ या मामले बैंक की संस्थागत निरंतरता को रोकने के कारण हो सकते हैं।
- प्रकटन सहित समेकित वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन और वित्तीय विवरण में अंतर्निहित संव्यवहारों और मामलों को उचित प्रकार प्रस्तुत करने के तरीके का मूल्यांकन करते हैं।
- समेकित वित्तीय विवरण पर राय व्यक्त करने के लिए समूह के बैंकों की वित्तीय जानकारी से संबंधित पर्याप्त उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं। हम समेकित वित्तीय विवरण में शामिल बैंकों के वित्तीय विवरण को लेखा परीक्षा के अनुदेश, पर्यवेक्षण तथा निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। जिसके लिए हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक है। समेकित वित्तीय विवरण में शामिल अन्य बैंकों, जिनकी लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, को लेखा परीक्षा के अनुदेश, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए अन्य लेखा परीक्षक जिम्मेदार होगें, जिन्होंने लेखा परीक्षा की है । हम केवल हमारी लेखा परीक्षा संबंधी राय के लिए उत्तरदायी हैं।

हम अन्य विषयों में, लेखा परीक्षा के समय एवं नियोजित स्वरूप एवं हमारी लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पहचानी गई महत्वपूर्ण कमियों सहित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों को गवर्नेंस प्रभारी को सूचित करते हैं।

हम गवर्नेंस के प्रभारी को इस विवरण के साथ भी सूचित करते हैं कि हम आत्मनिर्भरता संबंधी सभी प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का तथा उनसे संपर्क करने के लिए सभी संबंधों अन्य मामलों, जो हमारी आत्मनिर्भरता को प्रभावित कर सकते हैं और संबंधित रक्षा उपायों जहाँ भी लागू हैं, का पालन किया है।

प्रशासन को सूचित संबंधित मामलों से, हमने उन मामलों को निर्धारित किया है जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरण को लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण हैं और इसलिए प्रमुख लेखा संबंधी मामले हैं। इन मामलों को हम हमारी लेखा परीक्षक को रिपोर्ट में दर्शाते हैं, यदि कानून या विनियम इस मामले के सार्वजनिक प्रकटीकरण को प्रतिबंधित न करें या बहुत ही कम परिस्थितियों में जब हम यह

to the audit of the Holding Bank in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's, its associates and Joint venture ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the bank within the Group, its associates and Joint venture to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of the financial statements of the bank included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by the other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances,

तय करते हैं कि इन्हें हमारी रिपोर्ट में व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जनहित लाभों को बढ़ाने के संबंध में प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं।

अन्य मामले

9. **हमने निम्नलिखित के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की, जिन का वित्तीय विवरण समूह के समेकित वित्तीय विवरण में समाविष्ट किया गया है:**

क) हमारी ऐसी 5 अनुषंगी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई जिनके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2022 को रु.907.31 करोड़ की कुल आस्तियां, उक्त तारीख को समाप्त वर्ष में रु.64.86 करोड़ के कुल राजस्व तथा कर के बाद रु.9.81 करोड़ का निवल लाभ तथा विचारित रु.167.66 निवल नकदी अंतर्वाह, जैसाकि समेकित वित्तीय विवरणियों में विचार किया गया है, दर्शाया गया था, की अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है।

ख. हमारा एक ऐसा संयुक्त उद्यम जिसके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2022 रु.4424.60 करोड़ की कुल आस्तियां, उक्त तारीख को समाप्त वर्ष में रु.89.34 करोड़ के कुल राजस्व तथा कर के बाद रु.8.11 करोड़ की कुल हानियां तथा रु.13.42 करोड़ का निवल नकदी बहिर्गमन, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणियों में विचार किया गया है, दर्शाया गया है की अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है।

ग. हमारी 5 अनुषंगी संस्थाएँ, जिनके वित्तीय विवरणों में 31 आर्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए रु.91.42 करोड़ के कर के बाद निवल लाभ के समूह के शेयर शामिल हैं, की अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है। इन इकाइयों की वित्तीय विवरणियों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षा की रिपोर्ट को प्रबंधन द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई थी तथा जहाँ तक इन अनुषंगी संस्थाओं के संबंध में शामिल धनराशि तथा प्रकटीकरण का संबंध है, समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारी राय केवल अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर ही आधारित है।

एक विदेशी सहायक संस्था के संबंध में, वित्तीय जानकारी जिस देश में यह स्थित है उस देश में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप तैयार की जाती है तथा जिस देश में यह स्थित है उस देश में लागू सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन मानकों के तहत अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है। मूल बैंक प्रबंधन ने ऐसी सहायक कम्पनियों की वित्तीय जानकारी को जिस देश में यह स्थित है उस देश सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों से भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों में परिवर्तित किया है। जहाँ तक अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर भारत से बाहर स्थित ऐसी सहायक कम्पनियों की धनराशि तथा प्रकटीकरण का संबंध है, हमारी राय अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा मूल बैंक के प्रबंधन क्षरा तैयार किए गए रूपरांतरण समायोजनों पर आधारित है।

9. **समेकित वित्तीय विवरणों के साथ में गैर-लेखा परीक्षित/समीक्षित वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय विवरण शामिल है :**

क) हमारी तीन(3) सहायक कंपनियाँ जिसके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2022 को रु.3732.37 करोड़ की कुल आस्तियां, उक्त तारीख को समाप्त वर्ष में रु.215.79 करोड़ था कुल राजस्व तथा कर के बाद रु.8.40 करोड़ का कुल शुद्ध लाभ तथा रु.43.54 करोड़ का निवल नगदी आगमन, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणियो में विचार किया गया है, दर्शाया गया है, जिसकी लेखा परिक्षकों द्वारा समीक्षा की गई है।

ख) हमारे 1 सहयोगी जिसका वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए 5.35 करोड़ रूपये के कर के बाद समूह के शुद्ध लाभ

we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

9. The accompanying consolidated financial statements include the audited financial statements and other financial information in respect of:

a) The financial statements of 5 Subsidiaries whose financial statements reflect total assets of Rs. 907.31 crore as at March 31, 2022, total revenues of Rs. 64.86 crore and total net profit after tax of Rs. 9.81 crore for the year ended on that date, and net cash inflows of Rs 167.66 crore as considered in the consolidated financial statements, have been audited by other auditors.

b) The financial statements of 1 Joint Venture whose financial statements reflect total assets of Rs. 4424.60 crore as at March 31, 2022, total revenues of Rs. 89.34 crore and total net loss after tax of Rs. 8.11 crore for the year ended on that date, and net cash outflows of Rs.13.42 crore, as considered in the consolidated financial statements, have been audited by other auditors.

c) The financial statements of 5 Associates whose financial statements include Group's share of net profit after tax of Rs. 91.42 crore for the year ended March 31, 2022, as considered in the consolidated financial statements, have been audited by other auditors.

The independent auditor's reports on the financial statements of these entities have been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries, joint venture and associates, is based solely on the reports of the other auditors.

In respect of one foreign associate, the financial information has been prepared in accordance with accounting principles generally accepted in the country in which it is situated and has been audited by the other auditors under generally accepted auditing standards as applicable in the country in which it is situated. The Holding Bank management has converted the financial information of such associate from accounting principles generally accepted in the country in which it is situated to accounting principles generally accepted in India. Our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures of such associate located outside India is based on the report of other auditors and the conversion adjustments prepared by the management of the Holding Bank.

10. **The accompanying consolidated financial statements includes the unaudited/reviewed financial statements and other financial information in respect of:**

a) The financial statements of 3 Subsidiaries, whose financial statements reflect total assets of Rs. 3732.37 crore as at March 31, 2022, total revenues of Rs. 215.79 crore and total net profit after tax of Rs.8.40 crore for the year ended on that date, and net cash inflows of Rs 43.54 crore as considered in the consolidated financial statements, have been reviewed by other auditors.

b) The financial statements of 1 Associate whose financial statements reflect Group's share of net

को दर्शाया गया है, जैसा की समेकित वित्तीय विवरणियों में विचार किया गया है, जिसकी लेखा परिक्षकों द्वारा समीक्षा नहीं की गई है।

इन वित्तीय विवरणों की समीक्षा/लेखापरीक्षा की जाती है और प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया है, इन समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहाँ तक इन सहायक कंपनियों और सहयोगियों के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, पूरी तरह से लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण पर आधारित है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, और नीचे दी गई अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिर्पोट तथा लेखापीक्षित वित्तीय विवरणों पर हमारी निर्भरता के संबंध में प्रबंध द्वारा प्रमाणित वित्तीय जानकारी उपरोक्त मामलों में संशोधित नहीं है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

11. समेकित तुलनपत्र और समेकित लाभ एवं हानि खाते को बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुरूप तैयार किया गया है।

12. उपरोक्त पैरा 5 से 8 में दी गई लेखा परीक्षा संबंधी सीमाओं के अधीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/80 की अपेक्षाओं के अनुरूप और इसमें अपेक्षित प्रकटन की सीमाओं के अध्यधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

    क. हमने समेकित वित्तीय विवरण को हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार, आवश्यक सभी जानकारियों और स्पष्टीकरणों को प्राप्त कर लिए हैं तथा वे संतोषजनक पाए गए हैं,

    ख.. हमारी जानकारी में आए हुए समूह के बैंकों के लेन-देन समूह के संबंधित बैंक के अधिकार क्षेत्र में हैं, और

    ग. समूह के बैंकों से प्राप्त विवरणियाँ समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पाई गई हैं।

13. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

    क. हमारी राय में, विधि द्वारा यथा अपेक्षित लेखे की बहियाँ बैंक द्वारा उचित रूप से रखी गई हैं और जिन शाखाओं का हमने दौरा नहीं किया है, इन बहियों की जांच से जहाँ तक प्रतीत होता हैं, उनसे प्राप्त विवरणियां हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त हैं।

    ख. इस रिपोर्ट में प्रस्तुत समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह के समेकित विवरण समेकित वित्तीय विरणियों को तैयार के लिए बनाई गई प्रासंगिक लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

    ग. बैंकिग विनियामक अधिनियम घरेलू तथा विदेशी 1949 की धारा 29 के तहत बैंक के अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित/समीक्षा किए गए घरेलू तथा विदेशी अनुषंगियों, सहायक कंपनियों, संयुक्त उपक्रमों के लेखों पर रिपोर्ट तथा बैंक की शाखा के लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीखित शाखा कार्यालयों की रिपोर्ट हमें उपलब्ध करवाई गई है और रिपोर्ट को तैयार करने में हमने उचित रूप से कार्रवाई की है, और

profit after tax of Rs. 5.35 crore for the year ended as on 31st March, 2022, as considered in the consolidated financial statements have not been audited by any auditor.

These financial statements are reviewed/unaudited and have been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries and associates, is based solely on such unaudited financial statements. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Management, these financial statements are not material to the Group.

Our opinion on the consolidated financial statements, and our report on the Other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the un-audited financial statements/ financial information certified by the management.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

11. The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit & Loss account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

12. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 5, 8 and 9 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

    a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit of the consolidated financial statements and have found them to be satisfactory;

    b) The transactions of the banks within the Group, which have come to our notice, have been within the powers of the respective banks within the Group, and

    c) The returns received from the banks within the Group have been found adequate for the purposes of our audit of the consolidated financial statements.

13. We further report that:

    a) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Holding Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;

    b) The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the relevant books of accounts maintained for the purpose of the preparation of the consolidated financial statements;

    c) The reports on the accounts of the domestic and overseas subsidiaries, associates and joint venture reviewed/audited by other auditors and the reports of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been provided to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

घ. हमारी राय में, समेकित तुलनपत्र, समेकित लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखांकन मानकों का भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के अनुरूप होने की सीमा तक अनुपालन करते हैं।

14. "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्त वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग बाध्यताएं" के संबंध में पत्र सं. डीओएस.एआरजी. सं. 6270/08.91.001/ 2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 जिसे आरबीआई द्वारा जारी अनुवर्ती संप्रेषण दिनांक 19 मई, 2020 के साथ पढ़ा जाए, की अपेक्षानुसार, हम उपर्युक्त पत्र के अनुच्छेद 2 में विनिर्दिष्ट मामलों पर रिपोर्ट करते हैं, जो निम्नलिखित है:

क) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण, आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानकों का पालन करते हैं, वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखा नीतियों के असंगत नहीं है।

ख). ऐसे वित्तीय संव्यवहारों/मामलों पर कोई अवलोकन या टिप्पणी नहीं हैं, जिससे बैंक के कार्य निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

ग) यथा दिनांक 31 मार्च, 2022 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभिवेदन के आधार पर, बैंक के निदेशकों में से किसी को भी यथा दिनांक 31 मार्च, 2022 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) के अनुसार एक निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य (डिस्क्वालीफाई) नहीं बताया गया है।

घ) खातों के प्रबंधन और उनसे संबंधित अन्य मामलों के संदर्भ में कोई शर्तें, संदेह या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

d) In our opinion, The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit & Loss account and the Consolidated Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

14. As required by letter No. DOS.ARG. No.6270/08.91.001/2019- 20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks–Reporting obligations for SCAs from FY: 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

a) In our opinion, the aforesaid Consolidated Financial Statements comply with the Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the Holding Bank.

c) On the basis of the written representations received from the directors as on March 31, 2022, none of the directors of the bank is disqualified as on March 31, 2022 from being appointed as a director in terms of sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013.

d) There are no qualifications, resenlations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.

कृते वी शंकर अय्यर एंड कंपनी
For V Sankar Aiyar & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 109208W) (FRN:109208W)

एस.नागभूषणम S. Nagabushanam
भागीदार Partner
सदस्यता एम.नं. M. No.107022
UDIN: 22107022AJMARD1758

कृते लक्ष्मी तृप्ति एंड एसोसिएट्स
For Laxmi Tripti & Associates
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 009189C) (FRN:009189C)

राजेश गुप्ता Rajesh Gupta
भागीदार Partner
सदस्यता एम.नं. M. No.077204
UDIN: 22077204AJMFGI5603

कृते मुकुंद एम चितले एंड कंपनी
For Mukund M Chitale & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफ़आरएन: 106655W) (FRN: 106655W)

नीलेश आर एस जोशी Nilesh R S Joshi
भागीदार Partner
सदस्यता एम.नं. M. No. 114749
UDIN: 22114749AJMAYM1516

बासेल III (स्तंभ 3)- प्रकटन(समेकित) मार्च 2022

तालिका डीएफ 1
अनुप्रयोग का कार्यक्षेत्र

समूह में शीर्ष बैंक का नाम जिस पर यह संरचना लागू होती है - बैंक ऑफ़ इंडिया

i. गुणात्मक प्रकटन

ए. ऐसे समूह संस्थाओं की सूची जो समेकन में शामिल हैं

संस्था इकाई का नाम/निगमन देश	क्या इकाई/संस्था लेखा समेकन के दायरे में शामिल है (हां/नहीं)	समेकन की विधि समझाएं	क्या इकाई समेकन के नियामक दायरे के तहत शामिल है हाँ/नहीं	समेकन की विधि समझाएं	समेकन की विधि में अंतर के कारण दें	समेकन के केवल एक दायरे के अंतर्गत समेकित है तो कारण दें
बैंक ऑफ़ इंडिया न्यूजीलैंड लि.	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि.	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बैंक ऑफ़ इंडिया (तनज़ानिया) लि.	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बीओआई शेयर होल्डिंग लि.	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बीओआई स्टार इन्वेस्टमेन्ट मॅनेजर्स प्रा.लि.	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बीओआई स्टार ट्रस्टी सर्विसेस प्रा. लि.	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बीओआई मर्चंट बैंकर्स लि.	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इन्श्यूरन्स कं. लि.	हाँ	संयुक्त उद्यम	नहीं	संयुक्त उद्यम	लागू नहीं	लागू नहीं
एसटीसीआई फायनान्स लि.	हाँ	सहायक कंपनी	हाँ	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं
एएसआरईसी (इंडिया) लि.	हाँ	सहायक कंपनी	हाँ	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं
इंडो-जांबिया बैंक लि.	हाँ	सहायक कंपनी	हाँ	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं
आरआरबी विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक	हाँ	सहायक कंपनी	हाँ	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं
आरआरबी आर्यवर्त बैंक	हाँ	सहायक कंपनी	हाँ	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं
आरआरबी मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक	हाँ	सहायक कंपनी	हाँ	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं

a. समेकन के लेखांकन एवं विनियामकीय कार्यक्षेत्र में जो समूह निकाय शामिल नहीं हैं उनकी सूची

ऐसे कोई समूह निकाय नहीं हैं जिन्हें समेकन के दोनों, लेखांकन एवं विनियामकीय कार्यक्षेत्रों में शामिल न किया गया हो।

(ii) **मात्रात्मक प्रकटन:**

(b) ऐसी समूह संस्थाओं की सूची जो समेकन में शामिल हैं

संस्था का नाम/निगमीकरण का देश	संस्था की मुख्य गतिविधि	कुल बैलंस शीट इक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र में दिए अनुसार) (इक्विटी+रिजर्व) (रु मिलियन)	कुल बैलेंस शीट आस्तियां (कानूनी इकाई के लेखांकन तुलन पत्र में दिए अनुसार) (रु मिलियन)
बैंक ऑफ इंडिया न्यूज़ीलैंड लि	बैंकिंग	3,078.86	6,656.08
बैंक ऑफ इंडिया (युगांडा) लि	बैंकिंग	1,237.86	6,854.97
बैंक ऑफ इंडिया (तंज़ानिया) लि	बैंकिंग	1,132.19	3,345.43
पीटी बैंक ऑफ इंडिया इन्डोनेशिया टीबीके	बैंकिंग	5,395.62	23,161.97
बीओआई शेयरहोडिंग लि	स्टॉक एक्सचेंज का समाशोधन और निपटान	286.78	306.11
बीओआई स्टार इंवेस्टमेंट मैनेजर्स प्रा लि	आस्ति प्रबंधन	560.52	606.37
बीओआई स्टार ट्रस्टी सर्विसेज प्रा लि	ट्रस्टीशिप सेवाएँ	1.64	1.99
बीओआई मर्चंट बैंकर्स लि	मर्चंट बैंकिंग सेवाएँ	188.40	206.06
स्टार यूनियन दाई-इची जीवन बीमा कंपनी लि	जीवन बीमा	7,362.54	1,52,775.27
एसटीसीआई फाइनेंस लि	एनबीएफ़सी-एनडीएसएल	23,544.53	1,62,744.43
एएसआरईसी (इंडिया) लि	आस्ति वसूली कंपनी	1,768.27	2,483.67
इंडो जाम्बिया बैंक लि	बैंकिंग	5,816.26	47,248.40
आरआरबी विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक	बैंकिंग	(1,532.22)	73,584.09
आरआरबी आर्यावर्त बैंक	बैंकिंग	20,644.56	3,67,215.04
आरआरबी मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक	बैंकिंग	9,677.00	2,23,962.59

c. **सभी अनुषंगियों में पूंजीगत कमियों की कुल राशि जो समेकन के विनियामकीय कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं हैं अर्थात जिनकी कटौती की गई है:**

अनुषंगियों में पूंजी की कोई कमी नहीं है।

d. **बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल निवेश की राशि (जैसे वर्तमान बही मूल्य) जो जोखिम-भारित हैं:**

बीमा कंपनी का नाम/निगमन देश	कंपनी की मुख्य गतिविधि	कुल तुलन पत्र इक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र में उल्लिखितनुसार) (रु मिलियन)	कुल इक्विटी में बैंक की शेयरधारिता का % / वोटिंग अधिकार का अनुपात	पूर्ण कटौती विधि का उपयोग करने बनाम जोखिम भार विधि का उपयोग करने की नियामक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव (रु मिलियन)
स्टार यूनियन दाई-इची जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड	जीवन बीमा	2589.64	28.96	1875.00 (जोखिम भारिता 250%)

e. **वैंकिंग समूह के भीतर निधियों या विनियामक पूंजी के हस्तांतरण पर कोई भी प्रतिवंध या वाधाएं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शासित होती हैं।**

तालिका डीएफ - 2

पूंजी पर्याप्तता

i. **गुणात्मक प्रकटन**

क. **वर्तमान तथा भावी कार्य-कलापों के समर्थन में अपनी पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन के लिए बैंक के दृष्टिकोण की संक्षेप में विवेचना।**

1. **बैंक ऑफ़ इंडिया :**

बैंक भविष्य में कारोबार वृद्धि, पूंजीगत आवश्यकताएं, नीति दिशा-निर्देश, मैक्रो आर्थिक परिदृश्य एवं जोखिम क्षमता, आदि का ध्यान रखने हेतु समय-समय पर अपनी पूंजीगत आवश्यकताओं का नियमित मूल्यांकन करता है। सभी जोखिमों से व्यापक रूप से निपटने हेतु बैंक ने आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) विकसित की है।

2. **पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी) :**

बैंक इंडोनेशिया के विनियमन के अनुरूप विदेशी मुद्रा व्यापार चलाने के लिए, दिसम्बर, 2021 से (दिसम्बर 2022 तक IDR 3 ट्रिलियन तक बढ़ाया जाना है) बैंक की टियर-1 पूंजी कम-से-कम आईडीआर1 ट्रिलियन होनी चाहिए।

3. **बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. (अनुषंगी) और बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि. (अनुषंगी) :**

पर्यवेक्षण उद्देश्य हेतु बैंक ऑफ़ तंजानिया (बीओटी) और बैंक ऑफ़ युगांडा (बीओयू) द्वारा कार्यान्वित अनुसार, बासेल समिति द्वारा विकसित दिशानिर्देशों पर आधारित तकनीक का प्रयोग करते हुए, बैंक प्रबंधन द्वारा पूंजी पर्याप्तता तथा नियामक पूंजी के प्रयोग की नियमित निगरानी की जाती है। आवश्यक सूचना तिमाही आधार पर स्थानीय विनियामक, बीओटी और बीओयू के पास प्रस्तुत है। 1 जनवरी, 2018 से प्रभावी होकर आईएफआरएस-9 को कार्यान्वित किया गया है।

बैंक की नियामक पूंजी, जो इसके प्रबंधन द्वारा प्रबंधित है, वह दो टियर में विभाजित है:

टियर 1 पूंजी : टियर-1 पूंजी की गणना में शेयर पूंजी, प्रतिधारित आय तथा आस्थागित प्रभार सांविधिक आरक्षितियाँ, तथा सामान्य प्रावधान घटाये जाते हैं।

टियर 2 पूंजी : अर्हक गौण ऋण पूंजी, समेकित क्षतिभत्ता तथा बिक्री हेतु उपलब्ध इक्विटी लिखतों के उचित मूल्यांकन पर अप्राप्त उगाही।

जोखिम भारित आस्तियों को पाँच जोखिम भारों के अनुक्रम द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। जोखिम-भार का वर्गीकरण, किसी पात्र संपार्श्विक या गारंटी की गणना करते हुए, आस्ति की प्रकृति, ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम और प्रत्येक आस्ति एवं प्रतिपक्ष से जुडे जोखिम के आधार पर किया जाता है। ऐसी ही प्रक्रिया, संभावित हानियों की अधिक आकस्मिक प्रकृति को परिलक्षित करते हुए कुछ आशोधनों के साथ, ऑफ़-बैलेन्स शीट एक्सपोज़र के लिए भी की जाती है।

4. **बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि. (अनुषंगी)**

पर्यवेक्षण उद्देश्य हेतु रिज़र्व बैंक ऑफ़ न्यूजीलैंड (आरबीएनजेड़) के दिशानिर्देशों पर आधारित नियोजित तकनीक पर पूंजी पर्याप्ताता तथा नियामक पूंजी के प्रयोग की निगरानी नियमित रूप से बैंक के प्रबंधन द्वारा की जाती है। आवश्यक सूचना का प्रकटन तिमाही आधार पर सामान्य प्रकटन विवरण द्वारा किया जाता है। बैंक के प्रबंधन द्वारा प्रबंधित नियामक पूंजी में केवल टियर 1 पूंजी शामिल है।

टियर 1 पूंजी : शेयर पूंजी, प्रतिधारित आय तथा प्रतिधारित आय के विनियोजन द्वारा निर्मित आरक्षितियाँ।

जोखिम भारित आस्तियों को पाँच जोखिम भारों के अनुक्रम द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। जोखिम-भार का वर्गीकरण, किसी पात्र संपार्श्विक या गारंटी की गणना करते हुए, आस्ति की प्रकृति, ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम और प्रत्येक आस्ति एवं प्रतिपक्ष से जुडे जोखिम के आधार पर किया जाता है। ऐसी ही प्रक्रिया, ऑफ़-बैलेन्स शीट एक्सपोज़र के लिए भी की जाती है।

ii. **मात्रात्मक प्रकटन** (राशि रु. मिलियन में)

ऋण जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकताएं :(#)	
मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की शर्त पर पोर्टफोलियो	2,87,620.00
प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र	Nil
बाज़ार जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकताएं : मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (#)	**9,350.00**
ब्याज दर जोखिम	6,061.50
विदेशी मुद्रा जोखिम (सोना सहित)	3,005.00
इक्विटि जोखिम	283.50
परिचालन जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकता (#): बेसिक इंडिकेटर दृष्टिकोण मानकीकृत दृष्टिकोण (यदि लागू हो)	**32,482.00**
कॉमन इक्विटी टियर 1, टियर 1 और कुल पूंजी अनुपात : (शीर्ष समेकित समूह हेतु)	
आम इक्विटी टियर 1 पूंजी (CET 1)	14.65%
टियर 1 पूंजी (T 1)	15.08%
कुल पूंजी अनुपात	17.65%
# आवश्यक पूँजी को आरडब्ल्यूए की 9% की दर से न्यूनतम नियामक आवश्यकता पर गणना की जाती हैं।	

तालिका डीएफ 3 - ऋण जोखिम

सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटन

i. **गुणात्मक प्रकटन**

क) **ऋण जोखिम के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटन की आवश्यकता जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:**

- पिछले देय तथा अपसामान्य की परिभाषा (लेखांकन प्रयोजन हेतु)

1.0 **बैंक ऑफ़ इंडिया**

बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमों का अनुपालन करता है, जिसका

सारांश निम्नलिखित है:

1.1 अनर्जक आस्तियाँ

ऐसी आस्ति जिसमें पट्टा आस्ति शामिल है, जब बैंक के लिए आय उत्पन्न नहीं करती है तब वह अनर्जक हो जाती है।

अनर्जक आस्ति (एनपीए) एक ऐसा ऋण या अग्रिम है जिसमें :

- मीयादी ऋण के संबंध 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए मूलधन का ब्याज और/या किस्त अतिदेय रहता है।
- किसी ओवरड्राफ्ट/नकदी ऋण (ओडी/सीसी) के सम्बन्ध में, नीचे दर्शाए गए अनुसार ''अनियमित'' हुआ खाता।
- क्रय किए गए तथा बट्टाकृत बिल के मामले में 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहने वाले बिल।
- अल्पावधि फसलों हेतु दो फसली मौसमों के लिए, अतिदेय रहने वाले मूलधन की किस्त अथवा ब्याज।
- दीर्घावधि फसलों हेतु एक फसली मौसम के लिए अतिदेय रहने वाले मूलधन की किस्त अथवा उसपर ब्याज।
- दिनांक 1 फरवरी, 2006 के प्रतिभूतिकरण पर दिशानिर्देशों के अनुसरण में किसी प्रतिभूतिकरण लेन देन चलनिधि सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक बकाया रहती है तो।
- बैंक किसी भी खाते को एनपीए के रूप में तभी ही वर्गीकृत करेगा जब ब्याज तिमाही के अंत से 90 दिनों के भीतर पूरी तरह चुकाया नहीं जाए।।
- बुनियादी/गैर बुनियादी संरचना परियोजना के लिए कोई ऋण, यदि उसे पुन:संरचित नहीं किया जाता और ''मानक आस्ति'' के रुप में वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं हो जाता, वसूली के रिकार्ड के अनुसार (90 दिन का अतिदेय होने पर) वाणिज्यिक परिचालन शुरु होने से पहले किसी भी समय एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- किसी बुनियादी संरचना परियोजना के लिए कोई ऋण यदि उसे पुन:संरचित नहीं किया जाता और ''मानक आस्ति'' के रुप में वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं हो जाता, वसूली के रिकार्ड के अनुसार नियमित होने पर भी मूल डीसीसीओ से दो वर्ष के अन्दर वाणिज्यिक परिचालन शुरु करने में असफल रहता है तो उसे एनपीए के रुप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- किसी गैर बुनियादी संरचना परियोजना के लिए कोई ऋण यदि उसे पुन:संरचित नहीं किया जाता और ''मानक आस्ति'' के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं हो जाता, वसूली के रिकार्ड के अनुसार नियमित होने पर भी मूल डीसीसीओ से बारह माह के अन्दर वाणिज्यिक परिचालन शुरु करने में असफल रहता हैं तो उसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

1.2 "अनियमित" स्थिति

कोई खाता तब ''अनियमित'' माना जाता है जब उसमें मंजूर सीमा/आहरण अधिकार से ज्यादा बकाया लगातार बना रहे। उन मामलों में जहाँ प्रधान परिचालन खाते में बकाया शेष मंजूर सीमा/आहरण अधिकार से कम है किन्तु तुलन पत्र की तिथि तक 90 दिनों तक लगातार कोई जमा नहीं है या उस अवधि के दौरान ब्याज की राशि की वसूली हेतु खाते में पर्याप्त जमा न हों तो, इन खातों को ''अनियमित'' खाता माना जाता है।

1.3 "अतिदेय"

किसी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई राशि तब ''अतिदेय'' होती है जब बैंक द्वारा निर्धारित तिथि को देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है।

1.4 अनर्जक निवेश

प्रतिभूतियों के मामले में, जहाँ ब्याज/मूलधन बकाया है तथा बैंक प्रतिभूतियों पर आय की गणना नहीं करता है तथा निवेश मूल्य में मूल्यहास हेतु यथोचित प्रावधान करता है।

एक अनर्जक निवेश (एनपीआई) एक अनर्जक अग्रिम (एनपीए) के समान है जहाँ :

- ब्याज/किस्त (परिपक्वता आगम सहित) देय है तथा 90 दिनों से अधिक तक अदत्त है।
- अधिमानी शेयरों के यथोचित परिवर्तनों सहित जहाँ निर्धारित लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता है।
- इक्विटी शेयरों के मामले में, भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुरूप नवीनतम तुलन पत्र की अनुपलब्धता के कारण किसी कंपनी के शेयरों में निवेश का मूल्य रु. 1 प्रति कंपनी है तो ऐसे इक्विटी शेयर अनर्जक निवेश माने जाएंगे।
- निर्गमकर्ता द्वारा यदि कोई ऋण सुविधा प्राप्त की जाती है जो बैंक की बही में अनर्जक अग्रिम है तब इस निर्गमकर्ता द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीआई माना जाएगा तथा विलोमत:।
- डिबेन्चर/बॉण्ड में निवेश, जिन्हें अग्रिम प्रकृति का माना गया है, निवेशों पर यथा लागू अनर्जक निवेश (एनपीआई) मानदण्डों के अध्यधीन हैं।

2.0 पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)

ऋण गुणवत्ता का अभिनिर्धारण, कारोबार की संभावना, ऋणी का कार्यनिष्पादन और चुकौती क्षमता जैसे तथ्यों के आधार पर किया जाता है। यह प्रत्येक अभिनिर्धारण, तथ्य और घटकों तथा संबंधित ऋणी की विशिष्टताओं से संबद्ध अभिनिर्धारण तथ्यों के आधार पर किया जाता है। तदनुसार आस्तियों को चालू, विशेष उल्लेख, अवमानक, संदिग्ध और हानि प्रवर्ग में वर्गीकृत किया जाता है।

"आस्तियाँ", अर्जक आस्तियों और अनर्जक आस्तियों में वर्गीकृत की जाती हैं। अर्जक आस्तियाँ, राजस्व अर्जित करने के लिए किसी बैंक द्वारा निधियों का प्रावधान है। "अनर्जक आस्तियाँ" बैंक की अर्जक आस्तियों से भिन्न हैं जिसमें हानि की संभावना है।

कोई आस्ति अनर्जक तब होती है जब वह बैंक के लिए राजस्व उत्पन्न करना बंद कर देती है। अनर्जक आस्ति ऐसा ऋण या अग्रिम है जहाँ मूलधन

और/या ब्याज 90 दिन से अधिक के लिए बकाया है।

विगत देय : किसी भी ऋण सुविधा के अन्तर्गत बैंक को देय राशि "विगतदेय" होती है यदि उसका भुगतान बैंक द्वारा निर्धारित की गई तिथि को नहीं किया जाता है।

2010 में पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके ने नई लेखांकन नीति पीएसएके 50 तथा 55 के कार्यान्वयन को आरम्भ किया जो अन्तर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक आईएएस 32 तथा 39 के समान है जिसके अनुसार वित्तीय आस्तियों को उचित मूल्य पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। पीएसएके 50 तथा 55 के कार्यान्वयन के दौरान बैंक इण्डोनेशिया ने दिशा-निर्देश जारी किया है कि यदि ट्रांजिशन अवधि के दौरान अर्थात् 2011 तक बैंक पूर्व कि हानि के डाटा रखरखाव नहीं करता है तो वह उपर्युक्त वर्णितानुसार ह्रासित वित्तीय आस्ति की गणना कर सकता है। पीएसएके 71 परिकलन को बैंक की कोर बैंकिंग में शामिल करने की प्रक्रिया में है जो प्रौद्योगिकी अपग्रडेशन के हमारे कारोबारी योजना के अनुरूप है।

मात्रात्मक दृष्टिकोण द्वारा समीक्षित बकाया ऋण और अग्रिम निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है :

गत देय दिनों की संख्या	वर्गीकरण	प्रावधानीकरण
90-120	अवमानक	15%
120-180	संदिग्ध	50%
180 और ज्यादा	हानि	100%

3.0 बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैंड), बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. एवं बैंक ऑफ़ इंडिया युगांडा

ऋण जोखिम बैंक के लिए वित्तीय हानि का जोखिम हो जाता है जब कोई ग्राहक या किसी वित्तीय लिखत का प्रतिपक्षी अपने संविदागत दायित्वों की पूर्ति नहीं कर पाता है और वह प्रमुख रूप से ग्राहकों एवं अन्य बैंकों को बैंक द्वारा प्रदत्त ऋणों एवं अग्रिमों तथा नामे प्रतिभूतियों में निवेश के कारण होता है।

निदेशक मंडल ने, ऋण जोखिम की चूक की जिम्मेदारी अपनी ऋण समिति को प्रत्यायोजित की है। ऋण समिति को रिपोर्ट करने वाला ऋण विभाग बैंक के ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- ➢ संपार्श्विक आवश्यकताओं, ऋण निर्धारण, जोखिम ग्रेडिंग तथा रिपोर्टिंग, प्रलेखी तथा विधिक प्रक्रियाओं को कवर करते हुए ऋण नीतियान तैयार करना और विनियामक तथा सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन करना।
- ➢ ऋण सुविधाओं के अनुमोदन और नवीनीकरण को प्राधिकृत करने का ढाँचा स्थापित करना। बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित ऋण नीति द्वारा ऋण सीमाएँ शासित होती हैं।
- ➢ ऋण जोखिम की समीक्षा एवं अभिनिर्धारण।
- ➢ प्रतिपक्षकारों भौगोलिक क्षेत्रों एवं उद्योगों (ऋणों एवं अग्रिमों के लिए) में ऋण जोखिम के संकेन्द्रण, को सीमित करना।

3.1 गत देय एवं अनर्जक की परिभाषा (लेखांकन के प्रयोजन के लिए)

बिना विशिष्ट नियत तारीखों के ओवरड्राफ्ट एवं अन्य ऋण सुविधा गत देय माने जाएंगे यदि:

- ➢ वह ग्राहक की उधार सीमा से अधिक हो जाए।
- ➢ ग्राहक की उधार सीमा समाप्त हो जाए।
- ➢ अवधि हेतु परिकालित एवं देय ब्याज की चुकौती के लिए जमाराशियों का अपर्याप्त होना।
- ➢ बिल अनादृत कर दिए गए हों।
- ➢ बिल या खाते का भुगतान नियत तारीख पर न किया गया हो।
- ➢ ऋण जिनकी चुकौती किस्तों में की जानी होती है, उन्हें पूर्ण रूप से गतदेय माना जाता है, यदि कोई भी किस्त जो देय हो चुकी है और तीस दिन या अधिक अवधि के लिए भुगतान नहीं की गई हो।

4.0 बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैंड) लि. :

बकाया ऋण और अग्रिमों की समीक्षा मात्रात्मक दृष्टिकोण द्वारा करके उन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है

गत देय दिनों की संख्या	वर्गीकरण	प्रावधानीकरण
91-180	अवमानक	NZ IFRS 9 के अनुरूप
181-270	संदिग्ध	NZ IFRS 9 के अनुरूप
271 और अधिक	हानि	NZ IFRS 9 के अनुरूप

5.0 बैंक ऑफ़ इंडिया(तंजानिया) लि.

बकाया ऋण और अग्रिमों की समीक्षा मात्रात्मक दृष्टिकोण द्वारा कर उन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है :

गत देय दिनों की संख्या	वर्गीकरण	प्रावधानीकरण
30-90	विशेष उल्लेखित	3%
91-180	अवमानक	20%
181-360	संदिग्ध	50%
361 और अधिक	हानि	100%

6.0 बैंक ऑफ़ इंडिया युगांडा -

बकाया ऋण और अग्रिमों की समीक्षा मात्रात्मक दृष्टिकोण द्वारा कर उन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है :

गत देय दिनों की संख्या	वर्गीकरण	प्रावधानीकरण
91-179	अवमानक	20%
180-365	संदिग्ध	50%
365 और अधिक	हानि	100%

ख) बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन नीति पर चर्चा :

1. बैंक ऑफ़ इंडिया :

- ➢ किसी बैंक के पोर्टफोलियों में, किसी ग्राहक अथवा प्रतिपक्ष का

उधार, व्यापार समझौता और अन्य वित्तीय लेन-देन की प्रतिबद्धता को पूर्ण करने की अक्षमता या अनिच्छा से अथवा ऋण नीति में वास्तविक या संभावित ह्रास से पोर्टफोलियों के बढ़ते मूल्य की एकमुश्त चूक से हानि उत्पन्न होती है।

➢ इस पृष्ठ भूमि में बैंक के दीर्घावधि वित्तीय स्वास्थ्य के लिए एक दृढ़ जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। ऋण जोखिम प्रबंधन में ऋण जोखिम एक्स्पोज़र की में पहचान, मापन, निगरानी तथा नियंत्रण सम्मिलित है।

➢ ऋण जोखिम प्रबंधन नीति में सामान्य स्तर पर बैंक ने विभिन्न प्रकार के ऋण जोखिम की पहचान की है। उत्पाद/प्रक्रियाओं के स्तर पर अधिक सूक्ष्मता से पहचान होती है। नए उत्पादों/प्रक्रियाओं को आरम्भ करने से पहले विभिन्न जोखिमों का आकलन किया जाता है, जिसे जोखिम दृष्टिकोण से जोखिम रहित किया जाता है।

➢ नीति में रेखांकित ऋण जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क, तीन विशिष्ट खण्डों पर आधारित है यथा- नीति एवं कार्यनीति, संस्थागत ढ़ांचा और परिचालन/प्रणाली।

i) नीति और कार्यनीति:

बैंक सतर्क जोखिम दर्शन को अपनाता रहा है, जिसने कठिन समय में बैंक का मार्ग प्रशस्त किया है। यद्यपि नए तथा अनछुए क्षेत्रों के संबंध में बैंक की एक खुली नीति रही है तथा नए अवसरों को बैंक ने हमेशा पहचाना है। इस दर्शन के महत्वपूर्ण पक्षों को परिपत्रों में दर्शाया गया है तथा समय-समय पर अनुदेश पुस्तिका रूप में संहिताबद्ध किया गया है।

लाभप्रदता, सामना किए जाने वाले विभिन्न जोखिमों के स्तर, पूँजी स्तर, बाजार परिदृश्य तथा प्रतियोगिता को दृष्टिगत रखते हुए बैंक के कारोबारी उद्देश्यों और कार्यनीतियों का निर्णय लिया जाता है। बैंक की सोच हमेशा आस्ति गुणवत्ता तथा आय अर्जन पर रहती है अतएव वह विवेकपूर्ण ढ़ंग से जोखिम नियंत्रण सहित लाभप्रदता को अधिक करने का प्रयास करता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति तथा सार्थक ऋण जोखिम संबंधी नीति जैसे ऋण नीति तथा ऋण अनुप्रवर्तन नीति का अनुमोदन तथा आवधिक तौर पर समीक्षा, निदेशक मंडल द्वारा की जाती है। ऋण नीति विभिन्न क्षेत्रों का ध्यान रखती है जैसे ग्राहक, विपणन, उधार के क्षेत्रवार अभिगम, ऋण सुपुर्दगी, ऋण पर जोर, ऋण अवधि, ऋण अर्जन, जोखिम श्रेणी निर्धारण (जोखिम स्वीकार मानदंड सहित), कीमत निर्धारण, ऋण मूल्यांकन, सीमाओं का निर्धारण, ऋण जोखिम मानदंड, उद्योग मानदंड, संपार्श्विक और मार्जिन, रिश्तों की समीक्षा, प्रत्यायोजन की परिपाटी, सांविधिक तथा अन्य नियंत्रण तथा प्रलेखीकरण। अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों हेतु ऋण नीति है और प्रत्येक केन्द्र की अपनी क्रेडिट नीति है जो मुख्य नीति से मेल खाती है। ऋण मामले में शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए एक अलग नीति है। इसके अतिरिक्त ऋण जोखिम की पहचान तथा निगरानी ऋण अनुप्रवर्तन नीति के अंतर्गत की जाती है। पुनर्गठन नीति, बट्टे खाते में डालने की नीति तथा वसूली नीति, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण नीति, बैंक एक्सपोजर नीति, देश जोखिम नीति तथा ऋण लेखापरीक्षा नीति भी है। निवेश समिति द्वारा अनुमोदन के बाद तथा निवेश नीति में दिए गए नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश अनुबंधित होता है।

ii) संस्थागत ढांचा:

ऋण जोखिम प्रबंधन कार्य हेतु बैंक के संस्थागत ढांचे में शीर्ष स्तर पर निदेशक मंडल है जो जोखिम प्रबंधन पर व्यापक पर्यवेक्षण रखता है। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आर. कॉम) जो कि बोर्ड की उप-समिति है तथा जिसके अध्यक्ष बैंक के एमडी एवं सीईओ होते हैं और इसके सदस्य के रूप में ऋण, मार्केटिंग और परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति के प्रमुख हैं जो ऋण जोखिम सहित समेकित जोखिम प्रबंधन की नीति और कार्यनीति निर्धारित करते हैं। परिचालनात्मक स्तर पर ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) ऋण जोखिम का दायित्व संभालते हैं।

इसके मुख्य कार्यों में बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम प्रबंधन नीति का कार्यान्वयन, बृहत आधार पर बैंक के ऋण जोखिम की निगरानी, ऋण प्रत्यायोजन, बृहत ऋण जोखिम पर विवेकपूर्ण सीमा, पोर्टफोलियो प्रबंधन आदि सहित ऋण मामलों से संबंधित सभी नीतियों का बोर्ड से अनुमोदन हेतु अनुशंसा करना है।

जोखिम प्रबंधन विभाग के महाप्रबंधक पद के मुख्य जोखिम अधिकारी के देखरेख में कार्यरत है जो जोखिम प्रबंधन पर बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंदर व्यापक रूप से ऋण जोखिम का मापन, नियंत्रण तथा प्रबंधन करते हैं तथा बोर्ड/आर.कॉम/सीआरएमसी द्वारा तय जोखिम मानदंडों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। महाप्रबंधक के अंतर्गत कार्यरत ऋण निगरानी विभाग ऋण पोर्टफोलियो का अनुप्रवर्तन करते हैं, समस्याओं की पहचान करते है तथा कमियों को दूर करने के उपाय करते हैं। ऋण लेखापरीक्षा कार्यों में ऋण समीक्षा/ऋण लेखापरीक्षा का समावेश है।

iii) परिचालन/प्रणाली/प्रक्रियाएं

बैंक ऋण प्रदान करने के लिए निरंतर एक मानक, तुलन पत्र में शामिल न होनेवाली मदों सहित सभी ऋण जोखिमों का अनुरक्षण तथा प्रलेखीकरण, आवधिक व्यक्तिगत बाध्यताधारी समीक्षा, आवधिक निरीक्षण तथा संपार्श्विक प्रबंधन प्रणाली जैसी स्वत: पहल कर ऋण जोखिम प्रबंधन करता है।

ऋण जोखिम सीमा में उद्योग द्वारा बाध्यताधारी सीमा व संकेन्द्रण सीमा, ग्राहकों के वित्तीय कार्यनिष्पादन हेतु प्रणाली व प्रक्रिया हेतु निगरानी तथा सीमा में बकाया नियंत्रण सम्मिलित है। ऋण विस्तार हेतु जांच तथा अधिशेष है यथा ऋण स्वीकृति से ऋण जोखिम प्रबंधन को अलग करना, सीआरएमसी द्वारा जोखिम दृष्किोण से नए उत्पादों तथा प्रणाली का पुनरीक्षण, बहु ऋण अनुमोदक, जोखिम निर्धारण करने की प्रणाली, ग्राहक के जोखिम ग्रेडिंग पर आधारित कीमत सुविधाओं की प्रणाली, जोखिम दृष्टिकोण से ऋण प्रस्तावों के पुनरीक्षण हेतु ऋण जोखिम मूल्यांकन समिति, ऋण प्रक्रिया लेखापरीक्षा, स्वीकृति पूर्व संवितरण पूर्व समीक्षा तथा स्वीकृति पूर्व समीक्षा प्रणाली तथा स्वतंत्र लेखापरीक्षा व जोखिम समीक्षा कार्य निवेशों हेतु प्रस्ताव ऋण जोखिम विश्लेषण, विस्तृत मूल्यांकन तथा क्रम निर्धारण के अध्यधीन है। प्रवेश स्तर के मामले में, न्यूनतम क्रमनिर्धारण/गुणवत्ता मानक, उद्योग, परिपक्वता, अवधि, निर्गम अनुसार मामले निवेशों हेतु विनिर्धारित किए गए हैं जिससे कि तरलता के जोखिम तथा संकेन्द्रण के विपरीत प्रभाव को कम कर सकता

है। किसी ग्राहक को एक्सपोजर की गणना करते समय निवेश एक्सपोजर पर ध्यान दिया जाता है। अन्य बैंकों पर सकल जोखिम पर केन्द्रीयकृत परिदृश्य प्रदान करने हेतु एक उचित फ्रेमवर्क तथा अर्धवार्षिक समीक्षा की गई है। देश के जोखिम का अनुप्रवर्तन अर्धवार्षिक आधार पर होता है।

जोखिम आस्तियों के विविधतापूर्ण पोर्टफोलियो का अनुरक्षण किया जाता है तथा पोर्टफोलियो के नियमित विश्लेषण करने की एक प्रणाली है जिससे कि जोखिम संकेन्द्रण के जोखिम नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा सके। अनर्जक अग्रिमों के संबंध में एक संतुलित नीति प्रक्रियागत है। ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली के आरम्भ सहित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) को उन्नतिशील किया गया है जिससे कि बैंक की क्षमताएं बढ़ेगी तथा तुलन पत्र में न आने वाली या आने वाली सभी गतिविधियों के ऋण जोखिम का बैंक प्रबंधन करेगा।

iv) ऋण जोखिम प्रबंधन/न्यूनीकरण हेतु निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया जाता है -

➢ **ऋण अनुमोदित करने संबंधी प्राधिकारी - अधिकारों का प्रत्यायोजन :**

बैंक में बहु स्तरीय जोखिम आधारित अनुमोदित प्रणाली वाली सुस्पष्ट प्रत्यायोजन अधिकार की योजना है जिसकी आवधिक समीक्षा की जाती है और कारोबार के वातावरण की अनिवार्यता को पूरा करने के लिए जब एवं जैसा आवश्यक होता है, उसे संशोधित किया जाता है।

अधिकारियों का प्रत्यायोजन उधारकर्ताओं की रेटिंग के साथ लिंक की हुई है जहां बेहतर रेटिंग वाले ग्राहकों को उच्चतर सीमा की मंजूरी देने का अधिकार है। वर्तमान में सभी ऋण प्रस्तावों पर जो महाप्रबंधक और उससे उच्चतर प्राधिकारी के प्रत्यायोजित प्राधिकार में आते हैं, "ऋण जोखिम मूल्यांकन समिति (सीआरईसी)" के माध्यम से कार्रवाई की जाती है जिससे ऋण प्रस्तावों में कथित जोखिमों को स्वतंत्र एवं ऑफ़साइट मूल्यांकन किया जा सके। जोखिम प्रबंधन विभाग के महाप्रबंधक जिसे कोई मात्रात्मक या लाभ का लक्ष्य नहीं है, सीआरईसी का अनिवार्य सदस्य होता है। वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर प्रत्यायोजित अधिकारों के प्रयोग हेतु मंजूरी हेतु अधिकारों सहित ऋण समितियां गठित की गई हैं।

प्रधान कार्यालय स्तर पर फील्ड में कार्यरत अधिकारियों के प्रत्यायोजित अधिकारों से ऊपर के प्रस्तावों पर कार्रवाई करने के लिए तीन ऋण समितियाँ (जीएमएलसीसी, ईडीएलसीसी एवं सीएसी) कार्यरत हैं। आंचलिक कार्यालय/ एनबीजी कार्यालय में उनके अधिकारों में आनेवाले ऋण प्रस्तावों पर विचार करने के लिए इसी प्रकार ऋण समितियाँ (एसजेडएलसीसी/ जेडएलसीसी/ एनबीजीएलसीसी) गठित की गई है।

➢ **विवेकपूर्ण सीमाएँ:**

विभिन्न प्रकार के उधारकर्ताओं के लिए ऋण/निवेश के विविध पहलुओं, जैसे एकल/समूह उधारकर्ता सीमाओं के संबंध में उपयुक्त विवेकपूर्ण सीमाएँ हैं।

➢ **जोखिम श्रेणी निर्धारण/मूल्य निर्धारण:**

काऊन्टर पार्टी के विभिन्न जोखिम घटकों के लिए एकल बिन्दु इन्डीकेटर तथा क्रेडिट तथा मूल्य निर्धारण में सहायता हेतु बैंक ने विभिन्न खण्डों में श्रेणी निर्धारण माडल आरंभ किया है।

➢ **ऋण लेखा परीक्षा/ ऋण समीक्षा तंत्र (एलआरएम):**

ऋण लेखा परीक्षा/एलआरएम, ऋण बही की गुणवत्ता के लगातार मूल्यांकन करने और ऋण प्रबंध में गुणात्मक सुधार लाने हेतु एक प्रभावी साधन है।

v. विश्लेषण के माध्यम से संविभाग प्रबंधन

विभिन्न ऋण पोर्टफोलियों एवं निवेशों की समग्र संरचना और गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक उपयुक्त प्रणाली होना भी महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य से शुरुआत रूप में, बैंक ने एक सरल पोर्टफोलियों निगरानी फ्रेमवर्क प्रारंभ किया है। आगे चलकर बैंक और अधिक परिष्कृत पोर्टफोलियों प्रबंधन मॉडल तैयार करेगा। रु 10 लाख और इससे अधिक वाले खातों में रेटिंग माइग्रेशन छ:माही किया जा रहा है और बोर्ड को प्रस्तुत किए जाते हैं। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट साफ्टवेयर (सीआरएमएस) चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। बैंक एडवांस्ड एप्रोच को अपनाने करने के लिए तैयार हो रहा है।

vi. जोखिम मापांकन:

वर्तमान में ऋण जोखिम का निर्धारण जोखिम श्रेणी निर्धारण व्यक्तिश: स्तर पर करने और पोर्टफोलियो स्तर पर आस्तियों के भारांक एवं जोखिम भारांको के आधार पर रखी गई पूँजी के माध्यम से किया जाता है। 31 मार्च 2008 से प्रभावी नवीन पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बासेल II) के अन्तर्गत बैंक ने मानक दृष्टिकोण को अपना लिया है।

vii. जोखिम रिपोर्टिंग प्रणाली:

सभी ऋण संबंधी नीतियाँ अनुमोदन के लिए उचित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले सीआरएमसी (जो ऋण जोखिम के लिए परिचालन स्तर की समिति है) द्वारा अनुमत की जाती है। उचित निगरानी करने के लिए विभिन्न ऋण संबंधी सूचनाएँ सीआरएमसी को प्रस्तुत की जाती है।

viii. जोखिम समीक्षा:

लेखापरीक्षा-ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली एवं साधन भी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा के अध्यधीन हैं।

ix. विशेष उल्लेख खाते (एसएमए) /एनपीए खातों के अनुवर्तन हेतु उपाय

एनपीए की निगरानी/निवारण हेतु सामान्यत: बैंक में उपलब्ध विभिन्न उपाय नीचे सूचीबद्ध किए गए है :-

I. एनपीए होने से पहले खाता [विशेष उल्लेख खाता (एसएमए)]:

क. आस्ति गुणवत्ता बनाए रखने के लिए मंजूरी की शर्तों के अनुपालन हेतु सघन निगरानी।

ख. जहाँ भी अनियमितताएँ पाई गई है वहां तत्परता से अनुस्मारकों का भेजा जाना।

ग. एनपीए प्रवर्ग में खाते का न जाना सुनिश्चित करने हेतु तुरंत अतिदेयों की वसूली करना।

घ. इकाई और प्रभारित आस्तियों का आवधिक निरीक्षण एवं वित्तीय डाटा का विश्लेषण।

ङ. खातों के एनपीए होने से पहले देय राशियों को पुनर्संरचित करना। सुधारात्मक कार्रवाई में अधिस्थगन अवधि बढ़ाना, ब्याज के लिए निधि प्रदान करना एवं किश्तों का आस्थगन शामिल हैं।

II. खाता एनपीए होने के बाद:-

क. बकाया को कम करने हेतु अर्थ सुलभ प्रतिभूतियों (टीडीआर, शेयर, मार्जिन राशि आदि) एवं गिरवी वस्तुओं का विनियोजन

ख. उधारकर्ताओं के सहयोग से अन्य प्रतिभूतियों की बिक्री।

ग. समझौता वार्ता के माध्यम से प्राप्य राशियों का समझौता निपटान

घ. अग्रिम को रीकॉल करना

ङ. अदालत में वाद दायर करना - डिक्री का निष्पादन

च. अंत में, प्राप्य राशियों की वसूली हेतु सभी उपाय करने के पश्चात्, खाता के देय शेष को बट्टे खाते में डाला जाता है ।

2. पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)

पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी) ने संपूर्ण जोखिम प्रबंधन को स्वीकृत लक्षित, समन्वित और सतत बनाने की आशा से जोखिम जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) तथा जोखिम प्रबंधनइकाई (आरएमयू) स्थापित की है जो परिचालन इकाई और आंतरिक लेखा परीक्षा इकाई (“आंतरिक लेखा परीक्षा) से स्वतंत्र है। इसके अतिरिक्त आरएमसी और आरएमयू के कार्यों के कार्यान्वयन के प्रभाव की निगरानी के लिए बैंक ने जोखिम निगरानी समिति बनाई है जो सीधे बोर्ड ऑफ कमीशनर्स को उत्तरदायी है।

बैंक ऑफ इंडोनेशिया के अनुसार बैंक ने 8 (आठ) प्रकार के जोखिमों को संभाला है। ऋण जोखिम, चलनिधि जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, अनुपालन जोखिम, विधि जोखिम, प्रतिष्ठा जोखिम एवं कार्यनीति जोखिम। इसके अलावा बैंक जोखिम प्रोफाइल सृजित करता है जो जोखिम के साथ संभाव्य जोखिम वाली गतिविधियाँ की पहचान करता है जो बैंक की कारोबार निरन्तरता को खंडित करती है । जोखिम प्रकार का आकलन किसी भी कार्यात्मक गतिविधि (निहित जोखिम) और जोखिम नियंत्रण प्रणाली में निहित जोखिमों का संयोजन है।

बैंक नए ऋणों का अनुमोदन करने में चयानात्मक है और नियामक की आवश्यता से अधिक, ऋण के लिए प्रावधान बनाए रखता है। संपार्श्विक आधारित उधार में, संपार्श्विक के मूल्य पर हेयरकट लगाई जाती है। बैंक का जोखिम अधिकारी, निदेशक अनुपालन को रिपोर्ट करता है। ज़ोखिम प्रबंधन इकाई (आरएमयू) ऋण अनुमोदन प्रक्रिया का पर्यवेक्षण/निगरानी करते हैं।

3. बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि., बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैंड) लि. तथा बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि.

मासिक आधार पर ब्याज लगाया जाना, मानक आस्तियों में संभाव्य ऋण चूक या व्यतिक्रम से निपटने का एक उपयोगी साधन बन गया है। आस्ति की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु बैंक ने निम्नलिखित नीति अपनाई है जिस पर शाखाओं को तुरंत अमल करना चाहिए और :-

- ➢ उधारकर्ता के साथ सक्रिय अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से अतिदेय या कम से कम क्रिटिकल राशि की वसूली करना।
- ➢ अस्थायी बेमेल रोकड़ प्रवाह के मामलों में खाते को ‘होल्डिंग ऑन ऑपरेशन्स” के तहत रखना ।
- ➢ अपेक्षित नकदी प्रवाह के अनुसार चुकौती शर्तों को पुनर्निर्धारित करना।
- ➢ पुनर्रचना नीति में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार नकदी प्रवाह में यदि कोई अंतर हो तो अपेक्षित नकदी प्रवाह को दृष्टिगत रखते हुए देय राशि की पुनर्रचना की जाए।

एनपीए होने से पहले खातों में बैंक द्वारा उपरोक्त में एक या अधिक कार्रवाई की जाती है।

खाता एनपीए होने से पहले बैंक द्वारा उपर्युक्त कार्रवाइयों में से कोई एक या अधिक कार्रवाई की जाती है।

ii. मात्रात्मक प्रकटन

ए. कुल सकल ऋण एक्स्पोज़र निम्नानुसार

वर्ग	(रु. मिलियन में)
निधि आधारित	49,76,740.00
गैर-निधि आधारित*	5,25,690.00
कुल	**55,02,430.00**

*डेरिवेटिव्स के क्रेडिट समतुल्य को छोडकर

बी. एक्सपोजर का भौगोलिक संवितरण: **(रु. मिलियन में)**

	घरेलू	विदेशी	वैश्विक
निधि आधारित	43,03,360	6,73,380	**49,76,740.00**
गैर निधि आधारित	4,22,810	1,02,880	**5,25,690.00**

सी. उद्योगवार जोखिम का वितरण (निधि आधारित और गैर- निधि आधारित)निम्नलिखित है :

(रु. मिलियन में)

कोयला	8,125.40	0.00
खदान	13,327.49	524.81
लौह एवं इस्पात	67,046.83	1,593.56
अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	23,721.66	7,707.75
सभी इंजीनियरिंग	14,176.54	4,396.81
जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स	1,977.64	292.02
सूती वस्त्र उद्योग	26,996.25	496.55
जूट वस्त्र उद्योग	630.83	1.94
अन्य वस्त्र उद्योग	32,637.33	1,778.31
खाद्य प्रसंस्करण	46,617.47	1,988.45

जिसमें वेजिटेबल ऑइल एवं वनस्पति	3,723.78	852.42
जिसमें चीनी	17,638.89	511.14
जिसमें अन्य खाद्य प्रसंस्करण	19,055.30	617.98
जिसमें चाय	3.70	6.91
तंबाकू एवं तंबाकू उत्पाद	2,376.96	27.78
पेपर एवं पेपर उत्पाद	11,452.56	691.21
रबर एवं रबर उत्पाद	29,302.28	2,472.82
केमिकल, डाई, पेंट्स आदि	50,812.87	7,326.46
जिसमें से फर्टिलाइजर्स	19,145.27	3.19
जिसमें से पेट्रोकेमिकल्स	6,484.84	2,251.91
जिसमें से ड्रग्ज और फार्मास्युटिकल्स	14,792.77	4,054.57
जिसमें अन्य	5,649.08	876.19
सीमेंट	13,057.39	162.93
चर्म एवं चर्म उत्पाद	5,484.85	36.59
रत्न एवं आभूषण	56,118.39	130.99
निर्माण	53,605.18	26,061.00
पेट्रोलियम	35,977.14	705.35
ऑटोमोबाइल्स, ट्रक सहित	12,927.74	1,143.09
आधारभूत संरचनाङ	561,603.76	107,616.27
जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी सहित पॉवर	414,231.17	68,587.80
जिसमें से दूरसंचार	3,287.74	21.07
जिसमें से सड़के और पत्तन	134,892.61	25,818.90
अन्य उद्योग	38,474.58	13,188.50
शेष अन्य अग्रिम(सकल अग्रिमों सहित शेष)	3,910,741.08	360,827.33
कुल	4,976,740.00	525,690.00
*बुनियादी संरचना क्षेत्र के 11.28% के दर से एक्सपोज़र कुल निधि आधारित अग्रिमों के 5% से अधिक है		
*बुनियादी संरचना क्षेत्र के 20.47% के दर से एक्सपोज़र कुल गैर-निधि आधारित बकाया के 5% से अधिक है		

डी. आस्तियों का शेष संविदात्मक परिपक्वता विश्लेषण निम्नलिखित है:

(रु. मिलियन में)

	अग्रिम	निवेश	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ
पहला दिन	122,011.84	307,981.29	3,210.94
2 से 7 दिन	44,895.04	77,602.13	7,258.90
8 से 14 दिन	47,337.44	24,478.37	5,297.20
15 से 30 दिन	74,762.85	33,401.77	5,372.35
31 दिन और 2 माह तक	82,288.28	35,324.31	12,300.40
2 माह और 3 माह तक	96,723.91	35,015.48	12,300.40
3 माह और 6 माह तक	169,093.18	53,561.09	4,329.05
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	192,430.75	56,236.68	2,799.70
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	1,657,590.32	297,111.07	1,516.00
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	454,222.28	224,497.80	-
5 वर्ष से अधिक	909,738.22	594,794.90	-
कुल	**3,918,896.69**	**1,716,238.70**	**54,384.94**

ई. सकल एनपीए इस प्रकार हैं - (रु. मिलियन में)

वर्ग	
अवमानक	43,813.03
संदिग्ध-1	58,095.78
संदिग्ध - 2	74,353.50
संदिग्ध - 3	86,770.60
हानि	1,94,180.31
कुल	**4,57,213.22**

एफ़. निवल एनपीए की राशि रु. 1,18,868.32 मिलियन है।

जी. एनपीए अनुपात निम्नानुसार है :

- सकल अग्रिमों की मुलना में सकल एनपीए : **9.95%**
- निवल अग्रिमों की मुलना में निवल एनपीए : **2.58%**.

एच. सकल एनपीए का उतार चढ़ाव निम्नप्रकार है : (रु. मिलियन में)

i) वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक शेष	565,940.26
ii) वर्ष के दौरान किया गया परिवर्धन	88,970.24
iii) वर्ष के दौरान की गई कटौती	197,705.23
iv) वर्षान्त मे अंतिम शेष (i+ii-iii)	457,213.22

आई. एनपीए हेतु प्रावधानों का उतार चढ़ाव निम्नानुसार है :

(रु. मिलियन में)

i) वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक शेष (फ्लोटिंग प्रावधान को छोड़कर)	421,127.02
ii) वर्ष के दौरान किये गए प्रावधान	74,185.60
iii) अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन/बट्टे खाते में डालना	156,869.33
iv) वर्षान्त मे अंतिम शेष (i+ii-iii)	338,443.29

जे. अनर्जक आस्ति निवेश की राशि रु. 22,280.09 मिलियन है।

के. अनर्जक आस्ति निवेश हेतु किए गए प्रावधान की राशि रु. 22,160.82 मिलियन है।

एल. निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों का उतार चढ़ाव निम्न प्रकार है :

(रु. मिलियन में)

i) वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक शेष	44,579.41
ii) वर्ष के दौरान किये गए प्रावधान	11,900.01
iii) अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन/बट्टे खाते में डालना	5,663.32
iv) विनियम अंतरण	-
v) वर्षान्त में अंतिम शेष (हृगग-गगहृगन)	43,174.49

एम. बैंक ऑफ़ इंडिया के लिए प्रमुख उद्योग या प्रतिपक्ष प्रकार द्वारा किया

गया प्रावधान एवं एन.पी.ए :

(रु. मिलियन में)

उद्योग का नाम	एनपीए	प्रावधान
कोयला	2,698.20	339.90
खदान	778.70	435.60
लौह एवं इस्पात	4,318.10	1,444.10
अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	7,176.70	5,628.50
सभी इंजीनियरिंग	3,702.30	2,534.20
जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स	493.70	403.90
बिजली	11,791.30	8,921.40
सूती वस्त्र उद्योग	94.40	68.60
जूट वस्त्र उद्योग	7,134.80	3,877.00
अन्य वस्त्र उद्योग	13,192.70	11,268.70
खाद्य प्रसंस्करण	2,918.70	2,143.30
जिसमें वनस्पति तेल	2,087.10	1,410.20
जिसमें चीनी	8,186.90	7,715.20
जिसमें अन्य खाद्य प्रसंस्करण	0.00	0.00
जिसमें चाय	131.20	116.90
तंबाकू एवं तंबाकू उत्पाद	1,704.20	846.50
पेपर एवं पेपर उत्पाद	1,652.50	677.10
रबर एवं रबर उत्पाद	2,698.20	339.90
केमिकल, डाई, पेंट्स आदि	3,308.80	2,038.70
जिसमें से फर्टिलाइजर्स	42.30	15.20
जिसमें से पेट्रोकेमिकल्स	801.60	502.70
जिसमें से ड्रग्ज और फार्मास्युटिकल्स	1,043.40	751.90
जिसमें अन्य	1,421.50	768.90
सीमेंट	1,089.60	545.30
चर्म एवं चर्म उत्पाद	1,744.20	470.10
रत्न एवं आभूषण	22,836.00	9,075.40
निर्माण	5,751.70	4,104.30
पेट्रोलियम	18,284.30	146.10
ऑटोमोबाइल्स, ट्रक सहित	4,766.30	2,099.90
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	0.00	0.00
आधारभूत संरचना*	53,346.50	38,297.00
जिसमें से पॉवर	19,752.80	18,303.50
जिसमें से दूरसंचार	1,674.10	598.30
जिसमें से सड़के और पत्तन	26,971.70	16,270.30
अन्य उद्योग	4,947.90	3,124.90
शेष अन्य अग्रिम (सकल अग्रिमों सहित तुलन के लिए)	291,217.02	245,104.09
कुल	**457,213.22**	**338,443.29**

एन . भूगोलवार एनपीए एवं प्रावधान (बैंक ऑफ़ इंडिया के लिए सोलो)

(राशि मिलियन रुपयों में)

	घरेलू	विदेशी	कुल
सकल एनपीए	3,91,237.40	64,816.50	4,56,053.90
एनपीए हेतु प्रावधान	2,76,819.40	60,933.40	3,37,752.80

तालिका डीएफ-4

ऋण जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन संविभागों हेतु प्रकटीकरण

ग. गुणात्मक प्रकटीकरण

क) मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत संविभागों के लिए:

- ➢ किसी भी परिवर्तन हेतु कारणों सहित, उपयोग की गई ऋण रेटिंग एजेन्सियों का नाम
- ➢ एक्स्पोजर के प्रकार जिसके लिए प्रत्येक एजेन्सी का उपयोग किया गया है; एवं
- ➢ बैंकिंग बही में लोक निर्गम रेंटिंग का तुलनीय आस्तियों में अंतरण हेतु प्रयुक्त की गई प्रक्रिया का वर्णन।

1. बैंक ऑफ इंडिया:

ए. बैंक ने सीआरएआर गणनाओं हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार के लिए निम्नलिखित ऋण रेटिंग एजेंसियों की सामान्य श्रेणी निर्धारण के उपयोग किए जाने हेतु अनुमोदन किया है। स्वदेशी दावों के लिए सीआरआईएसआईएल, आईसीआरए, इंडिया रेटिंग्स, ब्रीकवर्क, एसएमईआरए एवं सीएआरई तथा अनिवासी कार्पोरेट्स, विदेशी बैंको एवं विदेशी प्रभुसत्ता पर दावों के लिए एस एंड पी, फिच एवं मूडी। एसएमई श्रेणी रेटिंग का उपयोग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।

बी. इन सभी एजन्सियों के रेटिंग का उपयोग, बासेल-II के अंतर्गत सीआरएआर गणनाओं हेतु मानकीकृत दृष्टिकोणान्तर्गत, श्रेणीकरण के अधीन समस्त ऋण जोखिमों के जोखिम भार प्रयोजनार्थ किया जा रहा है।

सी. बैंकिंग बही में तुलनीय आस्तियों पर सार्वजनिक निर्गम रेटिंग अंतरण हेतु प्रयुक्त प्रक्रिया आरबीआई की नियामक आवश्यकताओं के अनुसार है। रेटिंग एजेन्सियों द्वारा उनकी वेबसाइट पर प्रकाशित की गई लोक रेटिंग इस प्रयोजनार्थ उपयोग की गई है। रेटिंग जो केवल संबद्ध रेटिंग एजेन्सी के मासिक बुलेटिन के अनुसार प्रभावी है एवं पूर्व 15 महीनों के दौरान कम से कम एक बार पुनरीक्षित की गई है, का उपयोग किया जाता है।

डी. विशेष दूसरे पक्ष पर समस्त ऋण जोखिमों के लिए बैंक द्वारा रेटिंग के लिए केवल एक ही एजेन्सी का प्रयोग किया जाता है, यद्यपि इन एक्सपोज़रों की रेटिंग एक से अधिक एजेन्सी द्वारा इस अपवाद के साथ की जाती है कि प्रत्येक ऋण एक्सपोज़र की रेटिंग केवल एक अनुमोदित रेटिंग एजेन्सी द्वारा जाती है।

ई. जोखिम भार प्रयोजनार्थ पात्रता के लिए, यह सुनिश्चित किया जाता है कि, बाह्य

रेटिंग पर विचार किया जाता है एवं बैंक द्वारा भुगतान की गई संपूर्ण ऋण राशि के संबंध में ऋण जोखिम को प्रतिबिंबित करें। एक ही पार्टी के दूसरे पक्ष को किसी अन्य ऋण जोखिम के लिए विशिष्ट रेटिंग एक निर्गमकर्ता या निर्गम को विस्तारित करते समय, यह ऋण जोखिम एक्सपोजर की संपूर्ण राशि के लिए विस्तारित की जाती है, अर्थात दोनों मूल राशि एवं ब्याज हेतु। एक कार्पोरेट समूह के अंतर्गत एक कंपनी के बाह्य रेटिंग का उपयोग जोखिम भार हेतु उसी समूह की अन्य कंपनियों के लिए नहीं होता है।

एफ़. उन आस्तियों के लिए जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष से कम या एक वर्ष के बराबर होती है, अल्पावधि रेटिंग का उपयोग किया जाता है, जबकि अन्य आस्तियों के लिए दीर्घावधि रेटिंग प्रयोग की जाती है। नकद उधार एक्सपोज़र के लिए दीर्घ अवधि श्रेणी निर्धारण ली जाती है।

जी. जहाँ एक जारीकर्ता की बाह्य दीर्घावधि रेटिंग सहित दीर्घावधि एक्सपोज़र है जो 150% जोखिम भारिता का समर्थन करता है, तथा उसी काउन्टरपार्टी के सभी अमूल्यांकित दावे चाहे वह अल्पावधि की हो अथवा दीर्घावधि की हो, भी 150% जोखिम भारिता वहन करती है, सिवाय उसके जहाँ ऋण जोखिम घटाव तकनीक इन दावों के लिए प्रयोग किया जाता है। अल्पावधि रेटिंग के मामले भी एकसमान होंगे ।

एच. दीर्घावधि एक्सपोज़र हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भारिता का सीधा आकलन अनुमोदित रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दीर्घावधि रेटिंग समनुदेशित किया जाता है। इसके विपरीत, प्रतिपक्ष का अमूल्यांकित अल्पावधि दावा उसके प्रतिपक्ष के मूल्यांकित अल्पावधि दावों पर लागू जोखिम भारिता से कम से कम एक स्तर ज्यादा जोखिम भारिता वहन करता है। बैंकों तथा निगमों के विरुद्ध मूल्यांकित सुविधा से उत्पन्न दावों हेतु जोखिम भारिता निर्गम विशिष्ट अल्पावधि मूल्यांकन जनित है जो अमूल्यांकित दीर्घावधि दावों हेतु जोखिम भारिता का समर्थन नहीं करता है।

आई. यदि योग्य ऋण रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दो रेटिंग दिए जाते हैं जो विभिन्न ऋण भारिता दर्शा रहा है तो वहाँ उच्च जोखिम भारिता लागू होगा। यदि योग्य ऋण रेटिंग एजेंसियों द्वारा तीन या उससे अधिक मूल्यांकन विभिन्न जोखिम भारिता दर्शा रहे हैं तब दो न्यूनतम जोखिम भारिता का परवर्ती मूल्यांकन संदर्भित किया जाता है तथा उन दोनों जोखिम भारिताओं में से उच्च जोखिम भारिता लागू होता है यथा द्वितीय न्यूनतम जोखिम भारिता ।

जे. निवेश दावे का आरडबल्यू किसी चुनी हुई रेटिंग एजेन्सि की विशिष्ट रेटिंग पर आधारित होता है, जहां दावा किसी विशिष्ट मूल्यांकित निर्गम में निवेश न हो :

i) विशिष्ट उधार (जहाँ जोखिम भार में रेटिंग का आकलन, जो अमूल्यांकित दावे पर लागू से कम हो) पर लागू रेटिंग बैंक के केवल अनिर्धारित दावे पर लागू होती है। यदि यह दावा समरूप श्रेणी अथवा सभी दृष्टि से विशेष दर आधारित उधार से वरीय हो एवं जहाँ दर आधारित दावा लघु अवधि दायित्व होता है, को छोड़कर अनिर्धारित दावे की परिपक्वता, दर आधारित दावे की परिपक्वता के बाद न आती हो।

ii) यदि निर्गमकर्ता अथवा एकल निर्गम की रेटिंग निर्धारित की गई हो, जो गैर निर्धारित दावों पर लागू जोखिम भार के बराबर हो अथवा उच्चतर हो, उसी काउंटरपार्टी पर बिना रेटिंग को दावे पर वही जोखिम भार समनुदेशित किया जाता है, जैसा कि रेटिंग वाले एक्सपो. जर पर लागू होता है, यदि सभी दृष्टि से यह दावा रेटिंग वाले एक्सपो. जर से समरूप या कनिष्ठ श्रेणी का हो।

2.0 पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)

देश में मौजूदा मानदंडो के अनुसार किसी भी बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा क्रेडिट रेटिंग किया जाना अपेक्षित नहीं है।

3.0 बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानियां) लि. एवं बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि. :

देश में मौजूदा मानदंडो के अनुसार किसी भी बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा क्रेडिट रेटिंग किया जाना अपेक्षित नहीं है। देश में कोई भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी परिचालन में कार्यरत नहीं है।

4.0 बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि. (अनुषंगी) :

आवश्यक्तानुसार तिमाही के आधार पर सामान्य प्रकटीकरण विवरणी द्वारा ऋण जोखिम का प्रकटीकरण किया जाता है ।

ii. मात्रात्मक प्रकटीकरण: **(रुपये मिलियन में)**

मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम के कम होने के पश्चात एक्सपो. जर की राशि के लिए बैंक की बकाया राशि (दर आधारित एवं गैर दर आधारित) निम्नलिखित तीन बृहत जोखिम बकेट एवं जिनकी कटौती की जाती है उन क्षेत्रों; का मात्रात्मक प्रकटीकरण किया जाता है।	
बीओआई का कुल ऋण एक्सपोज़र मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन निम्नलिखित प्रमुख जोखिम बकेट के अंतर्गत वर्गीकृत हैं:-	
100% जोखिम भार से कम	72,79,180.00
100% जोखिम भार	11,06,530.00
100% जोखिम भार से अधिक	2,63,080.00

तालिका डीएफ-5

ऋण जोखिम न्यूनीकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटन

i. गुणात्मक प्रकटन

(क) ऋण जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटन आवश्यकताओं में यह शामिल है:

- ➢ तुलन पत्र में एवं उसके बाहर नेटिंग हेतु नीतियाँ एवं प्रक्रियाएं तथा इस बात का संकेत कि बैंक किस हद तक इंका प्रयोग करता है;
- ➢ संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंधन हेतु नीतियाँ एवं प्रक्रियाएं;
- ➢ बैंक द्वारा लिए गए संपार्श्विक के प्रमुख प्रकारों का विवरण;
- ➢ गारंटीकर्ता काउंटर पार्टी के प्रमुख प्रकार और उनकी ऋण पात्रता; एवं
- ➢ न्यूनीकरण हेतु किए गए उपायों के भीतर (बाजार अथवा ऋण) जोखिम संकेन्द्रण के बारे में सूचना

क: बैंक ऑफ़ इंडिया

1. ऋण जोखिम न्यूनीकरण प्रबंधन का एक अग्रसक्रिय साधन है, जो अच्छे एवं बुरे दोनों समय में राजस्व हानि से कंपनी का रक्षण करता है। बैंक उसके दैनिक परिचालनों में आने वाले ऋण जोखिम के प्रभावों को कम करने के लिए विभिन्न पद्धति और तकनीक अपनाता है। ऐसी प्रक्रिया को ऋण जोखिम न्यूनीकरण का नाम दिया गया है और ऋण जोखिम न्यूनीकरण के कुछ तकनीक को पर्यवेक्षकों द्वारा मूल्य, मुद्रा असंतुलन और परिपक्वता असंतुलन के लिए समायोजन के पश्चात पूंजी प्रभार कटौती करने हेतु उपयोग करने की अनुमति दी गई हैं। नयी पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बासेल ।।) के अंतर्गत पहचाने गए विभिन्न ऋण जोखिम प्रशामक (सीआरएम) निम्नानुसार है:

(1) संपार्श्विकृत संव्यवहार

(2) ऑन - बैलन्स शीट नेटिंग

(3) गारंटियाँ

2. पात्र वित्तीय संपार्श्विक

मानक अभिगम के अंतर्गत सभी संपार्श्विकों को ऋण जोखिम प्रशामक के रूप में स्वीकारा नहीं गया है। निम्नलिखित वित्तीय संपार्श्विक को स्वीकार किया गया है:

i. नकदी एवं जमाराशियाँ विदेशी मुद्रा की जमाराशियों सहित

ii. स्वर्ण : 99.99% शुद्धता वाले बेंचमार्क सहित

iii. केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ

iv. किसान विकास पत्र और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र

v. जीवन बीमा पॉलिसियाँ

vi. ऋण प्रतिभूतियाँ- श्रेणीकृत शर्तों के अध्यधीन

vii. ऋण प्रतिभूतियाँ-गैर श्रेणीकृत, बैंकों द्वारा जारी, शर्तों के अध्यधीन

viii. म्युचुअल फंडों की यूनिट, शर्तों के अध्यधीन

ix. संपार्श्विक संव्यवहारों के लिए पूंजी सहायता उपलब्ध करने हेतु कतिपय अतिरिक्त मानदंड हैं, जिनका संपार्श्विक के प्रबंधन पर प्रत्यक्ष वहन है और संपार्श्विक प्रबंधन के दौरान इस पहलू का ध्यान रखा जाता है।

3. ऑन-बैलन्स शीट नेटिंग

ऑन बैलेंस शीट नेटिंग को ऋणों/अग्रिमों (एक्सपोजर के रूप में माने गए) और जमाराशियों (संपार्श्विक के रूप में) तक सीमित रखा जाए, जहाँ पर दस्तावेजो के सबूतों के साथ विशिष्ट ग्रहणाधिकार सहित बैंक का कानूनी प्रवर्तनीय नेटिंग व्यवस्था है और जिसका नेट आधार पर प्रबंधन किया जाता है।

4. गारंटियाँ

जहाँ प्रत्यक्ष, निर्धारित, अविकल्पी और बिना शर्त गारंटियाँ हो, बैंक पूँजी आवश्यकताओं की गणना करने हेतु ऐसे ऋण संरक्षण को मान सकता है. पात्र गारंटीदाताओं/काउंटर गारंटीदाताओं की श्रेणी में ये शामिल हैं:

i. शासक, शासकीय संस्था (बीआईएस, आइएमएफ, यूरोपियन सेन्ट्रल बैंक और यूरोपियन समुदाय के साथ-साथ कतिपय विनिर्दिष्ट एमडीबी, ईसीजीसी और सीजीटीएसएमई), बैंक और काउंटर पार्टी से अन्य निम्न जोखिम भार सहित प्राथमिक व्यापारी;

ii. एए अथवा उससे बेहतर श्रेणी की अन्य संस्थाएं

5. बैंक की सुपरिभाषित संपार्श्विक प्रबंधन नीति है जो संपार्श्विक के सर्वोत्तम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रित फ्रेमवर्क प्रदान करती है। यह उधार में अंतर्निहित ऋण जोखिम के न्यूनीकरण का प्रमुख घटक है। बैंक मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार की प्रतिभूतियाँ स्वीकार करता है। मूर्त प्रतिभूतियाँ या तो भौतिक स्वरूप की होती है अथवा अन्य सामग्री प्रारूप में जैसे कि नकद मार्जिन, बैंक के पास जमाराशियाँ, स्वर्ण अथवा अन्य मूल्यवान धातु, शेयर्स, एनएससी/केवीपी/जीवन बीमा पॉलिसियाँ। अमूर्त प्रतिभूतियाँ हैं - बैंक गारंटियाँ/साख पत्र, बही ऋण, आश्वासन पत्र, नकारात्मक पुनर्ग्रहणाधिकार पत्र, अपंजीकृत प्रभार इत्यादि। उधार दिए गए धन हेतु प्रतिभूति प्राप्त करने के सामान्य तरीके हैं - बंधक, गिरवी, दृष्टिबंधक और पुनर्ग्रहणाधिकार पत्र। बैंक ऋण एक्सपोजर से सृजित की गई संपत्ति पर प्रथम प्रभार/अथवा समरूप आधार पर सामान्य नियम के अनुसार बैंक का प्रभार दर्ज किया जाए।

सामान्यत जब भी लागू हो/अनुमत होने पर गारंटी का आग्रह किया जाए गारंटीकर्त्ता के प्रमुख प्रकार हैं:-

i) केंद्र/राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एजेन्सियाँ जैसी डीआईसीजीसी, सीजीटीएमएसई और ईसीजीसी

ii) कारपोरेट्स के प्रोमोटर/प्रमुख स्वामी

iii) व्यक्तियों के मामले में रिश्तेदारों की व्यक्तिगत गारंटी

6. संपार्श्विक प्रबंधन के विभिन्न पहलू इस प्रकार हैं -

संपार्श्विक को स्वीकार करने हेतु न्यूनतम शर्तें: संपार्श्विक को वैध और प्रवर्तनीय बनाने के लिए बैंक यह सुनिश्चित करता है कि संपार्श्विक के रूप में स्वीकार की गई आस्तियाँ बिक्री योग्य, कानूनी प्रवर्तनीय और आवश्यकता पड़ने पर उसको नियंत्रण में लिये जा सकने योग्य है। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आस्ति का बाजार मूल्य सहज निर्धारण योग्य हो अथवा उसे उचित रूप से स्थापित और सत्यापित किया जा सके। आंतरिक नियंत्रण के उद्देश्य से संपार्श्विक के रूप में स्वीकार्य आस्तियों के प्रकार और प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में ली जाने वाली इन प्रत्येक आस्तियों के मूल्य अनुपात के अधिकतम ऋण की सूची बैंक के पास है। संपार्श्विक लेते समय बैंक सांविधिक बाध्यताओं का भी ध्यान रखता है।

क) संपार्श्विक की वैधता

i) प्रवर्तनीयता:

बैंक सुनिश्चित करता है कि संपार्श्विक के समर्थन में ऋण दस्तावेजीकरण सभी संबंधित क्षेत्राधिकारों में कानूनी रूप से प्रवर्तनीय हो और उधारकर्ता की बाध्यताओं को विमुक्ति हेतु निर्बाध रूप से संपार्श्विक को लागू करने हेतु बैंक को अधिकार देता हो।

ii) **हक और स्वामित्व:**

बैंक हमेशा संपार्श्विक के रूप में आस्ति का स्वीकार करने से पूर्व उसके अस्तित्व तथा स्वामित्व का सत्यापन करता है और सुनिश्चित करता है कि किसी अन्य पक्ष का कथित संपार्श्विक पर कोई पूर्व

दावा नहीं है। ऋण सुविधा के ड्रॉ डाउन से पूर्व ही बैंक संपार्श्विक के नियंत्रण को सुरक्षित करता है। ऋण जोखिम के प्रबंधन के सरलीकरण के लिए शीर्ष प्रबंधन को संपार्श्विक पर सूचना आवधिक रूप

ख) **मूल्य-ऋण अनुपात :**

बैंक ने प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में स्वीकार की जाने वाली प्रमुख आस्तियों के लिए मूल्य अनुपात (मार्जिन) से अधिकतम ऋण निर्धारित किया है। ऐसे अनुपात आस्ति की संबंधित जोखिम के आनुपातिक होते हैं और संपार्श्विक की वसूली के समय होनेवाली संभाव्य हानि के विरूद्ध पर्याप्त प्रतिरोध प्रदान करते हैं।

ग) **मूल्यांकन :**

संपत्ति मूल्यांकन के लिए बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है जो बैंक के एक्सपोजर हेतु स्वीकार्य है, जिसमें पूरे बैंक में अनुपालन हेतु मूल्यांकन का आधार, मूल्यांकक की अर्हता और पुनर्मूल्यांकन की बारंबारता निर्धारित की गई है।

घ) **संपार्श्विक को सुरक्षित रखना तथा उसमें पहुँच का नियंत्रण :**

संपार्श्विक के स्वीकारने, निगरानी अथवा सुरक्षित अभिरक्षा के अनुमोदन का प्राधिकार और उत्तरदायित्व संबंधित व्यक्तियों और विभागों को दिया गया है।

ड) **अतिरिक्त संपार्श्विक/उसका प्रतिस्थापन**

अतिरिक्त संपार्श्विक के लिए अनुरोध करने की कार्यविधि का स्पष्ट दस्तावेजीकरण किया गया है।

च) **बीमा :**

विशेष रूप से छूट प्रदत्त संपार्श्विक को छोड़कर, सभी पात्र संपार्श्विक संबंधित जोखिम हेतु बीमा द्वारा संरक्षित हैं और इसके लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।

छ) **संपार्श्विक की बिक्री :**

संपार्श्विक के समय पर परिसमापन के लिए बैंक की सुस्पष्ट और सुदृढ़ प्रक्रिया है।

ख: **पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके**

संपार्श्विक मूल्यांकन हेतु पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके की नीति एवं कार्य विधि है जो बैंक ऑफ़ इंडोनेशिया विनियमन और बंधक ऋण हेतु राष्ट्रीय विवेक पर आधारित है। यदि संपार्श्विक का मूल्य आईएनआर 2.79 करोड़ से अधिक है तो संपार्शिक का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाता है। संपार्श्विक के स्वरूप पर आधारित परिसमापन मूल्य की गणना की जाती है। संपार्श्विक मूल्य की प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाती है। भूमि एवं भवन के रूप में प्रमुख रूप से संपार्श्विक स्वीकार किया जाता है। सामान्यता व्यक्तिगत एवं अन्य पक्ष गारंटी नहीं ली जाती। संकेन्द्रण से बचने हेतु ऋणों में क्षेत्रवार सीमा निर्धारित की गई है। बैंक को संपार्श्विकों या जोखिम शामकों के संकेन्द्रण का कोई बड़ा जोखिम नहीं है।

ग: **बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. और बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यू. जीलैण्ड) लि.**

बैंक के स्वयं की मीयादी जमाराशि रसीदों, अचल संपत्ति पर विधिक बंधक, कंपनी की चल संपत्ति पर दृष्टि प्रबंधक प्रभार, शेयर की गिरवी इत्यादि के रूप में संपार्श्विक प्राप्त किए जाते हैं।

नियामक की आवश्यकताओं के अनुसार एकल उधारकर्ता/समूह को प्रदान किए जाने वाले अधिकतम एक्सपोजर निम्नानुसार है।

संपार्श्विक स्थिति	सीमा (कोर पूँजी के % के रूप में)
1) संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूति जिसका मूल्य कम से कम हो	
क) उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव के 125% (पूर्णत: प्रतिभूत)	25
ख) संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूत जिसका मूल्य उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव के 125% से कम है (आंशिक रूप से प्रतिभूत)	10
ग) अप्रतिभूत	5

घ. **बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि.**

बैंक के स्वयं की मीयादी जमाराशि रसीदों, अचल संपत्ति पर विधिक बंधक, कंपनी की चल संपत्ति पर दृष्टि प्रबंधक प्रभार, शेयर की गिरवी इत्यादि के रूप में संपार्श्विक प्राप्त किए जाते हैं।

नियामक की आवश्यकताओं के अनुसार एकल उधारकर्ता/समूह को प्रदान किए जाने वाले अधिकतम एक्सपोजर निम्नानुसार है।

संपार्श्विक स्थिति	सीमा (कोर पूँजी के % के रूप में)
1) संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूति जिसका मूल्य कम से कम हो	एकल उधारकर्ता एक्सपोजर सीमा पूंजी का 25% है और उसे कोर पूंजी के 50% तक बढ़ाया जा सकता है
क) उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव के 125% (पूर्णत: प्रतिभूत)	
ख) संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूत जिसका मूल्य उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव के 125% से कम है (आंशिक रूप से प्रतिभूत)	
ग) अप्रतिभूत	

मात्रात्मक प्रकटन :

(राशि रु. मिलियन में)

ए) प्रथक रूप से प्रकटन किए गए प्रत्येक ऋण जोखिम संविभाग के लिए कुल एक्स्पोजर (जहां लागू हो, ऑन-ऑफ बैलेन्स शीट नेटिंग के बाद) जो पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा संरक्षित है : हेयर कट लागू करने के बाद।	3,94,190.00
(बी) प्रथक रूप से प्रकटन किए गए प्रत्येक ऋण जोखिम संविभाग के लिए कुल एक्स्पोजर (जहां लागू हो, ऑन-ऑफ बैलेन्स शीट नेटिंग के बाद) जो गारंटी/क्रेडिट व्युत्पन्न द्वारा संरक्षित है (जब भी आरबीआई द्वारा विशेष रूप से अनुमति दी गई है।)	8,16,140.00

तालिका डीएफ-6

प्रतिभूतिकरण एक्स्पोजर : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटन

i. गुणात्मक प्रकटन

क बैंक ऑफ़ इंडिया

यथा दिनांक 31.03.2022 बैंक का कोई प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर नहीं है।

ii. मात्रात्मक प्रकटन :-

लागू नहीं

तालिका डीएफ-7

लेन-देन बही में बाजार जोखिम

i. गुणात्मक प्रकटन:

(क) मानकीकृत दृष्टिकोण में शामिल पोर्टफोलियो को शामिल करते हुए बाजार जोखिम हेतु सामान्य गुणात्मक प्रकटन आवश्यकता

ए: बैंक ऑफ़ इंडिया

लेन-देन बही में बैंक निवेशों के "लेन-देन हेतु धारित" (एचएफटी) एवं "बिक्री हेतु उपलब्ध" (एएफएस) पोर्टफोलियों को धारित करता है। शेष आस्तियों- अर्थात परिपक्वता हेतु धारित पोर्टफोलियों और अग्रिमों के अंतर्गत निवेशों को बैंकिंग बही के रूप में माना जाता है। नीचे बाजार जोखिम प्रबंधन प्रयोजन एवं नीतियों का संक्षिप्त ब्योरा दिया गया है।

(i) कार्यनीतियाँ एवं प्रक्रियाएं:

बाजार जोखिम प्रबंधन के अंतर्गत तरलता जोखिम, ब्याज दर जोखिम, विदेशी विनिमय जोखिम एवं इक्विटी कीमत जोखिम की निगरानी की जाती है। बैंक वर्तमान में कमाडिटी में लेन-देन नहीं कर रहा है।

ए. तरलता जोखिम

तरलता जोखिम की निगरानी के लिए गैप विश्लेषण का पाक्षिक आधार पर अनुपालन किया जाता है। संयमी गैप से संचयी आउटफ्लो का प्रतिशत निकालने के लिए प्रूडेंसियल सीमा का उपयोग किया जाता है- 28 दिनों तक के अल्पावधि बकेट के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अध्यधीन निगरानी की जाती है। इसके अतिरिक्त, प्रूडेंसियल सीमाएं बाजार उधार दैनिक एवं औसत कॉल उधार, आंतर बैंक देयताएं, खरीदी गयी नीधियां आदि के लिए काम करती।

ऊँचे मूल्य की एकमुश्त जमाराशियों की निगरानी साप्ताहिक आधार पर की जाती है। अल्पावधि डायनामिक तरलता विवरणी तरलता स्थिति का आकलन करने के लिए पाक्षिक आधार पर तैयार की जाती है जो व्यवसाय वृद्धि को ध्यान में रखकर चलती है। एक आकस्मिक निधि योजना तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की गयी है। योजना का तिमाही आधार पर परीक्षण किया जाता है। बैंक को संभावित नुकसान का आकलन करने के लिए तिमाही आधार पर स्ट्रेस परीक्षण भी किया जाता है। यह ऐसी स्थिति में जब कोई तरलता संबंधी तकलीफ हो और यदि आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए बाजार से निधियां जुटाई जानी हों।

बी. ब्याज दर जोखिम

पिछले 12 माह के दौरान एवं अगले वित्तीय वर्ष तक बैंक की निवल ब्याज आय पर प्रभाव का आकलन करने के लिए गेप विश्लेषण उपयोग में लिया जाता है। बैंक अवधि गेप विश्लेषण को भी उपयोग में लेता है। देयताओं की अवधि के लिए प्रूडेंसियल सीमाएं नियत की गयी हैं। बैंक के निवेश पोर्टफोलियों की अवधि आधार पर निगरानी की जाती है।

एसएलआर एवं गैर एसएलआर (देशीय) प्रूडेंसियल सीमाओं के अंतर्गत दिनांकित प्रतिभूति के लिए वीएआर पद्धति अपनायी जाती है। वीएआर के लिए यह नियत की गयी है एवं दैनिक आधार पर निगरानी की जा रही है एवं उच्च प्रबंधन को रिपोर्ट की जा रही है। दिनांकित प्रतिभूतियों में विदेशी निवेश सामान्यतया हैज किए जाते हैं एवं ब्याज दर जोखिम निम्नतम है। विदेशी मुद्रा विनिमय में भी वीएआर सीमा नीयत की गई है।

स्ट्रेस टेस्टिंग में इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव का आकलन 200 बेसेस पाईंट द्वारा बाजार दर में परिवर्तन का सॉक लगाकर किया जाता है।

सी. विदेशी विनिमय जोखिम

बैंक के विभिन्न मुद्राओं में विदेशी विनिमय एक्सपोजर के लिए अधिकतम डेलाइट एवं ओवरनाइट एक्सपोजर नियत किया है। इसके अलावा, नुकसान रोक सीमा, लाभ सीमा लेना एवं एकल व्यवहार सीमाएं डीलरों के फोरेक्स परिचालनों पर निगरानी रखने के लिए बनायी गयी हैं।

नेट ओपन पोजीशन हेतु प्रूडेंसियल सीमा नियत करके डेरिवेटिव संव्यवहार की निगरानी की जाती है और बकाया डेरिवेटिव पर पीवी 01 का केप रखा जाता है।

डी. इक्विटी कीमत जोखिम

बैंक की स्वदेशी निवेश नीति के इक्विटी डीलरों के लिए नुकसान रोक सीमाएं नियत की हैं - ट्रेजरी के लिए दैनिक सीमा, अधिकतम निवेश सीमा, इक्विटी पोर्टफोलियो के लिए होल्डिंग अवधि (ट्रेडिंग)। उच्चतम प्रबंधन को दैनिक

आधार पर संव्यवहारों एवं लाभ की रिपोर्टिंग की जाती है।

ई. बाजार जोखिम प्रबंधन कार्य का ढांचा एवं संगठन:

जोखिम प्रबंधन बोर्ड संचालित कार्य है जिसे तीन स्तरों पर सपोर्ट किया जाता है: देखभाल करने एवं निर्देश जारी करने के लिए बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति, जहाँ कहीं आवश्यक हो/जोखिम प्रबंधन नीतियां आदि के अनुमोदन करने के लिए। नीतियों, सीमाओं,विस्तार आदि पर चर्चा के लिए मार्केट जोखिम प्रबंधन समिति (एमआरएमसी) एक मूलभूत स्तरीय समिति है।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ), तरलता जोखिम प्रबंधन के संबंध में नीतिगत मामलों पर विचार करती है। एएलएम कक्ष ग्राउंड लेवल पर समर्थन प्रदान करता है। आस्ति देयता प्रबंधन समिति विदेशी केन्द्रों पर भी परिचालन में हैं।

ii. जोखिम रिपोर्टिंग का स्कोप एवं प्रकृति और/अथवा मापांकन प्रणाली

स्वदेशी कारोबार के संबंध में बाजार जोखिम का प्रबंधन करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाता है - जैसे कि मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण तैयार किया जाना-दैनिक आधार पर लेन-देन बही में निवेशों का अवधि विश्लेषण- ईक्विटी पोर्टफोलियों को छोड़कर दैनिक आधार पर वीएआर लेन-देन बही निवेश की वीएआर गणना करने- तिमाही आधार पर तरलता जोखिम/ बाजार जोखिम के लिए स्ट्रेस परीक्षण करना, वैश्विक तुनल पत्र का अवधिक विश्लेषण और मासिक आधार पर इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव पर समीक्षा की जाती है ।एएलसीओ द्वारा मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता की समीक्षा की जाती है।

बाजार उधार लेन-देन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तरलता जोखिम की निगरानी के लिए विभिन्न विवेकपूर्ण उपाय किए गए हैं। मासिक आधार पर ढांचागत तरलता विवरणी तैयार की जाती है और पाक्षिक आधार पर अल्पावधि गतिशील तरलता विवरणी तैयार की जाती है और उच्च प्रबंधन/ एएलसीओ को रिपोर्ट की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों की ढांचागत तरलता कार्पोरेट स्तर पर तिमाही आधार पर की जा रही है।

स्ट्रेस परीक्षण एवं इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव का परिणाम एएलसीओ को रिपोर्ट किया जाता है। लेन-देन बही स्थिति - ड्यूरेशन एवं वीएआर दैनिक आधार पर उच्चतम प्रबंधन को रिपोर्ट किया जाता है।

(iii) हैजिंग और/अथवा जोखिम न्यूनीकरण के लिए नीतियां :

आस्ति देयता प्रबंधन एवं बाजार जोखिम प्रबंधन से संबंधित विस्तृत नीतियां कार्यरत हैं जो बाजार जोखिम की निगरानी के लिए विभिन्न रणनीतियों एवं प्रक्रियाओं पर विस्तार से प्रकाश डालती है।

(iv) पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी):

वाणिज्यिक बैंक के लिए न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता आवश्यकता से संबंधित बैंक इंडोनेशिया के विनियमन के अनुसार, पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) के परिकलन हेतु बाज़ार जोखिम के मापन के लिए अनिवार्य श्रेणी में बैंक शामिल नहीं है। यह इसलिए है कि बैंक विदेशी विनिमय बैंक है जिसके ट्रेडिंग बुक में प्रतिभूतियों और/अथवा डेरिविटिव संव्यवहार के रूप में वित्तीय लिखत आईडीआर 20 बिलियन (यूएसडी 1.7 मिलियन अनुमानित) से कम की रकम है।

बी. बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि., (अनुषंगी) बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड)लि. (अनुषंगी) और बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि.

क. बाज़ार जोखिम के सामान्य गुणात्मक प्रकटन की आवश्यकता जिसमें मानकीकृत दृष्टिकोण के संविभाग भी शामिल है।

i. बाजार जोखिम: ब्याज दर, मुद्रा तथा इक्विटी उत्पाद में खुली स्थिति से बाजार जोखिम उत्पन्न होती है। बोर्ड सीमा निर्धारित करता है तथा स्वीकार किए जाने वाले, जोखिम पर नियमित अंतराल पर उसकी समीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त दैनिक आधार पर एक्सपोजर की निगरानी की जाती है।

ii. तरलता जोखिम: ओवरनाइट जमा से नकदी संसाधन, चालू खाते, परिपक्व जमाराशियां, ऋण आहरण और गारंटियों से उपलब्ध नकद स्त्रोतों से दैनिक मांग के लिए तथा मार्जिन और अन्य नकद समझौतों पर मांग से बैंक को नकद आरक्षित रखना पडता है। ऐसे मांग की पूर्ति करने के लिए परिपक्व निधि के उपलब्ध अंश के आधार पर बोर्ड ने उनके अनुभव पर सीमा निर्धारित की है और अंतर बैंक तथा अन्य उधार सुविधा के न्यूनतम स्तर पर जो मांग की अपेक्षित आहरण को कवर कर सके।

iii. ब्याज दर जोखिम- बैंक को उसकी वित्तीय स्थिति तथा नकदी प्रवाह पर प्रचलित बाजार ब्याज दर में उतर चढाव के परिणाम के साथ जुड़ी विभिन्न जोखिमों को उठाना पड़ता है। बैंक को जमा राशि ऋण तथा बाजार प्रवृत्ति के परिवर्तन के अनुरूप दरों को परिवर्तित करने का विवेकाधिकार है। यह उपाय ब्याज दर जोखिम को बैंक एक्सपोजर न्यूनतम रखते है।

iv. मुद्रा जोखिम : बैंक को विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन के कारण वित्तीय लिखत के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव की जोखिम उठानी पड़ती है। बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में केवल जितनी आवश्यक मुद्रा की खरीदी तथा बिक्री के आधार तक शामिल रहती है। बैंक विदेशी मुद्रा वायदा बाजार में शामिल नहीं होता है और इस प्रकार जोखिम सीमित हो जाती है।

ii. मात्रात्मक प्रकटन

(रु. मिलियन में)

निम्नलिखित के लिए पूंजी आवश्यकता	
ब्याजदर जोखिम	6,061.50
विदेशी विनिमय जोखिम (गोल्ड सहित)	283.50
ईक्विटी जोखिम	3,005.00
# पूंजी आवश्यकता का परिकलन आरडब्ल्यूए की 9% की दर पर न्यूनतम विनियामक आवश्यकता पर किया जाता है।	

तालिका डीएफ-8

परिचालनात्मक जोखिम

गुणात्मक प्रकटन

साधारण गुणात्मक प्रकटन आवश्यकता के अतिरिक्त जिसके लिए बैंक अर्हता प्राप्त है उस परिचालन जोखिम पूंजी मूल्यांकन हेतु बैंक का (के) दृष्टिकोण ।

ए: बैंक ऑफ़ इंडिया

बैंक जोखिम प्रबंधन की सर्वोत्कृष्ट प्रक्रिया अपनाता है। बैंक कारोबार की विभिन्न पद्धतियों के तहत समस्त आर्थिक उत्पादों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों के परिचालन जोखिम का सतत निर्धारण और अभिनिर्धारण करता है। समस्त नये उत्पाद, गतिविधियाँ और प्रणालियाँ पहले नया उत्पाद समूह समिति और फिर परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (सीओआरएम) अथवा ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), जो लागू हो के माध्यम से कार्यान्वित होती है। सभी नीतियां बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आर.काम) द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद ही बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाती है। मुख्य जोखिम अधिकारी, आरकॉम और विदेशों में दिन-प्रतिदिन के परिचालन गत जोखिम प्रबंधन के निदेशों को कार्यान्वित करते है ।

जोखिम प्रबंधन कार्य, कारोबार परिचालन जोखिम प्रबंधकों (बीओआरएम) तथा परिचालनगत जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञ (ओआरएमएस) के निकट सहयोग से कार्य करता है। बीओआरएम तथा ओआरएमएस की समिति परिचालनगत . जोखिम प्रबंधन प्रभाग को आवधिक आधार पर जोखिम और नियंत्रण निर्धारण करना, हानि की रिपोर्टिंग करना तथा मुख्य जोखिम संकेतक (केआरआरइ) पर नज़र रखने में सहायता करती है।

अर्धवार्षिक आधार पर लॉस डेटा विश्लेषण के रूप में जोखिम रिपोर्टिंग की जाती है जिससे उच्च जोखिम प्रवणता वाले उत्पाद और कारोबार लाइन का निर्धारण किया जा सके और न्यूनीकरण उपाय अपनाए जा सके। शाखा स्तर के केआरआई और बैंक स्तर के केआरआई को तिमाही आधार पर ट्रैक किया जाता है।सभी बैंक के उत्पादों और प्रक्रियाओं के लिए वार्षिक आधार आरसीएसए कार्रवाई की जाती है।

बैसिक इंडिकेटर दृष्टिकोण द्वारा ऑपरेशनल रिस्क कैपिटल चार्ज की गणना की जाती है। वर्तमान में बैंक ऑपरेशनल रिस्क कैपिटल चार्ज के परिकलन के लिए उन्नत मापन के प्रयास अपना रहा है। परिचालन जोखिम पूंजी प्रभार की गणना के लिए समानान्तर रन के लिए बैंक को द स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच(टीएसए) में माइग्रेट करने के लिए अनुमोदन मिला है ।

बी: पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)

कार्यों का पृथक्करण, प्रशिक्षण, स्पष्ट रूप से निर्धारित कार्यवाहियां, इत्यादि जैसे परिचालन जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक ने श्रेष्ठ प्रक्रिया अपनाई है।

परिचालन जोखिम के प्रबंधन में, नीतियों और कार्यविधियों के नियंत्रण और रूटीन पर्यवेक्षण के संदर्भ में प्रत्येक इकाई जिम्मेदार है। अपरिहार्य परिस्थितियों से बचने प्रणाली के लिए उत्पाद का विकास, प्रणाली, मानव संसाधन और “अपने ग्राहक को जानों” से संबंधित क्षेत्र शामिल है।

परिचालन जोखिम को कम करने के लिए बैंक ने संव्यवहार प्रोसेसिंग में नियंत्रण कार्य को बढ़ा दिया है जिसमें संव्यवहार के समय के अंदर पूरा करना, लागू मानकों के लेखांकन पद्धति का समायोजन,ठीक ढंग से रिकार्ड का अनुरक्षण, आस्ति तथा डेटा तक सुरक्षित पहुंच के लिए अन्यों के बीच क्रियान्वित करने हेतु कार्य विधि सुनिश्चित करना है। आंतरिक लेखा परीक्षा इकाई का कार्य जो परिचालन गतिविधियों की नियमित जांच करती है, आवश्यक सुधार को बेहतर बना रही है। बैंक परिचालन जोखिम के परिकलन के लिए जोखिम भारित आस्तियेां में बेसिक इंडिकेटर एप्रोच (एटीएमआर) का प्रयोग कर रही है।

बैंक में एक आंतरिक नियंत्रण इकाई भी है जो सुनिश्चित करता है कि सभी कारोबार इकाई बैंक की प्रक्रिया का और साथ ही स्थानीय सरकार के विनियमों का भी अनुपालन करते हैं।

सी: बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. (अनुषंगी) , बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यू. जीलैण्ड) लि. (अनुषंगी) और बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि.

परिचालनात्मक जोखिम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हानि का जोखिम है जो विभिन्न कारणों से उत्पन्न होती है जो बैंक की प्रक्रिया, कार्मिक, प्रौद्योगिकी और आधार संरचना से संबद्ध है और क्रेडिट, बाजार, तरलता जोखिम छोड़कर बाह्य कारक जैसे विधिक और विनियामक जरूरतों और कारपोरेट व्यवहार के आम स्वीकृत मानकों से उत्पन्न होते है। परिचालनात्मक जोखिम बैंक की सभी गतिविधियों से उत्पन्न होती है।

वित्तीय हानि एवं कुल लागत प्रभावशीलता सहित बैंक की प्रतिष्ठा धूमिल होने से बचाव को संतुलित करने और नियंत्रण कार्रवाई जो पहल एवं रचनात्मकता को सीमित करती है, से बचाव के लिए परिचलनात्मक जोखिम का प्रबंध करना बैंक का उद्देश्य है।

परिचालनात्मक जोखिम का ध्यान रखने के लिए प्रबंधन विकास एवं कार्यान्वयन नियंत्रण हेतु प्राथमिक उत्तरदायित्व प्रत्येक शाखा स्तर पर वरिष्ठ प्रबंधन हेतु निर्धारत किया गया है। परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन हेतु कुल मानकों के विकास उत्तरदायित्व में निम्नलिखित क्षेत्रों में सहायक है :-

- ➢ संव्यवहार के स्वतंत्र प्राधिकार सहित कार्य के उचित पृथक्करण की आवश्यकता;
- ➢ संव्यवहार के समाधान एवं निगरानी की आवश्यकता;
- ➢ नियामक एवं अन्य विधिक आवश्यकताओं सहित अनुपालन;
- ➢ नियंत्रण एवं प्रक्रिया का प्रलेखीकरण;
- ➢ महसूस किए गए परिचालनात्मक जोखिमों के निर्धारण की आवश्यकता तथा पहचान किए गए जोखिमों का ध्यान रखने के लिए नियंत्रण एवं प्रक्रिया की पर्याप्तता;
- ➢ परिचालनात्मक हानि की रिपोर्टिंग एवं प्रस्तावित निवारणात्मक कार्रवाई की आवश्यकता;
- ➢ आकस्मिकता योजना का विकास;
- ➢ प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक विकास;
- ➢ नैतिक एवं कारोबार मानक;
- ➢ बीमा सहित जोखिम कमी, जहां यह प्रभावी है।

तालिका डीएफ - 9

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

i. गुणात्मक प्रकटन

साधारण गुणात्मक प्रकटन अपेक्षा में आईआरआरबीबी और प्रमुख धारणाओं के ऋण भुगतान और अ-परिपक्व जमा का परिचालन संबंधी धारणाओं का स्वरूप तथा आईआरआरबीबी मापने की बारंबारता शामिल है।

ए: बैंक ऑफ़ इंडिया

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम की आम तौर पर तिमाही आधार पर गणना की जाती है। बैंकिंग बही में परिपक्वता हेतु धारित (एचटीएम) संविभाग में धारण किए सभी अग्रिम और निवेश सम्मिलित है।

कार्यनीति और प्रणालियाँ/संरचना और संगठन/जोखिम रिपोर्टिंग संबंधी कार्यक्षेत्र और स्वरूप/नीतियों आदि वही हैं जो टेबल डीएफ-7 के तहत रिपोर्ट की गई है।

आईआरआरबीबी माप की कार्य-प्रणाली और प्रमुख धारणाएँ निम्नानुसार है;

- ➢ अग्रिमों तथा जमा राशियों, जो बैंक का 100% कारोबार कवर करती है, की शेष परिपक्वता पर नेटवर्क की शाखाओं से प्राप्त मासिक सूचना के आधार पर विभिन्न समय बकेट के साथ ब्याज दर संवेदनशील और विभिन्न आस्तियों व देयताओं की शेष परिपक्वता को ध्यान में लेते हुए संवेदनशीलता विवरण तैयार किया जाता है।
- ➢ प्रत्येक आस्ति एवं देयता की अवधि, प्रत्येक टाईम बकेट के मध्यबिंदु को परिपक्वता दिनांक के रूप में एवं औसत प्राप्ति को कूपन के रूप में तथा भुनाई प्रयोजन के लिए बाजार दर को लेकर परिचालित की जाती है। निवेशों के लिए, वास्तविक अवधि ली जाती है, जैसा कि डाटा संपूर्ण ब्योरों सहित उपलब्ध रहता है। निवेशों के संबंध में इस प्रयोग के लिए एएफएस एवं एचएफटी संविभागों को अलग रखा जाता है, जैसा कि बैंकिंग बही में आईआरआर पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है।
- ➢ उक्त के उपयोग से, प्रत्येक बकेट के लिए देयताओं और आस्तियों की आशोधित अवधि परिकलित की जाती है और ब्याज दर में 1% से परिवर्तन के लिए उनके मूल्य पर प्रभाव माना जाता है। उसमें जोड़कर निवल स्थिति परिकलित की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मूल्य में सकारात्मक वृद्धि है या अन्यथा।

धारणाएँ :

i. समस्त टाइम बकेट और समस्त आस्तियों के लिए ब्याज दर सभी समान रूप से चालित होता है।

ii. मांग जमा राशियों-बचत तथा चालू के संदर्भ में इसे भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसरण में स्ट्रेस परीक्षण पर विभाजित किया जाता है।

iii. आम तौर पर, बैंक आईआरआरबीबी की गणना करते समय कूपन दर/भुनाई दर का चयन/परिपक्वता तारीख के रूप में प्रत्येक टाईम बकेट के मध्यबिंदु , को लेना आदि सहित रिज़र्व बैंक के तनाव परीक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करता है।

iv. बीपीएलआर लिंकड अग्रिमों/बेस रेट के पुनर्मूल्य निर्धारण को 3 से 6 माह के बकेट में लिया गया है।

v. एमसीएलआर से संबद्ध अग्रिमों का पुनर्मूल्यन, उस एमसीएलआर परिपक्वता अवधि के आधार पर किया गया है जिससे ये एमसीएलआर संबद्ध है।

बी: पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके, बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि., बैंक ऑफ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि. (अनुषंगियां) तथा बैंक ऑफ़ इंडिया युगांडा लि. (अनुषंगियाँ)

बैंक अपनी वित्तीय स्थिति एवं नकदी प्रवाह पर बाजार ब्याज दरों के वर्तमान स्तरों में अस्थिरता के प्रभाव सहित शामिल विभिन्न जोखिमों से युक्त है। बाजार प्रवृत्ति में परिवर्तन के साथ-साथ बैंक को जमा राशियों, ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज दर में संशोधन करने का विवेकाधिकार है। इन उपायों के कारण बैंक के ब्याज दर जोखिम का क्षेत्र कम होता है।

II. मात्रात्मक प्रकटन

आईआरआरबीवी मापने के लिए प्रबंधन की प्रणाली के अनुसार उर्ध्वमुखी और अधोमुखी रेट शॉक के लिए उपार्जन और आर्थिक मूल्य (अथवा प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त संबद्ध उपाय) में वृद्धि (ह्रास), मुद्रा द्वारा खंडित (जहां कुल पण्यावर्त के 5% से अधिक पण्यावर्त होता है)

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (बीओआई सोलो)

(रु. मिलियन में)

	कुल	जिसमें से, यूएसडी में (जहाँ कारोबार कुल कारोबार के 5% से अधिक है)
1. जोखिम पर अर्जन (एनआईआई)		
1 वर्ष के लिए 0.50% परिवर्तन	0.78%	0.04%
2. जोखिम पर ईक्विटी का आर्थिक मूल्य		
200 बेसिक पॉईंट शॉक		
% ता के रूप में इक्विटी मूल्य में कमी	2.49%	4.17%

तलिका - डीएफ 10

प्रतिपक्षी ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोज़र के लिए सामान्य प्रकटन

I. गुणात्मक प्रकटन

बैंक तुलन पत्र की मदों के साथ प्रतिपक्षी कारोबार के उद्देश्य से हैजिंग के लिए व्युत्पन्न उत्पादों का प्रयोग करता है। व्युत्पन्न परिचालन के जोखिम प्रबंधन के शीर्ष में वरिष्ठ कार्यपालक रहते हैं जो उच्च प्रबंधन को रिपोर्ट करते है, यह लाइन कार्यों से स्वतंत्र है। ट्रेडिंग की स्थिति दैनंदिन आधार पर बाज़ार मूल्य को बही में अंकित किया जाता है।

जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा व्युत्पन्न नीति बनाई जाती है जिसमें ऋण जोखिम

और बाजार जोखिम को आंकना शामिल है।

तुलन पत्र प्रबंधन के लिए हैज़ संव्यवहार किया जाता है जोखिमों के सही रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए उचित प्रणाली है। हैजिग की नीति और उसकी निगरानी की प्रक्रिया भी उसी प्रकार से है।

हैज तथा गैर-हैज़ संव्यवहारों को रिकार्ड करने के लिए लेखांकन नीति है जिसमें आय की पहचान, प्रीमियम और छूट का निर्धारण शामिल है। बकाया संविदा, प्रावधानीकरण, संमार्श्विक और जोखिम न्यूनीकरण का मूल्यांकन किया जा रहा है।

कंरट एक्सपोज़र मेथोडोलज़ी (सीईएम) के अनुरूप क्रेडिट समतुल्य अथवा ईएडी परिकलित की गई है। संभाव्य एक्सपोज़र का परिकलन क्रेडिट कनव. र्जन फैक्टर के साथ कल्पित मूलधन को गुणा करके किया जाता है। प्रतिस्थापन लागत सकारात्मक बाजार मूल्य है। चालू एक्सपोज़र प्रतिस्थापन लागत के समान है। क्रेडिट समतुल्य अथवा ईएडी संभाव्य एक्सपोज़र और चालू एक्सपोज़र का जोड़ है।

ii. मात्रात्मक प्रकटन

क) संविदाओं का सकल सकारात्मक उचित मूल्य,लाभ की निवल राशि, चालू ऋण एक्सपोज़र की निवल राशि, धारित संपार्श्विक (यथा नकदी,सरकारी प्रतिभूतियां आदि प्रकार सहित) और निवल व्युत्पन्न ऋण एक्सपोज़र । इसमें चूक वाले एक्सपोज़र के लिए उपाय की रिपोर्ट अथवा सीईएम के तहत एक्सपोज़र राशि भी है। ऋण व्युत्पन्न हेज़ की कल्पित मूल्य और ऋण एक्सपोज़र के प्रकारों द्वारा चालू ऋण एक्सपोज़र का वितरण।

ख) ऋण व्युत्पन्न संव्यवहार जो सीसीआर (कल्पित मूल्य) में एक्सपोज़र सृजित करती है, संस्था के अपने क्रेडिट पोर्टफोलियो के साथ प्रयोग किए गए क्रेडिट व्युत्पन्न उत्पादों के वितरण सहित उसकी मध्यवर्ती गतिविधियों के बीच पृथक किया जाता है, जिसे आगे प्रत्येक उत्पाद समूह के मध्य खरीदे और बेचे गए संरक्षण में विखंडित किया जाता है।

(रु मिलियन में)

काउंटर पार्टी ऋण जोखिम (सीसीआर)	
कल्पित मूलधन रकम	5,80,777.31
संभाव्य एक्सपोज़र	12,572.02
प्रतिस्थापन लागत	4,195.92
चालू एक्सपोज़र	16,767.95
क्रेडिट समतुल्य अथवा ईएडी	16,767.95
आरडब्ल्यूए	4,109.63
पूँजी प्रभार	328.77

(रु मिलियन में)

मदें	कल्पित रकम	चालू ऋण एक्सपोज़र	क्रेडिट समतुल्य
मुद्रा विकल्प	0	0	0
क्रॉस सीसीवाई ब्याज दर स्वैप	3302.48	66.05	66.05
वायदा दर करार	55,113.04	12,316.01	16,508.33
ब्याज दर भविष्य	0	0	0
ऋण चूक स्वैप	0	0	0
एकल सीसीवाई ब्याज दर स्वैप	22,361.19	189.96	193.67
कुल	**80,777.31**	**12,572.02**	**16,7671.95**

तालिका डीएफ -11

पूंजी का विन्यास

			31.03.2022 (रु मिलियन में)	
क्रं. सं.	**31 मार्च 2017 से पहले प्रयुक्त बासेल III आम प्रकटन टेम्पलेट**	**पात्र राशि**	**बासेल III लागू होने से पहले की राशि**	**संदर्भ संख्या**
	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत तथा आरक्षित			
1	प्रत्यक्ष जारी विशेषक सामान्य शेयर पूंजी के साथ संबंधित अतिरिक्त स्टॉक (शेयर प्रीमियम)	2,08,525.61		
2	प्रतिधारित उपार्जन	18,865.18		
3	संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य आरक्षितियां)	2,83,961.58		
4	सीईटी 1 से फेस आउट के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए लागू)			
	सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी लगाना जिसकी देखरेख 1 जनवरी 2018 तक की जाएगी			
5	अनुषंगियों द्वारा जारी और थर्ड पार्टियों द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (ग्रुप सीईटी 1 में अनुमत रकम)	1294.95		
6	**विनियामक समायोजन के पहले सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी**	**5,12,647.32**		
	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन			
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन			
8	गुडविल (संबंधित कर देयता का निवल)			
9	बंधक सर्विसिंग अधिकारों को छोड़कर अमूर्त (संबंधित कर देयता का निवल)	-		
10	आस्थगित कर आस्तियां	41,971.76		
11	नकदी प्रवाह हैज आरक्षित			
12	अपेक्षित हानि के प्रावधान में कमी			
13	बिक्री पर प्रतिभूतिकरण लाभ			
14	उचित मूल्य देयताओं पर अपने ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ और हानियां			

			31.03.2022 (रु मिलियन में)	
क्रं. सं.	31 मार्च 2017 से पहले प्रयुक्त बासेल III आम प्रकटन टेम्पलेट	पात्र राशि	बासेल III लागू होने से पहले की राशि	संदर्भ संख्या
15	परिनिश्चित- लाभ पेंशन फंड निवल आस्तियां			
16	अपने शेयरों में निवेश (रिपोर्ट की गई तुलन-पत्र में यदि पहले ही प्रदत्त पूंजी समायोजित न किया गया हो)			
17	सामान्य इक्विटी में पारस्परिक क्रॉस-धारिता	2427.83		
18	विनियामक समेकन की परिधि से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के पूंजी में पात्र अधिविक्रय की स्थिति का समायोजन जहाँ संस्था द्वारा जारी शेयर पूंजी के अधिकतम 10इ का स्वामित्व बैंक का है (10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि)			
19	विनियामक समेकन की परिधि के बाहर बैंकिग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के कॉमन स्टाक में महत्वपूर्ण निवेश, पात्र अधिविक्रय की स्थिति का समायोजन (10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि)			
20	बंधक सर्विसिंग अधिकार (10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि)			
21	अस्थायी अंतरों से उभरे आस्थगित कर आस्तियां (10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि, संबंधित कर देयता को छोड़कर)			
22	15% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि			
23	जिसमें से: वित्तीय संस्थाओं के कॉमन स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश			
24	जिसमें से: बंधक सर्विसिंग अधिकारी			
25	जिसमें से: अस्थायी अंतरो से उभरे आस्थगित कर आस्तियां			
26	राष्ट्रीय निर्दिष्ट विनियामक समायोजन (26ए+26बी+26सी+26डी)			
26ए	जिसमें से: असमेकित बीमा अनुषंगियों के इक्विटी पूंजी में निवेश			
26बी	जिजिसमें से: असमेकित गैर-वित्तीय अनुषंगियों के इक्विटी पूंजी में निवेश	0.00		
26सी	जिजिसमें से: बहुलांश स्वामित्व वित्तीय संस्थाएं जिन्हें बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है के इक्विटी पूंजी में कमी	0		
26डी	जिसमें से: अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय पूर्व बासेल III व्यवहार के अधीन रकम के संबंध में सामान्य इक्विटी टियर 1 पर लगाएं गए विनियामक समायोजन।	0		
	जिसमें से: डसमायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें.			
	उदाहरण के लिए: एएफएस ऋण प्रतिभूतियों पर अप्राप्त हानियों को फिल्टर किया जाना (भारतीय परिप्रेक्ष्य में कोई संबंध नहीं)			
	जिसमें से: डसमायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें.			
	जिसमें से : ड समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें .			
27	कटौतियों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 के कारण सामान्य इक्विटी टियर 1 पर लगाए गए विनियामक समायोजन			
28	**सामान्य इक्विटी टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन**	**44,399.59**	**0.00**	
29	**सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी1)**	**4,68,247.73**		
	अतिरिक्त इक्विटी टियर 1 पूंजी: लिखतें			
30	प्रत्यक्ष जारी सापेक्ष अतिरिक्त टियर 1 लिखतें के साथ संबंधित स्टॉक अधिशेष (31+32)	13520.00		
31	जिसमें से: लागू लेखांकन मानको के तहत इक्विटी के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर)	00.00		
32	जिसमें से: लागू लेखांकन मानक के तहत देयताओं के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी ऋण लिखत)	13520.00		
33	अतिरिक्त टियर 1 से फेज़ आउट के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी लिखतें	00.00	0.00	
34	अनुषंगियों द्वारा जारी और तृतीय पक्ष द्वारा धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखतें (और सीईटी 1 लिखत जो रो 5 में शामिल नहीं) (ग्रुप एटी 1 में अनुमत रकम)			
35	जिसमें से: अनुषंगियों द्वारा जारी लिखतें जो फेज़ आउट के अधीन है।			
36	विनियामक समायोजन के पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	13520.00	0.00	
	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन			
37	स्वयं के अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में निवेश			
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक क्रॉस धारिता	0.00		

			31.03.2022 (रु मिलियन में)	
क्रं. सं.	31 मार्च 2017 से पहले प्रयुक्त बासेल III आम प्रकटन टेम्पलेट	पात्र राशि	बासेल III लागू होने से पहले की राशि	संदर्भ संख्या
39	विनियामक समेकन की परिधि से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के पूंजी में निवेश, पात्र अधिविक्रय की स्थिति का समायोजन जहाँ संस्था द्वारा जारी सामान्य शेयर पूंजी के अधिकतम 10% का स्वामित्व बैंक का है (10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि)	0.00		
40	विनियामक समेकन की परिधि के बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं की पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश (पात्र अधिविक्रय स्थिति को घटाकर)10			
41	राष्ट्रीय निर्दिष्ट विनियामक समायोजन (41ए+41बी)			
41ए	असमेकित बीमा अनुषंगियो के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश			
41बी	बैबैंक में समेकित न किए गए बहुलांश स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी।			
42	**कटौतियों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 में लगाए गए विनियामक समायोजन**			
43	**अतिरिक्त टियर 1 पूंजी पर कुल विनियामक समायोजन**	**0.00**		
44	**अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी1)**	**13520.00**		
44ए	**पूंजी पर्याप्तता के लिए माना गया अतिरिक्त टियर 1 पूंजी**	**13520.00**		
45	**टियर 1 पूंजी (टी1 = सीईटी1 + एटी1) (29 + 44ए)**	**4,81,767.73**		
	टियर 2 पूंजी: लिखते एवं प्रावधान			
46	प्रत्यक्ष जारी पात्र टियर 2 लिखतों के साथ संबंधित स्टॉक अधिशेष	39000.00	63000.00	
47	टियर 2 से फेज़ आउट के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी लिखत	0.00		
48	अनुषंगियों द्वारा जारी और तृतीय पक्ष द्वारा धारित (ग्रुप टियर 2 में अनुमत राशि) टियर 2 लिखते (और रो 5 अथवा 34 में शामिल न किए गए सीईटी 1 ओर एटी 1 लिखतें)			
49	जिसमें से: फेज़ आउट के अधीन अनुषंगियों द्वारा जारी लिखतें			
50	प्रावधान	43412.57		
51	**विनियामक समायोजन के पहले टियर 2 पूंजी**	**82,412.57**		
	टियर 2 पूंजी: विनियामक समायोजन			

			31.03.2022 (रु मिलियन में)	
क्रं. सं.	31 मार्च 2017 से पहले प्रयुक्त बासेल III आम प्रकटन टेम्पलेट	पात्र राशि	बासेल III लागू होने से पहले की राशि	संदर्भ संख्या
52	अपने टियर 2 लिखतों में निवेश			
53	टियर 2 लिखतों में पारस्परिक क्रॉस-धारिता	0.00		
54	विनियामक समेकन की परिधि से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के पूंजी में निवेश, पात्र अधिविक्रय की स्थिति का समायोजन जहाँ संस्था द्वारा जारी सामान्य शेयर पूंजी के अधिकतम 10% का स्वामित्व बैंक का है(10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि)			
55	विनियामक समेकन की परिधि के बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं की पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश (पात्र अधिविक्रय की स्थिति को घटाकर)	0.00		
56	राष्ट्रीय निर्दिष्ट विनियामक समायोजन (56ए+56बी)			
56ए	जिसमें से: असमेकित अनुषंगियों के टियर 2 पूंजी में निवेश			
56बी	जिजिसमें से: बैंक में समेकित न किए गए बहुलांश स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त टियर 2 पूंजी में कमी।			
	पूर्व बासेल छछ व्यवहार के अधीन रकम के संबंध में टियर 2 पर लगाए गए विनियामक समायोजन			
	जिसमें से: डसमायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें यथा वर्तमान समायोजन जो 50% पर टियर 2 से कटौती की जा रही है.			
	जिसमें से: डसमायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें.			
57	**टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन**	**0.00**		
58	**टियर 2 पूंजी (टी 2)**	**82,412.57**		
58ए	पूंजी पर्याप्तता के लिए माना गया टियर 2 पूंजी	82412.57		
58बी	**एएक्सेस अतिरिक्त टियर 1 पूंजी जिसे टियर 2 पूंजी माना जाता है।**	**0**		
58सी	**पूंजी पर्याप्तता के लिए स्वीकार्य कुल टियर 2 पूंजी (58ए+ 58बी)**	**82412.57**		
59	**कुल पूंजी (टीसी = टी1 + टी2) (45 + 58सी)**	**5,64,180.30**		
	पूर्व बासेल-III व्यवहार के अधीन रकम के संबंध में जोखिम भारित आस्तियां			
	जिसमें से: डसमायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें.			

			31.03.2022 (रु मिलियन में)	
क्रं. सं.	**31 मार्च 2017 से पहले प्रयुक्त बासेल III आम प्रकटन टेम्पलेट**	**पात्र राशि**	**बासेल III लागू होने से पहले की राशि**	**संदर्भ संख्या**
	जिसमें से: %			
60	**कुल जोखिम भारित आस्तियां (60ए + 60बी + 60सी)**	**3195,791**		
60ए	जिसमें से: कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियां	27,30,931		
60बी	जिसमें से: कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	1,03,940		
60सी	जिसमें से: कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियां	3,60,920		
	पूंजी अनुपात			
61	सामान्य इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	14.65%		
62	टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	15.08%		
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	17.65%		
64	संस्था निर्दिष्ट बफ़र आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी1 आवश्यकता के साथ पूंजी संतुलन और प्रतिचक्रीय बफ़र आवश्यकता, जोखिम धारित आस्ति के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)			
65	जिसमें से: पूंजी संतुलन बफर आवश्यकता			
66	जिसमें से: बैंक निर्दिष्ट प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकता			
67	जिसमें से: जी-एसआईबी बफर आवश्यकता			
68	बफर को पूरा करने के लिए उपलब्ध सामान्य इक्विटी टियर 1 (जोखिम धारित आस्ति के प्रतिशत के रूप में)			
	राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बासेल III से भिन्न है)			
69	राष्ट्रीय सामान्य इक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न है)	7.375%		
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न है)	8.875%		
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न है)	10.875%		
	कटौती के लिए थ्रेसहोल्ड से कम रकम (जोखिम भारिता के पहले)			
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर-महत्वपूर्ण निवेश			

			31.03.2022 (रु मिलियन में)	
क्रं. सं.	**31 मार्च 2017 से पहले प्रयुक्त बासेल III आम प्रकटन टेम्पलेट**	**पात्र राशि**	**बासेल III लागू होने से पहले की राशि**	**संदर्भ संख्या**
73	वित्तीय संस्थाओं के कॉमन स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश			
74	बंधक सर्विसिंग अधिकार (संबंधित कर देयता से घटाकर)			
75	अस्थायी अंतरो से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयता से घटाकर)			
	टियर 2 में प्रावधान को शामिल करने पर लागू सीमा			
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोज़र के संबंध में टियर 2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने के पहले)	43412.57		
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत टियर 2 में प्रावधान शामिल करने की सीमा			
78	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोज़र के संबंध में टियर-2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने के पहले)			
79	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के तहत टियर 2 में प्रावधान शामिल करने के लिए सीमा			
	फेज़ आउट व्यवस्था के अधीन पूंजी लिखत (केवल 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2022 के बीच लागू)			
80	फेज़ आउट व्यवस्थाओं के अधीन सीईटी 1 लिखतों पर वर्तमान सीमा			
81	सीमा के कारण सीईटी 1 से निकाली गई रकम (मोचन और परिपक्वताओं के बाद सीमा से अतिरिक्त)			
82	फेज़ आउट व्यवस्थाओं के अधीन एटी 1 लिखतों पर चालू सीमा	13520.00		
83	सीमा के कारण एटी 1 से निकाली गई रकम (मोचन और परिपक्वताओं के बाद सीमा से अतिरिक्त)	0.00		
84	फेज़ आउट व्यवस्थाओं के अधीन टी 2 लिखतों पर चालू सीमा	00.00		
85	सीमा के कारण टी 2 से निकाली गई रकम (मोचन और परिपक्वताओं के बाद सीमा से अतिरिक्त)	0.00		

तालिका डीएफ-12
पूंजी की संरचना- समाधान संबंधी आवश्यकताएं यथा 31.03.2021

चरण 1

चरण 1 के तहत,बैंकों को अपने वित्तीय विवरणियों में अपने तुलनपत्र (मध्य कॉलम के नीचे अंकों को रिपोर्ट किया है)लेने की आवश्यकता होती है और अंकों का रिपोर्ट करें जब समेकन लागू होता है विनियामक गुंजाईश (नीचे दाहिने हाथ के कॉलम में रिपोर्ट किए गए अंक)। यदि विनियामक समेकित तुलन पत्र में ऐसी पंकित्यां हैं जो प्रकाशित वित्तीय विवरणियों में मौजूद नहीं हैं, बैंकों को मध्य कॉलक में शून्य मूल्य देना आवश्यक है एवं समेकन के विनियामक गुंजाईश के लिए बने कॉलम में संबंधित राशि प्रस्तुत करें। तथापि, बैंक संकेत दे सकते है,तुलन पत्र में ऐसे राशि के लिए सही व्यवहार क्या है ।

		वित्तीय विवरणियों के अनुरूप तुलन पत्र	विनियामक द्वारा समेकन की गुंजाइश के अंतर्गत तुलनपत्र
		यथा रिपोर्टिंग तिथि (रू. मिलियन में)	यथा रिपोर्टिंग तिथि (रू. मिलियन में)
ए	**पूंजी एवं देयताएं**		
i	प्रदत्त पूंजी	41,043.05	41,043.05
	आरक्षितियां एवं अधिशेष	5,24,175.46	5,22,948.19
	अल्प संख्यक हित	1,294.95	1,294.95
	कुल पूंजी	**5,66,513.46**	**5,65,286.19**
ii	**जमाराशियां**	**62,99,807.51**	**62,99,972.17**
	जिसमें से : बैंकों से जमाराशियां	3,74,018.69	3,74,018.69
	जिसमें से : ग्राहकों से जमाराशियां	59,25,788.82	59,25,953.47
	जिसमें से : अन्य जमाराशियां (कृ. उल्लेख करें)	-	-
iii	**उधार**	**2,68,211.16**	**2,68,211.16**
	जिसमें से : आरबीआई से	35,190.00	35,190.00
	जिसमें से : बैंकों से	521.40	521.40
	जिसमें से : अन्य संस्थाओं एवं एजेन्सियों से	1,52,812.12	1,52,812.12
	जिसमें से : अन्य (कृपया उल्लेख करें)	3,167.64	3,167.64
	जिसमें से : पूंजी लिखत	76,520.00	76,520.00
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	**2,96,7813.19**	**2,54,660.73**
	कुल	**74,31,313.31**	**73,88,130.25**
बी	**आस्तियां**		
i	भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष	4,05,303.24	4,04,8910.75
	बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	5,11,785.66	5,11,950.31
ii	**निवेश:**	**18,02,739.53**	**17,61,573.86**
	जिसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां	16,21,444.17	16,02,378.79
	जिसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	6,767.22	0,00
	जिसमें से : शेयर	11,762.59	8,486.76
	जिसमेंसे : डिबेंचर एवं बॉण्ड	1,05,185.95	1,01,909.80
	जिसमें से :अनुषंगियां/संयुक्त उद्यम/ सहयोगी कंपनियां	19,549.38	20,299.38
	जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक कागजात, म्यूचुअल फण्ड इत्यादि)	38,030.22	28,499.13
iii	**ऋण एवं अग्रिम**	**42,30,011.36**	**42,29,962.40**
	जिसमें से : बैंकों को ऋण एवं अग्रिम	2,30,430.24	2,30,430.24
	जिसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	39,99,581.12	39,99,532.17
iv	**अचल आस्तियां**	**98,561.13**	**98,456.13**
v	**अन्य आस्तियां**	**3,82,912.41**	**3,81,295.79**
	जिसमें से : सद्भाव एवं अमूर्त आस्तियां	-	-
	जिसमें से : आस्थगित कर आस्तियां	87,214.35	87,214.35
vi	**समेकन पर सद्भाव**	-	-
vii	**लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष**	-	-
	कुल आस्तियां	**74,31,313.31**	**73,88,130.25**
		0.00	0.00

चरण -2

चरण 2 के अंतर्गत, बैंको को तालिका डीएफ - 11 (भाग I/II, जो भी लागू हो) में वर्णित पूँजीगत प्रकटन टैम्पलेट की परिभाषा में उपयोग किए गए सभी घटकों की पहचान के लिए तुलन पत्र में विनायमक सीमा का विस्तार किए जाने की आवश्यकता है। नीचे कुछ घटकों के उदाहरण दिए गए है जिन्हें बैंकिंग समूह विशेष के लिए विस्तृत करने की आवश्यकता है। बैंक का तुलनपत्र जितना जटिल होगा उसे उतनी ही ज्यादा मदों को प्रकटित करने की आवश्यकता होगी। प्रत्येक घटक को एक संदर्भ संख्या/वर्ण दिया जाए जिसे चरण 3 में उपयोग किया जा सके ।

		वित्तीय विवरणियों के अनुरूप तुलन पत्र	विनियामक द्वारा समेकन की गुंजाइश के अंतर्गत तुलन पत्र
		यथा रिपोर्टिंग तिथि	यथा रिपोर्टिंग तिथि
ए	पूंजी एवं देयताएं		
i	प्रदत्त पूंजी	41,043.05	41,043.05
	जिसमें से : सीईटी 1 हेतु पात्र राशि	41,043.05	41,043.05
	जिसमें से : एटी 1 हेतु पात्र राशि	-	-
	आरक्षितियां एवं अधिशेष	5,24,175.46	5,22,948.19
	अल्प संख्यक हित	1,294.95	1,294.95
	कुल पूंजी	5,66,513.46	5,65,286.19
ii	जमाराशियां	62,99,807.51	62,99,972.17
	जिसमें से : बैंकों से जमाराशियां	3,74,018.69	3,74,018.69
	जिसमें से : ग्राहकों से जमाराशियां	59,25,788.82	59,25,953.47
	जिसमें से : अन्य जमाराशियां (कृपया उल्लेख करें)	-	-
iii	उधार	2,68,211.16	2,68,2114.16
	जिसमें से : आरबीआई से	35,190.00	35,190.00
	जिसमें से : बैंकों से	521.40	521.40

		वित्तीय विवरणियों के अनुरूप तुलन पत्र	विनियामक द्वारा समेकन की गुंजाइश के अंतर्गत तुलन पत्र
		यथा रिपोर्टिंग तिथि	यथा रिपोर्टिंग तिथि
	जिसमें से : अन्य संस्थाओं एवं एजेन्सियों से	1,52,812.12	1,52,812.12
	जिसमें से : अन्य (कृपया उल्लेख करें)	3,167.64	3,167.64
	जिसमें से : पूंजी लिखत	76,520.00	76,520.00
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	2,96,781.19	2,54,660.73
	जिसमें से : सद्भाव से संबंधित डीटीएल	0.00	0.00
	जिसमें से : अमूर्त आस्तियों से संबंधित डीटीएल	0.00	0.00
	कुल	**74,31,313.31**	**73,88,130.25**
बी	**आस्तियां**		
i	भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं शेष	4,05,303.24	4,04,891.75
	बैंकों में शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन	5,11,785.66	5,11,950.31
ii	निवेश:	18,02,739.53	17,61,573.86
	जिसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां	16,21,444.17	16,02,378.79
	जिसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	6,767.22	0.00
	जिसमें से : शेयर	11,762.59	8,486.76
	जिसमें से : डिबेंचर एवं बॉण्ड	1,05,185.95	1,01,909.80
	जिसमें से : अनुषंगियां/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियां	19,549.38	20,299.38
	जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक काग. जात, म्यूचुअल फण्ड इत्यादि)	38,030.22	28,499.13
Iii	ऋण एवं अग्रिम	42,30,011.36	42,29,962.40
	जिसमें से : बैंकों को ऋण एवं अग्रिम	2,30,430.24	2,30,430.24
	जिसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	39,99,581.12	39,99,532.17
Iv	अचल आस्तियां	98,561.13	98,456.13
v	अन्य आस्तियां	3,82,912.41	3,81,295.79
	जिसमें से:सद्भाव एवं अमूर्त आस्तियां		
	जिसमें से :		
	सद्भाव		
	(अन्य अमूर्त (एमएसआर को छोड़कर)		
	आस्थिगित कर आस्तियां	87,214.35	87,214.35
Vi	समेकन पर सद्भाव		
Vii	लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष		
	कुल आस्तियां	**74,31,313.31**	**73,88,130.25**

चरण -3

चरण 3 के अंतर्गत, बैंकों को प्रत्येक इनपुट का स्रोत दिखाने के लिए तालिका डीएफ- 11 (भाग I / II, जो भी लागू हो) में जोडे गए कॉलम को पूर्ण करने की आवश्यकता है।

(I) उदाहरणार्थ, पूँजीगत प्रकटन टैम्पलेट में "संबंधित आस्थगित कर आस्तियों के सद्भाव" की पंक्ति शामिल है। तालिका डीएफ -11(भाग I / II, जो भी लागू हो) के अंतर्गत प्रकटन टैम्पलेट में इस मद के प्रकटन के बाद, बैंक को समेकन की विनियामकीय सीमा के अंतर्गत तुलन पत्र के घटक 'ए", उदाहरण चरण 2 में, तथा घटक 'सी" में अंतर को टैम्पलेट की पंक्ति 8 की गणना दिखाने के लिए 'ए-सी" दर्शाना होगा।

आम प्रकटन टैम्पलेट बासेल III का सार (जोड़े गए कॉलम सहित) - तालिका डीएफ़ - 11 (भाग आई/भाग II, जो भी लागू हो)			
आम इक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत एवं आरक्षितियां			
		बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया विनियामक पूंजी का अंश	चरण 2 से विनियामक के समेकन की गुंजाइश के अंतर्गत तुलन पत्र के संदर्भ संख्या/पत्रों पर आधारित स्रोत
1	प्रत्यक्ष रूप से जारी किए गए पात्र आम शेयर (और गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए समतुल्य) पूंजी तथा साथ में संबंधित स्टॉक अधिशेष	0.00	e
2	प्रतिधारित अर्जन	0.00	
3	संचित अन्य समेकित आय (एवं अन्य आरक्षितियां)	0.00	
4	सीईटी 1 से फेज आउट की शर्त के अध्यधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी पूंजी (केवल संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर लागू)	0	
5	अनुषंगियों द्वारा जारी एवं थर्ड पार्टियों द्वारा धारित आम शेयर पूंजी (समूह सीईटी 1 में अनुमत राशि)	0.00	
6	विनियामक समायोजनों से पूर्व आम इक्विटी टियर 1 पूंजी	0.00	
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन		
8	सद्भाव (संबंधित कर आस्तियां कम कर)		a-c

तालिका डीएफ-13

विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं

1	जारीकर्ता	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया
2	यूनीक आईडेन्टिफायर(जैसे- निजी प्लेस्मेंट के हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग आईडेन्टिफायर)	INE084A01016	INE084A08136	INE084A08144
3	लिखत के शासी नियम	भारतीय विधि	भारतीय विधि	भारतीय विधि
	विनियामक व्यवहार	साधारण ईक्विटी	साधारण ईक्विटी	साधारण ईक्विटी
4	संक्रामणकालीन बासेल III नियम	साधारण ईक्विटी	अतिरिक्त टियर1	अतिरिक्त टियर1
5	संक्रामणकाल- उपरांत बासेल III नियम	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह
6	सोलो/ग्रुप/ग्रुप एवं सोलो में पात्र	साधारण शेयर	स्थाई ऋण लिखत	स्थाई ऋण लिखत
7	लिखत प्रकार	41,043.05	7500	6020
8	विनियामक पूंजी में मान्य की गई राशि (रु. मिलियन में, यथा नवीनतम रिपोर्टिंग तारीख)	लागू नहीं	7500	6020
9	लिखत का सममूल्य (रु.मिलियन)	ईक्विटी शेयर	उधार राशियं	उधार राशियां
10	लेखांकन वर्गीकरण	विविध	28/01/2021	30/03/2021
11	जारी किए जाने की मूल तारीख	स्थायी	स्थायी	स्थायी
12	दिनांकित या सर्वकालिक	लागू नहीं	स्थायी	स्थायी
13	मूल परिपक्वता तारीख	नहीं	हाँ	हाँ
14	पहले इश्यूअर कॉल पर्यवेक्षीय अनुमोदन के अध्यधीन से	लागू नहीं	क्रय विकल्प तिथि	क्रय विकल्प तिथि
15	ऑप्शनल कॉल तारीख, आकस्मिक कॉल तारीख	लागू नहीं	28/01/2026 के बाद बाद	30/03/2026 के बाद
16	तदुपरांत की कॉल तारीखें, यदि लागू हों	लाभांश	कूपन	कूपन
	कूपन/लाभांश	लागू नहीं	स्थिर	स्थिर
17	स्थिर या फ्लोटिंग लाभांश/कूपन	लागू नहीं	9.04%	9.30%
18	कूपन दर और कोई संबंधित इन्डेक्स	लागू नहीं	हाँ	हाँ
19	डिविडेन्ड स्टॉपर की उपलब्धता	लागू नहीं	पूर्णत:विवेकपूर्ण	पूर्णत:विवेकपूर्ण
20	पूर्णत: विवेकपूर्ण, आंशिकरूप से विवेकपूर्ण या अनिवार्य	नहीं	नहीं	नहीं
21	मोचन हेतु स्टेप अप या अन्य किसी प्रोत्साहन की उपलब्धता	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
22	गैर-संचयी या संचयी	लागू नहीं	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
24	यदि परिवर्तनीय हो तो, कन्वर्ज़न ट्रिगर्स	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय हो तो, पूर्णत: या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय हो तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय हो तो, परिवर्तन अनिवार्य है या वैकल्पिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय हो तो, किस प्रकार के लिखत में परिवर्तन होगा उल्लेख करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय हो तो, जिस लिखत में परिवर्तित होगा उसका जारीकर्ता जारीकर्ता जारीकर्ता का उल्लेख करें।	नहीं	हाँ	हाँ

30	राइट डाउन विशेषता	लागू नहीं	हाँ	हाँ
31	यदि राइट डाउन हो तो, राइट डाउन ट्रिगर्स।		1.पूर्ण विनिर्दिष्ट ट्रिगर स्तर2.गैर-अर्थक्षम बिंदु (पीओएनवी)	1.पूर्ण विनिर्दिष्ट ट्रिगर स्तर 2.गैर-अर्थक्षम बिंदु (पीओएनवी)
32	यदि राइट डाउन हो तो, पूर्णत: है या आंशिक	लागू नहीं	पूर्णत:	पूर्णत:
33	यदि राइट डाउन हो तो, वह स्थायी है या अस्थायी	लागू नहीं	स्थाई	स्थाई
34	यदि राइट डाउन हो तो, राइट अप तंत्र का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में सबऑर्डिनेशन व्यवस्था में स्थिति (लिखत से अधिमानी लिखत के प्रकार का तत्काल उल्लेख करें)	सभी अन्य जमाकर्ताओं एवं उधारकर्ताओं के	स्थाई ऋण लिखत	स्थाई ऋण लिखत
36	गैर-अनुपालित पारगमन विशेषता	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
37	यदि हाँ, तो कृपया गैर-अनुपालित विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

तालिका डीएफ-13 :विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं

1	जारीकर्ता	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया
2	यूनीक आईडेन्टिफायर (जैसे- निजी प्लेस्मेंट के हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग आईडेन्टिफायर)	INE084A08037	INE084A08045	INE084A08060	INE084A08151
3	लिखत के शासी नियम	भारतीय विधि	भारतीय विधि	भारतीय विधि	भारतीय विधि
	विनियामक व्यवहार				
4	संक्रामणकालीन बासेल III नियम	टियर 2	टियर 2	टियर 2	टियर 2
5	संक्रामणकाल- उपरांत बासेल III नियम	पात्र	पात्र	पात्र	पात्र
6	सोलो/ग्रुप/ग्रुप एवं सोलो में पात्र	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह
7	लिखत प्रकार	टियर 2 ऋण लिखत	टियर 2 ऋण लिखत	टियर 2 ऋण लिखत	टियर 2 ऋण लिखत
8	विनियामक पूंजी में मान्य की गई राशि (रु. मिलियन में, यथा नवीनतम रिपोर्टिंग तारीख)	2,000	1,000	18,000	18,000
9	लिखत का सममूल्य (रु.मिलियन)	10,000	5,000	30,000	18,000
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार	उधार	उधार	उधार
11	जारी किए जाने की मूल तारीख	25/09/2013	30/09/2013	31/12/2015	30/09/2021
12	दिनांकित या सर्वकालिक	दिनांकत	दिनांकत	दिनांकत	दिनांकत
13	मूल परिपक्वता तारीख	25/09/2023	30/09/2023	31/12/2025	30/09/2031
14	पहले इश्यूअर कॉल पर्यवेक्षीय अनुमोदन के अध्यधीन से	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ
15	ऑप्शनल कॉल तारीख, आकस्मिक कॉल तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	30/09/2026
16	तदुपरांत की कॉल तारीखें, यदि लागू हों	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रत्येक वार्षिकी तिथि पर (यानी30 सितंबर) मोचन होने तक
	कूपन/लाभांश				
	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन	
17	स्थिर या फ्लोटिंग लाभांश/कूपन	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
18	कूपन दर और कोई संबंधित इन्डेक्स	9.80%	9.80%	8.52%	7.14%
19	डिविडेन्ड स्टॉपर की उपलब्धता	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
20	पूर्णत: विवेकपूर्ण, आंशिकरूप से विवेकपूर्ण या अनिवार्य	पूर्णत:विवेकपूर्ण	पूर्णत:विवेकपूर्ण	पूर्णत:विवेकपूर्ण	पूर्णत:विवेकपूर्ण
21	मोचन हेतु स्टेप अप या अन्य किसी प्रोत्साहन की उपलब्धता	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

22	गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी			
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय हो तो, कन्वर्ज़न ट्रिगर्स	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय हो तो, पूर्णत: या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय हो तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय हो तो, परिवर्तन अनिवार्य है या वैकल्पिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय हो तो, किस प्रकार के लिखत में परिवर्तन होगा उल्लेख करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय हो तो, जिस लिखत में परिवर्तित होगा उसका जारीकर्ता का उल्लेख करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	राइट डाउन विशेषता	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
31	यदि राइट डाउन हो तो, राइट डाउन ट्रिगर्स।	भा.रि.बैंक द्वारा निर्णित	भा.रि.बैंक द्वारा निर्णित	भा.रि.बैंक द्वारा निर्णित	भा.रि.बैंक द्वारा निर्णित
32	यदि राइट डाउन हो तो, पूर्णत: है या आंशिक	भा.रि.बैंक द्वारा निर्णित	भा.रि.बैंक द्वारा निर्णित	भा.रि.बैंक द्वारा निर्णित	भा.रि.बैंक द्वारा निर्णित
33	यदि राइट डाउन हो तो, वह स्थायी है या अस्थायी	भा.रि.बैंक द्वारा निर्णित	भा.रि.बैंक द्वारा निर्णित	भा.रि.बैंक द्वारा निर्णित	भा.रि.बैंक द्वारा निर्णित
34	यदि राइट डाउन हो तो, राइट अप तंत्र का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में सबऑर्डिनेशन व्यवस्था में स्थिति (लिखत से अधिमानी लिखत के प्रकार का तत्काल उल्लेख करें)	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और उधारकर्ता	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और उधारकर्ता	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और उधारकर्ता	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और उधारकर्ता
36	गैर-अनुपालित पारगमन विशेषता	अनुपालित	अनुपालित	अनुपालित	अनुपालित
37	यदि हाँ, तो कृपया गैर-अनुपालित विशेषताओं का उल्लेख करें	--	--	--	--

तालिका डीएफ -14 :

विनियामक पूंजी लिखतों के सम्पूर्ण निबंधन एवं शर्तें

हमारे वेबसाइट पर विनियामक प्रकटन खंड के अंतर्गत पृथक प्रकटन ।

तालिका डीएफ : -15 :

पारिश्रमिक के लिए प्रकटन की आवश्यकता

निदेशक मण्डल और उच्चतम कार्यपालको के पारिश्रमिक का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाता है। इसके अतिरिक्त, पूर्णकालिक निदेशकों के लिए कार्यनिष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना है। यह योजना स्टेटमेन्ट ऑफ इन्टेन्ट (एसओआई) के आधार पर बनाई गई है जो भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित है।

तालिका डीएफ: -16 :

बैंकिंग बहियों के लिए इक्विटी का प्रकटन

(राशि रु. मिलियन में)

	गुणात्मक प्रकटन	
1.	इक्विटी जोखिम से संबंधित सामान्य गुणात्मक प्रकटन आवश्यकता (इस अनुलग्नक का पैरा 2.1 जिसमें शामिल है :)	
1.	धारित जिस पर पूँजीगत लाभ अपेक्षित है और वे जो अन्य उद्देश्यों के लिए,धारित किए गए है के बीच अंतर जिसमें संपर्क और कार्यनीतिक कारण शामिल हैं; और	ट्रेजरी द्वारा इक्विटी में निवेश अलग-अलग उद्देश्यों से परिचालित होता है। एसोसिएट, सहायक,संयुक्त उद्यम और आरआरबी में किए गए सभी इक्विटी निवेश एचटीएम श्रेणी में वर्गीकृत हैं। इस प्रकार के निवेश परिपक्वता तक रखने के लिए प्राथमिक इरादे से किए जाते हैं। इसके अलावा, ट्रेजरी विभिन्न कंपनियों की इक्विटी में कार्यनीतिक निवेश भी करता है, जो एएफएस श्रेणी में बुक हैं। ऐसे निवेश शीघ्र निर्मित नहीं होते। ऐसे भी मामले हैं जहां ऋण आस्तियों को उधारकर्ता के इक्विटी में बदला जाता है, ऐसी कंपनियां एएफएस श्रेणी में वर्गीकृत है। आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, ऐसे निवेश सभी विवेकपूर्ण सीमाओं की परिधि से बाहर रखे गए हैं। पूंजीगत लाभ के उद्देश्य से इक्विटी में निवेश को एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत बुक किया है एवं बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश नीति में निर्धारित हानि रोध सीमा के अध्यधीन है। एएफएस एवं एचएफटी में सभी इक्विटी निवेश मार्क टू मार्केट (एम.टी.एम.) के अध्यधीन है।
1.	बैंकिंग बही में इक्विटी धारिता के मूल्यांकन और लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियों पर विचार विमर्श। इसमें प्रयोग लेखांकन तकनीक और मूल्यांकन पद्धति शामिल है साथ ही मुख्य धारणाएं और मूल्यांकन प्रभावित करने वाली पद्धति के साथ इन पद्धतियों में परिवर्तन भी शामिल है।	इक्विटी धारिता के लेखांकन एवं मूल्यांकन के लिए, ट्रेजरी को मास्टर परिपत्र - 'बैंक द्वारा निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन एवं परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदण्ड' में दिये गए आरबीआई के दिशानिर्देश के साथ बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश नीति द्वारा मार्गदर्शित किया जाता है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक बही में इक्विटी होल्डिंग में निवेश को मार्क टू मार्कट होना आवश्यक नहीं है तथा अधिग्रहण लागत पर कैरी किया गया है। इक्विटी निवेश के मूल्य में क्षणिक को छोडकर यदि कोई ह्रास होता है। एच.टी.एम. श्रेणी में निवेश की बिक्री से कोई हानि,लाभ एवं हानि खाते में दर्ज की जाती है तथा बाद में कर को हटाकर आरक्षित पूंजी तथा वैधानिक पूंजी में विनियोजित की जाती है। लागत में शामिल ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूत संव्यवहार कर, आदि इक्विटी निवेश के अधिग्रहण पर भुगतान किया गया । इक्विटी निवेश को स्वीकार करने के लिए ट्रेजरी, ट्रेड डेट लेखांकन नीति बनाए रखता है।
	मात्रात्मक प्रकटन	
1.	निवेश के तुलन पत्र में प्रकट किए गए मूल्य के साथ-साथ उन निवेशों का उचित मूल्य, उद्धृत शेयर मूल्य से तुलना जहां शेयर मूल्य भौतिक रूप से उचित मूल्य से भिन्न है।	
	निवेश का बही मूल्य	18401.44
	तुलन पत्र के अनुसार बही मूल्य	18149.18

	मात्रात्मक प्रकटन	
2.	निवेश के प्रकार और प्रकृति, जिसमें निम्नानुसार श्रेणीकृत की जाने वाली राशि शामिल है :	
	● सार्वजनिक रूप से व्यापार ;	
	● निजी रूप से धारित	18149.18
3.	रिपोर्टिंग अवधि में बिक्री और परिसमापन से उत्पन्न संचयी प्राप्त लाभ (हानि).	
4.	कुल अप्राप्य लाभ (हानि) 13	
5.	कुल प्रकट पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानि)14	
6.	उपरोक्त में से कोई राशि टियर 1 और/या टियर 2 पूंजी में शामिल	
7.	उचित इक्विटी समूहन द्वारा विघटित पूंजी आवश्यकताएं, बैंक की पद्धति के साथ समनुरूप के साथ-साथ संकलित राशि और इक्विटी निवेशों का प्रकार बशर्ते कि पर्यवेक्षी ट्रैन्जिशन या विनियामक पूंजी आवश्यकताओं से संबंधित प्रावधान की देखभाल।	लागू नहीं

तालिका डीएफ 17- लेखांकन आस्तियां बनाम लीवरेज अनुपात एक्सपोज़र उपाय का सारांश यथा 31.03.2022 (समेकित स्थिति)

	मद	(राशि रू. मिलियन में)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरण के अनुसार कुल समेकित आस्तियाँ	74,31,313.31
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा और वाणिज्यिक संस्थाओं में निवेश के लिए समायोजन जिसका लेखांकन उद्देश्य के लिए समेकन किया जाता है लेकिन विनियामक समेकन की सीमा के बाहर है।	(-) 750.00
3	परिचालन लेखा संरचना के अनुसरण में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त प्रत्ययी आस्तियों के लिए समायोजन लेकिन लीवरेज अनुपात एक्सपोज़र उपाय में शामिल नहीं	-
4	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन	16,769.49
5	प्रतिभूतियों के वित्तपोषण संव्यवहार के लिए समायोजन (अर्थात रेपो और समान प्रतिभूत उधार)	50,033.50
6	तुलन पत्र बाहय मदों के लिए समायोजन (अर्थात् तुलन-पत्र बाह्य एक्सपोजर के क्रेडिट समतुल्य राशि में परिवर्तन)	4,42,180.99
7	अन्य समायोजन	(-)93,683.09
8	**लीवरेज अनुपात एक्सपोज़र**	**78,45,864.20**

तालिका डीएफ -18:

लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटन टैंपलेट

	मद	लीवरेज अनुपात संरचना (रु.मिलियन में)
तुलन पत्र के एक्पोज़र		
1	तुलन पत्र के अंदर के मद (डेरिवेटिव और एसएफटी छोड़कर, लेकिन संपार्श्विक शामिल)	73,81,279.82
2	(बासेल III टियर 1 पूंजी निर्धारण में आस्ति राशि घटाई गई)	(-) 44,399.59
3	**तुलन-पत्र पर कुल एक्सपोज़र** (डेरिवेटिव और एसएफटी छोड़कर) (पंक्ति 1 और 2 का जोड़)	**73,36,880.22**
डेरिवेटिव एक्सपोज़र		
4	सभी डेरिवेटिव संव्यवहारों के साथ सम्बद्ध प्रतिस्थापन लागत (अर्थात योग्य नकद अंतर मार्जिन का निवल)	4,195.92
5	सभी डेरिवेटिव संव्यवहारों के साथ सम्बद्ध पीएफई के लिए एड ऑन राशि	12,573.57
6	परिचालन लेखा संरचना के अनुसरण में तुलन-पत्र आस्ति से घटाये जाने पर दिए गए डेरिवेटिव संपार्श्विक के लिए ग्रॉस अप	
7	(डेरिवेटिव संव्यवहार में दिए गए नकद अंतर मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों में कमी)	
8	(ग्राहक का छूट प्राप्त सीसीपी लेग - स्पष्ट व्यापार एक्सपोज़र)	
9	लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव से समायोजित प्रभावी अनुमानित राशि	
10	(लिखत क्रेडिट डेरिवेटिव के लिए समायोजित प्रभावी अनुमानित ऑफ सेट और एड ऑन घटाना)	
11	**कुल डेरिवेटिव एक्सपोज़र (लाइन 4 से 10 का जोड़)**	**16,769.49**

	मद	लीवरेज अनुपात संरचना (रु.मिलियन में)
संव्यवहार एक्सपोज़र वित्तपोषित प्रतिभूतियां		
12	सकल एसएफटी आस्ति (नेटिंग को मान्यता दिए बिना), बिक्री लेखा संव्यवहारों के लिए समायोजन के बाद	50,033.50
13	(सकल एसएफटी आस्तियों के नकद देय और नकद प्राप्य का निवल राशि)	-
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोज़र	-
15	एजेंट संव्यवहार एक्सपोज़र	-
16	**कुल प्रतिभूति वित्तपोषित संव्यवहार (पंक्ति 12 से 15 का जोड़)**	**50,033.50**
अन्य तुलन-पत्र बाह्य एक्सपोज़र		
17	सकल अनुमानित राशि पर तुलन पत्र बाह्य एक्सपोज़र	11,28,678.03
18	(क्रेडिट समतुल्य राशि के परिवर्तन के लिए समायोजन)	(-) 6,86,497.04
19	**तुलन पत्र से बाह्य मदें (पंक्ति 17 और 18 का जोड़)**	**4,42,180.99**
पूंजी और कुल एक्सपोज़र		
20	**टियर 1 पूंजी**	**4,81,767.73**
21	**कुल एक्सपोज़र (पंक्ति 3, 11, 16 और 19 का जोड़)**	**78,45,864.20**
लीवरेज अनुपात		
22	**बासेल III लीवरेज अनुपात**	**6.14%**

Basel III (Pillar 3) - Disclosures (Consolidated) March,2022

Table DF 1
Scope of Application

Name of the top bank in the group to which the Framework applies- BANK OF INDIA

1. Qualitative Disclosures

a. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity/Country of incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes / no)	Explain the Method of consolidation	Whether the Entity is included under regulatory scope of consolidation yes / no)	Explain the Method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
Bank of India New Zealand Ltd	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
Bank of India(Uganda) Ltd	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
Bank of India (Tanzania) Ltd	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
PT Bank of India Indonesia, TBK	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
BOI Shareholding Ltd	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
BOI Star Investment Managers Pvt Ltd	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
BOI Star Trustee Services Pvt Ltd	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
BOI Merchant Bankers Ltd	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company Ltd	Yes	Joint Venture	No	Joint Venture	NA	NA
STCI Finance Ltd	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
ASREC (India) Ltd	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
Indo Zambia Bank Ltd	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
RRB Vidharbha Konkan Gramin Bank	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
RRB Aryavart Bank	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
RRB Madhya Pradesh Gramin Bank	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

There are no group entities that are not considered for consolidation under both the accounting scope of consolidation and regulatory scope of consolidation.

ii. Quantitative Disclosures:

c. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity & reserves (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) (Equity + Reserve) (Rs Mn)	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) (Rs Mn)
Bank of India (New Zealand) Ltd	Banking	3,078.86	6,656.08
Bank of India (Uganda) Ltd	Banking	1,237.86	6,854.97
Bank of India (Tanzania) Ltd	Banking	1,132.19	3,345.43
PT Bank of India Indonesia, TBK	Banking	5,395.62	23,161.97
BOI Shareholding Ltd	Clearing & Settlement of Stock Exchange	286.78	306.11
BOI Star Investment Managers Pvt Ltd	Assets Management	560.52	606.37
BOI Star Trustee Services Pvt Ltd	Trusteeship Services	1.64	1.99
BOI Merchant Bankers Ltd	Merchant Banking services	188.40	206.06
Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company Ltd	Life Insurance	7,362.54	1,52,775.27
STCI Finance Ltd	NBFC- NDSL	23,544.53	1,62,744.43
ASREC (India) Ltd	Assets Recovery Company	1,768.27	2,483.67
Indo Zambia Bank Ltd	Banking	5,816.26	47,248.40
RRB Vidharbha Konkan Gramin Bank	Banking	(1,532.22)	73,584.09
RRB Aryavart Bank	Banking	20,644.56	3,67,215.04
RRB Madhya Pradesh Gramin Bank	Banking	9,677.00	2,23,962.59

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:

There is no deficiency of capital in the subsidiaries.

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted:

Name of the insurance entities / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total Balance Sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) Rs Mn	% of bank's holding in the total equity / proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method (Rs Mn)
Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company LTD	Life Insurance	2589.64	28.96	1875.00 (Risk weight 250%)

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group are as governed by RBI.

Table DF - 2

Capital Adequacy

i. Qualitative disclosures:

a. A summary discussion of the bank's approach to assessing the adequacy of its capital to support current and future activities.

1. Bank of India:

The Bank carries out regular assessment of its Capital requirements from time to time reviewed on an annual basis to take care of the future growth in business, capital requirements, policy guidelines, macro-economic scenarios, risk appetite etc. The Bank has also developed Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to comprehensively address all risks and maintain necessary additional capital.

2. PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary):

In accordance with Regulation of Bank Indonesia, Bank's Tier-1 Capital should be minimum IDR 2 trillion w.e.f. December 2021 (to be increased to IDR 3 trillon by December 2022), in order to run foreign exchange business.

3. Bank of India (Tanzania) Ltd and Bank of India (Uganda) Ltd - Subsidiary:

Capital adequacy and the use of regulatory capital are monitored regularly by the Bank's Management, employing techniques based on the guidelines developed by the Basel Committee, as implemented by the Bank of Tanzania (BOT) and Bank of Uganda (BOU), for supervision purposes. The required information is filed with the BOT and BOU, the local regulators on a quarterly basis. IFRS- 9 has been implemented with effect from 1st January, 2018.

The bank's regulatory capital as managed by its management is divided into two tiers:

Tier 1 Capital: - Share capital and Retained Earnings, Deferred Charges, Statutory Reserves, and General Provisions are deducted in arriving at Tier 1 Capital.

Tier 2 Capital: - Qualifying subordinate loan capital, collective impairment allowances and unrealized gains arising on the fair valuation of equity instruments held as available for sale.

The risk-weighted assets are ensured by means of a hierarchy of five risk weights classified according to the nature and reflecting an estimate of credit, market and other risks associated with each asset and counterparty, taking into account any eligible collaterals or guarantees. A similar treatment is adopted for off- balance sheet exposure, with some adjustments to reflect the more contingent nature of the potential losses.

4. Bank of India (New Zealand) Ltd (Subsidiary):

Capital adequacy and the use of regulatory capital are monitored regularly by the Bank's Management, employing techniques based on the guidelines of the Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), for supervision purposes. The required information is disclosed in General Disclosure Statement on quarterly basis. The bank's regulatory capital as managed by its management solely consists of Tier 1 Capital

Tier 1 capital: - Share capital, retained earnings and reserves created by appropriation of retained earnings

The risk-weighted assets are ensured by means of a hierarchy of five risk weights classified according to the nature and reflecting an estimate of credit, market and other risks associated with each asset and counterparty, taking into account any eligible collaterals or guarantees. A similar treatment is adopted for off-balance sheet exposure.

ii. Quantitative disclosures:-

(Amount in Rs. Mn.)

Capital requirements for Credit Risk (#):	
Portfolios subject to standardized approach	2,46,336.30
Securitisation exposures	
Capital requirements for Market Risk: Standardized duration approach: (#)	9,350.00
Interest rate risk	6,061.50
Foreign exchange risk (including gold)	3,005.00
Equity risk	283.50
Capital requirements for Operational Risk (#): Basic Indicator Approach "The Standardized Approach (Basel III SA)" (If applicable)	32,190.00
Common Equity Tier 1, Tier 1 and Total Capital ratios: (For the top consolidated group)	
Common Equity Tier 1 Capital (CET 1)	14.65%
Tier 1 Capital (T 1)	15.08%
Total Capital Ratio	17.65%
# Capital requirement is calculated at Minimum Regulatory Requirement @ 9% of RWA.	

Table DF 3 - Credit risk

General Disclosures For All Banks

i. Qualitative Disclosures

a. The general qualitative disclosure requirement with respect to credit risk, including:

- ***Definition of past due and impaired (for accounting purposes)***

1.0 Bank of India

The Bank follows Reserve Bank of India regulations, which are summed up below:

1.1 Non-performing Assets

An asset, including a leased asset, becomes non-performing when it ceases to generate income for the bank.

A non-performing asset (NPA) is a loan or an advance where;

➢ Interest and/ or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,

➢ the account remains 'out of order' as indicated below, in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC),

➢ The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,

- The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,
- The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.
- The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of guidelines on securitization dated February 1, 2006.
- Bank should classify an account as NPA only if the interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter.
- A loan for infrastructure/non-infrastructure project will be classified as NPA during any time before commencement of commercial operations as per record of recovery (90 days overdue) unless it is restructured and becomes eligible for classification as "Standard Asset"
- A loan for an infrastructure project will be classified as NPA if it fails to commence commercial operations within two years from original DCCO, even if it is regular as per record of recovery, unless it is restructured and becomes eligible for classification as "Standard Asset"
- A loan for a non-infrastructure project will be classified as NPA if it fails to commence commercial operations within twelve months from original DCCO, even if it is regular as per record of recovery, unless it is restructured and becomes eligible for classification as "Standard Asset"

1.2 'Out of Order' status:

An account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as 'out of order'.

1.3 Overdue:

Any amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank.

1.4 Non Performing Investments:

In respect of securities, where interest/ principal is in arrears, the Bank does not consider depreciation in the value of the investment.

A non-performing investment (NPI), similar to a non-performing advance (NPA), is one where:

- Interest/ installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
- This applies mutatis-mutandis to preference shares where the fixed dividend is not paid.
- In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at Re.1 per company on account of the non-availability of the latest balance sheet in accordance with the Reserve Bank of India instructions, those equity shares are also reckoned as NPI.
- Any credit facility availed by the issuer is NPA in the books of the bank, investment in any of the securities issued by the same issuer is treated as NPI and vice versa.
- The investments in debentures / bonds, which are deemed to be in the nature of advance, are subjected to NPI norms as applicable to investments.

2.0 PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary):

The Credit Quality is assessed based on the factors such as business prospects, performance of the debtor and repayment capacity. It is undertaken depending upon the materiality and significance of each assessment factor and components and the relevance of the assessment factors and components to the characteristics of the debtor concerned. Accordingly, the assets are classified into current, special mention, sub-standard, doubtful and loss category.

"Assets" are classified into Earning Assets and Non-earning Assets. Earning Assets are provision of funds by a bank to earn revenues. "Non-Earning Assets" are assets of the Bank other than Earning Assets with potential for Loss.

An asset becomes non-performing when it ceases to generate revenue for the bank. A non-performing asset is a loan or an advance where the arrears in principal and / or interest exceed 90 days.

Past due: Any amount due to the bank under any credit facility is "past due" if it is not paid on the due date fixed by the bank.

In 2010, PT Bank of India Indonesia Tbk started implementation of the New Accounting Policy i.e. PSAK 50 & 55 which is similar to the International Accounting Standards IAS 32 & 39 according to which the financial asset must be presented at the fair value. During the implementation of PSAK 50 & 55, Bank Indonesia issued the guidelines that if the bank does not maintain historical loss data, during the transition period i.e. until the year 2011, it can compute the financial asset impaired as described above. We are now in progress to integrate PSAK 71 calculation into bank's core banking, which is in line with our business plan that is up-gradation technology.

Outstanding Loans and advances reviewed by quantitative approach are classified as follows:

No of Days Past Due	Classification	Provisioning
90-120	Substandard	15%
120-180	Doubtful	50%
180 and More	Loss	100%

3.0 Bank of India (New Zealand) Ltd, Bank of India (Tanzania) Ltd, and Bank of India Uganda

Credit risk is a risk of financial loss to the bank, if a customer or counterparty to a financial instrument fails to meet its contractual obligations and arises principally from the bank's loans and advances to customers and other banks, and investment debt securities.

The Board of Directors has delegated responsibility for the oversight of credit risk to its Credit committee. The credit

department of the bank, reporting to the Credit committee is responsible for management of the bank's credit risk, including:-

- ➢ Formulating credit policies covering collateral requirements, credit assessment, risk grading and reporting, documentary and legal procedures, and compliance with regulatory and statutory requirements.
- ➢ Establishing the authorization structure for approval and renewal of credit facilities. The credit limits are governed by the Credit policy, as approved by the board.
- ➢ Reviewing and assessing credit risks.
- ➢ Limiting concentrations of exposure to counterparties, geographies and industries (for loans and advances).

3.1 Definitions of Past Due and Impaired (for accounting purposes):

Overdrafts and other credit facilities without specific due dates shall be considered past due if:

- ➢ Exceeds the customer's borrowing limit.
- ➢ Customers borrowing limit is expired.
- ➢ Deposits are insufficient to cover the interest calculated and due for the period
- ➢ Bill has been dishonoured
- ➢ Bill or account is not paid on due date
- ➢ Loans which are payable in instalments are considered as past due in their entirety if any of the instalments have become due and unpaid for thirty days or more.

4.0 Bank of India (New Zealand) Ltd:

Outstanding Loans and advances reviewed by quantitative approach are classified as follows

No of Days Past Due	Classification	Provisioning
91-180	Substandard	As per NZ IFRS 9
181-270	Doubtful	As per NZ IFRS 9
271 and More	Loss	As per NZ IFRS 9

5.0 Bank of India (Tanzania) Ltd:

Outstanding Loans and advances reviewed by quantitative approach are classified as follows:

No of Days Past Due	Classification	Provisioning
30-90	Especially Mentioned	3%
91-180	Substandard	20%
181-360	Doubtful	50%
361 and More	Loss	100%

6.0 Bank of India Uganda

Outstanding Loans and advances reviewed by quantitative approach are classified as follows:

No of Days Past Due	Classification	Provisioning
91-179	Substandard	20%
180-365	Doubtful	50%
365 and more	Loss	100%

b. Discussion of the Bank's Credit Risk Management Policy:

A. Bank of India:

- ➢ In a bank's portfolio, losses stem from outright default due to inability or unwillingness of a customer or counterparty to meet commitments in relation to lending, trading, settlement and other financial transactions or from reduction in portfolio value arising from actual or perceived deterioration in credit quality.
- ➢ Against this backdrop a robust risk management framework is necessary for the long-term financial health of a bank. Credit Risk Management encompasses identification, measurement, monitoring and control of the credit risk exposures.
- ➢ The Bank has identified various types of credit risk at a generic level in the Credit Risk Management policy. More granular identification is done at the product /process level. Various risks are looked into before introducing new products/ processes, which are cleared from the risk angle.
- ➢ The Credit Risk Management framework outlined in the policy is built on three distinct building blocks namely Policy & Strategy, Organizational Set up and Operations/Systems.

i) Policy and Strategy:

The Bank has been following a conservative risk philosophy, which has steered the bank through difficult times. However the Bank has an open policy regarding new and unexplored areas and new opportunities are not lost sight of. The important aspects of this philosophy are embodied in the circulars and are periodically codified in the form of Manual of Instructions.

The business objectives and the strategy of the Bank is decided taking into account the profit considerations, the level of various risks faced, level of capital, market scenario and competition. The Bank is always conscious of its asset quality and earnings and hence judiciously matches profit maximization with risk control.

The Credit Risk Management policy and significant credit risk related policies like Credit Policy, and Credit Monitoring Policy are approved and periodically reviewed by the Board of Directors. The Credit Policy covers various areas of credit like Clientele, Marketing, Segmented Approach to Lending, Credit Delivery, Credit Thrust, Tenure of Credit, Credit Acquisition, Risk Rating (including risk acceptance criteria), Pricing, Credit appraisal, Assessment of Limits, Exposure Norms, Industry Norms, Collateral and Margins, Review of Relationship, Scheme of Delegation, Statutory and other Restrictions and Documentation. Credit Policy for International Operations is in place and each center has its own credit policy dovetailed to the main policy. The delegation of powers for credit matters is covered by a separate policy. In addition Credit Risk is tracked and monitored as per the Credit Monitoring Policy. Restructuring Policy, Write Off and Recovery Policy, Asset Classification and Provisioning Policy, Bank Exposure Policy, Country Risk policy and Credit Audit Policy are also in place. Investments are contracted as per the policy guidelines laid down in the Investment Policy and after clearance by the Investment Committee.

ii) Organizational Set up:

The organizational structure of the Bank for Credit Risk Management function has the Board of Directors at the Apex levels that have the overall oversight of management of risks. The Risk Management Committee of the Board (R. Com) which is the sub-committee of the Board headed by the MD & CEO and whose members also include heads of Credit, Market & Operational Risk Management Committees, devises the policy and strategy for integrated risk management including credit risk. At the operational level the Credit Risk Management Committee (CRMC) manages the credit risk. The main functions includes implementation of credit risk management policy approved by the Board, monitoring credit risk on a bank wide basis, recommending to the board for its approval all policies relating to credit matters including delegation of credit, prudential limits on large credit exposures, portfolio management, etc.

The Risk Management Department headed by the Chief Risk Officer of General Manager rank, measures, controls and manages credit risk on bank wide basis within the limits set by the Board and enforces compliance with risk parameters set by Board/R. Com/M.Com. The Credit Monitoring Department headed by a General Manager, monitors the quality of loan portfolio, identifies problems and takes steps to correct deficiencies. Loan review / credit audit is undertaken by the Credit Audit function.

iii) Operations/Systems/Processes

The Bank has proactive Credit Risk Management practices like consistent standards for the credit origination, maintenance and documentation for all credit exposures including off balance sheet items, periodic individual obligor reviews, periodic inspections and collateral management systems.

Credit risk limits including obligor limits and concentration limits by industry, systems and procedures for monitoring financial performance of customers and for controlling outstanding within limits are followed. Checks and balances are in place for extension of credit viz. separation of credit risk management from credit sanction, vetting of new products and systems from risk angle by the CRMC, multiple credit approvers, system of assigning risk rating, vetting of ratings, mechanism to price facilities depending on the risk grading of the customer, Credit Risk Evaluation committee for vetting credit proposals from risk angle, credit process audit, post sanction pre disbursement review and post sanction review systems and an independent audit and risk review function. Proposals for investments are subjected to credit risk analysis, detailed appraisal and rating. As a matter of entry level, minimum ratings/quality standards, industry, maturity, duration, issue-wise limits are stipulated for investments to mitigate the adverse impact of concentration and risk of liquidity. Investment exposure is taken into consideration while computing exposure to a customer/group. A suitable framework is in place to provide a centralized overview on the aggregate exposure on other banks and half-yearly reviews are undertaken at a single point. The country exposures are monitored on half yearly basis.

A diversified portfolio of risk assets is maintained and a system to conduct regular analysis of the portfolio so as to ensure on going control of risk concentrations is in place. A conservative policy for provisioning in respect of non-performing advances is followed. Management Information System (MIS) is being upgraded with introduction of Credit Risk Management System, which would enhance the capabilities of the bank to manage and measure the credit risk inherent in all on- and off-balance sheet activities.

iv) The following tools are used for credit risk management/ mitigation –

➢ **Credit Approving Authority – Delegation of Powers:**

The Bank has a well-defined scheme of risk based delegation of powers with a multi-tier risk based approving system, which is reviewed periodically and revised as and when necessary to meet the compulsions of business environment.

The delegation of powers is linked to the rating of the borrower with powers for sanction of higher limits to better-rated customers. At present, all credit proposals falling within the delegated authority of the General Manager and above are being routed through the "Credit Risk Evaluation Committee (CREC)" to bring in an element of independence and off-site evaluation of risks perceived in credit proposals. The General Manager, Risk Management Department, who has no volume or profit targets, is mandatory member of the CREC.

As per Ministry of Finance Guidelines, Credit Committees with sanctioning powers have been formed at various administrative levels to exercise delegation of powers. At Head Office level, three Credit Committees (GMLCC, EDLCC and CAC) are functioning to deal with proposals falling beyond the delegated powers of the field functionaries. Such Credit Committees (SZLCC/ZLCC/ NBGLCC) have also been set-up at Zonal Office/NBG office for considering the credit proposals falling within their powers.

➢ **Prudential Limits:**

Prudential limits on various aspects of credit/investment like Single/Group borrower limits for various types of borrowers are in place.

➢ **Risk Rating/Pricing:**

The bank has introduced rating models for various segments, which serve as a single point indicator of diverse risk factors of a counter party and support credit and pricing decisions.

➢ **Credit Audit/Loan Review Mechanism (LRM):**

Credit Audit/LRM is an effective tool for constantly evaluating the quality of loan book and to bring about qualitative improvements in credit administration

v) Portfolio Management through analysis:

It is also important to have in place a system for monitoring the overall composition and quality of various credit portfolios and investments. With this objective, to start with, the bank has introduced a simple portfolio-monitoring framework. Going forward the bank will be graduating to a more sophisticated Portfolio Management model. Rating Migration of accounts with Rs. 10 lacs and above is being done on half yearly and submitted to Board. Credit Risk Management Software (CRMS) is being implemented phase-wise. Bank is getting prepared for adopting Advanced Approaches.

vi) **Risk Measurement:**

At present Credit Risk is assessed through Risk rating at the individual level and through Risk Weighting of the assets at the portfolio level and capital is maintained based on Risk Weights. The Bank has migrated to the Standardized approach under the New Capital Adequacy Framework (Basel II), effective 31st March 2008.

vii) **Risk Reporting System:**

All credit related policies are cleared by the CRMC (which is the operational level committee for credit risk) before submission to the appropriate authorities for approval. Various Credit Related reporting's submitted to CRMC to enable proper monitoring.

viii) **Risk Review:**

Audit –Credit Risk Management Systems procedures and Tools are also subjected to internal audit for ensuring effectiveness.

ix) **Measures for follow up of Special Mention Accounts (SMA) / NPA Accounts**

The various means of monitoring / resolving NPAs undertaken by the Banks are listed below:

I. Before the account becoming NPA [Special Mention A/c (SMA)]:

a. Close monitoring for compliance of sanction terms to maintain asset quality.

b. Reminders are sent promptly whenever irregularities are observed.

c. To recover overdues quickly to ensure that account does not slip to NPA category.

d. Periodic inspection of the unit and charged assets along with analysis of financial data.

e. To restructure the dues before accounts become NPAs. Remedial action includes enhancement of moratorium period, funding of interest, and deferment of installments.

II. After the account becoming NPA:

a. Appropriation of liquid securities (TDR, shares, margin money etc.) and pledged goods, to reduce outstanding.

b. Disposal of other securities, with the co-operation of borrowers.

c. Compromise and settlement of dues through negotiation.

d. Re-calling the advance.

e. Filing suit in Court– Execution of decree.

f. After all the chances of recovery of dues are exhausted, account is written off of the balance dues.

B. PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary):

PT Bank of India Indonesia Tbk has established a Risk Management Committee (RMC) and the Risk Management Unit (RMU) which is independent of the Operational Unit and the Internal Audit Unit ("Internal Audit") in the hope of overall risk management can be integrated, targeted, coordinated and sustainable. Furthermore, to monitor the effectiveness of implementation of tasks RMC and RMU, the Bank established a Risk Monitoring Committee which is directly responsible to the Board of Commissioners.

The Bank has managed 8 (eight) types of risk according to Bank of Indonesia which are credit risk, liquidity risk, market risk, operational risk, compliance risk, legal risk, reputation risk and strategic risk. Banks also create risk profiles which can broadly map the activity that has risks as well as potential risks that disrupt the Bank business continuity. Assessment of risk type is a combination of the risks inherent in any functional activity (inherent risk) and risk control systems.

The Bank is selective in approving new credits and maintains higher loan provisions than that required by the Regulator. In collateral based lending, hair cut is applied to the value of collateral. The Risk Manager of the bank reports to the Director Compliance. Risk Management Unit (RMU) supervises/ has oversight of the credit approval process.

C. Bank of India (Tanzania) Ltd, Bank of India (New Zealand) Ltd, and Bank of India (Uganda) Ltd:

Monthly interest application has become a useful tool to tackle potential delinquencies or defaults in standard accounts. To retain the asset quality, the Bank has adopted the following policy, Branches should promptly act and:

➢ Recover the overdue or at least the critical amount through active follow up with borrowers;

➢ Put the accounts under holding on operations in case of temporary cash flow mismatches;

➢ Reschedule the repayment terms as per expected cash flows;

➢ Restructure the dues in keeping with the expected cash flows and gaps in cash flows, if any as per guidelines given in the restructuring policy.

Any one or more of the above actions are taken by the Bank before the account becomes NPA.

ii. **Quantitative Disclosures:**

a. **The total gross credit exposures is:**

Category	**(Rs. In Mn)**
Fund Based	49,76,740.00
Non Fund Based*	5,25,690.00
TOTAL	**55,02,430.00**

**Excluding Credit Equivalent of Derivatives*

c. The geographic distribution of exposure is:

(Rs.in Mn)

	Domestic	Overseas	Global
Fund Based	43,03,360	6,73,380	**49,76,740.00**
Non Fund Based	4,22,810	1,02,880	**5,25,690.00**

d. Industry type distribution of exposure (Fund Based & Non Fund Based) is as under:

(Rs. in Mn)

Industry Name	O/S Fund Based	O/S NFB
Coal	8,125.40	0.00
Mining	13,327.49	524.81
Iron & Steel	67,046.83	1,593.56
Other Metal & Metal Products	23,721.66	7,707.75
All Engineering	14,176.54	4,396.81
Of which Electronics	1,977.64	292.02
Cotton Textiles	26,996.25	496.55
Jute Textiles	630.83	1.94
Other Textiles	32,637.33	1,778.31
Food Processing	46,617.47	1,988.45
Of which Vegetable Oil & Vanaspati	3,723.78	852.42
Of Which Sugar	17,638.89	511.14
Of Which Other Food Processing	19,055.30	617.98
Of Which Tea	3.70	6.91
Tobacco & Tobacco Products	2,376.96	27.78
Paper & Paper Products	11,452.56	691.21
Rubber & Rubber Products	29,302.28	2,472.82
Chemical, Dyes, Paints etc.	50,812.87	7,326.46
Of which Fertilisers	19,145.27	3.19
Of which Petro-chemicals	6,484.84	2,251.91
Of which Drugs & Pharmaceuticals	14,792.77	4,054.57
Of which others	5,649.08	876.19
Cement	13,057.39	162.93
Leather & Leather Products	5,484.85	36.59
Gems & Jewellery	56,118.39	130.99
Construction	53,605.18	26,061.00
Petroleum	35,977.14	705.35
Automobiles including Trucks	12,927.74	1,143.09
Infrastructure	**561,603.76**	**107,616.27**
Of which Power (including Electricity)	414,231.17	68,587.80
Of which Telecommunications	3,287.74	21.07
Of which Roads & Ports	134,892.61	25,818.90
Other Industries	38,474.58	13,188.50
Residuary Other Advances (to balance with Gross Adv.)	3,910,741.08	360,827.33
Total	**4,976,740.00**	**525,690.00**
Exposure to Infra Sector at 11.28% exceeds 5% of total fund based advances		
Exposure to Infra Sector at 20.47% exceeds 5% of total non-fund based outstanding.		

e. The residual contractual maturity break down of assets is:

(Rs in Mn)

	Advances	Investments	F. C. Assets
Day 1	122,011.84	307,981.29	3,210.94
2 to 7 days	44,895.04	77,602.13	7,258.90
8 to 14 days	47,337.44	24,478.37	5,297.20
15 to 30 days	74,762.85	33,401.77	5,372.35
31 Days & upto 2 months	82,288.28	35,324.31	12,300.40
> 2 months & upto 3 months	96,723.91	35,015.48	12,300.40
>3 months & upto 6 months	169,093.18	53,561.09	4,329.05
Over 6 months & upto 1 year	192,430.75	56,236.68	2,799.70
Over 1 year & upto 3 years	1,657,590.32	297,111.07	1,516.00
Over 3 years & upto 5 years	454,222.28	224,497.80	-
Over 5 years	909,738.22	594,794.90	-
Total	**3,918,896.69**	**1,716,238.70**	**54,384.94**

g. The Gross NPAs (Conso) are:

(Rs. in Mn)

Category	
Sub Standard	43,813.03
Doubtful – 1	58,095.78
Doubtful – 2	74,353.50
Doubtful – 3	86,770.60
Loss	1,94,180.31
Total	**4,57,213.22**

h. The amount of Net NPAs is Rs. 1,18,868.32 Mn.

i. The NPA ratios are as under:

- Gross NPAs to Gross Advances: **9.95%.**
- Net NPAs to Net Advances: **2.58%.**

j. The movement of Gross NPA is as under:

(Rs in Mn)

i) Opening balance at the beginning of the year	565,940.26
ii) Additions during the year	88,970.24
iii) Reductions during the year	197,705.23
iv) Closing balance at the end of the year (i+ii-iii)	457,213.22

l. The movement of provision for NPAs is as under:

(Rs in Mn)

i) Opening balance at the beginning of the year	421,127.02
ii) Provisions made during the year	74,185.60
iii) Write-off/write-back of excess provisions	156,869.33
iv) Closing balance at the end of the year (i+ii-iii)	338,443.29

m. The amount of Non-Performing Investment is Rs. 22,280.09 Mn.

n. The amount of provision held for Non-Performing Investment is Rs 22160.82 Mn.

o. The movement of provisions for depreciation on investments is as under:

(Rs in Mn)

i) Opening balance at the beginning of the year	44,579.41
ii) Provisions made during the year	11,900.01
iii) Write-off/write-back of excess provisions	5,663.32
iv) Exchange Difference	-
v) Closing balance at the end of the year (i+ii-iii+iv)	50,816.09

p. NPA and Provisions maintained by Major Industry or Counterparty type for Bank of India :

(Rs. in Mn.)

Industry Name	NPA	Provision
Coal	2,698.20	339.90
Mining	778.70	435.60
Iron & Steel	4,318.10	1,444.10
Other Metal & Metal Products	7,176.70	5,628.50
All Engineering	3,702.30	2,534.20
Of which Electronics	493.70	403.90
Electricity	11,791.30	8,921.40
Cotton Textiles	94.40	68.60
Jute Textiles	7,134.80	3,877.00
Other Textiles	13,192.70	11,268.70
Food Processing	2,918.70	2,143.30
Of which Vegetable Oil & Vanaspati	2,087.10	1,410.20
Of Which Sugar	8,186.90	7,715.20
Of Which Other Food Processing	0.00	0.00
Of Which Tea	131.20	116.90
Tobacco & Tobacco Products	1,704.20	846.50
Paper & Paper Products	1,652.50	677.10
Rubber & Rubber Products	2,698.20	339.90
Chemical, Dyes, Paints etc.	3,308.80	2,038.70
Of which Fertilisers	42.30	15.20
Of which Petro-chemicals	801.60	502.70
Of which Drugs & Pharmaceuticals	1,043.40	751.90
Of which Others	1,421.50	768.90
Cement	1,089.60	545.30
Leather & Leather Products	1,744.20	470.10
Gems & Jewellery	22,836.00	9,075.40
Construction	5,751.70	4,104.30
Petroleum	18,284.30	146.10
Automobiles including Trucks	4,766.30	2,099.90
Computer Software	0.00	0.00
Infrastructure*	53,346.50	38,297.00
Of which Power	19,752.80	18,303.50
Of which Telecommunications	1,674.10	598.30
Of which Roads & Ports	26,971.70	16,270.30
Other Industries	4,947.90	3,124.90
Residuary Other Advances (to balance with Gross Adv.)	291,217.02	245,104.09
Total	**457,213.22**	**338,443.29**

q. Geography wise NPA and Provision [for Bank of India Solo]:

(Rs. in Mn)

	Domestic	Overseas	Total
Gross NPA	3,91,237.40	64,816.50	4,56,053.90
Provision for NPA	2,76,819.40	60,933.40	3,37,752.80

Tabzle DF-4

Credit Risk: Disclosures For Portfolios Subject To The Standardised Approach

i. Qualitative Disclosure:

a) For portfolios under the standardized approach:

➢ Names of Credit Rating agencies used, plus reasons for any changes

➢ Types of exposure for which each agency is used; and

➢ A description of the process used to transfer public issue ratings on to comparable assets in the banking book;

1.0 BANK OF INDIA:

a. The Bank has approved using the general rating of the following credit rating agencies for risk weighting under the standardized approach for CRAR calculations CRISIL, ICRA, INDIA RATINGS, BRICKWORK, SMERA, and CARE for domestic claims and S&P FITCH and Moody's for claims on non-resident corporates, foreign banks and foreign sovereigns. SME ratings are not being used, as they are not approved by RBI.

b. The ratings of all these agencies are being used for all exposures subjected to rating for risk weighting purposes under the standardized approach for CRAR calculations under Basel-II.

c. The process used to transfer public issue ratings on to comparable assets in the banking book is as per regulatory requirements of RBI. The public ratings published by the rating agencies on their website are used for this purpose.

Only, ratings which are in force as per monthly bulletin of the concerned rating agency and which have been reviewed at least once during the previous 15 months are used.

d. For all the exposures on a particular counterparty, bank uses the rating of only one agency, even though these exposures are rated by more than one with exception being where each of the exposures is rated by only one of the approved rating agencies.

e. To be eligible for risk-weighting purposes, it is ensured that the external credit assessment takes into account and reflects the entire amount of credit risk exposure the bank has with regard to all payments owed to it. Even while extending an issuer or an issue specific rating to any other exposure on the same counterparty it is extended to the entire amount of credit risk exposure i.e., both principal and interest. External assessments for one entity within a corporate group is not used to risk weight other entities within the same group.

f. For assets that have contractual maturity less than or equal to one year, short term ratings are used while for other assets, long term ratings are used. For Cash Credit exposures long term ratings are taken.

g. Where an issuer has a long-term exposure with an external long term rating that warrants a risk weight of 150%, all unrated claims on the same counterparty whether short-term or long-term, also receive a 150% risk weight, except in cases where credit risk mitigation techniques are used for such claims. Similar is the case with short-term rating.

h. The long-term ratings assigned by the approved rating agencies are directly mapped to the risk weights under the Standardized Approach for long-term exposures. On the contrary, the unrated short-term claim on counter-party attracts a risk weight of at least one level higher than the risk weight applicable to the rated short-term claim on that counter-party. Issue-specific short-term ratings are used to derive risk weights for claims arising from the rated facility against banks and a corporate's short-term rating is not used to support a risk weight for an unrated long-term claim.

i. If there are two ratings accorded by eligible credit rating agencies, which map into different risk weights, the higher risk weight is applied. If there are three or more ratings accorded by eligible credit rating agencies with different risk weights, the ratings corresponding to the two lowest risk weights are referred to and the higher of those two risk weights are applied, i.e., the second lowest risk weight.

j. The RW of the investment claim is based on specific rating by a chosen credit rating agency, where the claim is not an investment in a specific assessed issue:

   i. The rating applicable to the specific debt (where the rating maps into a risk weight lower than that which applies to an unrated claim) is applied to the bank's un- assessed claim only if this claim ranks pari passu or senior to the specific rated debt in all respects and the maturity of the un-assessed claim is not later than the maturity of the rated claim, except where the rated claim is a short term obligation.

   ii. If either the issuer or single issue has been assigned a rating which maps into a risk weight equal to or higher than that which applies to unrated claims, an unrated claim on the same counterparty, is assigned the same risk weight as is applicable to the rated exposure, if this claim ranks pari passu or junior to the rated exposure in all respects.

2.0 PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary):

As per prevailing norms in the Country, credit rating is not required to be done by any external credit rating agency.

3.0 Bank of India (Tanzania) Ltd, and Bank of India (Uganda) Ltd) :

As per prevailing norms in the Country, credit rating is not required to be done by any external credit rating agency. There is no credit rating agency operating/working in the Country.

4.0 Bank of India (New Zealand) Ltd. (Subsidiary):

Credit risk is disclosed through General Disclosure Statement on quarterly basis as per the requirements.

i. Quantitative Disclosures

(Rs in Mn)

For exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach, amount of a bank's outstanding (rated and unrated) in the following three major risk buckets as well as those that are deducted;	
The total credit exposure of BOI (subject to standardized approach), are classified under major risk buckets are as under: -	
Below 100 % risk weight:	72,79,180.00
100 % risk weight:	11,06,530.00
More than 100 % risk weight:	2,63,080.00

Table DF-5 Credit Risk Mitigation

Disclosures For Standardised Approaches

i. Qualitative Disclosures

(a) The general qualitative disclosure requirement with respect to credit risk mitigation including:

➢ Policies and processes for, and an indication of the extent to which the bank makes use of, on- and off-balance sheet netting;

➢ Policies and processes for collateral valuation and management;

➢ A description of the main types of collateral taken by the bank;

➢ The main types of guarantor counterparty and their credit worthiness; and

➢ Information about (market or credit) risk concentrations within the mitigation taken

A. Bank of India:

1. Credit Risk Mitigation is a proactive management tool designed to protect entity's earnings from loss both in good and bad times. Banks employ various methods and techniques to reduce the impact of the credit risks they are exposed to in their daily operations. Such a process is termed as credit risk mitigation and some of the credit risk mitigation techniques are permitted to be used by the

supervisor for reducing the capital charge after adjustment for value, currency mismatch and maturity mismatch. The Credit Risk Mitigants (CRM) recognized under the New Capital Adequacy Framework (Basel II) are as follows:

- ➢ Collateralized transactions
- ➢ On-balance-sheet-netting
- ➢ Guarantees

2. Eligible Financial Collateral:

All collaterals are not recognized as credit risk mitigants under the Standardized Approach. The following are the financial collaterals recognized.

i. Cash and Deposits including deposits in foreign currency.

ii. Gold: benchmarked to 99.99% purity.

iii. Securities issued by Central and State Governments

iv. Kisan Vikas Patra and National Savings Certificates

v. Life insurance policies

vi. Debt securities -Rated subject to conditions.

vii. Debt securities not rated issued by banks subject to conditions

viii. Units of mutual funds subject to conditions

ix. There are certain additional standards for availing capital relief for collateralized transactions, which have direct bearing on the management of collaterals, and these aspects are taken into account during Collateral Management.

3. On-balance-sheet-netting:

On-balance sheet netting is confined to loans/advances (treated as exposure) and deposits (treated as collateral), where Bank has legally enforceable netting arrangements, involving specific lien with proof of documentation and which are managed on a net basis.

4. Guarantees:

Where guarantees are direct, explicit, irrevocable and unconditional, bank takes account of such credit protection in calculating capital requirements. The range of eligible guarantors/ counter guarantors includes:

i. Sovereigns, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank and European Community as well as certain specified MDBs, ECGC and CGTSME), banks and primary dealers with a lower risk weight than the counterparty;

ii. Other entities rated AA or better.

5. The Bank has a well-defined Collateral Management policy, which provides the controlling framework to ensure collateral is used optimally. This is a key component in mitigating the credit risks inherent in lending. The Bank accepts both tangible and intangible securities. Tangible Securities are either in physical form or such other material form like cash margin, Deposits with Banks, Gold or such other precious metals, Shares NSC/KVP/Life Insurance Policies. The intangible securities are –Bank Guarantees / Letters of Credit, book debts, Letter of Comfort, Letter of Negative Lien, Unregistered Charge etc. The common ways for obtaining security for moneys lent are Mortgage, Pledge, Hypothecation and lien The assets created out of the bank’s credit exposure are as a general rule charged to the bank by way of first charge on pari-passu basis.

Guarantees are normally insisted upon whenever available/ permissible. The main type guarantors are:

i. Central/State Government and Central Government sponsored agencies like DICGC, CGTMSE, and ECGC.

ii. Promoters/Major owners of corporates.

iii. Individual Guarantees of relatives in case of individuals

6. The various aspects of Collateral Management are:

Minimum conditions for the acceptance of collateral: For collateral to be valid and enforceable the bank ensures that the assets accepted as collateral are marketable, legally enforceable and can be taken control of if necessary .It is also ensured that the market value of the asset is readily determinable or can be reasonably established and verified. For internal control purposes, the bank has a list of types of assets acceptable as collateral and the maximum loan to value ratio for each of these assets taken as primary security. The bank also takes into account statutory restriction while taking collaterals.

a) Validity of collateral:

i) Enforceability:

Bank ensures that credit documentation supporting the collateral, is legally enforceable in all relevant jurisdictions and empowers the Bank to apply the collateral freely to discharge the borrower's obligations.

ii) Title and ownership:

Bank always verifies the existence and ownership of the assets being received as collateral before acceptance and ensures that there is no prior claim by any other party on the said collateral. Bank secures its control of the collateral prior to the drawdown of credit facilities. Information on collaterals is provided to Top Management periodically to facilitate management of credit risk. Charges on collaterals are promptly registered with the relevant authorities wherever applicable.

b) Loan-to-value ratios:

Bank has specified the maximum loan-to-value ratio (margin) for major types of asset to be accepted as primary security. Such ratios are commensurate with the relative risk of the assets and should be able to provide an adequate buffer against potential losses in realizing the collateral.

c) Valuation:

Bank has a Board approved policy in place for valuation of properties accepted for bank's exposures, where Basis of valuation, Qualification of Valuer and Frequency of revaluation are laid down for compliance across the bank.

d) **Safe Keeping Of Collateral And Control To Their Access:**

Authority and responsibility has been delegated to relevant individuals and departments for approving the acceptance, monitoring or safe custody of collaterals.

e) **Additional / Replacement of Collateral:**

Procedures for requesting additional collateral are clearly documented

f) **Insurance:**

All eligible collaterals except those specially exempted are covered by insurance for relevant risks and detailed guidelines for the same are in place.

g) **Sale of Collateral:**

The Bank has clear and robust procedure for the timely liquidation of collateral.

B. **PT Bank of India Indonesia Tbk:**

PT Bank of India Indonesia Tbk has policy and processes for collateral valuation, based on Bank of Indonesia Regulation and national discretions for mortgage loan. Independent appraisal of the collateral is made if the sanction limit of the loan is above Rs. 2.79 Crores. Liquidation value is calculated based on type of collateral. Collateral value is reviewed every year. The main type of collateral taken is Land & Buildings. Generally personal or third party guarantee is not taken. Sectoral caps in lending are in place to take care of concentrations. The Bank has no major risk concentrations of collaterals or credit risk mitigants.

C. **Bank of India (Tanzania) Ltd and Bank of India (New Zealand) Ltd:**

The collaterals are obtained in the form of Bank's own Term Deposit receipts, Legal Mortgage over Immovable properties, Hypothecation charge over movable assets of the company, Pledge of shares etc.

As per regulatory requirements maximum exposure limits on single borrower/group are as detailed under

Collateral position	limit (as % of core capital)
1) Secured by collateral the value of which is at least	
a) 125% of the credit accommodation secured by it (fully secured)	25
b) Secured by collateral the value of which is less than 125% Of the credit accommodation secured by it (partly secured)	10
c) Unsecured	5

D. **Bank of India (Uganda) Ltd.:**

The collaterals are obtained in the form of Bank's own term deposit receipts, Legal mortgage over immovable properties, Hypothecation charge over movable assets of the company, pledge of shares etc.

As per regulatory requirements maximum exposure limits on single borrower/ group as per detailed under:

Collateral position	limit (as % of core capital)
1) Secured by collateral the value of which is at least	Single borrower exposure limit is 25% of the Capital and can be extended to 50% of core Capital.
a) 125% of the credit accommodation secured by it (fully secured)	
b) Secured by collateral the value of which is less than 125% Of the credit accommodation secured by it (partly secured)	
c) Unsecured	

ii. **Quantitative Disclosures:-**

(Amount in Rs. Mn)

(a) For each separately disclosed credit risk portfolio the total exposure (after, where applicable, on – or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral: after the application of haircuts.	3,94,190.00
(b) For each separately disclosed portfolio the total exposure (after, where applicable, on – or off balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI).	8,16,140.00

Table DF - 6

Securitisation Exposures :- Disclosure for Standarised Approach

i. **Qualitative Disclosures:-**

On consolidated level the Bank has no Securitization Exposure as on 31.03.2022

ii. **Quantitative Disclosures :-**

Not Applicable.

Table DF - 7

Market Risk in Trading Book

i. **Qualitative Disclosures**

a. The general qualitative disclosure requirement for market risk including the portfolios covered by the standardized approach.

A. **Bank of India:**

In Trading book the Bank holds" Held for Trading"(HFT) and "Available for Sale" (AFS) portfolios of investments. The rest of the assets–i.e. Investments under Held to Maturity (HTM) portfolio and advances; are treated as Banking Book. Given below is brief description of the Market Risk Management objectives and policies.

i. **Strategies and Processes:**

Under Market Risk Management; Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Foreign Exchange Risk, and Equity Price risk are monitored. Bank is not currently trading in commodities.

a. **Liquidity Risk:**

Gap analysis is followed for monitoring Liquidity risk on a fortnightly basis. Prudential limit-for percentage of cumulative gap to cumulative outflow-based on Reserve Bank of India guidelines for the short-term buckets up-to 28 days is monitored. Besides, prudential limits are in place for market borrowing– Daily and average call borrowing–Inter Bank Liabilities, Purchased funds etc.

High value bulk deposits are monitored on a weekly basis. Short-term dynamic liquidity statement is prepared on a fortnightly basis to assess the liquidity position, which takes in to account the business growth.

A contingency funding plan is in place to meet the emergencies. The plan is tested on a quarterly basis. Stress Testing is also done on a quarterly basis to assess possible loss to Bank if there is any liquidity crisis and if funds are to be raised from the market to meet the contingencies.

b. **Interest Rate Risk:**

Gap analysis is used to assess the impact on the Net Interest Income of the bank for the next 12 months and till the next financial year. The Bank also uses duration gap analysis. Prudential limits have been fixed for duration of liabilities. Bank's investments portfolio is monitored on basis of duration analysis.

VaR methodology is followed for dated securities under SLR and Non-SLR(Domestic). Prudential limits for VaR have been fixed and daily monitoring is being done and reported to Top Management. Foreign investments in dated securities are normally hedged and the interest rate risk is minimal. VaR limits are also fixed for Foreign Exchange position.

Stress Testing is done to assess the impact on Economic Value of Market Risk positions including Fixed Income, Equity, Forex etc.

c. **Foreign Exchange Risk:**

The Bank has fixed Aggregate Gap Limit in USD as well as in other currencies, Maximum Aggregate daylight and overnight exposure limits for foreign exchange exposure in various currencies. We have also fixed period-wise Individual Currency-wise Gap Limits. Stop loss limits, take profit limit and single deal limits are in place for monitoring the forex operations of the dealers.

Derivative transactions are monitored by fixing prudential limit for net open position and a cap for PV01on the outstanding derivatives.

d. **Equity Price Risk:**

The Bank's domestic investment policy has fixed stop loss limits for equity dealers. Daily Limits to Treasury, Maximum Investment Limit, Holding Period for Equity Portfolio (Trading). Daily reporting is done to Top Management on the transactions.

e. **Structure and Organization of Market Risk Management function:**

Risk Management is a Board driven function supported by three levels-.Risk Management Committee of the Board for overseeing and issuing directions, wherever necessary approving Risk Management Policies etc. Market Risk Management Committee (MRMC) is a basic level committee for discussion on policies, limits, exceeding etc.

Asset Liability Management Committee(ALCO) consider policy issues for Liquidity Risk Management. ALM Cell provides support at the ground level. Asset Liability Management Committees are operational at foreign centers also.

ii. **Scope and nature of risk reporting and/ or measurement systems:**

In respect of domestic business the guide lines stipulated by RBI for managing Market Risk is followed such as–Preparation of Interest Rate Sensitivity statement on a monthly basis–Duration analysis of investments in the Trading book on a daily basis–VaR calculation of trading book investments on a daily basis excepting the equity portfolio–conducting stress test for liquidity risk/market risk on a quarterly basis.–Duration analysis of global balance sheet and impact on the Economic Value of Equity on a monthly basis. Interest Rate sensitivity is reviewed on a monthly basis by ALCO.

Various prudential measures have been put in respect to market borrowing and lending in conformity with RBI guidelines for monitoring liquidity risk. Structural Liquidity statement is prepared on daily basis and Short Term Dynamic Liquidity statement on a fortnightly basis and reported to Top Management / ALCO. Structural liquidity of international operations is being done on a quarterly basis at the corporate level.

The results of the Quarterly study on Stress-Testing and Impact on Economic Value of Equity is reported to ALCO. Trading book position–Duration and VaR is reported daily to Top Management.

iii. **Policies for Hedging and / or Mitigating Risk:**

Detailed policies are operational for Asset Liability Management and Market Risk Management, which deal in detail the various strategies and processes for monitoring Market Risk.

iv. **PT Bank of India IndonesiaTbk (Subsidiary):**

In accordance with Regulation of Bank Indonesia regarding Minimum Capital Adequacy Requirement for Commercial Bank, Bank is not included in the mandatory category for measuring the market risk in the calculation of the value of capital adequacy ratio (CAR). This is due to Bank is a foreign exchange Bank with financial instrument position in the form of securities and/or derivative transaction in the form of a Trading Book with amount below IDR 20 billion (USD 1.7 Million approximately).

B. **Bank of India (Tanzania) Ltd. (Subsidiary), Bank of India (New Zealand) Ltd. (Subsidiary), & Bank of India (Uganda) Ltd.**

a. The general qualitative disclosure requirement for market risk including the portfolios covered by the standardized approach.

i. Market risk: Market risk arises from open positions in interest rate, currency and equity products. The board sets limits and reviews it at regular interval on the risk that

may be accepted. Further the exposure is monitored on daily basis.

ii. Liquidity risk: The bank is exposed to daily calls on its available cash resources from overnight deposits, current accounts, maturing deposits, loans drawn and guarantees, from margin and other calls on cash settlement. The board has set limit based on their experience of the minimum proportion of maturing funds available to meet such calls and on the minimum level of inter-bank and other borrowing facility that should be in place to cover withdrawals at unexpected levels of demand.

iii. Interest rate risk: The bank is exposed to various risks associated with the effect of fluctuation in the prevailing levels of market interest rates on its financial position and cash flow. The bank has the discretion to change the rates on deposits, loans and advances in line with changes in market trend. These measures minimize the bank's exposure to interest rate risk.

iv. Currency risk: The bank is exposed to the risk that the value of a financial instrument will fluctuate due to changes in foreign exchange rate. The bank is involved in foreign currency market only to the extent of buying and selling to the extent of required currency. The bank is not involved in foreign currency forward contracts and thus the risk is limited.

ii. Quantitative Disclosure :-

(In INR Million**)**

The capital requirements for	
Interest rate risk	6,061.50
Foreign exchange risk (including gold)	283.50
Equity risk	3,005.00
# Capital requirement is calculated at Minimum Regulatory Requirement @ 9% of RWA.	

Table DF – 8
Operational Risk

Qualitative Disclosures

In addition to the general qualitative disclosure requirement, the approach(es) for operational risk capital assessment for which the bank qualifies.

A. BANK OF INDIA

The Bank adopts best practices in Risk Management. The Bank assesses and identifies operational risks inherent in all the material products, processes and systems under different Business Lines on an ongoing basis. All new products, activities and systems are being first routed through the New Product Group Committee and then through Committee on Operational Risk Management (CORM) or Credit Risk Management Committee (CRMC), as applicable. All policies related to Risk Management are approved by the Board only after clearance by the Risk Management Committee of the Board (R Com). The Chief Risk Officer implements the directives of R.Com and overseas day-to-day Operational Risk Management functions.

Risk Management function works in close coordination with the committee of Business Operational Risk Managers (BORM) and Operational Risk Management Specialists (ORMS). The committee of BORM and ORMS assists the Operational Risk Management Division in undertaking the Risk and Control Self-Assessments (RCSA), reporting Operational Risk Losses and tracking Key Risk Indicators (KRIs) on a periodical basis.

Risk reporting in the form of Loss Data Analysis is done on half yearly basis to assess the high-risk prone product and business lines and mitigation measures are adopted. Branch levels KRIs and Bank Level KRIs are tracked on a quarterly basis. RCSA exercise is undertaken for all the Bank's products and processes on an annual basis.

Operational Risk Capital Charge is calculated through Basic Indicator Approach. At present, the Bank is in the process of "Moving towards The Standardised Approach (Basel III SA)" for computation of Operational Risk Capital Charge.

B. PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary)

Bank adopts best practices in operational risk management, like segregation of duties, trainings, clear laid down procedures etc.

In managing operational risk, each unit is responsible for the risks in its daily operations by referring to policies and procedures, control and routine supervision. Managing operational risks also include areas related to product development, system, human resources and "know your customer" principles to prevent unavoidable circumstances.

To minimize the operational risk, the bank has increased the control function in the transaction processing which conducted among others by implementing the procedures to ensure timely completion of the transaction, adjustment the accounting method to the applied standards, maintain records in orderly, secure access to the asset and data. Function of the Internal Audit Unit who conducts regular checks to the operational activities is also adding value to the improvement needed. Bank use Basic Indicator Approach in Risk Weighted Assets (ATMR) calculation for Operational Risk.

Bank also has Internal Control unit which has job to ensure all business unit comply to bank procedure and local government regulation as well.

C. Bank of India (Tanzania) Ltd. (Subsidiary), Bank of India (New Zealand) Ltd. (Subsidiary), & Bank of India (Uganda) Ltd.

Operational risk is the risk of direct or indirect loss arising from a variety of causes associated with the bank's processes, personnel, technology and infrastructure, and from external factors other than credit, market, liquidity risks such as those arising from legal and regulatory requirements and generally accepted standards of corporate behavior. Operational risk arises from all the bank's activities.

The bank's objective is to manage the operational risk so as to balance the avoidance of financial losses and damage to the bank's reputation with overall cost effectiveness and to avoid control procedures that restrict initiate and creativity.

The primary responsibility for the development and implementation of controls to address operational risk is assigned to the senior management at each branch level. The responsibility is supported by the development of overall standards for management of operational risks in the following areas:

- ➢ Requirements for appropriate segregation of duties, including the independent authorization of transactions;
- ➢ Requirements for the reconciliation and monitoring of transactions;
- ➢ Compliance with regulatory and other legal requirements;
- ➢ Documentation of controls and procedures;
- ➢ Requirements for the periodic assessment of operational risks faced, and the adequacy of controls and procedures to address the risks identified;
- ➢ Requirements for the reporting of operational losses and proposed remedial action;
- ➢ Development of contingency plans;
- ➢ Training and professional development;
- ➢ Ethical and business standards;
- ➢ Risk mitigation, including insurance where this is effective

Table DF-9

Interest Rate Risk In The Banking Book (IRRBB)

i. Qualitative Disclosures

The general qualitative disclosure requirement, including the nature of IRRBB and key assumptions, including assumptions regarding loan prepayments and behavior of non-maturity deposits, and frequency of IRRBB measurement.

A. Bank Of India

Interest Rate Risk in banking book is calculated generally on a quarterly basis. Banking book includes all advances and investments held in Held to Maturity (HTM) portfolio.

The strategies & processes /structure & organization / scope and nature of risk reporting/ policies etc. are the same as reported under Table DF –7.

The methodology and key assumptions made in the IRRBB measurement are as follows:

- ➢ Based on monthly information from data centre on the residual maturity of the advances and the deposits covering around 100% of bank's business, Interest Rate Sensitivity statement is prepared with various time buckets, having regard to the rate sensitivity as well as residual maturity of different assets and liabilities.
- ➢ The duration for each asset and liability is arrived at taking the midpoint of each time bucket as the maturity date and the average yield as coupon and taking the market rate for discounting purpose. For investments, the actual duration is taken, as data is available with full particulars. In respect of investments, the AFS and HFT portfolios are excluded for this exercise as the focus is on IRR in the Banking Book.
- ➢ Using the above, Modified duration of liabilities and assets for each bucket is calculated and the impact on their value for a change in interest rate by 1% is reckoned By adding up, the net position is arrived at to determine as to whether there will be a positive increase in the value or otherwise.

Assumptions:

i. The interest rate moves uniformly across all time buckets and for all assets.

ii. In respect of demand deposits – savings and current – the same are distributed as per their behavioral analysis as suggested by RBI.

iii. Generally the bank follows RBI guidelines on stress testing while calculating the IRRBB including selection of coupon rate / discount rate / taking midpoint of each time bucket as the maturity date etc.

iv. Re-pricing of Base Rate/BPLR linked advances has been taken in the 3 to 6 months bucket.

v. Re-pricing of MCLR linked advances has been taken as per the MCLR tenor they are linked to.

B. PT Bank of India Indonesia Tbk, Bank of India (Tanzania) Ltd, Bank of India (New Zealand) Ltd and Bank of India Uganda Ltd (Subsidiaries)

The bank is exposed to various risks associated with the effect of fluctuation in the prevailing levels of market interest rates on its financial position and cash flow. The bank has the discretion to change the rates on deposits, loans and advances in line with changes in market trend. These measures minimize the bank's exposure to interest rate risk.

i. Quantitative Disclosures

The increase (decline) in earnings and economic value (or relevant measure used by management) for upward and downward rate shocks according to management's method for measuring IRRBB, broken down by currency (where the turnover is more than 5 per cent of the total turnover.

Interest Rate Risk In Banking Book (BOI Solo)

(Rs in Mn)

	Total	Of which in USD (where turnover is more than 5% of total turnover)
1. Earnings At Risk (NII)		
At 0.50% change for 1 year	0.78%	0.04%
2. Economic Value of Equity at Risk		
200 basis point shock		
Drop in equity value in %age terms	2.49%	4.17%

Table –DF 10

General Disclosure For Exposures Related To Counterparty Credit Risk

i. Qualitative Disclosure

The bank uses derivatives products for hedging its own balance sheet items as well as for trading purposes. The risk management of derivative operation is headed by a senior executive, who reports to top management, independent of the line functions. Trading positions are marked to market on daily basis.

The derivative policy is framed by the Risk Management Department, which includes measurement of credit risk and market risk.

The hedge transactions are undertaken for balance sheet management. Proper system for reporting and monitoring of risks is in place. Policy for hedging and processes for monitoring the same is in place.

Accounting policy for recording hedge and non-hedge transactions are in place, which includes recognition of income, premiums and discounts. Valuation of outstanding contracts, provisioning, collateral and risk mitigation are being done.

Credit equivalent or EAD has been computed in accordance with the Current exposure methodology (CEM). Potential exposure is computed by multiplying Credit conversion factor with Notional principal. Replacement cost is the positive market value. Current exposure is the same as the replacement cost. Credit equivalent or EAD is the sum of potential exposure and current exposure.

Ii. Quantitative Disclosure

a. Gross positive fair value of contracts, netting benefits, netted current credit exposure, collateral held (including type, e.g. cash, government securities, etc.), and net derivatives credit exposure. Also report measures for exposure at default, or exposure amount, under CEM. The notional value of credit derivative hedges, and the distribution of current credit exposure by types of credit exposure.

b. Credit derivative transactions that create exposures to CCR (notional value), segregated between use for the institution's own credit portfolio, as well as in its intermediation activities, including the distribution of the credit derivatives products used, broken down further by protection bought and sold within each product group.

(Rs in Mn)

Counter Party Credit Risk (CCR)	
Notional Principal Amount	5,80,777.31
Potential Exposure	12,572.02
Replacement Cost	4,195.92
Current Exposure	16,767.95
Credit Equivalent or EAD	16,767.95
RWA	4,109.63
Capital Charge	328.77

Item	Notional Amount	Current Credit Exposure	Credit equivalent
Currency Option	0	0	0
Cross CCY Interest Rate Swaps	3302.48	66.05	66.05
Forward rate agreements	55113.64	12316.01	16508.33
Interest rate future	0	0	0
Credit default swaps	0	0	0
Single CCY interest Rate Swaps	22361.19	189.96	193.57
Total	**80777.31**	**12572.02**	**16767.95**

Table DF-11:

Composition of Capital

			31.03.2022 (Rs. in million)	
Sr. No	**Basel III common disclosure template used from 31ST March 2017**	**Eligible Amount**	**Amount subject to pre-Basel III treatment**	**Ref No.**
	Common Equity Tier 1 Capital : Instruments and Reserves)			
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	2,08,525.61		
2	Retained earnings	18,865.18		
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	2,83,961.58		
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)			
	Public sector capital injections grandfathered until January 1, 2018			
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	1294.95		
6	**Common Equity Tier1 capital before regulatory adjustments**	**5,12,647.32**		
7	Prudential valuation adjustments			
8	Goodwill (net of related tax liability)			
9	Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	-		
10	Deferred tax assets	41971.76		
11	Cash-flow hedge reserve			

			31.03.2022	
			(Rs. in million)	
Sr. No	**Basel III common disclosure template used from 31ST March 2017**	**Eligible Amount**	**Amount subject to pre-Basel III treatment**	**Ref No.**
12	Shortfall of provisions to expected losses			
13	Securitisation gain on sale			
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities			
15	Defined-benefit pension fund net assets			
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)			
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	2427.83		
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)			
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)			
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)			
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)			
22	Amount exceeding the 15% threshold			
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities			
24	of which: mortgage servicing rights			
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences			
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)			
26a	*of which:Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries*	*0.00*		
26b	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	0		
26c	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0		
26d	*of which:* Unamortised pension funds expenditures Regulatory Adjustments Applied to Common Equity Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment			
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]			
	For example: filtering out of unrealised losses on AFS debt securities (not relevant in Indian context)			
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]			
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]			
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions			
28	**Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1**	**44,399.59**	0.00	
29	**Common Equity Tier 1 capital (CET1)**	**4,68,247.73**		
	Additional Tier 1 capital: instruments			
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	13520.00		
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	0.00		
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	13520.00		
33	*Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1*	0.00	0.00	
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)			

			31.03.2022 (Rs. in million)	
Sr. No	**Basel III common disclosure template used from 31ST March 2017**	**Eligible Amount**	**Amount subject to pre-Basel III treatment**	**Ref No.**
35	*of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out*			
36	**Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments**	13520.00	0.00	
	Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments			
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments			
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	0.00		
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0.00		
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)10			
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)			
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries			
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank			
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions			
43	**Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital**	**0.00**		
44	**Additional Tier 1 capital (AT1)**	**13520.00**		
44a	**Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy**	**13520.00**		
45	**Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44a)**	**4,81,767.73**		
	Tier 2 capital: instruments and provisions			
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	39000.00	63000.00	

			31.03.2022 (Rs. in million)	
Sr. No	**Basel III common disclosure template used from 31ST March 2017**	**Eligible Amount**	**Amount subject to pre-Basel III treatment**	**Ref No.**
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	0.00		
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)			
49	*of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out*			
50	Provisions	43,412.57		
51	**Tier 2 capital before regulatory adjustments**	**82,412.57**		
	Tier 2 capital: regulatory adjustments			
52	Investments in own Tier 2 instruments			
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	0.00	0.00	
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)			
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00		
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)			
56a	*of which:* Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries			
56b	*of which:* Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank			
	Regulatory Adjustments Applied To Tier 2 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment			
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. existing adjustments which are deducted from Tier 2 at 50%]			

		31.03.2022 (Rs. in million)		
Sr. No	**Basel III common disclosure template used from 31ST March 2017**	**Eligible Amount**	**Amount subject to pre-Basel III treatment**	**Ref No.**
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT			
57	**Total regulatory adjustments to Tier 2 capital**	0.00		
58	**Tier 2 capital (T2)**	**82,412.57**		
58a	Tier 2 capital reckoned for capital adequacy14	82412.57		
58b	**Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital**	**0**		
58c	**Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy (58a+58b)**	82412.57		
59	**Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58c)**	**5,64,180.30**		
	Risk Weighted Assets in respect of Amounts Subject to Pre **Basel III Treatment**			
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]			
	of which: …			
60	**Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)**	31,95,791		
60a	*of which: total credit risk weighted assets*	27,30,931		
60b	*of which: total market risk weighted assets*	1,03,940		
60c	*of which: total operational risk weighted assets*	3,60,920		
	Capital ratios			
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	14.65%		
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	15.08%		
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	17.65%		
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)			
65	*of which: capital conservation buffer requirement*			
66	*of which: bank specific countercyclical buffer requirement*			
67	*of which: G-SIB buffer requirement*			

		31.03.2022 (Rs. in million)		
Sr. No	**Basel III common disclosure template used from 31ST March 2017**	**Eligible Amount**	**Amount subject to pre-Basel III treatment**	**Ref No.**
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)			
	National minimum (if different from Basel III)			
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.375%		
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	8.875%		
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	10.875%		
	Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)			
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities			
73	Significant investments in the common stock of financial entities			
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)			
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)			
	Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2			
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	43412.57		
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach			
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)			
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach			
	Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)			

			31.03.2022	
			(Rs. in million)	
Sr. No	Basel III common disclosure template used from 31ST March 2017	Eligible Amount	Amount subject to pre-Basel III treatment	Ref No.
80	*Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements*			
81	*Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)*			
82	*Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements*	13520.00		
83	*Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)*	0.00		
84	*Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements*	0.00		
85	*Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)*	0.00		

Table DF-12: Composition of Capital-Reconciliation Requirements as on 31.03.2022

Three Step Approach to Reconciliation Requirements Step 1

Step 1

Under Step 1, banks are required to take their balance sheet in their financial statements (numbers reported the middle column below) and report the numbers when the regulatory scope of consolidation is applied (numbers reported in the right hand column below). If there are rows in the regulatory consolidation balance sheet that are not present in the published financial statements, banks are required to give a value of zero in the middle column and furnish the corresponding amount in the column meant for regulatory scope of consolidation. Banks may however, indicate what the exact treatment is for such amount in the balance sheet.

		Balance sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		As on reporting date (Rs. in million)	As on reporting date(Rs. in million)
A	**Capital and Liabilities**		
i	Paid-up Capital	41,043.05	41,043.05
	Reserves & Surplus	5,24,175.46	5,22,948.19
	Minority Interest	1,294.95	1,294.95
	Total Capital	**5,66,513.46**	**5,65,286.19**
ii	Deposits	**62,99,807.51**	**62,99,972.17**
	of which: Deposits from banks	3,74,018.69	3,74,018.69
	of which: Customer deposits	59,25,788.82	59,25,953.47
	of which: Other deposits (pl. specify)	-	-
iii	Borrowings	**2,68,211.16**	**2,68,211.16**
	of which: From RBI	35,190.00	35,190.00
	of which: From banks	521.40	521.40
	of which: From other institutions & agencies	1,52,812.12	1,52,812.12
	of which: Others (pl. specify)	3,167.64	3,167.64
	of which: Capital instruments	76,520.00	76,520.00
iv	Other liabilities & provisions	**2,96,781.19**	**2,54,660.73**
	Total	**74,31,313.31**	**73,88,130.25**
B	**Assets**		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	4,05,303.24	4,04,891.75
	Balance with banks and money at call and short notice	5,11,785.66	5,11,950.31
ii	**Investments:**	**18,02,739.53**	**17,61,573.86**
	of which: Government securities	16,21,444.17	16,02,378.79
	of which : Other approved securities	6,767.22	0.00
	of which: Shares	11,762.59	8,486.76
	of which: Debentures & Bonds	1,05,185.95	1,01,909.80
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	19,549.38	20,299.38
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	38,030.22	28,499.13
iii	**Loans and advances**	**42,30,011.36**	**42,29,962.40**
	of which: Loans and advances to banks	2,30,430.24	2,30,430.24
	of which: Loans and advances to customers	39,99,581.12	39,99,532.17
iv	**Fixed assets**	**98,561.13**	**98,456.13**
v	**Other assets**	**3,82,912.41**	**3,81,295.79**
	of which: Goodwill and intangible assets	-	-
	of which: Deferred tax assets	87,214.35	87,214.35
vi	**Goodwill on consolidation**	-	-
vii	**Debit balance in Profit & Loss account**	-	-
	Total Assets	**74,31,313.31**	**73,88,130.25**

Step 2

Under Step 2 banks are required to expand the regulatory-scope balance sheet (revealed in Step 1) to identify all the elements that are used in the definition of capital disclosure template set out in Table DF-11 (Part I / Part II whichever, applicable). Set out below are some examples of elements that may need to be expanded for a particular banking group. The more complex the balance sheet of the bank, the more items would need to be disclosed. Each element must be given a reference number/letter that can be used in Step 3.

		Balance sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		As on reporting date	As on reporting date
A	**Capital & Liabilities**		
i	Paid-up Capital	41,043.05	41,043.05
	of which: Amount eligible for CET1	41,043.05	41,043.05
	of which: Amount eligible for AT1	-	-
	Reserves & Surplus	5,24,175.46	5,22,948.19
	Minority Interest	1,294.95	1,294.95
	Total Capital	5,66,513.46	5,65,286.19
ii	Deposits	62,99,807.51	62,99,972.17
	of which: Deposits from banks	3,74,018.69	3,74,018.69
	of which: Customer deposits	59,25,788.82	59,25,953.47
	of which: Other deposits (pl. specify)	-	-
iii	Borrowings	2,68,211.16	2,68,211.16
	of which: From RBI	35,190.00	35,190.00
	of which: From banks	521.40	521.40
	of which: From other institutions & agencies	1,52,812.12	1,52,812.12
	of which: Others (pl. specify)	3,167.64	3,167.64
	of which: Capital instruments	76,520.00	76,520.00
iv	*Other liabilities & provisions*	2,96,781.19	2,54,660.73
	of which: DTLs related to goodwill	0.00	0.00
	of which: DTLs related to intangible assets	0.00	0.00
	Total	**74,31,313.31**	**73,88,130.25**
B	**Assets**		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	4,05,303.24	4,04,891.75
	Balance with banks and money at call and short notice	5,11,785.66	5,11,950.31
ii	Investments	18,02,739.53	17,61,573.86
	of which: Government securities	16,21,444.17	16,02,378.79
	of which: Other approved securities	6,767.22	0.00
	of which: Shares	11,762.59	8,486.76
	of which: Debentures & Bonds	1,05,185.95	1,01,909.80
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	19,549.38	20,299.38
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	38,030.22	28,499.13
iii	Loans and advances	42,30,011.36	42,29,962.40
	of which: Loans and advances to banks	2,30,430.24	2,30,430.24
	of which: Loans and advances to customers	39,99,581.12	39,99,532.17
iv	Fixed assets	98,561.13	98,456.13
v	Other assets	3,82,912.41	3,81,295.79
	of which:Goodwill and intangible assets		
	Out of which:		
	Goodwill		
	(Other intangibles (excluding MSRs)		
	Deferred tax assets	87,214.35	87,214.35
vi	Goodwill on consolidation		
vii	Debit balance in Profit & Loss account		
	Total Assets	74,31,313.31	73,88,130.25

Step 3:

Under Step 3 banks are required to complete a column added to the Table DF-11 (Part I / Part II whichever, applicable) disclosure template to show the source of every input.

(i) or example, the definition of capital disclosure template includes the line “goodwill net of related deferred tax liability”. Next to the disclosure of this item in the disclosure template under Table DF-11 (Part I / Part II whichever, applicable), the bank would be required to put ‘a – c’ to show that row 8 of the template has been calculated as the difference between component ‘a’ of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation, illustrated in step 2, and component ‘c’.

	Extract of Basel III common disclosure template (with added column) – Table DF-11 (Part I / Part II whichever, applicable)		
	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		
		Component of regulatory capital reported by bank	**Source based on reference numbers/ letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2**
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	0.00	e
2	Retained earnings	0.00	
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	0.00	
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	0	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00	
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	0.00	
7	Prudential valuation adjustments		
8	Goodwill (net of related tax liability)		a-c

Table DF-13:
Main Features of Regulatory Capital Instruments

1	Issuer	Bank of India	Bank of India	Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE084A01016	INE084A08136	INE084A08144
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws
	Regulatory treatment			
4	Transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1	Additional Tier 1	Additional Tier 1
5	Post-transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1	Additional Tier 1	Additional Tier 1
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group
7	Instrument type	Common Shares	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	41,043.05	7500	6020
9	Par value of instrument (Rs. Mn)	NA	7500	6020
10	Accounting classification	Equity Share Capital	Borrowings	Borrowings

	Issuer	Bank of India	Bank of India	Bank of India
11	Original date of issuance	Various	28/01/2021	30/03/2021
12	Perpetual or dated	Perpetual	Perpetual	Perpetual
13	Original maturity date	NA	Perpetual	Perpetual
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA	Call option Date	Call option Date
16	Subsequent call dates, if applicable	NA	After 28/01/2026	After 30/03/2026
	Coupons / dividends	Dividend	Coupon	Coupon
17	Fixed or floating dividend/ coupon	NA	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	NA	9.04 %	9.30 %
19	Existence of a dividend stopper	NA	Yes	Yes
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	NA	Full Discretion	Full Discretion
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative
23	Convertible or non-convertible	NA	Non-Convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA
30	Write-down feature	NO	Yes	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA	1. Pre specified Trigger level 2. Point of Non Viability (PONV)	1. Pre specified Trigger level 2. Point of Non Viability (PONV)
32	If write-down, full or partial	NA	Full	Full
33	If write-down, permanent or temporary	NA	Permanent	Permanent
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All other depositors and creditors of the Bank	Perpetual Debt instruments	Perpetual Debt instruments
36	Non-compliant transitioned features	No	NA	NA
37	If yes, specify non-compliant features	NA	NA	NA

Table DF-13:
Main Features of Regulatory Capital Instruments

1	**Issuer**	**Bank of India**	**Bank of India**	**Bank of India**
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE084A01016	INE084A08136	INE084A08144
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws
	Regulatory treatment			
4	Transitional Basel III rules	Common EquityTier 1	AdditionalTier 1	AdditionalTier 1
5	Post-transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1	Additional Tier 1	Additional Tier 1
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group
7	Instrument type	Common Shares	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	41,043.05	7500	6020
9	Par value of instrument (Rs. Mn)	NA	7500	6020
10	Accounting classification	Equity Share Capital	Borrowings	Borrowings
11	Original date of issuance	Various	28/01/2021	30/03/2021
12	Perpetual or dated	Perpetual	Perpetual	Perpetual
13	Original maturity date	NA	Perpetual	Perpetual
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA	Call option Date	Call option Date
16	Subsequent call dates, if applicable	NA	After 28/01/2026	After 30/03/2026
	Coupons / dividends	Dividend	Coupon	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	NA	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	NA	9.04 %	9.30 %
19	Existence of a dividend stopper	NA	Yes	Yes
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	NA	Full Discretion	Full Discretion
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative
23	Convertible or non-convertible	NA	Non-Convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA
30	Write-down feature	NO	Yes	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA	1. Pre specified Trigger level 2. Point of Non Viability (PONV)	1. Pre specified Trigger level 2. Point of Non Viability (PONV)
32	If write-down, full or partial	NA	Full	Full
33	If write-down, permanent or temporary	NA	Permanent	Permanent
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All other depositors and creditors of the Bank	Perpetual Debt instruments	Perpetual Debt instruments
36	Non-compliant transitioned features	No	NA	NA
37	If yes, specify non-compliant features	NA	NA	NA

Table DF-13:
Main Features of Regulatory Capital Instruments

1	**Issuer**	**Bank of India**	**Bank of India**	**Bank of India**	**Bank of India**
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE084A08037	INE084A08045	INE084A08060	INE 084A08151
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws
	Regulatory treatment				
4	Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible	Eligible	Eligible	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group
7	Instrument type	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	2,000	1,000	18,000	18,000
9	Par value of instrument (Rs. Mn)	10,000	5,000	30,000	18,000
10	Accounting classification	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings
11	Original date of issuance	25/09/2013	30/09/2013	31/12/2015	30/09/2021
12	Perpetual or dated	Dated	Dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	25/09/2023	30/09/2023	31/12/2025	30/09/2031
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No	No	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA	NA	NA	30/09/2026
16	Subsequent call dates, if applicable	NA	NA	NA	On every anniversary date (i.e. 30th Sept) till redemption, subject to RBI approval
	Coupons / dividends	Coupon	Coupon	Coupon	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.80%	9.80%	8.52%	7.14%
19	Existence of a dividend stopper	Yes	Yes	Yes	Yes
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully Discretionary	Fully Discretionary	Fully Discretionary	Fully Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative	Non-Convertible	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Non-Convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA	NA
30	Write-down feature	Yes	Yes	Yes	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	Decided by RBI	Decided by RBI	Decided by RBI	Decided by RBI
32	If write-down, full or partial	Decided by RBI	Decided by RBI	Decided by RBI	Decided by RBI
33	If write-down, permanent or temporary	Decided by RBI	Decided by RBI	Decided by RBI	Decided by RBI
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All other depositors and creditors of the Bank	All other depositors and creditors of the Bank	All other depositors and creditors of the Bank	All other depositors and creditors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	Compiled	Compiled	Compiled	Compiled
37	If yes, specify non-compliant features	--	--	--	--

Table DF - 14

Full terms and Condition of Regulatory Capital Instrument

➢ Disclosed separately under Regulatory Disclosure Section on our website.

Table DF - 15

Disclosure Requirement for Remuneration

The remuneration of Board of Directors and Top executives are decided by the Government of India. In addition to that there is one performance linked Incentive Scheme for whole time directors. The scheme is formulated on the basis of Statement of Intent (SOI) which is signed by the Government of India.

Table DF -16

Equities Disclosure for Banking Books

(Amount in Rs. Mn)

	Qualitative Disclosure	
1.	The general qualitative disclosure requirement (Para 2.1 of this annex) with respect to equity risk, including:	
	Differentiation between holdings on which capital gains are expected and those taken under other objectives including for relationship and strategic reasons; and	Investments in Equity by Treasury are driven by different motives. All equity investments made in Associates, Subsidiaries, Joint Venture and RRBs are classified in HTM category as such investments are made with a primary intention to hold them till maturity. Apart from these, Treasury also make strategic investments in equities of various companies which are booked in AFS category as such investments are not churned frequently. There are also cases of loan assets converted into equities of the borrower companies which are classified in AFS category. As per RBI guidelines, such investments are kept outside the purview of all prudential limits. Investments in equity made with an objective of capital gains are booked under HFT category and are subject to stop loss limit as prescribed in the Board approved Investment Policy. All equity investments in AFS and HFT are subject to Marking to Market (MTM).
	Discussion of important policies covering the valuation and accounting of equity holdings in the banking book. This includes the accounting techniques and valuation methodologies used, including key assumptions and practices affecting valuation as well as significant changes in these practices.	For valuation and accounting of equity holdings, Treasury is guided by Board approved Investment Policy along with the RBI guidelines as laid down in Master circular- 'Prudential Norms for classification, valuation and operation of investments portfolio by Banks'. In accordance with these guidelines, investments in equity holding in the banking book need not be marked to market and are carried at acquisition cost. Any diminution, other than temporary, in the value of equity investments is provided for. Any loss on sale of investments in HTM category is recognized in the profit and loss account. Any profit on sale of investments under HTM category is recognized first in the profit and loss account and is then appropriated to capital reserve, net of taxes and statutory reserve. Brokerage, commission, securities transaction tax, etc. paid on acquisition of equity investments are included in cost. Treasury maintains trade date accounting policy for recognising equity investments.
	Quantitative Disclosures	
1.	Value disclosed in the balance sheet of investments, as well as the fair value of those investments; for quoted securities, a comparison to publicly quoted share values where the share price is materially different from fair value	
	Book value of investment	18401.44
	Value as per Balance sheet	18149.18
2.	The types and nature of investments, including the amount that can be classified as:	

	• Publicly traded;	
	• Privately held	18149.18
3.	The cumulative realized gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period.	
4.	Total unrealized gains (losses)13	
5.	Total latent revaluation gains (losses)14	
6.	Any amounts of the above included in Tier 1 and/ or Tier 2 capital.	
7.	Capital requirements broken down by appropriate equity groupings, consistent with the bank's methodology, as well as the aggregate amounts and the type of equity investments subject to any supervisory transition or grandfathering provisions regarding regulatory capital requirements	N.A.

Table DF 17

Summary Comparison of Accounting Assets vs. Leverage Ratio Exposure Measure: 31.03.2022 (Consolidated Position)

	Item	(Rs. in Million)
1	Total consolidated assets as per published financial statements	74,31,313.31
2	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	(-)750.00
3	Adjustment for fiduciary assets recognized on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	-
4	Adjustments for derivative financial instruments	16,769.49
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	50,033.50
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off- balance sheet exposures)	4,42,180.99
7	Other adjustments	(-) 93,683.09
8	**Leverage ratio exposure**	**78,45,864.20**

Table DF-18

Leverage Ratio Common Disclosure Template

(Rs. in million)

	Item	Leverage Ratio framework
On-balance sheet exposures		
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	73,81,279.82
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	(-)44,399.59
3	**Total on-balance sheet exposures** (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	**73,36,880.22**
Derivative exposures		
4	Replacement cost associated with all *derivatives* transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	4,195.92
5	Add-on amounts for PFE associated with *all* derivatives transactions	12,573.57
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	
9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	

10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	
11	**Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)**	**16,769.49**
Securities financing transaction exposures		
12	Gross SFT *assets* (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	50,033.50
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	-
14	CCR exposure for SFT assets	-
15	Agent transaction exposures	-
16	**Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)**	**50,033.50**
Other off-balance sheet exposures		
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	11,28,678.03
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	(-)6,86,497.04
19	**Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)**	**4,42,180.99**
Capital and total exposures		
20	**Tier 1 capital**	**4,81,767.73**
21	**Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)**	**78,45,864.20**
Leverage ratio		
22	**Basel III leverage ratio**	**6.14%**

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India

प्रधान कार्यालय : स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई -400 051

Head Office : Star House, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400 051

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की छब्बीसवीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 15 जुलाई, 2022 को दोपहर 12.00 बजे, वीडियो कॉन्फ्रेंस ("वी. सी.") / अन्य ऑडियो विज़ुअल माध्यम (ओएवीएम) से (बैठक का स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय माना जाए), निम्नलिखित कार्य को पूरा करने के लिए आयोजित की जाएगी :

साधारण कारोबार

1. 31 मार्च, 2022 के लिए बैंक के लेखा परीक्षित तुलन-पत्र, दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ व हानि खाते, लेखा द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक के कार्य तथा गतिविधियों के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलनपत्र और लेखे पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना, उन्हें अनुमोदित करना तथा अंगीकृत करना।
2. वर्ष 2021-22 के लिए प्रति इक्विटी शेयर रु 2.00 (20%) के दर से लाभांश की घोषणा करना।

विशेष कारोबार :

3. नई इक्विटी पूंजी जारी करने हेतु अनुमोदन

विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाता है तो, उसे पारित करना :

"**संकल्प पारित** किया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्ज़न एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (योजना) एवं बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2007 तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कुछ हों, और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और/अथवा इस बारे में यथा अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण के अनुमोदनों, सम्मतियों, स्वीकृतियों, यदि कोई हों, के अध्यधीन एवं ऐसी शर्तों, निबंधनों और आशोधनों के अध्यधीन जो ऐसे अनुमोदन की स्वीकृति में उनके द्वारा यथा विहित किए जाएं और जिसके लिए बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की जाए तथा इन विनियमनों यथा सेबी (पूंजी निर्गम तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2018, यथा संशोधित (आईसीडीआर विनियम), सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 यथा संशोधित (जिसे इसके बाद अलग-अलग या संयुक्त रूप से "सेबी विनियमन" कहा जायेगा), विदेशी विनिमय प्रबंधन (गैर ऋण-लिखित) नियम, 2019 तथा आरबीआई, सेबी द्वारा लागू नियमों, विनियमों, निर्धारित दिशानिर्देश, परिपत्र तथा स्पष्टीकरण, यदि कुछ हो तो, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत अधिसूचनाओं/परिपत्रों और स्पष्टीकरणों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 एवं अन्य सभी लागू विधियों और सभी अन्य संगत प्राधिकरणों से समय- समय पर विहित विनियमनों और ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीबद्धता करारों के अनुसरण में जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, बैंक के शेयरधारकों की सहमति है एवं इसके

NOTICE

Notice is hereby given that the Twenty Sixth Annual General Meeting of the Shareholders of Bank of India will be held on Friday, July 15, 2022 at 12.00 noon through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") (the deemed venue of the Meeting will be the Head Office of the Bank) to transact the following:

ORDINARY BUSINESS:

1. To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet as at 31st March 2022, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2022, Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the above period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To declare dividend for the year 2021-22 @ ₹2.00 (20%) per equity share.

SPECIAL BUSINESS:

3. Approval to issue Fresh Equity Capital

To consider and if thought fit, to pass the following resolution as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 and other applicable provisions, if any, and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended (ICDR Regulations), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended (hereinafter separately and collectively called as "SEBI Regulations"), the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019 and in accordance with the applicable rules, regulations, guidelines, circulars and clarifications, if any, prescribed by the RBI, SEBI, Notifications / Circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other competent authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called

द्वारा बैंक के "निदेशक बोर्ड" (इसके पश्चात इसे "बोर्ड" कहा जाएगा जिसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल समझी जाएगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित इसके अधिकारों का प्रयोग करने के लिए गठित हो अथवा इसके पश्चात गठित की गयी हो) को एतद्द्वारा सहमति दी जाती है कि वे भारत में या भारत के बाहर ऑफर दस्तोवज /प्लेसमेंट दस्तावेजों/प्रोस्पोक्टस या ऐसे अन्य दस्तावेज(जों) के माध्यम से एक या अधिक श्रृंखलाओं में (उस समय लागू विधि द्वारा अनुमत ऐसे निर्गम या ऐसे वर्ग के व्यक्तियों को फर्म आबंटन और/या प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर आबंटन हेतु प्रावधान सहित) निम्नलिखित को सृजित, प्रस्तावित, जारी तथा आबंटित करें -

(क) नकद पर प्रत्येक 10/- के अंकित मूल्य के रु. 2500 करोड़ (केवल रुपये दो हजार पाँच सौ करोड़) की राशि तक के नये इक्विटी शेयर, जहां नए चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के साथ वर्तमान चुकता इक्विटी शेयर पूंजी, बैंक के रु. 6000 करोड़ की कुल प्राधिकृत पूंजी या इसमें किसी राशि की बढ़ोतरी के अंतर्गत हो, जो कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ए) के अनुरूप बैंक की प्राधिकृत पूंजी की उच्चतम सीमा है, या अन्य कोई राशि जो भारत सरकार तथा/या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित, परन्तु इस संबंध में यह ध्यान रखा जाय कि केन्द्र सरकार की शेयर धारिता हमेशा बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी के 51% से कम न हो, चाहे वह डिस्काउंट पर हो या बाजार भाव के प्रति प्रीमियम पर;

एक या अधिक श्रृंखलाओं में इस विशेष संकल्प के पारित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि हेतु यह एक या अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (एनआरआई), कंपनियों, निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थाओं, सोसायटी, ट्रस्ट, शोध संस्थाओं, क्वालिफाइड इस्टिट्यूशनल बायर्स (क्यू.आई.बी) जैसे विदेशी संस्थागत निवेशक (एफ.आई.आई.), बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्यूचुअल फंडों, वेंचर कैपिटल फंडों, विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन फंडों, विकास वित्तीय संस्थाओं या अन्य निकायों, प्राधिकरणों या किसी अन्य वर्ग के निवेशकों जो वर्तमान विनियमों/दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक की इक्विटी/अधिमानी शेयर/प्रतिभूतियों में निवेश के पात्र हैं, उन सब के लिए या इनके किसी संयोजन (कॉम्बिनेशन) के लिए है तथा बैंक द्वारा यथा उचित समझा जाए, उन्हें दिया जा सकता है।

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि प्रतिभूतियों का ऐसा निर्गम (इश्यू), प्रस्ताव या आबंटन अर्हित संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी), सार्वजनिक निर्गम (इश्यू), साधिकार निर्गम (इश्यू), प्राइवेट नियोजन या निर्गम (इश्यू) की ऐसी अन्य विधि के माध्यम से किया जाएगा जो कि अधिक आबंटन विकल्प के साथ या उसके बिना लागू नियमों द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है और यह कि प्रतिभूतियों के ऐसे प्रस्ताव, निर्गम(इश्यू), नियोजन एवं आबंटन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, सेबी (पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018 ("आईसीडीआर विनियम") के प्रावधानों तथा आरबीआई, सेबी एवं अन्य कोई प्राधिकरण, जैसा लागू हो, द्वारा जारी किए गए अन्य सभी दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं और उस समय या उन समयों पर एवं ऐसे विधि से एवं ऐसे नियम एवं शर्तों पर जिसे बोर्ड अपने पूर्ण विवेक के अनुसार, उसे उचित समझता है।"

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयर्स स्टॉक एक्सचेंजों के साथ वहां सूचीबद्ध किए जाएंगे जहां बैंक के इक्विटी शेयर्स सूचीबद्ध हैं।"

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त निर्गम/निर्गमों के संबंध में, बोर्ड को आईसीडीआर विनियम के संबंधित प्रावधानों के अनुसार, इस तरीके से और जहां कहीं आवश्यक हो, अग्रणी प्रबंधकों और/या हामीदारों और/या अन्य सलाहकारों के परामर्श से निर्धारित ऐसे मूल्य या उस मूल्य से नीचे के मूल्यों को नियत करने का पूर्ण प्राधिकार होगा और/या ऐसे नियम एवं शर्तें जिसे बोर्ड आईसीडीआर विनियम, अन्य विनियमों एवं कोई एक तथा लागू अन्य सभी कानूनों, नियमों, विनियमों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार अपने पूर्ण विवेकाधिकार से निर्धारित कर सकता है और/या चाहे

"the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot in one or more tranches (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of offer document (s) / placement document /prospectus or such other document (s), in India or abroad

(a) Fresh equity shares of the face value of Rs.10 each for cash at such premium upto an amount of Rs. 2,500 Crore (Rs. Two Thousand Five Hundred Crore only), where the fresh Paid up Equity Share capital together with the existing Paid-up Equity share capital within the total authorized capital of Rs.6,000 crore of the bank, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, or any amount prescribed by the Government of India and / or the Reserve Bank of India in such a way that the Central Govt. shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price;

during the period of one year from the date of passing of this Special Resolution in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank".

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment of Securities shall be by way of qualified institutions placement (QIP), public issue, rights issue, private placement, preferential issue or such other mode of issue as may be provided by applicable laws, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment of securities be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("ICDR Regulations") and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

"RESOLVED FURTHER THAT the Equity Shares to be issued shall be listed with the stock exchanges where the existing equity shares of the Bank are listed."

"RESOLVED FURTHER THAT in respect of the aforesaid issue/s, the Board shall have the absolute authority to decide, such price or prices not below the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations, in such manner and wherever necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors, and/or such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, and/or whether or

वह/वे प्रस्तावित निवेशक, बैंक के वर्तमान हितधारक हों अथवा नहीं।"

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अनुसार अर्हित संस्थागत नियोजन के मामले में,

क) आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI में दिए गए आशय के अनुसार, प्रतिभूतियों का आबंटन केवल अर्हित संस्थागत क्रेताओं को ही किया जाएगा, ऐसी प्रतिभूतियों को पूरी तरह से चुकता किया जाएगा और ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प की तिथि से 365 दिन अथवा ऐसा अन्य कोई समय जिसकी समय-समय पर जारी आईसीडीआर विनियमों के अंतर्गत अनुमति प्रदान की गई हो, के भीतर पूर्ण किया जाएगा।"

ख) आईसीडीआर विनियम के विनियमन 176(1) के अनुसार, बैंक शेयरों पर न्यूनतम मूल्य (फ्लोर प्राइस) के पाँच प्रतिशत तक की छूट प्रदान करने के लिए प्राधिकृत हैं।

ग) प्रतिभूतियों के न्यूनतम मूल्य (फ्लोर प्राइस) के निर्धारण की उपयुक्त तिथि आईसीडीआर विनियम के अनुसार होगी।""

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को यह प्राधिकार और शक्ति होगी कि वह प्रस्ताव में किसी ऐसे आशोधन को स्वीकार करे जो भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड/ऐसे स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर्स सूचीबद्ध हैं, अथवा जहां जारी की जाने वाली कर्ज प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध किया जाना प्रस्तावित है या ऐसे अन्य उपयुक्त प्राधिकरणों द्वारा निर्गम (इश्यू), आबंटन और उनकी सूचीबद्धता के लिए उनके अनुमोदन, सम्मतियां, अनुमतियां और स्वीकृतियां प्रदान करते/देते समय पर अपेक्षित अथवा अधिरोपित हों और जैसी बोर्ड द्वारा सहमति दी जाए।"

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि एनआरआई, एफपीआई और/या अन्य पात्र विदेशी निवेशों को उपर्युक्त प्रतिभूतियों का निर्गम (इश्यू) एवं आबंटन, यदि कोई हो, लागू विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत आरबीआई के अनुमोदन के अध्यधीन होगा, जैसा लागू हो, किन्तु अधिनियम के अंतर्गत एवं अन्य विनियामकों द्वारा यथा निर्धारित संपूर्ण सीमाओं के भीतर ही होगा।'"

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि जारी किए जाने वाले उक्त नए इक्विटी शेयर्स, बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2007 यथा संशोधित के अध्यधीन होंगे और ऐसी घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयर्स के साथ, लाभांश सहित, यदि कोई हो, के साथ-साथ सभी मामलों में समरूप होंगे।"

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड इस बात के लिए प्राधिकृत हो और उसे एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह किसी भी अग्रणी प्रबंधक(प्रबंधकों), बैंकर(बैंकरों), हामीदार(हामीदारों), निक्षेपागार(निक्षेपागारों) के साथ सभी ऐसी व्यवस्थाएं निष्पादित करे तथा उसमें शामिल हो। उसे इस बात के लिए भी प्राधिकृत किया जाता है कि वह ऐसी सभी एजेंसियां जो उक्त प्रतिभूतियों की ऑफरिंग में शामिल या संबद्ध हैं, उन सभी ऐसी संस्थाओं तथा एजेंसियों को कमीशन, ब्रोकरेज, शुल्क या इनके जैसे माध्यम से पारिश्रमिक दे तथा ऐसी एजेंसियों के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाओं, समझौतों, ज्ञापनों, दस्तावेजों इत्यादि में शामिल हो एवं निष्पादित करे।"

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त को लागू करने के लिए बोर्ड प्राधिकृत हो और उसे इसके लिए प्राधिकृत किया जाता है कि वह अग्रणी प्रबंधकों, हामीदारों, सलाहकारों तथा/या बैंक द्वारा नियुक्त किए गए अन्य व्यक्तियों के परामर्श से निर्गम(इश्यू) के प्रारूप एवं शर्तों को निर्धारित करे जिसमें निवेशकों की श्रेणी भी शामिल है जिनके लिए उपर्युक्त प्रतिभूतियों को आबंटित किया जाना है, प्रत्येक भाग में आबंटित करने की उनकी संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य, इश्यू संबंधी प्रीमियम राशि/प्रतिभूतियों का रूपान्तरण/एक्सर्साइज ऑफ वारंटस/प्रतिभूतियों का मोचन, ब्याज दर, मोचन अवधि, इक्विटी/प्रिफरेंश शेयरों की संख्या या रूपान्तरित अन्य प्रतिभूतियों या प्रतिभूतियों का मोचन या निस्तारीकरण, प्रतिभूतियों के इश्यू/रूपांतरण पर मूल्य, प्रीमियम या छूट, ब्याज दर, रूपान्तरण अवधि, अभिलेख तिथि या बही बंदी का निर्धारण और

not the proposed investor(s) are existing shareholders of the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutions Placement pursuant to Chapter VI of the ICDR Regulations:

a) the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 365 days from the date of this resolution, or such other time as may be permitted under the ICDR Regulations from time to time."

b) the Bank is pursuant to Regulation 176 (1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price in case of QIP Issue.

c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of aforesaid Securities, if any, to NRIs, FPIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act and by other regulators, as applicable"

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 as amended and shall rank in all respects pari-passu with the existing equity shares of the Bank including dividend, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository (ies) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of aforesaid Securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and / or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the aforesaid Securities are to be allotted, their number to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/ number of equity shares, the price, premium or discount on issue, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or

उससे संबंधित या आकस्मिक मामले, भारत और/या विदेश में एक या एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध और/या जैसा बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से सही पाता है, शामिल हैं।"

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त ऐसी सभी प्रतिभूतियां जिन पर सहमति नहीं दी गयी है, उन्हें बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेकाधिकार से इस प्रकार से बेचा जा सकता है जैसे बोर्ड उसे सही समझता है और जिसकी अनुमति कानून देता है।"

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड प्राधिकृत हो और उसे इसके लिए प्राधिकृत किया जाता है कि वह ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करे जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित एवं वांछनीय हों और वह ऐसे किसी प्रश्न, कठिनाई अथवा संदेह का निपटान करे जो शेयरों/प्रतिभूतियों को जारी करने के बारे में उत्पन्न हो सकते हैं और वह सभी दस्तावेजों और तहरीरों को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करें जो आवश्यक, वांछनीय अथवा समीचीन हों जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में उपयुक्त, उचित और वांछनीय समझे जाएं और यह भी कि इसके लिए शेयरधारकों की कोई और सम्मति अथवा अनुमोदन लेना अपेक्षित नहीं है और यह अभिप्राय है कि शेयरधारकों की ओर से यह माना जाएगा कि उन्होंने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा, अभिव्यक्त रूप से उसको अपना अनुमोदन दिया हुआ है।"

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड इस बात के लिए प्राधिकृत हो और उसे एतद्द्वारा प्राधिकार दिया जाता है कि वह उपर्युक्त संकल्प को लागू करने के लिए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एंड सीईओ) अथवा कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक निदेशकों) को, इसमें प्रदत्त सभी अधिकारों अथवा किन्हीं अधिकारों को प्रत्यायोजित कर दे।"

नोट्स :-

1. कोविड-19 महामारी के जारी रहने के आलोक में, कॉरपोरेट मामले मंत्रालय ("एमसीए") ने समय समय पर जारी विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से, जिसमें नवीनतम सामान्य परिपत्र संख्या 2/2022 दिनांक 5 मई 2022 (समेकित रूप से "एमसीए परिपत्र") द्वारा 31 दिसंबर 2022 तक वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/ अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमों (ओएवीएम) से वार्षिक आम बैठक का आयोजन करने की अनुमति दी है। एमसीए परिपत्रों के अनुरूप, बैंक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से अपनी 26वीं एजीएम आयोजित कर रहा है। बैंक ने वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने के लिए एजीएम और अटेंडेंट एनेबलर्स के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्रदान करने के लिए सीडीएसएल को नियुक्त किया है।

2. लागू प्रावधानों के अनुसरण में, वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होने और मत देने के लिए हकदार सदस्य स्वयं के बदले किसी परोक्षी को बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए पात्र हैं। परोक्षी को बैंक का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। कॉरपोरेट मामले मंत्रालय के परिपत्रकों के अनुसार चूंकि यह वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है अत: सदस्यों की भौतिक उपस्थिति को रद्द कर दिया गया है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा परोक्षी को नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए, परोक्षी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची को इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं किया गया है।

3. संस्थागत/कॉरपोरेट शेयरधारकों (अर्थात् वैयक्तिक/एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) के लिए यह आवश्यक होगा कि वे अपने बोर्ड या शासकीय निकाय का संकल्प/उसके द्वारा प्राधिकृत करने संबंधी स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी फॉर्मेट) प्रेषित करें, जिसमें उसकी ओर से उसके प्रतिनिधि को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्राधिकृत किया गया हो। उक्त प्राधिकार देने/संकल्प को ई-मेल द्वारा headoffice.share@bankofindia.co.in पर बैंक के कम्पनी सचिव को भेजा जाएगा और उसकी एक प्रति स्क्रूटिनाइजर को ई-मेल द्वारा scrutinizer@snaco.net पर तथा एक प्रति helpdesk.evoting@cdslindia.com पर भी भेजी जाएगी।

more stock exchanges in India and / or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit."

"RESOLVED FURTHER THAT such of the aforesaid Securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue, of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO) or to the Executive Director/(s) to give effect to the aforesaid Resolutions."

Notes:

1. In view of the continuing Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide various Circulars issued from time to time, latest being General Circular No. 2/2022 dated 05th May 2022 (collectively referred to as "MCA Circulars") has permitted companies who are proposing to organise the AGMs in 2022 for the Financial Year ended 31.03.2022 to hold Annual General Meeting through Video Conferencing (VC) or other audio visual means (OAVM) till 31st December, 2022. In line with the MCA Circulars, the Bank is conducting its 26th AGM through VC / OAVM. The Bank has appointed CDSL to provide Video Conferencing facility for the AGM and the attendant enablers for conducting the AGM through VC/ OAVM.

2. Pursuant to the applicable provisions, a Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and the proxy need not be a Member of the Bank. Since this AGM is being held pursuant to the MCA Circulars, through VC / OAVM, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Members will not be available for the AGM and hence the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to this Notice.

3. Institutional / Corporate Shareholders (i.e. other than individuals / HUF, NRI, etc.) are required to send a scanned copy (PDF/JPG Format) of its Board or governing body Resolution/Authorization etc., authorizing its representative to attend the AGM through VC / OAVM on its behalf and to vote through remote e-voting. The said Resolution/Authorization shall be sent to the Company Secretary of the Bank by email to headoffice.share@bankofindia.co.in with a copy marked to the Scrutinizer by email to scrutinizer@snaco.net with a copy also marked to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

4. Pursuant to Regulation 12 of the Bank of India (Shares

4. बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं मीटिंग), विनियमन के विनियम 12 तथा सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के लागू विनियम के अनुसार, शेयरधारकों के रजिस्टर को शनिवार, 09 जुलाई, 2022 से शुक्रवार, 15 जुलाई, 2022 तक (दोनों दिन शामिल) एजीएम हेतु बंद किया जाएगा।

5. सेबी सूचीकरण विनियम यथा संशोधित विनियम 40 के अनुसार, यदि प्रतिभूतियों के प्रेषण या प्रतिस्थापना हेतु अनुरोध प्राप्त होता है तो सूचीबद्ध कम्पनियों की प्रतिभूतियाँ 1 अप्रैल, 2019 से केवल डीमैट रूप में ही अंतरित की जा सकती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए तथा भौतिक शेयर से जुड़े सभी जोखिमों का उन्मूलन करते हुए तथा पोर्टफोलियों प्रबंधन को सरल बनाने के लिए भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने शेयरों को डीमैट रूप में बदलने पर विचार करें। सदस्य इस संबंध में किसी भी सहायता हेतु बैंक या बैंक के रजिस्ट्रारों, अंतरण एजेंटों एवं बिगशेयर सर्विसिज प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क कर सकते हैं। सदस्य बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.co.in पर प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्नों का भी संदर्भ ले सकते हैं।

6. "ग्रीन इनिशिएटिव" का समर्थन करने के लिए, ऐसे सदस्य, जिन्होंने अभी तक अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है और यदि वे शेयरों के भौतिक धारक हैं तो उनसे अनुरोध है कि वे अपना ई-मेल डीपी में पंजीकृत करें।

7. यदि सदस्य इलेक्ट्रॉनिक शेयरों के धारक हैं तो उनसे अनुरोध है कि वे अपना नाम, डाक का पता, ई-मेल का पता, टेलीफोन/मोबाइल नम्बर, स्थायी खाता संख्या (पैन), अधिदेश, नामांकन, पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी, बैंक का विवरण जैसे बैंक का नाम एवं शाखा का विवरण, बैंक की खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएसई कोड आदि में कोई भी बदलाव हो तो अपने डीपी में तथा यदि वे भौतिक शेयरों के धारक हैं तो बैंक के आरटीए में सूचित करें।

8. संयुक्त शेयरधारक होने पर, जिनका नाम, बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर के अनुसार नामों के क्रम में प्रथम शेयरधारक के रूप में दर्ज़ है, वे वार्षिक आम बैठक में मतदान करने के हकदार होंगे।

9. जो शेयरधारक खाते या वार्षिक आम बैठक में रखे जाने वाले किसी भी मामले के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे 08 जुलाई, 2022 को या उससे पहले बैंक को headoffice.share@bankofindia.co.in पर तत्संबंधी ई-मेल भेजें। एजीएम में बैंक द्वारा उसका यथोचित उत्तर दिया जाएगा।

10. सदस्यों से अनुरोध है कि वे नोट करें कि ऐसे लाभांश जिनका बैंक के अदत्त लाभांश खाते में ट्रांसफर की तारीख से लगातार 7 वर्ष की अवधि तक नकदीकरण नहीं कराया गया है, वे इन्वेस्टर एजुकेशन एवं प्रोटेक्शन फंड ("आईईपीएफ") में अंतरित किए जा सकते हैं। ऐसे लाभांश जिनका दावा नहीं किया गया है, से संबंधित शेयरों को भी आईईपीएफ प्राधिकारी के डीमैट खाते में अंतरित किया जाना बाध्य है। इसे ध्यान में रखते हुए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे निर्धारित समयावधि के भीतर कम्पनी से अपने लाभांश का दावा करें। ऐसे सदस्य, जिनके दावा न किए गए लाभांश/शेयर आईईपीएफ को अंतरित कर दिये गए हैं, वे इसके दावे के लिए www.iepf.gov.in पर उपलब्ध वेब फॉर्म सं. आईईपीएफ-5 में आईईपीएलएफ प्राधिकारी को ऑनलाइन आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए, कृपया इस वार्षिक रिपोर्ट का अंश, कॉरपोरेट प्रशासन रिपोर्ट तथा बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.co.in पर निवेशक पृष्ठ के प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्नों का संदर्भ लें।

11. उपर्युक्त एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्र दिनांक 13 मई, 2022 के अनुपालन में, वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के साथ वार्षिक आम बैठक का नोटिस उन शेयरधारकों को केवल इलैक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा ही भेजा जा रहा है जिनके

and Meetings) Regulations and applicable Regulation of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Register of Shareholders will be closed from Saturday, July 09, 2022 till Friday, July 15, 2022 (both days inclusive) for AGM.

5. As per Regulation 40 of SEBI Listing Regulations, as amended, securities of listing companies can be transferred only in dematerialized form with effect from April 1, 2019 in case of request received for transmission or transposition of securities. In view of this and to eliminate all risks associated with physical shares and for ease of portfolio management, members holding shares in physical form are requested to consider converting their holdings to dematerialized form. Members can contact the Bank or Bank's Registrars and Transfer Agents, Bigshare Services Pvt. Ltd., for assistance in this regard. Members may also refer to Frequently Asked Questions ("FAQs") on Bank's website www.bankofindia.co.in.

6. To support the `Green Initiative', Members who have not yet registered their email addresses are requested to register the same with Bank's RTA in case the shares are held by them in physical form.

7. Members are requested to intimate changes, if any, pertaining to their name, postal address, email address, telephone/mobile numbers, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, power of attorney, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code, etc., to their DPs in case the shares are held by them in electronic form and to Bank"s RTA in case the shares are held by them in physical form.

8. In case of joint holders, the shareholders whose name appears as their first holder in order of names as per the Register of shareholders of the Bank will be entitled to vote at the AGM.

9. Shareholders seeking any information with regard to the accounts or any matter to be placed at the AGM, are requested to write to the Bank on or before July 08, 2022 through email on headoffice.share@bankofindia.co.in. The same will be replied by the Bank suitably at the AGM.

10. Members are requested to note that, dividends if not encashed for a consecutive period of 7 years from the date of transfer to Unpaid Dividend Account of the Bank, are liable to be transferred to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF"). The shares in respect to such unclaimed dividends are also liable to be transferred to the demat account of the IEPF Authority. In view of this, Members are requested to claim their dividends from the Company, within the stipulated timeline. The Members, whose unclaimed dividends/shares have been transferred to IEPF, may claim the same by making an online application to the IEPF Authority in web Form No. IEPF-5 available on www.iepf.gov.in. For details, please refer to Corporate Governance Report which is a part of this Annual Report and FAQ of investor page on Bank's website http:www.bankofindia.co.in.

11. In compliance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular dated May 13, 2022, Notice of the AGM along with the Annual Report 2021-22 is being sent only through electronic mode to those Shareholders whose

ई-मेल पते बैंक/डिपॉजिटरीज़ में पंजीकृत हैं। शेयरधारक नोट करें कि नोटिस तथा वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.co.in, स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड एवं नैशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट क्रमश: www.bseindia.com और www.nseindia.com पर और सीडीएसएल की वेबसाइट https.www.cdslindia.com पर भी उपलब्ध रहेगी।

12. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने वाले सदस्यों को कोरम की गणना के लिए गिना जाएगा।

13. चूंकि एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, अत: इस नोटिस में मार्ग का मानचित्र संलग्न नहीं है।

14. ई-वोटिंग

बैंक को प्रसन्नता है कि वह नोटिस में उल्लिखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने के लिए बैंक के शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। बैंक उन शेयरधारकों के लिए एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराएगा जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया के दौरान मतदान नहीं किया था। बैंक ने मेसर्स एस.एन.अनंतसुब्रमणियन एवं कंपनी, पेशेवर कंपनी सचिव को ई-वोटिंग प्रक्रिया को न्यायोचित और पारदर्शी ढंग से पूरा करने के लिए स्क्रूटिनाइज़र के रूप में नियुक्त किया है। शेयरधारकों/स्वामित्व हितधारकों का ई-वोटिंग अधिकार उनके द्वारा यथा शुक्रवार, 08 जुलाई, 2022 को धारित इक्विटी शेयरों पर माना जाएगा जो इस हेतु कट-ऑफ तारीख है। कट-ऑफ तारीख पर भौतिक अथवा डीमैट रूप में बैंक का शेयर रखने वाले शेयरधारक अपना वोट इलेक्ट्रानिक रूप से डाल सकते हैं।

15. ई-वोटिंग अनुदेश

एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग एवं ई-वोटिंग हेतु सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम

1. जैसा कि आपको ज्ञात है, कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न हुई परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, कम्पनियों की आम बैठकें कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के परिपत्र दिनांक 5 मई, 2020 के माध्यम से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोजित की जाएंगी तथा इसके आगे का स्पष्टीकरण सामान्य परिपत्र सं. 2/6/2020-ण्ध-ङ दिनांक 05 मई 2022 के माध्यम से दिया गया है। अत: आगामी एजीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विज़ुअल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा आयोजित की जाएगी। अतएव, सदस्य आगामी एजीएम में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं तथा सहभागिता कर सकते हैं।

2. कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 तथा सेबी के विनियम 44 (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन 2015 (यथा संशोधित) तथा उपर्युक्त उल्लिखित एमसीए परिपत्रों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी एजीएम में किए जाने वाले कारोबार के संबंध में अपने सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रही है। इसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा हेतु कम्पनी ने प्राधिकृत ई-वोटिंग एजेंसी के रूप में सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ करार किया है। एजीएम की तारीख को किसी सदस्य द्वारा ई-वोटिंग प्रणाली या रिमोट ई-वोटिंग का प्रयोग कर मतदान करने की सुविधा सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

3. सदस्य, नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके बैठक आरंभ

email addresses are registered with the Bank/Depositories. Shareholders may note that the Notice and Annual Report 2021-22 will also be available on the Bank's website www.bankofindia.co.in websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, on the website of CDSL https:www.cdslindia.com.

12. Members attending the AGM through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum.

13. Since the AGM will be held through VC / OAVM, the Route Map is not annexed in this Notice.

14. E-VOTING

The Bank is pleased to provide remote e-voting facility to the shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice The Bank will also provide e-voting facility during the AGM for those shareholders who have not casted their votes during the remote e-voting process. The Bank has appointed M/s. S N ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Practising Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. The E-voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on Friday, July 08, 2022 being the cut-off date for the purpose. Shareholders of the Bank holding share either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off date, may cast their vote electronically.

15. E-VOTING INSTRUCTIONS

CDSL e-Voting System – For Remote e-voting and e-voting during AGM

1. As you are aware, in view of the continuing COVID-19 global pandemic, the general meetings of the companies may be conducted as per the guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) circular dated May 5, 2020 and further clarification vide General circular No. 2/6/2020-CL-V dated 05h May 2022. The forthcoming AGM will thus be held through video conferencing (VC) or other audio visual means (OAVM). Hence, Members can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM.

2. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended), and above mentioned MCA Circulars, the Company is providing facility of remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, the Company has entered into an agreement with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized e-Voting's agency. The facility of casting votes by a member using remote e-voting as well as the e-voting system on the date of the AGM will be provided by CDSL.

3. The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility

होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले तथा 15 मिनट बाद तक वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में भाग ले सकते हैं। वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में भाग लेने की सुविधा पहले आने वाले कम से कम 1000 सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% या उससे अधिक शेयरधारिता वाले), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, मुख्य प्रबंधन कार्मिक, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन एवं प्रारिश्रमिक समिति तथा शेयरधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं हैं क्योंकि इन्हें पहले आने की बाध्यता के बिना ही एजीएम में उपस्थित होने की अनुमति है।

4. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2007 के अंतर्गत कोरम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गिना जाएगा।

5. एमसीए परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020 के अनुसार, सदस्यों के लिए इस एजीएम में भाग लेने तथा मतदान करने के लिए परोक्षी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यद्यपि, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 तथा धारा 113 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या निगमित निकाय के प्रतिनिधि वीसी/ओएवीएम द्वारा इस एजीएम में भाग ले सकते हैं तथा ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर सकते हैं।

6. कॉरपोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) के परिपत्र सं.17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के अनुरूप एजीएम आयोजित करने संबंधी नोटिस को बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.co.in पर अपलोड कर दिया गया है। उक्त नोटिस को स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.nseindia.com से भी प्राप्त किया जा सकता है। यह एजीएम नोटिस सीडीएसएल (एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा तथा ई-वोटिंग प्रणाली उपलब्ध कराने वाली एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् www.evotingindia.com पर भी प्रसारित किया गया है।

शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग हेतु अनुदेश निम्नलिखित हैं :

(i) मतदान की अवधि 11 जुलाई, 2022, सोमवार प्रात: 09.00 बजे से आरम्भ होगी तथा 14 जुलाई, 2022 गुरुवार सायं 5.00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, जो शेयरधारक भौतिक रूप में कम्पनी के शेयरों को धारण करते है, वे 08 जुलाई, 2022, शुक्रवार की कट-ऑफ दिनांक (रिकॉर्ड दिनांक) को इलैक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकते हैं। इसके बाद सीडीएसएल द्वारा मतदान हेतु ई-वोटिंग मॉड्यूल को बंद कर दिया जाएगा।

(ii) जिन शेयरधारकों ने बैठक की तारीख से पहले ही मतदान कर दिया है वे बैठक स्थल पर मतदान हेतु हकदार नहीं होंगे।

(iii) सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के परिपत्र सेबी/एचओ /सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के संबंध में, एकल शेयरधारकों जिनके पास डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ

of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available to at least 1000 members on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis.

4. The attendance of the Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under Bank's (Shares and Meeting) Regulations, 2007.

5. Pursuant to MCA Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the members is not available for this AGM. However, in pursuance of Section 112 and Section 113 of the Companies Act, 2013, representatives of the members such as the President of India or the Governor of a State or body corporate can attend the AGM through VC/OAVM and cast their votes through e-voting.

6. In line with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, the Notice calling the AGM has been uploaded on the website of the Bank at www.bankofindia.co.in. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The AGM Notice is also disseminated on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility and e-voting system during the AGM) i.e. www.evotingindia.com.

THE INTRUCTIONS FOR SHAREHOLDRES FOR REMOTE E-VOTING ARE AS UNDER:

(i) The voting period begins on 09.00 a.m. on Monday, July 11, 2022 and ends on 5.00 p.m. on Thursday, July 14, 2022. During this period shareholders' of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (record date) of Friday, July 08, 2022 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

(ii) Shareholders who have already voted prior to the meeting date would not be entitled to vote at the meeting venue.

(iii) In terms of SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update

हैं उन्हें अपने डीमैट खाता जो डिपॉजटरीज एंड डिपॉजटरी पार्टीसिपेंट्स में है, के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि ई-वोटिंग सुविधा का लाभ लेने के लिए वे अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी अद्यतन करें।

उक्त सेबी परिपत्र के अनुसार, डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले एकल शेयरधारकों हेतु ई-वोटिंग एवं वर्चुअल बैठक से जुडने के लिए लॉग-इन प्रकिया निम्नलिखित है :

शेयरधारकों का प्रकार	लॉग-इन प्रकिया
सीडीएसएल में डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले एकल शेयरधारक	1) प्रयोगकर्ता, जिन्होंने सीडीएसएल Easi / Easiest facility का चयन किया है, अपनी मौजूदा यूजर आईडी एवं पासवर्ड से लॉग-इन कर सकते हैं। बिना किसी अधिप्रमाणन के ई-वोटिंग पेज तक पहुँचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। प्रयोगकर्ताओं का Easi / Easiest में लॉग-इन करने हेतु यूआरएल है https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login अथवा www.cdslindia.com पर जाएं और लॉग-इन आइकॉन पर क्लिक करें तथा New System Myeasi का चयन करें। 2) सफलतापूर्वक लॉग-इन करने के बाद Easi / Easiest प्रयोगकर्ता कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, पात्र कम्पनियों जहाँ ई-वोटिंग चल रही है, हेतु ई-वोटिंग का विकल्प देख पाएंगें। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, प्रयोगकर्ता बैठक के दौरान वर्चुअल बैठक से जुडने एवं मतदान करने या रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने हेतु ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के ई-वोटिंग पेज को देख पाने में सक्षम होंगे। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं अर्थात CDSL/NSDL/KARVY/LINKINTIME के सिस्टम के एक्सेस के लिए भी लिंक उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे कि प्रयोगकर्ता ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर सीधे जा सके। 3) यदि प्रयोगकर्ता का Easi/Easiest हेतु पंजीकरण नहीं है, तो https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर पंजीकरण का विकल्प उपलब्ध है। 4) इसके अलावा, यूज़र www.cdslindia.com पर उपलब्ध एक ई-वोटिंग लिंक से डीमैट खाता संख्या तथा पैन नम्बर उपलब्ध करा कर भी ई-वोटिंग पेज पर सीधे एक्सेस कर सकते हैं। सिस्टम डीमैट खाते में रिकॉर्ड किए गए पंजीकृत मोबाइल नंबर तथा ई-मेल पर ओटीपी भेजकर यूज़र को अधिप्रमाणित करेगा। सफल अधिप्रमाणन के बाद, यूज़र ई-वोटिंग विकल्प देख सकेगा, जहां ई-वोटिंग की प्रक्रिया चल रही होगी तथा साथ ही सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम में सीधे एक्सेस भी कर सकेगा।

their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Pursuant to above said SEBI Circular, Login method for e-Voting and joining virtual meetings for Individual shareholders holding securities in Demat mode is given below:

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	1) Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The URL for users to login to Easi / Easiest are https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or visit www.cdslindia.com and click on Login icon and select New System Myeasi. 2) After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by company. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers i.e. CDSL/NSDL/KARVY/LINKINTIME, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly. 3) If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration 4) Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.

एनएसडीएल में डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले एकल शेयरधारक	1. यदि आप पहले से ही एनएसडीएल आईडीईएएस सुविधा के लिए पंजीकृत हैं, तो कृपया एनएसडीएल की ई-सर्विस वेबसाइट पर जाएं। किसी निजी कम्प्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल: https://eservices.nsdl.com टाइप कर वेबब्राऊज़र खोलें। ई-सर्विसेज का होम पेज लॉन्च होने पर, "लॉगइन" के अंतर्गत "Beneficial Owner" पर क्लिक करें जो 'IDeAs' खंड के अंतर्गत उपलब्ध हैं। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना होगा। सफलतापूर्वक अधिप्रमाणन के बाद, आप ई-वोटिंग सर्विसेज देख सकेंगे। ई-वोटिंग सर्विसेज के अंतर्गत "एक्सेस टू ई-वोटिंग" पर क्लिक कर आप ई-वोटिंग पेज देख सकेंगे। कम्पनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें तथा आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने या मीटिंग के दौरान वोट देने के लिए दुबारा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। 2. यदि यूज़र IDeAS ई-सर्विसेज हेतु पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण हेतु विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। "Register Online for IDeAS Portal" का चयन करें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.isp पर क्लिक करें। 3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएँ। किसी निजी कम्प्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल httpd://www.evoting.nsdl.com टाइप कर वेबब्राअज़र खोलें। ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च हो जाने के बाद, 'शेयराहोल्डर्स/मेम्बर्स" खंड में उपलब्ध 'लॉगइन" आइकन पर क्लिक करें। एक नई स्क्रीन खुलेगी। अपनी यूज़र आईडी (एनएसडीएल में आपकी 16 अंकों की डीमैट खाता संख्या), पासवर्ड/ओटीपी तथा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा सत्यापन कोड डालें। सफलतापूर्वक अधिप्रमाणन के बाद, आप एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पहुँचेंगे, जहाँ आपको ई-वोटिंग पेज दिखाई देगा। कम्पनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें तथा आप रिमोट ई-वोटिंग के दौरान मतदान करने या वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने तथा मीटिंग के दौरान वोट देने के लिए दोबारा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पंहुच जाएंगे।
एकल शेयरधारक (डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले) अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल में पंजीकृत निक्षेपागार के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगइन क्रेडेंशल का प्रयोग कर भी लॉगइन कर सकते हैं। सफलतापूर्वक लॉगइन करने के बाद, आप ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने के बाद, सफलतापूर्वक अधिप्रमाणन के बाद दुबारा एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर पहुंचेंगे, जहाँ आप ई-वोटिंग फीचर देख सकेंगे। कम्पनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक कर आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट देने या वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने या मीटिंग के दौरान वोट देने के लिए दुबारा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पहुंचेंगे।

महत्वपूर्ण नोट : जो सदस्य यूज़र आईडी/पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उन्हें सूचित किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्प फॉरगॉट यूज़र आईडी तथा फॉरगॉट पासवर्ड का प्रयोग करें।

Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	1) If you are already registered for NSDL IDeAS facility, please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 2) If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select "Register Online for IDeAS "Portal or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp 3) Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their Depository Participants	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. After Successful login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forgot User ID and Forgot Password option available at above mentioned website.

डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले शेयरधारकों हेतु डिपॉजिटरी अर्थात् सीडीएसएल तथा एनएसडीएल के माध्यम से लॉगइन करने संबंधी किसी भी तकनीकी मामले के लिए हेल्पडेस्क

लॉगइन का प्रकार	हेल्पडेक्स का विवरण
सीडीएसएल में डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले एकल शेयरधारक	जिन सदस्यों के लॉगइन करने में किसी तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है वे helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध प्रेषित कर सीडीएसएल हेल्पडेस्क पर सम्पर्क कर सकते हैं या 022-23058738 तथा 022-23058542-43 पर सम्पर्क करें।
एनएसडीएल में डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले एकल शेयरधारक	जिन सदस्यों को लॉगइन करने में कोई समस्या हो रही है, वे evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध प्रेषित कर एनएसडीएल हेल्पडेस्क पर सम्पर्क कर सकते हैं या टॉल फ्री नम्बर : 1800 1020 990 तथा 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं।

(iv) डीमैट स्वरूप में शेयरधारण करने वाले शेयरधारकों तथा भौतिक स्वरूप में शेयरधारण करने वाले शेयरधारकों से भिन्न शेयरधारकों के लिए वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने या ई-वोटिंग हेतु लॉगइन की विधि।

1) शेयरधारक ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करें।

2) 'शेयरहोल्डर्स" मॉड्यूल पर क्लिक करें।

3) अब अपने यूज़र आईडी की प्रविष्टि करें।

(ए) सीडीएसएल के लिए: 16 डिजिट की बेनिफिशिएरी आईडी

(बी) एनएसडीएल के लिए: 8 कैरेक्टर का डीपीआईडी और उसके बाद 8 डिजिट का क्लायंट आईडी

(सी) जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रूप में शेयर हों उन्हें कंपनी में पंजीकृत फोलियो नंबर की प्रविष्टि करनी होगी।

4) डिस्प्ले किए गए वेरिफिकेशन इमेज की प्रविष्टि करें और लॉगिन पर क्लिक करें।

5) यदि आपके पास डीमैट स्वरूप में शेयर हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन किया है और किसी कंपनी पर पहले ई-वोट किया है, तब आप अपने वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग करें।

6) यदि आप पहली बार प्रयोग कर रहे हैं तो निम्नलिखित का पालन करें:-

	डीमैट रूप में शेयरधारक सदस्यों के लिए व्यक्तिगत और भौतिक रूप के अलावा
पीएएन (PAN)	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक *पीएएन की प्रविष्टि करें (डीमैट एवं भौतिक स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए लागू) • जिन सदस्यों ने कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी में अपना पीएएन अपडेट न किया हो उनसे अनुरोध है कि कंपनी /आरटीए द्वारा भेजी गई क्रमसंख्या का प्रयोग करें या कम्पनी/आरटीए से संपर्क करें।
लाभांश बैंक विवरण या जन्मतिथि (DOB)	लॉगइन करने के लिए आपके डीमैट खाते या कंपनी के रिकॉर्ड में उल्लिखितानुसार लाभांश बैंक विवरण या जन्मतिथि (dd/mm/yyyy प्रारूप में) प्रविष्ट करें। • यदि डिपॉजिटरी या कंपनी में ये दोनों ब्यौरे रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं तो, कृपया अनुदेशों (v) में उल्लिखितानुसार लाभांश बैंक ब्यौरों के फील्ड़ में मेम्बर आईडी/फोलियो नंबर का उल्लेख करें।

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.comor contact at 022- 23058738 and 22-23058542-43.
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30

(iv) Login method for e-Voting and joining virtual meeting for shareholders other than individual shareholders holding in Demat form & physical shareholders.

1) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.

2) Click on "Shareholders" module.

3) Now enter your User ID

a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,

b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,

c. Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Company.

4) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.

5) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.

6) If you are a first-time user follow the steps given below:

	For Shareholders holding shares in Demat Form other than individual and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) • Shareholders who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the sequence number sent by Company/RTA or contact Company/RTA.
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the company records in order to login. • If both the details are not recorded with the depository or company, please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (v).

(v) इन ब्यौरों की उचित प्रविष्टि के पश्चात `SUBMIT' पर क्लिक करें।

(vi) जिन शेयरधारकों के पास भौतिक स्वरूप में शेयर हों वे सीधे company selection स्क्रीन पर पहुंचेंगे। तथापि, डीमैट स्वरूप में शेयर रखने वाले सदस्य अब password creation मेन्यू में पहुंचेंगे, जहां उन्हें न्यू पासवर्ड फील्ड में अनिवार्य रूप से अपना लॉग इन पासवर्ड डालना होगा। कृपया नोट करें कि डीमैट धारकों को किसी अन्य कंपनी के संकल्प हेतु वोटिंग करने के लिए भी इसी पासवर्ड का प्रयोग करना होगा बशर्ते वह कंपनी सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प चुने। विशेष रूप से यह सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी और को न बताएं और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखें।

(vii) जिन सदस्यों के पास भौतिक स्वरूप में शेयर हों, उन ब्यौरे का उपयोग केवल इस नोटिस में दिए गए संकल्प पर ई-नोटिंग हेतु किया जा सकता है।

(viii) कृपया संगत कंपनी नाम के ईवीएसएन पर क्लिक करें जिसे आप वोट करना चाहते हैं।

(ix) वोटिंग पृष्ठ पर, आप "RESOLUTION DESCRIPTION" देखेंगे तथा वोटिंग के लिए पुन: वही "YES/NO" विकल्प आएगा। आपकी इच्छानुसार YES या NO विकल्प चुने। YES विकल्प के प्रयोग से आप संकल्प को सहमति प्रकट करते है तथा NO विकल्प के प्रयोग से संकल्प के लिए असहमति प्रकट होती है।

(x) आप "RESOLUTION FILE LINK" पर क्लिक करते ही संकल्प की पूरा विवरण देख सकते है।

(xi) आप जिस संकल्प पर वोट करना चाहते हैं उसका चयन करने के बाद, "SUBMIT" पर क्लिक करें। एक कन्फर्मेशन बॉक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहें तो "OK" क्लिक करें अन्यथा आप वोट बदलने के लिए "CANCEL" पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट बदलें।

(xii) संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि करने के बाद आपको अपना वोट बदलने की अनुमति नहीं होगी।

(xiii) वोटिंग पेज पर `click here to print' विकल्प पर क्लिक कर आप अपने द्वारा की गई वोटिंग का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।

(xiv) यदि डीमैट खाताधारक पासवर्ड भूल गया हो तो यूजर आईडी और इमेज वेरीफिकेशन कोड की प्रविष्टि करें तथा `Forget Password' पर क्लिक करें और सिस्टम जो ब्यौरे मांगे उनकी प्रविष्टि करें।

(xv) गैर-एकल शेयरधारकों और अभिरक्षकों हेतु सुविधा - रिमोट वोटिंग

- गैर एकल शेयर धारक (अर्थात एकल व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि से भिन्न) और अभिरक्षकों को www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करना होगा और "Corporates" के मॉड्यूल में पंजीकृत करना होगा।
- संस्था का स्टाम्प और हस्ताक्षर सहित पंजीकरण फार्म की स्कैन की हुई प्रति helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई मेल की जानी चाहिए।
- लॉग इन ब्योरा प्राप्त करने के पश्चात एडमिन लॉगइन और पासवर्ड का प्रयोग करके एक अनुपालन यूजर सृजित करना होगा। अनुपालन यूज़र उन खातों को लिंक कर सकेगा जिसके लिए वे वोट करना चाहते हैं।
- लॉगइन खाते की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल की जाए और खातों के अनुमोदित होने पर वे अपना वोट दे सकेंगे।

(v) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

(vi) Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is also to be used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(vii) For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.

(viii) Click on the EVSN for the relevant <Company Name> on which you choose to vote.

(ix) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

(x) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

(xi) After selecting the resolution, you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

(xii) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xiii) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.

(xiv) If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

(xv) Facility for Non – Individual Shareholders and Custodians –Remote Voting

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves in the "Corporates" module.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.

- अभिरक्षक के पक्ष में जारी बोर्ड संकल्प और पॉवर ऑफ अटर्नी (पीओए) की स्कैन प्रति, यदि कोई हो, पीडीएफ फॉर्मेट में सिस्टम में अपलोड की जानी चाहिए ताकि स्क्रूटिनाइजर इसकी जांच कर सके।
- गैर-एकल शेयरधारकों को विकल्पत: संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरी, जो मतदान के लिए प्राधिकृत है, के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर सहित स्क्रूटिनाज़र तथा बैंक को ई-मेल पता अर्थात् headoffice.share@Bankofindia.co.inपर भेजना अपेक्षित होता है, यदि उन्होंने व्यक्तिगत टैब से मतदान किया है तथा उसे सत्यापन हेतु स्क्रूटिनाज़र के लिए सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम में अपलोड नहीं किया है।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले और बैठक के दौरान ई-वोटिंग करने वाले शेयरधारकों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:

1. एजीएम के दिन बैठक में भाग लेने और ई-वोटिंग की प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग हेतु ऊपर उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार ही हैं।
2. रिमोट ई-वोटिंग हेतु ऊपर दिए गए अनुदेशों के अनुसार सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, जहाँ कम्पनी का ईवीएसएन दर्शाया जाएगा, वहीं वीसी/ओएवीएम हेतु बैठक में भाग लेने के लिए लिंक उपलब्ध करवाया जाएगा।
3. जिन शेयरधारकों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है वे ईजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे। तथापि, वे एजीएम/ईजीएम में मतदान हेतु पात्र नहीं होंगे।
4. शेयरधारकों से विशेष अनुरोध है कि वे बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप/आईपैड के माध्यम से बैठक में भाग लें।
5. इसके अतिरिक्त, शेयरधारकों को कैमरा का उपयोग करने और बैठक के दौरान किसी भी बाधा से बचने के लिए अच्छी गति का इंटरनेट प्रयोग करने की आवश्यकता होगी।
6. कृपया नोट करें कि मोबाइल हॉटस्पॉट से जोड़कर लैपटॉप या टेबलेट या मोबाइल डिवाइस के माध्यम से भाग लेने वाले प्रतिभागी अपने संबंधित नेटवर्क की अस्थिरता के कारण ऑडियो/वीडियो में बाधा का अनुभव कर सकते हैं। अत: उपर्युक्त किसी भी प्रकार की त्रुटियाँ कम से कम हों इसके लिए हम स्थिर वाईफाई या एलएएन (लैन) कनेक्शन का प्रयोग करने की सलाह देते हैं।
7. ऐसे शेयरधारक जो बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने के इच्छुक हों, वे बैठक से कम से कम 7 दिन पहले अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो नम्बर, ई-मेल आईडी, मोबाइल नम्बर को (कंपनी की ई-मेल आईडी पर) प्रेषित कर स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं। जो शेयरधारक एजीएम में बोलने के इच्छुक नहीं हैं, परन्तु प्रश्न पूछना चाहते हैं तो बैठक से कम से कम 7 दिन पहले अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो नम्बर, ई-मेल आईडी, मोबाइल नम्बर का उल्लेख करते हुए headoffice.share@bankofindia.co.in. अपने प्रश्न भेज सकते हैं। कम्पनी द्वारा ई-मेल के माध्यम से इन प्रश्नों का यथोचित रूप से उत्तर दिया जाएगा।
8. जिन शेयरधारकों ने स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है केवल उन्हें ही बैठक के दौरान विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।
9. जो शेयरधारक वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित थे तथा रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्प पर मतदान नहीं किया है और ऐसा करने से उन्हें किसी अन्य प्रकार से रोका नहीं गया है, वे ही एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के पात्र होंगे।

- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- Alternatively Non Individual shareholders are required to send the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory who are authorized to vote, to the Scrutinizer and to the Company at the email address viz; headoffice.share@bankofindia.co.in, if they have voted from individual tab & not uploaded same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify the same.

INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS ATTENDING THE AGM THROUGH VC/OAVM & E-VOTING DURING MEETING ARE AS UNDER:

1. The procedure for attending meeting & e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for Remote e-voting.
2. The link for VC/OAVM to attend meeting will be available where the EVSN of Company will be displayed after successful login as per the instructions mentioned above for Remote e-voting.
3. Shareholders who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the meeting. However, they will not be eligible to vote at the AGM/EGM.
4. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops / IPads for better experience.
5. Further shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
6. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
7. Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request in advance at least seven days prior to meeting mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at headoffice.share@bankofindia.co.in. The shareholders who do not wish to speak during the AGM but have queries may send their queries in advance seven days prior to meeting mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at headoffice.share@bankofindia.co.in. These queries will be replied to by the Bank suitably by email.
8. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.
9. Only those shareholders, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the AGM.

10. यदि शेयरधारकों द्वारा एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से कोई मतदान किए गए हैं तथा यदि उन्हीं शेयरधारकों ने वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैठक में भाग नहीं लिया है, तो ऐसे शेयरधारकों द्वारा किए गए मतदन को अवैध माना जाएगा क्योंकि बैठक के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा केवल बैठक में उपस्थित शेयरधारकों के लिए ही उपलब्ध है।

ऐसे शेयरधारकों हेतु प्रक्रिया जिनके ई-मेल पते/मोबाईल नंबर कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है:

1. भौतिकरूप से शेयर धारण करनेवाले शेयरधारकों हेतु - कृपया आवश्यक ब्यौरे, जैसे फोलियो सं., शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र (आगे एवं पीछे) की स्कैन की गई प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्कैन की गई स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्कैन की गई स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति) को Headoffice.share@bankofindia.co.in पर ई-मेल या http://www.bigshareonline.com/InvestorRegistrantion.aspx. लिंक पर क्लिक कर के आरटीए को प्रेषित करें।

2. डीमैट शेयरधारकों हेतु - कृपया संबंधित सहभागी डिपॉजिटरी(डीपी) में अपना ई-मेल पता और मोबाईल नंबर अद्यतन करवाएँ।

3. एकल डीमैट शेयरधारकों हेतु- कृपया संबंधित सहभागी डिपॉजिटरी(डीपी) में अपना ई-मेल पता और मोबाईल नंबर अद्यतन करवाएँ, यह ई-वोटिंग करने और डिपॉजिटरी के माध्यम से वर्चुअल बैठक में भाग लेने के लिए अनिवार्य है।

- एजीएम में भाग लेने और सीडीएसएल ई वोटिंग सिस्टम से ई-वोटिंग के संबंध में यदि कोई प्रश्न या समस्या है तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई मेल भेज सकते हैं या 022-23058738 या 022-23058542/43 पर संपर्क कर सकते हैं।

  इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान सुविधा से संबंधित सभी शिकायतें श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक (सीडीएसएल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउन्ड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - 400013 को संबोधित की जा सकती हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल प्रेषित करें या 022-23058542/43 पर कॉल करें।

अन्य अनुदेश

1. स्क्रूटिनाइजर, एजीएम में मतदान के परिणाम के तुरन्त बाद, पक्ष या विपक्ष में किए गए कुल मतदान, यदि कोई है, की समेकित स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट बनाएगा तथा उसे अध्यक्ष या उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा जो उस पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा।

2. स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम तुरंत कम्पनी की वेबसाइट www.bankofindia.co.in तथा सीडीएसएल की वेबसाइट https:www.evotingindia.com पर रखे जाएंगे। कम्पनी उसी समय परिणामों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया तथा बीएसई लिमिटेड, जहाँ कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, को प्रेषित करेगी।

शेयरधारकों द्वारा पैन, केवाईसी, बैंक विवरण और नामांकन प्रस्तुत करना

सेबी ने रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट(आरटीए) द्वारा निवेशक की सेवा के अनुरोध को प्रॉसेस करने हेतु आम और सरलीकृत मानदंडों एवं पैन केवाईसी बैंक ब्योरें प्रस्तुत करने एवं नामांकन, बिना वैध पैन, केवाईसी के फोलियों फ्रीज़ करने; भौतिक रूप से शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों द्वारा आधार एवं पैन को अनिवार्य रूप से लिंक करने एवं अन्य बातों के लिए परिपत्र

10. If any Votes are cast by the shareholders through the e-voting available during the AGM and if the same shareholders have not participated in the meeting through VC/OAVM facility, then the votes cast by such shareholders shall be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the shareholders attending the meeting.

PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL/MOBILE NO. ARE NOT REGISTERED WITH THE COMPANY/DEPOSITORIES.

1. For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to Headoffice.share@bankofindia.co.in or to RTA by clicking the link at https://www.bigshareonline.com/InvestorRegistration.aspx.

2. For Demat shareholders -, Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP)

3. For Individual Demat shareholders – Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-Voting & joining virtual meetings through Depository.

   If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 and 022-23058542/43.

   All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.

Other Instructions

1. The Scrutinizer shall, immediately after the conclusion of voting at the AGM, make a consolidated Scrutinizer's Report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorised by him in writing, who shall countersign the same.

2. The result declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website www.bankofindia.co.in and on the website of CDSL https: www.evotingindia.com immediately. The Company shall simultaneously forward the results to National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited, where the shares of the Company are listed.

FURNISHING OF PAN, KYC, BANK DETAILS AND NOMINATION BY SHAREHOLDERS

SEBI has issued Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 dated 3rd November 2021 and Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/687 dated 14th December 2021 for Common and Simplified Norms for processing investor's service request by Registrar and Transfer Agents (RTAs) and

सं.सेबी/एचओ/एमआईआरएसडीञआरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2021/655 दिनांक 3 नवंबर 2021 और परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडीञ आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2021/687 दिनांक 14 दिसंबर 2021 जारी किया है.

बैंक ने बैंक की भौतिक प्रतिभूतियाँ रखने वाले सभी शेयरधारकों को एक व्यक्तिगत पत्र भेजा है, जिसमें उनसे अपने फोलियो फ्रीज़ होने से बचने के लिए पैन, केवाईसी, बैंक विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। केवाईसी और नामांकन के लिए निर्धारित प्रारूप एवं पत्र की नमूना प्रति बैंक की वेबसाइट पर https://www.bankofindia.co.in/Formats_for_holders के तहत उपलब्ध है।

पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन के बिना फोलियो को फ्रीज करना

फोलियो जिसमें उपर्युक्त दस्तावेजों में से कोई एक/ विवरण 1 अप्रैल 2023 को या उसके बाद उपलब्ध नहीं हैं, को उक्त सेबी परिपत्रों के संदर्भ में बैंक के आरटीए बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड / बैंक ऑफ इंडिया द्वारा फ्रीज कर दिया जाएगा। फ्रीज़ किए हुए फोलियो को बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 और / या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत प्रशासन प्राधिकरण को भेजा जाएगा, यदि वे 31 दिसंबर 2025 तक लगातार फ्रीज़ रहते हैं।

व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 3

बैंक में वर्तमान सार्वजनिक शेयरधारिता 18.59ङ है और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 और सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के अनुसार न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए बैंक को इसे 25% या उससे अधिक तक बढ़ाना होगा। इसलिए, बैंक सार्वजनिक शेयरधारिता को 25% या उससे अधिक तक बढ़ाने के लिए नई इक्विटी पूंजी जारी करने का प्रस्ताव करता है

भारत में बासेल III पूँजीगत आवश्यकताओं के कार्यनिष्पादन संबंधी दिशानिर्देश 1 अप्रैल, 2013 से स्तरीय तरीके से प्रभावी हो गया है। उक्त दिशानिर्देश 01 अक्टूबर, 2022 को पूर्ण रूप से चरणबद्ध हो जाएंगे। 31 मार्च, 2022 को बैंक का समग्र पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) 14.02% की सीईटी -1 पूँजी के साथ 17.04% रहा (विनियामकीय अपेक्षा 11.50% है)। जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) की वृद्धि की धारणा और लाभ के पुन: निवेश के आधार पर बैंक का वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अतिरिक्त पूँजी जुटाने की योजना है ताकि सीईटी 1 पूंजी के पर्याप्त बफर को बनाए रखने की दृष्टि से परिसंपत्तियों में प्रत्याशित वृद्धि का मिलान किया जा सके। बैंक पिछले कई सालों से बहुत कर्मठतापूर्वक और सावधानी से आगे बढ़ रहा है और इसके लिए बैंक को लगातार पूंजी की आवश्यकता है। इस बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए और सार्वजनिक शेयरधारिता को 25% या उससे अधिक तक बढ़ाने के लिए बैंक, अद्यतन तारीख तक यथासंशोधित सेबी (पूंजी इश्यू एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन 2018 एवं इस संबंध में सेबी/आरबीआई के अन्य लागू विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुरूप अर्हता प्राप्त संस्थागत (क्यूआईपी)/पब्लिक इश्यू राइट इश्यू, फॉलों ऑन पब्लिक ऑफर (एफपीओ)/इक्विटी शेयरों का प्राइवेट प्लेसमेंट/इक्विटी शेयर को अधिमानी

norms for furnishing PAN, KYC, Bank details and Nomination, freezing of folios without valid PAN, KYC details; compulsory linking of PAN and Aadhar by Shareholders holding shares in physical forms, among others.

Bank has sent an individual letter to all shareholders holding physical securities of the Bank requesting them to furnish PAN, KYC, Bank details and Nomination to avoid freezing of their folios. Specimen copy of letter and prescribed formats for KYC and Nomination is available on Bank's website at https://www.bankofindia.co.in/Formats_for_holders.

Freezing of folios without PAN, KYC details and Nomination

Folios wherein any one of the above mentioned documents / details are not available on or after 1st April 2023, shall be frozen by Bank's RTA Bigshare Services Pvt. Ltd., / Bank of India in terms of the said SEBI Circulars. The frozen folios will be referred to the administering authority under the Benami Transactions (Pohibitions) Act, 1988 and / or Prevention of Money Laundering Act, 2002, if they continue to remain frozen as on 31st December 2025.

EXPLANATORY STATEMENT

Item No. 3

The present public shareholding in the Bank is 18.59% and the Bank has to increase this to 25% or above in order to comply with the minimum public shareholding requirements as per the Security Contracts (Regulation) Rules, 1957 and SEBI (LODR) Regulations, 2015. Hence, Bank proposes to issue fresh equity capital to increase the public shareholding to 25% or above.

The Guidelines on implementation of Basel III capital requirements in India have become effective from 1st April 2013 in a phased manner. The guidelines will be fully phased in as on 1st October 2022. The Bank's overall Capital Adequacy Ratio (CAR), as on 31st March 2022 stood at 17.04% (regulatory requirement 11.50%) with CET-1 Capital being 14.02%. Based on the assumption of growth in Risk Weighted Assets (RWA) and plough back of profits, the Bank plans to raise additional Capital during FY 2022-23 to match the anticipated growth in assets with a view to maintain sufficient buffer of CET 1 capital. The Bank has been growing very diligently and cautiously for the last many years and there is constant requirement of capital. In order to meet this growing requirement and also to increase the public shareholding to 25% or above the Bank proposes to raise capital by way of Qualified Institutions Placement (QIP) /public issue, rights issue, Follow on public offer (FPO)/ private placement / preferential issue of equity shares or such other modes of issue, in accordance with Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2018 and as amended up to date and other applicable Regulations / Guidelines of SEBI/RBI in this regard.

जारी करना या ऐसे किसी अन्य इश्यू के माध्यम से निजी संस्थान द्वारा पूंजी जुटाना प्रस्तावित करता है।

वर्तमान संकल्प भी प्रस्तावित है ताकि बैंक का निदेशक मंडल इक्विटी शेयर को उचित समय, मोड, प्रीमियम और अन्य नियमों पर जारी कर सकें।

विशेष संकल्प के अनुरुप इक्विटि शेयर का प्रस्तावित इश्यू सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार होगा।

आपके निदेशक इस सूचना की मद संख्या 3 में उल्लिखित विशेष संकल्प की सिफारिश करते है।

बैंक का कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक तथा उनके संबंधी पूर्वोक्त संकल्प के संबंध में बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा, यदि कुछ हो तो, उसे छोड़कर और कुछ रुचि या हित नहीं रखते है।

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान : मुबंई,

दिनांक : 18 जून, 2022

(अतनु कुमार दास)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

The proposed resolution is also proposed in order to enable the Board of Directors of the Bank to issue the equity shares at an appropriate time, mode, premium and other terms.

The proposed issuance of Equity Shares in terms of the Special Resolution will be in conformity with the provisions of all applicable laws.

Your Directors recommend, the Special Resolution as set out in Item 3 of the Notice.

None of the Directors of the Bank, Key Managerial Personnel and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

By Order of the Board of Directors,

Place: Mumbai

Date: June 18, 2022

A.K. Das

Managing Director & CEO

हरित पहल - शेयरधारकों से अपील

ई-मेल के माध्यम से नोटिस / वार्षिक रिपोर्ट और अन्य संसूचनाएं प्राप्त करने के लिए

डीमैट खातों में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे : अपने डीमैट खाते के लिए एक ईमेल आईडी पंजीकृत करें।

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे : इस संसूचना के छिद्रित भाग को भरकर और हस्ताक्षर करके अपनी सहमति हमारे रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को उनके निम्न पते पर भेजें :

बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड.
यूनिट : बैंक ऑफ़ इंडिया,
ऑफिस नं.एस6-2, 6ठी मंजिल, पिनैकल बिज़नस पार्क,
अहूरा सेन्टर के पास, महाकाली केव्स रोड,
अंधेरी पूर्व, मुंबई 400093.
ई मेल आईडी: investor@bigshareonline.com
टोल फ्री नंबर: 1800 309 4001

GREEN INITIATIVE - APPEAL TO SHAREHOLDERS

TO GET NOTICES / ANNUAL REPORTS & OTHER COMMUNICATION THROUGH E-MAIL

Shareholders holding Shares in Demat Accounts are requested to: Register an email ID to their Demat A/c.

Shareholders holding Shares in Physical form are requested to:

Send their consent by filling up and signing the perforated portion of this communication to our Registrar & Share Transfer Agent at their address given hereunder:

Bigshare Services Pvt. Ltd.
Unit : Bank of India,
Office No.S6-2, 6” Floor, Pinnacle Businesss Park,
Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road,
Andheri East, Mumbai 400093.
E-mail ID: investor@bigshareonline.com
Toll Free No: 1800 309 4001

बैंक ऑफ इंडिया की हरित पहल

दिनांक :

बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड.
यूनिट : बैंक ऑफ़ इंडिया,
ऑफिस नं.एस6-2, 6वीं मंजिल, पिनैकल बिज़नस पार्क,
अहूरा सेन्टर के पास, महाकाली केव्स रोड, अंधेरी पूर्व, मुंबई 400093.
ई मेल आईडी: investor@bigshareonline.com

महोदय

मैं/हम ________________ भौतिक रूप में बैंक ऑफ इंडिया के ________________ शेयर रखते हैं और बैंक ऑफ इंडिया के कॉर्पोरेट शासन के तहत हरित पहल के एक भाग के रूप में, यहां नीचे दी गई हमारी ईमेल आईडी के माध्यम से बैंक ऑफ इंडिया से सभी संसूचनाएं प्राप्त करने के इच्छुक हैं।

फोलियो नंबर : ________________________

ई मेल आईडी : ________________________ @

मोबाइल नं. : ________________________

मैं/ हम यह भी वचन देते हैं कि मेरे ईमेल आईडी के माध्यम से प्राप्त सूचना को बैंक ऑफ इंडिया द्वारा हमें भेजे गए दस्तावेजों की उचित, कानूनी और पर्याप्त डिलीवरी के रूप में माना जाएगा।मैं/हम यह भी वचन देते हैं कि हम बैंक ऑफ इंडिया, उसके किसी भी कर्मचारी, रजिस्ट्रार या उसके कर्मचारियों को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, यदि किसी तकनीकी/अन्य विफलताओं के कारण मेरे/हमारे ईमेल आईडी पर सूचना ठीक से प्राप्त नहीं होती है।

प्रथम/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

____

GREEN INITIATIVE OF BANK OF INDIA

Date :

Bigshare Services Pvt. Ltd.
Unit : Bank of India,
Office No.S6-2, 6” Floor, Pinnacle Businesss Park,
Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri East, Mumbai 400093.
E-mail ID: investor@bigshareonline.com

Dear Sir,

I/We ________________ holding ________________ shares of Bank of India in physical form, intend to receive all communication from Bank of India through our email ID given hereunder, as a part of Green Initiative under Corporate Governance of Bank of India.

Folio Number: ________________________

Email ID : ________________________@

Mobile No. : ________________________

I/We also undertake that the communication received through my/our email id will be treated as proper, legal and sufficient delivery of documents sent to us by Bank of India. I/We further undertake that we would not hold Bank of India, any of its employees, Registrar or its employees, responsible in case of communication is not properly received at my/our email ID due to any technical/other failures.

Signature of the First/Sole Shareholder

____

बैंक ऑफ़ इंडिया

इक्विटी शेयरों पर लाभांश के भुगतान के लिए अधिदेश

(इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से)

क्र.सं.	विवरण	शेयरधारक द्वारा जानकारी
1	पहले शेयरधारक का नाम (in Block letters)	
2	पता	
3	शेयरधारक का फोलियो नंबर (भौतिक रूप में शेयरधारण के लिए) डीपी आईडी/ क्लायंट आईडी नंबर (इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारण के लिए)	
4	बैंक खाते का विवरण	
	a. बैंक का नाम	
	b. शाखा का नाम , शहर एवं पिन कोड	
	c. खाता सं. (जैसा चेक बुक में उल्लिखित है)	
	d. खाता प्रकार (कृपया टिक करें) (एसबी/चालू खाता या नकद ऋण खाता)	एसबी ☐ सीडी ☐ नकद ऋण ☐
	e. आईएफएससी कोड	
	f. बैंक शाखा की डिजिट कोड सं. बैंक द्वारा जारी किए गए माईकर चेक पर उल्लिखित	☐☐☐☐☐☐☐☐☐

कोड संख्याओं की सटीकता को सत्यापित करने के लिए अपने उपरोक्त खाते से संबंधित अपने बैंक द्वारा जारी किए गए चेक लीफ / रिक्त रद्द चेक की एक फोटोकॉपी और पहचान-प्रमाण के रूप में अपने पैनकार्ड की एक स्व-सत्यापित फोटोकॉपी संलग्न करें

घोषणा

मैं, एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त ब्यौरे सही और पूर्ण हैं। यदि अधूरी जानकारी के कारणों से संव्यवहार में देरी होती है या संव्यवहार नहीं होती है, तो मैं बैंक ऑफ इंडिया को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा।

स्थान :

दिनांक:

प्रथम धारक के हस्ताक्षर

नोट:

1. **यदि शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखा जाता है :** कृपया फॉर्म को पूरा करें, हस्ताक्षर करें और आवश्यक अपडेशन के लिए अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी को आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करें।
2. यदि शेयर भौतिक मोड में रखे जाते हैं: कृपया फॉर्म भरें, हस्ताक्षर करें और रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेन्ट (RTA) के पते पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ मेल करें, अर्थात **बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट : बैंक ऑफ़ इंडिया, ऑफिस नं.एस6-2, 6ठी मंजिल, पिनैकल बिज़नस पार्क, अहूरा सेन्टर के पास, महाकाली केव्स रोड, अंधेरी पूर्व, मुंबई-400093**. या बैंक ऑफ इंडिया, निवेशक संबंध विभाग, 8वीं मंजिल, प्रधान कार्यालय, सी -5, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400 051

BANK OF INDIA

Mandate for payment of Dividend on Equity Shares

(Through Electronic Mode)

Sl No	Particulars	Information by Shareholder
1	First Shareholder's Name (in Block letters)	
2	Address	
3	Shareholder's Folio number (for holding in physical form) DP ID / Client ID number (for holding in electronic form)	
4	Particulars of Bank Account a. Bank Name b. Branch Name & City Pin Code c. Account No. (as appearing on the Cheque book) d. Account Type (Please tick) (SB Account / Current A/c or Cash Credit A/c) e. IFSC Code f. 9 digit Code No. of the Bank Branch appearing on the MICR Cheque issued by the Bank	SB ☐ CD ☐ Cash Credit ☐

Please attach a self-attested photocopy of your PANCARD as Proof of Identity alongwith a photocopy of a Cheque leaf / blank cancelled cheque issued by your Bank relating to your above account for verifying the accuracy of the Code numbers

DECLARATION

I, hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not affected at all for reasons of incomplete information, I would not hold Bank of Baroda responsible.

Place:

Date:

Signature of the First Holder

Note:

1. **If the shares are held in electronic mode:** Please complete the form, sign and submit alongwith the required documents to your Depository Participant for necessary updation.
2. **If the shares are held in physical mode:** Please complete the form, sign and mail alongwith the required documents at the address of Registrar and TransferAgent (RTA), i.e **Bigshare Services Pvt. Ltd., Office No.S6-2, 6" Floor, Pinnacle Businesss Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri East, Mumbai 400093.**OR at Bank of India, Investor Relations Department. 8th Floor, Baroda of India, Head Office, C-5, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051.

नोट NOTE:

बैंक ऑफ़ इंड़िया
Bank of India BOI

हमारा दृष्टिकोण

"कंपनियों, मध्यम श्रेणी व्यापारियों और दूरदाराज के छोटे आम ग्राहकों का मनपसंद बैंक बनना, छोटे व्यापारियों, ग्रामीण बाजारों और सामान्य बाजार को लागत प्रभावी विकासमान बैंकिंग प्रदान करना"।

Our Vision

"To become the bank of choice for corporates, medium businesses and upmarket retail customers and to provide cost effective developmental banking for small business, mass market and rural markets".

हमारा लक्ष्य

"सर्वश्रेष्ठ और व्यावहारिक बैंकिंग भूमंडलीय बाजारों में प्रदान करने के लिए एक विकास बैंक की भूमिका निभाते हुए लागत प्रभावी और दायित्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करना और ऐसा करते हुए हमारे पूंजी निवेशकों की अपेक्षाओं को पूरा करना'।

Our Mission

"To provide superior, proactive banking services to niche markets globally, while providing cost-effective, responsive services to others in our role as a development bank, and in so doing, meet the requirements of our stakeholders".

हमारी गुणवत्ता नीति

हम, बैंक ऑफ़ इंडिया को पसंदीदा बैंक बनाने हेतु अपने ग्राहकों और सरंक्षकों को, **उत्कृष्ट, व्यवहार्य, नवोन्मेषी, अत्याधुनिक** बैंकिंग सेवाएं तत्परता और शालीनता से प्रदान करने के लिए वचनबद्ध हैं।

Our Quality Policy

We, at Bank of India, are committed to become the Bank of Choice by providing SUPERIOR, PROACTIVE, INNOVATIVE STATE OF THE ART Banking Services with an attitude of Care and Concern for the Customers and Patrons.

महत्वपूर्ण सूचना

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के सॉफ्ट कॉपी को प्राप्त करने हेतु बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट **www.bankofindia.co.in** का अवलोकन करें।

बैंक की वार्षिक रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले शेयरधारक **investor@bigshareonline.com** पर ई-मेल कर ऑर्डर कर सकते हैं।

शेयरधारकों से यह भी अनुरोध है कि ई मेल के जरिए जल्द नोटिस, सूचना आदि प्राप्त करने के लिए अपना ई मेल आई डी **headoffice.share@bankofindia.co.in**, पर सूचित करें

IMPORTANT NOTICE

Shareholders are requested to visit Bank of India website **www.bankofindia.co.in** to get the soft copy of Annual Report 2021-22.

Shareholders desirous of having a copy of Bank's Annual Report may order for it by sending email to **investor@bigshareonline.com**

Shareholders are requested to register their E-mail ID, with the Bank at headoffice.share@bankofindia.co.in, for quick/early receipt of Notice, information, communication through E-mail.

बैंक ऑफ़ इंडिया
(भारत सरकार का उपक्रम)
रिश्तों की जमापूँजी

Bank of India
(A Govt. of India Undertaking)
Relationship beyond banking

Our relationship is only getting
stronger...

Bank of India thanks its customers and stakeholders for their unstinted support.

Committed towards Reshaping the Future

BOI RETAIL LOANS

BOI AGRI LOANS

BOI MSME LOANS

Bank of India
Relationship beyond banking

Head Office: Star House, C-5, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051.

To avail **Retail Loans,** just give a Missed Call on **8010968305** | To avail **SME Loans,** just give a Missed Call on **8010968334**
Toll free No. **1800 220 229 / 1800 103 1906** | Visit: **www.bankofindia.co.in** | Follow us on